55 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

WAPCOS

(भारत सरकार का उपक्रम-जल शक्ति मंत्रालय)

(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)

वैश्विक उपस्थिति (75 से अधिक देश)

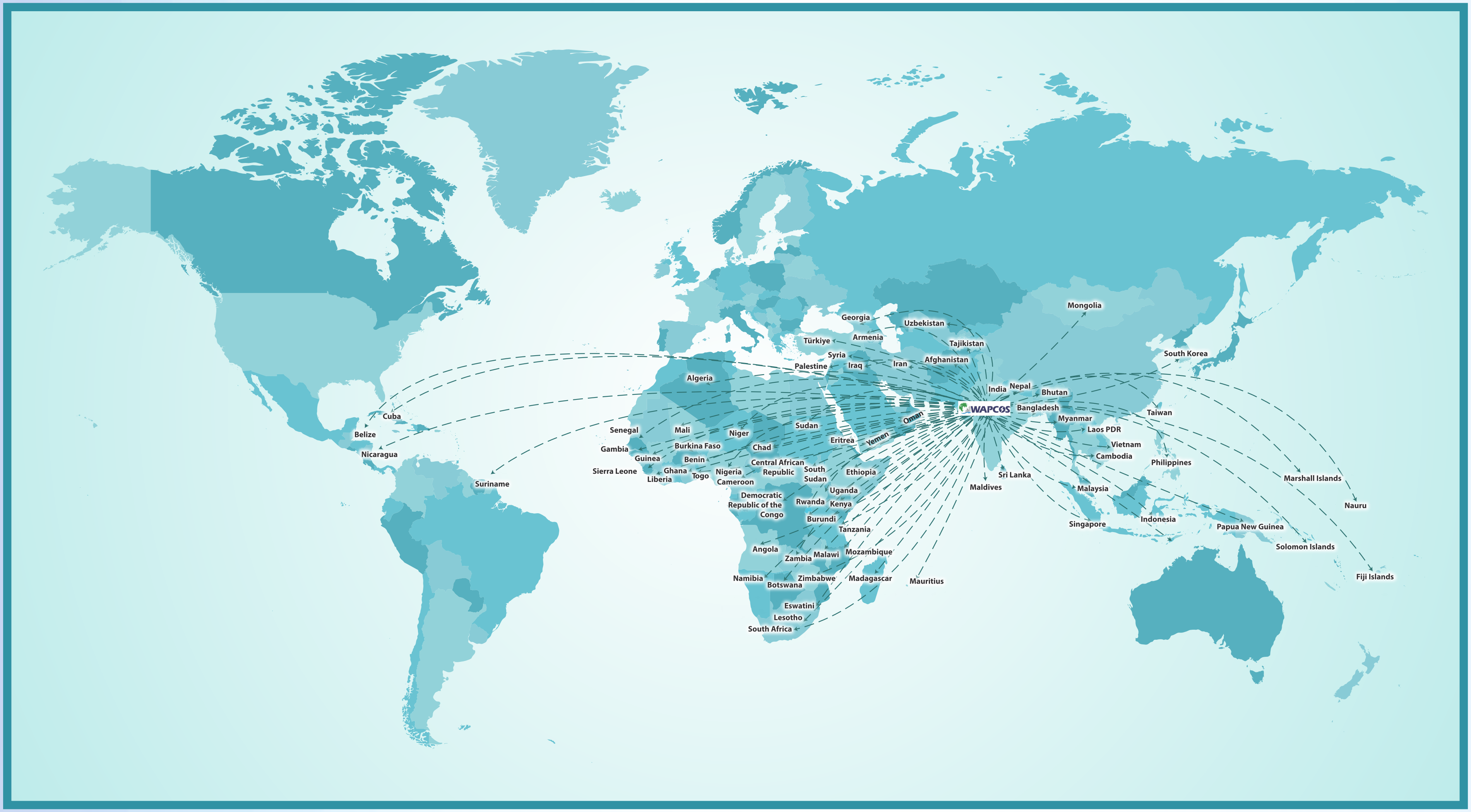

श्री सी. आर. पाटिल

माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार

श्री राज भूषण चौधरी

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार

श्री वी. सोमन्ना

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

श्री वी.एल. कांता राव
सचिव

श्री सुबोध यादव
अपर सचिव

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
संयुक्त सचिव (आरडी एवं पीपी)

श्री गौरव मसलदान
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

श्री करण सिंह
संयुक्त सचिव (एनआरसीडी)

विषय सूची

कॉरपोरेट अवलोकन

6 विजन और मिशन

7 निदेशक मंडल

8 वाप्कोस प्रोफ़ाइल

12 अध्यक्ष का संदेश

17 महत्वपूर्ण गतिविधियां

सांविधिक रिपोर्ट

41 निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन

234 सीएंडएजी की टिप्पणियाँ

235 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

252 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

समेकित

338 सीएंडएजी की टिप्पणियाँ

339 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

352 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

दूरदर्शिता

"जल, विद्युत तथा अवस्थापना परियोजनाओं के सतत् विकास हेतु एकीकृत व अनुकूलित समाधान उपलब्ध करवाने के लिए परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण व निर्माण (ईपीसी) में विश्व में अग्रणी"

लक्ष्य

"सतत् लाभप्रद वृद्धि, कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता, नवउन्नत तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग, नवीकरण तथा विश्वव्यापी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता निर्माण"

निदेशक मण्डल
(वार्षिक आम बैठक की तिथि: 15 दिसंबर, 2025)

श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(24.09.2025 से)

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
सरकारी नामित निदेशक,
(आर.डी. एंड पी.पी.) जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय
(23.05.2025 से)

श्री पी. एस. गंगाधर
सरकारी नामित निदेशक,
संयुक्त सचिव (ईडी)
विदेश मंत्रालय
(06.03.2025 से)

श्री अमिताभ त्रिपाठी
निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं.वि.)
(01.02.2025 से)

वाप्कोस एक जानकारी

परिचय

वाप्कोस लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान के अंतर्गत “लघु रत्न-I” सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को आरंभ; वाप्कोस देश और विदेश में जल, विद्युत तथा अवस्थापना के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाओं और निर्माण संबंधी कार्यों में संलग्न है।

जल, विद्युत और अवसंरचना के सभी क्षेत्रों में अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं सहित संकल्पना से शुरूआत तक, सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने वाला वाप्कोस एक अद्वितीय सीपीएसई है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए स्थायी और प्रभावशाली परिणाम सुनिश्चित करते हुए समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल की है।

वाप्कोस की शक्ति विविध और चुनौतीपूर्ण वातावरणों जैसे मंगोलिया की ठंडी बर्फ से लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान की तेज गर्मी और अफगानिस्तान में कार्य करने की कठिन स्थितियों से लेकर लद्दाख के दुर्गम इलाकों तक में परियोजनाओं को निष्पादित करने की उसकी क्षमता में निहित है।

तकनीकी नवाचार के अग्रिम मोर्चे पर, वाप्कोस जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट अवसंरचना और अत्याधुनिक सिंचाई तकनीकों में हुई प्रगति का लाभ उठाता है। इसके प्रमुख कार्यों में पम्पड स्टोरेज हाइड्रोपावर और सौर और पवन ऊर्जा का एकीकरण शामिल है। 75 से अधिक देशों में मौजूदगी और सिद्ध कार्य निष्पादन रिकार्ड के साथ वाप्कोस, दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली, सतत समाधान प्रदान करता है और यह दुनियाभर में एक विश्वसनीय नाम है।

कंपनी ने जल संसाधनों, विद्युत तथा अवस्थापना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं हेतु आईएसओ 9001:2015 की गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं और साथ ही आवासीय, कार्यालय भवनों, सिविल कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी प्रापण और निर्माण परियोजनाओं हेतु भी आईएसओ 9001:2015 की गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है।

दूरदर्शिता

"जल, विद्युत तथा अवस्थापना परियोजनाओं के सतत् विकास हेतु एकीकृत व अनुकूलित समाधान उपलब्ध करवाने के लिए परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण व निर्माण (ईपीसी) में विश्व में अग्रणी"

लक्ष्य

"सतत लाभप्रद वृद्धि, कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता, नवउन्नत तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग, नवीनीकरण तथा विश्वव्यापी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता निर्माण"

विशेषज्ञता के क्षेत्र

कम्पनी के विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में शामिल है :

- सिंचाई, जल निकासी और जल प्रबंधन
- भू जल खोज व लघु सिंचाई
- बाढ़ नियंत्रण और नदी आकारिकी
- बांध व जलाशय इंजीनियरिंग
- बांध सुरक्षा
- जल निकाय तथा भूमि संरक्षण
- कृषि
- जल विभाजक प्रबंधन
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- नदी बेसिन आयोजना
- हाइड्रो पावर
- थर्मल पावर
- पम्पड स्टोरेज परियोजना
- ट्रांसमिशन तथा वितरण
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा विकास
- जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी
- पर्यावरण इंजीनियरिंग
- पत्तन, बंदरगाह तथा अंतर्देशीय जलमार्ग
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्र विकास
- सड़कें, रेल एवं राजमार्ग अभियांत्रिकी
- भवन व नगरीकरण
- रोपवे

सेवाओं की श्रृंखला

वाप्कोस अपने ग्राहकों को जल, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के अलावा "कॉन्सेप्ट-टू-कमीशनिंग" की सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रदत्त परियोजना के संबंध में हमारी ओर से दी जाने वाली सेवाओं में इनमें से एक अथवा इनका संयोजन शामिल है –

- प्रारम्भिक अन्वेषण/सर्वेक्षण
- व्यवहार्यता अध्ययन/आयोजना/ परियोजना सूत्रीकरण
- फील्ड सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व परीक्षण
- डिजाइन इंजीनियरिंग
- आधार रेखा और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
- टेंडर इंजीनियरिंग
- संस्थागत/मानव संसाधन विकास
- परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण
- प्रचालन व रखरखाव
- ईपीसी/टर्नकी व डिपोजिट कार्य

वाप्कोस के अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव (यूएसपी) में 20 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के विकास में योगदान करने वाली सिंचाई, जल संसाधन, भूजल और कृषि इत्यादि की 550 से अधिक परियोजनाएं; पत्तन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग की 200 से अधिक परियोजनाएं; जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी विकास, सड़क और राजमार्ग इंजीनियरिंग की 500 से अधिक परियोजनाएं; जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों की 300 से अधिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) शामिल हैं। इसी प्रकार, जल विद्युत क्षेत्र में, वाप्कोस को 100 गीगावॉट से अधिक वैश्विक जल विद्युत में अपना योगदान, 60 गीगावॉट से अधिक कुशल पंपड स्टोरेज प्रणाली और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास में अग्रणी रहने पर हमें गर्व है। थर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर लगभग 23 गीगावॉट की परियोजना क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। 15,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक की ट्रांसमिशन लाइन, 500 सबस्टेशनों और 20,000 सर्किट किलोमीटर के वितरण नेटवर्क के साथ, वाप्कोस वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सतत ऊर्जा संवितरण सुनिश्चित करता है।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

वाप्कोस विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषित अभिकरणों जैसे विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषित कई विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।

भारत सरकार की द्विपक्षीय वित्त पोषण पहल के हिस्से के रूप में हम अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, घाना और तंजानिया जैसे विभिन्न देशों की प्रमुख विकास परियोजनाओं से भी जुड़े हुए हैं।

वाप्कोस प्रचालन

21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए वाप्कोस में उच्च अर्हता प्राप्त पेशेवर, कुशल प्रबंधन और उत्कृष्ट ढांचागत सुविधाएं मौजूद हैं। अपनी स्थापना से वाप्कोस पचहत्तर (75) से अधिक देशों में विभिन्न ग्राहकों को इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वाप्कोस ने विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूरे अफ्रीका में जल, विद्युत और अवस्थापना में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करके वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है। विदेशों में मौजूद हमारी व्यापक उपस्थिति और असाइनमेंट हमारे वर्षों के वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता को दर्शाती है। वर्तमान में, कंपनी भारत सहित पैंतीस से अधिक (35) देशों अंगोला, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बोत्सवाना, बुंडुंडी, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, एस्वातिनी, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, घाना, इंडोनेशिया, लाओस, लाइबेरिया, मॉरिशस, म्यांमार, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, फिलिस्तीन, रवांडा, मार्शल द्वीप गणराज्य, सिएरा लियोन, ताजिकिस्तान, तंजानिया, टोगो, तुर्की, युगांडा, ज़ांज़ीबार और ज़िम्बाब्वे में जारी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

वाप्कोस भारत के सभी राज्यों में 100 से अधिक परियोजना कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है और इसे अपने संचालन के क्षेत्रों में भारत सरकार की लगभग सभी प्रमुख योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन (जेजेएम), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), नमामि गंगे-एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सागरमाला कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि में शामिल होने का गौरव प्राप्त है।

पुरस्कार/मान्यता

वाप्कोस को जल एवं अन्य शहरी अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्मों में एडीबी द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के लिए सबसे अधिक स्वीकृत वित्तपोषित राशि के साथ प्रथम स्थान दिया गया है, संबंधित वर्षों के लिए प्रकाशित वार्षिक खरीद रिपोर्ट के अनुसार वाप्कोस 2017-2021 और 2019-2023 की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक सदस्य तथ्य पत्रक के अनुसार एडीबी ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में भी शामिल है। वाप्कोस इन श्रेणियों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

'मेरिटोरियस अवार्ड-कॉरपोरेट शासन'', **इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर (आईओडी) इंडिया द्वारा** वर्ष **2022** के लिए **'गोल्डेन पीकॉक बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड**, वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एंड अवार्ड्स द्वारा आयोजित **बेस्ट एचआर कंपनी टू वर्क** केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड (सीबीआईपी) **द्वारा 'बेस्ट कंसलटेंसी ऑरगेनाईजेशन इन वॉटर रिसोर्स सेक्टर**, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा **'मेरिटोरियस अवार्ड-कॉरपोरेट**

शासन", वॉटर डाइजेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट कंसल्टेंसी, सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन - सार्वजनिक क्षेत्र; बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और मेड इन इंडिया - बेस्ट वाटर कंपनी (पब्लिक सेक्टर), बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर" और "सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन" अवार्ड्स वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस, इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021", स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राजेस, सार्वजनिक उद्यमों के एक शीर्ष निकाय द्वारा स्थापित **स्कोप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स** 2018- **सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैंपेन/कार्यक्रम- बाहरी**, लोक उद्यम विभाग ,भारत सरकार द्वारा स्थापित **"शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई" "एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार"**; - भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थान केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा स्थापित, "**जल संसाधन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्श संगठन**"; **निर्यात योजना में उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी उत्तरी क्षेत्र पुरस्कार - स्टार परफॉर्मर इन** 2015-16 **के लिए उत्पाद समूह (सिल्वर शील्ड) इंजीनियरिंग सेवाएं- इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, उद्योग और वाणिज्य,मंत्रालय भारत सरकार** द्वारा स्थापित **बड़े उद्यम ओमेरर्स एंड इंडस्ट्री; सीईएआई राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा परियोजना इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार**; भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और एसौचैम द्वारा स्थापित **परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार,पीएसई अवार्ड में महिलाओं का योगदान, कंपनी ऑफ द ईयर, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट – पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड,** इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा **स्थापित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी विजन अवार्ड; इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स – इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विजन समिट- कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विजन** अवाडर्स **2018: ईटी नाउ-राइज पुरस्कार द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवाडर्स- बेस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंजिबिलिटि प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट अफेयर, लीडरशिप अवार्ड, बेस्ट यूज ऑफ मीडिया रिलेशन**, वर्ल्ड वॉटर लीडरशिप कॉंग्रेस अवार्ड, **बेस्ट कम्युनिटी वॉटर प्रोजेक्ट**, एशियन कोंफेडरेशन ऑफ बिजनेस द्वारा **समर्थित मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड:** ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत **इंडिया अफ्रीका चैंपियन में बिज एंड एसएमई अवाडर्स** 2017, **एस्सोचैम द्वारा समर्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर में कृषि और समर्पित नेतृत्व में अनुकरणीय सेवाएं पुरस्कार।**

अध्यक्ष का संदेश

श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी के कार्य-प्रदर्शन संबंधी विशेषताओं को आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण और चुनौतीपूर्ण बाजार की परिस्थितियों के मध्य, आपकी कंपनी ने उल्लेखनीय तन्यता और विकास का प्रदर्शन किया है। आपकी कंपनी ने प्रचालन के माध्यम से (परियोजना आय) ₹1,530.51 करोड़ रूपये का राजस्व, जबकि ₹2,956.50 करोड़ रूपये का नया व्यवसाय प्राप्त किया है। बोर्ड ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹1.92 प्रति शेयर (₹10 प्रत्येक) के लाभांश के संबंध में ₹25.00 करोड़ देने की अनुशंसा की है।

आपकी कंपनी को विभिन्न स्तरों पर सराहना प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विदेशी मुद्रा अर्जन के आधार पर सेवाओं के क्षेत्र में आपकी कंपनी को शीर्ष 10 सीपीएसई में स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एडीबी द्वारा अप्रैल 2024 में प्रकाशित "एशियाई विकास बैंक और भारत: फैक्ट शीट" के अनुसार, एडीबी ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत परामर्श सेवाओं के करारों में शामिल शीर्ष 5 भारतीय परामर्शदाताओं में वाप्कोस ने अप्रैल 2022 की रिपोर्ट में अपने तीसरे स्थान से सुधार करते हुए, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि इन शीर्ष पांच सलाहकारों में वाप्कोस ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके अतिरिक्त, एडीबी ने वर्ष 2021 और 2022 के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत वित्त राशि के साथ जल और शहरी अवस्थापना सेवाओं के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय परामर्शी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में वाप्कोस को प्रथम स्थान दिया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी की उपलब्धियों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के जरिए सराहा गया। इनमें कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा "प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता" हेतु **सीईएआई नेशनल अवार्ड 2024**, भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा प्रस्तुत 14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में **प्लेटिनम विजेता पुरस्कार**, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) द्वारा इंजीनियरिंग सेवाओं और परामर्श के लिए **आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024** में अभियांत्रिकी और **स्वर्ण पुरस्कार** शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वॉटर ट्रान्सवेलेटी ग्लोबल अवार्ड एंड कॉन्क्लेव 2024 में वाप्कोस को **"लीडिंग पीएसयू - वर्षा जल संचयन** और **भूजल प्रबंधन" पुरस्कार और "विशेष मान्यता पुरस्कार - विकास क्षेत्र में अग्रणी संगठन"** पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा वाप्कोस को लगातार "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है। इस वर्ष भी, हमारे संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया गया है। बेहतर निगमित अभिशासन नीतियों के अंगीकृत करने के साथ ही, हम अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने में समर्थ रहे हैं।

परिचालनात्मक उत्कृष्टता और ग्राहक संतोष हमेशा से ही हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रहे हैं। हमने समय पर कार्य पूर्णता सुनिश्चित करते हुए परियोजना कार्य-निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और कर्मचारी अनुकूलन में प्रणालीगत सुधार किए हैं। हमारे ग्राहकों की विकसित होती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवा आपूर्ति में उत्कृष्टता के प्रति हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता ही हमारी तीव्र विस्तार योजनाओं को संतुलन प्रदान करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन, जो पहले कभी नहीं हुए, इस संदर्भ में आपकी कंपनी को भी अपनी कामकाजी कार्यनीति को समकालिक के अनुरूप ही ढालना होगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने मौजूदा संचालन देशों जैसे **अंगोला, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिजी, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजर, तंजानिया, टोगो, ताजिकिस्तान, युगांडा** में विभिन्न नई परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं और साथ ही **मॉरीशस** में भी विविध प्रकार का संचालन किया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को भी पूर्ण किया है। इनमें से कुछ पूर्ण हो चुकी/शुरू की गई परियोजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में राजकोट नगर निगम के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और तरिघाट के बीच गंगा नदी पर रेल-और-रोड पुल के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श इसका उदघाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, महाराष्ट्र का उद्घाटन।
- मुंबई में संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र- विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर (मेगा सीएफसी) और नए उद्यम एवं सर्विस टॉवर - 01 हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया
- संयुक्त गणराज्य तंजानिया के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. सामिया सुलुहू हसन द्वारा शेलुई में "विक्टोरिया झील पाइपलाइन का टिंडे और शेलुई कस्बों और आस-पास के गांवों तक विस्तार" का उद्घाटन किया गया।
- केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा "भारत के महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय के मान सिंह रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया गया।
- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कोच्चि और जम्मू में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया।
- नागपुर शहर में अमृत के अंतर्गत अवैध लेआउट/बस्तियों/झुग्गियों सहित संवितरण अवसंरचना कार्यान्वयन - 8 उन्नत सतही जलाशयों का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा किया गया।
- कोपारी वॉटरफ्रंट विकास परियोजना, ठाणे के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकार, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने किया।
- राजस्थान में इंद्रोका बांध का उद्घाटन तत्कालीन माननीय जल शक्ति मंत्री ने किया।
- मॉरीशस में लघु जल विद्युत परियोजना विकास हेतु तकनीकी सहायता।
- हिमाचल प्रदेश के बड्डी में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) का उद्घाटन तत्कालीन माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा किया गया।
- राजस्थान के जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर जिलों में 112 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का उद्घाटन तत्कालीन माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया।
- सोनीपत, औरंगाबाद और भोपाल में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास उद्घाटन तत्कालीन माननीय केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा गृह राज्य मंत्री द्वारा किया गया।
- बेंगलुरु में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास उद्घाटन तत्कालीन माननीय केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा किया गया।

- गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श इस परियोजना का उद्घाटन ओडिशा के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
- श्री जगन्नाथ क्रिकेट स्टेडियम और जिम्नास्टिक्स हाई परफॉर्मेंस का उद्घाटन ओडिशा के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

सतत और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने रहने के साथ बाजार की गतिशीलता के साथ स्वयं को अनुकूलित करते हुए आपकी कंपनी का ध्यान भविष्य पर केंद्रित है। मौजूदा ग्राहकों से लगातार मिल रहे पुनरावृत्ति कार्यों के साथ-साथ नए व्यवसायों का मिलना, गुणवत्ता, समय पर कार्य निष्पादन और लागत दक्षता के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता को सत्यापित करते हैं। विकास संबंधी हमारी कार्यनीति इस दशक में राष्ट्रीय और वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे **जल, विद्युत और अवस्थापना** क्षेत्रों में संचालन विस्तार पर आधारित है।

आज के व्यापार परिदृश्य में, कोई भी कंपनी नई उभरती और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाये बिना स्वयं के अस्तित्व को बनाये नहीं रख सकती। अपने क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ स्वयं को अद्यतन रखने पर हमारा ध्यान केन्द्रित रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। हम अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में विभिन्न संख्यात्मक मॉडलिंग सॉफ़्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। ये संख्यात्मक मॉडलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ हमारी सेवाओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में प्रचलित सभी प्रमुख सॉफ़्टवेयर का उपयोग आपकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

घरेलू स्तर पर, वाप्कोस ने अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति को और मजबूत किया है, जोकि जल जीवन मिशन (जेजेएम), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), नमामि गंगे-एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, स्मार्ट सिटी, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सागरमाला कार्यक्रम, प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी महत्वपूर्ण सरकारी पहलों में योगदान दे रही है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, हम भारत के बुनियादी ढांचे और विकास परिदृश्य में लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सक्रिय रूप से परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटल समाधानों को एकीकृत करने के साथ ही कंपनी का प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करने पर फोकस रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार हेतु विभिन्न आईटी-आधारित प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। नकद रहित और कुशल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी निर्देशों के अनुरूप **डिजिटल भुगतान प्रणालियों** को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, **उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली** को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, वित्त मॉड्यूल पहले से ही कार्यात्मक है और अन्य मॉड्यूल—मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, और व्यवसाय विकास—संबंधी कार्य पूरा होने वाला है। ईआरपी के पूर्ण स्तरीय कार्यान्वयन से व्यवसायिक कार्यों में दक्षता और समन्वय में व्यापक रूप से वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, जिसमें **स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरणीय स्थिरता, महिलाओं का कल्याण, और स्वच्छ गंगा कोष** में योगदान पर आधारित पहल शामिल हैं। सभी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यांवित किया जाता है।

हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2024 तक **929 नियमित कैडर कर्मचारियों** के साथ, वाप्कोस एक ज्ञान-आधारित संगठन बना हुआ है, जहां विशेषज्ञता और नवाचार सफलता के प्रमुख चालक हैं। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें तकनीक को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भौतिक और आभासी दोनों प्रकार की पद्धतियों में निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्कृष्टता की सराहना करने और प्रोत्साहित करने हेतु, कंपनी ने **"माह के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी"** कार्यक्रम की भी शुरूआत की है।

इसके अतिरिक्त, जारी परियोजनाओं और पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं, प्रमुख सफलताओं और कर्मचारियों की उपलब्धियों सहित प्रमुख गतिविधियों की जानकारी देने हेतु एक **मासिक समाचार पत्र** भी प्रकाशित किया जा रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्मचारी न

केवल प्रेरित हो बल्कि कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्वयं को जोड़े रखे।

ग्राहक संतोष ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपेक्षाओं के अनुरूप और उससे अधिक उच्च गुणवत्ता, समयबद्ध और लागत-कुशल समाधान प्रदान करके दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उत्कृष्टता पर मुख्य ध्यान केन्द्रित करने के साथ, हम भारत की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार और उससे कहीं अधिक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाये हुए हैं।

आपकी कंपनी अपनी सहायक कंपनी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनपीसीसी) के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोनों कंपनियों की कार्यशक्तियों के समन्वय और हमारे हाल के कार्यकलापों के साथ, एनपीसीसी के कार्य निष्पादन में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों कंपनियां आगे भी इसी प्रकार विकास जारी रखेंगी और आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगी।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों का कंपनी के विकास की दिशा में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए, अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री; सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की आभारी हूं, जिनका बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग समय-समय पर हमें मिलता रहता है।

मैं सरकार के मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों विशेष रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; आयुष मंत्रालय; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय; रक्षा मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय; गृह मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; खान मंत्रालय; रेल मंत्रालय; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय; पत्तन-पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी सहायता के बिना कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा सरल नहीं होती।

मैं इस अवसर पर लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग; वित्त मंत्रालय; भारत में विदेशी मिशन और दूतावास; एक्ज़िम बैंक; विदेश में भारतीय मिशन और दूतावास; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी से जुड़े सम्मानित ग्राहकों और अन्य पेशेवरों द्वारा हमें हमेशा दिए जाने वाले मूल्यवान सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देती हूं।

निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से, कंपनी के विकास में उत्कृत योगदान देने के लिए कंपनी के कर्मचारियों की हृदय से सराहना करना चाहती हूं।

मैं सभी शेयरधारकों की भी आभारी हूँ जिन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे विश्वसनीय और प्रशंसित कंपनियों में से एक बनाने हेतु निरंतर अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं आशा करती हूं कि यह निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन हमें हमेशा की तरह मिलता रहेगा।

अंत में, अपनी बात के समापन में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपकी कंपनी जल, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने में अग्रणी रही है, जोकि **विकसित भारत@2047** के विजन को प्राप्त करने हेतु समावेशी विकास की आधारशिला हैं। एक ओर जहां, सतत विकास संबंधी चुनौतियाँ भयावह हैं, लेकिन आपकी कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयास यह दर्शाते हैं कि गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग, महत्वकांक्षी व्यावसायिक कार्यनीतियां और ग्राहकों के साथ स्थायी साझेदारी के साथ, आपकी कंपनी का भविष्य सुरक्षित है और अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति निर्धारित है।

श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अद्वितीय विशेषताएं
यूनिक सेल्लिंग प्रोपोज़िशन (यूएसपी)

जल संसाधन

सिंचाई, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल इत्यादि के क्षेत्र में 550 से अधिक परियोजनाएं

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आंकलन

जल, विद्युत और अवस्थापना के क्षेत्र में 300 से अधिक परियोजनाएं

विद्युत

जलविद्युत

100 गीगावॉट से अधिक वैश्विक जलविद्युत, 60 गीगावॉट से अधिक सक्षम पम्प भंडारण प्रणालियों और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास का नेतृत्व करते हुए 200 से अधिक परियोजनाएं

थर्मल

वैश्विक स्तर पर लगभग 23 गीगावॉट परियोजना क्षमता के साथ 40 से अधिक परियोजनाओं को अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

ट्रांसमिशन और संवितरण लाइन

15,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों, 500 सबस्टेशनों और 20,000 सर्किट किलोमीटर वितरण नेटवर्क के साथ 200 से अधिक परियोजनाएँ

अवस्थापना

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण तथा शहरी विकास, सड़क और राजमार्ग इत्यादि के क्षेत्र में 550 से अधिक परियोजनाएँ

पत्तन, बंदरगाह, और अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में 200 से अधिक परियोजनाएँ

महत्वपूर्ण गतिविधियां

भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

22.05.2023

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन वाप्कोस द्वारा लुटियंस जोन में इस प्रतिष्ठित भवन का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य किया गया।

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी (संगठन) जल आपूर्ति नियमावली के संशोधन और अद्यतन हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला

12.06.2023 - 13.06.2023

सचिव (एमओएचयूए) ने विज्ञान भवन, दिल्ली में जीआईएच, जानकारी साझेदार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) जल आपूर्ति नियमावली के संशोधन और अद्यतन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

तकनीकी सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न यूएलबी के उपस्थित प्रतिनिधियों, उच्चाधिकारियों के समक्ष वाप्कोस द्वारा तैयार की गई नियमावली से संबधित प्रस्तुति प्रस्तुत की गई।

भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 18वां सीआईआई एक्सिम बैंक सम्मेलन, नई दिल्ली

14.06.2023 - 16.06.2023

माननीय विदेश मंत्री, श्री एस. जयशंकर द्वारा उद्घाटन।

इस अवसर पर वाप्कोस द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें अफ्रीका में वाप्कोस द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। वाप्कोस के अधिकारियों ने विभिन्न विदेशी गणमान्य उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत भी की।

वाप्कोस निगमित कार्यालय, गुरुग्राम में योग दिवस समारोह

21.06.2023

श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (आरडीएंडपीपी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

55वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर

26.06.2023

55वें स्थापना दिवस के अवसर पर वाप्कोस निगमित कार्यालय, गुरुग्राम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी के साथ बैठक

05.07.2023

वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने पुडुचेरी में जल संसाधन, विद्युत और अवस्थापना के क्षेत्रों की विकासात्मक परियोजनाओं में वाप्कोस की भागीदारी के संबंध में चर्चा करने हेतु संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के माननीय मुख्यमंत्री साथ मुलाकात की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

25.07.2023

कंपनी के विकास को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्कालीन सचिव श्री पंकज कुमार और वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

गुजरात में राजकोट में न्यारी-1 बांध से रायधार जल उपचार संयंत्र तक 1219 मिमी कच्चे पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन

27.07.2023

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल की उपस्थिति में राजकोट नगर निगम की विभिन्न जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

वाप्कोस ने राजकोट में नयारी बांध से रायधार जल उपचार संयंत्र तक 10.06 किमी लंबी 1219 मिमी व्यास की एमएस पाइपलाइन बिछाने हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान कीं। इस योजना से गुजरात के राजकोट शहर के नए विकसित क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है।

"हर घर तिरंगा अभियान"

14.08.2023

वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने 77वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और साथ ही उन्हें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा अभियान' में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

चेन्नई में आईआईटी मद्रास के नए शैक्षणिक परिसर (एनएसी) II का निर्माण

15.08.2023

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटी द्वारा उद्घाटन वाप्कोस ने इस परियोजना हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ प्रदान कीं हैं।

आईआईटी प्रदास के निदेशक ने वाप्कोस को स्मृति चिन्ह भेंट किया

एनएसी II भवन का दृश्य

77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

15.08.2023

वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने वाप्कोस निगमित कार्यालय, गुरूग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सहायक सचिवों (2021 बैच के आईएएस अधिकारी बैच) वाप्कोस कार्यालय का दौरा

24.08.2023

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में नवनियुक्त सहायक सचिवों सुश्री अनामिका (उत्तराखंड कैडर), सुश्री अपूर्वा त्रिपाठी (बिहार कैडर), श्री प्रखर कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश कैडर), श्री सुहास लक्ष्मण गड़े (महाराष्ट्र कैडर) और श्री विश्पुते श्रीकांत यशवंत (झारखंड कैडर) ने वाप्कोस एवं एनपीसीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के साथ वाप्कोस के कार्यालय, नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान, उन्हें वाप्कोस और एनपीसीसी की कार्यप्रणाली और संचालन के बारे में जानकारी दी गई।

"बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2023" जयपुर, राजस्थान

14.09.2023

वाप्कोस ने "बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें वाप्कोस द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया।

"सीपीएसई सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023", नई दिल्ली

25.09.2023

तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत किशनराव कराड द्वारा उद्घाटन

वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने अन्य अधिकारियों के साथ भाग लिया। वाप्कोस द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

महाराष्ट्र के मुंबई में चौपाटी बीच पर "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023"

01.10.2023

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023’ के एक भाग के रूप में वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल के नेतृत्व में वाप्कोस की टीम ने मुंबई की चौपाटी बीच पर "एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 : श्रमदान अभियान केरल के तिरुवंनंतपुरम में श्रमदान अभियान

01.10.2023

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के अंतर्गत, वाप्कोस के केरल के क्षेत्रीय कार्यालय स्पेशल चिल्ड्रन , सरकारी एलपीएस स्कूल, केरल और अर्बन रिसोर्स सेंटर (ऑटिज्म केंद्र) पेट्टाह, तिरुवनंतपुरम, के साथ मिलकर श्रमदान अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ऑटिस्टिक बच्चों (विशेष रूप से सक्षम बच्चों) की स्वच्छता अभियान में सहभागिता थी।

संयुक्त गणराज्य तंजानिया की राष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहू हसन के साथ बैठक

12.10.2023

तंजानिया में वाप्कोस के संचालन के संबंध में जानकारी देने हेतु वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने संयुक्त गणराज्य तंजानिया की राष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहू हसन के साथ मुलाकात की। महामहिम ने कार्यनीतिक अवस्थापना परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए वाप्कोस के योगदान की सराहना की।

वाप्कोस और एनपीसीसी द्वारा नई दिल्ली में "विशेष अभियान 3.0 और निवारक सतर्कता सम्मेलन" का आयोजन किया

30.10.2023

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल ने समारोह की अध्यक्षता की।

मुख्य अतिथि द्वारा "सत्यनिष्ठा शपथ" दिलाई गई। पीआईडीपीआई के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक "नुक्कड़ नाटक" भी प्रस्तुत किया गया।

चित्रकला और गद्यांश लेखन प्रतियोगिता, गुरुग्राम

01.11.2023

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर, वाप्कोस द्वारा अपने निगमित कार्यालय में बच्चों के लिए चित्रकला और गद्यांश लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

वाप्कोस द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 25वें अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक का आयोजन

02.11.2023

तत्कालीन माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन किया गया। वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत की और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" विषय पर कार्यशाला

06.12.2023

वाप्कोस द्वारा अपने निगमित कार्यालय, गुड़गांव में एक कार्यशाला के आयोजन के माध्यम से "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह" मनाया गया। कार्यशाला का संचालन "भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून" की लेखिका और हरियाणा राज्य यौन उत्पीड़न विरोधी परिषद तथा भारतीय महिला वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर (डब्ल्यूआईसीसीआई) की अध्यक्ष सुश्री श्रीमती माला थापर द्वारा किया गया।

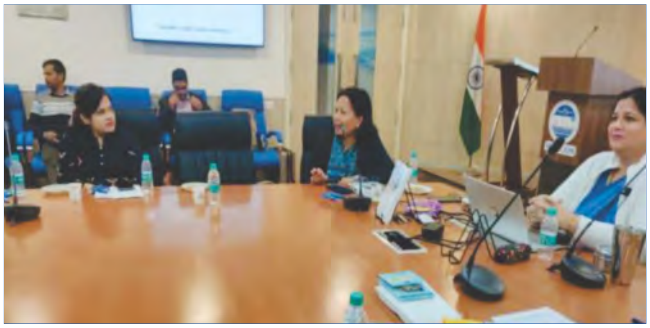

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव द्वारा पुणे के राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) का स्थल दौरा

14.12.2023

इस प्रतिष्ठित संस्थान के निर्माण हेतु वाप्कोस एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में संलग्न है।

कर्नाटक के बेंगलुरु में नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में 300 बिस्तरों वाला छात्रावास

23.12.2023

तत्कालीन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा उदघाटन

इस परियोजना के संबंध में वाप्कोस द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया गया और 304 एथलीटों के आवास हेतु 108 छात्रावास कमरों, 6 स्टूडियो अपार्टमेंट, रसोई घर और भोजनकक्ष, मनोरंजन क्षेत्र तथा बाहरी विकास कार्यों इत्यादि सहित इस 5 मंजिला छात्रावास भवन के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

"वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024"

09.01.2024

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में मोजाम्बिक गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति, तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया।

वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जल, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में वाप्कोस की वैश्विक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

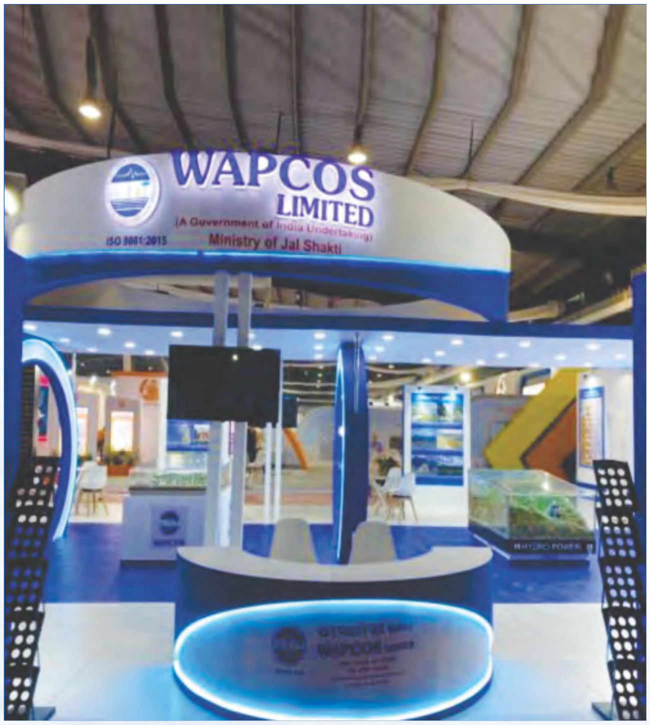

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद के नल्कनाथ क्षेत्र की सिंचाई योजना की आधारशिला रखी

13.02.2024

अहमदाबाद जिले के सानंद में नल्कनाथ क्षेत्र की सिंचाई योजना के संबंध में वाप्कोस डिज़ाइन सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ है। इस सिंचाई योजना से अहमदाबाद जिले के 39 गांवों का 35000 सीसीए हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

भूटान में पुनात्सांग्चू-II जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) बांध का प्रारंभिक जलाशय भरण

21.02.2024

भूटान के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम डैशो त्शेरिंग तोबगे द्वारा इसका उदघाटन किया गया, समारोह के दौरान वाप्कोस टीम के साथ भूटान में भारत के राजदूत श्री सुधाकर डलेला, माननीय ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री और पीएचपीए के अध्यक्ष ल्योंपो जेम त्शेरिंग; माननीय स्वास्थ्य मंत्री ल्योंपो तंदिन वांगचुक, भूटान की शाही सरकार के सचिव और अधिकारी तथा पीएचपीए-II के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।

इस प्रतिष्ठित द्विपक्षीय परियोजना के साथ वाप्कोस डिजाइन परामर्शदाता के रूप में संलग्न है।

महाराष्ट्र के पुणे में निसर्ग ग्राम - राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण

25.02.2024

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकोट, गुजरात से वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे ने भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

वाप्कोस द्वारा आयुष मंत्रालय के लिए बनाये गये इस शीर्ष संस्थान में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल परिसर, मेडिकल कॉलेज, आवासीय और छात्रावास परिसर शामिल हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एनआईएन के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) के सत्य लक्ष्मी द्वारा सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र के नागपुर में वाथोड़ा में एलिवेटिड सर्विस जलाशय का निर्माण का

25.02.2024

माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन

वाप्कोस नागपुर शहर में अमृत के अंतर्गत संवितरण अवसंरचना का विकास कर रहा है जिसमें 16 एलिवेटिड सर्विस जलाशय, 15 किमी फीडर मेन और 378 किमी वितरण पाइपलाइन शामिल है।

उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरी में श्री जगन्नाथ क्रिकेट स्टेडियम और जिम्नास्टिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन

25.02.2024

वाप्कोस ने इस परियोजना का डिज़ाइन कार्य और इसे विकसित किया है। इस परियोजना की मुख्य सुविधाओं में: 2,500 व्यक्तियों की मौजूदा क्षमता वाला क्रिकेट का मैदान; ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल; खेल छात्रावास; खो-खो का मैदान; बास्केटबॉल कोर्ट; वॉलीबॉल कोर्ट और इनडोर जिम्नास्टिक हॉल शामिल हैं।

अमृत योजना के अंतर्गत सिल्चर के 5 जोन में जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) की आंशिक शुरूआत

01.03.2024

असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इससे सिल्चर के 6000 घरों को साफ पेयजल मिलेगा।

इन परियोजनाओं के संबंध में वाप्कोस परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में संलग्न है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के बरुनी में 9512 करोड़ रुपये की लागत वाले नये अमोनिया-यूरिया (नीम कोटेड) उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन

02.03.2024

गंगा नदी से नगर की पेयजल आवश्कयताओं के साथ-साथ यूरिया संयत्र की संकल्पना से शुरूआत तक दोनों के लिए निर्बाध जल आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन संबंधी परियोजना से जुड़ने पर वाप्कोस को गर्व है।

हिमाचल प्रदेश के बद्दी में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण

04.03.2024

तत्कालीन माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया द्वारा उद्घाटन किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में 8939.25 करोड़ रुपये की लागत वाले नई अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया

06.03.2023

दामोदर नदी से नगर की पेयजल आवश्यकताओं के साथ-साथ यूरिया संयत्र की संकल्पना से शुरूआत तक दोनों के लिए निर्बाध जल आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन संबंधी परियोजनाओं से जुड़ने पर वाप्कोस को गर्व है।

हरियाणा के सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र में 300 बिस्तर वाला छात्रावास और तीरंदाजी उत्कृष्टता केंद्र

11.03.2024

तत्कालीन माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक द्वारा वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया। सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल) ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी।

वाप्कोस ने 300 एथलीटों के लिए 100 कमरों वाले इस 4 मंजीला छात्रावास भवन का निर्माण किया है जिसमें 24 स्टूडियो यूनिट के साथ रसोईघर, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, एवीएसी, अग्निशामक, वर्षा जल संचयन इत्यादि शामिल हैं। तीरंदाजी उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण इन्डोर और आउट डोर तीरंताजी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है।

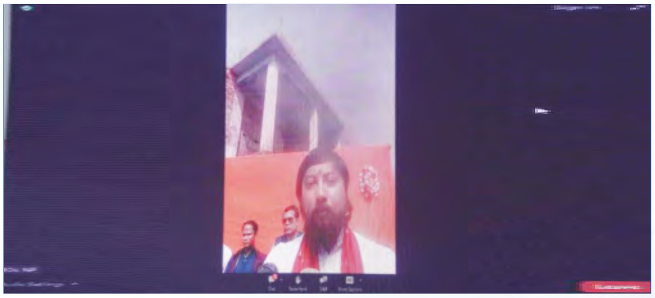

जम्मू और कोच्चि में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का कार्यालय भवन

14.03.2024

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया।

इस कार्यक्रम में वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने भी भाग लिया। इन भवनों का डिजाइन कार्य और विकास वाप्कोस द्वारा किया गया है।

नोट्स

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन

(रूपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े
क. आय		
प्रचालन से प्राप्त आय		
i) परामर्श सेवाएं	675.75	689.54
ii) निर्माण परियोजनाएं	854.76	730.07
प्रचालन से कुल राजस्व (परियोजना आय)	1530.51	1419.61
iii) अन्य आय	38.92	54.62
कुल आय (क)	1569.43	1474.23
ख. व्यय		
i) परामर्श सेवाएं	486.73	523.19
ii) निर्माण परियोजनाएं	851.85	771.90
कुल परियोजना व्यय	1338.58	1295.09
iii) प्रशासन/सामान्य व्यय	142.91	199.75
iv) मूल्यहास	9.08	9.59
कुल व्यय (ख)	1490.57	1504.43
असाधारण मदों और कर ग से पूर्व लाभ = (क-ख)	78.86	-30.20
जोड़ : असाधारण मद	0.02	0
कर पूर्व लाभ	78.88	-30.20

समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समूह का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
टर्नओवर	3164.23
कराधन से पहले लाभ/(हानि)	142.86
घटाएं: कर व्यय	22.63
कर के बाद लाभ/(हानि)	120.23

2. रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी ने सामान्य रिजर्व में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है।

3. पूंजी संरचना

कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंपनी ने 200 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी को 10 रुपये के अंकित मूल्य के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित किया है और 130 करोड़ रुपये की पेड-अप शेयर पूंजी को 10 रुपये के अंकित मूल्य के 13 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित किया है।

4. लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के लिए, बोर्ड ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक 10 रूपये के प्रति इक्विटी शेयर 1.92 रूपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 19.20% है, जो कुल मिलाकर 25.00 करोड़ रूपये है।

5. जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई जमा आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

6. शेयरों की पुनर्खरीद (बाय-बैक)

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों की कोई पुनर्खरीद नहीं की है।

7. सहायक / संयुक्त उपक्रम और सम्बद्ध कंपनी का विवरण

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) - सहायक कंपनी

एनपीसीसी लिमिटेड, जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में एक “मिनी रत्न-I” केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे 9 जनवरी, 1957 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था। वैपकोस ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) की 98.89% शेयरधारिता हासिल कर ली, जिसके परिणामस्वरूप यह वैपकोस की सहायक कंपनी बन गई है। हमारी सहायक कंपनी बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं जैसे टाउनशिप और अन्य आवासीय भवनों का निर्माण, संस्थागत भवन, कार्यालय परिसर, सड़कें, पुल और फ्लाई-ओवर, अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं, औद्योगिक संरचनाएं, सतही परिवहन परियोजनाएं, पर्यावरण परियोजनाएं, तापीय परियोजनाएं, जलविद्युत परियोजनाएं, बांध, बैराज और नहरें, सुरंगें और भूमिगत परियोजनाएं कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए कर से पहले 77.84 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है और कर के बाद 74.79 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 1344.83 करोड़ रुपये का नया कारोबार हासिल किया है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एनपीसीसी ने परिचालनों के माध्यम से 1650.75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 में 77.84 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ और 74.79 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ है अर्जित किया है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 1314.83 करोड़ रुपये का नया व्यवसाय प्राप्त किया।

8. वाप्कोस का नया लोगो

26.06.2024 को 55वें वार्षिक दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी ने माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती देवश्री मुखर्जी, वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर.के. अग्रवाल और जल शक्ति मंत्रालय तथा वाप्कोस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वाप्कोस के नये लोगो का अनावरण किया। हमारे नए लोगो में ग्लोब 75+ देशों में हमारी वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है। हरा रंग हमारे परियोजनाओं के माध्यम से हमारे संचालन के प्रत्येक पहलू में सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जल सदैव जल शक्ति मंत्रालय और वाप्कोस के केन्द्र में रहा है और इसलिए नीले रंग की लहरें हमारे अग्रणी कार्यों का प्रतीक हैं। भवन अवस्थापना के क्षेत्र में हमारी उपस्थिति का प्रतीक है। O के अंदर बिजली का चिन्ह विद्युत क्षेत्र में स्पष्टता, हमारी नेतृत्व स्थिति और हमारी आकांक्षाओं को दर्शाता है।

WAPCOS

9. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं के साथ-साथ आवासीय, कार्यालय भवन, सिविल कार्य, सड़क और राजमार्ग, सिंचाई, कृषि और जल परियोजनाएं, उत्पादन के लिए विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं, सबस्टेशन, ट्रांसमिशन, वितरण नेटवर्क, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक, आईटी, दूरसंचार और संबंधित परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

10. अवार्ड और मान्यता

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वाप्कोस के योगदान की प्रशंसा हेतु सार्वजनिक उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन जो कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों का एक शीर्ष निकाय है, के द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में उत्कृष्टता और उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार प्रदान किया गया।

कंपनी को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा "मेरिटोरियस अवार्ड-कार्पोरेट गवर्नेंस", वाटर डाइजेस्ट अवार्ड्स फॉर बेस्ट कंसल्टेंसी; बेस्ट वाटर मैनेजमेंट - पब्लिक सेक्टर; बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और मेड इन इंडिया - बेस्ट वाटर कंपनी (पब्लिक सेक्टर), "बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर" और "सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन" अवार्ड्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा **"इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021" स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राजेस, सार्वजनिक उद्यमों के एक शीर्ष निकाय द्वारा स्थापित स्कोप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2018- सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैंपेन/कार्यक्रम- बाहरी,** लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित **"शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई" "एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार"; भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थान केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा स्थापित, "जल संसाधन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्श संगठन"**

निर्यात योजना में उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी उत्तरी क्षेत्र पुरस्कार - स्टार परफॉर्मर इन 2015-16 के लिए उत्पाद समूह (सिल्वर शील्ड) इंजीनियरिंग सेवाएं- इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, उद्योग और वाणिज्य,मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित सीईएआई राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा परियोजना इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार; भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और एसौचैम द्वारा स्थापित **परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार,पीएसई अवार्ड में महिलाओं का योगदान, कंपनी ऑफ द ईयर, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनेस्को और एसोचैम द्वारा समर्थित वॉटर अवार्ड – बेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी, बेस्ट इंडियर वॉटर कंपनी टू वर्क एंड मेड इन इंडिया – बेस्ट वॉटर कंपनी (पब्लिक सेक्टर) ; इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी विजन अवार्ड;** इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स – **इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विजन समिट- कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विजन अवार्डस 2018: ईटी नाउ-राइज पुरस्कार द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवार्डस- बेस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंजिबिलिटि प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट अफेयर, लीडरशिप अवार्ड, बेस्ट यूज ऑफ मीडिया रिलेशन,** वर्ल्ड वॉटर लीडरशिप कॉंग्रेस अवार्ड - **बेस्ट कम्युनिटी वॉटर प्रोजेक्ट,** एशियन कोंफेडरेशन ऑफ बिजनेस द्वारा समर्थित **मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड:** ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत **इंडिया अफ्रीका चैंपियन में बिज एंड एसएमई अवार्डस 2017,** एस्सोचैम द्वारा समर्थित **इन्फ्रास्ट्रक्चर में कृषि और समर्पित नेतृत्व में अनुकरणीय सेवाएं पुरस्कार।**

11. व्यवसाय विकास

वाप्कोस विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, जर्मन विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक और यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनेक विकास परियोजनाओं से संबद्ध है।

वाप्कोस भारत सरकार की द्विपक्षीय वित्त पोषण पहल के भाग के रूप में अन्य के साथ-साथ अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, घाना और तंजानिया जैसे विभिन्न देशों में प्रमुख विकास परियोजनाओं से भी संबद्ध है।

12. कॉर्पोरेट योजना/विपणन रणनीति

हमारी मार्केटिंग रणनीति मुख्य रूप से दीर्घकालिक संबंधों के लिए क्लाइंट एंगेजमेंट पर केंद्रित है। इसका ध्यान एक इन-हाउस टीम द्वारा रखा जाता है, जिसे व्यवसाय विकास और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम सौंपा जाता है और इसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) और मुख्य कार्यकारी निदेशक (ओं) द्वारा किया जाता है। व्यवसाय उत्पन्न करना जारी रखने के लिए, हमारा कॉर्पोरेट नियोजन प्रभाग, जो बाजार की खुफिया जानकारी पर नज़र रखता है, रुचि की अभिव्यक्तियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समन्वय करता है और बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों और अन्य निष्पादन एजेंसियों के साथ पंजीकरण की स्थिति बनाए रखता है। हमारी कंपनी संयुक्त आयोगों/मिशन बैठकों, तकनीकी और व्यापार संघों के साथ-साथ भारत और विदेश में संयुक्त व्यापार परिषदों में व्यापार के अवसरों और विभिन्न एजेंसियों की सदस्यता की खोज के लिए विचार-विमर्श में भाग लेती है। हम व्यवसाय खरीद के अवसरों का पता लगाने और विभिन्न एजेंसियों के सदस्य बनने के लिए विभिन्न सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रमों में कर्मियों को भी नियुक्त करते हैं। वैपकोस हमारे संभावित ग्राहकों और अन्य व्यावसायिक हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। हम विभिन्न पुरस्कारों में भी भाग लेते हैं, प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करते हैं, विपणन ब्रोशर प्रकाशित करते हैं तथा प्रचार और व्यवसाय उत्पन्न करने के उद्देश्य से एससीओपीई, ईईपीसी, फआईसीसीआई, सीबीआईपी, सीआईआई आदि संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं।

13. विदेशी परियोजनाएं

अफ्रीकी क्षेत्र

❍ **बोत्सवाना**

- ज़म्बेजी एकीकृत कृषि-वाणिज्यिक विकास परियोजना हेतु संव्यवहार सलाहकार सेवाएँ

इनटेक और पंप हाउस का स्थान

रोड क्रॉसिंग 1 (सीआर-1) का स्थान
जाम्बिया जाने वाली सड़क पर फेरी के पास

❍ बुरूंडी

- भारत सरकार की ऋण व्यवस्था के अंतर्गत काबू 16 जल विद्युत परियोजना (20 मेगावॉट) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं।

अपस्ट्रीम से बांध का दृश्य

डाउनस्ट्रीम से बांध का दृश्य

वाल्व हाउस

स्विचयार्ड क्षेत्र

- मध्यम पहाड़ी केन्द्रों और कोलिनों का विद्युतीकरण अध्ययन

स्थल दौरा

केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य

- यूएनडीपी द्वारा वित्तपोषित चार लघु जलविद्युत साइटों के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन और तकनीकी दस्तावेज तैयार करना
- मोबायी के जलविद्युत संयंत्र से नौ इलाकों का सीमा पार विद्युतीकरण अध्ययन और पीएमआईआरई आरसीए के लाभ के लिए आर्थिक और वित्तीय औचित्य अध्ययन, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन

एनईआरसीए के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक

बाम्बारी शहर में मौजूदा वितरण नेटवर्क दौरा

डीआर कांगो

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत क्विलु (बंडुंडु) प्रांत में विद्युत ट्रांसमिशन एवं वितरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

66/33 केवी किक्विट सबस्टेशन

66 केवी ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग

- दो सूक्ष्म जलविद्युत स्टेशनों और विद्युत नेटवर्क के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन

❍ इस्वातिनि

- प्रस्तावित उत्तर-पूर्वी ग्रिड सुदृढ़ीकरण परियोजना (एनजीआरपी) के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत डिजाइन, अर्थात मोसेस हलोफे (मालियादुमा स्विचिंग स्टेशन), सिहोये टी ओएचटीएल परियोजना और मालियादुमा में संबद्ध 132 केवी सबस्टेशन और सिहोये टी में 132/66 केवी सबस्टेशन

132/11 केवी ट्रांसमिशन लाइन सर्वेक्षण

सिहोये टी में 132/66 केवी सबस्टेशन साइट

- नहलंगानो II से लावुमिसा तक एक हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन (ओएचटीएल) के निर्माण और ह्लुथी, मत्सांजेनी और लावुमिसा में संबद्ध 132/11 केवी सबस्टेशनों के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेटवर्क रीइन्फोर्समेंट एंड एक्सेस परियोजना (एनआरएपी) के लिए स्वामित्व अभियंता

132/11 केवी ह्लुथी सबस्टेशन पर नियंत्रण कक्ष भवन और अन्य स्थापना कार्य

132 केवी ट्रांसमिशन लाइन

❍ इथियोपिया

- तिलिकु अलेल्टू और रोबी जिदा सतही जल स्रोतों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन और निविदा दस्तावेज़ तैयार करना

तथा अदीस अबाबा की भावी जल आपूर्ति के लिए संभावित जल संसाधनों की पहचान करना

- अदीस अबाबा शहर के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने के लिए रणनीतिक पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन (एसईएसए)

गाम्बिया

- गाम्बिया विद्युत पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण परियोजना (जीईआरएमपी) के लिए बैकबोन चरण II हेतु पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) कार्यान्वयन सहायता के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं
- गाम्बिया में अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ब्रिकमा और सोमा सबस्टेशनों से 59 ग्रामीण समुदायों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्माण कार्यों का अधिप्रापण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी विस्तृत अध्ययन तैयार करना

एमवी पोल संस्थापना

एमवी पोल संस्थापना

घाना

- भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत कृषि यंत्रीकरण एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं परियोजना प्रबंधन परामर्श तैयार करना
- अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्यारह जिला कृषि वस्तु प्रसंस्करण केंद्रों - फल, मेवे और तेल तथा अन्य के लिए प्रसंस्करण उपकरणों के संस्थापना की डिजाइन तैयार करने और पर्यवेक्षण तथा निर्देश एवं पर्यवेक्षण के लिए वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग सेवाएं
- ब्रोंग-अहाफो और आशांति क्षेत्रों में चयनित समुदायों के लिए स्व-सहायता विद्युतीकरण परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बोली दस्तावेज तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श तैयार करना
- सीवरेज नेटवर्क के सघनीकरण की इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना, लागत समीक्षा करना और निर्माण पर्यवेक्षण करना
- अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित चयनित शहरी केंद्रों में मल कीचड़ प्रबंधन अवसंरचना की व्यवहार्यता अध्ययन और इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना
- कृषि मशीनीकरण सेवा केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना प्रबंधन परामर्श तैयार करना
- येंडी में भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत पेयजल प्रणाली के पुनर्स्थापन और अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रबंधन परामर्श तैयार करना

लाइबेरिया

- बोमी काउंटी में क्ले हैचरी के कार्यों का वास्तु डिजाइन और पर्यवेक्षण

3डी साइट लेआउट योजना

- अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित लाइबेरिया इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन (एलईसी) के लिए पेन्सविले, मोनरोविया, शेफ्लिन और रिया/मार्गिबी काउंटी और प्लीबो से फिश टाउन तक 66/33/22 केवी ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क तथा शेफ्लिन, रिया/मार्गिबी काउंटी में दो सबस्टेशनों के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण इंजीनियर

6/22 केवी और 66/33 केवी स्विच यार्ड पीसीसी और 66 केवी मल्टी सर्किट निर्माण

- केएफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित मोनरोविया में सीएलएसजी ट्रांसमिशन लाइन के साथ विद्युतीकरण और ग्रिड अपग्रेड के लिए निर्माण पर्यवेक्षण
- न्यू रिडेम्पशन अस्पताल में निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण

- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण और नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आरआरईए) के लिए लोफा में कैहा नदी मिनी-ग्रिड प्रणाली के निर्माण के लिए परियोजना स्वामित्व अभियंता

ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण

- अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित मणि नदी पर गबेदिन फॉल्स जलविद्युत संयंत्र और 33 केवी निकासी प्रणाली के निर्माण के लिए विस्तृत डिजाइन, बोली दस्तावेज, निविदा तैयार करना और निर्माण कार्यों की देखरेख

लाइडार सर्वेक्षण कार्य

बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण कार्य

❍ मोज़ाम्बिक

- ग्रामीण मोजाम्बिक परियोजना (प्रो-एनर्जिया+) में सतत ऊर्जा और ब्रॉडबैंड पहुंच के तहत मोजाम्बिक के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण

एकल चरण ऊर्जा मीटर एफएटी

- व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन, विस्तृत वास्तु और इंजीनियरिंग डिजाइन, बोली दस्तावेज तैयार करना और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मोजाम्बिक/मलावी बॉर्डर क्रॉसिंग पर मंडिम्बा सीमा चौकी पर वन स्टॉप बॉर्डर पोस्ट (ओएसबीपी) के निर्माण का पर्यवेक्षण

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मोजाम्बिक एनर्जी फॉर ऑल (प्रोएनर्जिया) परियोजना के लिए डिजाइन और पर्यवेक्षण कार्य - पैकेज -१ और २

एलवी स्ट्रिंगिंग कार्य - माली साइट

चुइबा में एमवी पोल का निर्माण

- स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (एसआईडीए) द्वारा वित्त पोषित नामपुला, शाई-शाई और अंगोचे वितरण नेटवर्क के पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन

एन्चिलो सबस्टेशन के लिए 110 केवी टैपिंग पॉइंट

एंचिलो क्षेत्र - नामपुला प्रोविंस

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत सोफाला प्रोविंस में टिका, बुज़ी और नोवा सोफाला के बीच सड़क संख्या 280/281 के पुनर्निर्माण की डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण

केएम 66+500 पर प्रारंम्भिक कार्य

केएम 108+046 पर पिलर लगाने का कार्य

केएम 64+980 (एमजेबी) पर बुजी बांध

केएम 27+000 पर धातु बीम क्रैश बैरियर कार्य

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित टेटे में ट्रांसमिशन मेन की डिजाइन जांच और पर्यवेक्षण

मटेमा में टी-3 लाइन पाईप बिछाने का कार्य

मटेमा में ट्रांसमिशन लाइन(टी-4) पर धारा प्रवाह पर पाइप कैरिंग बांध

रोबूव्यू नदी पर एचडीडी पद्वति के द्वारा नदी पारागमन

मैटिज में ट्रांसमिशन लाइन(टी-4) में पहाड़ी के ऊपर पाइप बिछाने का कार्य

- भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत विद्युत आपूर्ति वितरण (लॉट-1 और लॉट-2) की गुणवत्ता में सुधार संबंधी डिजाइन

लॉट 1: इल्हा सबस्टेशन में मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशन

लॉट 2: मापुटो 400/275/66 केवी सबस्टेशन का दौरा

- स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (एसआईडीए) द्वारा वित्तपोषित काबो डेलगाडो प्रांत के उत्तर में रिवर क्रॉसिंग सहित 110 केवी ओवर हेड लाइन, 110/33 केवी सबस्टेशन और 33 केवी वितरण लाइनों के पुनर्निर्माण संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन

मैकोमिया सबस्टेशन

औआसे सबस्टेशन

- ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों पर नदी क्रासिंग पर टावरों में भूमि कटाव से निपटना और सुरक्षा दूरी संवर्धन
- अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) द्वारा वित्तपोषित परिणाम आधारित वित्तपोषण (आरबीएफ) के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंट
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित संवितरण लिंक्ड संकेतक के लिए परिणामों के सत्यापन हेतु स्वतंत्र सत्यापन एजेंट
- ज़िटुंडो में एकल सर्किट 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन और उसके बाद 66/33 केवी सबस्टेशन के साथ भंडारण सहित 2x15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 1600 बोरवेल और 8 जल आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

❍ **नाइजर**

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली का उपयोग करते हुए 50 गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

भार आकलन के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों और मस्जिद का कार्यस्थल दौरा

भार आकलन के लिए पम्पिंग कार्यस्थलों और स्कूलों का दौरा

कांगो गणराज्य

- सूक्ष्म जलविद्युत पावर स्टेशनों और विद्युत नेटवर्क के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन

यूएनडीपी अधिकारियों के साथ बैठक

इत्सिबौ जलविद्युत संभावित साइट

मौगोउंगा जलविद्युत संभावित साइट

मौगोंगा प्रस्तावित बांध साइट

रवांडा

- भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचित कृषि परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

मपंगा परियोजना - मुख्य पंप हाउस मशीन हॉल

मपंगा परियोजना - केंद्र पिवोट सिंचाई

सिएरा लियोन

- भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत 225 केवी (डबल सर्किट), 66 केवी (मल्टी सर्किट/डबल सर्किट), 33 केवी (सिंगल सर्किट) ट्रांसमिशन लाइनों और संबंधित सबस्टेशनों के निर्माण के लिए बोली दस्तावेज तैयार करना और निर्माण प्रशासन का संचालन

तंजानिया

- जांज़ीबार में वितरण नेटवर्क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा लास्ट-माइल कनेक्शन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ

132/33/11 केवी मटोनी सबस्टेशन का साइट दौरा

कोजानी द्वीप का साइट दौरा

- 132 केवी बैकबोन ट्रांसमिशन और सबस्टेशन अवसंरचना का पर्यवेक्षण और निगरानी

मकुन्दुची सबस्टेशन का साइट दौरा

मल्टी-सर्किट ट्रांसमिशन लाइन रोड क्रॉसिंग पॉइंट

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत विभिन्न शहरों में जलापूर्ति स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रबंधन परामर्श

पैकेज-1 बोंगी हिल जीएसआर 1000 सीयूएम

क्लेरिफ्लोक्यूलेटर बी बाहरी दीवार में शटरिंग का कार्य-जोम्बे डब्ल्यूटीपी

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत लेक विक्टोरिया पाइपलाइन का टिंडे और शेलुई कस्बों तथा मार्ग में आने वाले गांवों तक विस्तार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करना

पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर

तंजानिया की माननीय राष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहु हसन द्वारा उद्घाटन

- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित दार-ए-सलाम में ऑफ-ग्रिड जलापूर्ति कार्यों के लिए सामुदायिक सुविधा, विस्तृत डिजाइन, बोली दस्तावेज तैयार करा तथा निर्माण पर्यवेक्षण

न्जासा जलाशय 2000 सीयूएम

पम्प संस्थापन कार्य

- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित टांगा शहर के लिए प्रस्तावित अपशिष्ट जल अवसंरचना की विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनों की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

- दार एस सलाम के दक्षिणी भाग (बंगुलो, मवानागती, किटुंडा, किपुंगुनी, माजोहे, किवुले, मगोले, मसोंगोला, चानिका तथा चालम्बे) में वितरण नेटवर्क, ट्रांसमिशन तथा सर्विस जलाशयों की विस्तृत डिजाइन, बोली दस्तावेज तैयार करना

टोगो

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कारा - मैंगो - दापाओंग - मंडोरी - टोगो / बेनिन सीमा और 161/20 केवी संबद्ध सबस्टेशनों को जोड़ने वाली नई 161 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

एकल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

मैंगो सबस्टेशन पर 25 एमवीए के 2 पावर ट्रांसफार्मर

दापाओंग सबस्टेशन पर सीईबी नियंत्रण कक्ष भवन

161/34.5/20 केवी कारा सबस्टेशन – वन बे एक्सटेंशन

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 150 ग्रामीण समुदायों के विद्युतीकरण कार्य का इंजीनियरिंग अध्ययन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण
- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 46 ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण
- सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के माध्यम से 350 गांवों के विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा

सौर विकिरण को मापने और भार आकलन के लिए बासौडौगू स्कूल का साइट दौरा

भार आकलन के लिए वाओग स्कूल का साइट दौरा

जामडे पंप का साइट दौरा

युगांडा

- लॉट-1 के तहत 33 केवी और संबंधित निम्न वोल्टेज नेटवर्क का निर्माण पर्यवेक्षण: ग्रामीण परिवर्तन के लिए ऊर्जा-III परियोजना के तहत फास्ट ट्रैक लाइन 3 (वांडी-युम्बे-मोयो)

ऑपरेटर द्वारा प्री-कमीशनिंग अभ्यास

ट्रांसफार्मर की संस्थापना

- काबुयांडा सिंचाई स्कीम के अवसंरचना और सुविधाओं का निर्माण पर्यवेक्षण
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित नवोया और अमुरु जिलों (लॉट-2) में प्रस्तावित सिंचाई स्कीमों के लिए असवा और आयला के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित वांडी-युम्बे-मोयो और ओन्डुपाराका-ओड्रामाकाचु-अबिरिया (345.8 किमी) में प्रस्तावित ग्रिड विस्तार परियोजनाओं का निर्माण पर्यवेक्षण
- मध्य क्षेत्र को कवर करने वाली मध्यम और बड़े पैमाने की सिंचाई स्कीमों का व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत डिजाइन
- अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत फंड द्वारा वित्तपोषित छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए निर्माण पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन

ज़िम्बाब्वे

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ह्वांगे थर्मल पावर स्टेशन (एचपीएस) में डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जल इनटेक प्रणाली के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

साइट पर वाल्वों की संस्थापना

शून्य वेलोसिटी वाल्व कक्षों का निर्माण

- जीसीएफ द्वारा वित्तपोषित सिंचाई योजनाओं की विस्तृत व्यवहार्यता, जलवायु प्रूफ डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण
- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ह्वांगे थर्मल परियोजना (920 मेगावाट) के पुनः विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

साइट दौरा

एशियाई क्षेत्र

अफगानिस्तान

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित अफगानिस्तान के माध्यम से संगटुडा से नौशेरा तक एचवीडीसी लाइन के साथ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दो-टर्मिनल एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति और संस्थापना के लिए सीएएसए-1000 परियोजना के तहत एचवीडीसी लाइन के अफगानिस्तान खंड का निर्माण पर्यवेक्षण

बांग्लादेश

- भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल मार्ग के आशुगंज से जकीगंज खंड और सिराजगंज से दाइखोवा खंड तक फेयरवे के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं।

ड्रेजिंग कार्य प्रगति पर

- 400 केवी सबस्टेशनों की इंजीनियरिंग सहयोग और पर्यवेक्षण - एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित दक्षिण-पश्चिम ट्रांसमिशन ग्रिड विस्तार परियोजना

रहानपुर 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन

बोगुरा 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन

भूटान

- एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित हरित एवं अनुकुल किफायती आवास क्षेत्र परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन सहायता सलाहकार

साइट पर निर्माण कार्य

परियोजना बैठक

- पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मेन सिविल कार्यों और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो-मैकेनिकल और अवसंरचना कार्यों के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्श,

स्विच गियर रूम में चार्ज किया गया एचटी स्टेशन सहायक बोर्ड-I (एसएबी)

पॉथेड यार्ड का विहंगम दृश्य

- पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मेन सिविल कार्यों और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो-मैकेनिकल और अवसंरचना कार्यों के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्श

बांध का प्रतिप्रवाह दृश्य

पावर हाउस इरेक्शन बे

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित कुरी-गोंगरी जलविद्युत परियोजना (28000 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- 600 मेगावाट खोलोंगछू जलविद्युत परियोजना की डिजाइन और इंजीनियरिंग

कंबोडिया

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत स्टंग स्व हब जल संसाधन विकास परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रबंधन सलाहकार

बांध का प्रतिप्रवाह दृश्य

पावर हाउस इरेक्शन बे

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा वित्तपोषित जलवायु अनुकूल सिंचाई और अनुकुलन के लिए सतत कृषि (सीएआईएसएआर) संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना तैयार करना

लाओ पीडीआर

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत नेम जैंग बांध के निर्माण और सिंचाई प्रणालियों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

बांध उत्खनन कार्य

बांध की बुनियाद हेतु पीसीसी लेवल तैयार करना

मंगोलिया

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत उलानबटार में अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और आउटसोर्सिंग उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण और स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

निर्माणाधीन

- भारत के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ – मंगोलिया फ्रेंडशीप सेकेंडरी स्कूल, ज़ैसन हिल्स

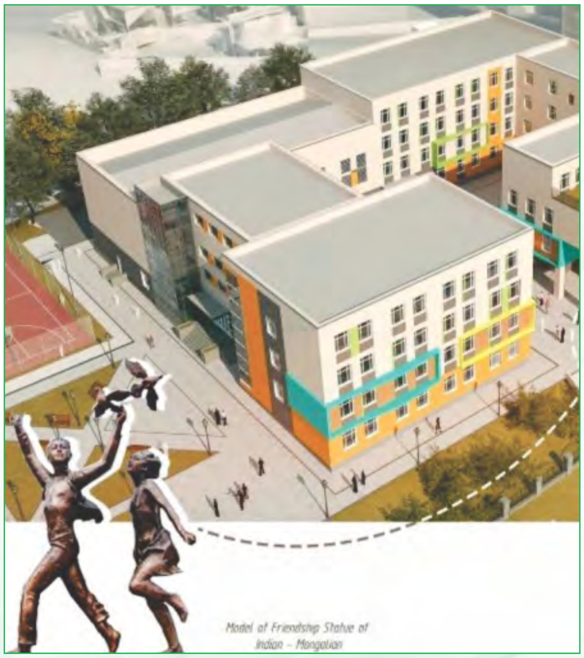

3डी मॉडल

उत्खनन कार्य प्रगति पर

- एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित उलानबटार शहरी सेवाएं और जेर क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और पर्यवेक्षण

3डी मॉडल

उत्खनन कार्य प्रगति पर

म्यांमार

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत म्यांमार में सिंचाई योजनाओं का विकास

नेपाल

- अपर अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए निविदा डिजाइन, बोली दस्तावेज तैयार करना, तथा निर्माण पर्यवेक्षण और निर्माण के बाद की सेवाएं (वित्त पोषण एजेंसी)
- विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण का पर्यवेक्षण (वित्त पोषण एजेंसी)

ट्रांसमिशन लाइन का सर्वेक्षण कार्य

297 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए पहुंच पथ हेतु फील्ड सत्यापन

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा वित्तपोषित नेपाल वितरण प्रणाली अपग्रेडेशन और विस्तार परियोजना के अनुबंधों की निगरानी में नेपाल विद्युत प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई की सहायता के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार

खजुरा, बांके में गार्ड हाउस लोअर टाई बीम के लिए फॉर्मवर्क और आर.सी.सी. कार्य

मकुंदांडा, डांग में साइट दौरा और सीमा बिंदुओं का सत्यापन,

- पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन तैयार करना
- राहुघाट जल विद्युत परियोजना (40 मेगावाट) - भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत सिविल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो-मैकेनिकल और ट्रांसमिशन लाइन कार्यों के लिए डिजाइन समीक्षा और निर्माण प्रबंधन

अनुप्रवाह से बैराज का दृश्य

ईएम घटकों का पावरहाउस उत्थापन

- भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कोशी कॉरिडोर 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सबस्टेशनों के लिए परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण

तुमलिंगतार सबस्टेशन का स्विचयार्ड दृश्य

डुंगेसांगु सबस्टेशन

- दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार: एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना

400 केवी न्यू खिमटी आरसीसी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल बार बाइंडिंग और शटरिंग कार्य

400 केवी बारहाबिसे एस/स्टेशन टी1 टावर फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग

- छह शहरों अर्थात् भरतपुरा, हेतौडा, बीरगंज, जनकपुरधाम, विराटनगर और धरान के सर्वेक्षण, विस्तृत डिजाइन, लागत आकलन जिसमें बोली दस्तावेज तैयार करना, सुरक्षा आवश्यकताएँ और एकीकृत जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन का आईईईई/ईआईए शामिल है।
- नेपाल के प्रमुख शहरों (अरुण पूल - टिंगला हब - न्यू खिमती - तामाकोशी 3 - सनकोशी हब - धालकेबार 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना) के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली आयोजना, व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना तैयार करना

पाटन सबस्टेशन पर विस्तार हेतु स्थान उपलब्धता का सत्यापन

एनईए के साथ बनेपा सबस्टेशन का साइट दौरा

विश्लेषण हेतु बहु-विषयक विशेषज्ञों की वाप्कोस टीम का मौजूदा सबस्टेशन पर दौरा

- प्राथमिकता ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं : i) अरुण हब-लनारुवा ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, ii) अरुण हब-दुधकोशी-टिंगला ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, iii) लनारुवा-अनारमणि ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन ईएसआईए का अध्ययन

- भारत-नेपाल सीमा पर आईसीपी सोनौली के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएँ
- एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित लोअर सेही हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (126 मेगावाट) के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और बोली दस्तावेज तैयार करना

इंडोनेशिया

- विभिन्न पुलों - पैकेज 5, पैकेज 1 और पैकेज 3ए और 3बी के लिए परियोजना तैयार सलाहकार

ताजिकिस्तान

- अपशिष्ट जल मास्टर प्लान का विकास और एकीकृत शहरी जल अनुकुलन योजना का विकास

वियतनाम

- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित वियतनाम बांध पुनरूद्धार और सुरक्षा सुधार परियोजना के लिए तृतीय पक्ष स्वतंत्र पर्यवेक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा सलाहकार

प्रशांत क्षेत्र

फिजी

- सौर रूफटॉप परियोजनाओं के विकास के लिए कार्यस्थलों का आकलन और संभावित कार्यस्थलों के लिए विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

मोटुकाना प्राथमिक स्कूल के लोड प्रोफाइल से संबंधित डेटा संग्रह

कवला स्वास्थ्य केंद्र के लोड प्रोफाइल से संबंधित डेटा संग्रह

- करार हेतु अभियंता - क्वीन एलिजाबेथ ड्राइव (क्यूईडी) सड़क अपग्रेडेशन चरण 2 और वीयूसीआई सड़क जल निकासी अपग्रेडेशन और फुटपाथ निर्माण परियोजना

मोटुकाना प्राथमिक स्कूल के लोड प्रोफाइल से संबंधित डेटा संग्रह

कवला स्वास्थ्य केंद्र के लोड प्रोफाइल से संबंधित डेटा संग्रह

- फिजी पोर्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हार्बर मास्टर बिल्डिंग की जेटी स्थिति आकलन और संरचनात्मक आकलन।
- फिजी पोर्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुआइवालु 1 और मुआइवालु 2 जेटी के पुनरूद्धार/मरम्मत की विस्तृत डिजाइन के लिए परामर्श सेवाएं।

परियोजना आरंभ बैठक

मुआइवालु 2 जेटी पर संयुक्त साइट दौरा

- फ़िजी जल प्राधिकरण के लिए प्रशांत हार्बर अपशिष्ट जल पुनर्विन्यास प्रणाली का सशर्त आकलन

पम्प स्टेशन का निरीक्षण

अपशिष्ट जल पाइपों के लिए सीसीटीवी निरीक्षण

- वालु बे, सुवा में सरकारी शिपिंग सेवा सीवॉल जेटी रैंप क्षेत्र के प्रस्तावित अपग्रेडेशन के लिए परामर्शी सेवाएँ

किंग पाइल और शीट पाइल की स्थापना

प्रीकास्ट कंक्रीट पैनलों की स्थापना

- जल प्राधिकरण फिजी के लिए परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण हेतु पेशेवर सेवाएँ

एयर-वाल्व चैम्बर का निर्माण

914 मिमी वाटर पाइपलाइन बिछाना

मार्शल द्वीपसमूह

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय गोदाम और कार्यालय आवास की डिजाइन और मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय भवन का संरचनात्मक विश्लेषण

प्रस्तावित अनुकुली बहुकार्यात्मक सरकारी सुविधा का 3डी दृश्य

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

दक्षिणी अमेरिका केंद्र

बेलीज़

- बेलीज सी.ए. में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 115 केवी वेस्टलेक-मास्कल ट्रांसमिशन लाइन का सुदृढ़ीकरण
- जलवायु अनुकूलन के लिए ऊर्जा अनुकुलन - विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ट्रांसमिशन लाइन का सुदृढ़ीकरण

निकारागुआ

- (i) 66 किलोमीटर लम्बी - 138 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन (ii) 11 किलोमीटर लम्बी - 69 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, (iii) 'ला एस्पेरान्ज़ा' में एक नया विद्युत सब-स्टेशन और, (iv) भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 'ला गेटेडा' में स्थित विद्युत सब-स्टेशन का स्थानांतरण और विस्तार

138 केवी सिंगल सर्किट लाइन और ला एस्पेरांज़ा सबस्टेशन के बीच गैन्ट्री कनेक्शन

टावर सहायक उपकरणों का संस्थापन

- **फिलिस्तीन**
  - विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित गाजा पश्चिम सबस्टेशनों (जीडब्ल्यूएस) के लिए मीडियम वोल्टेज (एमवी) स्विचगियर के प्रतिस्थापन की डिजाइन और पर्यवेक्षण, नए परिचालन कार्यक्रम और सिविल कार्य
- **सूरीनाम**
  - भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क अवसंरचना के अद्यतन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं
  - कैरेबियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित विद्युत प्रणाली अपग्रेडेशन और विस्तार परियोजना के लिए बोली दस्तावेज तैयार करना

उत्तरी अमेरिका

- **क्यूबा**
  - भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 75 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पार्कों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

प्रस्तावित डोनाटो 6 मेगावाट सौर परियोजना और उसके इंटरकनेक्शन प्वाइंट का दौरा

हिंद महासागर क्षेत्र

❍ मॉरीशस

- छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों को तकनीकी सहायता: यूएनडीपी द्वारा वित्तपोषित जलवायु निवेश मंच (सीआईपी) के अंतर्गत लघु जलविद्युत परियोजना विकास

वाप्कोस टीम द्वारा साइट का दौरा

प्रवाह और उपलब्ध हेड का मापन

14 भारतीय परियोजनाएं

❖ आंध्र प्रदेश

- पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए परियोजना निगरानी और परामर्श सेवाएं

स्पिलवे और कॉफ़रडैम

अपस्ट्रीम कॉफ़रडैम, मुख्य बांध क्षेत्र और डाउनस्ट्रीम कोफ़रडैम

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विशाखापत्तनम शहर में भूमिगत केबल कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन और गुणवत्ता जाँच
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ
- गंडिकोटा पंप स्टोरेज परियोजना (1000 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

चरण-I वन डायवर्जन के लिए सीसीएफ/वन का दौरा

परियोजना की सार्वजनिक सुनवाई

- साइट एसपी, वाइजाग में तकनीकी सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रमुख इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं का प्रावधान
- विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, वाइजाग में अतिरिक्त जल भंडारण जलाशय और संबंधित संरचनाओं का निर्माण
- नलगोंडा से मुक्तयाला में बंगाल की खाड़ी तक मछलीपट्टनम में जलमार्ग के माध्यम से सीमेंट परिवहन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और सीडब्ल्यूसी की मंजूरी प्राप्त करना
- एचपीसीएल-विशाख रिफाइनरी, विशाखापत्तनम में एचपीसीएल 220 केवी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- एसडीएसटीपीएस (2x800 मेगावाट) - समुद्री जल अंतर्वाह और बहिर्गमन प्रणाली (एसडब्ल्यूआईओ) - चार मौसमों के लिए एसडब्ल्यूआईओ प्रणाली के लिए तटरेखा परिवर्तनों और अंतर्वाह बेसिन की क्षेत्रीय निगरानी के लिए परामर्श अध्ययन
- आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, विजयवाड़ा के लिए तटरेखा सर्वेक्षणों की फील्ड मॉनिटरिंग, इनटेक बेसिन और मुख भाग में (-) 4 मीटर गहराई तक अवसाद पैटर्न और स्तरों का आकलन और इनटेक बेसिन, इनटेक चैनल और सिल्टिंग बेसिन में अवसाद स्तर और अवसाद भार का आकलन कार्य
- विशाखापत्तनम में पोलावरम/येलेश्वरम जलाशय से जीवीएमसी और अन्य 2 यूएलबी तक 12 टीएमसी जल आहरण और जल पहुंचाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- वडलापुडी में वैगन पीओएच वर्कशॉप की स्थापना के संबंध में शेड, संरचनाओं, भवनों का निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था, जल निकासी, सड़क कार्यों, ट्रैक कार्यों, सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, सामान्य विद्युत कार्यों और आपूर्ति, मशीनरी और संयंत्र की संस्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं
- नक्कापल्ली(एम), विशाखापत्तनम के बंगारामपेटा (वी) में एल. वन्नामेई श्रिंप के लिए एक्वाटिक क्वरंटाइन सुविधा (एक्यूएफ) की स्थापना
- 9 स्थानों अर्थात नेल्लोर जिले में जुव्वलादिन्ने, प्रकाशम जिले में वोडारेवु, कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम फिशिंग हार्बर, पूर्वी गोदावरी जिले में निजामपट्टनम मत्स्य पालन बंदरगाह, उप्पाडा, श्रीकाकुलम जिले में बुडागटलापलेम, विशाखापत्तनम जिले में पुदीमदका, प्रकाशम जिले में कोठापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में एड्डुवानीपलेम मे मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- एपीजीईएनसीओ – पीएचईपी (12x80 मेगावाट) – पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के सिविल, एचएंडएम और ईएंडएम घटकों के लिए डिजाइन समीक्षा और तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी कार्य, जिसमें आइकोनिक पुल का सर्वेक्षण, जांच, डिजाइन और निर्माण ड्राइंग शामिल हैं।
- विभिन्न यूएलबी में पीएमएवाई – एचएफए (यू) के तहत ईडब्ल्यूएस घरों के निर्माण के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी सेवाएं

❖ **अरुणाचल प्रदेश**

- व्यापक ईआईए और ईएमपी अध्ययन, ऊपरी सुबनिसिरी जिले में ओजू जलविद्युत परियोजना (1878 मेगावाट) के लिए पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति प्राप्त करना

- जियाधल बांध परियोजना के लिए इंजीनियरिंग सेवाओं सहित शेष सर्वेक्षण और जांच कार्य करना
- जल जीवन मिशन योजना (जेजेएम) के तहत तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
- वर्ष 2018-19 के लिए आरई/आरआईडीएफ/एनईएसआईडी/अनटाइड फंड परियोजनाओं की भौतिक गुणवत्ता निगरानी
- पासीघाट में श्मशान घाट के निर्माण की देखरेख
- पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत वितरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन कार्यों के लिए विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को परियोजना प्रबंधन में सहायता और समर्थन करना।

संयुक्त सर्वेक्षण

❖ **असम**

- 12 शहरों में अमृत-2.0 योजना के लिए परियोजना विकास और निगरानी परामर्श (पीडीएमसी)
- गुवाहाटी में 5000 बैठने की क्षमता वाले सार्वजनिक सभागार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट में नए शैक्षणिक भवन का निर्माण

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ और भूमि कटाव की जांच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना, चरण-II के लिए पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन हेतु सुरक्षा सलाहकार
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-1.0) के तहत परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार (पीडीएमसी)

- बेतकुची में एकीकृत निदेशालय परिसर के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

एकीकृत निदेशालय परिसर का सममितीय दृश्य

ऑडिटोरियम कॉलम शटरिंग और स्टील टाईइंग का कार्य प्रगति पर

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), सिलचर में 150 क्षमता वाले बालिका छात्रावास संख्या 4(क) का निर्माण

बालिका छात्रावास का प्रस्तावित भवन

साइट पर प्लिंथ बीम सुदृढ़ीकरण कार्य

❖ **बिहार**

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और वैशाली में घाट निर्माण
- पेयजल चरण-I के लिए गंगा जल लिफ्ट परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ

जल शोधन संयंत्र एवं जलाशय, राजगीर

36 एमएलडी डब्ल्यूटीपी

- सारण जिले में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (चरण-I)

जल उपचार संयंत्र एवं जलाशय, राजगिर

सारण मुख्य नहर

- छह रोपवे परियोजनाओं के लिए डिजाइन समीक्षा और परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

मटेरियल रोपवे वानाबार रोपवे, जहानाबाद के माध्यम से सामग्रियों का स्थानांतरण

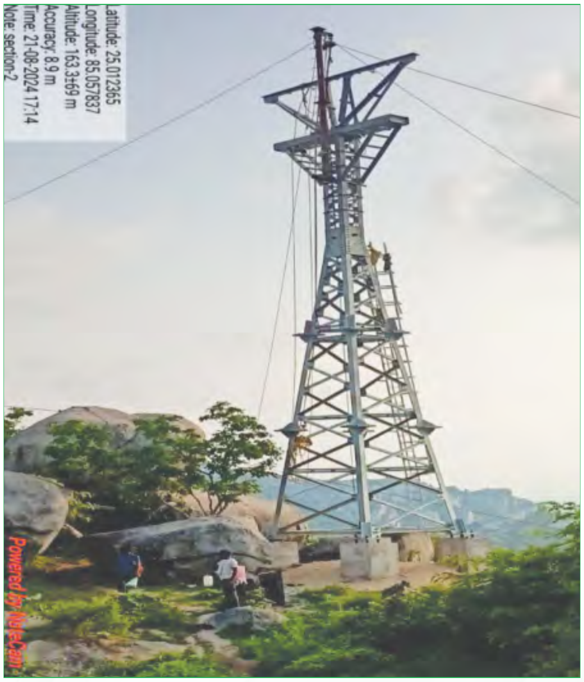

निर्मित टावर नंबर 2 वानाबार रोपवे जहानाबाद

टावर रोहतासगढ़ रोपवे का निर्माण

लोअर टर्मिनल स्टेशन वनाबार रोपवे जहानाबाद

- एचयूआरएल, बरौनी उर्वरक संयंत्र के लिए इंटेक पंप हाउस, सेडिमेंटेशन टैंक और कच्चे जल के जलाशय की इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण (ईपीसी)
- बेतिया, गोपालगंज, बगहा, छपरा, किशनगंज और कटिहार शहरों में सीवरेज नेटवर्क योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **छत्तीसगढ**

- सभी अपेक्षित स्वीकृतियों सहित 5 प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना कार्यस्थलों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

डंगारी पीएसएचईपी ऊपरी जलाशय स्थान पर सर्वेक्षण

हसदेव बांगो पीएसएचईपी कार्यस्थल पर निचले जलाशय की गहराई की जाँच और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (यू) के अंतर्गत बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के लिए प्रयुक्त जल से संबंधित परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एवं परियोजना प्रबंधन सलाहकार

साइट पर प्रवाह आकलन

भू-तकनीकी जांच के लिए नमूना संग्रह

साइट पर स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

- नया रायपुर में विधानसभा भवन के निर्माण के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एवं परियोजना प्रबंधन परामर्श

3-डी दृश्य (अग्रभाग)

विंग ए

निर्माण कार्य का ड्रोन दृश्य

- आईआईटी, भिलाई के स्थायी परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ

संस्थान क्लब

आवासीय भवन

स्वास्थ्य केंद्र

- बिलासपुर विश्वविद्यालय निर्माण कार्य हेतु डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग एवं संबंधित सेवाएं

3डी दृश्य शैक्षणिक भवन

विश्वविद्यालय भवन का 3-डी दृश्य

- दुर्ग में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में छत्तीसगढ़ के जीपी/वीडब्ल्यूएससी की सहायता के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी

क्लोरीनेटर कक्ष का निरीक्षण

ओवरहेड टैंक का निरीक्षण

कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का निरीक्षण

- प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास मिशन के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के लिए रायगढ़ क्लस्टर में डीपीआर तैयार करना और पीएमसी कार्य
- राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत चंदखुरी में जल, प्रकाश एवं लेजर शो का क्रियान्वयन

जल प्रकाश और ध्वनि शो के दृश्य

जल प्रकाश और ध्वनि शो के दृश्य

- पैकेज-3 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श: पूर्वी तट और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संबलपुर और रायपुर मंडलों में रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण के हिस्से अरंड (एक्स) - रायपुर (एक्स) खंड (57.404 किलोमीटर) के दोहरीकरण के संबंध में सड़क मार्ग, बड़े और छोटे पुलों, ट्रैक लिंकिंग (रेल आपूर्ति, साधारण ट्रैक स्लीपर और ट्रैक वेब स्विच को छोड़कर), आउटडोर सिंग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल (सामान्य) कार्यों का निर्माण कार्य
- विभिन्न स्थानों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत नया रायपुर के पुरखोटी मुक्तांगन में अवसंरचना विकास
- डीओसीए के तहत अभिलेखागार भवन और विवेकानंद आश्रम के लिए संकल्पना योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- प्रशाद स्कीम के तहत मदकुद्वीप में पर्यटक सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए संकल्पना योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन
- छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के तहत विभिन्न स्थानों (06) पर कियोस्क का निर्माण
- बिलासपुर के कोनी में बिलासपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र के लिए विस्तृत आकलन और ड्राइंग तैयार करना
- भिलाई में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी

इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर

संस्थापित सौर पैनल

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की ओर से टर्न-की आधार पर कार्यों और सेवाओं की ई-खरीद और निष्पादन/वितरण

- संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को परियोजना प्रबंधन में सहायता और समर्थन प्रदान करना।

डबल पोल निर्माण कार्य (11 केवी लाइन)

स्मार्ट मीटर संस्थापन

- बोधघाट बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

बांध साइट

सुरंग सर्वेक्षण

सर्वेक्षण

- राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के तहत शिवरीनारायण में अवसंरचना विकास

पर्यटक सूचना केंद्र

घाट विकास

भगवान राम, लक्ष्मण और माता सबरी की मूर्ति

- राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत राजिम में अवसंरचना विकास

प्रवेश द्वार

दीप स्तम्भ

भगवान राम, प्रतिमा

- राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के तहत सीतामढी में अवसंरचनात्मक विकास

एलईडी ब्रांडिंग

घाट विकास

दीप स्तम्भ

- नगरनार जिला, जगदलपुर में 3 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के 19 पैकेजों की पैकेजवार विलंब विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना

एनएमडीसी स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस प्लांट

एनएमडीसी स्टील प्लांट में टर्बो ब्लोअर स्टेशन

- भिलाई इस्पात संयंत्र के दल्ली मैकेनाइज्ड माइंस (डीएमएम) में हितकासा टेलिंग डैम को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी (वैक्यूम कंसोलिडेशन कार्यो सहित)
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 4 प्रस्तावित पीएसएचईपी साइटों को सक्षम डेवलपर्स को आवंटित करने के लिए आरएफपी दस्तावेज तैयार करना, प्री-बिड और पोस्ट-बिड कॉन्फ्रेंस, टेक्नो-कमर्शियल और मूल्य मूल्यांकन, ड्राफ्ट और अंतिम सिफारिशें तथा एलओए तैयार करना
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम साइटों पर विभिन्न स्थानों पर स्थित अपसर्जित ऐश डाइक क्षेत्र में एक सोलर पीवी / पवन ऊर्जा संयंत्र के संस्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **गुजरात**

- हजीरा में कृभको जेटी के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

कृभको मौजूदा जेटी

- कच्छ में 260 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

खावड़ा में आरई पार्क के अंदर संस्थापित 5.2 मेगावाट डब्ल्यूटीजी

साइट पर निर्माणाधीन डब्ल्यूटीजी हब

- जीएसपीएल पाइपलाइन खंड I (बोटाड-मांडवी), खंड II (मुंद्रा-मांडवी), खंड III (गेल-अनकोट), खंड IV (भायला) के लिए आरओयू/आरओडब्ल्यू और संबंधित कार्य
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज तैयार करना, निविदा तकनीकी मूल्यांकन में सहायता और गांधीसागर एचपीएस के 5x23 मेगावाट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सफल बोलीदाता को अंतिम रूप देना

- जिला खनिज निधि के तहत खनन से प्रभावित जिलों में प्राथमिक विद्यालय का अपग्रेडेशन
- ओनियन मेदा और सौर पैनल परियोजनाओं की भौतिक और तकनीकी जांच
- अडालज, चंपानेर और धोलावीरा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023-2024 के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण कार्य
- जिला खनिज निधि के तहत प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
- राजपीपला खेल परिसर में खेल अवसंरचना छात्रावास विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिसर (एनआईपीईआर-ए) के तहत विभिन्न अवसंरचना विकास के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण

एनआईपीईआर भवन का अवलोकन

सीबी एवं प्रशासनिक भवन

- राजपीपला में 600 बिस्तरों वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परिसर के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं

मेडिकल कॉलेज भवन

संरचनात्मक 3डी दृश्य

- नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी परिसर के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना विकास के लिए इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण कार्य

व्यारा में वर्षा आश्रय

वाघई में चूहा रोधी भवन गोदाम

- विभिन्न जिलों में सर्व शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत स्कूलों के विकास हेतु निर्माण पर्यवेक्षण

लक्ष्मीपुरा प्राथमिक स्कूल, जिला बनासकांठा

जूनागढ़ में पूर्ण निर्मित स्कूल भवन

- "मुख्यमंत्री गृह योजना" के तहत वडोदरा शहर की ईडब्ल्यूएस, पीपीपी, एलआईजी और ब्याज सब्सिडी परियोजनाओं के तहत स्लम पुनर्वास और अवस्थिति विकास

(एलआईजी एफपी-101 अटलाड्रा)

एमआईजी एफपी-110 अटलाड्रा

पीएमएवाई के तहत आर.एस. अटलाड्रा (पी) (पी+13)

पीएमएवाई पीपीपी (पी+13) के तहत दंतेश्वर मधुनगर

- कच्छ के भुज, रापार और भचाऊ तालुकाओं में लघु सिंचाई योजनाओं, पुनर्भरण टैंक/भंडारण टैंक/रिसाव टैंक/तालाबों की मरम्मत, उत्थान और निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

रापर, कच्छ में अधोई 2 लघु सिंचाई स्कीम

रापर, कच्छ में नीलपार -1 लघु सिंचाई स्कीम

- हलोल में गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय के लिए निर्माण कार्य किए जाने वाले विश्वविद्यालय परिसर के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण सेवाएं।

बालक छात्रावास

एलिवेशन - विश्वविद्यालय भवन

- गुडा क्षेत्र में टीपीएस-09, एफ.पी.-149 पर पीएमएवाई के तहत अवसंरचना विकास सहित 624 ईडब्ल्यूएस-II आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

बालक छात्रावास

एलिवेशन - विश्वविद्यालय भवन

- गांधीनगर नगर निगम क्षेत्र, गांधीनगर में विभिन्न स्कूल भवनों का सुधार और नव निर्माण

प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर 7, गांधीनगर

ढोलाकुवा स्कूल भवन

- गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के लिए निर्माण पर्यवेक्षण सहित परियोजना प्रबंधन परामर्श

पेंढरादेवी सीएलआर यूनिट, पैकेज -3

जल आपूर्ति परियोजना,
आधरित तप्पार बांध में वी.टी. पम्प संस्थापन

- कोहाड़िया, जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के नए परिसर चरण-I के लिए संबंधित अवसंरचना के साथ-साथ विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श, तृतीय पक्ष निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं

निर्माण कार्य प्रगति पर

- राज्य में फिशरी बंदरगाहों, फिश लैंडिंग केंद्रों, तट संरक्षण कार्यों, ड्रेजिंग गतिविधियों और सहायक सुविधाओं का विकास/आधुनिकीकरण/उन्नयन

नवबंदर मत्स्य बंदरगाह

प्रस्तावित एफ.एल.सी. की सूची

- सूरत शहर में वाहन ट्रैक सहित कोयली क्रीक के रीमॉडलिंग और पुनर्निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा

डायाफ्राम वॉल की खुदाई का कार्य प्रगति पर

डायफ्राम दीवार का कार्य प्रगति पर

- गुजरात जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड के तहत पैकेज-1 और पैकेज-2 के लिए डांग क्षेत्रीय जलापूर्ति स्कीम हेतु निर्माण पर्यवेक्षण सहित परियोजना प्रबंधन

एम.एस. पाइप बिछाने का कार्य प्रगति पर

एम.एस. पाइप की वेल्डिंग का कार्य प्रगति पर

- दीनदयाल बंदरगाह पर ड्रेजिंग के लिए तृतीय पक्ष सरकारी सर्वेक्षण एजेंसी (2020-2023)

ड्रेजिंग सर्वेक्षण प्रगति पर

- गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत विभिन्न विस्तृत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

नवादा में 2000 मिमी व्यास की एम.एस. पाइप बिछाने का कार्य प्रगति पर

बुधेल से बोरदा विस्तृत पाइपलाइन परियोजना के कार्यस्थल पर यूटी कार्य प्रगति पर

- जंबूसर में जीआईडीसी बल्क ड्रग पार्क के लिए एकीकृत मास्टर प्लान तैयार करना और निर्माण पर्यवेक्षण

सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर

जलापूर्ति पाइपलाइन निर्माण कार्य प्रगति पर

- शियाल और सवाई बेयत द्वीपों के विकास के लिए आयोजना, डिजाइन और परियोजना प्रबंधन

शियाल और सवाई बेयत का मास्टरप्लान

शियाल और सवाई बेयत का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत कार्यों की डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण
- अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर आवास परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता आश्वासन

मोटेरा में आवासीय भवन (जी+7)

थेल्टेज में आवासीय भवन (जी+7)

- डीआरआईपी के तहत शेत्रुंजी सिंचाई स्कीम के लिए आवश्यक अनुमान, भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव, डीटीपी और तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण सेवाएं प्रदान करना

प्रस्तावित अतिरिक्त स्पिलवे

विशेषज्ञ एवं सिंचाई अधिकारी के साथ साइट दौरा

- मछुंदरी डब्ल्यू.आर.पी. के लिए डीआरआईपी के तहत किए जाने वाले कार्यों हेतु अपेक्षित अनुमान, डी.टी.पी.

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

साइट लोकेशन - मच्छुन्द्री बांध

- वडोदरा नगर निगम में विभिन्न सार्वजनिक कार्यों का पर्यवेक्षण

सरदारबाग स्विमिंग पूल, वार्ड-10 का पुनरूद्धार

स्मार्ट सिटी परियोजना पैकेज 2(ए) वाघोडिया रोड के तहत सड़क निर्माण

शहरी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का निर्माण

- वडोदरा शहर में विभिन्न झीलों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत तापी नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना के लिए सूरत नगर निगम (एसएमसी) और सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) की सीमाओं के भीतर सिविल-इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल सहायक उपकरणों के साथ सीवेज पंपिंग स्टेशनों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित तापी नदी के विभिन्न आउटफॉल पर इंटरसेप्शन और डायवर्जन कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण।

भरथना एसटीपी

कथोर एसटीपी

- सूरत के एसएमआईएमईआर अस्पताल परिसर में पीजी छात्रावास (जी+16) भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य
- नर्मदा नदी पर भड़भूत बैराज के सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन समीक्षा और डिजाइनर निगरानी

डी/एस गाइड वॉल में कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर

ग्राइडर लॉन्चिंग और डेक स्लैब शटरिंग कार्य प्रगति पर

ब्रिज डेक स्लैब क्योरिंग कार्य प्रगति पर

मुख्य बैराज में गेट एलीमेंट का इरेक्शन और फिक्सिंग

- जोन-3, वडोदरा, सूरत, राजकोट और भावनगर प्रखंड/प्रखंडों में गामथान (आबादी क्षेत्र) सर्वेक्षण रिकॉर्ड तैयार करना

सूचना शिक्षा संचार (आईईसी गतिविधि)
(नवसारी जिले के कबीलपोर गांव में ग्रामसभा)

कच्छ जिले के मोथला गांव में संपत्ति कार्ड वितरण

- पोरबंदर में 480 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज की डिजाइन और विकास के लिए वास्तु और इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं

अस्पताल परिसर के लिए लेआउट योजना

जिला अस्पताल

छात्रावास ब्लॉक

- अमृत 2.0 स्कीम के तहत जूनागढ़ नगर निगम में विभिन्न जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

स्विमिंग पूल और खेल परिसर लेआउट

13 लाख लीटर क्षमता का एलिवेटेड सर्विस जलाशय

ओजट-II बांध

- 1000 मेगावाट धोलेरा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए निर्माण कार्य की व्यवहार्यता रिपोर्ट, डीपीआर, निविदा प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण और जलापूर्ति प्रणाली की सामग्री, मशीनरी और उपकरणों का निरीक्षण

- गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू) में निर्माण कार्य

सेंट्रल कैंटीन - एचवीएसी संस्थापन

प्रसाधन ब्लॉक - नवीकरण

निदेशक कोठी

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 (पैकेज-262) के लिए समग्र शिक्षा के तहत जूनागढ़ जिले में सिविल कार्यों का तृतीय पक्ष तकनीकी पर्यवेक्षण, निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन

गाडू स्कूल का प्लास्टर कार्य

विसनवेल स्कूल का फिनिशिंग कार्य

खेड़ा स्कूल का प्लिंथ स्तर पर्यवेक्षण

मेन्डार्डा तालुका का निर्मित स्कूल

- मोटा मंडावदा जल प्रयोक्ता संघ द्वारा मुंजियासर सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

सिंचाई एवं संघ के अधिकारियों के साथ कार्यस्थल दौरा

निर्गम इनटेक वेल का निरीक्षण

- परियोजना प्रबंधन सलाहकार, विभिन्न स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज के पहुंच भाग के लिए दोष दायित्व अवधि सहित तृतीय पक्ष निरीक्षण और निर्माण पर्यवेक्षण

पाइल कैप कंक्रीटिंग कार्य

डेक स्लैब कास्टिंग कार्य

- अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जेएमसी के भूमिगत ड्रेनेज डिवीजन के लिए सामग्री परीक्षण, दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण और बिल सत्यापन कार्य के लिए पैकेज 7 के ढिंचड़ा के नव विलयित क्षेत्र के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

आरसीसी एनपी 4 पाइपलाइन बिछाने का कार्य

मेनहोल का निर्माण

डबल वॉल कॉरुगेटेड (डीडब्ल्यूसी) पाइप परीक्षण कार्य

मेनहोल और हाउस चैंबर फ्रेम तथा कवर परीक्षण

- गिफ्ट सिटी के डीटीए क्षेत्र में जल शोधन संयंत्र विस्तार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

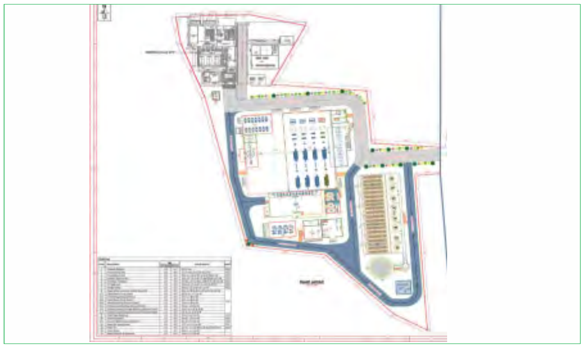

मौजूदा और प्रस्तावित डब्ल्यूटीपी के लिए लेआउट योजना

स्वच्छ जल होदी- निर्माण कार्य प्रगति पर

❖ गोवा

- स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

पोंडा में 5 टीपीडी बायो-मीथेनेशन संयंत्र

मोरमुगोआ में आकांक्षात्मक शौचालय

- अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार

650 केएल ओएचआर मापुसा

जलापूर्ति स्कीम-बिचोलिम

- सूक्ष्म वितरण नेटवर्क की मसौदा आयोजना के साथ पेरनेम, पलियेम, कोरगाओ गांव के कमान क्षेत्र के तहत कमान क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की मुख्य लाइन सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट, कंटूर के साथ गांव सर्वेक्षण क्षेत्र नक्शे और लाभार्थियों की सूची।
- मत्स्य विभाग के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और अन्य राज्य योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए)।

❖ **हरियाणा**

- करनाल और पंचकूला में ऑक्सीवैन परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएँ
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के तहत सिविल/मैकेनिकल/निर्माण और स्थापना कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण
- सिंचाई और जल विभाग के तहत संवर्धन संबंधी विभिन्न संरचनाओं के लिए भू-तकनीकी जांच सहित परामर्शी सेवाएँ
- गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) के अंतर्गत जल संवहन प्रणाली के साथ प्रस्तावित विविध संरचनाओं के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन, विस्तृत अनुमान, एसओक्यूआर, तकनीकी विनिर्देशन आदि
- बादली (झज्जर) के निकट आरडी 50.500 किमी की जीडब्ल्यूएस चैनल से केएमपी एक्सप्रेसवे ऑफ-टेकिंग के साथ मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना के लिए तकनीकी सहायता और निविदा प्रबंधन
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत विकास कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण
- हरियाणा पर्यटन निगम के तहत विकास कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
- उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) के अंतर्गत पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत विद्युत वितरण अवसंरचना और स्वचालन (एलआरपी, आधुनिकीकरण और स्काडा) कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी

पोल निर्माण कार्य

सामग्री का संयुक्त सत्यापन

- गुरुग्राम में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए परिसर के लिए प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण

शैक्षणिक ब्लॉक

प्रशासनिक ब्लॉक

- भारतीय खेल प्राधिकरण, एनआरसी, सोनीपत में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण

छात्रावास भवन का सामने एवं पार्श्व दृश्य

- भारतीय खेल प्राधिकरण, एनआरसी, सोनीपत में संबद्ध सुविधाओं के साथ उच्च कार्य निष्पादन प्रयोगशाला सहित तीरंदाजी उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण

तीरंदाजी उत्कृष्टता केंद्र

तीरंदाजी हॉल

- चौ. बंसी लाल विश्वविद्यालय, प्रेम नगर, भिवानी के नए परिसर का अवसंरचना निर्माण कार्य

परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार एवं सड़क कार्य

परिसर की आंतरिक सड़कें

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत-1.0) के अंतर्गत परियोजनाओं का परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के माध्यम से एडीबी/केएफडब्ल्यू से वित्तीय सहायता के साथ पीएचईडी, हरियाणा के तहत फर्रुखनगर शहर, नूह शहर, पटौदी शहर और सोनीपत शहर में सौंपे गए कार्यों का निर्माण पर्यवेक्षण
- समानांतर लाइन चैनल और पश्चिमी यमुना नहर (मुख्य लाइन लोअर) के लिए संरचनात्मक डिजाइन, नक्शा और अनुमान तैयार करना
- गुड़गांव जलापूर्ति चैनल (जीडब्ल्यूएस) के आरडी 0 से 64.55 तक की रीमॉडलिंग के निष्पादन के लिए तकनीकी सहायता और निविदा प्रबंधन
- गांव कुटैल, करनाल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवा
- पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी की स्थापना के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन
- राज्य में जलापूर्ति एवं स्वच्छता विकास कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सिविल/मैकेनिकल/निर्माण एवं स्थापना कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण
- डीएचबीवीएन के तहत परियोजनाओं की गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण एवं निगरानी के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
- हरियाणा में जलभराव एवं लवणता समस्या के प्रबंधन के संबंध में मास्टर प्लान-1998 का अद्यतनीकरण
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) के तहत न्यू जनरेशन के वाटरशेड परियोजना 2.0 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- 250 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), पंचकूला का निर्माण

- फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, 100 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और मिर्जापुर में 80 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्श (पीडीएमसी)

❖ **हिमाचल प्रदेश**

- पोंग पावर हाउस की प्रत्येक छह इकाई, 396 मेगावाट (6x66 मेगावाट) (मौजूदा) से 450 मेगावाट (6x 75 मेगावाट), भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की अवधि विस्तार के साथ नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन (आरएमयू)

सर्विस बेजेनरेटर यूनिट

पावर हाउस कॉम्प्लेक्स

- ऊना जिले के बंगाणा विकास खंड के सतकंडी (सतरुखा) गांव में जल संचयन संरचना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जी.आई. पाइपों की आपूर्ति के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण

- एसपी निवास सोलन में 01 नं टाइप-V आवास का निर्माण

- मंडी में एस.पी. कार्यालय का निर्माण

एसपी कार्यालय के अंदर का दृश्य

एसपी कार्यालय का बाहरी दृश्य

- नाहन में महिला पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण

महिला पुलिस स्टेशन के पीछे का दृश्य

महिला पुलिस स्टेशन के सामने का बाहरी दृश्य

- धौला कुआं में बटालियन लाइन ऑफिस ब्लॉक का निर्माण
- बनगढ़ और धौला कुआं में 120 जवानों की क्षमता वाले बैरकों का निर्माण
- बरोटीवाला, कुपवी, भुंतर, ऊना और करसोग में पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण
- कसौली में पुराने पुलिस स्टेशन की मरम्मत
- नागचला, मंडी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का विकास
- तृतीय आईआरबीएन पंडोह में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण
- पुलिस लाइन किशनपुरा में शस्त्रागार भवन का निर्माण
- दरलाघाट में एसडीपीओ कार्यालय सह आवास का निर्माण
- अश्वनी खेड़, जुन्गा में ड्राई रिटेनिंग वॉल का निर्माण
- पुलिस लाइन सोलन में 4 टाइप-II आवासीय क्वार्टरों का निर्माण
- कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में 60 आवासीय क्षमता वाली वयस्क एमआर महिलाओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण
- सरकारी डिग्री कॉलेज, शाहपुर, जिला कांगड़ा में छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण
- तहसील कल्याण कार्यालय कुमारसैन, शिमला का निर्माण
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत : भरमौर डिवीजन, सुन्नी डिवीजन, नोहराधार डिवीजन, ऊना डिवीजन, मंडी डिवीजन, थुरल डिवीजन, अर्की डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, नादौन डिवीजन और कटराईं डिवीजन 5 वर्षों के लिए संपूर्ण प्रणाली के संचालन और रखरखाव सहित पेयजल की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए आईओटी आधारित इंस्ट्रूमेंटेशन की आपूर्ति और संस्थापना
- शिमला रोपवे परियोजना के लिए ईएसआईए अध्ययन
- केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), बद्दी में शॉप फ्लोर सहित शैक्षणिक और छात्रावास भवनों का निर्माण
- सतकंडी (सतरुखा) गांव, ऊना में जल संचयन संरचना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला और सोलन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत तृतीय पक्ष निरीक्षण
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर एमआईएस डेटा प्रबंधन, विश्लेषण, निगरानी और सहायता सेवाओं के लिए प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन सहायता एजेंसी
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल, शौचालय और हाथ धोने की सुविधाओं के बारे में स्कूलों और आंगनवाड़ियों का सर्वेक्षण
- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश सड़क परिवर्तन कार्यक्रम (एचपीएसआरटीपी) के तहत संवितरण लिंक्ड इंडिकेटर के सत्यापन के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा
- सच खास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति
- प्रस्तावित रेओली-डुगली एचईपी (428 मेगावाट), पुर्थी एचईपी (224 मेगावाट) और बरदांग एचईपी के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- कुसुम्पटी, शिमला में टाइप II और टाइप III क्वार्टरों का निर्माण

- नागचला, मंडी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए एरियल लिडार द्वारा स्थलाकृति और प्रमुख बाधा सर्वेक्षण करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **झारखंड**

- यूसीआईएल तुरामडीह, पूर्वी सिंहभूम झारखंड में टेलिंग तालाब के पूर्वी और पश्चिमी बांधों के प्रस्तावित तीसरा चरण स्तर ऊंचा करने संबंधी डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श

टेलिंग बांध संयुक्त कार्यस्थल दौरा

- रांची के चेरी-मनातू में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का विकास
- आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- एनटीपीसी लिमिटेड की पकरी-बरवाडीह कोयला खदान के आवाह जल के लिए अस्थायी डायवर्जन नहर का निर्माण
- भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट और अनुकूलित मानक बोली दस्तावेज तैयार करना
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 17 यूएलबी के लिए लाभार्थियों के लिए निर्माण / वर्टिकल IV के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श
- कोलेबिरा और थेथईटांगर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण

प्राचार्य निवास, कोलेबिरा

बालिका छात्रावास, कोलेबिरा

स्कूल भवन, थेथईटांगर

बालक छात्रावास, ठेठईटांगर

- भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, हजारीबाग में सिंथेटिक हॉकी टर्फ बिछाया जाना

- पुनासी स्पिल चैनल, पुनासी पर पहुंच मार्ग के साथ 200 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

❖ **कर्नाटक**

- विजयपुरा जिले में जल जीवन मिशन के तहत डीबीओटी मोड के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार

बीएमजे-33 से बीएमजे-15 उत्खनन ट्रेंच तक 400 मिमी बीएमपी-103 व्यास के जोन-37 बल्क मेन एमएस पाइप

विजयपुरा में 150 केएल क्षमता वाले ओएचटी-9एमटी स्टेजिंग बॉटम रिंग बीम का प्रस्तावित निर्माण

- उडुपी जिले में जल जीवन मिशन के तहत डीबीओटी मोड के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार

उडुपी लोकेशन पर ओएचटीएस

पल्ली जीपी करकला तालुक स्थित कुक्कीकट्ट के पास प्रस्तावित ओएचटी साइट (25केएल / 12एम स्टेजिंग)

- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी
- कोप्पल में 400 मेगावाट हाइब्रिड (196 मेगावाट सौर और 204 मेगावाट पवन) बिजली परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी

सौर पैनलों का संस्थापना

डब्ल्यूटीजी (डब्ल्यूआईपी) की स्थापना

- शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (8x250 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, बेंगलुरु में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण

छात्रावास भवन का विहंगम दृश्य

छात्रावास भवन का पार्श्व दृश्य

- कर्नाटक चमड़ा उद्योग विकास निगम, लिडकर के लिए वास्तु और सिविल सलाहकार
- रचेनाहल्ली झील पर 10 एमएलडी एसटीपी और हेसराघट्टा में 3 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- बग्गानदोड्डी, इंदलवाड़ी और कडुजक्कनहल्ली गाँव, अनेकल तालुक, बेंगलुरु शहरी जिला के ब्लॉक-3, 4, 10, 11, 12 और 18, सूर्यनगर, स्वामी विवेकानंद लेआउट (प्रधान मंत्री टाउनशिप) में साइट और सेवा स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ,
- शराब के खुदरा दुकानों पर किए गए आंतरिक और बाहरी कार्य के सत्यापन, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/वास्तुकार
- होसानगर, थिरथल्ली, तारिकेरे, नरसिंहराजपुरा, एच डी कोटे, श्रीरंगपट्टन, हनूर, सोमवरपेट, विराजपेट, सकलेशपुरा, अलूर, पुत्तुर विटला, करकलासिरसी, मुंडागोड, मुलागुंडा और अलनावर शहरी स्थानीय निकाय में मल कीचड़ शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- ग्रेटर बेंगलुरु बिदादी स्मार्ट सिटी स्थानीय आयोजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और बिदादी टाउनशिप डिजाइन - बीएमआरडीए
- सैटेलाइट टाउन रिंग रोड स्थानीय आयोजना क्षेत्र बीएमआरडीए के लिए मास्टर प्लान तैयार करना

❖ **केरल**

- संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) को एससीएडीए परियोजना के परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग प्रदान करना।

- केरल इंफ्रास्ट्रकचर एंड टेक्नॉलोजी फॉर एजुकेशन (केआईटीई) उत्तर, मध्य और दक्षिण क्षेत्र के तहत स्कूलों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

जीएचएसएस कल्लारा

जीबीएमएचएसएस अट्टिंगल

- भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, तिरुवनंतपुरम में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण

छात्रावास भवन का मुख्य प्रवेश द्वार

छात्रावास भवन के सामने का दृश्य

- राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 8, 9 और 59 के विकास के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन
- जिला अस्पताल, चेंगन्नूर, अलपुझा का विकास

बाह्य पेंटिंग कार्य

अग्निशमन कार्य और पुट्टी कार्य

एसी डक्ट कार्य

- मालाबार कैंसर सेंटर का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी साइंसेज एंड रिसर्च और गेस्ट हाउस, थालास्सेरी, कन्नूर के रूप में विकास

जोन 1 और 2 भाग II, III में पाइलिंग कार्य प्रगति पर

- जनरल अस्पताल, तिरुवनंतपुरम का विकास
- सरकारी मेडिकल कॉलेज परियारम, कन्नूर जिले का विकास - चरण-1 और मौजूदा भवनों का रखरखाव/नवीनीकरण

परियारम मेडिकल कॉलेज साइट पर अस्पताल भवन का बाह्य पेंटिंग कार्य

परियारम मेडिकल कॉलेज साइट पर अस्पताल भवन के सामने बीएम और बीसी कार्य

- सरकारी तालुक अस्पताल, पेरावूर, कन्नूर का विकास

पाइलिंग कार्य प्रगति पर

पाइल लेआउट कार्य

- फेरोके में सरकारी तालुक अस्पताल का विकास

बाह्य पेंटिंग कार्य

प्रयोगशाला आंतरिक फिनिशिंग कार्य

- कोयिलैंडी में सरकारी तालुक अस्पताल का विकास
- बालुसेरी में सरकारी तालुक अस्पताल का विकास
- अवसंरचना सुविधाओं की बेहतरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 50 स्कूलों का आधुनिकीकरण

जीएचएसएस अथोली

जीएचएसएस पय्योली

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना विकास
- अक्कुलम झील और उसके आवाह क्षेत्र का पुनरुद्धार - अभी शुरू नहीं हुआ है।
- कोचीन बंदरगाह पर ड्रेजिंग रखरखाव की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष प्रमाणन सह सर्वेक्षण एजेंसी
- कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सीएसईजेडए) के तहत विभिन्न सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा
- कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 एमएलडी क्षमता के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट का कार्यान्वयन

- कोच्चि में एनआईए शाखा कार्यालयों के कार्यालय परिसर, आवासीय भवन और सामुदायिक केंद्र का निर्माण
- कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर योजना तैयार करना
- केरल में विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाएँ

पय्यम्बलम बीच

चूटाड़ बीच

- केरल सिंचाई अवसंरचना विकास निगम के सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए)
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, वायनाड का विकास कार्य
- कोवलम और इसके आस-पास बीचों का विकास कार्य
- इडुक्की विस्तार जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट), व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना के निष्पादन के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए बोली दस्तावेज और संबद्ध दस्तावेज तैयार करने सहित निष्पादन के लिए सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना
- व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सबरीगिरी विस्तार स्कीम के लिए परियोजना निष्पादन हेतु ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए बोली दस्तावेज और संबद्ध दस्तावेज तैयार करने सहित निष्पादन के लिए सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना
- मन्नारघाट में कोइला नल्लाह जल आपूर्ति स्कीम के लिए सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, भू-तकनीकी जांच, डिजाइन और परामर्श
- अगले 30 वर्षों में क्षेत्र के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर योजना

❖ **मध्य प्रदेश**

- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन कार्य (पैकेज-I) के विकास के लिए गुणवत्ता निगरानी कार्य में स्वतंत्र इंजीनियर और सहायता

पावर ट्रांसफार्मर की नींव

स्विचयार्ड के टावर की नींव

- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद और देवास में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी)

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत भोपाल नगर निगम के लिए जलापूर्ति और सीवरेज/स्वच्छता, जल निकायों के संरक्षण और हरित क्षेत्र विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

जल शोधन संयंत्र

ओवर हेड टैंक

- "सीएम राइज" स्कूल भवन और अन्य कार्य पैकेज (एमपीबीडीसी) के तहत निर्मित किए जा रहे भवन कार्यों का पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) परामर्श

बिल्डिंग साइट पर कास्टिंग कार्य

- एलआईजी कॉलोनी – इंदौर के सर्वोत्तम उपयोग विकल्प के निर्धारण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, मास्टर आयोजना और पुनर्विकास प्रस्ताव और कार्यप्रणाली

- रंगवासा गांव में रत्न एवं आभूषण और आईटी पार्क के साथ नए बहुग्राम-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श

सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर

- धार में 326.7 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी

पवन टरबाइन जनरेटर

220/33 केवी पूलिंग सबस्टेशन

- पश्चिम मध्य रेलवे में बीपीएल डिवीजन के गुना (एक्सटेंशन)-ग्वालियर (एक्स.) 227 रूट किमी/236 टीकेएम सेक्शन के बीच 25 केवी, 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज, ट्रैक्शन ओवर हेड उपकरण, स्विचिंग स्टेशन, ट्रैक्शन सब-स्टेशन, एससीएडीए, सामान्य सेवा कार्य, सिग्नल और दूरसंचार कार्य तथा सिविल इंजीनियरिंग कार्य अर्थात् सेवा भवन, क्वार्टर, टीडब्ल्यू साइडिंग, टीएसएस क्रॉस ट्रैक और अन्य संबंधित कार्यों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

- सेक्टर-जी, एरोसिटी-1, भोपाल में सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय और सीओई भवन का निर्माण
- भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, भोपाल में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण
- लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में 400 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण

400 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन के सामने का दृश्य

- जीआईएस बेस मैप तैयार करना और हैंडहोल्डिंग सहायता से बहुउद्देश्यीय घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यूएडीडी), सतना, भोपाल को सहयोग

घरों का माप एकत्रित करना

- गांधीसागर हाइडल पावर स्टेशन की 5x23 मेगावाट इकाइयों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज तैयार करना, निविदा तकनीकी मूल्यांकन में सहायता और सफल बोलीदाता का अंतिम रूप से निर्धारित करना
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाओं, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण
- रीवा और कटनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत कार्यों के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श
- शाजापुर में सीवरेज नेटवर्क और सीवेज अनुरक्षण संयंत्र का विकास
- सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बरगी जलाशय क्षमता में कमी का आकलन

बरगी बांध

- एमपीपीएचईडी के तहत उज्जैन सर्कल के नीमच और मंदसौर जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी

ओवर हेड टैंक

- एमपीजेएनएम के तहत गुना और अशोक नगर जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राजघाट बांध बहु ग्राम योजना (एमवीएस) के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार
- एमपीजेएनएम के तहत धार जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राजौंद बहु ग्राम योजना (एमवीएस) के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) सलाहकार
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ग्वालियर में मुरार नदी के विकास कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और निर्माण कार्य
- एसएचक्यू बीएसएफ, भोपाल के लिए 12 टाइप-III, 04 टाइप-IV और 02 टाइप-V आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य

❖ **महाराष्ट्र**

- (2x80) मेगावाट पेंच हाइडल पावर स्टेशनों (एचपीएस), तोतलाडोह के व्यापक आरएंडएम और अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निविदा दस्तावेज तैयार करना, संविदा प्रदान होने तक निविदाकरण में सहायता और परियोजना निगरानी परामर्श उपलब्ध कराना

उपकरण निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए
वाप्कोस विशेषज्ञ टीम द्वारा साइट दौरा

उपकरण निरीक्षण के लिए वाप्कोस विशेषज्ञ टीम द्वारा साइट दौरा

- उस्मानाबाद और सोलापुर में 30 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

साइट पर संस्थापित सौर पैनल और आईडीटी

साइट पर संस्थापित सौर पैनल

- सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीज़ेड), एसईज़ेड, मुंबई में नेस्ट-02 बिल्डिंग के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन करना
- सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीज़ेड) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श,
- वाटरफ्रंट विकास परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं- मुंब्रा बाईपास से खारेगांव टोल नाका तक क्रीक के पास चौपाटी का विकास, नागलाबंदर (पैकेज-1), पर कावेसर वाघबिल और कोलशेत (पैकेज-2) और साकेत-बालकुम, कलवा-शास्त्रीनगर, कोपरी-ठाणे (पूर्व) (पैकेज-3) में क्रीक के पास वाटरफ्रंट का विकास

नागलाबंदर साइट पर गेबियन बॉक्स और पैरालिंक को ठीक किया गया

- औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती क्षेत्रों के लिए गांव/ब्लॉक/जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यान्वित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम की तैयारी करना, निगरानी, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- पेंच परियोजना की जल की कमी को पूरा करने के लिए कन्हान नदी से 10 टीएमसी जल को लावाघोगरी (एमपी) में तोतलादोह जलाशय में मोड़ने के लिए 65 किलोमीटर सुरंग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- 10 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण, कार्य स्थल जांच और इंजीनियरिंग
- कोलार कन्हान बैराज, नागपुर के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए शेष स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच और कार्यों की डिजाइन तैयार करना
- तीन बैराजों (धनोरा बैराज, आमदी बैराज और अरवी धनुर बैराज, चंद्रपुर) के लिए शेष स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, कार्यों की डिजाइन तैयार करना
- गरगई बांध परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में सस्पेंशन पैदल यात्री पुल के निर्माण के लिए अवधारणा डिजाइन, विस्तृत डिजाइन, निविदा दस्तावेज और परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

प्रस्तावित पुल का 3डी दृश्य

- अमृत 2.0 मिशन के तहत सतारा नगर परिषद जलापूर्ति स्कीम के लिए नवीनतम तकनीक वाले वाटर मीटरों का संस्थापना और जल शोधन संयंत्र का स्वचालन
- मुंबई में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के आंतरिक सुसज्जा कार्यों का निष्पादन
- नांदेड़ जिले के महुरगढ़ में रेणुका माता मंदिर में लिफ्ट और स्काईवॉक का निर्माण
- पुणे जिले के नीमगांव में खंडोबा मंदिर परिसर में सुविधाओं का विकास
- पुणे में इंद्रायणी नदी के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- पुणे महानगर क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के प्रदूषण निवारण, रिवरफ्रंट विकास, बाढ़ प्रबंधन और अन्य विकास कार्यों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- पुणे और औरंगाबाद में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण
- ध्रुव रिएक्टर, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई के लिए नई जेटी/समुद्री जल इंटेक प्रणाली के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- मध्य रेलवे, मुंबई के अंतर्गत छह बांधों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा

कार्यस्थल दौरा

- बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई में झील संख्या 11 की भंडारण क्षमता में सुधार संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन
- पुणे में 250 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) का निर्माण

- अमृत के तहत नागपुर शहर में अनधिकृत/बस्तियों/झुग्गियों सहित जलापूर्ति वितरण अवसंरचना का कार्यान्वयन
- पालघर जिले के मनोर में वाराली हाट परिसर के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा-अभियान के तहत तलेगांव दाभाड़े जलापूर्ति स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- हार्वे रोड सीवेज पंपिंग स्टेशन और नेपियन-सी रोड सीवेज पंपिंग स्टेशन की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए पूर्व-पीएमसी और पीएमसी
- ठाणे नगर निगम के तहत विभिन्न परियोजना कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी एजेंसी
- मुंबई उपनगर में समाज कल्याण विभाग की इमारतों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन कार्य
- जेएनपीए, नवी मुंबई में केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और विस्तृत इंजीनियरिंग
- मीरा-भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) में विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा
- पुणे शहर में समान जलापूर्ति प्रणाली (24x7) के कार्यान्वयन के शेष कार्यों के लिए डिजाइन समीक्षा, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्श और ऑप्टिकल फाइबर डक्ट का निर्माण

❖ **मणिपुर**

- इम्फाल शहर के लिए शहरी बाढ़ को कम करने, स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाम्फेलपट जल निकाय के संरक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन सेवाएँ
- एलटी मीटरिंग और डीडीयूजीजेवाई-नई (प्रणाली सुदृढ़ीकरण) के कार्यान्वयन हेतु 18 (अठारह) महीने की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय-क्षेत्रीय परिसर मणिपुर (आईजी एनटीयू-आरसीएम), कांगपोकपी जिले में बहु सुविधा केंद्र का निर्माण
- न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाएँ
- भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र, इम्फाल में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण

ब्लॉक-ए की छत स्लैब और कॉलम कास्टिंग

ब्लॉक-बी के लिए छत स्लैब शटरिंग

- लोकटक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चरण-II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- खुगा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के निवारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **मिजोरम**

- आइजोल में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- आइजोल में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण और विकास

❖ **मेघालय**

- मेघालय में अमृत-1.0 के तहत स्वीकृत परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार
- दक्षिण गारो हिल्स के सिमसांग नदी के दबित वारी गांव में जल क्रीड़ा और पर्यटन विकास और संवर्धन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- अमलारेम और नोंगस्टोइन में विभिन्न स्थानों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण

स्कूल भवन

बालिका छात्रावास

❖ **नागालैंड**

- "संशोधित वितरण क्षेत्र योजना" के तहत विद्युत विभाग, नागालैंड को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग प्रदान करना।
- कोहिमा में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार

❖ **ओडिशा**

- ओडिशा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम : पीएच-IV के तहत टीपी दक्षिणी ओडिशा वितरण लिमिटेड के लिए प्रस्तावित 33/11 केवी एस/एस और इसकी कनेक्टिंग लाइन संबंधी परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लेखा परीक्षा के लिए परामर्शी सेवाएं
- टीपी मध्य ओडिशा वितरण लिमिटेड (टीपीसीओडीएल) क्षेत्र में ओडिशा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (ओडीएसएसपी) चरण-IV स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)
- क्लस्टर संख्या XXII, XXIV और XXV में मेगा लिफ्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रूफ इंजीनियरिंग सलाहकार (पीईसी)

- कुसुमी स्मार्ट सिंचाई परियोजना में अंडर ग्राउंड पाइपलाइन (यूजीपीएल), ग्रेविटी फ्लो के कार्यान्वयन के लिए प्रूफ इंजीनियरिंग सलाहकार (पीईसी)
- इंजीनियरिंग अधिप्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड – चरण II पर "बरहामपुर सर्कल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मेगा पीडब्ल्यूएस से संबंधित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजना का निष्पादन" कार्य के पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकरण अभियंता
- कासियाबेडा में 0.6 एमटीपीए पेलेट प्लांट और संबद्ध थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

साइड से प्रस्तावित भंडारण टैंक स्थल

कानू नदी के अनुप्रवाह में प्रस्तावित भंडारण टैंक

- एश तालाब-सी के हिस्से में हाल ही में आई दरार के मूल कारण का विश्लेषण, तथा आईबी थर्मल पावर परियोजना, झारसुगुड़ा के रखरखाव में सुधार

तालाब-1 में राख को छोड़ा जाना

सौर लाइट का संस्थापना कार्य पूर्ण

- ओक के पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएँ
- ऊपरी कोलाब में पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- बौध जिले में साल्की नदी पर साल्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- कालाहांडी जिले में मुखीगुडा में ऊपरी इंद्रावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4x150 मेगावाट) 600 मेगावाट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कंधमाल जिले में खड़ग एचईपी (63 मेगावाट) के लिए विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

- ओडिशा में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों - क्लस्टर I, II और III में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- खुर्दा रोड पर मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) कार शेड (चरण-2) के निर्माण के संबंध में पीईबी शेड, संरचनाओं का निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था, ड्रेनेज, सीवरेज, सड़क निर्माण कार्य, ट्रैक कार्य, ओएचई कार्य, विद्युत आपूर्ति और सामान्य विद्युत कार्य तथा मशीनरी और संयंत्र की आपूर्ति, संस्थापना और शुरूआत
- रेंगाली एचईपी में अग्निशमन प्रणाली का नवीकरण और आधुनिकीकरण
- रेंगाली सिंचाई परियोजना चरण- II के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- क्लस्टर संख्या III, IX और XIII और मलकानगिरी में मेगा लिफ्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- ऊपरी इंद्रावती सिंचाई परियोजना की लिफ्ट नहर प्रणाली के निष्पादन के लिए साक्ष्य अभियांत्रिकी परामर्श
- चिपलीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, चिपलीमा की यूनिट संख्या 3 का नवीकरण और आधुनिकीकरण
- डिपोज़िट कार्य के आधार पर चिपलीमा फोरबे, स्पिलवे और सरप्लस एस्केप की मरम्मत और पुनरूद्धार

साइट पर चल रहे कार्य

अधिकारियों द्वारा साइट दौरा

- हीराकुंड एचईपी, बुर्ला, यूनिट संख्या 5 और 6 (2x43.6 मेगावाट) के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए व्यापक अनुबंध प्रबंधन सेवाएँ
- बालिमेला एचईपी, यूनिट संख्या 1 से 6 (6x60 मेगावाट) के नवीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन के लिए व्यापक अनुबंध प्रबंधन सेवाएँ

यूनिट संख्या 3 के ऊपरी हिस्से के ओउंड स्टेटर (ऊपरी और निचली पट्टी) की जम्परिंग

यूनिट संख्या 4 के गाइड अपरेटस की ट्रायल असेंबली

- डिपाजिट कार्य के आधार पर अपर इंद्रावती जलविद्युत परियोजना, मुखीगुड़ा में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (ओएच पीसी) कार्यालय भवन का निर्माण
- बालीमेला जलविद्युत परियोजना, मलकानगिरी में डिपाजिट आधार पर 20 टाइप 'डी' क्वार्टरों का निर्माण
- सुंदरगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण प्रबंधन संबंधी परियोजना की आयोजना, निर्माण और कार्यान्वयन
- पूर्वी तट रेलवे के संबलपुर संभागों में रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण के भाग, टिटलागढ़ (ईएक्स.)-लखना (इन) खंड (72.948 किलोमीटर) के दोहरीकरण से संबंधित सड़क, बड़े और छोटे पुलों, ट्रैक लिंकिंग, आउटडोर सिग्नलिंग और विद्युत कार्यों के निर्माण के शेष कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

- पूर्वी तट और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संबलपुर और रायपुर मंडलों में रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण के हिस्से, अरंड (एक्स)-रायपुर (एक्स) खंड (57.404 किमी) के दोहरीकरण से संबंधित सड़क, बड़े और छोटे पुलों, ट्रैक लिंकिंग, आउटडोर सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल (सामान्य) कार्यों के निर्माण के शेष कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

- इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड के संबंध में यूआईडीएसएसएमटी/अमृत के तहत बारीपदा, संबलपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा में जलापूर्ति अवसंरचना के विकास की देखरेख के लिए प्राधिकरण का इंजीनियर
- ओडिशा सरकार के खेल और युवा कार्यक्रम विभाग के लिए ओडिशा में खेल अवसंरचना का निर्माण

पुरी में स्विमिंग पूल

पुरी में क्रिकेट मैदान

जयपोर, कोरापुट में मुख्य हॉल भवन

जयपोर, कोरापुट में वेस्ट साइड स्टैंड

बरहामपुर में क्रिकेट स्टेडियम

बरहामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्विमिंग पूल

- विभिन्न स्थानों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण
- बिजेपुर, जिला बारगढ़ की गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (अतिरिक्त अयाकट) के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श

पंप हाउस

निर्माण

फोरबे

- बालीमेला पंप स्टोरेज परियोजना (500 मेगावाट) के लिए सर्वेक्षण और जांच, ईआईए/ईएमपी अध्ययन सहित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और भारत सरकार के वैधानिक प्राधिकरणों से सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त करना।

साइट पर ड्रिलिंग कार्य

साइट से सतही जल के नमूनों का संग्रह

- खुर्दा जिले के बालूगांव-पुरी जिले के कृष्णाप्रसादगड़ा में आरओ-पैक्स जेट्टी और संबद्ध अवसंरचना विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं

बालूगांव में प्रस्तावित आरओ-पैक्स जेटी

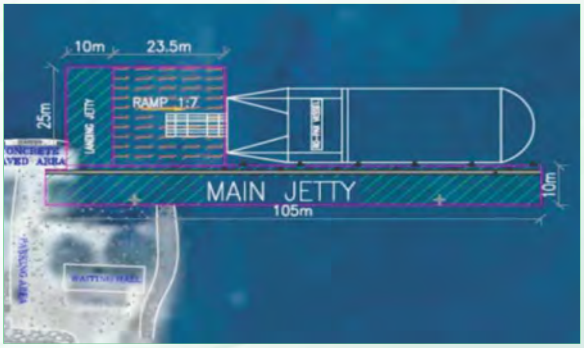

कृष्णप्रसाद गड़ा में प्रस्तावित आरओ-पैक्स जेट्टी

❖ पंजाब

- पटियाला में भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

भवन का बाहरी दृश्य

फेंसिंग हॉल

स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग हॉल

- शाहपुरकांडी जल विद्युत परियोजना (206 मेगावाट), गुरदासपुर का इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य

फेज़-I (व्यू पॉइंट)

फेज़-I (सर्विस बे से दृश्य)

पीएच-I ईओटी क्रेन (ओवरलोड टेस्ट)

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत योजनाओं का तृतीय पक्ष निरीक्षण
- राजस्थान फीडर की आरडी 249000 से आरडी 359000 और आरडी 394000 से आरडी 496000 तक पुनः लाइनिंग के लिए तृतीय पक्ष निगरानी और स्वतंत्र समवर्ती मूल्यांकन
- सरहिंद फीडर नहर की पुनः लाइनिंग के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण
- पंजाब शहरी आयोजना एवं विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) के अंतर्गत खाली सरकारी भूमि (ओयूवीजीएल) योजना के इष्टतम उपयोग के तहत पूर्ण परियोजनाओं और चल रही/भविष्य की परियोजनाओं की तृतीय पक्ष द्वारा तकनीकी वित्तीय लेखा परीक्षा।
- लुधियाना में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अवसंरचना कार्यों का तकनीकी एवं वित्तीय लेखा-परीक्षण
- पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम (पीयूईआईपी-I,II एवं III योजना तथा पंजाब अवसंरचना विकास बोर्ड (पीआईडीबी) अतिरिक्त संसाधन वित्तपोषण स्कीम के अंतर्गत पंजाब के विभिन्न शहरों में यूएलबीएस एवं पीडब्लूएसएसबी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अवसंरचना कार्यों का तकनीकी एवं वित्तीय लेखा-परीक्षण
- गांव सिंहपुर एसएएस नगर में दूसरे चरण के 25 एमजीडी क्षमता वाले डब्ल्यूटीपी की डिजाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं बोली दस्तावेज तैयार करना
- पंजाब मंडी बोर्ड के अंतर्गत लिंक सड़कों के लिए विशेष मरम्मत एवं सुधार के लिए विशेष तृतीय-पक्ष तकनीकी-वित्तीय लेखा-परीक्षण एजेंसी

- मोहाली के सेक्टर 88 में पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट के आठ टावरों में 480 अपार्टमेंट के शेष कार्यों एवं 342 अपार्टमेंट में दोषपूर्ण कार्यों की मरम्मत के लिए तृतीय-पक्ष तकनीकी-वित्तीय लेखा-परीक्षण एजेंसी

❖ **राजस्थान**

- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर के मूल / परिवर्धन / परिवर्तन / मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार
- राजस्थान के जोधपुर जिले में दो स्थानों (गाँव बस्तवा माता, तहसील बालेसर और इंद्रोका, तहसील मंडोर) पर मिट्टी के बांधों का निर्माण
- राजस्थान के कतिपय जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूमिजल संवर्धन
- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र, सज्जनगढ़, उदयपुर का क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करना
- चोमू शहर में व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) मॉडल के तहत पीपीपी मोड पर शहरी जलापूर्ति प्रणाली (यूडब्ल्यूएसएस) के ओ एंड एम के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- 18 नए आईटीआई भवनों के निर्माण कार्य के लिए वास्तु परामर्शी सेवाएँ
- जोधपुर में एलसी सी-168 (आरटीओ फाटक) के स्थान पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण तथा साथ ही ड्रेनेज निपटान संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करना
- शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी), बीकानेर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित नए मास्टर प्लान तैयार करना
- जायल तहसील में जायल मातासुख परियोजना के तहत 120 गांवों और 120 गांवों की 244 ढाणियों के मौजूदा क्लस्टर वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना का व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और निविदा दस्तावेज तैयार करना
- जल जीवन मिशन के तहत गांवों के लिए जलापूर्ति योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- जवाई बांध को भरने के लिए साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के डायवर्जन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- जिला खनिज फाउंडेशन, जयपुर के तहत छोरा डुबुरी फोर लेन सड़क परियोजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण कार्य
- जिला खनिज फाउंडेशन, जयपुर के तहत अशोकझार फ्लोर हिल से लोअर नागदा सड़क परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं
- बैच-I से बैच-V वाटरशेड परियोजनाओं के लिए कोटा, भरतपुर और जोधपुर डिविजनों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत निगरानी, मूल्यांकन, शिक्षण और दस्तावेजीकरण कार्य
- परवान आवड जलापूर्ति परियोजना, जिला झालावाड़, बारां एवं कोटा, कालीतीर लिफ्ट योजना, धौलपुर जिले के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करना
- बारां जिले में ग्राम खोहरा पीपली, तहसील किशनगंज, राष्ट्रीय संस्थान एवं हुनर हब की स्थापना के लिए प्रस्तावित कार्यस्थल पर स्थायी चारदीवारी का निर्माण
- जयपुर में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के आंतरिक सुसज्जा कार्यों का निष्पादन
- आईजीएनपी-चरण-I, हनुमानगढ़ में आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना के तहत सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सामाजिक एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के विकास एवं इसके कार्यान्वयन की निगरानी संबंधी परामर्शी सेवाएं

❖ सिक्किम

- आठ शहरों/छह सर्किलों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना प्रबंधन एजेंसी सेवाओं की समीक्षा और पुनः तैयार करना
- तीस्ता III जलविद्युत परियोजना से किशनगंज ट्रांसमिशन लाइन तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के ऋणदाता के अभियंता
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना प्रबंधन एजेंसी सेवाओं की समीक्षा और पुनः तैयार करना
- 1,200 मेगावाट तीस्ता III जलविद्युत परियोजना के शेष कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन, निर्माण पर्यवेक्षण

❖ तमिलनाडु

- भारतीय तटरक्षक बल के लिए बोट बेसिन/टिम्बर तालाब परियोजना के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (चरण-1) तैयार करना
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ईआईए अध्ययन और तिरुनेलवेली के नांगुनेरी तालुक में नांगुनेरी नहर के चौड़ीकरण सहित नांगुनेरी बिग टैंक के नीचे 46 टैंकों को जोड़ने के लिए नांगुनेरियानकल से बाईपास चैनल की खुदाई के लिए स्वीकृति प्राप्त करना
- कन्याकुमारी में थोवलाई के गनलाम गांव में थडावयार नदी पर जलाशय निर्माण की योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ईआईए अध्ययन और स्वीकृति प्राप्त करना
- प्रस्तावित एन्नोर-नागापट्टिनम-तूतीकोरिन-बैंगलोर-मदुरै प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की स्थापना के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण, भू-सम्पत्ति सर्वेक्षण करना और सेवाएं उपलब्ध कराना।
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा वित्त पोषित ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन
- थूथुकुडी निगम में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- सिल्लाहल्ला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना स्टेज- I (1000 मेगावाट) के निष्पादन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, सर्वेक्षण और भूभौतिकीय अन्वेषण कार्य का संचालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ईआईए/ईएमपी अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना और सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना

ऊपरी बांध स्थल पर सिल्लाहल्ला नदी के बाएं तट पर ड्रिल होल में गुडमैन जैक परीक्षण का आयोजन

नदी के दाहिने किनारे पर ड्रिल होल में गुडमैन जैक परीक्षण का आयोजन

- आईआईटी मद्रास में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं (टीपीक्यूएएस)
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित तमिलनाडु सिंचित आधुनिकीकरण (टीएन आईएएमपी) परियोजना के कार्यों की तृतीय पक्ष तकनीकी जांच
- नादंतई वाझी कावेरी परियोजना के चरण-I और चरण-II घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण सामाजिक प्रबंधन योजना अध्ययन
- एकीकृत कूम नदी पारिस्थितिकी पुनरूद्धार परियोजना के तहत कार्यान्वित विभिन्न उप-परियोजनाओं की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए)
- पीएमकेएसवाई के तहत तमिलनाडु के सात जिलों में 83 टैंकों में जल निकायों की योजना के चरण-IV, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) के लिए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन
- सलेम जिले के येरकोड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण
- अथिकादावु – अविनाशी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए (डीबीओटी)डिजाइन समीक्षा और स्वतंत्र इंजीनियर (आईई)/परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं
- तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) के तहत नीलगिरी जिले में कुंदा पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4x125 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं

साइट पर प्रेशर शाफ्ट लाइनर का निर्माण कार्य जारी

बस डक्ट गैलरी

- तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में कावेरी बेसिन की वेन्नार नदी प्रणाली के पुनरूद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कन्याकुमारी जिले में उलक्करुवियार नदी पर नए जलाशय के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **तेलंगाना**

- मिशन भागीरथ परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श और तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ
- अमृत-1.0 स्कीम के तहत स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए)
- मल्लन्ना सागर से सिंगुर जलाशय तक संरेखण की जाँच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- तेलंगाना पेयजल आपूर्ति परियोजना (टीडीडब्ल्यूएसपी) के तहत डीपीआर की जाँच, परियोजना निगरानी, पर्यवेक्षण और कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण

❖ **त्रिपुरा**

- एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम के लिए त्रिपुरा विद्युत उत्पादन अपग्रेडेशन एवं वितरण विश्वसनीयता सुधार परियोजना (टीएसईसीएल) के तहत परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार (पीआईसी)

धलेश्वर, शिवमंदिर फीडर के लिए 11 केवी आरएमयू कमीशनिंग कार्य

- हाओरा नदी का फील्ड सर्वेक्षण और मास्टर प्लान का अद्यतनीकरण
- 98 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए वर्षा जल भंडारण जलाशयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

❖ **उत्तराखंड**

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण

एसक्यूएम/एनक्यूएम दौरे

सड़क निर्माण कार्य जारी

पुल निर्माण का कार्य जारी

- देहरादून में आईएसबीटी के पास एचआईजी आवास परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- आमवाला तरला (एएएलवाईएएम) आवास परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- 132 केवी किच्छा-लालकुआं रेलवे लाइन के लिए 132 केवी सबस्टेशन किच्छा में एक 132 केवी बे का निर्माण
- पेरी-अर्बन क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता आश्वासन हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्ष निर्माण पर्यवेक्षण एजेंसी
- प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित जिला रुद्रप्रयाग की परियोजनाओं अर्थात कालीगंगा- I (2x2 मेगावाट), कालीगंगा- II (2x3 मेगावाट) और मध्यमहेश्वर (3x5 मेगावाट) लघु जलविद्युत परियोजनाओं, निर्माण के दौरान भू-तकनीकी जांच, विस्तृत डिजाइन, डिजाइन की समीक्षा, तकनीकी पर्यवेक्षण, निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन
- गढ़ी कैंट, देहरादून में एमआईसीईई सेंटर के विकास के लिए अवधारणा-सह-व्यवहार्यता रिपोर्ट
- आईटी पार्क, देहरादून में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भवन का निर्माण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देहरादून (यूबीआई) का प्रस्तावित भवन

साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर

साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर

साइट पर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर

- भिलंगना-IIए लघु एचपी (24 मेगावाट) की विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग
- रानीबाग-चिराशिला घाट में इलेक्ट्रिक-सह-गैस फायर्ड शमशान-1 यूनिट, बेहतर लकड़ी के शमशान-2 यूनिट और पारंपरिक शमशान-3 यूनिट का विकास, डिजाइन और स्थापना तथा निविदा दस्तावेज के बीओक्यू में निर्दिष्ट अन्य अनुलग्नक कार्य जिसमें पुष्टि सर्वेक्षण और डिजाइन सहित सभी सामग्रियों, श्रम और टीएंडपी की आपूर्ति शामिल है
- रुड़की क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

- मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) में पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तृतीय पक्ष निगरानी और मूल्यांकन

❖ **उत्तर प्रदेश**

- एमटीपीपी के चरण-II के लिए टोंस नदी में जल उपलब्धता का आकलन करने, इनटेक वेल के प्रकार और स्थान का चयन करने के लिए डेस्क अध्ययन हेतु परामर्शी सेवाएं

साइट फ़ोटोग्राफ़

- खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना में टाउनशिप क्षेत्र, खुर्जा में परियोजना प्रमुख के आवास का निर्माण तथा चामुंडा मंदिर, दशहरा-खेरली का पुनरूद्धार एवं पुनर्निर्माण

निर्माण कार्य, खुर्जा

चामुंडा मंदिर का निर्माण कार्य

- साशनाई (1760 मेगावाट) पीएसपी और शोमा (2400 मेगावाट) पीएसपी के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करना और ईआईए अध्ययन करना
- मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुरादाबाद में कार्यबल की तैनाती के लिए परामर्शी सेवाएँ
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परियोजना कार्यों के लिए क्षेत्र गुणवत्ता आश्वासन और लेखा परीक्षा कार्य
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा दस्तावेजों की डिजाइन और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ और स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत एमएससीएल परियोजना नेटवर्क सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन, क्षमता वृद्धि, विद्युत आपूर्ति के लिए स्काडा का कार्यान्वयन

ट्रांसफार्मर का विघटन

लैटिस टॉवर का निर्माण

- उत्तर प्रदेश परियोजना निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष निगरानी एवं मूल्यांकन कार्य।
- ट्रांस-दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद में आयोजना, डिजाइन, वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) एवं कृत्रिम पुनर्भरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, बोली प्रक्रिया प्रबंधन एवं पीएमसी।

- मथुरा जिले में यमुना नदी (एनडब्ल्यू 110) पर गोकुल बैराज और वृंदावन के बीच रिवर क्रूज/फेरी सेवा संबंधी परियोजना रिपोर्ट।

देवरहा बाबा घाट

- मऊ से तारीघाट तक नई बी.जी. लाइन के निर्माण के संबंध में गाजीपुर और तारीघाट के बीच गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के लिए उप-संरचना, अधिसंरचना और नदी प्रशिक्षण/संरक्षण कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल

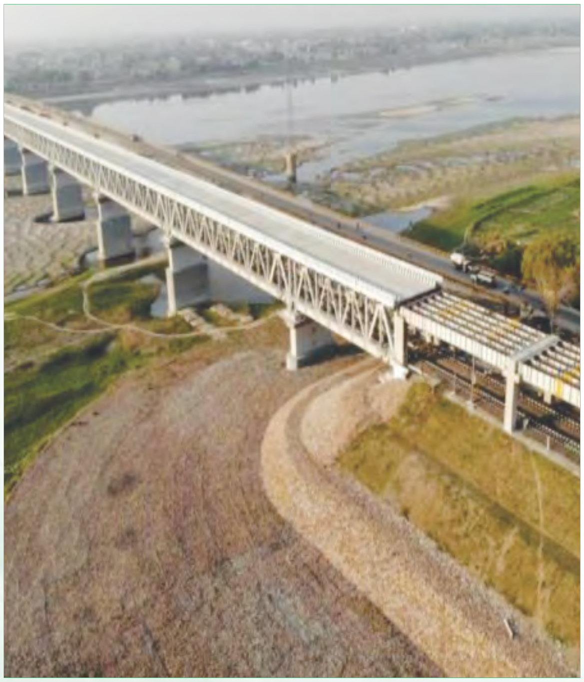

गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल

- सैयदपुर भीतरी में इलेक्ट्रिक लोको शेड की स्थापना के संबंध में पीईबी शेड, संरचना, भवन के निर्माण, जलापूर्ति व्यवस्था, जल निकासी, सीवरेज, सड़क कार्य, ट्रैक कार्य, विद्युत आपूर्ति और सामान्य विद्युत कार्य, ओएचई कार्य, सिग्नल और दूरसंचार कार्य और मशीनरी और संयंत्र की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

प्रशासन भवन, दुल्लहापुर

हैवी रिपेयर्स बे, सैय्यदपुर भीतरी

- नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) में रखरखाव सेवाएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत जालौन, ललितपुर, बागपत और मेरठ जिलों में लाभार्थी केन्द्रित वाली निर्माण परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अर्थात 200 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) अस्पताल, गाजियाबाद की अवधारणा से लेकर शरूआत तक
- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन कार्यों के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), आगरा को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग करना

डबल पोल निर्माण कार्य

एबी केबल निर्माण कार्य

डीटी मीटर संस्थापन

- संशोधित सुधार आधारित और परिणाम से संबंधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन कार्यों के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल), वाराणसी को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग

परियोजना आरंभ बैठक

डीटी मीटर संस्थापन

- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (केस्को), कानपुर को परियोजना प्रबंधन में सहायता एवं सहयोग प्रदान करना।

खुले कंडक्टर/क्षतिग्रस्त केबल को एबी केबल से बदलना

भूमिगत केबल बिछाने का उत्खनन कार्य प्रगति पर

- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), लखनऊ को परियोजना प्रबंधन में सहायता एवं सहयोग करना।

फीडर सेग्रीगेशन कंडक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य

फीडर सेग्रीगेशन कंडक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य

एबी केबल निर्माण कार्य

- नोएडा में रैनी वेल्स के साथ-साथ ट्यूबवेल, डिस्चार्ज/गुणवत्तापूर्ण जल बनाए रखने संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन

❖ **पश्चिम बंगाल**

- "श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के शिपिंग चैनल में हुगली मुहाने में रखरखाव ड्रेजिंग" की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष

रेन बोइंग विधि द्वारा ड्रेजिंग

पारंपरिक विधि द्वारा ड्रेजिंग

- जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), कूच बिहार में चरण-क कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ
- फरक्का बैराज परियोजना के तहत अनुपयोगी वस्तुओं/मशीनों के निपटान के लिए परामर्शी सेवाएँ
- विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा वित्तपोषित पश्चिम बंगाल वृहत सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी) के लिए निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) सलाहकार
- डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के तहत जलढाका हाइडल परियोजना के बिंदु बैराज के गेट, इनटेक गेट, स्टॉप लॉग गेट के पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन और गैंट्री क्रेन तथा होइस्ट मशीनरी आदि की ओवरहालिंग और सर्विसिंग के लिए डिजाइन, ड्राइंग, आकलन और बोली दस्तावेजों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/विस्तृत पुनर्वास रिपोर्ट तैयार करना।
- हावड़ा नगर पालिका निगम (एचएमसी) की व्यापक तूफानी जल निकासी योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करना।

- पश्चिम बर्दवान , रानीगंज क्षेत्र, आसनसोल ज़िले में अंडाल (बीएपीएल भूमि) में दक्षिणखंडा मौजा में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए निर्माण का पर्यवेक्षण

- उत्तर 24 परगना जिले में हाबरा-गाईघाटा और आसपास आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम के टर्नकी कार्यों का पर्यवेक्षण और परियोजना निगरानी

- पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के तहत रम्मम चरण-1 एचईपी की परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट और विवरण परियोजना रिपोर्ट को सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ अद्यतन करना, और परियोजना भूमि सीमांकन और वन/वन्यजीव मंजूरी के लिए सहायता प्रदान करना।

रम्मम नदी पर प्रस्तावित बांध स्थान, जीएसआई दौरा और सर्वेक्षण कार्य

- कुलबेरा और कथलाजल पंप स्टोरेज परियोजना, पुरुलिया के परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

- तुर्गा पंप्ड स्टोरेज परियोजना (1000 मेगावाट) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

प्रस्तावित निचला बांध स्थल

संयुक्त स्थल दौरा

भू-तकनीकी जांच

- सभी वैधानिक स्वीकृतियों के साथ तीस्ता इंटरमीडिएट एचईपी और लो डैम-वी एचईपी की पीएफआर और डीपीआर तैयार/अद्यतन करने के लिए परामर्शी और इंजीनियरिंग सेवाएं और संबद्ध सर्वेक्षण एवं जांच कार्य उपलब्ध कराना, और परियोजना भूमि सीमांकन और वन/वन्यजीव स्वीकृति के लिए सहायता उपलब्ध कराना
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सभी प्रकार की योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कोलकाता महानगर क्षेत्र में अंतर्देशीय जल परिवहन सुधार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एफएसईजेड) में मरम्मत और निर्माण कार्य
- आईआईटी खड़गपुर में नई जल आपूर्ति परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं
- आसनसोल के रानीगंज क्षेत्र में बिजॉयनगर और दासकेरी में अन्य सुविधाओं के साथ 3024 फ्लैटों के निर्माण कार्य के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु निर्माण पर्यवेक्षण
- कोलकाता के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में 24 स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन का निर्माण

- 8-रसेल स्ट्रीट, कोलकाता में असम हाउस के पुनर्निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ

8-रसेल स्ट्रीट पर असम हाउस का समसमितीय दृश्य

कार्यस्थल पर बेसमेंट राफ्ट (ज़ोन-II) सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर

कॉलम 1 लिफ्ट (ज़ोन-I) साइट पर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर

साइट पर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर

संघ राज्य क्षेत्र

❖ अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह

- डॉलीगंज जंक्शन से नॉर्थ बे तक अंडमान मरीन ड्राइव (एएमडी) सड़क के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- पोर्ट ब्लेयर में विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर/क्रॉसओवर और अंडर पास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- प्रेम नगर जंक्शन से डुंडास पॉइंट जेट्टी तक अंडमान मरीन ड्राइव (एएमडी) के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कैंपबेल बे, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जेट्टी और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- मन्नारघाट, दक्षिण अंडमान में कोआला नाला जल आपूर्ति योजना के विकास के लिए वैधानिक स्वीकृति में सहायता प्रदान करने सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करना

भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच के लिए परियोजना स्थल पर सीएसएमआरएस, जीएसआई, एपीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा निरीक्षण

परियोजना स्थल का भू-वैज्ञानिक मानचित्रण

❖ दिल्ली

- यमुना बाढ़ मैदानों के साथ डीएनडी फ्लाईओवर के दोनों ओर से पुराने ओखला बैराज और कालिंदी कुंज से जैतपुर तक भूमिजल के निष्कासन द्वारा जलापूर्ति में वृद्धि के लिए परामर्शी सेवाएँ
- नांगलोई डब्ल्यूटीपी और आस-पास के क्षेत्रों में एकल स्रोत चयन आधार (एसएसएस) पर भूमिजल के निष्कासन द्वारा पेयजल आपूर्ति में वृद्धि के लिए परामर्शी सेवाएँ
- नए एसपीजी परिसर, द्वारका सेक्टर-21 के निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी सिविल कार्यों, आंतरिक और बाह्य विद्युत कार्यो आदि सहित व्यापक वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (दिन-प्रतिदिन) और विशेष मरम्मत
- सेक्टर-30, रोहिणी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (सीबीएसई) क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण

दिल्ली में प्रस्तावित सीबीएसई आरओ भवन का सामने का हिस्सा

भूतल का निर्माण कार्य पूरा हो गया

- धौला कुआं में 120 व्यक्तियों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण
- मानसिंह रोड पर भारत के महापंजीयक कार्यालय के लिए बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण

भवन का सामने का दृश्य

भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा परियोजना का उद्घाटन

- द्वारका क्षेत्र में मीठे पानी के साथ-साथ पूरी दिल्ली में खारे पानी की खोज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित अपशिष्टों के पुन: उपयोग के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निविदा दस्तावेज
- द्वारका में दूसरे 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र और इसके संबद्ध संरचनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और निर्माण पर्यवेक्षण, जिसमें विभिन्न जलाशयों के लिए कच्चे जल के पंपिंग स्टेशनों और ट्रांसमिशन मेन में संशोधन शामिल हैं।
- किराड़ी विधानसभा की ड्रेनेज परियोजना के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं
- एनसीटी दिल्ली में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम भूमिजल पुनर्भरण की लागत अनुमानों सहित आयोजना और कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- दिल्ली मेट्रो परियोजना, चरण-IV के सभी छह कॉरिडोर (तुगलकाबाद से आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल-1, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, जनकपुरी से आर.के. आश्रम, मजलिस पार्क से मौजपुर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ) के लिए जलापूर्ति व्यवस्था की व्यापक एकीकृत योजना

❖ **जम्मू और कश्मीर**

- जम्मू सर्किल परियोजना के शहरी क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के शेष कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- जम्मू प्रांत में लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- कश्मीर प्रांत में लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- केंद्र प्रायोजित बार्बेड वायर योजना, चरण-I के लिए अवधारणा से शुरूआत तक परियोजना की देखरेख सहित डिजाइन, इंजीनियरिंग, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, क्षेत्र निरीक्षण और समग्र अनुबंध प्रशासन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी
- जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कार्यालय भवनों और आवासीय भवनों का निर्माण
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक स्कीम में स्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष सत्यापन एजेंसी
- रियासी जिले में रेलवे संरेखण के साथ जल की कमी और इसके उपचारी उपायों के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन और विस्तृत रिपोर्ट और अनुमान प्रस्तुत करना

❖ **लद्दाख**

- प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) शहरी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी सेवाएँ
- 1x 6.3 एमवीए, 66/11 केवी, 1X3.15 एमवीए, 66/11 केवी रिसीविंग स्टेशन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श, कारगिल जिले में मौजूदा रिसीविंग स्टेशनों के बीच ओपीजीडब्ल्यू संचार तार बिछाना
- फ्यांद लेह में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र का निर्माण और स्थापना

- लद्दाख पुलिस विभाग के लिए विभिन्न भवनों का निर्माण

- लेह और कारगिल जिलों में खेल परिसर का निर्माण
- ग्रामीण विकास विभाग के लिए विभिन्न कार्यों का निर्माण

चोसकोरे बी में तालाब का निर्माण

आइस हॉकी रिंग (शारा) का निर्माण

- 9 मेगावाट दाह और 9 मेगावाट हनु एचईपी से विद्युत निकासी के लिए 66 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

हेड वर्क्स दाह एसएचपी

पावर हाउस दाह एसएचपी

ट्रांसमिशन लाइन - 66 केवी (दाह - हनु - खाल्स्ते) के लिए जारी आधारशिला कार्य

ट्रांसमिशन लाइन- 66 केवी (दाह - हनु - खाल्स्ते) के लिए डीबी टॉइप का टावर संस्थापन

❖ पांडिचेरी

- इंदिरा गांधी खेल परिसर , उप्पलम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाने और उससे संबंधित कार्य

सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक

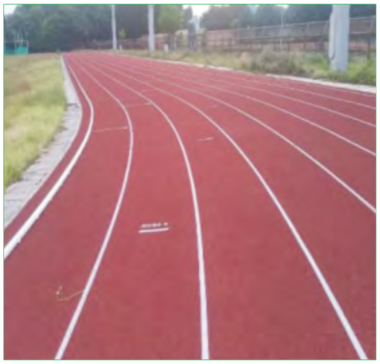

लाइन मार्किंग

डी क्षेत्र

❖ बहु-राज्यीय परियोजनाएँ

- भारत के 14 क्षेत्रों में केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श और अन्य संबद्ध इंजीनियरिंग और वास्तुगत सेवाएं

विरुगमबक्कम, तमिलनाडु में प्रीफ़ैब बिल्डिंग वेयरहाउस

राजस्थान के सीतापुरा में प्रीफ़ैब बिल्डिंग वेयरहाउस

- भाखड़ा-नांगल और पोंग शाह नहर स्थलों पर बीबीएमबी में पंपड स्टोरेज परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भोपाल, झांसी और छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) कार्यालयों का नवीकरण और साज-सज्जा
- अटल भूजल योजना के तहत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी
- भारत में रिवर क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक कार्य योजना और विस्तृत रोड मैप तैयार करना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की निगरानी और प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना
- बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करना
- भारत सरकार के जलापूर्ति संबंधी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल में संशोधन और इसे तैयार करना

- प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के वन क्षेत्र में एक प्रायोगिक वाटरशेड के लिए लिडार सर्वेक्षण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण पश्चिम रेलवे के बैंगलोर डिवीजन के येलहंका (छोड़कर) - पेनुकोंडा (शामिल) (152 टीकेएम) के बीच दूसरी लाइन के रेलवे विद्युतीकरण के लिए 25 केवी, 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज, ट्रैक्शन ओवर हेड उपकरण, स्विचिंग स्टेशन, टीएसएस, स्काडा और अन्य संबंधित कार्यों और विद्युत सामान्य सेवा कार्यों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) XI योजना चरण-II के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानी।
- उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा राज्यों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) XII योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानी।
- राज्यों/अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एमईएससीओएम (कर्नाटक), सीईएससीओएम (कर्नाटक), जीईएससीओएम (कर्नाटक), पीएसवीवीएनएल (यूपी), पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल के डिस्कॉम में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) न्यू के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानी।
- उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानी।
- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत तृतीय पक्ष समवर्ती मूल्यांकन एजेंसी (टीपीसीईए)
- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एनजीपी मंडल के छिंदवाड़ा - कलुम्ना 142 आरकेएम / 172 टीकेएम सेक्शन के बीच 25 केवी, 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज, ट्रैक्शन ओवरहेड उपकरण, स्विचिंग स्टेशन, ट्रैक्शन सब-स्टेशन, स्काडा, सामान्य विद्युत सेवा कार्यों के साथ-साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्य अर्थात सेवा भवन, क्वार्टर, टीडब्ल्यू साइडिंग, टीएसएस क्रॉस ट्रैक और अन्य संबद्ध कार्य की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

15. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन समग्र प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की मुख्य संपदा होने के कारण कर्मचारियों को तेजी से बदलती तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है।

31 मार्च, 2024 को कंपनी में नियमित कर्मचारी क्षमता 929 है। इसके अलावा, भारत और विदेशों में परियोजना कार्यों की आवश्यकता के अनुसार अनुबंधित कर्मचारी, परामर्शदाता, प्रतिनियुक्ति और विशेषज्ञों को रखा जाता है। ऐसे विशेषज्ञों के पास मौजूद तकनीकी ज्ञान को कंपनी ने अपने इंजीनियरों में स्थानांतरित किया गया है ताकि उन पर निर्भरता को कम किया जा सके।

कंपनी में युवा कर्मचारियों के बड़े अनुपात को ध्यान में रखते हुए, कंपनी में जनसांख्यिकीय बदलाव देखा गया है। कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उत्साहवर्धन हेतु, मानव संसाधन प्रभाग ने विभिन्न उपाय किए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी के टर्नओवर में वृद्धि हुई है। मानव संसाधन प्रभाग श्रमशक्ति में सीमित वृद्धि के साथ अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने और कर्मचारियों को प्रेरित करके कार्य प्रतिबद्धताओं में वृद्धि को प्राप्त करने में सफल रहा है।

एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/पूर्व-सैनिकों की नियुक्ति

कंपनी आरक्षण नीतियों के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का पालन करती है। तदनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के संबंध में सरकार के दिशानिर्देश/अनुदेश और पूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए कंपनी में भती और पदोन्नति के दौरान ध्यान दिया गया /दिया जाता है। इन वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को उचित तरीके से पालन करने संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार रोस्टर अनुरक्षित किया जाता है। चयन समिति में कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान सेवा मामलों में सरकारी निर्देशों के अनुसार कंपनी ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के स्तर को भी बनाए रखा है।

वर्ष के दौरान, पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन/ आवेदन आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा पदों को अधिसूचित कर भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी। अधिकांश पदों पर चयन कर लिया गया है और चयनित अभ्यर्थियों ने कंपनी में पदभार ग्रहण कर लिया है।

कंपनी में भर्ती के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 बिंदु कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों/मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन किया जाता है। तदनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी नियुक्तियों को रिक्तियों को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उन भाषाओं में भी जो राज्य/संघ क्षेत्र में बड़ी संख्या में बोली जाती हैं, समाचार पत्रों और वाप्कोस वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। यहां तक कि चयन बोर्ड में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर भी उचित ध्यान दिया गया है।

दिव्यांगजनों की नियुक्ति

कंपनी में दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीएमडी/भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण नीतियों पर सरकार के दिशा-निर्देशों/निर्देशों को लागू करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने हेतु एक अलग संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है जो ओबीसी संबंधी आरक्षण नीति पर सरकार के दिशा-निर्देशों/निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाता है। संगठन में बहुत सी महिला कार्मिक महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन हैं। कंपनी में कैरियर विकास और उन्नति हेतु महिलाओं को उच्च अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है।

महिलाओं के लिए शिकायत तंत्र

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए कंपनी में एक शिकायत तंत्र स्थापित किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इसके सदस्यों द्वारा इसकी आवधिक बैठकें आयोजित की जाती है।

छात्रवृत्ति योजना

कंपनी की नीति के अनुसार, 24000-82000 रुपये या उससे नीचे के वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों के 24 बच्चों, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, प्रत्येक को योग्यता के क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उर्जा संरक्षण

एक परामर्शी संगठन होने के नाते, वाप्कोस के संचालन में ऊर्जा की कोई विशेष खपत नहीं होती है। हालाँकि, जहाँ भी संभव हो, एलईडी बल्बों और ऊर्जा बचत वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र जलवायु क्षेत्र में स्थित वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव कार्यालय को बीईई 4 (****) लेबल प्रदान किया है।

कर्मचारी शिकायत निवारण

कंपनी द्वारा स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ, कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु कार्य कर रहा है। कंपनी द्वारा नामित कर्मचारी शिकायत निदेशक को शिकायतों के संबंध में फाइलों/कागजातों को मंगाने और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की मंजूरी के साथ इसके निपटान संबंधी निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

16. वाप्कोस में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निरंतर बल दिया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के मार्गदर्शन में वाप्कोस में दिनांक 14.09.2023 से 29.09.2023 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। वाप्कोस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपना आधिकारिक कार्य हिंदी में करें ताकि उन्हें भविष्य में में अधिकतम आधिकारिक कार्य हिंदी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कंपनी में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:
  - हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता
  - चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता
  - राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता
  - हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए)

हिन्दी पखवाड़े के दौरान, उक्त प्रतियोगिताओं के अलावा निम्नलिखित दो योजनाएं भी लागू की गई:-

- विशेष अल्पकालिक राजभाषा नकद पुरस्कार योजना (टिप्पण/लेखन)
- हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण में कार्य करने की विशेष अल्पकालिक नकद पुरस्कार योजना।

हिंदी पखवाड़ा 2023

- हिंदी पखवाड़े के दौरान दिनांक 26.09.2023 को वाप्कोस में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में जल शक्ति मंत्रालय के श्री विजय सिंह मीना, निदेशक (रा.भा.) को आमंत्रित किया गया जिन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी कार्मिकों को राजभाषा नियमों व अधिनियमों की जानकारी दी तथा वाइस टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया। इसके साथ-साथ उन्होंने कार्मिकों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में दिये गए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में जानकारी भी दी। इस हिन्दी पखवाड़े के दौरान, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (विराकास) की एवं बैठक भी आयोजित की गई।

हिंदी पखवाड़ा 2023

राजभाषा निरीक्षण

- सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी उपयोग की समीक्षा हेतु संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 10.05.2023 को वाप्कोस के पटना कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 13.05.2023 को वाप्कोस के पंचकुला कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण अमृतसर में किया गया।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 24.05.2023 को वाप्कोस के देहरादून कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

- सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी उपयोग की समीक्षा करने हेतु संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 23.06.2023 को वाप्कोस के लखनऊ कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 10.07.2023 को वाप्कोस के गांधीनगर कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण राजकोट (गुजरात) में किया गया।

- संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा दिनांक 09.11.2023 को वाप्कोस के भुवनेश्वर कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण भुवनेश्वर में किया गया।

नराकास गतिविधियां

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) गुरूग्राम की पहली छमाही बैठक दिनांक 19.07.2023 को गुड़गांव कार्यालय के समिति कक्ष में श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्य और मानव संसाधन विकास) और अध्यक्ष, विराकास, वाप्कोस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नराकास, गुड़गांव के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि और हिंदी अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय -1 (दिल्ली), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी इस बैठक में उपस्थित थे।

- वर्ष 2023-24 की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) गुरूग्राम की दूसरी छमाही की बैठक वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष नराकास, गुरूग्राम श्री आर.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2023 को गुरूग्राम कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। नराकास, गुरूग्राम के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख अथवा या उनके प्रतिनिधि और हिंदी अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

- वाप्कोस द्वारा दिनांक 28.06.2023 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) गुरूग्राम के तत्वावधान में "हिंदी निबंध प्रतियोगिता - नदियों में बढ़ता प्रदूषण" का आयोजन किया, जिसमें नराकास, गुरूग्राम के विभिन्न सदस्य कार्यालयों से 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विराकास बैठकें/कार्याशालाएं

- वर्ष 2023-24 के दौरान, श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणि. एवं मा.सं. वि.) और अध्यक्ष, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की गई।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, वाप्कोस में प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में व्याख्यान देने हेतु जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों को

आमंत्रित किया गया। इन कार्यशालाओं में निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिए गए और व्यावहारिक अभ्यास कराए गए:-

- ❖ वॉयस टाइपिंग
- ❖ राजभाषा नियमों/अधिनियमों के बारे में जानकारी
- ❖ कार्यालय कामकाज में हिंदी के उपयोग से संबंधित नियमों और कार्यालयी कामकाज में हिंदी की मूलभूत जानकारी और व्यावहारिक पत्राचार संबंधी जानकारी
- ❖ टिप्पण और प्रारूपण का व्यावहारिक अभ्यास

कर्मचारियों ने इन कार्यालशालाओं में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

जल शक्ति मंत्रालय की बैठकें

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली बैठक से संबंधित समीक्षा बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 08.02.2024 को जल शक्ति मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में वाप्कोस से श्री प्रदीप कुमार, वरि.कार्यकारी निदेशक (प्रशा. एवं रा.भा.का.) तथा श्री दलीप कुमार सेठी, उप मुख्य प्रबन्धक (रा.भा.का.) द्वारा भाग लिया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय निरीक्षण

- राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी स्थिति का जायजा लेने हेतु श्री दलीप कुमार सेठी, उप मुख्य प्रबन्धक (रा.भा.का.) द्वारा क्रमश: दिनांक 08.05.2023 को पटना कार्यालय तथा दिनांक 12.09.2023 को वाप्कोस के पुणे कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

सेमिनार में सहभागिता

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 व 15 सितम्बर 2023 को हिंदी दिवस व तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया। इस सम्मेलन में वाप्कोस की ओर से श्री दलीप कुमार सेठी, उप मुख्य प्रबन्धक (रा.भा.का.), राजेन्द्र कुमार, उप प्रबन्धक, शशांक राणा, कार्यालय प्रबन्धक, श्री बालकृष्ण, परियोजना प्रबन्धक, पुणे कार्यालय, श्रीमती रीता बर्मन, अपर मुख्य अभियंता, पुणे कार्यालय, श्री रामदास कदम, कनि.सहायक, पुणे कार्यालय ने भाग लिया।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.12.2023 को क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर, राजस्थान में किया गया। इस सम्मेलन में वाप्कोस लिमिटेड की ओर से श्री दलीप कुमार सेठी, उप मुख्य प्रबन्धक (रा.भा.का.) द्वारा भाग लिया गया।

विविध

- वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार की तकनीकी रिपोर्ट, वाप्कोस प्रस्तुति, वाप्कोस संगठन चार्ट, विभिन्न कार्य आदि द्विभाषी रूप में तैयार किए गए।
- वर्ष के दौरान, वाप्कोस की हिन्दी गृह पत्रिका 'वाप्कोस दर्पण' का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया
- कम्पनी का समझौता ज्ञापन द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

- हिंदी में काम करने की सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई।
- जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति हेतु वाप्कोस के प्रस्तुतीकरण और कार्यान्वित की जा रही, वाप्कोस की परियोजनाओं के विवरण हिंदी में तैयार किये गए।
- परियोजना रिपोर्टों के कार्यकारी सार हिन्दी में तैयार किए गए।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
- अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित और उत्साहित करने के प्रयास भी किए गए।

17. सतर्कता

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई के अधिदेश के साथ और सतर्कता प्रशासन पर सामान्य पर्यवेक्षण हेतु एक शीर्ष समेकित संस्था है। आयोग भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में बहु-दीर्घकालिक पद्धति को अपनाता है जिसमें निवारक, दंडात्मक और सहभागी सतर्कता उपाय शामिल हैं। देश के नागरिकों में सत्यनिष्ठा की भावना को विकसित करने के एक प्रयास के रूप में, आयोग विभिन्न हितधारकों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में सामूहिक रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है।

इस संबंध में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 02.08.2023 के परिपत्र (संख्या 023/वीजीएल/035/556449) के, अनुसार, आयोग ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2023 मनाने का निर्णय लिया, जिसका विषय था **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे; Say no to corruption; Commit to the Nation".**

आयोग की वांछा थी कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के पूर्वाभास के रूप में, सभी संगठनों को निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों के साथ तीन महीने के अभियान (16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023) आयोजित करें :-

क. जनहित प्रकटीकरण और सूचनाकर्ताओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के संबंध में जागरूकता निर्माण

ख. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ग. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन

घ. शिकायत निपटान हेतु आईटी का लाभ

ङ. परिपत्र/निर्देश/नियमावलियों को अद्यतन करना

च. 30-06-2023 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान

वाप्कोस के सतर्कता अनुभाग ने आयोग द्वारा यथानिर्देशित सभी उपायों को संबंधित विभागों को जानकारी दी गई और यह सुनिश्चित करते हुए कि निवारक सतर्कता उपायों को अपनाया गया, संबंधित विभागों से पखवाड़े की अनुपालन रिपोर्ट एकत्र की गई।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

पीआईडीपीआई के संबंध में जागरूकता हेतु उठाए गए कदम

बैनर

स्टैन्डी

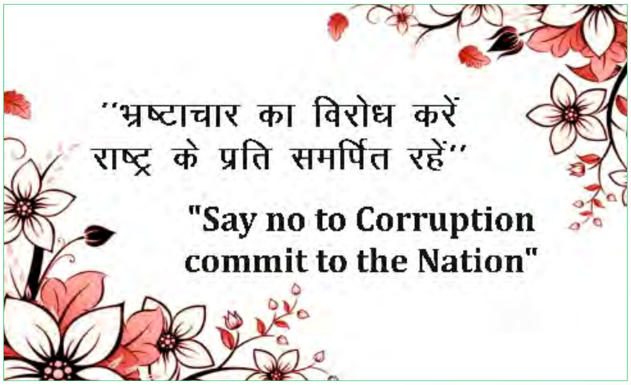

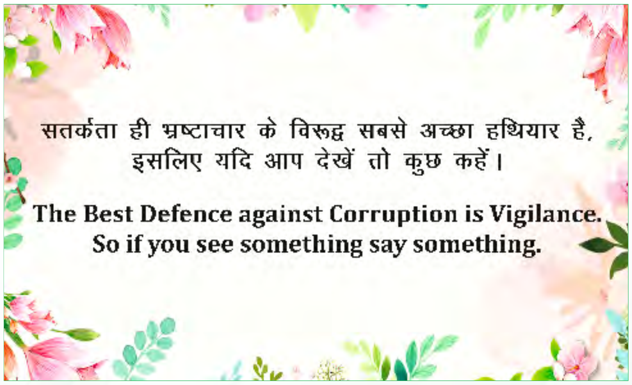

भ्रष्टाचार से संबंधित नारे वाले पोस्टर

i) सीवीसी द्वारा अग्रेषित पीआईडीपीआई पोस्टर को और अधिक सरल बनाया गया और हिंदी क्षेत्र के लोगों को आसानी से समझ में आ जाये इसके लिए निर्धारित सामान्य प्रारूप के अलावा इसे फिर से डिजाइन किया गया और इसे भारत के सभी कार्यालयों में प्रदर्शित करने हेतु भेजा गया और गुड़गांव में वाप्कोस के निगमित कार्यालय में भी इसे प्रदर्शित किया गया।

ii) सभी कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे कार्यालयों/परियोजना कार्यालय परिसर और साथ ही कार्यालय के 1 किमी के दायरे में विभिन्न स्थानों पर पीआईडीपीआई संकल्पों से संबंधित द्विभाषी और क्षेत्रीय भाषा के पोस्टर/बैनर प्रदर्शित करके पीआईडीपीआई जागरूकता अभियान चलाएं ताकि जनता के मध्य इस संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पोस्टरों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और 4 कार्यालयों, नामत: गांधीनगर, हैदराबाद, पोलावरम और चेन्नई में इन्हें प्रदर्शित किया गया।

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (PIDPI)

क्या आप के आस-पास भ्रष्टाचार है
और अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं तो
PIDPI
के तहत शिकायत दर्ज कराएं

PIDPI क्या है?	• लोकहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता के संरक्षण के संकल्प के तहत की गई शिकायतों को PIDPI शिकायत कहा जाता है। यह भारत सरकार का एक संकल्प है। • इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
PIDPI शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?	• शिकायत को सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए एवम नीचे दिये गए पते पर भेजा जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "PIDPI" अंकित किया जाना चाहिए। • शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि अंदर बंद लिफे पत्र में अंकित होना चाहिए।
शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने के लिए दिशानिर्देश।	• ऐसी शिकायतें जिनमें शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों से संबंधित हैं, जिनसे शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा हो सकता है उनको PIDPI द्वारा भेजना चाहिए। • शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए। • पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए जैसे आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़। • ऊपर वाले लिफाफे पर अपना नाम और पता ना लिखें परंतु अंदर बंद शिकायती पत्र पर अपना नाम व पता अवश्य लिखें। • जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाता है। • गुमनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

शिकायत भेजने का पता :
सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023

नई दिल्ली- 110023
अधिक जानकारी के लिए https://www.cvc.gov.in पर जायें
वाप्कोस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 18, गुरुग्राम, हरियाणा - 122015

वाप्कोस के निगमित कार्यालय के प्रवेश गेट पर पीआईडीपीआई पोस्टर लगाये गये

रांची परियोजना कार्यालय के पास विभिन्न स्थानों पर पीआईडीपीआई संकल्प पोस्टरों को लगाया गया

एसबीआई अशोक नगर, रांची के पास

बैंक ऑफ इंडिया, अशोक नगर, रांची

राजमुंदरी की तस्वीरें

आरटीसी बस स्टॉप, लालाचेरुवु

एचबी कॉलोनी

सीटीआरआई भास्कर नगर

डी मार्ट क्वारी जंक्शन

iii) "विशेष अभियान 3.0 और निवारक सतर्कता" पर सम्मेलन के दौरान 30-10-2023 को नई दिल्ली, अकबर रोड स्थित गरवी गुजरात भवन में पीआईडीपीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक/सड़क नाटक का आयोजन किया गया।

iv) पीआईडीपीआई के बारे में जागरूक बनाने वाले, आयोग द्वारा अग्रेषित जिंगल को भारत और विदेश में सभी वाप्कोस कार्यालयों को भेजा गया। इस जिंगल का प्रदर्शन नई दिल्ली के गरवी गुजरात भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान किया गया। वाप्कोस गुरुग्राम कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में वाप्कोस के कर्मचारियों के लिए आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता और गुरुग्राम के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरहौल में आयोजित प्रतियोगिताओं के दौरान भी इस जिंगल का प्रदर्शन किया गया।

v) वाप्कोस एवं एनपीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 30-10-2023 को नई दिल्ली के गरवी गुजरात भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान "वाप्कोस एवं एनपीसीसी में किए गए प्रणालीगत सुधारों का प्रभाव और पीआईडीपीआई शिकायत" विषय पर पर एक प्रस्तुति दी।

क्षमता निर्माण के अंतर्गत उठाए गए कदम

i) आईओ/पीओ हेतु प्रशिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत दो अधिकारियों नामत : श्री आशीष शर्मा, अपर मुख्य प्रबंधक (विधि) और श्रीमती श्वेता पसरीजा, प्रबंधक (मा.सं.) ने 25 से 27 सितंबर, 2023 तक सीबीआई अकादमी, गाज़ियाबाद में आयोजित 3-दिवसीय ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम में भाग लिया।

ii) सार्वजनिक खरीदारी पर प्रशिक्षण के दौरान 29 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के GeM विभाग द्वारा किया गया।

iii) नैतिकता और अभिशासन पर प्रशिक्षण के दौरान 37 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन कार्यनीतिक मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण द्वारा किया गया।

iv) 28 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता और सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन वाप्कोस के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा किया गया था।

परिपत्रों/निर्देशों/नियमावलियों का अद्ययतीकरण

- नवंबर 2022 से अब तक के सभी प्रासंगिक परिपत्र/दिशा- निर्देशों को मानव संसाधन विभाग से एकत्र किया गया और जारी किए कार्यालय आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों के संग्रह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के दौरान अद्यतन किया गया।
- महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों/नियावलियों जैसे वाप्कोस आर एंड पी नियम, सीडीए नियम और यौन उत्पीड़न निवारण विवरण को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया।

भ्रष्टाचार के खतरों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उपयोग एक साधन के रूप में करने के उद्देश्य से वाप्कोस द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023 का आयोजन किया।

सप्ताह को पूरे उत्साह के साथ मनाने और जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वाप्कोस द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की गई:

1. जन जागरूकता पैदा करने हेतु सप्ताह के प्रथम दिन - 30.10.2023 को गरवी गुजरात भवन, नई दिल्ली के अकबर रोड़ में "विशेष अभियान 3.0 और निवारक सतर्कता" पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन में, सुश्री देवश्री मुखर्जी आईएएस, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इससे सतर्कता जागरूकता के महत्व के संदेश को संगठन में उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद मिली।

2. यह सुनिश्चित करने हेतु कि यह संदेश पूरे संगठन में प्रसारित हो, सप्ताह की शुरुआत सभी अधिकारियों को एक साथ सत्यनिष्ठा शपथ दिलाने के साथ की गई इस शपथ को सम्मेलन कक्ष में भौतिक रूप से उपस्थित और साथ ही भारत और विदेशों में वाप्कोस और एनपीसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य सभी अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन मोड से लिया गया।

3. सम्मेलन के दौरान, विवेक हाई स्कूल, सेकटर-39, गुरुग्राम के छात्रों को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

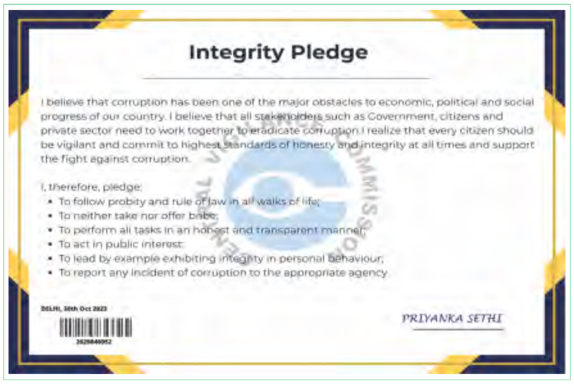

4. वाप्कोस एवं एनपीसीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आर.के. अग्रवाल ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को उजागर किया और सभी को इसके विरूद्ध संघर्ष करने हेतु एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया।

5. वाप्कोस एवं एनपीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अनुपम चंद्रा ने "वाप्कोस एवं एनपीसीसी में किए प्रणालीगत सुधारों के प्रभाव और पीआईडीपीआई शिकायतों" पर एक प्रस्तुति दी।

6. सम्मेलन के दौरान, वाप्कोस और एनपीसीसी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वाप्कोस के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा द्वारा करने और न करने संबंधी एक शिक्षाप्रद सत्र आयोजित किया गया और अनुभव साझा किए गए।

7. 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान वाप्कोस के कार्यालयों में **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे; Say no to corruption; Commit to the Nation"** संबंधी बैनर/स्टैंडियों का प्रदर्शन किया गया।

8. कार्यालय परिसर में **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे; Say no to corruption; Commit to the Nation"** से संबंधित नारे वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

9. बच्चे ही कल के नागरिक हैं और इसलिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। गतिविधियों की योजना इस प्रकार तैयार की गई कि उन्हें भ्रष्टाचार के खतरों और इस बारे में सोचने के लिए तैयार किया गया कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह समाज के और अधिक विनाश का कारण बन सकता है। इसके लिए, निम्नलिखित गतिविधियों की योजना तैयार की गई:

क. दिनांक 01-11-2023 को कर्मचारियों के 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए "भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमों का पालन करें" विषय पर एक

चित्रकला प्रतियोगिता और 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे; Say no to corruption; Commit to the Nation"** विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

ख. आम आदमी विशेष रूप से, समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति के बच्चे ही भ्रष्टाचार का सर्वाधिक शिकार बनते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, गुड़गांव के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरहौल से संपर्क किया गया, जहां ज्यादातर आम आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल के तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता और पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

कार्यक्रम को सफल और बच्चों के लिए यादगार बनाने के लिए सभी बच्चों को खाने के पैकेट और स्टेशनरी वाले सहभागिता उपहार वितरित किए गए।

10. भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता फैलाने और 2023 सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाये जाने को प्रचारित करने हेतु वाप्कोस लिमिटेड द्वारा फेसबुक, एक्स. कॉम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया।

11. दिनांक 02-11-2023 को वाप्कोस के कर्मचारियों के लिए **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे; Say no to corruption; Commit to the Nation"** विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इस संबंध में वाप्कोस के सभी फील्ड/क्षेत्रीय/विदेशी कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया गया।

18. डिजिटाइजेशन

प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के लिए, प्रबंधन ने कर्मचारी अनकूल वातावरण बनाने के लिए पेपर रहित कार्यालय की संकल्पना की है। हमने पहल की और हमारे संगठन को अधिक दक्ष, निर्बाध पारदर्शी कार्य परिवेश व डिजिटल वाप्कोस बनाने के लिए विभिन्न आईटी गतिविधियों का कार्यान्वयन किया है। आईटी प्रभाग ने कम्पनी को अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित आईटी सेवाएं उपलब्ध करवाईः

- अनुबंध कार्यों के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से ई-निविदाकरण
- वस्तु और सेवाओं के लिए जेम पोर्टल प्रापण
- ई-ऑफिस
- विडियो कांफ्रेंसिंग

19. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में पहचाने गए, जोखिम वाले क्षेत्रें में पूर्णता/बाजार हिस्सेदारी जोखिम, मानव संसाधन जोखिम, बीमा जोखिम, रियलाइजेशन जोखिम, प्रणाली जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम, व्यवसाय प्रचालन जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अनुबंध निर्माण और निष्पादन जोखिम कानूनी जोखिम, आपदा जोखिम शामिल हैं। इन पहचाने गए जोखिमों के उपशमन के लिए कार्य योजना जोखिम प्रबंधन नीति में निहित है। विभागों के प्रमुख जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा भी उनके कामकाज से संबंधित क्षेत्रों पर लागू होता हो, और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के लिए छमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आंतरिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। वाप्कोस में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई नीतियां/योजनाएं हैं और इसका व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। आवधिक रूप से परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी के प्रचालन में लागू लेखा मानकों और वित्तीय रिर्पोटिंग नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। सभी पुस्तिकाओं, रिकार्ड़ों, लेखाओं और वित्तीय विवरणों को उचित विवरण सहित अनुरक्षित किया जाता है तथा यह कंपनी के लेनदेन में प्रतिबिंबित होता है और प्रयोज्य कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

कंपनी के बढ़ते व्यावसायिक कार्यक्षेत्र को देखते हुए, कंपनी मौजूदा कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस दिशा में उठाए गए ऐसे कदमों के अंतर्गत, कंपनी ने कंपनी की तेजी से बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियामक ढांचे के अनुरूप ईआरपी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय निर्णय नवीनतम जानकारी पर आधारित हों, उपयोगकर्ताओं को समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

21. सांविधिक लेखा परीक्षक

सीएंडएजी ने अपने दिनांक 12.09.2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी, नई दिल्ली को कंपनी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

इसके अलावा, सीएंडएजी ने अपने दिनांक 19.09.2024 के पत्र के माध्यम से मेसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी, नई दिल्ली को कंपनी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेज /अभिलेखों को रखा है, जो नियमित रूप से अपडेट किए जा रहे हैं। कंपनी ने श्री सुमीर चावला अपर मुख्य प्रबंधक (मा.स.वि.) को जन सूचना अधिकारी और डा- अमन शर्मा मुख्य कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण निर्माण प्रबंधन और प्रशासन) को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त आरटीआई के 175 आवेदनों और 56 अपीलों पर त्वरित कार्रवाई की गई और आवेदकों को सूचना प्रदान की गई।

23. कार्पोरेट प्रशासन

डीपीई दिशाानिर्देशों के अनुसार, कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, **अनुलग्नक 'क'** पर दी गई है।

24. सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकरेटीरज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया।

25. प्रबंधन चर्चा ओर विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संबंधी रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ख'** पर दी गई है।

26. वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (क) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसरण में 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट अर्थात http://www.wapcos.co.in/ पर उपलब्ध हैं।

27. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों के तहत कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था, जो रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता वाले कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत आता हो।

28. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत लंबित कार्यवाही

माननीय एनसीएलटी, मुंबई के समक्ष एक मामला लड़ा जा रहा था और कंपनी ने माननीय एनसीएलटी, मुंबई के आदेश के विरूद्ध 31.05.2022 को माननीय एनसीएलएटी, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की थी और उक्त अपील आईबीसी, 2016 के क्षेत्राधिकार और दायरे के अंतर्गत नहीं आती है।

29. कार्पोरेट सामाजिक दायितव पहल

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और कंपनी की वेबसाइट http://www.wapcos.co.in/ पर देखी जा सकती है। सीएसआर कार्यकलाप संबंधी वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ग'** पर दी गई है।

30. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है, इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'घ'** पर दिया गया है।

31. लागत रिकार्ड

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव आवश्यक नहीं है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत गारंटी या निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

33. सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य हेतु मैसर्स जे.के. गुप्ता एंड ऐसोसिएट्स, कंपनी सचिव इन प्रेक्टिस को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ङ'** के रूप में संलग्न है।

34. सांविधिक लेखापरीक्षकों की योग्यता और सचिवीय लेखापरीक्षकों के निरीक्षण पर प्रबंधान के उत्तर

प्रबंधन ने सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर जवाब दिया है जो **अनुलग्नक 'च'** में दी गई हैं।

35. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

इस समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री अभिषेक सिंह, संयुक्त सचिव, (ईडी एवं एमईआर) विदेश मंत्रालय को 23 अगस्त, 2023 से वाप्कोस बोर्ड में सरकारी नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री मो. नूर रहमान शेख, संयुक्त सचिव (ईडी), विदेश मंत्रालय 16 अगस्त, 2023 से वाप्कोस बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

इसके अलावा, श्री शैलेंद्र विश्वकर्मा को 20 जून, 2023 से कंपनी सचिव (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) और अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया।

36. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों में यह स्वतंत्र घोषणा दी गयी है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में प्रदान किए गए, स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

37. बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, छः बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण **अनुलग्नक 'क'** में कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है।

38. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

एतत द्वारा पुष्टि की जाती है कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी के दौरान, निम्नलिखित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान तैयार किया है जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च, 2023 को कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिए जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ड) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाला आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे_ तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की प्रणली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

39. संबंधित पक्ष लेन देन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन नियमित लेन-देन और स्वतंत्र प्रकृति थे। किसी भी संबंधित पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन का कंपनी के हितों के साथ विरोधाभास नहीं था। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) के तहत एओसी-2 के रूप में आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण लागू नहीं है।

कंपनी ने इस मामले पर कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 में उल्लिखित है।

40. निदेशकों के चयन और नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक हेतु नीति

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 5 जून 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (3) (ड.) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

41. सामान्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के संबंध में जानकारी को 'शून्य' समझा जा सकता है:

- व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन
- कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख से संबंधित हैं।

- नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या गंभीर आदेश जो भविष्य में गोइंग कन्सर्न स्टेटस और कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करते हैं
- लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना
- किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) जारी करना
- एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण।
- वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय संबंधी विवरण

आभार

बोर्ड भारत और विदेशों में अपने मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और साथ ही साथ कंपनी पर विश्वास और आस्था बनाए रखने के लिए प्रशंसा और अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह बोर्ड जल शक्ति मंत्रलय, जल संसाधन, नदी विकास और संरक्षण विभाग, विदेश मंत्रलय, विद्युत मंत्रलय, भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रलयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष और सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, संवैधानिक लेखा परीक्षकों और बैंकरों की सहायता, सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड अपने कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, उत्साह, अथक प्रयासों और योगदान की दिल से सराहना करता है, जिनके बिना वर्तमान विकास और उपलब्धियां संभव नहीं होतीं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

(आर. के. अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09344894

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

अनुलग्नक-क

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

कंपनी द्वारा भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। नैतिक व्यावसायिक पद्धतियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पिछले कई वर्षों से कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हमें प्राप्त होने वाली **'उत्कृष्ट रेटिंग'** की हमारी निरंतर उपलब्धि के माध्यम से परिलक्षित होती है। यह अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

2. डीपीई दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को भेजा गया।

3. डीपीई दिशा निर्देश

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक नामत: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) और निदेशक (वित्त), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से नामांकित दो सरकारी निदेशक, विदेश मंत्रालय से एक अन्य और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की छ: बैठकें 03.05.2023; 02.08.2023; 02.09.2023; 17.10.2023; 29.12.2023 और 14.03.2024 को आयोजित की गई।

बोर्ड के निदेशकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बोर्ड के निदेशकों के नाम और श्रेणियां, उनमें से प्रत्येक के कार्यकाल के दौरान 2023-24 में हुई बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम/निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल में 2023-24 में आयोजित बोर्ड बैठकें/उपस्थिति		क्या 29 दिसंबर 2023 को हुई पिछली एजीएम में शामिल हुए थे	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद की संख्या – कंपनी का नाम	
		सम्पन्न हुई	उपस्थिति		अध्यक्ष	सदस्य
श्री रजनी कांत अग्रवाल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डीआईएन 09344894	कार्यात्मक निदेशक	6	6	हाँ	1 एनपीसीसी लिमिटेड	2 1. जीपीसीएल परामर्श सेवाएँ लिमिटेड 2. एनपीसीसी लिमिटेड
श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त) डीआईएन 07290569	कार्यात्मक निदेशक	6	6	हाँ	-	1 1. एनपीसीसी लिमिटेड,
श्री अनुपम मिश्रा निदेशक (वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास) डीआईएन 08271048	कार्यात्मक निदेशक	6	6	हाँ	-	-
श्री आनंद मोहन डीआईएन 07590405	सरकारी नामांकित निदेशक	6	6	हाँ	-	1 1. एनपीसीसी लिमिटेड,
श्री अभिषेक सिंह डीआईएन 10290240 (23.08.2023 से)	सरकारी नामांकित निदेशक	6	6	हाँ	-	6 1. इन्वेस्ट इंडिया 2. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन 3. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 4. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ ईओयू एंड एसईजेड 5. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 6. इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड

निदेशक का नाम/निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल में 2023-24 में आयोजित बोर्ड बैठकें/उपस्थिति		क्या 29 दिसंबर 2023 को हुई पिछली एजीएम में शामिल हुए थे	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद की संख्या – कंपनी का नाम	
		सम्पन्न हुई	उपस्थिति		अध्यक्ष	सदस्य
मोहम्मद नूर रहमान शेख डीआईएन 09481101 (29.12.2022 से 31.03.2023 तक)	सरकारी नामांकित निदेशक	2	0	नहीं	-	2 1. आईटीपीओ 2. इन्वेस्ट इंडिया
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत डीआईएन 07900294	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	-	4 1. एमआईसीसीआईए चैंबर ऑफ कॉमर्स 2. एजीसीसीआई चैंबर ऑफ कॉमर्स 3. दिमित्रिस इंफ्राप्रो प्राइवेट लिमिटेड 4. डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड
श्री जसबीर सिंह ठाकुर डीआईएन 09469477	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	-	1 1. एनपीसीसी लिमिटेड,
श्री लखन लाल साहू डीआईएन 09488818	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	-	-
श्री पार्थ सारथी घोष डीआईएन 09517108	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	-	-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वाप्कोस लिमिटेड में निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई :

- **श्री अभिषेक सिंह**

  चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 16.08.2023 के कार्यालय आदेश के माध्यम से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) श्री अभिषेक सिंह को श्री मोहम्मद नूर रहमान शेख के स्थान पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

  श्री अभिषेक सिंह का परिचय निम्नानुसार है:

  श्री अभिषेक सिंह ने 17 जुलाई 2023 को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, श्री सिंह अगस्त, 2020 - जुलाई, 2023 के दौरान वेनेजुएला में भारत के राजदूत थे। श्री सिंह 2018-2020 में काबुल में भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख थे। उन्होंने 2016-17 में बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2017-18 में विदेश मंत्रालय में निदेशक (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका) के रूप में कार्य किया।

बर्लिन आने से पहले, श्री सिंह संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन (2013-16) में काउंसलर/राजनीतिक अधिकारी थे, इस दौरान उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों, पी-5 देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मामलों, शांति स्थापना, एनएएम, आतंकवाद-निरोध, निरस्त्रीकरण एवं प्रथम समिति के मुद्दे, और राष्ट्रमंडल आदि मानवीय मुद्दों से जुड़े राजनीतिक विषयों पर काम किया। उन्होंने 2012, 2013, 2014 और 2015 में एक प्रतिनिधि के रूप में यूएनजीए में भाग लिया है। श्री सिंह 2003 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, नई दिल्ली और एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन (एक्सपी), एमईए में दो साल के प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद, उन्होंने 2005-10 तक भारतीय दूतावास, बीजिंग में 5 साल तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद, वह 2010 में विदेश मंत्रालय गए, सर्वप्रथम उन्होंने डेस्क अधिकारी के रूप में पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय और राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में कार्य किया। तत्पश्चात उन्हें 2011-2013 के बीच विदेश राज्य मंत्री के कार्यालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में चुना गया।

श्री अभिषेक सिंह ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स की स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने पीजीडीएम (मानव संसाधन) और उन्होंने चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी, बीजिंग से मंदारिन भाषा में अठारह महीने का पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री सिंह ने इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी. से विदेश नीति पर एक पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

4. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में लेखा परीक्षा समिति मौजूद है। विवरण निम्न प्रकार है:-

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका/शक्तियां

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका/शक्तियों में निम्नलिखित शामिल है: -

1. संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना जिनमें शामिल है:
   - क) लेखापरीक्षित और गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा;
   - ख) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन; और
   - ग) समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की सत्यनिष्ठा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करना और इस उद्देश्य के लिए, इसमें हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में निहित सूचना तक पूरी पहुंच और यदि आवश्यक हो तो बाहरी जानकारी पेशेवर परामर्श प्राप्त करना शामिल होगा।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जानकारी रखना;
4. सदर्भगत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
5. कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना।
6. यदि आवश्यक हो तो बाहरी विधिक या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
7. यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
8. मुखबिरों की रक्षा करना।
9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, हमारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना।

10. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ त्रैमासिक/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

11. विशेष संदर्भ में अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।

    क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3)(ग) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

    ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

    ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

    घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

    ड.) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;

    च) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

    छ) किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटन; और

    ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/संशोधित अभिमत।

12. लेखापरीक्षा (परीक्षाएं)

(i) आंतरिक लेखा परीक्षा:

क) आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाहरी प्रतिष्ठानों) के प्रबंधन प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

ख) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारी और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और ऐसे लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा (आंतरिक), यदि कोई हो के कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

ग) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

घ) लेखा परीक्षा और अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क निर्धारण, हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

(ii) सांविधिक लेखा परीक्षा एवं शाखा लेखा परीक्षा :

क) लेखा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ संबंधित विषय पर सांवधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ पूर्व लेखा परीक्षा साथ ही साथ पश्चात लेखा परीक्षा चर्चा

ख) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

ग) सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए भुगतान की मंजूरी।

(iii) लागत लेखा परीक्षा एवं कर लेखा परीक्षा: :

लागत लेखा परीक्षकों और कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, बदलने या हटाने और लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की अन्य शर्तों के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

13. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

14. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल प्रत्येक आरक्षण या अहर्तता की पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ उसकी समीक्षा करना और बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट की सिफारिश करना।

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

16. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी ऑडिट संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

    ख) प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथस्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।

18. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना :

    क) पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष,

    ख) जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध सहित लेखा परीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई

19. सरकारी लेखा परीक्षा : सीएंडएजी लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

20. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

21. ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की वास्तविक विफलता है, आंतरिक लेखा परीक्षकों/वैधानिक लेखा परीक्षकों/अन्य एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले जानकारी बोर्ड को देना।

22. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

23. व्हिसिल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

24. हमारी कंपनी के सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा करना और पूर्व-अनुमोदन करना। इस प्रयोजन हेतु, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन के पूर्व-अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगा।

25. हमारी कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

26. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

27. किसी मामाले (सार्वजनिक मामाले, अधिकार मामले, व्यवसायिक मामले आदि) के माध्यम से एकत्र फंड के उपयोग/आवेदन का विवरण, इस प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/ में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण। नोटिस, और सार्वजनिक या अधिकार मुद्दे की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

28. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

29. हमारी कंपनी के व्यवसायों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।

30. संबंधित पक्षों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन की मंजूरी अथवा अनुवर्ती संशोधन।

31. निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य रूप से समीक्षा करना :

    क) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

    ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि ऑडिट समिति द्वारा परिभाषित किया गया है);

    ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्र;

    घ) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

    ड.) मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाये जाने और पारिश्रमिक की शर्तें; और

    च) विचलन विवरण की समीक्षा:

        (i) विनियम 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित यदि लागू हो, तो विचलन का त्रैमासिक विवरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा।

        (ii) सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई राशि का वार्षिक विवरण।

32. मुख्य कार्यकरी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण/घोषणा की समीक्षा;

33. लेखा परीक्षकों की पर्यवेक्षण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, से संबंधित लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां आमंत्रित करना और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वित्तीय विवरण की समीक्षा और किसी भी संबंधित मुद्दे पर हमारी कंपनी के प्रबंधन और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना।

34. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख से मौजूद कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10% से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/ निवेश सहित कम हो, के उपयोग की समीक्षा।

35. सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों पर विलय, डिमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी।

36. ऐसे अन्य कार्य जो हमारी कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

(i) वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों का प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण;

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी लेन-देन (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) का विवरण;

(iii) विधायी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन के पत्र/आंतरिक नियंत्राण कमजोरियों के पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

(v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पदच्युति लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी; तथा

(vi) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

समीक्षाधीन वर्ष में, लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री अनिल कुमार त्रिगुनायत, सदस्य के रूप में श्री जसबीर सिंह ठाकुर, श्री पार्थ सारथी घोष, स्वतंत्र निदेशक और श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं.वि.) शामिल थे।

समीक्षाधीन वर्ष में लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें 3 मई, 2023, 2 सितंबर, 2023, 29 दिसंबर, 2023 और 14 मार्च, 2024 को आयोजित हुई। लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यों ने अपनी संबंधित अवधि में आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति मौजूद है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) का निर्धारण करना और अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों में इसके वितरण हेतु नीति तय करना
2. एचआर मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना।
3. "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" की सिफारिशों को अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।
4. एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता का निर्धारण करने हेतु मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
5. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करना;
6. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना;
7. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना; और
8. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 2 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई, जिसमें नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्यों नामत: श्री पार्थ सारथी घोष, अध्यक्ष, श्री लखन लाल साहू और श्री जसबीर सिंह ठाकुर, स्वतंत्र निदेशक ने भाग लिया।

6. निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(क) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पूर्ण. का. नि./प्र. का नाम	प्र.नि./पूर्ण. का. नि./प्र. का नाम	प्र.नि./पूर्ण. का. नि./प्र. का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	आर.के. अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेश	पंकज कपूर, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक एवं मानव संसाधन विकास)	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	3825158	4113480	3836969	11775607
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य,	659127	744395	680212	2083734
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन लाभ के % के रूप में अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल (क)	**4484285**	**4857875**	**4517181**	**13859341**
	अधिनियम के अनुसार उपरी सीमा	-	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल राशि
क	स्वतंत्र निदेशक	अनिल कुमार त्रिगुणायत	लखन लाल साहू	पार्थ सारथी घोष	जसबीर सिंह ठाकुर	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक शुल्क	3,60,000	3,00,000	3,20,000	3,60,000	13,40,000
	कमीशन	-	-	-	-	-
	कुल (क)	**3,60,000**	**3,00,000**	**3,20,000**	**3,60,000**	**13,40,000**
ख	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	-	-	-	-	-
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल = (क+ख)	**3,60,000**	**3,00,000**	**3,20,000**	**3,60,000**	**13,40,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार उपरी सीमा	-	-	-	-	-

(ग) प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक एवं पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक कार्मिकों को पारिश्रमिक (राशि रूपये में)

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि
		सीईओ	सीएफओ	सीएस	
1	सकल वेतन		श्री पंकज कपूर	श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	4113480	819845	4933325
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-	744395	64217	808612
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प		लागू नहीं	लागू नहीं	-
3	स्वीट इक्विटी		लागू नहीं	लागू नहीं	-
4	कमीशन-लाभ के % के रूप में		लागू नहीं	लागू नहीं	-
	अन्य निर्दिष्ट करें...				-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		लागू नहीं	लागू नहीं	-
	कुल				**5741937**

7. निगमित सामाजिक दायित्व समिति

इस विषय पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए दो स्तरीय संरचना की स्थापना की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री अनिल त्रिगुणायत, श्री लखन लाल साहू, श्री जसबीर सिंह ठाकुर, स्वतंत्र निदेशक और सदस्य के रूप मेंश्री अनुपम मिश्रा निदेशक (वाणिज्य एवं एचआरडी) शामिल थे। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के निर्धारित निर्देश इस प्रकार हैं:

1. एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश बोर्ड को करना करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करे, समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना,और बोर्ड द्वारा जब कभी भी कोई निर्णय लिये जाएं तो उसमें संशोधन करना;

2. खंड 1 में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा और अनुशंसा करना;

3. कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति की समय-समय पर निगरानी करना;

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

5. कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पहल से संबंधित रणनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;
6. कंपनी द्वारा शुरू की गई निगमित सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;
7. कोई अन्य मामला जिसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद उचित समझे या निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।

   सीएसआर समिति की 2023-24 के दौरान तीन बैठकें 23.06. 2023, 27.09.2023 और 28.02.2024 को आयोजित की गई। सभी सदस्यों ने अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया। श्री लखन लाल साहू और श्री जसबीर सिंह ठाकुर, सदस्यों ने 23.06.2023, 27.09.2023 और 28.02.2024 को आयोजित सीएसआर समिति की तीन बैठकों में भाग लिया। श्री अनुपम मिश्रा, सदस्य, 23.06.2023 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में पाँच स्वतंत्र निदेशक थे। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28.12.2012 के 16(4)/2012-जीएम और दिनांक 20.6.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16(4)/2012-जीएम और गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका और दायित्वों के विषय पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV - भाग VII के साथ पठित धारा 149(8) के अनुसरण में, मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री लखन लाल साहू, सदस्य के रूप में श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत, श्री जसबीर सिंह ठाकुर और श्री पार्थ सारथी घोष की "अलग बैठक" 05.02.2024 को कार्यात्मक और सरकारी निदेशकों ओर प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी। जिसमें बोर्ड के कर्तव्यों को प्रभावी और उचित ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया गया है।

9. वार्षिक आम बैठकें/असाधारण सामान्य बैठकें

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान हुई एजीएम/ईजीएम की तारीख, समय और स्थान : -

वार्षिक आम बैठकें

वर्ष	दिनांक	समय (आईएसटी)	स्थान
2020-21	08.12.2021	01.00 पी. एम.	कैलाश, 3 तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 0011
2021-22	07.12.2022	03:30 पी. एम.	कैलाश, 3 तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
	20.12.2022 (एजीएम स्थगित)	04.00 पी. एम.	
2022-23	29.12.2023	04.30 पी. एम.	कैलाश, 3 तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

52वीं एजीएम में निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए गए :

क्र. सं.	दिनांक	पारित विशेष संकल्प
1	08.12.2021	• कंपनी के निदेशक मंडल की की शक्तियाँ • कंपनी की संपत्ति पर शुल्क का निर्माण

10. असाधारण सामान्य बैठकें

दिनांक	समय (आईएसटी)	स्थान
25.02.2021	02.30 पी. एम.	कैलाश, 3 तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 0011
03.03.2022	01.00 पी. एम.	कैलाश, 3 तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 0011

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई।

ईजीएम में निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए गए :-

क्र. सं.	दिनांक	परित विशेष संकल्प
1.	25.02.2021	• कंपनी का निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में रूपांतरण
		• 100 /- रुपये (एक सौ रुपये) के नाममात्र मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर का उप-विभाजन, प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किए गए 10/- (दस रुपये) के नाममात्र मूल्य वेफ 10 इक्विटी शेयरों में प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किया गया।
		• प्राधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया।
		• संस्था के ज्ञापन में परिवर्तन
		• कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन और विद्यमान आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के स्थान पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नये सेट को अपनाना।
		• बोनस शेयरों के रूप में 10 रूपये के तीन करोड़ इक्विटी शेयर जारी करना।

11. प्रकटन

- समीक्षाधीन वर्ष में सीएमडी, कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशक को भुगतान किए गए शुल्क को छोड़कर, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया, जिसका व्यापक पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।
- कंपनी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित "व्हिसल ब्लोअर नीति" है।"
- कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। एक कार्यरत कंपनी सचिव ने कंपनी द्वारा वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की और उनके दिनांक 20.10.2023 के प्रमाण पत्र को वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बही खातों में बिना व्यवसायिक उद्देश्यों वाले किसी प्रकार के व्यय को डेबिट नहीं किया गया।
- व्यक्तिगत प्रकृति का कोई व्यय निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए नहीं किया गया।

12. संचार के साधन

कंपनी पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह अपने अस्थायी परिणाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को प्रस्तुत करती है। कंपनी अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करती है। समय-समय पर अपनी उपलब्धियों के बारे में कंपनी द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं।

13. आचार संहिता

कंपनी की एक आचरण संहिता है जो बोर्ड के सदस्यों और साथ ही उच्च प्रबंधन पर लागू है तथा इसे वेबसाइट पर डाला गया है। 31 मार्च, 2024 को सभी बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन के लोगों ने आचरण संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने का निश्चय किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की घोषणा **अनुलग्नक-I** में दी गयी है।

14. निदेशक मंडल का चार्टर

कम्पनी के पास निदेशक मंडल का चार्टर है, जो बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

15. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी ने, बोर्ड की मंजूरी से बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की है। इसके अलावा, बोर्ड में उनके शामिल होने के समय कंपनी निदेशकों को दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करती है। इस सेट में कंपनी का ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और संगम ज्ञापन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश और विभिन्न नीतियां आदि शामिल होती हैं। कंपनी के मामलों के बारे में बोर्ड बैठकों में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

16. धोखा निवारण नीति

कंपनी की एक धोखा निवारण नीति है, जिसकी स्थापना नियंत्राणों के विकास में सुविधा के लिए की गयी है जो वाप्कोस के खिलाफ धोखे का पता लगाने और उसे रोकने में मदद करती है।

17. जोखिम प्रबंधन नीति

कम्पनी के पास बोर्ड से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। जब भी आवश्यक लगा बोर्ड द्वारा नीति की समीक्षा की गई। नीति में पहचान कि, गए होगों में प्रतिस्पर्धा/बाजार हिस्सेदारी जोखिम, मानव संसाधन जोखिम, बीमा जोखिम, प्राप्ति जोखिम, सिस्टम जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम, व्यवसाय संचालन जोखिम, क्रेडिट जोखिम अनुबंध निर्माण और निष्पादन जोखिम, कानूनी जोखिम आपदा जोखिम शामिल हैं। इन पहचान गए जोखिमों को कम करने की कार्य योजना जोखिम प्रबंधन नीति में समाविष्ट है। विभागों के प्रमुख उनके कामकाज के संबंधित क्षेत्रों पर यथा लागू जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं।

18. व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्च मानक अपनाकर एक उचित और पारदर्शी तरीके से अपने संघटकों के मामलों का संचालन करने में विश्वास करती है। इस संबंध में कम्पनी की बोर्ड द्वारा स्वीकृत व्हिसिल ब्लोअर नीति है।

19. पीई सर्वेक्षण हेतु डाटा शीट प्रस्तुत करना

डीपीई की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2023-24 के लिए डेटा शीट 29.09.2023 को डीपीई को प्रस्तुत की गई थी।

20. समग्रता अनुबंध

कंपनी ने निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर लेनदेन अनुबंध प्राप्त करने के संबंध में समग्रता अनुबंध करने की प्रणाली आरंभ की।

21. सी ई ओ/सी एफ ओ प्रमाणन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(सीईओ) / निदेशक (वित्त) प्रमाणन को **अनुलग्नक -II** में शामिल किया जाएगा।

22. अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के अनुपालन का एक व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक -III** में है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09344894

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचरण कोड के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, आर. के. अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों ने 2023-24 के दौरान कंपनी की आचरण संहिता के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

(आर. के. अग्रवाल)

स्थान: नई दिल्ली
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक:
डीआईएन: 09344894

अनुलग्नक-II

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीईओ) और निदेशक (वित्त) (सीएफओ) द्वारा प्रमाण

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 (स्टैण्डअलोन और समेकित) के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्राप्ति विवरण की हमने उचित समीक्षा कर ली है और हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं हैं अथवा विवरण जो भ्रामक हो सकते हैं शामिल नहीं हैं। और

(ii) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों की एक सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं तथा वर्तमान लेखाकरण मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऐसे लेनदेन नहीं किए गए, जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी के आचरण कोड का उल्लंघन करते हों।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं और हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है। हमने आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प या प्रचालन में कमियां, यदि कोई हैं, जिनकी हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम हमने उठाए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं, को

लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है।

(घ) हमने जहां कहीं लागू है। लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्न के बारे में बताया है:

(i) वर्ष के दौरान, आंतरिक नियंत्रण में किए गए/किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों,

(ii) वर्ष के दौरान, लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हैं, और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, और

(घ) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सम्बंधित न तो महत्वपूर्ण कपट का कोई मामला हमारी जानकारी में आया है और न ही कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन अथवा एक महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी कर्मचारी की उसमें संलिप्तता पायी गयी है।

ह./-	**ह./-**
(पंकज कपूर)	**(आर. के. अग्रवाल)**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
डीआईएन: 07290569	**डीआईएन: 09344894**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक-III

उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 15 जनवरी, 2025

सेवा में,

सदस्य

वाप्कोस लिमिटेड

5वां तल, कैलाश

26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,

नई दिल्ली - 110 001

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रलय, भारत सरकार के का-ज्ञा-सं- 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14-05-2010 द्वारा जारी 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों (इसके पश्चात डीपीई दिशा निर्देशों के रूप में संदर्भित) में दी गई शर्तों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड (इसके पश्चात 'कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित हमें दिए गए संबद्ध रिकार्ड व दस्तावेजों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच उपरोक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों और इसके अंतर्गत नियमों में दी गई शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की एक अभिव्यक्ति है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतत् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी नियमावली 2014 के नियम 3 (निदेशकों को नियुक्ति और अर्हता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) जो कि कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित है, को छोड़कर सामान्य रूप से उपरोक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। हम समझते हैं कि उपरोक्त नियुक्ति से संबंधित मामला प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात जल शक्ति मंत्रालय के पास लंबित है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी की सहायक कंपनी के बोर्ड ने दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक 29 दिसम्बर, 2023 अर्थात कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा द्वारा प्रदत्त तीन माह की विस्तारित अवधि के भीतर आयोजित की गई जिसमें वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान की गई।

हम पुनः उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी सक्षमता और न ही प्रभावकारी कार्यकुशलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है के संबंध में एक आश्वासन है।

के लिए और की ओर से
उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव कार्यरत)

सीएस उर्वशी वर्मा
एसीएस नं. 55202
सीओपी नं. 20456
यूडीआईएन: A05502F003685070

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 15/01/2025

अनुलग्नक-ख

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना और विकास

वाप्कोस भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के लिए जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं और निर्माण कार्य उपलब्ध कराने के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। पिछले 5 (पांच) दशकों से, कंपनी जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिन्होंने भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, हम अपने विविध अनुभव, प्रमुख दक्षताओं और हमारे पास उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का उपयोग कराते हुए अपने ग्राहकों को "अवधारणा से कमीशनिंग" और उससे आगे जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं तक सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी अवधारणा-से-कमीशनिंग सेवाएँ हमारे डोमेन क्षेत्रों में विभिन्न उप-क्षेत्रों और सेवाओं को पूरा करती हैं, जिनमें बांध और जलाशय इंजीनियरिंग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और नदी आकृति विज्ञान, भूजल अन्वेषण, कृषि, वाटरशेड प्रबंधन और नदी बेसिन योजना, पर्यावरण इंजीनियरिंग, जल विद्युत और पंप भंडारण, थर्मल पावर, नवीकरणीय ऊर्जा विकास जैसे सौर और पवन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पोर्ट और बंदरगाह, सड़क, रेलवे और राजमार्ग इंजीनियरिंग, शहरी और ग्रामीण विकास और रोपवे जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

वैश्विक इंजीनियरिंग सेवा बाजार 3.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर वर्ष 2023 में 1,147.21 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2024 में बढ़कर 1,188.41 बिलियन डॉलर हो जाएगा। रूस-यूक्रेन युद्ध ने कम से कम अल्पावधि में, कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार की संभावनाओं को बाधित किया है। इन दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हुआ, जिससे वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति हुई, जिससे दुनिया भर के कई बाजार प्रभावित हुए। वर्ष 2028 में इंजीनियरिंग सेवा बाजार 3.6% की सीएजीआर पर बढ़कर 1,366.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

2. भारतीय परिदृश्य

2.1 जल संसाधन

भारत में, जल संसाधन विकास राज्य का विषय है और इसकी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केंद्र में, जल संसाधन से जुड़े मंत्रालय का नाम बदलकर दिनांक 14.06.2019 को दो विभागों के साथ "जल शक्ति मंत्रालय" कर दिया गया, जिनमें से एक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है। इस विभाग को सौंपे गए कार्य में राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों और नदियों को जोड़ने के संबंध में जल आयोजना और समन्वय का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य शामिल है।

भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के नेटवर्क से जोड़कर भारत में जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। नदियों को आपस में जोड़ने में जल की अधिकता वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का स्थानांतरण शामिल है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा 30 नदी लिंक की पहचान की गई है। आठ के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। केवल एक, केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ है। इसे दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा ₹44,605 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2021-22 में, परियोजना के लिए ₹4,642 करोड़ का बजट रखा गया था, और व्यय ₹4,634 करोड़ था। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन घटकर क्रमशः ₹1,400 करोड़ और ₹3,500 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त 2024-25 में बजट आवंटन में 1500 करोड़ रूपये की कटौती की गई।

जल शक्ति मंत्रालय को 2024-25 में ₹98,418 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल संसाधन विभाग को ₹21,028 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.74% अधिक है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हो। 2024-25 के लिए इस विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में 0.4% की वृद्धि के साथ ₹77,390 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

विभाग दो प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित करता है: (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम), और (ii) स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)। .

(I) जल जीवन मिशन (जेजेएम)

प्रत्येक ग्रामीण परिवार (16 करोड़ परिवारों) को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए, जेजेएम को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को शामिल करते हुए लॉन्च किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.36 लाख करोड़ रुपये की निधि आवंटित की थी। निधि का 60% (1.42 लाख करोड़ रुपये) विशेष रूप से पेयजल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाना है। वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के बीच जेजेएम का कुल अनुमानित परिव्यय 3.6 लाख करोड़ रुपये है। 16 फरवरी, 2023 तक, योजना पर कुल व्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये है। जून 2024 तक, योजना पर कुल 3.36 लाख करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

केन्द्रीय बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के लिए ₹70,163 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन पिछले वर्ष के बजट के अनुरूप है, जो सरकार की 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कोष के माध्यम से जे.जे.एम. के अंतर्गत विभिन्न पहलों को सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें जल आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है।

जेजेएम को वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों (19.4 करोड़) को एफएचटीसी तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

30 जनवरी 2024 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगस्त 2019 में जब मिशन की शुरूआत की गई थी तब केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों के पास ही नल के पानी का कनेक्शन था। 2024 की शुरुआत तक, यह संख्या बढ़कर 14.21 करोड़ घरों से अधिक हो गई है, जो भारत के सभी ग्रामीण घरों का लगभग 73.76% है।

वित्तीय आवंटन के मामले में, इस मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि में से, 16,340.92 करोड़ रुपये की राशि पहले ही पात्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जा चुकी है।

जून 2024 तक, 14.93 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 2.99 करोड़ जोड़े गए कनेक्शन शामिल हैं।

(II) स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसडबल्यूएम-जी)

एसबीएम-जी को वर्ष 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2014 में शुरूआत की गई

थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच को समाप्त करने पर भी केंद्रित है। अक्टूबर 2019 तक, देश के सभी गांवों को खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया था। योजना का दूसरा चरण वर्ष 2020 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य पहले चरण में देश द्वारा प्राप्त ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना है, और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ कवर करना है। यदि ये मानदंड पूरे होते हैं तो एक गांव को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त होता है और गांव दृष्टिगत रूप से स्वच्छ होता है।

2024 की शुरुआत तक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण II के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जनवरी 2024 तक, लगभग 75% भारतीय गांव, अर्थात कुल 4.43 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा है बल्कि ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी कार्यान्वित किया है। विशेषकर, 2,92,497 गांव ओडीएफ प्लस आकांक्षी हैं जिनमें या तो ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, 55,549 ओडीएफ प्लस राइजिंग हैं जिनमें दोनों हैं, और 96,018 ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं जिनमें संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता है। यह जल जीवन मिशन (जेजेएम) और एसबीएम-जी के समन्वय के महत्व को उजागर करता है।

कचरा प्रबंधन के मामले में, 2,31,080 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं, जबकि 3,76,353 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन संबंधी प्रणालियां मौजूद हैं।

प्रभावी ग्रे वॉटर उपचार हेतु समुदाय और घरेलू स्तर पर लगभग 22 लाख सोख पिट के निर्माण के साथ ग्रे वॉटर के प्रबंधन में सुजलम अभियान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(III) अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना वर्ष 2020 में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह योजना सात राज्यों में लागू की जाएगी, जहां देश में जल की कमी वाले ब्लॉकों का 37% हिस्सा है। हालाँकि, पंजाब, जिसका भूजल विकास 166% (2022) है, को इस योजना से बाहर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भाग लेने वाले राज्यों का निर्धारण परामर्श, भूजल की गंभीरता, इच्छा और तैयारी की डिग्री के आधार पर किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए, अटल भूजल योजना (अटल जल) भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के अपने मिशन को जारी रखे हुए है। इस योजना का कुल बजट ₹6,000 करोड़ है, जो विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समान रूप से वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना और सात राज्यों: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है।

इस वर्ष, इन पहलों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) को एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। यह विशेष रूप से कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने हेतु नवाचारी सिंचाई तकनीकों और कुशल जल उपयोग को भी उजागर करती है।

(IV) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

1 जुलाई, 2015 को "हर खेत को पानी" के उद्देश्य के साथ शुरू गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन आश्वस्त सिंचाई के साथ उपज क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने हेतु किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई न केवल आश्वस्त सिंचाई हेतु स्रोत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि "जल संचय" और "जल सिंचन" के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा के पानी को संचय करके संरक्षात्मक सिंचाई बनाने पर भी फोकस किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई को "प्रति बूंद- ज्यादा फसल" सुनिश्चित करने हेतु सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य (i) सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, (ii) खेतों पर पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना, (iii) खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, और (iv) सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरूआत करना है। इसमें तीन मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए चार घटक शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का कार्यान्वयन करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलवायु विकास घटक का कार्यान्वयन किया जाता है, और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रति बूंद अधिक फसल द्वारा लागू किया जाता है।

कृषि में जल उपलब्धता और दक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) हेतु बजट आवंटित किया गया है। यह आवंटन जल संरक्षण और प्रबंधन की व्यापक प्रतिबद्धता का एक भाग है।

2024-25 के लिए पीएमकेएसवाई के लिए कुल बजट आवंटन 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित कार्यक्रम के तहत निरंतर प्रयास का हिस्सा है। इस व्यापक अनुमोदन में 37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता और 93,068.56 करोड़ रुपये का कुल आवंटन शामिल है, जिसमें राज्य सरकारों के योगदान और एनएबीआरडी को ऋण सेवा प्रदान करना शामिल है।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच और समुदाय की भागीदारी हेतु एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों और कई आईईसी गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनियों, श्रमदान, स्वच्छता ड्राइव, प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण अभियान और संसाधन सामग्री के विकास और वितरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया और टीवी/रेडियो, प्रिंट मीडिया विज्ञापनों, फीचर्ड लेखों और विज्ञापन-लेखों के माध्यम से प्रकाशित करके व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। एनएमसीजी ने फेसबुक, एक्स (पूर्व में "ट्विटर"), और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति सुनिश्चित की। गंगा का लिडार मानचित्रण, जलाशय मानचित्रण, नदी शहर योजना के लिए नया सिद्धांत, सांस्कृतिक योजना आदि जैसी पहलों को नीति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी (ज्ञान गंगा) पहलों के अलावा कार्यान्वित किया गया।

जल संसाधनों के क्षेत्र में वाप्कोस के प्रतिद्वंदियों में डीएचवी कंसल्टेंट्स, मॉट मैक डोनाल्ड, एमडब्ल्यूएच, नॉर कंसल्ट, एसएमईसी, समन, केईसीसी, सिनो-टेक, निप्पॉन कोएई, ताहल, केपीएमजी, अर्न्स्ट और यंग (ई एंड वाई), पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, मैकिंसेy, ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) कंसल्टेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा, इस व्यवसाय क्षेत्र में वाप्कोस के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले छोटे कंसल्टेंट्स की भी एक बड़ी संख्या है।

2.2 विद्युत

विद्युत क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है। भारत का विद्युत क्षेत्र दुनिया में सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। विद्युत उत्पादन के स्रोत कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों से लेकर पवन, सौर, ज्वारीय और कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट जैसे व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोतों तक होते हैं। देश में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता है। उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के तीन स्तंभों वाला यह क्षेत्र भारत के अवसंरचना और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन तीन क्षेत्रों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। भारतीय विद्युत उद्योग पर केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों का वर्चस्व है। प्रमुख खिलाड़ी राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) हैं, जो विद्युत का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण करते हैं। भारत में विद्युत क्षेत्र मुख्य रूप से विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा शासित होता है। विद्युत अवसंरचना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो राष्ट्रों के आर्थिक विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

· 31 मार्च, 2024 तक भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 442 गीगावाट तक पहुँच गई है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से महत्वपूर्ण योगदान शामिल है, जिसमें 144 गीगावाट (33%) नवीकरणीय ऊर्जा से और 47 गीगावाट (11%) जलविद्युत से है। सौर ऊर्जा एक प्रमुख योगदान करने वाला क्षेत्र बना

हुआ है, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 2024 में 15 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो भारत की अपने नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के प्रति सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2024 तक भारत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए संस्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर बना हुआ है। यह वर्ष 2023 से अपने स्थान पर बना हुआ है। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में, मार्च 2024 तक, भारत ने 143.64 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें सौर, पवन और बायोमास (इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन) जैसे विभिन्न स्रोत शामिल हैं। सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

कुल मिलाकर, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ठोस वृद्धि देखी गई है और यह निरंतर पर्याप्त निवेश आकर्षित कर रहा है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहते हुए इसकी स्थिति बेहतर हो रही है।

मार्च 2024 तक, भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 416 गीगावाट है। इस क्षमता को ईंधन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से, कोयले की संस्थापित क्षमता में लगभग 49.1% हिस्सा है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (जिसमें जलविद्युत, पवन और सौर ऊर्जा शामिल हैं) का हिस्सा लगभग 41.4% हैं।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों में पर्याप्त प्रगति देखी गई है। वर्ष 2024 तक, सौर ऊर्जा से लगभग 169 गीगावाट का योगदान होने का अनुमान है, तत्पश्चात पवन ऊर्जा से 41.2 गीगावाट का योगदान होगा। बायोमास और छोटे जलविद्युत जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोत भी समग्र क्षमता में योगदान करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की रैंकिंग के संबंध में, नवीनतम डेटा के अनुसार, देश पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और समग्र नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमताओं के क्षेत्र में दुनिया में चौथे स्थान पर बना हुआ है।

भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- जुलाई 2024 तक, भारत में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 27,300 मेगावाट है। इसमें विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाएँ शामिल हैं।

- अप्रैल 2024 तक, भारत में 12,664 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 361 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक) कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनमें से, 11,428 मेगावाट की कुल 27 परियोजनाएँ सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएँ भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। देश का लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक अपनी जलविद्युत क्षमता को मौजूदा 42 गीगावाट से बढ़ाकर 67 गीगावाट करना है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

    - भारत में वर्तमान में 7 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल निवल विद्युत क्षमता लगभग 5,398 मेगावाट है। भारत सरकार ने पाँच राज्यों (कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने को मंज़ूरी दी है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। इन परियोजनाओं से वर्ष 2031 तक संस्थापित परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक हो जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों सहित विद्युत क्षेत्र को 28,352 करोड़ रू. का महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में 18,945 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान से लगभग 50% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह निधि विभिन्न स्कीमों के लिए निर्देशित है जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करना और हरित ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देना है।

इस आवंटन के भीतर, विद्युत मंत्रालय के पास 20,502 करोड़ रू. का शुद्ध बजटीय आवंटन है, जो पिछले वर्ष के 20,671 करोड़ रू. से थोड़ी कम है। इस बीच, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने बजट में पर्याप्त वृद्धि देखी है, पिछले वर्ष के 10,222 करोड़ रू. की तुलना में 19,100 करोड़ रू. प्राप्त किए हैं।

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को पिछले बजट में '7,848 करोड़ रू.' से बढ़कर 19,100 करोड़ रू. आवंटित किए गए हैं। इस वृद्धि का उद्देश्य सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता देना है। अकेले ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के लिए आवंटन लगभग दोगुना होकर 8,500.35 करोड़ रू. हो गया है।

- **हरित हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) का बजट '100 करोड़ रू.' से बढ़कर '600 करोड़ रू.' हो गया है, जो हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाओं और प्रोत्साहन योजनाओं को आगे बढ़ाने के सरकार के इरादे को दर्शाता है। जैव ऊर्जा पहल और जलविद्युत परियोजनाओं को भी अधिक निधि मिली है।

- **विद्युत क्षेत्र की पहल:** विद्युत मंत्रालय के आवंटन में 40% की वृद्धि हुई है, जो 11,359 करोड़ रू. से बढ़कर 15,861 करोड़ रू. हो गया है। इसमें देश भर में कुशल और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत वितरण और ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए निधि शामिल है।

- **पवन ऊर्जा:** जबकि अधिकांश नवीकरणीय क्षेत्रों में निधि में वृद्धि देखी गई, पर पवन ऊर्जा को कम प्रत्यक्ष बजटीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें क्षेत्र के विकास के अनुसार भविष्य के आवंटन के लिए प्रावधान किए गए है। सरकार ने ऑफसोर पवन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि की घोषणा की है, यद्यपि विशिष्ट राशि का विवरण नहीं दिया गया है।

2.2.1 पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

मुफ़्त बिजली योजना पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15.02.2024 में की थी। इस योजना के तहत लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की संभावना है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को विद्युत लागत में प्रत्येक वर्ष 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। योजना के लाभों में शामिल हैं:

1. घरों के लिए मुफ्त बिजली।
2. सरकार के लिए विद्युत लागत में कमी।
3. नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग।
4. कार्बन उत्सर्जन में कमी।

2.2.2 संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, भारत सरकार ने देश भर में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को 3,03,758 करोड़ रू. आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक चलने वाली यह योजना डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनियों) की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को 12-15% तक कम करना और वर्ष 2024-25 तक आपूर्ति औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्त (एसीएस-एआरआर) अंतर को कम करना है।

आरडीएसएस के तहत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं और पहलों में शामिल हैं:

अवसंरचना उन्नयन: विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण निवेश।

स्मार्ट ग्रिड और स्वचालन : परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और स्वचालन का प्रयोग।

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए ग्रिड क्षमता को बढ़ाना, सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना।

क्षमता निर्माण: योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): अतिरिक्त निवेश और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

इस योजना में एक परिणाम मूल्यांकन ढांचा (आरईएफ) भी शामिल है जो डिस्कॉम के कार्य प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए है, यह सुनिश्चित करता है कि निधियों को विशिष्ट मानदंडों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर जारी किया जाए।

2.2.3 जलविद्युत और पीएसपी परियोजना

भारत में जलविद्युत क्षमता काफी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के कार्बन फूटप्रींट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देश के विभिन्न नदी बेसिनों में जलविद्युत क्षमता के पुनः आकलन के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 1978-87 की अवधि के दौरान अध्ययन किया गया था। इन अध्ययनों के अनुसार, देश में कुल 845 चिन्हित जलविद्युत स्कीमों से 84,044 मेगावाट (60% लोड फैक्टर पर) जलविद्युत क्षमता का आकलन किया गया था, जो पूरी तरह से विकसित होने पर संभावित औसत लोड फैक्टर के आधार पर लगभग 1,48,701 मेगावाट की संस्थापित क्षमता होगी। कुल ऊर्जा क्षमता प्रति वर्ष 600 बिलियन यूनिट आंकी गई है। 25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली एच.ई. स्कीमों की पहचानी गई क्षमता कुल 592 एच.ई. स्कीमों में से 145320 मेगावाट है। दिनांक 31.03.2023 तक, 4745.60 मेगावाट क्षमता के पंप भंडारण स्टेशनों को छोड़कर 42104.55 मेगावाट (31.56%) की कुल संस्थापित क्षमता वाली एच.ई. योजनाएं पहले ही विकसित की जा चुकी हैं और निर्माणाधीन स्कीमों में 15023.5 मेगावाट (11.26%) की क्षमता है, (1500 मेगावाट का पीएसएस छोड़कर)। इस प्रकार, लगभग 57.18% पहचानी गई क्षमता का उपयोग किया जाना शेष है।

भारत में, 25 मे वा. या उससे कम क्षमता के जलविद्युत संयंत्रों को छोटे जलविद्युत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें आगे सूक्ष्म (100kW या उससे कम), लघु (101 कि.वा.-2 मे.वा) और लघु जलविद्युत (2- 25 मे.वा) खंडों में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक 31.03.2024 तक देश में लघु जल विद्युत की संस्थापित क्षमता 5003.25 मेगावाट है।

पम्प भंडारण परियोजना

पीएसपी जिन्हें अक्सर 'विशाल बैटरी' कहा जाता है, कुछ समय से मौजूद हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तकनीक हैं। इसका उपयोग पारंपरिक रूप से ग्रिड को स्थिर करने और अधिकतम ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मौसमी परिवर्तनशीलता के साथ, बैटरी भंडारण और पीएसपी जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का महत्व बढ़ गया है। ये परियोजनाएं प्रशंसनीय मात्रा में ऊर्जा संग्रहीत करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे जारी करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ने के साथ यह तकनीक एक पसंदीदा विकल्प है।

पीएसपी में दो जल भंडार होते हैं जो विभिन्न ऊंचाइयों पर एक सुरंग या भूमिगत पाइप के माध्यम से जुड़े होते हैं। जब विद्युत का उत्पादन अधिक होता है और मांग कम होती है, तो ये परियोजनाएं नीचे के जलाशय से ऊपर के जलाशय की ओर पानी पंप करती हैं। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो तुरंत आवश्यक विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन के माध्यम से जल को ऊपर से नीचे की ओर धकेला जाता है।

भंडारण और सहायक सेवाओं की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों में से, पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) स्वच्छ, मेगावाट-स्केल पर, घरेलू रूप से उपलब्ध, टाइम-टेस्टेड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं। पीएसपी स्वच्छ, हरे, सुरक्षित और गैर-विस्फोटक

हैं। वे कोई जहरीला/हानिकारक उप-उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है या निपटान संबंधी समस्याएँ पैदा नहीं होती है।

पीएसपी को बढ़ावा देने के दिशानिर्देश न केवल ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और वीआरई एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में उनकी उपयोगिता पर आधारित हैं, बल्कि अन्य उपलब्ध ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की तुलना में उनके अन्य सकारात्मक गुणों पर भी आधारित हैं।

पीएसपी क्षेत्र में अभी भी कई अन्य देशों की तुलना में व्यापक वृद्धि होनी है और इसकी गति सुस्त है। वर्तमान में, भारत में पीएसपी की लगभग 4.7 गीगावाट (जीडब्ल्यू) संस्थापित क्षमता है, जिसमें से 3.3 गीगावाट कार्यात्मक है। विश्व स्तर पर, चीन 50 गीगावॉट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ पीएसपी बाजार में अग्रणी है, इसके बाद 28 गीगावॉट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और 24 गीगावॉट के साथ जापान का स्थान है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-32 के अनुसार, 2031-32 के अंत तक नियोजित आरई क्षमता को पूरा करने के लिए, भारत को 26.68GW पीएसपी और 47.24 GW बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की ज़रूरत होगी। कुछ चालू पीएसपी प्लांट तेलंगाना (नागार्जुन सागर, श्रीशैलम), तमिलनाडु (कदमपराई), महाराष्ट्र (भीरा, घाटघर), और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जैसे राज्यों में हैं।

2.3 अवस्थापन

अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, आर्थिक गलियारे, किफायती आवास, सौर ऊर्जा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना विकास पर विशेष बल को विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में पहचाना गया है।

अवसंरचना दक्षता में सुधार करने में पीएम गति शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम गति शक्ति अवसंरचना योजना से लेकर विकास और उपयोग के चरण तक अवसंरचना निर्माण में वास्तविक सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। छह मंत्रालयों की 24 डिजिटल प्रणालियों को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के माध्यम से एकीकृत किया जा रहा है और इससे एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स पोर्टल बनेगा जो लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता करेगा।

(I) अमृत 2.0

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 स्कीम, जिसे 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लॉन्च किया गया है, को देश के सभी वैधानिक कस्बों में सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जल की आपूर्ति और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अमृत 2.0 प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, जो शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जल निकायों के संरक्षण और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह शहरों को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन, जल स्रोत संरक्षण, जल निकायों और कुओं का संरक्षण, शोधित उपयोग किए गए जल के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन के सार्वभौमिक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के लिए क्षेत्र की पहचान करने में सहायता करेगा। सीडब्ल्यूबीपी में पहचानी गई परियोजनाओं के आधार पर, मिशन में जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने की परिकल्पना की गई है।

मिशन में गैर-राजस्व जल में कमी, शोधित उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण, जल निकायों का संरक्षण दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को बढ़ाना, शहरी नियोजन, शहरी वित्त को सुदृढ़ करना आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर एक सुधार एजेंडा भी है।

अमृत 2.0 के अन्य घटक हैं:

- जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, जल निकायों के मानचित्रण और शहरों/कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पेय जल सर्वेक्षण आयोजित करना।
- जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए जल के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन।
- जल संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान।

अमृत 2.0 के लिए कुल अनुमानित बजट ₹2,99,000 करोड़ है, जिसमें पांच साल की अवधि के लिए केंद्रीय भाग के रूप में ₹76,760 करोड़ शामिल हैं। इस बजट में पिछले अमृत चरण से पूर्व की जारी परियोजनाओं के लिए ₹22,000 करोड़ और केंद्रीय सहायता के रूप में ₹10,000 करोड़ का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अमृत 2.0 के लिए कुल अनुमानित बजट ₹1.44 लाख करोड़ (₹1.44 ट्रिलियन) है। यह व्यापक बजट आवंटन शहरी अवसंरचना में सुधार, स्थिरता को बढ़ावा देने और भारत के शहरों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

(II) एसबीएम शहरी

2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) का उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश के 4,041 वैधानिक शहरों में नगरपालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन प्राप्त करना है। एसबीएम-यू का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। एसबीएम-यू 2.0 का लक्ष्य 2026 तक सभी शहरों के लिए "कचरा मुक्त" स्थिति प्राप्त करना है।

इसके विभिन्न घटकों के लिए इकाई और प्रति व्यक्ति लागत के आधार पर एसबीएम (शहरी) के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रुपए है। अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के अनुसार भारत सरकार की हिस्सेदारी 14,623 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, भारत सरकार के वित्त पोषण के 25% के समान न्यूनतम अतिरिक्त राशि, 4,874 करोड़ रुपये का योगदान राज्यों द्वारा राज्य/यूएलबी शेयर के रूप में किया जाएगा। शेष निधि को निधि के विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न करने का प्रस्ताव है। अब तक निम्नलिखित उपलब्धि प्राप्त की गई है:

खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ):

- शहरी भारत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गया है, सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) पूरी तरह से ओडीएफ हो गए हैं।
- 3,547 यूएलबी कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के साथ ओडीएफ+ हैं, और 1,191 यूएलबी पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन के साथ ओडीएफ++ हैं।
- 14 शहर वाटर+ प्रमाणित हैं, जिसमें अपशिष्ट जल का शोधन और इसका इष्टतम पुन: उपयोग शामिल है।

अपशिष्ट प्रसंस्करण:

भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 में 17% से 4 गुना बढ़कर वर्ष 2024 में 80% हो गया है, जिसमें देश के सभी यूएलबी में 98% वार्डों में 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और लगभग 92% वार्डों में नागरिकों द्वारा कचरे के स्रोत पृथक्करण के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई है।

कचरा मुक्त शहर:

- जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया कचरा मुक्त शहर (जीएफसी)-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जिसमें पहले वर्ष में केवल 56 शहर थे वह अब बढ़कर 445 शहरों तक पहुंच गया है, अक्टूबर 2024 तक कम से कम 1,000 3-स्टार जीएफसी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत "कचरा मुक्त शहर" पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट लगभग ₹19,000 करोड़ है। इस बजट का उद्देश्य कचरा प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

(III) शहर 2.0

नवप्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)- सीआईटीआईआईएस 2.0 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय संघ (ईयू) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के साथ साझेदारी में तैयार किया गया एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चार वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2023 से 2027 तक चलेगा।

कार्यक्रम में शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं की सहायता करने की परिकल्पना की गई है।

सीआईटीआईआईएस 2.0 के लिए वित्तपोषण में एएफडी और केएफडब्ल्यू (100 मिलियन यूरो प्रत्येक) से 1760 करोड़ रुपये (यूरो 200 मिलियन) का ऋण और यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये (यूरो 12 मिलियन) का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा।।

सीआईटीआईआईएस 2.0 का लक्ष्य सीआईटीआईआईएस 1.0 के अनुभवों और सफलताओं का लाभ उठाना और उन्हें बढ़ाना है। सीआईटीआईआईएस 1.0 को वर्ष 2018 में एमओएचयूए, एएफडी, ईयू और एनआईयूए द्वारा संयुक्त रूप से ₹933 करोड़ (यूरो 106 मिलियन) के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। सीआईटीआईआईएस 1.0 में तीन घटक शामिल थे:

घटक 1: प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 12 शहर-स्तरीय परियोजनाएं।

घटक 2: ओडिशा राज्य में क्षमता-विकास गतिविधियाँ।

घटक 3: एनआईयूए द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो सीआईटीआईआईएस 1.0 के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) था।

बजट वित्त वर्ष 23-2024- अवसंरचना क्षेत्र पर प्रभाव

- पीएम आवास योजना व्यय में 66% की वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये हो गया।
- रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया जाएगा, जो 2013–14 के बाद का सबसे बड़ा आवंटन है।
- टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण हेतु सार्वजनिक एजेंसियाँ शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) का उपयोग करेंगी, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यूडीआईएफ को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करके स्थापित किया जाएगा।
- समाज के पहले और अंतिम व्यक्ति को कोयला, बंदरगाह, खाद्यान्न, स्टील और उर्वरक अनाज क्षेत्रों के तक पहुंच प्रदान करने हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 75,000 करोड़ रुपये (15,000 करोड़ रुपये निजी स्रोतों से) का निवेश किया जाएगा।
- नई बुनियादी ढांचा वित्त सचिवालय का निर्माण निजी बुनियादी ढांचा निवेश के अवसरों को बढ़ाएगा।
- सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के समान ही शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित करेगी, जिसे एनएचबी द्वारा संचालित किया जाएगा।
- पूरक नीतियों को अपनाने और अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक वर्षीय विस्तार।

- राज्यों और स्थानीय प्रशासनों को शहरी नियोजन परिवर्तनों और पहल को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करना, जिसका लक्ष्य अपने शहरों को "भविष्य के स्थयी शहर" में बदलना है।
- सभी शहरों और कस्बों को मशीन-होल प्रणाली में परिवर्तित करना, जिससे वे अपने सेप्टिक टैंक और सीवरेज को पूरी तरह से मशीन से कीचड़ मुक्त कर सकें।

केंद्रीय बजट 2024-25 अवसंरचना

केंद्रीय बजट 2024-25 अवसंरचना वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त आवंटन शामिल हैं। नीचे प्रमुख परिव्यय और ध्यान दिए गए क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है:

1. **समग्र अवसंरचना निवेश:**
   - कुल आवंटन: ₹10 लाख करोड़ (लगभग 120 बिलियन डॉलर), जो मजबूत अवसंरचना विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2. **परिवहन क्षेत्र:**
   - सड़क और राजमार्ग:
     - o आवंटन: ₹ 2.7 लाख करोड़।
     - o फोकस: कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक गतिविधियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और ग्रामीण सड़कों का विस्तार और अपग्रेडेशन।
   - रेलवे:
     - o निवेश: ₹ 1.5 लाख करोड़।
     - o उद्देश्य: रेलवे अवसंरचना का आधुनिकीकरण, नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करना और प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना।
   - सार्वजनिक परिवहन:
     - o सहायता: शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए वित्तपोषण, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अवसंरचना और बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरएन प्रणालियाँ) शामिल हैं।
3. **शहरी अवसंरचना:**
   - अमृत 2.0:
     - o आवंटन: ₹ 60,000 करोड़।
     - o उद्देश्य: जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, तूफानी जल निकासी में सुधार और शहरी हरित स्थानों का निर्माण करना।
   - स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):
     - o वित्तपोषण: ₹ 19,000 करोड़।
     - o लक्ष्य: अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना मे वृद्धि करना, जिसमें नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ और अपशिष्ट पृथक्करण और निपटान के लिए सहायता शामिल है।
4. **ऊर्जा क्षेत्र:**
   - नवीकरणीय ऊर्जा:
     - o निवेश: ₹ 30,000 करोड़।

o उद्देश्य: सततता सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

- ऊर्जा दक्षता:

  o सहायता: ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने और अपव्यय को कम करने के लिए स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों में निवेश।

5. **किफायती आवास:**

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):

  o आवंटन: ₹ 48,000 करोड़।

  o फोकस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्यम आय समूहों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना, जिससे शहरी जीवन स्थिति में सुधार हो।

6. **स्मार्ट सिटीज मिशन:**

- वित्तपोषण: ₹ 20,000 करोड़।
- उद्देश्य: स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी शासन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा शहरी आयोजना में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।

7. **डिजिटल अवसंरचना:**

- ब्रॉडबैंड विस्तार:

  o निवेश: ₹ 15,000 करोड़।

  o लक्ष्य: डिजिटल समावेशन और ई-गवर्नेंस पहलों के समर्थन के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस का विस्तार करना।

8. **सामाजिक अवसंरचना:**

- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा:

  o स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए ₹35,000 करोड़ आवंटित।

  o शिक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए ₹ 40,000 करोड़।

9. **ग्रामीण अवसंरचना :**

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):

  o सहायता : ₹25,000 करोड़

  o फोकस : संपर्क को बढाने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव और ग्रामीण विकास को सहयोग

10. **विशेष योजनाएं और पहल :**

- हरित ऊर्जा कोरिडोर : नवीकरणीय ऊर्जा के संचरण को सुविधाजनक बनाने हेतु परियोजनाओं के लिए ₹8,000 करोड़
- शहरी कायाकल्प मिशन : शहरी नवीनीकरण और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु परियोजनाओं के लिए ₹50,000 करोड़

2.3.1 सड़क

केन्द्रीय बजट 2024-25 के तहत, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस वर्ष मंत्रालय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश हेतु अतिरिक्त 1.35 करोड़ रुपये का एक बड़ा भाग आवंटित किया गया है। 25,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने और जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में नई सड़कों के साथ ही मौजूदा सड़कों के उन्नयन दोनों शामिल हैं। केन्द्रीय बजट 2024-25 के अनुसार:

- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं: लगभग 25,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाएं दिये जाने का प्रस्ताव है। इसमें नए निर्माण और मौजूदा सड़कों के उन्नयन दोनों शामिल हैं।
- नवोन्मेषी वित्तपोषण: ₹20,000 करोड़ नवोन्मेषी वित्तपोषण विधियों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। ये पद्धतियों को सार्वजनिक संसाधनों को पूर्ति और सड़क अवसंरचना के त्वरित विकास को सहयोग प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।
- पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान: 2024-25 के लिए एक्सप्रेसवे पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस प्लान का उद्देश्य एक्सप्रेसवे नेटवर्क में सुधार और पीएम गतिशक्ति ढांचे के तहत विभिन्न अवसंरचना तत्वों को एकीकृत करके लोगों और माल की तेज गति से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है।

2.3.2 पत्तन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार,मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह (12 सरकारी स्वामित्व वाले और एक निजी) और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं जो भारी मात्रा में यातायात संभालते हैं। किसी राष्ट्र के विकास में बंदरगाह बहुत केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। बंदरगाहों के माध्यम से परिवहन की लागत, क्षमता और सुगमता अन्य उपलब्ध साधनों की तुलना में सबसे प्रभावी है। लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत दुनिया का सोलहवां सबसे बड़ा समुद्री देश है।

1. पत्तन और बंदरगाह :

- कुल आवंटन : ₹50,000 करोड़.

✓ फोकस क्षेत्र :

  - अवसंरचना उन्नयन: बंदरगाह सुविधाओं के आधुनिकीकरण में निवेश, जिसमें माल हैंडलिंग क्षमताओं का विस्तार और नए टर्मिनलों का विकास शामिल है।
  - बंदरगाह कनेक्टिविटी : लॉजिस्टिक्स क्षमता को सुधारने और परिवहन लागत को कम करने के लिए बंदरगाहों और आंतरभूमि के बीच संपर्क को बढ़ाना।
  - हरित बंदरगाह: बंदरगाह संचालन में पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु पहल, जैसे ऊर्जा-क्षमता प्रौद्योगिकी और प्रदूषण नियंत्रण उपाय।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी : बंदरगाह विकास और संचालन में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन।

2. सागरमाला परियोजना:

- आवंटन: ₹25,000 करोड़ रुपये।

- उद्देश्य: सागरमाला पहल को जारी रखना, जिसका उद्देश्य बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देना, बंदरगाह संपर्क में सुधार करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- प्रमुख घटक: नए बंदरगाहों का विकास, मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और प्रमुख बंदरगाहों के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का निर्माण।

3. अंतर्देशीय जलमार्ग:

- कुल आवंटन: ₹15,000 करोड़ रुपये।

✓ फोकस क्षेत्र:

- जलमार्ग विकास: राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव में निवेश ताकि उनकी नौ-परिवहन और कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके।
- अवसंरचना: टर्मिनलों, जेटी और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के निर्माण सहित अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना का उन्नयन।
- क्षमता विस्तार: सड़क और रेल लॉजिस्टिक्स के पूरक के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता और दक्षता का विस्तार करना।

4. प्रमुख परियोजनाएँ और पहल:

- समर्पित माल गलियारा (डीएफसी): बंदरगाहों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़कर माल परिवहन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए सहायता।
- तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड): औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के आसपास सीईजेड का विकास।

5. प्रौद्योगिकी और नवाचार:

- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: कार्गो हैंडलिंग के स्वचालन और उन्नत लॉजिस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग सहित बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधानों का कार्यान्वयन।
- • अनुसंधान और विकास: नवाचार बंदरगाह प्रौद्योगिकियों और सतत मेरीटाइम प्रथाओं के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश।

6. कौशल विकास:

- प्रशिक्षण कार्यक्रम: मेरीटाइम और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में कार्यबल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन।

इन आवंटनों और पहलों का उद्देश्य भारत के मेरीटाइम अवसंरचना को मजबूत करना, बेहतर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बंदरगाह तथा जलमार्ग संचालन में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। विस्तृत सूचना और अपडेट के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों और घोषणाओं को देखें।

2.3.3 रेलवे

भारत का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। अप्रैल 2022 तक, 52,247 किमी या 80% ब्रॉड-गेज मार्गों को 25 केवी एसी विद्युत ट्रेक्शन के साथ विद्युतीकृत किया गया है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त नेटवर्कों में से एक है, जो वार्षिक 8.086 अरब यात्रियों और 1.208 अरब टन माल का परिवहन करता है। भारत सरकार के क्रमिक प्रशासनों ने रेलवे में सुधार पर काम किया है। परियोजनाओं में 2023 तक संपूर्ण भारतीय रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण शामिल है।

इस बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली 'कवच' को वित्त वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर से शुरू होकर पूरे रेल नेटवर्क में लगाया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक वर्ष 4,000 से 5,000 किलोमीटर में शुरू किया जाएगा।

बजट 2022-23 में रेलवे से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं और प्रस्ताव शामिल हैं:

1. कुल आवंटन :

भारतीय रेल : ₹2.40 लाख करोड़

महत्व : यह देशभर में रेलवे अवसंरचना को आधुनिक बनाने और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है।

2. प्रमुख फोकस क्षेत्र :

क. अवसंरचना विकास :

- **नये ट्रेक और विद्युतीकरण :**
  - **निवेश :** ₹40,000 करोड़ रुपये।
  - **उद्देश्य :** दक्षता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु रेलवे नेटवर्क का विस्तार, जिसमें नई पटरियों का बिछाना और मौजूदा पटरियों का विद्युतीकरण शामिल है।
- **समर्पित माल कोरिडोर (डीएफसी):**
  - **निधियन :** ₹30,000 करोड़ रुपये।
  - **उद्देश्य :** यात्री रूटों पर अवरोध कम करने और कार्गो गतिविधियों को बढाने हेतु समर्पित माल गलियारों के निरंतर विकास।

ख. आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी:

- **हाई-स्पीड रेल परियोजनाएँ:**
  - **आवंटन:** 20,000 करोड़ रुपये।
  - **परियोजनाएँ:** मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर जैसे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और नई हाई-स्पीड रेल पहलों पर प्रगति।
- **स्मार्ट स्टेशन और स्वचालन:**
  - **निवेश:** ₹15,000 करोड़ रुपये।
  - **उद्देश्य:** टिकटों के स्वचालन और वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणालियों सहित स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के साथ रेलवे स्टेशनों को उन्नत करना।

ग. सुरक्षा और दक्षता:

- **सुरक्षा उन्नयन:**
  - **आवंटन:** ₹25,000 करोड़ रुपये।
  - **फोकस:** टकराव से बचने संबंधी प्रणालियों और बेहतर सिग्नलिंग प्रौद्योगिकियों सहित उन्नत सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।

- **रखरखाव और उन्नयन:**
  - ➢ **वित्तपोषण:** ₹30,000 करोड़ रुपये।
  - ➢ **उद्देश्य:** पटरियों, पुलों और रोलिंग स्टॉक सहित मौजूदा अवसंरचना का निरंतर रखरखाव और उन्नयन।

घ. यात्री सुविधाएं:

- **आराम और सुविधाएं:**
  - ➢ **निवेश:** ₹1 0,000 करोड़ रुपये।
  - ➢ **फोकस:** ट्रेनों में उन्नत सुविधाओं, बेहतर स्वच्छता और बेहतर खानपान सेवाओं के साथ यात्री आराम को बढ़ाना।

ङ. पर्यावरणीय सततता:

- **हरित पहल:**
  - ➢ **वित्तपोषण:** ₹5,000 करोड़ रुपये।
  - ➢ **उद्देश्य:** पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट में कमी शामिल है।

च. क्षेत्रीय संपर्क:

- **नए रूट और विस्तार:**
  - ➢ **आवंटन:** ₹1 0,000 करोड़ रुपये।
  - ➢ **उद्देश्य:** कम सुविधा वाले क्षेत्रों में रेल संपर्क का विस्तार करना और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करना।

3. प्रमुख परियोजनाएँ:

- **पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे:** माल ढुलाई दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इन गलियारों को पूरा करने और संचालन में महत्वपूर्ण निवेश।
- **बुलेट ट्रेन परियोजनाएँ:** नए गलियारों के विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं पर निरंतर काम।

4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):

- **पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन:**
  - ➢ **फोकस:** स्टेशन पुनर्विकास और नई ट्रेन सेवाओं सहित रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाना।

5. कौशल विकास और प्रशिक्षण:

- **कार्यबल विकास में निवेश:**
  - ➢ **वित्त पोषण:** ₹2,000 करोड़।
  - ➢ **उद्देश्य:** आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता मे सहयता करने हेतु रेलवे कर्मचारियों के लिए कौशल में वृद्धि करना और प्रशिक्षण।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट आधुनिकीकरण, सुरक्षा, दक्षता और यात्री सुविधाओं में पर्याप्त निवेश के साथ भारतीय रेलवे के अवसंरचना को बढ़ाने के प्रति एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाता है। हाई-स्पीड रेल, हरित पहल और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क की क्षमता और सेवा गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

विशिष्ट परियोजना संबंधी विस्तृत आंकड़ों और अपडेट के लिए, रेल मंत्रालय के आधिकारिक बजट दस्तावेजों और घोषणाओं को देखें। इससे उन्हें बड़ी संख्या में विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

अवसंरचना में कंपनी के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में ली एसोसिएट्स, इंडिया, एमएसवी इंटरनेशनल (इंडिया), आरईपीएल, ईजिस, आल्मंडज़, डोलसर, एसआरईआई, पीडब्ल्यूसी, आईएलएफएस, केपीएमजी, डेलॉयट, एनबीसीसी, इरकॉन, आईसीटी, ई एंड वाई, ग्रांट थॉर्नटन, डाराशॉ, एल एंड टी, क्रिसिल, एसएमईसी इंटरनेशनल, पैसिफिक कंसल्टेंट्स, जापान, ब्यूरो डी रेचेर्स, जियोफिजिकेसेट मिनियर्स, स्कॉट विल्सनट्स, स्पैन कंसल्टेंट, एसटीयूपी, केईसीसी, एमओटीटी मैक डोनाल्ड, शाह कंसल्टेंट, एईसीओएम, टीसीई, विल्बर स्मिथ, जेपीएस एसोसिएट्स प्राइवेट, जेपीएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, टेरी और निप्पॉन कोई शामिल है।

यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि विकसित देशों के अधिक से अधिक सलाहकार बहुत कम मार्जिन पर बोली लगाकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में व्यापार करना चाहते हैं। चीन की कंपनियाँ टर्नकी परियोजनाओं के लिए पैकेज के रूप में परामर्श सेवाएँ प्रदान करती हैं या बहुत कम कीमत पर बोली लगाती हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों ने भारत में खुद को पंजीकृत किया है और भारत सरकार के अनुदान/क्रेडिट के तहत भारतीय कंपनियों के लिए व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा की है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में स्थानीय सलाहकारों (2 या 3 विशेषज्ञों के साथ) ने परिचालन शुरू कर दिया है और कोई ओवरहेड/स्थापना लागत नहीं होने के कारण बाजार दरों के 1/10वें हिस्से पर बोली लगाकर अपने मूल विभागों/संगठनों से व्यवसाय प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2023 के साथ रेलवे क्षेत्र को अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। यह ₹2.4 लाख करोड़ है, जो वर्ष 2013-14 में इसके आवंटन का लगभग 9 गुना है और वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवंटन से 51% अधिक है।

इस कदम के पीछे का इरादा मौजूदा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सुधार पर खर्च करना, हरित ट्रेनों और हरित ऊर्जा जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना और विभिन्न गलियारे स्थापित करना है। उनकी योजना देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की है, जिसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाएगा और इस परियोजना को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, अगले 3 वर्षों में रेल मंत्रालय ऐसी 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की भी योजना बना रहा है।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप, रेलवे एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट के निर्माण की भी योजना बना रहा है। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन के उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करेगा और उनके संचालन को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने के उनके प्रयासों को बढ़ाएगा।

इसके अलावा, रेलवे की महाराष्ट्र में अपनी बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करने और अगले 3 वर्षों के भीतर 500 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की भी योजना है। इसके अलावा, वे 100 अतिरिक्त विस्टाडोम कोच बनाने और अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के लिए 5 से 6 नए सर्किट जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं। इससे उन्हें बड़ी संख्या में विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

2.3.4 पर्यटन मंत्रालय: स्वदेश दर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 1,644 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 1,181.30 करोड़ रुपये विशेष रूप से स्वदेश दर्शन स्कीम के लिए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने, विकसित करने और उसका दोहन करने के लिए थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है।

स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संशोधित योजना का उद्देश्य पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना, विभिन्न स्थानो पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं में पर्यटन अवसंरचना का आधुनिकीकरण, नए पर्यटन सर्किट का निर्माण और मौजूदा सर्किटों का संवर्धन शामिल है। विशिष्ट परियोजनाओं में नई पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटक स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की पहल शामिल होगी।

2.3.5 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), जिसे 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था, को वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 25 के बीच लगभग 108 ट्रिलियन के कुल परिकल्पित निवेश के साथ 9,335 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। 8.44 ट्रिलियन रुपये के अनुमानित पूंजी परिव्यय के साथ सबसे अधिक परियोजनाएं तमिलनाडु में हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश (8.04 ट्रिलियन रुपये), महाराष्ट्र (7.69 ट्रिलियन रुपये), उत्तर प्रदेश (5.26 ट्रिलियन रुपये), कर्नाटक (3.96 ट्रिलियन रुपये) और पश्चिम बंगाल (3.65 ट्रिलियन रुपये) का स्थान है। केवल चार अवसंरचना क्षेत्र नामत: सड़क (23%), ऊर्जा (21%), जल और स्वच्छता (15%) और रेलवे (12%) एनआईपी के तहत अनुमानित अवसंरचना निवेश का 71% हिस्सा बनाते हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

3.1 जल संसाधन

दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधन क्षेत्र में प्रचुर अवसर आ रहे हैं। इस विकास में सहायता के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), केएफडब्ल्यू, एक्जिम बैंक, जेआईसीए, संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्थान (यूएनडीपी, एफएओ) आदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अनुदान और ऋण प्रदान कर रहे हैं।

दक्षिण अमेरिका में, क्षेत्र के देशों के बीच जल संसाधनों का असमान वितरण है। एशिया के बाद दक्षिण अमेरिका में दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध जल संसाधन हैं। हालाँकि, प्रबंधन की कमी के कारण, इन संसाधनों का उचित और पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। विभिन्न दक्षिण अमेरिकी देशों में जल संसाधन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।

स्वतंत्र देशों की आम संपत्ति के बीच, जिन्हें आमतौर पर जॉर्जिया, बेलारूस और आर्मेनिया आदि जैसे सीआईएस देशों के रूप में जाना जाता है, जॉर्जिया में देश भर में कई बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को विकसित करने की बहुत अच्छी क्षमता है।

3.2 विद्युत

3.2.1 हाइड्रो

अफ्रीका और एशिया में प्रचुर मात्रा में जलविद्युत संसाधन हैं। जलविद्युत उत्पादन उनकी कुल क्षमता की तुलना में बहुत कम है जिसके लिए परियोजनाओं को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। जलविद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के साथ, विश्वसनीय विद्युत की भारी आवश्यकता है। इसलिए जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन की अच्छी गुंजाइश है क्योंकि यह निरंतर विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत है। विद्युत उत्पादन के अलावा, यह क्षेत्र बेहतर अवसंरचना, बाढ़ से सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि जैसे अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता में भी सहायता करता है।

3.2.2 थर्मल

दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कठोर कोयला उत्पादक और विश्व बाजार में कोयले का एक प्रमुख निर्यातक है, इसके बाद अफ्रीकी बाजार में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, तंजानिया और स्वाजीलैंड हैं। अफ्रीका पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है; शुष्क भूमि और रेगिस्तान संपूर्ण भूमि सतह का 60% भाग हैं। अफ्रीका में कुल संस्थापित क्षमता लगभग 106 गीगावॉट है लेकिन खपत बहुत कम है। समग्र रूप से अफ्रीका के लिए, प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत वैश्विक औसत का पांचवां हिस्सा है। अपर्याप्त विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण क्षमता, विद्युत प्राप्त करने की लागत को और बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विद्युत की दरों के कारण विद्युत उपयोग सबसे कम हो जाता है। इससे औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं।

क्षेत्र में उपलब्ध ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में भी दक्षता की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर विद्युत वितरण हानि होती है और अंतिम उपयोग तक पहुंच कम हो जाती है। इस प्रकार, सौर, पवन, ज्वार, तरंग और बायोमास जैसी उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा की भारी मात्रा के उपयोग पर जोर देने सहित ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में सुधार की आवश्यकता बढ़ रही है।

जलविद्युत उत्पादन के संदर्भ में, परियोजनाओं को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में निवेश करके क्षमता (100 गीगावॉट से 150 गीगावॉट के बीच) का आकलन किया जा सकता है।

3.2.3 सौर

अफ्रीकी महाद्वीप का अधिकांश भाग कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है; और भूमध्य रेखा गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआर कांगो), युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर गुजरती है। अफ्रीका में उच्च गुणवत्ता वाली सौर ऊर्जा का एक विशाल संसाधन है, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, जहां लंबे धूप वाले दिन होते हैं।

प्रति व्यक्ति संस्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों की संख्या (लेकिन जोड़े गए वाट की संख्या नहीं) के मामले में केन्या विश्व में अग्रणी है। केन्या में हर वर्ष 30,000 से अधिक छोटे सौर पैनल बेचे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक 12 से 30 वाट का उत्पादन करता है। केन्या भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला अफ्रीकी देश था, और अभी भी अफ्रीका में भूतापीय ऊर्जा की सबसे बड़ी संस्थापित क्षमता 200 मेगावाट है, जिसमें 10 गीगावॉट तक की क्षमता है। वाप्कोस अपनी क्षमताओं और सौर परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के अनुभव के साथ इस क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठा सकता है।

3.2.4 ट्रांसमिशन एवं वितरण परियोजनाएँ

विद्युतीकरण का किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के आकार से गहरा संबंध है। विद्युत की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पहुंच का अभाव प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और इस प्रकार देश की वृद्धि को प्रभावित करता है। अफ्रीका में, मोज़ाम्बिक में सभी दक्षिणी अफ्रीकी देशों की तुलना में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन क्षमता है। यह सौर ऊर्जा को छोड़कर, कोयला, जलविद्युत, गैस और पवन संसाधनों से 187 गीगावाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान में उत्पादित अधिकांश विद्युत जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होता है, हालांकि, कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भविष्य में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें अगले दशक में प्राकृतिक गैस से कुल ऊर्जा उत्पादन का 44% उत्पादन होने की संभावना है। बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास की आवश्यकता है। ऐसी परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन की अपनी क्षमताओं और अनुभव के साथ वाप्कोस अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में अवसरों का लाभ उठा सकता है।

3.3 अवसंरचना

अफ्रीका सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक संभावनाएं हैं। मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया और केन्या जैसे देश अफ्रीका में अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से अग्रणी हैं। मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से

अधिक मूल्य की प्रत्येक 40 निर्माण परियोजनाएँ गिनाई गईं। युगांडा में 27 परियोजनाएं थीं, जबकि नाइजीरिया और केन्या में 26 परियोजनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से प्रत्येक ने पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्ट आर्थिक विकास दिखाया है और इस प्रकार इस क्षेत्र में वृहत अवसंरचना कार्यों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस ऊर्ध्वगामी आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप, इन देशों में अपने शहरों और कस्बों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इस शहरीकरण के कारण इन शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है।

जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि में जल आपूर्ति और सड़क अवसंरचना विकास परियोजनाओं में विभिन्न आगामी अवसर हैं। मिस्र, अजरबैजान, ग्वाटेमाला, जमैका, इक्वाडोर, चिली, क्यूबा, सूरीनाम, कोस्टा रिका, होंडुरास, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु और फिलीपींस आदि में अवसंरचना क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं।

4. दृष्टिकोण

भारत सरकार की कुछ प्रमुख स्कीमें, जिनमें कंपनी के लिए उपलब्ध अवसर इस प्रकार हैं:

क) जल जीवन मिशन

ख) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

ग) अटल भूजल योजना

घ) एडीबी के अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत पर्यटन अवसंरचना विकास।

ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

च) स्वच्छ भारत अभियान

छ) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

ज) स्मार्ट सिटी मिशन

झ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

ञ) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

ट) मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी

ठ) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

ड) संशोधित सुधार-लिंक्ड परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना

ढ) पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

5. सेगमेंट रिपोर्टिंग

वर्ष 2023-24 के लिए बैलेंस शीट के साथ संलग्न लेखाओं पर नोट्स के पैरा 47 का संदर्भ लिया जा सकता है।

6. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2023-24 में, ग्राहकों के स्थान के कारण होने वाले राजस्व के संबंध में, कंसल्टेंसी में 478.61 करोड़ रुपये और घरेलू क्षेत्र में निर्माण परियोजनाओं में 854.76 करोड़ रुपये कमाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कंसल्टेंसी में राजस्व 197.14 करोड़ रुपये और परिचालन से कुल सेगमेंटल लाभ 191.93 करोड़ रुपये रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भंडार और अधिशेष 329.91 करोड़ रुपये रहा है।

कंपनी को भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है और उसे अपने संचालन के लिए अपने स्वयं के संसाधन सृजित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी के अधिकांश ग्राहक केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग हैं जो अपनी प्रक्रियाओं/बजटीय और अन्य बाधाओं के कारण को भुगतान जारी करने में काफी समय लेते हैं। जैसा कि बैलेंस शीट में दिया गया है, कंपनी के पास ग्राहकों से व्यापार प्राप्तियां हैं, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर रही हैं, हालांकि, इन देनदारों से वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

7. शक्ति एवं कमजोरियां

7.1 शक्ति

1. **सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड:** वाप्कोस के पास इंजीनियरिंग परियोजनाओं को पूरा करने का पांच दशकों से अधिक का सफल इतिहास है, जो उद्योग में इसकी विश्वसनीयता और भरोसे को बढ़ाता है।
2. **वैश्विक फूटप्रींट:** 75 से अधिक देशों में फूटप्रींट के साथ, वाप्कोस की एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है, जो इसे वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और अपने राजस्व धाराओं में विविधता लाने में सक्षम बनाती है।
3. **कुशल मानव संसाधन:** कंपनी के पास अपने कार्यबल में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 1,000 से अधिक कुशल इंजीनियर शामिल हैं। यह वाप्कोस को उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ देने और प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
4. **इन-हाउस विशेषज्ञता:** आयोजना, डिज़ाइन और परियोजना मॉनिटरिंग में वाप्कोस के विशेषज्ञों की इन-हाउस टीम प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिससे बेहतर परियोजना निष्पादन और क्लाइंट संतुष्टि संभव होती है।
5. **रणनीतिक साझेदारियां:** सीडब्ल्यूसी, सीईए, सीडब्ल्यूपीआरएस, जीएसआई और सीएसएमआरएस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने की क्षमता, वाप्कोस को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे इसकी सेवा पेशकश में और वृद्धि होती है।
6. **चुनौतीपूर्ण वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता:** वाप्कोस ने अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया और फिजी जैसे विविधता वाले और चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है।
7. **बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ काम करने का अनुभव:** बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ काम करने का कंपनी का अनुभव बड़े पैमाने की परियोजनाओं और विविध वित्तपोषण स्रोतों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

7.2 कमज़ोरियाँ

1. **तकनीकी परामर्श पर निर्भरता:** तकनीकी परामर्श पर निर्भरता: कंपनी का 50% से अधिक राजस्व तकनीकी परामर्श से आता है, जो इस क्षेत्र में मंदी या बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जोखिम भरा हो सकता है।
2. **अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में चुनौतियाँ:** विभिन्न देशों में स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ वाप्कोस के निरंतर परिचालन को प्रभावित करती हैं, जिससे यह अपने नियंत्रण से परे बाहरी कारकों के प्रति कमज़ोर हो जाती है। अपनी शक्तियों का लाभ उठाने और इन कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करके, वाप्कोस निरंतर विकास जारी रख सकती है और वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकती है।

8. अवसर और जोखिम

8.1 अवसर

विकसित और विकासशील देशों में स्थिर आर्थिक विकास से इंजीनियरिंग सेवा बाजार को लाभ होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

का अनुमान है कि वर्ष 2021 से 2024 तक वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 3.6% होगी। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी।

भारत में, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ, नगरपालिका और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की मांग तदनुसार बढ़ रही है। इससे जल बाजार में नवाचार और समाधान के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत होता है, विशेष रूप से अवसंरचना, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।

अवसंरचना संबंधी व्यय पर बढ़ते फोकस ने दुनिया भर में अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में जल, विद्युत और अवसंरचना उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनके लिए अवसंरचना विकास की बहुत आवश्यकता है।

क. जल: दुनिया के शीर्ष 10 जल-समृद्ध देशों में से एक के रूप में, भारत के पास अद्वितीय अवसर है। 750 बिलियन क्यूबिक मीटर की वार्षिक मीठे जल की खपत और वर्ष 2030 तक 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर तक अनुमानित वृद्धि के साथ, संभावना बहुत बड़ी है । जल संसाधन परियोजनाओं पर काम करना जो देश की जरूरतों के अनुरूप हो। विशेष रूप से, भारत वैश्विक स्तर पर मीठे जल की खपत में अग्रणी है। इसके बीच, सरकार के जल जीवन मिशन (जेजेएम) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य नल जल पहुंचाना है, जिसमें देश की महत्वपूर्ण मांगों का समाधान करते हुए विकास में योगदान देने के लिए सार्वजनिक और निजी पक्षों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं।

ख. विद्युत क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है, भारत 31 मार्च 2024 के अनुसार 416 जीडब्ल्यू की संस्थापित विद्युत क्षमता के साथ दुनिया में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2024 के अनुसार भारत पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर था, सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पर और नवीकरणीय संस्थापित ऊर्जा क्षमता में चौथा पर था। वर्ष 2024 तक सौर ऊर्जा से 169 गीगावॉट उत्पादन होने का अनुमान है, इसके बाद पवन ऊर्जा से 41.20 गीगावॉट और बायोमास और जल विद्युत से 15 गीगावॉट उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बढ़कर 227 गीगावॉट हो गया है। जी20 देशों में भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

ग. अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, आर्थिक गलियारे, किफायती आवास, सौर ऊर्जा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना विकास पर जोर को विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में पहचाना जाता है। भारत प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अगली तिमाही में अवसंरचना क्षेत्र में एक तरह की क्रांति की परिकल्पना कर रहा है। अवसंरचना दक्षता में सुधार करने में पीएम गति शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम गति शक्ति अवसंरचना आयोजना से लेकर विकास और उपयोग चरण तक अवसंरचना निर्माण में सच्ची सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी

घ. जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्र व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदर्शित करते हैं और वाप्कोस इस संभावना के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। नए देशों में व्यवसाय के विविधीकरण के साथ-साथ इन क्षेत्रों में निरंतर व्यापार करने वाले देशों पर कंपनी का ध्यान केंद्रित है।

8.2 जोखिम

1. **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** विभिन्न देशों में स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने से लाभदायक मार्जिन पर नई परियोजनाओं को प्राप्त करने में चुनौती पैदा होती है, जो विकास और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है।

2. **जनशक्ति प्रतिधारण:** विशेष रूप से उभरते बाजारों में दक्ष जनशक्ति को बनाए रखना एक चुनौती है जो प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किए जाने पर परियोजना वितरण और समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

3. **सीमित बाजार विविधीकरण:** यद्यपि वाप्कोस की वैश्विक उपस्थिति है, फिर भी कुछ प्रमुख बाजारों पर निर्भरता हो सकती है, जो कि एक कमजोरी बन सकती है यदि वे बाजार आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते हैं।

9. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2024 तक कंपनी में नियमित कर्मचारियों की संख्या 929 थी। भारत और विदेश में परियोजना कार्यों के लिए अनुबंध कर्मचारियों के अलावा सलाहकार, प्रतिनियुक्तिकर्ता और विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाता है। ऐसे विशेषज्ञों के पास जो तकनीकी ज्ञान है, उसे कंपनी के अपने इंजीनियरों को हस्तांतरित कर दिया गया है, ताकि उन पर निर्भरता कम हो सके।

कंपनी में युवा लोगों के बड़े अनुपात को देखते हुए, कंपनी ने जनसांख्यिकीय बदलाव देखा है। कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, मानव संसाधन विभाग ने कई उपाय किए हैं।

मानव संसाधन विभाग ने अपने विभिन्न उपायों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करके तथा उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए और सीमित कर्मचारी संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ी हुई कार्य प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

9.1 कल्याणकारी उपाय/औद्योगिक संबंध

कंपनी ने अपने विभिन्न प्रेरक तथा कल्याणकारी उपायों जैसे चिकित्सा स्कीम, स्वास्थ्य जांच, कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, परोपकारी निधि योजना, बीमा योजना आदि के माध्यम से सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। कंपनी में औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण रहे हैं।

9.2 प्रशिक्षण और कौशल विकास

प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। यह प्रभावी प्रबंधन की आधारशिला है क्योंकि यह कर्मचारियों को अधिक दक्ष और उत्पादक बनाता है। प्रशिक्षण किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ़ महत्वपूर्ण ही नहीं है, यह बहुत आवश्यक भी है। यह उत्पादकता में सुधार और गुणवत्ता मानकों के पालन में सहायता करता है। कर्मचारी ऐसे कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें अधिक विविधतापूर्ण कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना है, जिसका उद्देश्य नौकरी, व्यक्ति और संगठन में सुधार लाना है। प्रमुख शिक्षण पहलों के लिए व्यापक, समन्वित और गतिशील दृष्टिकोणों के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है।

प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के ज्ञान के आधार को विस्तारित करने का एक प्रमुख अवसर प्रस्तुत करता है। प्रशिक्षण और विकास से पूरी कंपनी और व्यक्तिगत कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलता है। विकास कार्यक्रम सभी कर्मचारियों को उच्च स्तर पर लाता है ताकि उन सभी के पास समान कौशल और ज्ञान हो। वाप्कोस ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

10 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी-तार्किक संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

पर्यावरण संरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण वाप्कोस विनिर्माण और प्रक्रिया आधारित उद्योगों से जुड़ा नहीं है। यद्यपि, वाप्कोस पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों पर परामर्शी सेवा उपलब्ध कराता है, जिसमें विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन; पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; पर्यावरण मॉडलिंग अध्ययन; जलीय पारिस्थितिक अध्ययन; जैव-विविधता संरक्षण और आवाह क्षेत्र उपचार शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में, विभिन्न सिंचाई, जलविद्युत, पोर्ट और हार्बर, खान परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन किए गए, जिसमें पर्यावरण प्रबंधन योजना, पर्यावरण मॉडलिंग अध्ययन, जैव-विविधता संरक्षण आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। कंपनी विभिन्न नदी बेसिनों के बेसिन अध्ययन में भी शामिल है, ताकि बेसिन स्तर पर जलविद्युत के सतत विकास के लिए उपाय तैयार किए जा सकें।

कंपनी गंगा बेसिन और अन्य नदी बेसिनों में विभिन्न राज्यों में घाटों और नदी तट विकास कार्यों में भी शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी सौर ऊर्जा, लघु जलविद्युत और सूक्ष्म जलविद्युत योजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी व्यवहार्यता अध्ययन और विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के एक भाग के रूप में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी मानचित्रण, भू-तकनीकी जांच से संबंधित परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है।

11. जोखिम और चिंताएँ

वाप्कोस मूल रूप से एक परामर्श प्रदाता कंपनी है और भारत और विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना के सभी पहलुओं में इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएँ प्रदान करती है। व्यावसायिक संचालन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की स्वीकृति से जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई थी।

कंपनी की सामान्य चिंताओं में वैश्विक बाजारों में मंदी, कम मार्जिन पर संचालन, इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण अनुबंधों की मांग में वृद्धि के कारण बोली लगाने से पहले निर्माण कंपनियों/निर्माताओं के साथ साझेदारी की आवश्यकता, दक्ष मेनपावर का उच्च टर्नओवर आदि शामिल हैं। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और पहल से बाधाएं दूर हो रही हैं।

12. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी उपयुक्तता

कंपनी के पास अपने परिचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं। कंपनी कॉर्पोरेट शासन की प्रथाओं का अनुपालन कर रही है और कंपनी के मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड स्तरीय ऑडिट/सीएसआर/आरएंडडी/पारिश्रमिक/परियोजना समीक्षा समिति और विभिन्न नीतियाँ/योजनाएँ हैं जिनकी समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखा परीक्षक अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता की स्वतंत्र जांच भी करते हैं। आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

13. चेतावनीपूर्ण वक्तव्य

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण में वक्तव्य वर्तमान व्यावसायिक माहौल पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य की आर्थिक और अन्य घटनाओं के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09344894

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक-ग

सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा — संलग्नक ग-1 के रूप में संलग्न

2. सीएसआर समिति की संचरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने की संख्या
1	श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	अध्यक्ष एवं स्तंत्र निदेशक	3	3
2	श्री लखनलाल साहू	स्वतंत्र निदेशक	3	3
3	श्री जसबीर सिंह ठाकुर	स्वतंत्र निदेशक	3	3
4	श्री अनुपम मिश्रा	निदेशक (वाणिज्यिक एवं मानव संसाधन विकास)	3	2

3. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की जानकारी हो। — http://www.wapcos.co.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो तो (रिपोर्ट संलग्न करें) — --

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि (रुपये में)	पिछले वित्तीय वर्षों से निर्धारण हेतु अपेक्षित राशि (रुपये में)
	-		

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का शुद्ध औसत लाभ — रू. 36,90,03,372

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत का दो प्रतिशत — रू. 73,80,067/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग) रू. 73,80,067/-

8. (क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित अथवा अव्ययित राशि :

अव्ययित राशि (रूपये में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि. (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
रू. 48,36,557	रू. 24,34,466	29.04.2024	स्वच्छ गंगा कोष	रू. 1,09,044	26.09.2024

(ख) **वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	चालू वित्त वर्ष में परियोजना हेतु आवंटित राशि (रू. में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
46,06,245/- रू. (अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न)												

(ग) **वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्यय की गई राशि (रुपये करोड़ में)।	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपशीर्षों में व्ययित राशि- 2,30,312 रू.

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित राशि, यदि लागू हो___

(च) वित्तीय वर्ष में व्ययित कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)- 48,36,557 रू.

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
(I)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	73,80,067
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	48,36,557
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	—
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	—
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	—

9.(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)।	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				कोष का नाम	राशि (रू में .)	अंतरण की तिथि	
1	2022-2023	रू 2,03,97,444	1,73,03,280 (अनुलग्नक-बी पर संलग्न)	स्वच्छ गंगा कोष	रू 30,94,164	26.09.2024	-
2	2021-2022	क. रू 39,30,096	-	स्वच्छ गंगा कोष	रू 4,26,049	26.09.2024	-
		ख. रू 35,04,047 उपरोक्त (क) के संबंध में वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान वितरित किया गया।	-	-	-	-	-
		ग. शेष (क-ख) रू 4,26,049	-	-	-	-	-

(ख) विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) में जारी परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	जिस वित्तीय वर्ष में परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (रुपये में)।	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये में)।	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण/जारी

10 पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। —

(क) पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। —

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। —

(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि —

(घ) निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। —

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 1.31% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 और 5 (उपरोक्त) में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

ह./-	**ह./-**
(आनंद मोहन)	**(आर. के. अग्रवाल)**
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

अनुलग्नक-ग

अनुलग्नक-ग-1

सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

वाप्कोस लिमिटेड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रलय, भारत सरकार के अंतर्गत एक 'मिनी रत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून, 1969 को निगमित, वाप्कोस भारत और विदेशों में जल संसाधन, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रें के संबंधित सभी क्षेत्रें में परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत परामर्शी सेवाओं से संबंधी आईएसओ 9001:2015 की गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

विगत कई वर्षों से वाप्कोस विभिन्न सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 2010 से यह सीएसआर और सतत विकास के संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और तत्पश्चात अप्रैल 2013 से लागू संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखन करते हुए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, वाप्कोस भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं का पालन करता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.2.14 को जारी अधिसूचना सहित, वाप्कोस कंपनी द्वारा किए गए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से संबंधित सीएसआर नियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 का भी पालन करता है।

एक जागरूक कार्पोरेट नागरिक के रूप में, सीएसआर और स्थिरता के लिए वाप्कोस की अच्छी तरह से तैयार की गई नीति न केवल अपने दायित्वों को पूरा करती है बल्कि समाज पर भी सार्थक प्रभाव डालती है।

वाप्कोस सीएसआर विजन

"जीवन की गुणवत्ता और समाज की आर्थिक भलाई में सुधार करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयासरत एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक बनना।"

सीएसआर नीति के उद्देश्य

- संगठन में अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता को बढ़ाना जो पारदर्शी और नैतिक हो।
- उपयुक्त सीएसआर परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कठिनाई और दरिद्रता को दूर करने में सहायता करना।
- ग्रामीण/शहरी समाज में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना।
- कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल काम्पैक्ट के सिद्धांतों की सदस्यता लेते हुए अच्छे कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करना
- एक जिम्मेदार कार्पोरेट इकाई के रूप में वाप्कोस की छवि को सुदृढ़ करना।

सीएसआर के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

वाप्कोस की सीएसआर नीति अपने घोषित दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रें में अपनी मौजूदा क्षमता का उपयोग करके सामाजिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमती है।

वाप्कोस सीएसआर को व्यवसाय के संचालन के एक तरीके के रूप में देखता है जो नैतिक प्रणालियों और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन के निर्माण और वितरण को सक्षम बनाता है। वाप्कोस अधिदेश एजेंडा कंपनी को संगठनात्मक अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए बाध्य करता है, इसकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रें में रिपोर्टिंग और इसके प्रदर्शन का खुलासा करने में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप, अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंता प्रदर्शित करना, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली उत्पादन विधियों, वाणिज्यिक संचालन और प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, और गैर-वित्तीय मापदंडों में समान रूप से सराहनीय उपलब्धियों के साथ अपने वित्तीय प्रदर्शन का मिलान करके निवेशकों और शेयरधारकों के भरोसे और विश्वास को बनाए रखना। सीएसआर के लिए यह दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर प्रभाव डालने में एक परामर्शी संगठन के रूप में वाप्कोस की भूमिका को मजबूत करता है।

संस्थागत व्यवस्था

वाप्कोस में सीएसआर गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा इस प्रकार है:

इस विषय पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए एक दो स्तरीय संरचना बनाई गई थी। इस संरचना में बोर्ड स्तरीय समिति में एक कार्यात्मक निदेशक तीन स्वतंत्र निदेशक साथ ही अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। बोर्ड स्तर से नीचे की समिति में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण एवं सीएम), वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (आईएनएफएस-II), मुख्य प्रबंधक (सीपी), मुख्य प्रबंधक (पीआरएंडए), मुख्य प्रबंधक (वित्त) (सितंबर 2023 तक) और अपर मुख्य प्रबंधक (वित्त) पर शामिल हैं।

निधियों का स्रोत

कंपनी के औसत शुद्ध लाभ (धारा 198 के प्रावधान के अनुसार गणना की जाने वाली) के 2% की निर्धारित सीमा तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अधिनियम 2013 और सीएसआर नियमों में यथा निर्धारित 2023-24 के दौरान अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अनुसरण में खर्च करने के लिए निर्धारित है।।

वाप्कोस में सीएसआर और स्थिरता प्रक्रिया:

(i) आयोजना

नियोजन के पहले चरण में सीएसआर के व्यापक क्षेत्रें/परियोजनाओं की पहचान की जाती है। यह बजट आवंटन और सीएसआर परियोजनाओं के क्षेत्र/स्थान की पहचान के आधार पर किया जाता है।

सीएसआर और स्थिरता परियोजना के चयन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, वाप्कोस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक/आर्थिक/पर्यावरणीय प्रभाव के अपेक्षित स्तर के लिए आवश्यक संसाधन इनपुट के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इच्छित लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन करता है।

(ii) कार्यान्वयन

वाप्कोस द्वारा सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी एजेंडे के तहत चुनी गई गतिविधियों को आम तौर पर एक प्रोजेक्ट मोड में लागू किया जाता है, जिसमें नियोजित प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादन के चरणों को तैयार करना, संसाधनों की पूर्व- अनुमानित मात्र को जुटाना और आवंटित बजट और निर्धारित समय सीमा के भीतर शामिल होता है। इसमें उन नामित अधिकारियों/एजेंसियों की स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपना भी शामिल है जिन्हें कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। सभी सीएसआर और स्थिरता परियोजनाएं परिभाषित डिलिवरेबल्स, नियोजित समयसीमा और कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से की जाती हैं।

(iii) निगरानी

समय-सीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए पहचान किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की मदद से समय-समय पर निगरानी की जाती है, आवधिकता मुख्य रूप से प्रदर्शन संकेतकों की प्रकृति द्वारा निर्धारित की जा रही है। कार्यान्वयन में निरंतर प्रतिक्रिया और मध्य-पाठयक्रम सुधाार, जब भी आवश्यक हो, प्रभावी निगरानी प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं।

(iv) प्रभाव आकलनः

समय-समय पर जारी नीति/दिशानिर्देशों के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है।

सीएसआर और स्थायित्व का स्पष्ट रूप से जोर सतत विकासए समावेशी विकासए क्षमता निर्माणए समुदायों के सशक्तिकरणए समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकासए पर्यावरण संरक्षणए पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने और समाज के हाशिए पर आये और वंचित वर्गों के उत्थान पर है। गतिविधियों का चयन के दौरानए समाज के वंचितए वंचितए उपेक्षित और कमजोर वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थिरता विकास और समावेशी विकास पर मुख्य बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे अधिक चिंता का विषय वाले मुद्दों जैसेय वंचितों के सतत विकास और समावेशी विकास के लिए स्कूली शिक्षाए स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

वाप्कोस ने 2023-24 के दौरानए भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषणए स्कूली शिक्षाए पर्यावरणीय स्थिरता और वंचितों वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर और स्थिरता संबंधी पहल की है। व्यापक रूप सेए वाप्कोस ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएसआर और स्थिरता गतिविधियाँ शुरू की हैं जिनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है -

स्वास्थ्य देखभाल/ निवारक स्वास्थ्य देखभाल

तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक/मानसिक) सेवाएं और पोषण उपलब्ध कराना

महिलाओं के लिए मकान और छात्रावास स्थापित करना

ओडिशा के कंधमाल जिले में जलेशपट्टा में जनजातीय बालिका छात्रावास शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम को सुरक्षा और संरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम बालिका छात्रावास में चारदीवारी का निर्माण

पर्यावरण स्थिरता

राजस्थान के जोधपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना

अनुलग्नक-ग-2

8(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	चालू वित्त वर्ष में परियोजना हेतु आवंटित राशि (रू. में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर-पंजीकरण संख्या
	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की वंचित झुग्गी की महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	मद सं. 1 स्वास्थ्य एंव पोषण	जी हां	नई दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	01-11-2023 से 31-10-2024	12,83,230	5,29,380	7,53,850	नहीं	शान्ति सहयोग	CSR00008695
	ओडिशा में शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम, आदिवासी बालिका के छात्रावास, जलेशपट्ट, जिला- कंधमाल, को संरक्षा और सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करना	मद संख्या 3 महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	नहीं	ओडिशा	कंधमाल	20-10-2023 से 31-01-2024	23,96,250	23,96,250	-	नहीं	समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट	CSR00012502
	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गदा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	03-2024 से 15-10-2024	16,76,442.74	8,38,221	8,38,221.74	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826
	राजस्थान के जोधपुर जिले के सरगर्ध ब्लॉक के गजेसिंह नागर गांव में ब्लॉक के गदा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	07-03-2024 से 30-08-2024	16,84,787.55	8,42,393.77	8,42,393.78	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826
							70,40,710.29	**46,06,244.77**	**24,34,465.52**			
							पूर्णांक राशि	**46,06,245**	**24,34,466**			

अनुलग्नक-ग-3

वर्ष 2022-23 के अव्ययित सीएसआर खाते से परियोजनाओं पर व्यय (2023-2024 के दौरान संवितरित)

गतिविधि का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	वर्ष 2022-23 में अव्ययित सीएसआर खाते के लिए, परियोजना पर खर्च की गई राशि (23-24 के दौरान व्ययित)	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
झारखंड में पलामू और गढ़वा जिलों में हैंड-पंपों की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1.पलामू, गढ़वा 2.झारखंड	रू 24,22,926/- (रू 4,84,585/- के दौरान व्यथित 2022-23)	रू 13,90,591/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्याना तहसील में स्वास्थ्य और पोषण के तहत योग और प्राकृतिक चिकित्सा हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण-सह-उपचार शिविर प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	1.बुलंदशहर 2.उत्तर प्रदेश	रू 22,56,000/- (रू 4,37,330/- के दौरान व्यथित 2022-23)	रू 18,18,670/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में फर्स्ट रेफरल यूनिट में स्वास्थ्य देखभाल – डिजिटल एक्स-रे मशीन और यूपीएस की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	1.बहराइच 2.उत्तर प्रदेश	रू 24,52,000/-	रू 24,51,919/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
राजस्थान के जोधपुर जिले के रायमलवाड़ा और आसरलाई ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए नलकूपों की स्थापना और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना-	पर्यावरणीय स्थिरता	1.जोधपुर 2. राजस्थान	रू 41,44,681.96	रू 38,37,534.89	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
जोधपुर, राजस्थान के ओमपुरा और आसरलाई ग्राम पंचायतों में पेयजल हेतु नलकूपों की स्थापना और नलकूपों के लिए सौर प्रणाली की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1.जोधपुर 2. राजस्थान	रू 43,40,019.81	रू 42,00,253.51	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
जोधपुर, राजस्थान के ओमपुरा, फतेहगढ़ और केलानसार ग्राम पंचायतों और आसरलाई ग्राम पंचायतों में पेयजल हेतु नलकूपों की स्थापना और नलकूपों के लिए सौर प्रणाली की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1.जोधपुर 2. राजस्थान	रू 40,51,792.74	रू 36,04,311.89	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
अन्य सीएसआर परियोजना को आवंटित किया जाएगा			रू 16,51,938.49	0	
		कुल (पूर्णांक)	**2,03,97,444**	**1,73,03,280**	

अनुलग्नक-ग-4

2023-24 के दौरान सीएसआर परियोजना व्यय

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	परियोजना/कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि उपशीर्षक 1) परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय* 2) ओवरहेड्स**	2023-2024 के दौरान खर्च की गई संचयी राशि	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की वंचित झुग्गी-झोपड़ियों की महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक/मानसिक) सेवाएं एवं पोषण प्रदान करना	स्वास्थ्य एवं पोषण	1. दक्षिण दिल्ली 2. नई दिल्ली	12,83,230	5,29,380*	रू 5,29,380/-	मेसर्स शांति सहयोग रू
2.	जलेशपट्टा, जिला- कंधमाल, ओडिशा में एक आदिवासी बालिका छात्रावास, शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम को सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करना	महिलाओं के लिए गृह एवं छात्रावास की स्थापना	1. कंधमाल 2. ओडिशा	23,96,250	23,96,250*	रू 23,96,250/-	मेसर्स समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखाला ब्लॉक के गड़ा गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. जोधपुर 2. राजस्थान	16,76,442.74	8,38,221*	रू 8,38,221/-	मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान
4.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. जोधपुर 2. राजस्थान	16,84,787.55	8,42,393.77*	रू 8,42,393.77/-	मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान
				रू 70,40,710.29/-	रू 46,06,244.77*	रू 46,06,244.77/-	
				पूर्णांक राशि	रू 46,06,245	रू 46,06,245	

वर्ष 2022-2023 के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते से परियोजनाओं पर खर्च (2023-2024 के दौरान वितरित)

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	वर्ष 2022-23 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते से परियोजना पर खर्च की गई राशि (वर्ष 23-24 में खर्च की गई राशि)	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों में हैंडपंपों की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. पलामू, गढ़वा 2. झारखंड	24,22,926/- (रू 4,84,585/- खर्च किया दौरान 2022-23)	रू 13,90,591/-	रानी डॉली संस्थान केंद्र
2.	उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित स्याना तहसील में स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा हेतु अल्पावधि प्रशिक्षण-सह-उपचार शिविर का आयोजन-	स्वास्थ्य एवं पोषण	1. सियाना, बुलन्दशहर 2. उत्तर प्रदेश	22,56,000/- (रू 4,37,330/- खर्च किया दौरान 2022-23)	रू 18,18,670/-	यूनी आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सोसायटी
3.	स्वास्थ्य देखभाल – उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में प्रथम रेफरल इकाई में डिजिटल एक्स-रे मशीन और यूपीएस की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	1. कैसरगंज,बहराइच 2. उत्तर प्रदेश	24,52,000	रू 24,51,919/-	जिला प्रशासन बहराइच मेसर्स पैक्सफेड के माध्यम से
4.	राजस्थान के जोधपुर जिले के रायमलवाड़ा और आसरलाई ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना और ट्यूबवेल के लिए सौर प्रणाली की स्थापना-	पर्यावरणीय स्थिरता	1. रायमलवाड़ा एवं सरलाई ग्राम पंचायतें, जोधपुर 2. राजस्थान	41,44,681.96	रू 38,37,534.89/-	अर्पण सेवा संस्थान
5.	जोधपुर, राजस्थान के ओमपुरा और आसरलाई ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना और ट्यूबवेल के लिए सौर प्रणाली की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. ओमपुरा और असरलाई ग्राम पंचायत, जोधपुर 2. राजस्थान	43,40,019.81	रू 42,00,253.51	अर्पण सेवा संस्थान
6.	जोधपुर, राजस्थान के फतेहगढ़ और केलनसर ग्राम पंचायतों में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना और ट्यूबवेल के लिए सौर प्रणाली की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. फतेहगढ़ और केलनसर ग्राम पंचायत, जोधपुर 2. राजस्थान	40,51,792.74	रू 36,04,311.89	अर्पण सेवा संस्थान
7.	अन्य सीएसआर परियोजना को आवंटित किया जाएगा			**16,51,938.49**		
			पूर्णांक राशि	**2,03,97,444**	**Rs1,73,03,280**	

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधि संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।	अनुलग्नक-ग-1 के रूप में संलग्न http://www.wapcos.co.in/corporate-social-responsibility.aspx
2.	सीएसआर समिति की संरचना	श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत -अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक श्री लखनलाल साहू -सदस्य स्वतंत्र निदेशक श्री जसबीर सिंह ठाकुर -सदस्य स्वतंत्र निदेशक श्री अनुपम मिश्रा -सदस्य निदेशक (वाणिज्यिक एवं मानव संसाधन विकास)
3.	विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	**रु 36,90,03,372/-** (2020--21 , 2021-22 एवं 2022-2023)
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	**रु 73,80,067/-**
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित सीएसआर राशि का विवरण	
	(क) वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु 48,36,557/-
	(ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;	रु 1,09,044/-
	(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है।	अनुलग्नक-ग-4 के रूप में संलग्न
6.	यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय न करने का कारण बताएं।	लागू नहीं।

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है।

ह./-
(आनंद मोहन)
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

ह./-
(आर. के. अग्रवाल)
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

अनुलग्नक-घ

ऊर्जा का सरंक्षण, प्रौद्योगकी का समावेश, विदेशी विनियम अर्जित आय एवं व्यय

ऊर्जा का सरंक्षण

एक परामर्शी संगठन होने के नाते वाप्कोस के संचालन में ऊर्जा की किसी प्रकार की महत्वपूर्ण खपत नहीं होती है। हालाँकि, जहाँ भी संभव हो एलईडी बल्ब और ऊर्जा बचत उपकरणों का उपयोग किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र जलवायु क्षेत्र में स्थित वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव कार्यालय को बीईई 4 (****) नाम पत्र (लेबल) से सम्मानित किया है।

प्रौद्योगिकी का समावेश

1.	प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए किए गए प्रयास	**प्रभाग में निम्नलिखित सॉफ्रटवेयर खरीदे गए:** क) पीएसएसई - पॉवर सिस्टम अध्ययन हेतु इंजीनियरिंग के लिये पॉवर सिस्टम अनुकारक ख) ई टी ए पी - पावर सिस्टम का अध्ययन (मॉडड्यूल) ग) पी एल एस - कैड - ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन सॉफ्रटवेयर घ) पीएलएस टावर - पावर ट्रांसमिशन टावर का डिजाइन घ) पीएलएस पोल - वितरण पोल का डिजाइन च) पी वी सिस्ट - सौर ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने का सॉफ्रटवेयर छ) पीएलएस - एसएपीएस - पावर का संरचनात्मक विश्लेषण संचार प्रणाली ज) एम एस- परियोजनाएं 2016 प्रोफेशनल - परियोजना निगरानी उपकरण झ) एस टी ए डी डी प्रो - संरचनात्मक विश्लेषण और कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन ण) कृत्रिम बुद्धि ट) अर्कजीआईएस सॉफ्रटवेयर - आर्कजीआईएस एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुप्रयोग है। सॉफ्रटवेयर अन्य आर्कजीआईएस उत्पादों के साथ बनाए गए मानचित्रें को देखने और क्वेरी करने की अनुमति देता है।
2.	प्राप्त हुए लाभ जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में विकास, आयात का स्थानापन्न	सोफ्रटवेयर बहुत अधिक लाभदायक होते हैं क्योंकि ये न्यूनतम समय अवधि में उच्च गुणवत्ता का कार्य करते हैं। इन सॉफ्रटवेयरों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है: **क) ईटीएपी** विद्युतीय प्रणाली के निर्माण और विश्लेषण के दौरान उसके डायनेमिक्स, ट्रांसजिएंट और सुरक्षा को शामिल करते हुए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मॉडलिंग और सॉफ्रटवेयर के सिमुलेशन में इलेक्ट्रिकल ट्रांसिएंट एनालाइजर प्रोग्राम का प्रयोग (ईटीएपी)किया जा रहा है। • शॉर्ट सर्किट अध्ययन - सिस्टम में प्रत्येक भाग पर उपलब्ध त्रुटि का निर्धारण करने के लिए इनका प्रयोग जाता है। ये अध्ययन सर्किट ब्रेकरों के आवश्यक हस्तक्षेप करने वाली क्षमता का निर्धारण करने में मदद करते हैं जो एक उचित रिले सिस्टम को डिजाइन करने का आधार बनते हैं। • लोड फ्रलो अध्ययन - पावर सिस्टम प्रचालन और नियोजन में समस्याओं के अन्वेषण में यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। **ख) पीएलएस-कैड** - सर्वेक्षण डाटा पर आधारित ट्रांसमिशन लाइन रूट प्रोफाइल के लिए डिजाइन और विकास हेतु तत्काल रूकावट, स्वीकृति और लोड गणना हेतु प्रयोग किया जाता है।

		• सर्वेक्षण डाटा के आधार पर वितरण लाइन रूट प्रोफाइल का डिजाइन और विकास ग) **पीएलएस-टावर**- इसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन टावर की डिजाइनिंग में किया जा रहा है। घ) **पीएलएस-पोल** - सॉफ्रटवेयर के साथ (जैसे वितरण पोल की डिजाइनिंग) का निर्माण शीघ्रता से करने में सहायता। ङ) **पीवी सिस्टम - इसका प्रयोग सौर पीवी आधारित प्रणालियों के सौर ऊर्जा उत्पादन और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की (तकनीकी और वित्तीय) गणना के लिए किया जाता है।** च) **पीएलएस - एसएपीएस** • पावर और संचार प्रणाली का संरचनात्मक विश्लेषण एक सामान्य संरचनात्मक विश्लेषण कार्यक्रम है और इसका प्रयोग बाधा क्षमताओं, पावर और संचार प्रणाली के संरचनात्मक विश्लेषण की गणना करने के लिए किया जाता है। छ) **एम एस परियोजनाएं-2016 (व्यावसायिक)** • परियोजना मॉनिटरिंग, परियोजनाओं का विश्लेषण, वित्तीय संसाधनों का आवंटन, मानव संसाधन प्रबंधन ज) **एस टी ए डी डी प्रो** • संरचनात्मक विश्लेषण, मॉडल की डिजाइनिंग परिशुद्ध तथा किफायती डिजाइन, लोडिंग स्थितियों का निर्धारण।

3.	आयात की गई प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात किए गए)	
क)	आयात की गई प्रौद्योगिकी का विवरण	क) पीएसएसई-जर्मनी से आयातित ख) ईटीएपी- यूएसए से आयातित ग) पीएलएस-कैड/टावर/पोल - यूएसए से आयातित घ) पीवी सिस्ट - भारत ङ) पीएलएस - एसएपीएस - यूएसए से आयातित च) एमएस-परियोजनाएं - 2016 (व्यावसायिक) छ) एसटीएडीडी प्रो ज) आर्कजीआईएस – भारत से
ख)	आयात का वर्ष	क) ईटीएपी- 2012 (वर्तमान तिथि तक अद्यतन) ख) पीएलएस-कैड/टावर/पोल - 2013 (2018 को उन्नयन किया गया) ग) पीवी सिस्ट - 2013 घ) पीएलएस - एसएपीएस - 2019 ङ) एमएस-परियोजनाएं - 2014 (व्यावसायिक) च) एस टी ए डी डी प्रो - 2013/2014 छ) पीएसएसई ज) आर्कजीआईएस
ग)	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह समावेशित कर लिया गया है	हां और प्रचालन में है
घ)	यदि समावेषित नहीं किया गया है तो उन क्षेत्रें के बारे में बताएं जहां समावेषित नहीं किया गया है और उसका कारण भी बताएं_ और	लागू नहीं
4	अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय	शून्य

विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

आय	व्यय
163.44 करोड़ रू.	**60.47 करोड़ रू.**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09344894

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक-ङ

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,
सदस्य,
वाप्कोस लिमिटेड
5वां तल, कैलाश,
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110 0011

हमने **वाप्कोस लिमिटेड** (इसके पश्चात **"कंपनी"** के रूप में संदर्भित) जिसका पंजीकृत कार्यालय **5वां तल कैलाश, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001** पर स्थित है, के द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों और बेहतर निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है जिसने हमें निगमित लेन-देन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक समुचित आधार प्रदान किया है।

कंपनी की पुस्तकें, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दर्ज विवरणी तथा अन्य अनुरक्षित अभिलेख, और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए व्याख्यानों और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के आधार पर, हम यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का सामान्यत: अनुपालन किया है और साथ ही यह भी कि कंपनी के पास बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र उचित रूप से मौजूद हैं, जोकि उस सीमा तक, जिस रीति में और यहां इसके पश्चात दी गई जानकारी के अध्यधीन है।

हमने **'कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों"** के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी द्वारा धारित और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों तथा दाखिल की गई विविरणियों, पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और की जांच की है।

इसके अतिरिक्त, हमने **"भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों"** और समय-समय पर यथा संशोधित **"केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों"** की प्रयोज्य धाराओं के अनुपालन की जाचं की है।

इसके अतिरिक्त, हमने कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि इन्हें सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नियुक्त पेशेवरों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन रखा गया है।

निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन कंपनी द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपरोक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है,:

1. कंपनी द्वारा 2023-2024 की अवधि के दौरान बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है, अत: कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है

2. कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियों) के नियम 7 के साथ पठित खंड 177(10) का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत लेखा समिति के अध्यक्ष को सतर्कता तंत्र तक सीधी पहुंच की व्यवस्था है, लेकिन कंपनी ने लेखा समिति के अध्यक्ष के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सीधी पहुंच प्रदान की है।

3. कंपनी ने सभी प्रयोज्य प्रपत्रों और रिटर्न को कंपनी रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय में दाखिल किए हैं, परन्तु कुछ प्रपत्र अतिरिक्त शुल्क के साथ विलम्ब से दाखिल किए गए हैं।

4. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बोर्ड / समिति की बैठकों के मसौदा कार्यवृत्त को सभी निदेशकों की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु बैठकों के समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वितरित नहीं किया गया, जिसके कारण एस एस-1 के खंड 7.4 का अनुपालन नहीं हो रहा है।

हम यह सूचित करते हैं कि :

बोर्ड सदस्यों को पर्याप्त नोटिस, एजेंडा और एजेंडा संबंधी विवरण नोट उपलब्ध कराने के माध्यम से समुचित रीति से बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं; और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय सहमति से लिए जाते हैं जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को बैठकों के कार्यवृत्तों के भाग के रूप में अभिलेखित और दर्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि:

प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन की दृष्टि से पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए

जितेश गुप्ता
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)
एफसीएस नंबर 3978
सी.पी. नंबर: 2448
सहकर्मी समीक्षा संख्या 902/2020
यूडीआईएन: F003978F003527731

स्थान: नोएडा
दिनांक: 30.12.2024

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र जोकि **"अनुलनग्नक क"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है, के साथ पढ़ा जाएगा।

'अनुलग्नक-क '

सेवा में,

सदस्य,
वाप्कोस लिमिटेड
5वां तल, कैलाश,
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

इस पत्र के साथ समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्डों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन, परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. समीक्षाधीन अवधि की आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं करायी गई। इसलिए कंपनी के सांविधक अनुपालन की शुद्धता और उपयुक्तता के संबंध में कंपनी से प्राप्त प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर निर्भरता व्यक्त की गई है।
4. समीक्षाधीन अवधि की सांवधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं करायी गई। इसलिए कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बहीखातों की शुद्धता और उपयुक्तता के संबंध में कंपनी से प्राप्त प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर निर्भरता व्यक्त की गई है।।
5. जहां कहीं आवश्यक हो, हमे कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और आयोजनों आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक और अपना अभिमत देने तक सीमित थी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है या नहीं।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों से सबंधित कार्य किया है।

जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए

जितेश गुप्ता
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)
एफसीएस नंबर 3978
सी.पी. नंबर: 2448
सहकर्मी समीक्षा संख्या 902/2020
यूडीआईएन: F003978F003527731

स्थान: नोएडा
दिनांक: 30.12.2024

अनुलग्नक-च

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर

सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	टिप्पणियों पर कंपनी की प्रतिक्रिया
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 3 का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी ने 2023-2024 की अवधि के लिए बोर्ड में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	सरकारी कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। हमने अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात जल शक्ति मंत्रालय से हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला-सह-स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया है। नियुक्ति प्रतीक्षित है।
कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं उसकी शक्तियां) नियम 7 के साथ पठित धारा 177(10) जोकि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सतर्कता तंत्र में सीधे पहुँच प्रदान करता है, का पालन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के स्थान पर कंपनी के सीएमडी को सीधे पहुँच प्रदान की है।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति के कामकाजी संदर्भ में पहले से ही "व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म के कामकाज की समीक्षा" और "व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना" शामिल है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म के कामकाज की समीक्षा करती है। आवश्यक कारवाई की जाएगी।
कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार तथा अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लागू फॉर्म और रिटर्न जमा कर दिए हैं, लेकिन कुछ फॉर्म अतिरिक्त फीस के साथ देर से जमा किए गए हैं।	अधिकारियों/संस्थाओं से निर्धारित समय पर दस्तावेज़ न मिलने के कारण कुछ फॉर्म अतिरिक्त फीस के साथ जमा किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की बोर्ड बैठक/ समिति बैठक के मसौदा कार्यावृत को बैठक संपन्न होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित नहीं किया गया, अतः एसएस-1 के खण्ड 7.4 का पालन नहीं किया गया।	कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नोट्स

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष के संबंध में, वाप्कोस लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप में, वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है।, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करने की जिम्मेदारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक है। यह उल्लिखित किया गया है कि ऐसा उनके द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, हमने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक ही सीमित है।

हमारी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आये हैं और जो मेरे मत में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को समझने के लिए आवश्यक है।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

लाभ और हानि का विवरण

क. अन्य व्यय – रू 156.85 करोड़ (टिप्पणी सं. 28)

कंपनी की लेखांकन नीति 1.7 व्यापार प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा (एसडी) और अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यहास का प्रावधान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना हेतु कंपनी द्वारा आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा था। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप प्राप्ति पोर्टफोलियो के संबंध में संभावित क्रेडिट हानि का अनुमान उपलब्ध कराने हेतु ईसीएल की गणना के लिए बीमांकक की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स पद्धति से सक्रिय मूल्यांकन आधारित का आश्रय लिया है। कंपनी ने इस परिवर्तन को लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में माना है और इसे पूर्व व्यापी रूप से पूर्व की अवधियों पर लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूपप पूर्व के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया।

भारतीय लेखामानक 8 (पैराग्राफ 32, 32क, 35) के अनुसार, वित्तीय संपत्तियों के संदर्भ में ईसीएल के मापन हेतु अनुमानित तकनीक में परिवर्तन लेखांकन तकनीक में परिवर्तन है और इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखामानक 8 के पैराग्राफ 36 में प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था, न कि पिछली अवधि के रूप में जैसा कंपनी ने किया है। वर्ष के दौरान प्रभार्य किये जाने वाला आवश्यक कुल प्रावधान लगभग 186.53 करोड़ रुपये (बीमांकिक पद्धति के अनुसार 164.22 करोड़ रुपये का अधिशेष प्रावधान और 22.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान और लेखा नीति के अनुसार 10 वर्षों से अधिक की प्राप्तियों के बट्टे खाते राशि)। लेकिन कंपनी द्वारा वर्ष में केवल 54.41 करोड़ रुपये का प्रभार्य किया गया जबकि 132.12 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के व्यय के रूप में गलत तरीके से प्रभार्य किए गए (टिप्पणी-49)। त्रुटिपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वर्ष के संबंध में अन्य व्यय की न्यूनोक्ति की गई है और वर्ष के दौरान 132.12 करोड़ रुपये के लाभ का अतिकथन किया गया है।

ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी

ख.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए गए 59.30 करोड़ के लाभ पर उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव 222.80 प्रतिशत के रूप में आंकलित किया गया है और उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव के कारण 72.82 करोड़ रूपये की हानि होगी।

अत:, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और स्पष्ट परिदृश्य' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के पक्ष की ओर से समुचित आश्वासन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है है कि वित्तीय विवरण 'सत्य और स्पष्ट परिदृश्य' प्रस्तुत करते हैं।

ख.2 अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट - अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है जिसमें कहा गया है कि "कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू होते हैं, अभिलेख प्रतिधारण हेतु सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल के संरक्षण संबंधी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (ग) के तहत दी गई जानकारी वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लागू नहीं है।"

इसी प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक (आईए) रिपोर्ट के अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट की बिंदु संख्या 1(i)(v) अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है जिसमें कहा गया है कि "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुरूप विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार के लाभांश घोषित नहीं किया।"

लेखापरीक्षकों ने एमसीए द्वारा 24 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) और 11(च) के अनुसार जानकारी नहीं दी है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

ख.3 लेखपरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

लेखा परीक्षकों ने वर्ष के दौरान तीन उप-दिशानिर्देशों के संबंध में रिपोर्ट की है जबकि वर्ष 2023-24 के लिए केवल एक उप-दिशानिर्देश को जारी किया गया था। इस प्रकार, अनुलग्नक – ख में दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है।

ग. अन्य टिप्पणियाँ

ग.1 कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी कुछ शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन निर्बंध आरक्षित निधियों से लाभांश की घोषणा कर सकती है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित से 25 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया, लेकिन नियमों में निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि लाभांश के भुगतान के बाद 'सामान्य रिजर्व' की बकाया राशि नकारात्मक हो गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक, केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.07.2025

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वाप्कोस के स्टैंडअलोन वित्तीय पर सीएजी की टिप्पणी का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
1.	**क. लाभप्रदता पर टिप्पणी** **लाभ और हानि का विवरण** **क.1 अन्य खर्चे – रु. 156.85 करोड़ (नोट 28)** व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि के लिए प्रावधान- रु. 53.77 करोड़ कंपनी की लेखा नीति संख्या 1.7 वित्तीय परिसंपत्तियों – जिसमें व्यापार प्राप्य, प्रतिभूति जमाराशि (एसडी), और बयाना जमा- राशि (ईएमडी) शामिल हैं – की हानि के लिए प्रावधान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना के लिए आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रही थी। चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्य संविभाग के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का अनुमान प्रदान करने के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति करके ईसीएल की गणना के लिए आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स की पद्धति का उपयोग करने के स्थान पर बीमांकिक-आधारित मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया। कंपनी ने इस परिवर्तन को लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में माना तथा इस पद्धति को पूर्ववर्ती अवधियों पर लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरणों में समायोजन हुआ। भारतीय लेखा मानक 8 (पैरा 32, 32 ए, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए आकलन तकनीक में परिवर्तन लेखांकन अनुमान में परिवर्तन है और इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 36 के अनुसार भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था, न कि कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए था। वर्ष के दौरान वसूला जाने वाला कुल प्रावधान 186.53 करोड़ रुपये (164.22 करोड़ रुपये बीमांकिक पद्धति के अनुसार प्रावधान का अंतर है और 22.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के लिए हैं तथा लेखांकन नीति के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की प्राप्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि है) था। लेकिन कंपनी ने वर्ष के दौरान केवल 54.41 करोड़ रुपये वसूले, जबकि 132.12 करोड़	कंपनी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) का अनुमान लगाने के लिए पद्धति में परिवर्तन के वर्गीकरण और अनुप्रयोग के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर अपनी सुविचारित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करती है। **1. परिवर्तन का संदर्भ** • कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.) को अपनाया। • भारतीय लेखा मानकों की जरूरतों के अनुसार, कंपनी ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर आंतरिक रूप से विकसित ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए, भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना कर रही थी। • इस पद्धति को पूर्ववर्ती वैधानिक लेखापरीक्षाओं के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक लगातार लागू और स्वीकार किया गया था। • हालाँकि, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने पाया कि मौजूदा मॉडल में पर्याप्त वैज्ञानिक आधार का अभाव था। इसी लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2020-21 में ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। • जवाब में, और उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व के बावजूद विशिष्ट मार्गदर्शन के अभाव में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक अधिक मजबूत और सांख्यिकीय रूप से समर्थित ईसीएल अनुमानित ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित बीमांकक फर्म की नियुक्ति की। **2. लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में वर्गीकरण का आधार** • कंपनी का मानना है कि आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स से बीमांकिक मूल्यांकन ढांचे में परिवर्तन माप के आधार में परिवर्तन को निरूपित करता है और तदनुसार लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में योग्य है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 35 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है: माप आधार में लागू परिवर्तन, लेखांकन नीति में परिवर्तन है, ना कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन है। आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स मुख्यतः पूर्वव्यापी आँकड़ों पर निर्भर था, जबकि अपनाए गए बीमांकिक दृष्टिकोण में रोल दर और हानि दर पद्धतियों जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं, जो सांख्यिकीय मॉडलिंग के आधार पर प्राप्य राशियों की आयु वृद्धि प्रवृत्तियों और हानि व्यवहार का मूल्यांकन करती हैं। यह मापन मॉडल में एक मौलिक बदलाव को निरूपित करता है - न कि केवल मौजूदा ढाँचे के भीतर अनुमान मापदंडों में बदलाव। • भारतीय लेखा मानक-8 के अनुसार, पूर्वव्यापी पुनर्कथन की परिभाषा वित्तीय विवरणों केवयवों की मात्रा की पहचान, माप और प्रकटीकरण को सही करना है, जैसे कि पूर्व अवधि में कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी। • निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक 8 प्रावधान इस वर्गीकरण का समर्थन करते हैं: • समान लेनदेन के लिए लेखांकन नीतियों के सुसंगत अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। • यदि इससे अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक वित्तीय जानकारी प्राप्त होती है तो लेखांकन नीति में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है। • "भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 15 में कहा गया है कि "वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को किसी इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएजी की टिप्पणी</th><th>प्रबंधन का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>रुपये पिछले वर्ष के व्यय के रूप में गलत तरीके से वसूले गए (टिप्पणी -49)।

गलत लेखांकन पद्धति के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ 132.12 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।</td><td>रुझानों की पहचान करने के लिए समय के साथ उसके वित्तीय विवरणों की तुलना करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक अवधि के भीतर और एक अवधि से दूसरी अवधि तक समान लेखांकन नीतियाँ लागू की जाती हैं।”
• लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए पूर्वव्यापी आवेदन को अनिवार्य करें, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो।
• लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, सिवाय उस सीमा तक जब परिवर्तन के अवधि-विशिष्ट प्रभाव या संचयी प्रभाव का निर्धारण करना अव्यावहारिक हो।
• जब कोई संस्था पूर्वव्यापी नई लेखांकन नीति लागू करती है, तो वह नई लेखांकन नीति को यथासंभव पूर्व अवधियों की तुलनात्मक जानकारी पर लागू करती है।
• तदनुसार, कंपनी ने संशोधित नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया, और समायोजन चालू वर्ष के प्रारंभिक शेष में परिलक्षित हुए और वित्तीय विवरणों के नोट 49 में व्यापक रूप से प्रकट किए गए।

3. भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 32 क से अंतर
• सादर निवेदन है कि भारतीय लेखा मानक 8 का अनुच्छेद 32A, जो आकलन तकनीक में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन मानता है, उन मामलों में लागू होता है जहाँ अंतर्निहित मापन आधार अपरिवर्तित रहता है। वर्तमान मामले में, स्थिर, ऐतिहासिक हानि मैट्रिक्स से गतिशील बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन, हानि प्रावधान के वैचारिक आधार में परिवर्तन का गठन करता है और इसलिए अनुच्छेद 35 के अनुसार लेखांकन नीति में परिवर्तन के दायरे में आता है।

4. अभिशासन, प्रकटीकरण और वित्तीय प्रभाव
किए गए परिवर्तन :
• वैधानिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विचार करने के बाद निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित।
• भारतीय लेखा मानक 1 और भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार वित्तीय विवरणों में पारदर्शी तरीके से खुलासा किया गया।
• हम आपका ध्यान निम्नलिखित तालिका की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो लेखापरीक्षक को प्रस्तुत की गई थी:

रूपये करोड़ में
<table><tr><th></th><th>वाप्कोस</th></tr><tr><td>2022-2023</td><td></td></tr><tr><td>देनदार</td><td>1927.69</td></tr><tr><td>प्रावधान</td><td>351.5</td></tr><tr><td>देनदारों के % के रूप में प्रावधान</td><td>18.23</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>2023-2024</td><td></td></tr><tr><td>देनदार</td><td>2007.58</td></tr><tr><td>प्रावधान</td><td>492.53</td></tr><tr><td>देनदारों के % के रूप में प्रावधान</td><td>24.53</td></tr><tr><td>राशि में अंतर (प्रावधान)</td><td>141.03</td></tr><tr><td>प्रतिशत में अंतर (प्रावधान)</td><td>40.12</td></tr></table></td></tr>
</table>

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के पास 31.03.2023 तक सकल देनदारों के 18.23% के बराबर 351.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसकी गणना पुरानी ग्रिड मैट्रिक्स दर के आधार पर की गई थी। हालाँकि, बीमांकिक मूल्यांकन को अपनाने के बाद, प्रावधान की मात्रा बढ़कर 492.53 करोड़ रुपये हो गई, जो 31.03.2024 तक सकल देनदारों का 24.53% थी। इसके अलावा, यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2024 तक संचयी प्रावधान की मात्रा में 40.12% की वृद्धि को दर्शाता है। **5. निष्कर्ष** कंपनी पुनः दोहराती है कि: • यह परिवर्तन अनुपालन को मजबूत करने और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए लिया गया एक सोची-समझी, तर्कसंगत निर्णय था। • अपनाया गया व्यवहार भारतीय लेखा मानक 8 और भारतीय लेखा मानक 109 के लागू प्रावधानों के अनुरूप है। • लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में वर्गीकरण तकनीकी रूप से सटीक, कानूनी रूप से रक्षणीय तथा अंतर्निहित परिवर्तन के सार के अनुरूप है। इस प्रकार, लाभ का कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं है।
2.	**ख. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ** **ख.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट** कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 59.30 करोड़ रुपये के मुनाफे पर उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव 222.80 प्रतिशत है और उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव से 72.82 करोड़ रुपये की हानि होगी। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' को निरूपित नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करते हैं।	हमारे विचार से, लाभ-हानि विवरण सही और निष्पक्ष है। नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर, और कैग (CAG) टीमों की टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण: **पैरा ख1 के लिए लेखापरीक्षक का उत्तर** हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का निर्धारण करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में परिवर्तन के वर्गीकरण और पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन की जाँच की है। तथ्यों, लागू भारतीय लेखा मानक प्रावधानों और मॉडल परिवर्तन के सार का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, हम निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं: **1. परिवर्तन की प्रकृति और सार** कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में, अपने आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स (ऐतिहासिक चूक दरों पर आधारित) को एक बीमांकिक मूल्यांकन ढाँचे से बदल दिया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना के लिए रोल दर और हानि दर तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह मूल्यांकन कंपनी द्वारा चयनित एक प्रतिष्ठित बीमांकिक फर्म द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में अनुभव रखने वाली एक प्रतिष्ठित बीमांकिक फर्म द्वारा किया गया था। हमने एसए 620 के अनुसार उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की राय शामिल थी और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में भी इसी तरह के मॉडल का उपयोग किया गया है। यह परिवर्तन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जारी लेखापरीक्षा योग्यता के जवाब में किया गया था, जिसमें मौजूदा मॉडल की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाए गए थे तथा वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण की सिफारिश की गई थी। पिछले वर्ष के दौरान, हमने ईसीएल पर निम्नलिखित लायक राय जारी की है: *"कंपनी ने पिछले वर्ष बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार ईसीएल के लिए*

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		प्रावधान किया है और हमने उसी पर भरोसा किया है। *इसके अलावा, हमने संबंधित पक्षों से राशि की वसूली और मैट्रिक्स के आधार की पुष्टि नहीं की है क्योंकि कंपनी द्वारा हमें प्रासंगिक डेटा और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण हम प्रावधान की पर्याप्तता और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।"* **2. भारतीय मानक ब्यूरो 8 के तहत वर्गीकरण का आधार** हमारे व्यावसायिक निर्णय में, उक्त परिवर्तन लेखांकन नीति में परिवर्तन है, न कि अनुमान में परिवर्तन, जिसके निम्नलिखित कारण हैं: **भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 35 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:** लागू की गई माप आधार में परिवर्तन लेखांकन नीति में परिवर्तन है, न कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन। आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स के अंतर्गत प्रयुक्त मापन का आधार पूर्वव्यापी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों पर आधारित था। इसके विपरीत, बीमांकिक मॉडल भविष्योन्मुखी है, जो संभाव्यता-आधारित परिवर्तनों और नकदी प्रवाह व्यवहार मॉडलिंग द्वारा संचालित होता है। यह परिवर्तन केवल मापदंडों का परिशोधन नहीं है, बल्कि मूल्यांकन दर्शन में एक मूलभूत परिवर्तन है। भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 13 और 14(b) के तहत अपेक्षित, संशोधित नीति का चयन विश्वसनीयता बढ़ाने, वित्तीय रिपोर्टिंग की योग्यता और प्रासंगिकता से बचने के लिए किया गया, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रासंगिक वर्गों में सुसंगत रूप से लागू किया गया। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, पूर्वव्यापी पुनर्कथन की परिभाषा वित्तीय विवरणों के अवयवों की मात्रा की पहचान, माप और प्रकटीकरण को सही करना है, जैसे कि पूर्व अवधि में कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी। भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 19 और 22 के अनुरूप, कंपनी ने परिवर्तन को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया और तुलनात्मक शेष को उचित रूप से पुनः प्रस्तुत किया, वित्तीय विवरणों के नोट 49 में विस्तृत प्रकटीकरण किया, जो सही है। **3. भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 32 क की प्रयोज्यता** विनम्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 32क, जो आकलन तकनीकों में बदलावों से संबंधित है, वहाँ लागू होने के लिए है जहाँ अंतर्निहित मापन आधार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आकलन मान्यताओं या इनपुट में संशोधन किया जाता है। इसका अर्थ है कि यह तभी लागू होता है जब मापन आधार वही रहता है। हमारे मामले में, पूरा मॉडल बदल दिया गया था, इसलिए पैरा 35 लागू होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें शामिल है: रियायती नकदी प्रवाह विधि हानि दर विधि रोल दर विधि डिफॉल्ट पद्धति की लाभप्रदता ऐजिंग शेड्युल पद्धति

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		हमारे मामले में, बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता ने रोल दर और हानि दर विधियों को लागू किया है। मौजूदा ढाँचे के भीतर; इसने पूरे अनुमान आधारित मॉडल को एक नए बीमांकिक दृष्टिकोण से बदल दिया। इस प्रकार, पैराग्राफ 35 इस मामले को उचित रूप से नियंत्रित करता है, और अपनाया गया उपचार हमारी राय में तकनीकी रूप से सही है। **4. लेखापरीक्षा मूल्यांकन और निष्कर्ष** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के हिस्सा के रूप में, हमारे पास उपलब्ध है: जाँची हुई बीमांकिक रिपोर्ट और कार्यपत्र। नीति परिवर्तन के औचित्य और शासन का मूल्यांकन किया गया। सत्यापित किया गया कि पूर्वव्यापी समायोजन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार किए गए थे। यह सुनिश्चित किया गया कि प्रासंगिक प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक 1 और भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से किए गए। **उपरोक्त के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि:** वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखांकन नीति के रूप में परिवर्तन को मानना तथा उसका पूर्वव्यापी अनुप्रयोग भारतीय लेखा मानक 8 तथा भारतीय लेखा मानक 109 के पूर्णतः अनुरूप है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि पिछले सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अपनी रिपोर्ट को यह कहते हुए योग्य ठहराया था कि ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स वैज्ञानिक नहीं है और ईसीएल गणना का उचित हिसाब नहीं रखा गया था। पिछले सांविधिक लेखापरीक्षक की योग्यता के कारण, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी नीति में बदलाव किया और अपने आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स (ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट दरों के आधार पर) को एक बीमांकिक मूल्यांकन ढांचे में बदल दिया, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना के लिए रोल दर और हानि दर तकनीकों का उपयोग किया गया। प्रबंधन ने मॉडल का पुनर्मूल्यांकन किया और पिछली कमजोरियों को दूर करने और योग्यता संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से एक मजबूत बीमांकिक पद्धति को अपनाया। इस परिवर्तन से ऋण जोखिम मूल्यांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और निष्पक्षता में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार, ₹132.12 करोड़ को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में समायोजित किया गया, और ₹37.30 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय लेखा मानक 8 के अनुपालन में वसूले गए। अतः, अन्य व्ययों को कम करके या लाभ को ₹132.12 करोड़ से अधिक नहीं दर्शाया गया है। वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं। **निष्कर्ष** लाभ और हानि खाते में बताए गए 132.12 करोड़ रुपये के लाभ पर कैग (CAG) की टिप्पणी का प्रभाव सही और उचित दृष्टिकोण नहीं है, हम कैग (CAG) द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण से असहमत हैं और इसको लेकर पूरी तरह से मतभेद है और हमारी राय ऊपर दिए गए तथ्य पर आधारित है, इसलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा लाभ और हानि का कोई गलत बयान नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी का वित्तीय विवरण सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और हितधारकों को आश्वासन देता है कि वित्तीय विवरण सही और उचित दृष्टिकोण को निरूपित करता है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
3.	**ख.2 अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट** " स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट - अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।" ". इसी प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक (IA) की अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के बिंदु संख्या 1 (i) (v) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के संदर्भ में विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया है"। लेखापरीक्षकों ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (g) और 11 (f) के अनुसार रिपोर्ट नहीं दी है, जैसा कि 24 मार्च 2021 को एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। अतः, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट काफी हद तक अपूर्ण है।	**पैरा B2 के लिए लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर** लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रभाव का वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान रखा गया है।
4.	**ख.3 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख** लेखापरीक्षकों ने वर्ष के दौरान तीन उप-निर्देशों पर रिपोर्ट दी है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए केवल एक उप-निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार, अनुलग्नक-B में दी गई रिपोर्टिंग पूरी तरह से अपूर्ण है।	लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रभाव का वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान रखा गया है।
5.	**अन्य टिप्पणियाँ** ग.1. कंपनी (लाभांश की घोषणा एवं भुगतान) नियम, 2014 के अनुसार, कोई भी कंपनी कुछ शर्तों को पूरा करने पर मुक्त आरक्षित निधियों से लाभांश घोषित कर सकती है। कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में से 25 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23 से संबंधित) का लाभांश भुगतान किया, लेकिन नियमों में निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया क्योंकि लाभांश भुगतान के बाद, 'सामान्य आरक्षित निधियों' का शेष ऋणात्मक हो गया।	लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रभाव का वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान रखा गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मेसर्स वाप्कोस के सदस्यों के लिए

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने वाप्कोस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट, और लाभ-हानि का समेकित विवरण (अन्य बड़ी आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद "स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हता विचार खंड के लिए आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना को उसी तरीके से उपलब्ध कराया गया हैं जैसा अपेक्षित है और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कार्यों की स्थिति, लाभ, कुल समेकित बड़ी आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके नकदी की सही और निष्पक्ष स्थिति का कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र कंपनी हैं, साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी संशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु

मुख्य लेखा परीक्षा बिंदु वे मामले होते है जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इन मामलों को समग्र रूप से स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के लिए शामिल किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। अर्हक अभिमत के लिए आधार खंड में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
1.	**राजस्व मान्यता** कंपनी के ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अनुबंधों में परामर्श और निर्माण अनुबंध शामिल हैं। कंपनी भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के संबंध में जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण से राजस्व प्राप्त करती है। कंपनी अनुबंध में नियत की गई सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना, सुपुर्द को निर्धारित करना और ग्राहक की उन डेलिविरेब्लस और स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की क्षमता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में शामिल है। कतिपय एकीकृत सेवाओं की व्यवस्थाओं के मामले में, ग्राहकों के साथ अनुबंधों में उपठेकेदार सेवाएँ या तृतीय पक्ष विक्रेता उपकरण शामिल होता है। इन प्रकार के व्यवस्थाओं में, जब कंपनी ग्राहक और विक्रेता के बीच एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही होती है तृतीय पक्ष विक्रेता उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से होने वाली आय को निवल लागत के रूप में और जब कंपनी लेनदेन के के मूल में होती है, तो सकल के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा करते समय, कंपनी पहले इस बात का मूल्यांकन करती है कि ग्राहक को स्थानांतरित करने से पूर्व क्या वह निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करती है। कंपनी यह विचार करती है कि क्या यह निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के वादे को पूरा करने, इन्वेंटरी जोखिम, मूल्य निर्धारण विवेक और अन्य कारकों को निर्धारित करने के लिए के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यह कि क्या यह उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण रखती है और इसलिए, यह एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है।	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ (1) विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान, (2) यह निर्धारित करना कि कंपनी एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (3) यह कि क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को स्ट्रेट-लाइन आधार पर या पूर्णता प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के नमूने का चयन किया और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन किया: – मास्टर सेवा अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों सहित जो अनुबंध का हिस्सा थे, प्रत्येक चयन हेतु अनुबंध दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें पढ़ा – (i) विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान (ii) क्या कंपनी एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (iii) क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को स्ट्रेट लाइन आधार पर या पूर्णता के प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, के सबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने हेतु अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों और डिलिवरेबल्स की पहचान की गई। निर्माण अनुबंधों से होने वाली आय में कंपनी की उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए इसे परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और जहां अनुबंध की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि ठेकेदार को ग्राहक की ओर से चुना जाए, निविदा दस्तावेज तैयार किए जाएं, और निविदाएं आमंत्रित की जाएं। निर्माण लागत के प्रतिशत के रूप में की गई गणना के आधार पर कंपनी द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क लिया जाता है। निर्माण कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा कंपनी को भेजा जाता है, तत्पश्चात कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागत-से-कॉस्ट आधार पर ग्राहक को बिल भेजती है। कंपनी, जो स्वयं को एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में देखती है, लाभ और हानि खाते में सकल राशि (पीएमसी सेवा शुल्क सहित निर्माण लागत) को राजस्व के रूप में और मिलान की गई लगातार निर्माण लागत को व्यय के रूप में दर्ज करती है। मुख्य विशेषताओं/टिप्पणियां निम्नलिखित है: 1. चूंकि कंपनी का मुख्य क्षेत्र इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण से संबंधित परामर्श सेवाओं में है, न कि निर्माण सेवाओं में, इसे विभिन्न ग्राहकों द्वारा एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त की जाता है, जिसमें निर्माण से संबंधित कार्यों को पूरा करने हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करना भी शामिल है। 2. ग्राहक की ओर से ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों की संलग्नता शर्तों में स्पष्ट रूप से कंपनी की बैक-टू-बैक भुगतान आवश्यकता या क्रेडिट जोखिम से उन्मुक्ति उल्लेख किया जाता है। ठेकेदार को कंपनी द्वारा केवल तब भुगतान किया जाता है जब ग्राहक ने भुगतान किया हो। 3. कंपनी की अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध अथवा एमओयू, की शर्तें, मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन सलाहकार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, संगठन के पास बैक-टू-बैक सहभागिता के कारण कोई इन्वेंटरी नहीं है। 4. लागत-प्लस अनुबंध की सामान्य शर्तों के विपरीत, वर्तमान अनुबंधों के अंतर्गत विचारार्थ ठेकेदारों से आमतौर पर टर्नकी आधार पर निर्माण कोटेशन प्राप्त किए जाते हैं। 5. यह कि ठेकेदारों के लाभ मार्जिन के विपरीत, निर्माण लागत के अतिरिक्त पीएमसी शुल्क लिया जाता है, जो कंपनी की वास्तविक आय को दर्शाता है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
2.	परियोजना हेतु वेतन लागत का निर्धारण	कंपनी का अधिकांश राजस्व परामर्श शुल्क से प्राप्त होता है, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव कंपनी के आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अत्यधिक पहल के कारण, प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्रयासों का आवंटन करना संभव नहीं है। लेखांकन नीति में भी यह उल्लिखित है कि कर्मचारी खर्चों को लाभ और हानि में से पूर्ण रूप पर आवधिक आधार पर घटाया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक, कर्मिक प्रयासों के योगदान के कारण अनबिल कार्य या प्रगतिधीन कार्य में कोई व्यक्तिगत लागत का घटक नहीं है।
3.	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ, और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ कंपनी कई कर और अन्य कानूनी विवादों, जिनका समाधान करना कठिन है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते है, में उलझी हुई है, कानूनी कार्यवाही से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन जटिल अवधारणाओं पर आधारित है जो निर्णय लेने की आवश्यकता को जन्म देता हैं। यह निर्णय मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम के अनुमान से संबंधित अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता से संबंधित है। आवश्यक निर्णय, इन कानूनी विवादों का महत्व, और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है।	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: i. जारी विधिक और कर विवादों का पता लगाने हेतु की गई प्रक्रिया और संबंधित उपायों का मूल्यांकन ii. विधि और कर विभाग के संभावित विधिक और कर जोखिमों के आकलन में उपयोग की गई अवधारणाओं का मूल्यांकन। iii. विधि और कर विभागों के प्रमुख विवादों की स्थिति की जांच, और हमें प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच। iv. मौजूदा विवादों के संभावित परिणामों के संबंध में प्रबंधन की ओर से प्रस्तुतिकरण v. खातों की टिप्पणियों के पर्याप्त प्रकटीकरण का मूल्यांकन।
4.	कर्मचारी कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान सीपीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ के आधार पर कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि उस वर्ष में आवश्यक प्रावधान किए गए हों। पिछले वित्तीय वर्ष के परिणामों को भारतीय लेखा मानक नियमों और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूर्व अवधि के समायोजनों हेतु पुन: दोहराया गया है, जो पूर्व के वर्षों के कर पूर्व लाभ को प्रभावित करता है।	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: i. यह निर्धारित करने हेतु कि कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान की गणना किस प्रार की जाती है सीपीएसई दिशानिर्देशों की जांच ii. पुनः व्यक्त संशोधनों पर किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित विभाग से पूछताछ। iii. वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों की जांच और उनके आधार पर सर्वाधिक कार्यात्मक कार्यनीति का चयन करना। iv. कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि, सीपीएसई संबंधित किसी भी अनुदेशों के अनुसार, ऐसे समायोजनों पर वास्तविक वितरण के समय विचार किया जाएगा। अतिरिक्त समायोजन (यदि कोई हो) पर वास्तविक भुगतान के समय विचार किया जाएगा। गणनाओं को संबंधित वर्ष के लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों के आधार पर पूर्व अवधि के समायोजनों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर पूर्व लेखापरीक्षा लाभ के आधार पर किया गया है।

मामलों पर जोर

1. विवादित दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। आकस्मिक देनदारियाँ ऐसी स्थिति में विकसित हो सकती हैं जहां वे प्रारंभ में अपेक्षित नहीं थी। इसलिए, इनका निरंतर आंकलन किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है। यदि यह संभावित हो जाता है कि भावी आर्थिक लाभों का बहिर्वाह किसी ऐसे मद हेतु आवश्यक होगा जिसे पूर्व में आकस्मिक देनदारी के रूप में देखा गया था, तो उस अवधि के वित्तीय विवरणों में एक प्रावधान के रूप रखा जाता है जिसमें संभावित परिवर्तन होता है (अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान व्यक्त नहीं किया जा सकता)।

2. कंपनी अपने बहीखातों का विकेन्द्रीकृत तरीके से रख रखाव करती है, जिसके अंतर्गत निगमित कार्यालय वित्तीय रिकॉर्ड और खातों का रख रखाव करता है और स्थल (साइट) कार्यालय अनुबंध माप, निरीक्षण लॉग, प्रगति समीक्षा दस्तावेज आदि से संबंधित भौतिक रिकॉर्ड का रख रखाव किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने "फॉक्सप्रो 2.60" से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) की ओर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसे अनुकूलित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ईआरपी सॉफ़्टवेयर स्थापना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई।

   कंपनी ने अक्टूबर 2023 से ईआरपी मॉड्यूल में काम करना शुरू किया और 01/04/2024 से कार्यात्मकता प्राप्त की।

3. हमारे विचार में कंपनी को पिछले अवधि के लेनदेन को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह बाद के वर्षों में पायी गई त्रुटियों और चूक को दर्शाता है।

4. व्यापार प्राप्तियों के एक बड़े भाग के संबंध में, पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी (टिप्पणी संख्या 37 देखें)। कुछ मामलों में व्यापार देनदारियों के बारे में पुष्टि प्राप्त हुई है, लेकिन पक्षकारों ने बकाया असमानताओं का दावा किया है जिसे कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार की बाहरी पुष्टि की अनुपस्थिति में, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए अनुबंध परिवर्तनों (यदि कोई हो) की पहचान नहीं की जा सकी, और न ही ऐसे विलम्बित डिलीवरी शुल्क या कटौतियों की गणना ज सकी, या कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया। प्रत्येक पक्षकार के साथ वित्तीय समायोजन वित्तीय निहितार्थों का निर्धारण करेगा।

   इसी प्रकार , व्यापार प्राप्तियों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत की पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी (नोट संख्या- 37 देखें)। ऐसी बाहरी पुष्टियों की अनुपस्थिति में, ऐसे ग्राहकों द्वारा की गई अनुबंध कटौतियों (यदि कोई हो) अथवा अवरूद्ध परियोजनाओं के परिणामों की पहचान नहीं की जा सकी, और न ही ऐसे विलम्बित शुल्क या कटौतियों को कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है। अप्राप्त ग्रिम भुगतान/प्रतिभूति जमा और कर्मचारी देय/गैर-गतिशील अग्रिमों के संबंध में समान पस्थितियाँ हैं, जिसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

5. हमने प्रबंधन की व्यापार देयताओं के वर्गीकरण को सूक्ष्म और छोटे के रूप में तैयार करने पर विश्वास किया है। हालांकि, चूंकि प्रबंधन का मानना है कि इन एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान उन शर्तों के अनुसार किए गए हैं जिन पर सहमति हुई थी और जिन्हें उन्होंने उचित रूप से स्वीकार किया है, इसलिए कंपनी ने इन विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया शेष पर कोई ब्याज अलग से निर्धारित नहीं किया है। हमें विश्वास है कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार, यदि एमएसई विक्रेताओं द्वारा दावा किया जाता है तो कंपनी विलम्बित भुगतान पर ब्याज अदायगी हेतु उत्तदायी होगी।

6. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वाप्कोस लिमिटेड के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक), और उनके परिवार के सदस्यों के पास असमान संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। यह कि पूर्व सीएमडी ने 01.04.2011 से 31.03.2019 के कार्यकाल के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोत से कहीं अधिक असमान संपत्तियाँ रखी थीं। सीबीआई के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उनके विभिन्न परिसरों की छानबीन की गई, जिससे लगभग 20 करोड़ रुपये की बड़ी नकद राशि, बड़ी मात्रा में आभूषण, मूल्यवान वस्तुएं और आपराधिक दस्तावेज़ बरामद हुए। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, यह मामला पूर्व प्रबंध निदेशक से संबंधित है, और प्रबंधन को , उसकी ओर से कार्य करते हुए, व्यवसाय या इसके कर्मचारियों पर किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

उपर्युक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा विचार करना है कि क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य सूचना वास्तविक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों में प्रत्येक कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा भी लागू हो, गोइंग कन्सर्न और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने से संबंधित मामले, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहा हो, के लिए ज़िम्मेदार हैं।

प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण संपूर्ण रुप से मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने, जिसमें हमारी राय भी शामिल है, के लिए है। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्याकथन का पता लगाएगी, यदि यह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो

सकते हैं और महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रुप में, वे इन स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित हो सकती हैं।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम-

- स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, की जोखिमों, उन जोखिमों के लिए जिम्मेदार डिज़ाइन और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते है जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना(ओवरराइड) शामिल हो सकती हैं।

- उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार करने के क्रम में लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझते है जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन भी करते हैं।

- प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने संबंधी कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, के संबंध में भी निष्कर्ष निकालते है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, या राय संशोधित करने के लिए, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमें स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने को रोकने का कारण बन सकती हैं।

- हम स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का प्रकटीकरण सहित मूल्यांकन भी करते है, और यह भी पता लगाते हैं कि क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व उस रुप में करता है, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त कर सकते हैं।

मैटेरियलिटी, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है जिससे कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मैटेरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के उन प्रभारित अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम प्रशासन के उन प्रभारित अधिकारियों को एक स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता का पालन करने, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के उन प्रभारित अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून

या विनियमन मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस तरह की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणामों की समुचित अपेक्षा है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. **अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:**

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्त्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, कानून द्वारा यथा आवश्यक लेखों की उचित बही अभी तक रखी गई हैं जैसा कि यह उन बहियों हमारी जाँच से प्रकट होता है, नीचे दिए गए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(ज) के अंतर्गत जानकारी दिए जाने के संबंध में अनुच्छेद 1(i)(vi) में उल्लेखित मामलों को छोड़कर

ग) बैलेंस शीट, अन्य बड़ी आय सहित लाभ-हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण, लेखा की प्रासंगिक बहियों के अनुरुप हैं।;

घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंड-एएस का अनुपालन करते हैं।

ङ) दिनांक धारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(E) के माधयम से का 164(2) धारा के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

च) कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन के प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अस्वीकरण अभिमत व्यक्त करती है।

छ) कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, **"अनुलग्नक-ख"** में हमारी रिपोर्ट देखें।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार छूट को ध्यान में रखते हुए यह कंपनी पर लागू नहीं होती है।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, यथा संशोधित, लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;

i) कंपनी ने अपने स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों नोट में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii) कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किया था।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशकों की शिक्षा और सुरक्षा धोखाधड़ी के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv) (क) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा

विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ द्वारा कंपनी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

(ख) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी द्वारा फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2012 की धारा 123 के प्रावधान के शर्तों के तहत विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की है।

vi) हमारी जांच जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों के रखरखाव हेतु "फॉक्सप्रो 2.60" का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है और यह पूरे वर्ष रिकार्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन हेतु सॉफ़्टवेयर में संचालित रहा। परिणामस्वरूप, हम मौजूदा सॉफ़्टवेयर की ऑडिट ट्रेल विशेषता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हालाँकि, कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-2025 से ईआरपी प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, जैसा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु रिकॉर्ड प्रतिधारण हेतु सांविधिक आवश्यकाताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल का संरक्षण के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत जानकारी लागू नहीं है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथा आवश्यक है, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ग" में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
पार्टनर
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 30 सितंबर 2024
यूडीआईएन: 24091192BKARDY8019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

(मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1 (च) देखें

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक उस तिथि तक समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में वाप्कोस लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए संबंधित कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अधिनियम के तहत यथा आवश्यक, संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ("मार्गदर्शन नोट") की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस बात का आकलन करना कि वास्तविक कमजोरी मौजूद है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उपयुक्त विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और सटीक रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याकथन हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान, इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत

हमारे अभिमत के अनुसार, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत कंपनी के पास वित्तीय संसूचना से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और 31 मार्च, 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। जोकि वित्तीय जानकारी के संबंध में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर ध्यान देते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
पार्टनर
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 30 सितंबर 2024
यूडीआईएन: 24091192BKARDY8019

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

अधिनियम की धारा 143(5) के तहत, और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय मामलों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत लागू दिशा-निर्देश

1. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली मौजूद है? अगर हाँ, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, के साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थों का उल्लेख करें।

   जी हाँ, कंपनी के पास डीबीएमएस प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने हेतु प्रणाली मौजूद है। कंपनी ने अक्टूबर 2023 से ईआरपी मॉड्यूल के अंतर्गत कार्य करना शुरू किया और 01/04/2024 से कार्यात्मकता प्राप्त की ली है।

   लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें ऐसा कोई भी लेखांकन लेनदेन संज्ञान में नहीं आया जो आईटी प्रणाली के बाहर का हो और जिनका वित्तीय निहितार्थ हो।

2. क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/लोन/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)

   उत्तर : ***जी नहीं।***

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा अन्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची तैयार करें।

   उत्तर: हमें दी गई अथवा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत ऐसी कोई राशि(जमा कार्य के अंतर्गत प्राप्त धनराशि व्यापारिक लेनदेन के लिए हैं और किसी योजना के अधीन नहीं हैं) प्राप्त या उपयोग नहीं की गई।

उप-दिशानिर्देश

i. क्या कंपनी ने पिछले एक या अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त बिना बिल वाले राजस्व के संबंध में अपने ग्राहकों के लिए इनवॉइस जारी किया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इनवॉइस जारी न करने के कारण वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया जा सकता है।

   उत्तर: 31 मार्च 2024 तक 1256.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1727.18 लाख) कुल अनबिल राशि में से, कंपनी ने 644.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1092.80 लाख) का चालान किया है। वर्ष के दौरान आईएनआर राशि का पूर्ण रूप से मूल्यह्रास हो गया। 30 अगस्त तक अनिबल राजस्व और स्थिति का

सारांश इस प्रकार है:

क्र.सं.	अनबिल राजस्व का वित्तीय वर्ष	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष	अगस्त 2024 तक बिल राशि	टिप्पणी
1	2017-18	1,15,07,959	शून्य	यह म्यांमार में परियोजना से संबंधित है और जैसा कि परियोजना समझौते में संशोधन के स्थान पर दर्शाया गया है, अनबिल राशि को परियोजना प्रगति के अनुपात में समायोजित किया जाता है।
2	2018-19	2,60,82,040	शून्य	
3	2022-23	1,99,11,265	3774110	कई परियोजनाओं से संबंधित
4	2023-24	68153636	60684935	कई परियोजनाओं से संबंधित

किसी तीसरे पक्ष की पुष्टि या परियोजना के निलंबन या समाप्ति से संबंधित किसी दस्तावेज़ के अनुपस्थिति में, हमने प्रबंधन के अभ्यावेदन पर भरोसा किया है। इसके अलावा इस तथ्य पर भी भरोसा किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के अनबिल राजस्व से संबंधित पर्याप्त बिलों को 30 अगस्त 2024 तक बिल किया गया हैं।

हम यह सूचित करना चाहते हैं कि अनबिल राजस्व सिवाए इसके कि जहां ऐसे अनबिल राजस्व को प्रतिवर्ती कर दिया जाता है या बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, के संबंध में बिलिंग करने पर राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। बिलिंग करने पर, अनबिल राशि को लागू करों के साथ संबंधित पार्टी के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ii. क्या निर्धारित निधियों पर देय ब्याज का ठीक से लेखांकन किया गया है और क्या इन निधियों पर अर्जित ब्याज, जिन्हें वापस भेजा जाना है, का सही लेखांकन किया गया है।

उत्तर: हम यह सूचित करना चाहते हैं कि विशिष्ट परियोजना संबंधी भुगतान हेतु कंपनी को निर्धारित धनराशि अग्रिम के रूप में दी गई है। हालांकि, ऐसे निर्धारित धनराशि पर ब्याज को बहीखातों में समुचित रूप से शामिल किया गया है। इस प्रकार की गणना पर अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना खातों में जमा किया जा रहा है और करारों के पूरा होने के बाद इसका निपटान / पुनः प्रेषित किया जाएगा।

iii. क्या संबंधित पक्षों से राशि की वसूली (विशेषकर अफगानिस्तान, श्रीलंका में विदेशी परियोजनाओं के संबंध में) ईसीएल प्रावधान पर्याप्त है। अपर्याप्त प्रावधान होने के मामले में, उसके कारण बताए।

उत्तर: कंपनी ने अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में विदेशी परियोजनाओं के संबंध में संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों हेतु पूर्ण प्रावधान किए हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

(मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 देखें)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा-बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हमारा अभिमत है कि:

i. क. (क) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए संपत्तिवार रिकॉर्ड हैं, हालांकि न तो भौतिक संपत्तियों की कोई विशिष्ट लेखा है और न ही स्थान-वार भौतिक सत्यापन संपत्ति-पत्र में ऐसा लेखा उपलब्ध है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित की है।

ख. यह कि सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और औपचारिक बनाने की आवश्यकता है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के लिए आवश्यक है। ऐसी भौतिक सत्यापन रिपोर्टों की समीक्षा से विसंगतियों का पता चला जिसके संबंध में कंपनी की ओर से सुधारात्मक कार्रवाई की जानी लंबित है। प्रबंधन ने बताया है कि विसंगतियां भौतिक प्रकृति की हैं और आगामी वर्षों में भौतिक परिसंपत्तियों पर विशिष्ट अंकन जैसे पर्याप्त उपाय और सुधारात्मक उपाय जहां भी आवश्यक हो, किए जाएंगे। कंपनी प्रबंधन को तत्काल उपचारात्मक उपायों की सलाह दी जाती है।

ग. जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है और हमें प्रदान किए गए हस्तांतरण डीड के लिए संपत्ति कर प्राप्तियों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट अचल संपत्तियों के स्व-निर्मित भवन और शीर्षक डीड बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड. वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत निर्मित नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. क. कंपनी के पास किसी प्रकार की इन्वेंटरी नहीं है और इसलिए आदेश की धारा 3(ii)(क) के तहत जानकारी लागू नहीं है।

ख. यह कि बैंकों में दाखिल किए गए विवरण बही खातों के साथ मेल खाते हैं।

iii. (क) यह कि प्रदान की गई जमानत, गारंटी और ऋण के संबंध में:

क. यह कि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य संस्था को ऋण अथवा गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति की प्रकृति का ऋण अथवा अग्रिम राशि प्रदान नहीं है। इसलिए,आदेश की धारा 3 (iii)(क) के अंतर्गत जानकारी लागू नहीं है।

ख. यह कि कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी या समूह कंपनी को सुरक्षा और प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की है और इसलिए, धारा (iii)(क)(ख) लागू नहीं है।

(ख) यह कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल पक्षकारों को पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं, और उपधारा (iii)(ख) लागू नहीं है।

(ग) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ग) लागू नहीं होता है।

(घ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ङ) लागू नहीं होता है।

(च) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (च) लागू नहीं होता है।

iv. कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iv) लागू नहीं होता है।

v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत शामिल माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. सांविधिक देय राशि के संबंध में:

(क) कंपनी आयकर, उपकर और उस पर लागू अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि उचित अधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2024 तक बकाया नहीं थी।

(ख) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2024 तक सांविधिक बकाया राशि हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई शेष वैधानिक बकाया नहीं था जिसे निम्नलिखित के अलावा अधिकारियों के साथ विवाद के कारण जमा किया गया है:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	वह फोरम, जहां यह विवाद लम्बित है	जिस अवधि से संबंधित (वित्त वर्ष)	राशि रुपए में	वर्तमान स्थिति
प्रत्यक्ष कर मामले						
1	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2000-01	500000	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
2	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2005-06	2114543	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
3	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2016-17	220320	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
4	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2009-10	26873896	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
5	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2013-14	2523255	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
6	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2016-17	13743306	वर्चुअल सुनवाई के दौरान दायर अपील के संबंध में उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2019-20	129792413	अपील दायर की गई और सुनवाई पूरी हो चुकी है।
8	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2020-21	10589630	अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आवेदन दायर किया है।
9	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2021-22	83234430	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई और सुनवाई हो गई है।
10	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2022-23	53535327	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई।

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	वह फोरम, जहां यह विवाद लम्बित है	जिस अवधि से संबंधित (वित्त वर्ष)	राशि रुपए में	वर्तमान स्थिति
अप्रत्यक्ष कर मामले						
1	वस्तु एवं सेवा कर	उत्तराखंड जीएसटी		2017-18	40527683	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
2	वस्तु एवं सेवा कर	जम्मू और कश्मीर		2019-20	527437	अपील दायर की जानी है
3	वस्तु एवं सेवा कर	राजस्थान		2017-18	3297196	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
4	वस्तु एवं सेवा कर	बिहार		2016-2021	23082078	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
5	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2017-18	2277342	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
6	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2018-19	6153698	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
7	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2019-20	17886272	अपील दायर की जानी है
8	वस्तु एवं सेवा कर	तमिलनाडु		2018-19	14390873	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) यह कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के संदर्भ में हमारे रिकॉर्ड में कोई उदाहरण या जानकारी नहीं आई है।

(ग) यह कि ऋण का उसी उद्देश्य के लिए अनुप्रयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे,

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों की पूर्ति हेतु किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी प्रकार की राशि नहीं ली है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश की धारा 3(ix)(च) के अंतर्गत सूचना लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर (ऋण डेब्ट सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी प्राथमिक आवंटन या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक) के निजी नियोजन नहीं किए हैं और इसलिए आदेश की धारा 3(x)(ख) के अंतर्गत सूचना लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला या रिपोर्ट सामने नहीं आई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमने वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों, जहां लागू हो, के संबंध में प्रयोज्य लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि प्रयोज्य लेखा मानकों में आवश्यक है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

xv. वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या जुड़े व्यक्तियों द्वारा किसी भी संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

xvi. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग उपयुक्त नहीं है।

xvii. कंपनी ने हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं उठाई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपातों के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय देनदारियों/अन्य जानकारी का भुगतान और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर / हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को मौजूदा अपनी देनदारियों और जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हाँलाकि हमारा अभिमत है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय और जैसे भी और जब भी वे देय हो जाते हैं, सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

xx. (क) जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त, निगमित सामाजिक दायित्व ("सीएसआर") से संबंधित 1.09 लाख (पिछला वर्ष 203.97 लाख) की अव्ययित राशि को एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है। यह कि इस राशि को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे उपखंड के अनुपालन में 31 मार्च 2024 को उक्त अधिनियम के की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यह कि ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अव्ययित राशि बनी हुई है, इसलिए खंड (xx) (ख) लागू नहीं होता है।

xxi. यह कि उपर्युक्त रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित है और इसलिए खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
पार्टनर
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 30 सितंबर 2024
यूडीआईएन: 24091192BKARDY8019

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को यथास्थिति तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	1 अप्रैल, 2022 को यथास्थिति
संपत्ति				
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	2,018.08	2,304.90	1,954.60
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर			-	-
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2क	619.86	686.22	1,217.62
(घ) निवेश संपत्ति			-	-
(ङ) गुडविल	-		-	
(च) अन्य अमूर्त संपत्ति	2ख	246.43	194.81	269.15
(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-
(ज) बियरर प्लांट्स के अलावा अन्य बायोलॉजिकल संपत्तियां	-	-	-	-
(i) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश	3	8,029.06	8,024.02	8,019.52
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4क	4,177.07	2,315.99	2,390.51
(झ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	5	14,327.02	11,969.64	9,663.33
(ञ) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	6	162.11	121.41	153.61
वर्तमान संपत्ति				
(क) सूची		-	-	-
(ख) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	7	151,505.39	146,211.96	151,792.94
(iii) नकद और नकद समकक्ष	8	26,792.01	16,805.53	19,243.59
(iv) उपरोक्त (पपप) के अलावा अन्य बैंक शेष	9	32,819.95	33,005.04	32,984.29
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4ख	2,807.09	2,598.43	1,673.39
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	10	10,166.31	8,769.04	8,104.07
(घ) अन्य वर्तमान संपत्ति	11	29,282.36	25,612.96	23,208.20
कुल संपत्ति		**282,952.74**	**258,619.95**	**260,674.82**
इक्विटी और देयता				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	13,000.00	13,000.00	13,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	32,991.31	29,596.23	37,613.07
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियों				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	17क	19,272.64	13,551.17	3,785.37
(क) पट्टा देयता	18क	459.97	469.96	920.75
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	14क	380.06	406.40	41.46
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	14क	1,135.77	901.27	815.99
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	19क	9,317.58	8,530.70	7,281.31
(ख) प्रावधान	15क	8,826.26	8,173.72	7,187.89
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		-		-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	16क	12,260.45	2,995.67	5,990.97
वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	17ख	3,499.98	731.17	4,299.87
(iअ) पट्टा देयता	18ख	272.99	388.91	492.48
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	14ख	27,283.90	30,590.75	34,141.12
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	14ख	99,812.95	81,288.74	75,868.10
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	19ख	10,994.54	12,784.32	12,015.57
(ख) प्रावधान	15ख	4,015.90	3,407.23	3,111.94
(ग) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)		-		-
(घ) अन्य वर्तमान देनदारियां	16ख	39,428.44	51,803.71	54,108.93
कुल इक्विटी और देनदारियां		**282,952.74**	**258,619.95**	**260,674.82**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।	टिप्पणी 1-66			

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)
कम्पनी सचिव

(अतुल मेंदीरत्ता)
महाप्रबंधक
(वित्त)

(अनिल त्रिगुणायत)
निदेशक
(डीआईएन 07900294)

(पंकज कपूर)
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन 07290569)

(आर के अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर 2024

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रूपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2024)	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2023)
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व	20	153,050.61	141,962.38
II	अन्य आय	21	3,892.14	5,462.09
III	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण का शुद्ध लाभ		-	-
V	**कुल आय (I+II+III+IV)**		**156,942.75**	**147,424.47**
VI	**व्यय**			
	निर्माण व्यय	22	81,449.77	69,402.31
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	32,292.73	33,526.53
	वित्तीय लागत	24	3,235.55	2,472.40
	प्राप्त सेवाएं	25	15,411.93	18,505.93
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	908.34	959.47
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध हानि		-	-
	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण की शुद्ध हानि		-	-
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार संस्तुति)	27	73.80	215.01
	अन्य व्यय	28	15,685.58	25,363.36
	कुल व्यय (IV)		**149,057.70**	**150,445.01**
	पूर्व अवधि (नेटिंग)		-	-
VII	**एसोसिएट्स/संयुक्त के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ/(हानि) उद्यम और असाधारण वस्तुएँ और कर (V-VI)**		**7,885.05**	**(3,020.54)**
VIII	**एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का भाग**		**-**	**-**
IX	**विशिष्ट मदों व कर से पहले लाभ/(हानि) (VII+VIII)**			
X	**विशिष्ट मदें**	**29**	**2.68**	**0.19**
XI	**कर से पहले लाभ/(हानि) (IX+X)**		**7,887.73**	**(3,020.35)**
XII	**कर व्यय**	**30**		
	(1) वर्तमान कर		4,389.01	2,909.58
	(2) पूर्व वर्षों हेतु आय कर		(64.69)	1,332.64
	(3) आस्थगित		(2,366.32)	(2,316.23)
XIII	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (XI-XII)**		**5,929.73**	**(4,946.34)**
XIV	**बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि)**		**-**	**-**
XV	**बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय**		**-**	
XVI	**कर के बाद बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि) (X-XI)**		**-**	
XVII	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX-XII)**		**5,929.73**	**(4,946.34)**
XVIII	**अन्य विस्तृत आय**			
	मदें			
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - पीआरएमएस		39.81	74.28
	आस्थगित कर प्रभाव		10.02	(18.69)
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - अवकाश नकदीकरण		-	-
	आस्थगित कर प्रभाव		-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - ग्रेच्युटी		(9.32)	(39.37)
	आस्थगित कर प्रभाव		(2.35)	9.91
	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य के इक्विटी इन्स्ट्रूमैंट डेजिगनेटेड में निवश लाभ/(हानि)		(5.04)	4.51
	आस्थगित कर प्रभाव		1.27	(1.13)
	मदों से संबंधित आय कर जो लाभ व हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत नहीं किए गए हैं			
XIX	**वर्ष के लिए कुल आय विस्तृत आय (कर का निवल)**		**34.39**	**29.51**
	वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		**5,964.12**	**(4,916.83)**
XX	**प्रति इक्विटी शेयर आय (संदर्भ टिप्पणी सं- 34)**			
	प्रत्येक 10/- रु- मूल्य का इक्विटी शेयर			
	(1) मुल (केवल रु- में)		4.56	(3.80)
	(2) अवमिश्रित(केवल रु- में)		4.56	(3.80)
	उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ लाभ और हानि के विवरण का अभिन्न अंग है।	टिप्पणी 1-66		

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) **कम्पनी सचिव**	**(अतुल मेंदीरत्ता)** **महाप्रबंधक** **(वित्त)**	**(अनिल त्रिगुणायत)** **निदेशक** **(डीआईएन 07900294)**	**(पंकज कपूर)** **निदेशक (वित्त)** **(डीआईएन 07290569)**	**(आर के अग्रवाल)** **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** **(डीआईएन 09344894)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर 2024

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(3) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(ख) अन्य इक्विटी

(1) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूंजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**28,548.09**	**-**	**(355.78)**	**34.68**	**-**	**-**	**29,596.25**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	5,929.72	-	-	-	-	-	5,929.72
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(2,500.00)	-	-	-	-	-	-	(2,500.00)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(30.49)	-	-	-	(30.49)
पूर्व अवधि व्यय/आय में परिवर्तन का प्रभाव				(0.27)						(0.27)
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-		5.04	-	-	5.04
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(7.67)	(1.27)	-	-	(8.94)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(1,130.75)**	**34,477.54**	**-**	**(393.94)**	**38.45**	**-**	**-**	**32,991.31**

(1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	Total कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**-**	**-**	**4,469.25**	**33,494.43**	**-**	**(381.91)**	**31.31**	**-**	**-**	**37,613.08**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(4,946.35)	-	-	-	-	-	(4,946.35)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(3,100.00)	-	-	-	-	-	-	(3,100.00)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	34.91	-	-	-	34.91
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	4.51	-	-	4.51
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(8.79)	(1.13)	-	-	(9.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**28,548.08**	**-**	**(355.79)**	**34.69**	**-**	**-**	**29,596.23**

(2) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**6,969.25**	**40,612.72**	**-**	**(593.98)**	**29.61**	**-**	**-**	**47,017.60**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	3,948.86	-	-	-	-	-	3,948.86
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(2,500.00)	-	-	-	-	-	-	(2,500.00)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	283.40	-	-	-	283.40
पूर्व अवधि व्यय/आय में परिवर्तन का प्रभाव				(11,067.15)						(11,067.15)
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	2.27	-	-	2.27
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(71.33)	(0.57)	-	-	(71.90)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**4,469.25**	**33,494.43**	**-**	**(381.91)**	**31.31**	**-**	**-**	**37,613.08**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(अतुल मेंदीरत्ता) महाप्रबंधक (वित्त)	(अनिल त्रिगुणायत) निदेशक (डीआईएन 07900294)	(पंकज कपूर) निदेशक (वित्त) (डीआईएन 07290569)	(आर के अग्रवाल) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर 2024

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ व हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		**7,887.73**		**(3,020.35)**
i)	**समायोजन हेतु:**				
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात ब्याज आय	(1,795.33)		(939.80)	
	लाभांश आय	(1,386.89)		(1,194.98)	
	रियायती किराया/लीज समाप्ति	(20.14)		(2.10)	
	(लाभ) विनिमय भिन्नता के कारण हानि	(294.07)		(3,329.43)	
	लाभ/(हानि)लेखा पर विनिमय परिवर्तन	0.32		0.50	
	नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	-		-	
	अचल संपत्तियां बट्टे	5,376.83		12,663.52	
	व्यापार प्राप्त और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान	(3.00)		-	
	अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	45.42		22.16	
	प्रर्तिकर्ता के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान	199.18		117.18	
	मूल्यह्रास व परिशोधन	557.94		508.59	
	अधिकार के प्रयोग पर मूल्यह्रास व परिशोधन	350.40		450.88	
	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	(3.00)		(0.69)	
	वित्त लागत आरओयू परिसम्पत्तियां	65.15		94.41	
	वित्तीय लागत सावधि ऋण	1,444.85		861.12	
	वित्तीय लागत नकद क्रेडिट	-		18.79	
	लंबी अवधि के ऋण में ईआईआर समायोजन	(2.20)		2.97	
			4,535.46		**9,273.12**
	कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**12,423**		**6,253**
ii)	**परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन**				
	प्राप्य व्यापार	(10,670.27)		(6,622.12)	
	व्यापार देय	15,425.51		2,324.11	
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	(3,865.59)		(2,644.92)	
	गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	(40.71)		32.21	
	अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(208.65)		(1,174.15)	
	गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(1,861.07)		(136.80)	
	अन्य वर्तमान देयताएं	(12,375.28)		(2,305.21)	
	गैर वर्तमान देयताएं	9,264.78		(2,995.30)	
	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	(1,832.21)		743.66	
	गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं	786.88		1,249.39	
	वर्तमान प्रावधान	578.18		330.22	
	गैर वर्तमान प्रावधान	652.55		985.84	
			4,145.88)		(10,213.07)
	कर से पहले प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद		**8,277.31**		**(3,960.30)**
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर	(5,721.59)	(5,721.59)	(4,784.22)	(4,784.22)
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर/पूर्व वर्ष हेतु समायोजित		-		-
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**2,555.72**		**(8,744.52)**
ख)	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	लाभांश आय	1,386.89		1,194.98	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री	0.05		3.76	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का निपटारा	-		-	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की खरीद	(98.34)		(753.33)	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(225.03)		(35.49)	
	नकद व नकद तुल्यमान के रूप में न मानी जाने वाले जमा	185.10		(20.75)	
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात आय ब्याज	1,795.33		939.80	
	लीज देयता का ब्याज निवेश गतिविधियों में निवल नकद प्रभाव		**3,044.00**		**1,328.97**
ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रभाव**				
	पट्टा भुगतान के प्रमुख आधार	(389.80)		(471.73)	
	पट्टा का ब्याज आधार	(65.15)		(94.41)	
	लंबी अवधि के ऋण से आय	7,461.17		11,070.00	

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
	लंबी अवधि के ऋण का (पुर्नभुगतान)	(1,737.50)		(1,307.17)	
	लंबी अवधि के ऋण से पुर्नभुगतान (निवल)	2,768.81		(3,568.71)	
	कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (कर सहित)	(2,500.00)		(3,100.00)	
	भुगतान की गई वित्त लागत	(1,444.85)		(879.91)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**4,092.68**		**1,648.07**
	विदेशी मुद्रा नकद और नकद तुल्य के रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		294.07		3,329.43
	नकद व बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी		**9,986.48**		**(2,438.06)**
	वर्ष के आरम्भ में नकद व बैंक शेष		**16,805.53**		**19,243.59**
	वर्ष के अन्त में नकद व बैंक शेष		**26,792.01**		**16,805.53**
	टिप्पणियां		**9,986.48**		
	1- भारतीय लेखा मानक-7 के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार रने हेतु अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुपालन किया गया है।		26,792.01	-	16,805.53
	2- नकदी व बैंक शेष प्रतिनिधित्व करते हैं		26,792.01		16,805.53
	क- नकद व नकद तुल्यमानः				
	(क) चालू खातों में बैंकों साथ शेष		25,432.10		16,795.47
	(ख) रैमिटेस इन ट्रांजिट				
	(ग) 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा		1,350.99		0.06
	(घ) हस्तगत नकदी		8.92		10.00
	(ङ) पोस्टेज स्टाम्प		-		-
			26,792.01		16,805.53

नोटः भारतीय लेखा मानक 7 के तहत वित्तीय गतिविधियों से उभरने वाली देयताओं का समायोजन

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
	वर्ष के आरंभ में शेष	14,282.33	8,085.24
	नकद प्रवाह-प्राप्तियां/(पुर्न भुगतान)	8,492.48	6,194.12
	गैर नकद परिवर्तन	(2.20)	2.97
	वर्ष के अंत में शेष	22,772.61	14,282.33

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(अतुल मेंदीरत्ता)	(अनिल त्रिगुणायत)	(पंकज कपूर)	(आर के अग्रवाल)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (डीआईएन 07900294)	निदेशक (वित्त) (डीआईएन 07290569)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर 2024

मार्च 31,2024 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

कंपनी सिंहावलोकन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंट्स स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कंपनी सिंहावलोकन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून 1969 को स्थापित **वाप्कोस लिमिटेड (कंपनी)** केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास विभाग के तत्वावधान में एक "मिनी रत्न -I" सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जल, विद्युत और अवस्थापना के क्षेत्र में मजबूत घरेलु और वैश्विक उपस्थिति के साथ वाप्कोस एक प्रौद्योगिकी संचालित परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण संगठन है। अभियांत्रिकी उत्कृष्टता, असाधारण कार्यबल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने ग्राहकों की परियोजनाओं को निरंतर पूरा करने में वाप्कोस को समर्थ बनाया है। वाप्कोस के पास अपने प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों की किसी भी स्तर और जटिलता से परिपूर्ण परामर्श और ईपीसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अनुभव और विशेषज्ञता मौजूद है। परियोजनाओं से संबंधित वाप्कोस का पोर्टफोलियो प्रभावशाली और विविध दोनों प्रकार की प्रकृति का है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में आवासीय, कार्यालय भवनों, सिविल कार्यों, सड़क एवं राजमार्गों, सिंचाई, कृषि एवं जल परियोजनाओं, उत्पादन, उप-केंद्र, पारेषण इत्यादि हेतु विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के संबंध में **आईएसओ-9001:2015** की गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कैलाश, 5 वीं मंजिल, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (भारत) और कॉर्पोरेट कार्यालय 76-सी, सेक्टर -18, गुरुग्राम, हरियाणा -122015 (भारत) में स्थित है।

कंपनी की समग्र शेयरधारिता राष्ट्रपति और उसके नामितों के पास है।

कंपनी की रिपोर्टिंग और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है। प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा उल्लिखित के संबंध में दो दशमलव तक पूर्णांकित करके वित्तीय विवरणों में आंकड़े रु/₹ लाख में प्रस्तुत किए जाते हैं। विगत अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 30.09.2024 को अनुमोदित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 सामान्य

(क) अनुपालना का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रलय ("एमसीए") द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखांकन नीतियाँ को केवल उन स्थितियों को छोड़ कर जहां नए जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानक को प्रारम्भ में अपनाया गया है अथवा एक विद्यमान लेखांकन मानक में किसी संशोधन के लिए पहले से प्रयोग में आ रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, में सतत रूप से लागू किया गया हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण पहले वित्तीय विवरण हैं जिन्हें कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है।

एमसीए ने 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिससे माध्यम से कंपनियों को केवल प्रमुख लेखाकंप नीतियों के प्रकटीकरण को अनिवार्य अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की समीक्षा की गई है और

उनके स्थान पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रतिस्थापन पर कोई वित्तीय निहितार्थ लागू नहीं है।

(ख) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं और उचित मूल्य पर मापे जाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं को छोड़ कर कंपनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के सिद्धान्त के आधार पर तैयार किए गए हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) नियम, 2015 के नियम 4 की अनुपालना में तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी वर्षों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों की लेखांकन नीतियाँ समान रूप से लागू की गई हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रियाकलापों की प्रकृति और प्रक्रियान्वयन के लिए परिसंपत्तियों की प्रापण तथा उनकी नकद एवं नकद के समान मूल्य में प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कुछ आकलन, अनुमान तथा परिकल्पनाएँ करनी होती हैं। ये अनुमान, आकलन और परिकल्पनाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्र, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व तथा व्यय की मात्र को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों तथा आकलनों का कंपनी द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जाता है और ये पूर्व अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी द्वारा तर्कपूर्ण समझे जाने वाली कंपनी की विभिन्न अन्य परिकल्पनाओं और घटकों (भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं। यद्यपि कंपनी इन अनुमानों का नियमित रूप से आकलन करती है परंतु वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जैसे-जैसे प्रबंधन को अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों में बदलाव की जानकारी मिलती है वैसे-वैसे अनुमानों में उचित बदलाव किए जाते हैं। अनुमानों में बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिस अवधि में बदलाव किए गए हैं और, यदि उल्लेखनीय हों, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के साथ की गई टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.3 राजस्व की मान्यता

प्रचालनों से राजस्व

1.3.1 कंपनी को प्रमुख रूप से परामर्श एवं निर्माण संविदाओं से प्रचालन राजस्व प्राप्त होता है।

1.3.2 वित्तीय विवरणों में राजस्व को पहचानने के लिए सामान्य मानदंड निम्न प्रकार से है, जो राजस्व के सभी क्षेत्रें पर लागू होते हैं, जबकि राजस्व के संबंधित क्षेत्र को लेखांकन नीति में विशिष्ट मापदंडों कहा जाता है।

सामान्य पैरामीटर

राजस्व को पहचान करने के उद्देश्य के लिए, कंपनी पांच प्रक्रिया का अनुसरण करती है:

- एक ग्राहक के साथ संविदा की पहचान करना
- कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना

- लेनदेन मूल्य का निर्धारण
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना
- कार्य निष्पादन दायित्व का जब /जैसे निष्पादन किया जाता है, तो राजस्व की पहचान की जाती है।

कंपनी की सेवाओं की श्रृंखला में शामिल सभी क्षेत्रें में कार्य करती है। सभी मामलों में, कार्य निष्पादन दायित्वों के आधार पर संविदा हेतु सम्पूर्ण कार्य मूल्य होता है।

राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

लेन देन मूल्य वह राशि है जिसे कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं के स्थानांतरण हेतु विनिमय के लिए पाने की आशा रखती है। एक संविदा में वादा किए गए विचार में निश्चित राशियाँ, परिवर्तनशील राशियाँ या दोनों शामिल हो सकती हैं। किसी निर्धारित परिस्थिति में अपेक्षित मूल्य विधि या सबसे अधिक संभावित राशि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाया जाता है। ग्राहकों के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार हैं और लेनदेन मूल्य में कोई वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है।

प्रस्ताव की तैयारी के लिए प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कंपनी कोई भी लागत नहीं लेती है और वही लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत संबंधित संविदा के राजस्व को लाभ और हानि विवरण में जोड़ा जाता है।

संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी असंतुष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों के लिए संविदा देनदारियों को पहचानती है और इन राशियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों के रूप में रिपोर्ट करती है। इसी तरह, यदि कंपनी एक कार्य निष्पादन दायित्व को संतोषजनक रूप से पूरा करती है और इस पर टिप्पणी प्राप्त करना अभी बाकी होता है, तो टिप्पणी प्राप्त होने से पहले, कंपनी अपने तुलन पत्र में एक संविदा परिसंपत्ति लगाती।

1.3.3 राजस्व को माल व सेवा कर (जीएसटी) से मान्यता प्राप्त है।

1.3.4 संविदा राजस्व में संविदा में सहमत राजस्व की प्रारंभिक राशि शामिल है

1.3.5 परामर्शी शुल्क

- सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।
- यदि कार्य निष्पादन दायित्वों को समय पर पूरा किया जाता है, तो राजस्व को संविदा अवधि के अनुसार लेनदेन की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त पद्धति का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में रिर्पोट अवधि के अंत तक प्रदान की गई वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।
- अन्य मामलों में जहां कार्य निष्पादन की बाध्यता समय के साथ संतोषजनक नहीं होती है, राजस्व को बाद में मान्यता दी जाती है।

- अधिक लागत वाली संविदाओं के मामले में, राजस्व को अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके संविदा के तहत काम की प्रगति और संबद्ध कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के साथ बिल योग्य राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- संबंधित कार्य निष्पादनों के संतोषजनक दायित्वों के मध्यनजर, गैर-समायोजित अग्रिम/शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथापि, वसूली योग्य अग्रिम को बाद के राजस्व बुकिंग के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।
- निर्माण प्रबंधन/प्रर्यवेक्षण अनुबंध में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्राप्त है, यदि ग्राहक द्वारा कोई स्वीकृति लंबित हो।
- संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3.6 निर्माण परियोजनाएं

कंपनी निर्माण संविदाओं/ परियोजनाओं में राजस्व को समय के साथ पहचानती है। इन परियोजनाओं के विभिन्न तत्वों के बीच अन्योन्याश्रितता के उच्च स्तर के कारण, इन परियोजनाओं को एकल कार्य निष्पादन दायित्व के रूप में माना जाता है।

अधिक लागत वाली संविदाएं

- अधिक लागत वाली संविदा से राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य निष्पादन दायित्व संतोषजनक है। कंपनी द्वारा ग्राहक को दिए गए माल का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और यह स्थापित करने के लिए कि कब और किस हद तक राजस्व को मान्यता दी जा सकती है, कंपनी कार्य के आधार पर निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को मापती है।
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की राशि उस अवधि के दौरान वसूल किए गए वसूली योग्य लागतों को दर्शाती है जो ग्राहक के साथ सहमत होने पर मार्जिन से अधिक होती है।
- अधिक लागत वाली संविदा के मामले में, यदि परामर्शी आय/शुल्क को एक अलग रूप में निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी परामर्शी आय/शुल्क को समय की अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है या समय के साथ-साथ कंपनी वादा किए गए माल को स्थानांतरित करके कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है या संविदा की शर्तों के अनुसार अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।
- अन्य मामलों में, राजस्व को समय-समय पर कार्य निष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने और ग्राहक को हस्तांतरित करने की सीमा तक मान्यता प्राप्त है। संविदा राजस्व को आवंटन योग्य लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है जो पूर्णविधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए संविदा के आनुपातिक मार्जिन पर किए गए कार्य की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।
- किसी भी अपेक्षित हानि को रिपोटिंग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1.3.7 प्लांट और उपकरणों की आपूर्ति/चालू करने के लिए माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

माल की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यह संभव है जब विनिमय माल की हकदारी पर कम्पनी ध्यान एकत्र करेगी। माल की बिक्री के लिए संविदा के संबंध में कार्य निष्पादन दायित्वों को उस समय संतोजनक माना जाता है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यहां परिसंपत्ति का वैकल्पिक उपयोग हो या कंपनी के पास उस तिथि तक कार्य निष्पादन पूर्ण करने के लिए भुगतान या तो निहित या स्पष्ट हो। परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के मामले में हो और कंपनी के पास कानूनी मामलों पर विचार करके

भुगतान का निहित या स्पष्ट अधिकार हो, कार्य निष्पादन दायित्व को समय की अवधि के रूप में संतोषजनक माना जाता है और समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है।

1.3.8 वसूली योग्य प्रतिपूर्ति व्यय वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति में हैं और ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई सीमा तक समायोजित किए जाते हैं।

1.3.9 प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग से ब्याज आय को पहचाना जाता है, जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापी जाती है।

1.3.10 लाभांश आय को तब मान्यता प्राप्त होती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है और जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापा जाता है।

1.3.11 अन्य

कंपनी के पास कंपनी में नियुक्त नियमित भर्तियों से बॉन्ड राशि लेने की नीति है। बॉन्ड राशि को कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीदों के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसम्पति व देयताओं के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफल समापन पर, संबंधित अधिकारियों को बांड की धनराशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में लागत, अर्थात माल भाड़ा, निर्माण तथा कार्य सौंपने के शुल्क, अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय, उधार लिए जाने संबंधी लागत, एक पात्र संपत्ति के मामले में, प्रापण/संस्थापन की तारीख तक, निवल संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, सहित अधिग्रहण अथवा निर्माण की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद में मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, को घटा कर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो प्रबंधन द्वारा संपत्ति को इसके अभिप्रेत उद्देश्य के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से लगा है।

इसके बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। मरम्मत तथा रखरखाव पर होने वाली लागत को व्यय किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। प्रारंभ में मान्यता प्रदान की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद और किसी उल्लेखनीय हिस्से को निपटान के बाद अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा न होने पर इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने से होने वाले किसी लाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की वर्तमान लागत राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। निपटान की जाने वाली संपत्ति को वर्तमान लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य में से बेचने की लागत को घटा कर प्राप्त होने वाली राशि में से कम राशि पर रिपोर्ट किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के तहत प्रदान किया जाता है जो प्रबंधन के आकलन के समान हो। मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IIके भाग ग में निर्धारित किए गए अनुसार है। वर्ष के दौरान सम्पत्तियों में जोड़/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

विभिन्न परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी कार्यकाल निम्नानुसार है:-

पूंजी कार्य प्रगति

संपत्ति का वर्ग	उपयोगी कार्यकाल (वर्ष)
आरसीसी फ्रेम संरचना वाले कार्यालय भवन	60
फर्नीचर और फिक्सचर	10
वाहन-मोटर कारें	8
वाहन-मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड़	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत कार्य	10
कंप्यूटर	3
नेटवर्किंग सर्वर	6
लकड़ी की अस्थायी संरचना	3
इंजीनियरिंग और अन्य पुस्तकें	3

ऐसी परिसंपत्तियां जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और जिम्मेदार ब्याज सहित लागत पर किया जाता है।

1.5 अमूर्त संपत्तियाँ

अमूर्त संपत्ति बिना किसी वास्तविक संपत्ति के एक पहचाने जा सकने वाली गैर-मौद्रिक संपत्ति होती है जैसे तकनीकी जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति के कारण भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित रूप से कंपनी को प्राप्त हों और संपत्ति के अधिग्रहण अथवा सृजन की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। इसके लिए उस बिन्दु से परिशोधन किया जाता है जहाँ संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अधिग्रहित/विकसित अमूर्त सम्पत्तियों का मापन लागत में से परिशोधन और खराबी होने के कारण हुए संचित नुकसान को घटा कर प्राप्त राशि से किया जाता है।

अमूर्त सम्पत्तियों की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की मूल कीमत के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और जब संपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है तब इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

अमूर्त सम्पत्तियों का परिशोधन उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से अनुमानित उपयोगी कार्यकाल में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

परिशोधन:

कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर का परिशोधन 3 वर्ष की अवधि में अथवा उनकी लाइसेंस अवधि में किया जाता है, जो भी लागू हो।

1.6 वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता

कंपनी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता देती है जब यह उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों/व्यापार देयताओं, जिनका मापन प्रारंभ में लेन-देन की तारीख को किया जाता है, को छोड़ कर सभी वित्तीय सम्पत्तियों और देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं, जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, के अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने के कारण नहीं हैं उन्हें प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य में जोड़ा जाता है/से घटाया जाता है।

अनुवर्ती मापन

(क) बाद में यदि वित्तीय सम्पत्तियों को एक ऐसे व्यापार मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति को रोक कर रखना है और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीखों पर ऐसे नकद प्रवाह में वृद्धि लाती हैं जो केवल प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करके लंबित मूलधन पर मूल तथा ब्याज के भुगतान हैं तो इनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ड) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ वित्तीय सम्पत्तियों का मापन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर वर्गीकृत न किया जाए।

(ग) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएँ और प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पद्धति के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताएँ शामिल हैं।

अन्य सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। जब देयताओं की मान्यता समाप्त की जाती है तब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से भी लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ एवं हानि को मान्यता दी जाती है।

कंपनी के पास गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्तीय संपत्तियाँ, जिनमें नकद और नकद समकक्ष, इक्विटी में निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा प्रतिधारित राशि, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी और अन्य अग्रिम (दी गई जमानत राशि सहित जो कंपनी को वापस की जा सकती है) शामिल हैं।

(ii) वित्तीय देयताएँ, जिनमें व्यापार देयताएँ, संविदात्मक भुगतानों से धारित राशि (ली गई जमानत राशि सहित जिसे कंपनी द्वारा वापस लौटाया जाना होता है) शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता के बाद गैर-व्युत्पन्न साधनों का मापन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) नकद और नकद समकक्ष:

नकद में कंपनी के पास उपलब्ध नकद राशि और बैंकों में जमा की गई माँग जमा राशि शामिल है। नकद समकक्ष में अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम की मूल परिपक्वता वाली लघु अवधि जमा शामिल है जो तुरंत नकद की ज्ञात मात्र में बदली जा सकती हैं और जिनमें मूल्य बदलने का जोखिम न के बराबर हो। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में वह शेष राशि शामिल है जिसे निकाले जाने और उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) सहायक में निवेश

सहायक में निवेश को लागत के अनुसार (भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार) जिसमें सहायक कम्पनी में 98-89% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान करने के लिए विचार शामिल है।

निवेश- अन्य

भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत सभी इक्विटी निवेशों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जिन इक्विटी साधनों को व्यापार के लिए रखा जाता है उन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए कंपनी इसे अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर अथवा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वर्गीकृत करने का निर्णय करती है।

(iii) परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियाँ

ऋणों, अग्रिम को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन संपत्तियों को छोड़ कर जो रिपोर्टिंग तारीख के बाद 12 माह से अधिक समय बाद परिपक्व होती हैं जिन्हें गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों और प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में इनका मापन प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(iv) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ

एक वित्तीय संपत्ति जिसे उपयुक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है उसका मापन बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब:

कंपनी ने उल्लेखनीय रूप से संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं, अथवा कंपनी ने उल्लेखनीय रूप से न तो संपत्ति के सभी जोखिमतथा लाभ हस्तांतरित किए हैं और न ही अपने पास रखें हैं, परंतु संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

एक वित्तीय देयता अथवा वित्तीय देयता के एक हिस्से को तुलन पत्र से बाहर कर दिया जाता है जब संविदा में विनिर्धारित दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता की ओर से उल्लेखनीय रूप से भिन्न शर्तों पर किसी दूसरी देयता से बदला जाता है अथवा एक वर्तमान देयता की शर्तों में उल्लेखनीय संशोधन किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त किया जाना और एक नई देयता को मान्यता दिया जाना माना जाता है। संगत मूल कीमतों में अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.7 हानि

क. वित्तीय संपत्तियाँ:
(उचित मूल्य को छोड़ कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी वित्तीय संपत्तियों के लिए संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान के मापन एवं इसे मान्यता देने के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) मॉडल अपनाती है।

ईसीएल संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और कंपनी को प्राप्त होने की संभावना वाले अपेक्षित सभी नकद प्रवाह के बीच का अंतर होता है। नकद प्रवाह का अनुमान करते समय कंपनी को निम्नलिखित पर विचार करना होता है:-

- संपत्तियों के अनुमानित जीवन में वित्तीय संपत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व-भुगतान और विस्तार सहित)।
- जमानत के रूप में धारित वस्तु की बिक्री अथवा संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्से के रूप में अन्य क्रेडिट संवर्धन से नकद प्रवाह।

व्यापार प्राप्तियाँ

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में कंपनी ने अनुमानित हानि अथवा व्यापार प्राप्तियों को मान्यता देने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का प्रयोग करके सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अनुमानित जीवन में दर्ज की गई ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित होती है और दूरंदेशी अनुमानों के लिए इसे समायोजित किया जाता है। प्रत्येक रिपोटिंग तारीख को ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और दूरंदेशी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस विश्लेषण के लिए प्राप्तियों को खंडो में विभाजित किया जाता है जहाँ प्राप्तियों की क्रेडिट जोखिम विशेषताएँ समान होती हैं।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ:

(मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

एक संपत्ति को हानिप्रद समझा जाता है जब इसकी मूल कीमत इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि (अर्थात उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त राशियों में से उच्च राशि) से अधिक हो जाती है। संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान को उस वर्ष लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष संपत्ति को हानिप्रद के रूप में चिहनित किया जाता है। पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में चिन्हित संपत्ति-हानि को बदल दिया जाता है यदि इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानि विद्यमान नहीं रहती है अथवा घट जाती है। संपत्ति-हानि को बदलने को पूर्व में मान्य अथवा संतुलित की गई संपत्ति-हानि की सीमा तक लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बट्टे खाते में डालना

वित्तीय संपत्तियाँ

(उचित मूल्य पर संपत्तियों को छोड़ कर)

व्यापार प्राप्तियों, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित जमानत राशि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ (मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त संपत्तियों, वस्तु सूची आदि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब प्रबंधन की राय में ऐसी संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे क्षतिग्रस्त, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

सम्पत्ति सूची की ऐसी मदों को जब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। तब प्रबंधन की राय में, ऐसी मदें बाधा, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई है।

1.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(i) प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है जबः

क. कंपनी पर किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व (कानूनी अथवा निर्माण संबंधी) है

ख. इससे संभवतः भविष्य में संसाधनों का बहिर्वाह होगा और इससे होने वाले आर्थिक लाभों के दायित्व का निर्वहन करने में आवश्यकता होगी और

ग. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

दायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नकद प्रवाह का अनुमान लगा कर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है और यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधानों की मूल कीमत नकद बहिर्वाह का वर्तमान मूल्य होती है। एक प्रावधान के रूप में मान्य राशि दायित्व से संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोटिंग की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक राशि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है।

(ii) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती परंतु निम्नलिखित में से किसी मामले में इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है:-

क. किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। अथवा

ख. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता। अथवा

ग. संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता को छोड़ कर एक दायित्व की संभावना बहुत कम है।

आकस्मिक देयता निपटान के लिए संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(iii) आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती परंतु इन्हें तब प्रकट किया जाता है जब किसी आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभाव्य होता है।

आकस्मिक संपत्तियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है।

1.9 कर्मचारियों के लिए लाभ

1.9.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत एक इकाई विभिन्न कोषों में निर्धारित अंशदान जमा करती है और उस पर इसके अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। कंपनी ऐसे कोषों/स्कीमों को भुगतान किए जाने वाले अंशदान को व्यय मानती है, जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवाएँ दे देता है। यदि बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए स्कीमों हेतु प्राप्त देय अंशदान पहले से ही भुगतान किए गए अंशदान से अधिक है तो इस स्कीम हेतु देय अंतर को भुगतान किए जा चुके अंशदान को घटाने के बाद एक दायित्व माना जाता है। यदि पहले से भुगतान किया जा चुका अंशदान तुलन पत्र तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए प्राप्त देय अंशदान से अधिक है तो इस अधिक राशि को उस सीमा तक संपत्ति माना जाता है कि इस पूर्व-भुगतान से, उदाहरण के लिए, भविष्य में भुगतान में कमी होगी अथवा नकद वापसी होगी।

परिभाषित लाभ योजनाओं में अंशदान के दायित्व को लाभ एवं हानि के विवरण में उस अवधि में कर्मचारी लाभ व्यय माना जाता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ दी गई हैं।

कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। कंपनी का दायित्व इस ट्रस्ट में उस सीमा तक अंशदान करने का है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% में से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम के लिए नियोत्तफ़ा के अंशदान को घटाने के बाद प्राप्त राशि से अधिक न हो। इस कोष में किसी वर्ष के लिए अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि - "वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट" में अंशदान करती है जो कि उस सीमा तक एक परिभाषित लाभ योजना है कि कंपनी पर ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम होने की स्थिति में कमी को पूरा करने का दायित्व है। इस संबंध में कंपनी का दायित्व एक बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल सृजित करने में सक्षम नहीं होगा तो इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। कोष में कंपनी के अंशदान को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.9.2 **परिभाषित लाभ योजनाएँ**

1.9.2.1 **ग्रेच्युटी**

कंपनी पात्र नियमित और संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, एक परिभाषित लाभ योजना, उपलब्ध कराती है। ग्रेच्युटी योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अशक्तता, अथवा रोजगार की शर्तों को पूरा करने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवा की अवधि के आधार पर एक राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएँ निम्नानुसार वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक रिपोटिंग तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं:

(i) कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जो अंशदान का निवेश भारत के कानून द्वारा अनुमत्य स्कीमों में करता है।

(ii) कंपनी एक परिभाषित लाभ योजना के निवल दायित्व को बैलेंस शीट में एक संपत्ति अथवा देयता के रूप में मान्यता देती है।

(iii) निवल परिभाषित देयता/(संपत्ति) के पुनः मापन के माध्यम से लाभ अथवा हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के लिए प्रयुक्त छूट दर को लागू करके परिकलित लब्धि से अधिक राशि के योजना संपत्तियों के पोर्टफोलियो के वास्तविक प्रतिफल को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(v) सेवा लागत तथा निवल ब्याज लागत/ निवल परिभाषित लाभ देयता पर (आय)/ (संपत्ति) को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। किसी योजना संशोधनों के प्रभावों, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.2 **प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति**

कंपनी प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ योजना प्रचालित करती है। ऐसे परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।

1.9.2.3 **सेवानिवृत्ति-पश्चात् चिकित्सा लाभ स्कीम**

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के दायित्व का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। बीमांकित लाभों/नुकसानों को अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.4 अन्य लघु-अवधि लाभों की गणना उस अवधि में की जाती है जिसके दौरान सेवाएं दी गई हैं और तदनुसार लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.10 लीज

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि आने वाले वर्ष या 01 अप्रैल 2019 के बाद से लीज के लिए विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक 17 को भारतीय लेखांकन मानक 116 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंपनी लीजदार के रूप में

मान्यता

लीज के आरम्भ के समय, उपयोग के अधिकार को किसी भी अप्रत्यक्ष लागत सहित परिसंपत्ति और विघटित लागत प्राप्त करने के लिए मान्यता दी

जाएगी (यदि कोई हो), निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त भुगतान न किए गए लीज के वर्तमान मूल्य के समतुल्य देयता समरूपी लीज के साथ लीज प्रोत्साहन को कम करेंगी:

i) शॉर्ट लघु अवधी पट्टा या टर्म लीज

ii) लीज जिनके लिए कम मूल्य की संपत्ति अंतर्निहित है

लीज शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू होने के मामले में, उन पट्टों से जुड़े लीज पेमेंट को लीज टर्म या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर व्यय के रूप में लिया जाएगा। लीजदार के रूप में कंपनी एक और व्यवस्थित आधार लागू करती है यदि वह आधार कंपनी के पैटर्न के अधिक प्रतिनिधि के रूप में लीजदार के लाभ के रूप में है।

लीज की अवधि में वित्त लागत में होने से लीज भुगतान के ब्याज तत्व को लाभ व हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल या पट्टा अवधि की वैधता का उपयोग का अधिकार, जो भी कम है और हानि के अधीन है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी कार्यकाल और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है।

लीज की देयता का पुनः मापन

लीज देनदारी फिर से मापी जाती है (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ) जबः

1. लीज अवधि को संशोधित किया जाता है - लीजदार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि क्या विस्तार विकल्प का प्रयोग करना उचित है, या एक महत्वपूर्ण विकल्प या परिस्थितियों में बदलाव होने पर समाप्ति के विकल्प का प्रयोग न करेंः
    - लीजदार के नियंत्रण में है। तथा
    - प्रभाव क्या अनुपालन (या गैर-अनुपालन) यथोचित निश्चित है।
2. एक सूचकांक या दर के आधार पर लीज का भुगतान संशोधित किया जाता है।
3. लीज को संशोधित किया गया है
4. अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों में एक बदलाव है।

एक लीजदार संशोधित लीज के भुगतान को छूट देकर लीज देयता को अस्वीकार करेगा, यदि या तोः

(क) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत देय राशि में बदलाव की उम्मीद है। अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक लीजदार संशोधित लीज भुगतान का निर्धारण करेगा।

(ख) भविष्य के लीज के भुगतान में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सूचकांक या उन भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर शामिल है, उदाहरण के लिए बाजार किराए की समीक्षा के बाद बाजार किराये की दरों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव। लीजदार उन देय लीज भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पट्टा देयता को वापस करेगा, जब नकदी प्रवाह में परिवर्तन होता है (यानी जब लीज के भुगतान में समायोजन प्रभावी होता है)। एक लीजदार संशोधित संविदात्मक भुगतानों के आधार पर लीज की शेष अवधि के लिए संशोधित पट्टा भुगतानों का निर्धारण करेगा।

लीजदार अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करेगा, जब तक कि लीज के भुगतान में परिवर्तन से फ्लोटिंग ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं होता है। उस मामले में, लीजदार एक संशोधित छूट दर का उपयोग करेगा जो ब्याज दर में परिवर्तन को दर्शाता है।

लीज संशोधन

लीजदार एक लीज के संशोधन के लिए एक अलग लीज के रूप में खाता होगा यदि दोनों:

(क) संशोधन एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर लीज के दायरे को बढ़ाता है। तथा

(ख) लीज के लिए विचार राशि में वृद्धि की गुंजाइश के लिए स्टैंड-अलोन मूल्य के साथ कम हो जाता है और उस अनुबंध के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए।

लीज के संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टा संशोधन की प्रभावी तिथि पर लीजदार करेगाः

(क) संशोधित अनुबंध में विचार को आवंटित करें

(ख) संशोधित लीज की लीज अवधि निर्धारित करें

(ग) संशोधित छूट भुगतानों को संशोधित छूट दरों का उपयोग करके पट्टा देयता को पुनः प्राप्त करें। संशोधित छूट दर को लीज अवधि के शेष के लिए लीज में निहित ब्याज दर के रूप में निर्धारित किया जाता है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, या संशोधन की प्रभावी तिथि पर लीजदार की वृद्धिशील उधार दर, यदि ब्याज दर में निहित है। पट्टा आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक लीज संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, लीजदार लीज देनदारी की पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) लीज के संशोधनों के लिए लीज के आंशिक या पूर्ण समाप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की गई परिसंपत्ति की वहन राशि को कम करना, जो लीज के दायरे को कम करता है। लीजदार लाभ या नुकसान को पहचान सकता है या लीज की आंशिक या पूर्ण समाप्ति से संबंधित कोई लाभ या हानि।

(ख) अन्य सभी लीज संशोधनों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए एक संगत समायोजन करना

(ग) एक व्यावहारिक समीचीन के रूप में, एक लीजदार यह आकलन नहीं करने का चुनाव कर सकता है कि क्या पैरा 46बी में शर्तों को पूरा करने वाली किराया रियायत एक पट्टा रियायत है। एक लीजदार जो इस चुनाव को करता है, वह किराया रियायत के परिणामस्वरूप लीज के भुगतान में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार होगा, उसी तरह यह इस मानक को लागू करने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा यदि परिवर्तन एक पट्टा संशोधन नहीं था

(घ) कोविड 19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होने वाली किराया रियायत और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैंः -

(i) लीज के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लीज के लिए संशोधित प्रतिफल होता है जो काफी हद तक परिवर्तन से ठीक पहले लीज के प्रतिफल के समान या उससे कम होता है।

(ii) लीज के भुगतान में कोई भी कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (एक रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2021 को या उससे पहले लीज के भुगतान में कमी आती है, और लीज के भुगतान में वृद्धि होती है जो इससे आगे बढ़ती है 30 जून 2021)।

(iii) लीज के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

वि-मान्यता

प्रारंभ में मान्यता प्राप्त उपयोग संपत्ति का अधिकार निपटान या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। उपयोग की संपत्ति के अधिकार की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि खातें के विवरण में शामिल है जब उपयोग संपत्ति का अधिकार है पहचाना हुआ।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्त पट्टा

कंपनी एक वित्तीय लीज के तहत धारित संपत्ति को लीज में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में पहचानती है। कंपनी लीज अवधि में वित्त आय को सीधे-सीधे आधार पर मान्यता देती है, जो लीज में शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

परिचालन पट्टा

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत लीज पर दी गई संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है। किराये की आय को लीज की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि किराए में अनुसूचित वृद्धि कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ मुआवजा देती है।

1.11 विदेशी मुद्रा लेन-देन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है। एक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा वह होती है जो प्रमुख आर्थिक वातावरण की मुद्रा होती है जिसमें कंपनी प्रचालन करती है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में कंपनी द्वारा उस तारीख की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जब यह लेन-देन सर्वप्रथम मान्यता के लिए पात्र होता है। तथापि व्यावहारिक कारणों से कंपनी एक उपलब्ध औसत दर का प्रयोग करती है जब लेन-देन की तारीख को यह औसत वास्तविक दर के लगभग समान होता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयताएँ रिपोटिंग की तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर बदली जाती हैं।

निपटान के समय विनिमय में होने वाले अंतर अथवा मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

गैर-मौद्रिक संपत्तियों तथा देयताओं, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है, को पुनः बदला नहीं जाता।

1.12 आय कर

1.12.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान आय कर संपत्तियों और देयताओं का मापन कराधान प्राधिकरणों से प्राप्त किए जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान किए जाने वाली अपेक्षित राशि पर किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त दरें और कर कानून वे होते हैं जो रिपोटिंग की तारीख को भारत में अधिनियमित किए गए हैं अथवा मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

प्रबंधन ऐसी स्थितियों, जिनमें लागू कर विनियम विवेचना के शर्ताधीन है, के संबंध में कर आकलनों में अपनाई गई स्थितियों का आवधिक रूप से मूल्यांकन करता है और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

वर्तमान कर संपत्तियों द्वारा वर्तमान कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि और केवल यदि मान्य राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और निवल आधार पर निपटान करने अथवा संपत्ति को बेचने और साथ-साथ देयता का निपटान करने का इरादा हो।

अंतिम रूप से कर प्राधिकरणों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए/लागू किए गए अतिरिक्त करों, ब्याज और/अथवा जुर्मानों को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

1.12.2 आस्थगित आय कर

रिपोटिंग की तारीख को वित्तीय रिपोर्टग के उद्देश्यों से आस्थगित कर संपत्तियों तथा देयताओं के कर आधारों और उनकी मूल कीमतों के बीच अस्थायी अंतर पर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और किन्हीं अप्रयुक्त कर नुकसानों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और अप्रयुत्तफ़ कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मूल कीमत की प्रत्येक रिपोटिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभाव्य न रहे कि आस्थगित कर संपत्ति का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके। गैर-मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोटिंग तारीख को पुनःआकलन किया जाता है और उस सीमा तक इन्हें मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य हो जाए कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को वापस प्राप्त किया जा सकेगा।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर दरों (और कानूनों), जिन्हें रिपोटिंग तारीख को अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, के आधार पर उन दरों पर किया जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की संभावना हो जब संपत्ति को बेचा जाता है अथवा देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि वर्तमान कर संपत्तियों से वर्तमान कर दायित्वों को पूरा करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और आस्थगित कर उसी कर योग्य इकाई और उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित है।

1.13 दरें और कर

भारत में अथवा विदेश में भुगतान किए गए/उपार्जित विदेशी कार्यों पर विदेशी कर, सेवा कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, समान कर, पेशेवर कर, संपत्ति कर, प्रवेश कर, श्रम उपकर, चुंगी आदि जिसके लिए कंपनी के पास क्रेडिट उपलब्ध नहीं हैं उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.14 पूर्व-भुगतान व्यय और पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व-भुगतान व्यय

पूर्व-भुगतान व्यय आने वाले वर्ष में, कंपनी की वर्तमान / गैर - वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है और इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के व्यय / आय के रूप में माना जाता है, जो इसके अंतर्गत आता है जिसके संबंधित वर्ष के लेखों के प्राकृतिक शीर्ष में डाला जाता है।

पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि समायोजन में प्रस्तुत की गई त्रुटियों के लिए तुलनात्मक मात्र को बहाल करके पूर्ववर्ती त्रुटियों को पूर्व अवधि रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्ति देयता और इक्विटी का प्रारंभिक संतुलन, तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.15 परिसमापन नुकसान/दावे

परिसमापन नुकसानों/दावों पर प्रवेश आधार पर विचार किया जाता है और इन्हें क्रिस्टलीकरण के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.16 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्रियाकलापों के लिए संविधि के तहत लाभों के निर्धारित प्रतिशत में से शेष अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को भविष्य में उपयोग के लिए सीएसआर निधि खाते में समायोजित किया जाता है।

1.17 लाभांश:

शेयरों पर अंतिम लाभांश को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

1.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आधारभूत आय का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को अवधि के दौरान लंबित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को प्रति शेयर आधारभूत आय के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को बदलने पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को अवधि के प्रारंभ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में माना जाता है, यदि इन्हें बाद की तारीख में जारी न किया जाए। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित जारी किए जाने वाले बोनस शेयरों हेतु प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

1.19 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह के विवरण के प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से नकद और नकद समकक्ष में उपलब्ध नकद, माँग जमा सहित बैंकों के पास शेष राशि, अन्य लघु अवधि अत्यधिक तरल निवेश जो मूल्य में परिवर्तन के गैर-महत्वपूर्ण जोखिम के शर्ताधीन हों, जिन्हें आसानी से नकद की ज्ञात मात्रा में बदला जा सके और जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण अथवा निवेश की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम हो। प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है।

1.20 अवकाश यात्रा रियायत का लाभ वास्तविक आधार के अनुसार किया जाता है।

1.21 लागू किए गए किन्तु प्रभावी नहीं मानदंड

हाल ही में की गई लेखांकन संबंधी घोषणाएं

प्रमुख लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 'लेखांकन नीति सबंधी जानकारी के प्रकटीकरण' हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से यथाअधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक 1 – 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से अपनाया है। यद्यपि संशोधन के परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वित्तीय विवरणों में प्रकट लेखांकन नीति संबंधी जानकारी को प्रभावित किया है। संशोधनों के अंतर्गत 'सिग्निफकेंट ' लेखांकन नीतियों के स्थान पर 'मेटिरियल' प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह संशोधन लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण हेतु वास्तविकता की अनुप्रयुक्ता के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, संस्थाओं को उपयोगी, संस्थागत-विशिष्ट लेखांकन नीति की जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी को समझने के लिए आवश्यक है।

(घ) जारी किए गए मानक जो अभी तक प्रभावी नहीं हैं, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली के अंतर्गत नए मानकों अथवा मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। एमसीए ने मौजूदा मानकों के संबंध में किसी भी प्रकार के नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया है जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं।

1.21.1 लेखांकन नीतियों और अनुमान अनिश्चितता को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

भारत में वित्तीय विवरणों को आईएनडीएएस के अनुसार तैयार जाता है जिसके अंतर्गत प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में संपत्तियों, देनदारियों के शेष और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान दिये गए आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

यद्यपि वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किए जाने वाले ये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों, जोकि प्रबंधन की राय में विवेकपूर्ण और उचित होते हैं, के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से उस अवधि के लिए अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार ज्ञात/वास्तविक परिणाम होते हैं। परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उसके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और धारणाओं से संबधित जानकारी को नीचे दिया गया है:

मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारक निम्नलिखित हैं :

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है वह कंपनी की भविष्य की कर संभावित आय के आकलन पर आधारित होती है, जिसके संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि हेतु संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण निर्धारक शामिल होते हैं जिसके लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयां, भुगतान में डिफ़ॉल्ट या दोष, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण, अन्य में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रबंधन शेष उपयोगी वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का आकलन करता है और उसका मानना है कि निर्दिष्ट उपयोगी वस्तु और अवशिष्ट मूल्य यथोचित हैं।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उनके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

अग्रिम/प्राप्य राशियों की वसूली

परियोजना/तकनीकी प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख समय-समय पर अग्रिम और प्राप्य राशियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है और ऐसे मूल्यांकन के लिए परस्पर प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, बाजार जानकारी और अन्य संगत कारकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीओबी)

डीबीओ से संबंधित प्रबंधन अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत प्रचलन , मृत्यु दर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान पर आधारित है। इन अवधारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकताएं

चूंकि लंबित मामलों के परिणाम का सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, कंपनी के विरुद्ध आकस्मिकताओं/दावे/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो, का अनुमान लगाने हेतु प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है

परिसमापित हानि

परिसमापित क्षति प्राप्त योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और संविदात्मक शर्तों के अनुसार दर्ज किया जाता है; ठेकेदार/विक्रेता पर लगाए गए अनुमान वास्तविक अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व

प्रदर्शन दायित्व के समाधान हेतु प्रतिशत पूर्णता विधि के उपयोग के लिए कंपनी को कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दीर्घकालिक निर्माण और सेवा अनुबंधों के परिणामों का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, संतुलित प्रयासों, अनुबंध को पूरा करने संबंधी लागत और समय पर आकलन और निर्णय लेने, जिसमें परिनिर्धारित क्षति हेतु भारित संभावना और संभावित सीमा तक विलम्ब हेतु मूल्य में गिरावट और विश्वसनीय रूप से मापन में सक्षम हों, की आवश्यकता होती है। चूंकि इनपुट और कार्य निष्पादन के समाधान के मध्य सीधा संबंध है, कार्य पूरा होने की दिशा में प्रगति के मापन हेतु लागत और समय लगा है।

पट्टेदार के रूप में संपत्ति पट्टा वर्गीकरण

कंपनी ने कार्यालय/आवासीय परिसरों हेतु पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक परिपेक्ष्य का एक बड़ा भाग नहीं है और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य वाणिज्यिक संपत्ति के उचित मूल्य की समग्र राशि नहीं है, यह कि इन संपत्तियों के स्वामित्व हेतु और पट्टों के परिचालन के अनुबंधों के उत्तरदायी है,

कंपनी ने अनुबंधों के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया है।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के निर्धारण और मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और अवधारणाओं से संबंधी जानकारी नीचे दी गई है। वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं।

प्रावधान

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, कंपनी प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में परिवर्तन और विधिक पहलुओं के आधार पर, कंपनी की बकाया राशि से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालांकि, भविष्य के वास्तविक परिणाम इस निर्धारण से भिन्न हो सकते हैं।

भौतिकता का निर्धारण

भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेन-देन के प्रकटीकरण और लेखाकंकन हेतु कंपनी द्वारा भौतिकता का मूल्यांकन अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए भौतिकता सीमा का आकलन करती है और निरंतर आधार पर अनुसरण करती है।

वाप्कोस लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2023-24

टिप्पणी - 2

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

सकल मूल राशि	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत कार्य	कंप्यूटर	नेटवर्किंग सेवाएँ	अस्थायी लकड़ी की अवसंरचना	पुस्तकें	कुल
सकल ब्लाक-परिसंपत्तियां											
31-03-2021 को प्रारंभिक शेष	**17.28**	**817.17**	**717.56**	**38.28**	**907.75**	**74.10**	**955.35**	**188.93**	**-**	**14.70**	**3,731.12**
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि	-	-	24.53	81.50	130.01	-	174.60	-	-	-	410.64
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(7.72)	-	(27.64)	-	(48.54)	-	-	-	(83.90)
31-03-2022 को शेष	**17.28**	**817.17**	**734.37**	**119.78**	**1,010.12**	**74.10**	**1,081.41**	**188.93**	**-**	**14.70**	**4,057.86**
वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि	-	-	15.50	40.69	90.61	-	54.35	552.14	-	0.04	753.33
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(11.21)	-	(20.12)	-	(29.64)	-	-	-	(60.97)
31-03-2023 को शेष	**17.28**	**817.17**	**738.66**	**160.47**	**1,080.61**	**74.10**	**1,106.12**	**741.07**	**-**	**14.74**	**4,750.22**
वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि	-	-	16.26	-	34.10	-	47.98	-	-	-	98.34
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(0.48)	-	(0.42)	-	(0.20)	-	-	-	(1.10)
ईआरपी प्रभाव		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**17.28**	**817.17**	**754.44**	**160.47**	**1,114.29**	**74.10**	**1,153.90**	**741.07**	**-**	**14.74**	**4,847.46**
संचित मूल्यह्रास											
31-03-2021 को शेष		**51.94**	**261.77**	**12.36**	**605.65**	**36.21**	**707.70**	**151.59**	**-**	**8.94**	**1,836.17**
वर्ष के लिए प्रभार		14.71	75.21	5.02	106.48	7.28	123.55	5.26	-	3.13	340.64
निपटान के लिए समायोजन		-	4.14	-	23.67	-	45.73	-	-	-	73.54
31-03-2022 को शेष		**66.65**	**332.84**	**17.38**	**688.46**	**43.49**	**785.52**	**156.85**	**-**	**12.07**	**2,103.27**
वर्ष के लिए प्रभार		14.71	75.07	17.35	102.44	6.98	109.36	70.84	-	2.00	398.75
निपटान के लिए समायोजन		-	9.75	-	19.07	-	27.88	-	-	-	56.70
31-03-2023 को शेष		**81.36**	**398.16**	**34.73**	**771.83**	**50.47**	**867.00**	**227.69**	**-**	**14.07**	**2,445.32**
वर्ष के लिए प्रभार		14.71	72.22	18.94	82.66	6.14	98.71	91.15	-	0.01	384.54
निपटान के लिए समायोजन		-	(0.19)	-	(0.35)	-	(0.19)	-	-	-	(0.73)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास		-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	0.26
31-03-2024 को शेष		**96.07**	**470.19**	**53.67**	**854.14**	**56.61**	**965.78**	**318.84**	**-**	**14.08**	**2,829.38**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2022	**17.28**	**750.52**	**401.53**	**102.40**	**321.66**	**30.61**	**295.89**	**32.07**	**-**	**2.64**	**1,954.60**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2023	**17.28**	**735.82**	**340.49**	**125.73**	**308.77**	**23.63**	**239.12**	**513.37**	**-**	**0.67**	**2,304.88**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2024	17.28	721.10	284.25	106.80	260.15	17.49	188.12	422.23		0.66	2,018.08

टिप्पणी: पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजीगत प्रतिबद्धता			
प्रारंभिक शेष	-	644.44	-
वर्ष के दौरान वृद्धि			644.44
वर्ष के दौरान समायोजन	-	644.44	-
अंत शेष	-	-	644.44

टिप्पणी - 2क
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

	आरओयू भवन	आरओयू वाहन	कुल
सकल ब्लाक			
01-04-2021 को आरंभिक शेष	**3,498.35**	**135.76**	**3,634.11**
जोड़	279.78	-	279.78
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(449.81)	(0.78)	(450.59)
31-03-2022 को शेष	**3,328.32**	**134.98**	**3,463.30**
मूल्यह्रास			
01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	**1,511.75**	**80.46**	**1,592.21**
वर्ष के लिए परिशोधन	624.68	28.79	653.47
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2022 को शेष	**2,136.43**	**109.25**	**2,245.68**
31-03-2022 को नेट बुक वैल्यू	**1,191.89**	**25.73**	**1,217.62**
सकल ब्लाक			
01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	**3,328.32**	**134.98**	**3,463.30**
जोड़	27.28	34.65	61.93
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(139.99)	(2.45)	(142.44)
31-03-2023 को शेष	**3,215.61**	**167.18**	**3,382.79**
मूल्यह्रास			
01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	**2,136.44**	**109.25**	**2,245.69**
वर्ष के लिए परिशोधन	428.48	22.40	450.88
निपटान के लिए समायोजन			-
31-03-2023 को शेष	**2,564.92**	**131.65**	**2,696.57**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**650.69**	**35.53**	**686.22**
सकल ब्लाक			
01-04-2023 को आरंभिक शेष	**3,215.61**	**167.18**	**3,382.79**
जोड़	329.02	19.47	348.49
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(64.45)	-	(64.45)
31-03-2024 को शेष	**3,480.18**	**186.65**	**3,666.83**
मूल्यह्रास			
01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**2,564.92**	**131.65**	**2,696.57**
वर्ष के लिए परिशोधन	331.56	18.84	350.40
निपटान के लिए समायोजन			-
31-03-2024 को शेष	**2,896.48**	**150.49**	**3,046.97**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**583.70**	**36.16**	**619.86**

टिप्पणी - 2ख
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
स्कल ब्लाक	
31-03-2025 को आरंभिक शेष	**427.64**
जोड़	255.84
31-03-2022 को शेष	**683.48**
जोड़	35.49
31-03-2023 को आरंभिक शेष	**718.97**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	0.01
जोड़	225.03
31-03-2024 को शेष	**944.01**
संचित मूल्यह्रास	
31-03-2025 को आरंभिक शेष	**363.72**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	50.61
31-03-2022 को शेष	**414.33**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	109.83
31-03-2023 को शेष	**524.16**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	173.42
31-03-2024 को शेष	**697.58**
31-03-2022 को नेट बुक वैल्यू	**269.15**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**194.81**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**246.43**

टिप्पणी - 3
गैर-वर्तमान निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक		1 अप्रैल, 2022 तक	
	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि
इक्विटी निवेश **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कंपनी (अनकोटेड) इक्विटी शेयरों में निवेश** जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड 10/- रू प्रत्येक शेयर की दर से 30,000 इक्विटी शेयर का पूर्णतयः भुगतान 3,00,000/- रू 10 रुपये प्रत्येक के 2279 इक्विटी शेयर की खरीद 20/- रुपये प्रति शेयर का पूर्णतयः भुगतान 45,580/- रुपये*	-	49.06	-	44.02	-	39.52
सहायक कंपनी में निवेश (अनकोटिड) इक्विटी शेयर लागत पर निवेश एनपीसीसी लिमिटेड** 1000/- रू के प्रत्येक 9,34,821 इक्विटी शेयरों का 853.64 रू प्रति शेयर की दर से पूर्णतयः भुगतान कर अधिग्रहण किया कुल 79.80 करोड़ रु	-	7,980.00	-	7,980.00	-	7,980.00
कुल		**8,029.06**	**-**	**8,024.02**	**-**	**8,019.52**

* उचित मूल्य के अभाव में, प्रति शेयर बुक वैल्यू पर उसे प्रकट किया गया है।

** कंपनी ने एनपीसीसी लिमिटेड के 98.89% इक्विटी शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण किया है, जिसके भारत में व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र दिनांक 26-04-2019 से प्रभावी है

टिप्पणी - 4
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
क- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
प्रतिभूति जमा/ईएमडी			
असुरक्षित, उचित समझें	193.56	179.98	181.12
प्रतिधारण राशि			
असुरक्षित, उचित समझें	1,867.99	160.86	133.69
क्रेडिट क्षति	863.69	11.00	53.90
आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों को अग्रिम			
असुरक्षित, उचित समझें	845.68	845.68	845.68
12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (क), (ख) (अर्जित ब्याज सहित)	1,269.84	1,129.47	1,230.02
	5,040.76	**2,326.99**	**2,444.41**
हानिः संभावित क्रेडिट हानि हेतु भत्ता (ग)	(863.69)	(11.00)	(53.90)
कुल	**4,177.07**	**2,315.99**	**2,390.51**

(क) उपरोक्त में 242.87 लाख रू (गत वर्ष 190.94 लाख रू) की राशि के 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं उस पर 83.84 लाख रूपए की राशि (गत वर्ष 44.25 लाख)

(ख) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों की एवज में मार्जिन धन/प्रतिभूति के रूप में धारित 861.28 लाख रुपये की बैंक जमाएँ और 18.01 लाख रूपए का अर्जित ब्याज शामिल हैं (गत वर्ष 257.40 लाख रु और अर्जित ब्याज 22.18 लाख रू)

(ग) प्रबंधन की राय में, संदिग्ध प्रतिधारण राशि के एवज में धारित भत्ता प्रतिधारण की वसूली के कारण किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी: 49

ख. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
असुरक्षित, उचित समझी जाती हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो			
प्रतिभूति जमाएँ/ ईएमडी	998.74	1,200.81	893.87
क्रेडिट हानि	1,996.44	1,813.00	1,553.72
अन्य वसूली योग्य (ख)	1,585.59	1,192.11	558.99
स्टाफ को अग्रिम (क)	222.76	205.51	220.53
	4,803.53	**4,411.43**	**3,227.11**
कमः अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(1,996.44)	(1,813.00)	(1,553.72)
कुल	**2,807.09**	**2,598.43**	**1,673.39**

(क) टिप्पणी संख्या - 59 देखें

(ख) इसमें ठेकेदार द्वारा परियोजना में विलम्ब के कारण मैसर्स बीपीआरडी द्वारा प्रतिसंहरण की गई वाप्कोस की बैंक गारंटी से संबंधित 710.81 लाख की राशि शामिल है। परिणामस्वरूप, वाप्कोस लिमिटेड ने मैसर्स स्वर्णिम की 304.40 लाख की बैंक गारंटी का प्रतिसंहारण किया और शेष राशि को बिलों के माध्यम से समायोजित किया।

टिप्पणी - 5
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र, उपकरणों और अर्मूत संपत्तियों का मूल्यहास और परिशोधन	-	-	11.04
कर्मचारी लाभ	3,389.55	3,061.84	2,890.21
ईएमडी का प्रावधान	499.90	-	-
एमएसएमई आपूर्तिकर्ता का प्रावधान	567.98	-	-
आपूर्तिकर्ता अग्रिम का प्रावधान	81.08	30.95	1.46
किराया अग्रिम का प्रावधान	5.54	6.29	6.29
यात्र भत्ता व्यय/विविध व्यय हेतु प्रावधान	7.00	1.02	-
विदेशी अग्रदाय हेतु प्रावधान	2.56	2.56	-
लीज देनदारियां (आरओयू का निवल)	28.46	43.45	49.12
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हेतु प्रावधान	9,784.20	8,862.32	6,715.16
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**14,366.27**	**12,008.43**	**9,673.28**
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों का मूल्यहास और परिशोधन	(26.90)	(27.71)	-
निवेश पर मूल्यांकन लाभ के लिए प्रावधान	(12.35)	(11.08)	(9.95)
आस्थगित कर देनदारियां (ख)	**(39.25)**	**(38.79)**	**(9.95)**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**14,327.02**	**11,969.64**	**9,663.33**

आस्थगित कर परिसंपत्ति में संचलन / (देनदारी)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	31 मार्च, 2023 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	हानि विवरण में अभिज्ञात प्राप्त - पूर्व अवधि प्रभाव	01 अप्रैल, 2022 को
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:								
कर्मचारी लाभ	3389.56	(7.67)	335.38	3061.84	(8.79)	180.42	-	2890.21
लीज देनदारियां	28.45	-	(14.99)	43.45	-	-5.67	-	49.12
अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान	9784.22	-	921.89	8862.33	-	2147.16	-	6715.17
अन्य	1164.07	-	1123.25	40.82	-	33.06	-	7.76
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देनदारियां:								
मूल्यहास	(26.92)	-	0.80	-27.71	-	-38.74	-	11.03
अन्य	(12.36)	(1.27)		(11.09)	(1.13)	-	-	(9.96)
कुल	**14327.02**	**(8.94)**	**2366.33**	**11969.64**	**(9.92)**	**2316.23**	**-**	**9663.33**

टिप्पणी - 6
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
पूर्व-भुगतान व्यय	156.30	117.70	143.71
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	5.81	3.71	9.90
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिमः			
सुरक्षित, उचित समझे	-	-	-
कुल	**162.11**	**121.41**	**153.61**

टिप्पणी - 7
व्यापार प्राप्तियां *

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है**	151,505.39	146,211.96	151,792.94
क्रेडिट हानि	49,252.15	42,767.12	36,088.72
	200,757.54	**188,979.08**	**187,881.66**
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*#	(49,252.15)	(42,767.12)	(36,088.72)
कुल	**151,505.39**	**146,211.96**	**151,792.94**

* प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की एवज में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-49

** 1384.61 लाख रू की वर्तमान प्रतिधारण राशि शामिल है। (गत वर्ष की राशि 33.60.69 लाख रू)

\# 437.78 लाख रू की वर्तमान प्रतिधाारण राशि पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता शामिल है। (गत वर्ष की राशि 1287.04 लाख रू)

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	1,256.55	12,527.56	49,859.26	3,721.75	22,597.87	13,109.40	48,433.00	151,505.39
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	825.42	63.52	2,095.21	3,334.21	42,933.80	49,252.16
31 मार्च, 2024 को	1,256.55	12,527.56	50,684.67	3,785.27	24,693.08	16,443.61	91,366.80	200,757.54
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	1,259.06	16,256.75	39,812.20	6,777.68	20,979.52	18,915.52	42,211.22	146,211.96
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	1,224.79	118.79	2,216.00	5,324.81	33,882.72	42,767.11
31 मार्च, 2023 को	1,259.06	16,256.75	41,036.99	6,896.47	23,195.52	24,240.33	76,093.94	188,979.06
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	5,790.70	16,613.83	32,863.64	4,078.63	31,913.22	29,669.27	30,863.65	151,792.94
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	1,118.44	51.09	3,069.77	8,020.66	23,828.76	36,088.72
31 मार्च, 2022 को	5,790.70	16,613.83	33,982.08	4,129.72	34,982.99	37,689.93	54,692.41	187,881.66

टिप्पणी - 8
नकद एवं नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंकों में चालू खातों में जमा राशि (क), (ख), (ग) एवं (घ)	25,432.10	16,795.47	19,095.98
3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ (ङ), (च) (प्राप्त ब्याज सहित)	1,350.99	0.06	137.61
उपलब्ध नकद	8.92	10.00	10.00
कुल	**26,792.01**	**16,805.53**	**19,243.59**

क) टिप्पणी 8 में से निम्नलिखित बैंक शेष ग्राहकों/मंत्रलयों की ओर से बनाए गए अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	17,729.56	4,786.46	6,511.14
कुल	**17,729.56**	**4,786.46**	**6,511.14**

(ख) विदेशी मुद्रा बैंक खातों और विदेशी बैंकों में बैंक खातों की शेष राशि शामिल है। इसके अलावा प्रत्यावर्तनीय प्रतिबंधों सहित ₹ 1193.08 लाख (पिछले वर्ष ₹ 111.47 लाख) की राशि विदेशों में मौजूद है।

(ग) इसमें बैंक गारंटी से संबंधित बैंक के वैध अधिकार के तहत ₹ 3.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3.62 लाख) की राशि शामिल है।

(घ) 29.04.2024 को 24.34 लाख रूपये की निधियां समर्पित खाते में अंतरित की गई।

(ङ) उपरोक्त में बैंक जमा ₹ शून्य और प्रारंभ तिथि से 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक गारंटी के संबंध में मार्जिन राशि/जमा के रूप में धारित ₹ शून्य का अर्जित ब्याज शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ शून्य और अर्जित ब्याज ₹ शून्य)

(च) उपरोक्त में 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक एफडीआर के रूप में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.05 लाख) की ईएमडी राशि और ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.01 लाख) का अर्जित ब्याज, लेकिन उस पर देय नहीं, की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 9
अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंक में जमा खाते में तीन माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाली शेष राशि परंतु जो बैलेंस शीट डाटा (क) (ख), (ग) और (घ) की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर परिपक्व होने वाली हो (अर्जित ब्याज सहित)	32,819.95	33,005.04	32,984.29
कुल	**32,819.95**	**33,005.04**	**32,984.29**

(क) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों के संबंध में मार्जिन धन/प्रतिभूति के रूप में धारित 8200.32 लाख रु की बैंक जमाएँ और 105.42 लाख रू का प्राप्त ब्याज शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग की तारीख से 12 माह से कम है (गत वर्ष 5734.68 लाख रू और 82.13 लाख रू का अर्जित ब्याज)।

(ख) कर्मचारी सावधि जमा शामिल है, संदर्भ टिप्पणी सं 62

(ग) पीएनबी लंदन के पास 31 मार्च, 2024 तक अमेरिका डालर और भारतीय मुद्रा में देय 199.73 करोड़ (और 6.93 करोड़ रूपए की अर्जित ब्याज राशि) की सावधि जमा राशि शामिल है, जो मैसर्स अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम की परियोजना (अमेरिकी डालर और भारतीय मुद्रा में देय मूलधन राशि 164.36करोड़ रू) की आय से प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग परियोजना से संबंधित विक्रेता के लिए किया जाएगा। कंपनी ऐसे मुख्य बकाया पर कोई ब्याज देयता नहीं मानती है।

(घ) उपरोक्त में 1189.13 लाख रू (गत वर्ष 1104.10 लाख रू) में 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित है, लेकिन देय नहीं है, जिसकी राशि 258.82 लाख रू (गत वर्ष 286.85 लाख रू) है।

टिप्पणी- 10
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
अग्रिम आय कर और टीडीएस (2295.30 लाख रू की राशि के कराधान के प्रावधान का निवल (गत वर्ष 2,669.60 लाख रू)) (क)	10,166.31	8,769.04	8,104.07
कुल	**10,166.31**	**8,769.04**	**8,104.07**

(क) आयकर के प्रावधान को टीडीएस और अग्रिम कर के निवल को दर्शाया गया है।

टिप्पणी - 11
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिम			
सुरक्षित, उचित समझे (क)	2,252.38	1,919.01	1,759.25
असुरक्षित, उचित समझे	601.80	1,079.17	756.03
क्रेडिट अनर्जित	322.17	122.99	5.81
अग्रिम किराया	-	-	-
असुरक्षित उचित समझें	0.44	21.14	49.33
क्रेडिट अनर्जित	22.01	25.00	25.00
पूर्व-भुगतान व्यय	236.83	339.93	426.32
सुरक्षा जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	3.62	8.15	8.54
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि	26,187.29	22,245.56	20,208.73
	29,626.54	**25,760.95**	**23,239.01**
कमः आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के लिए संदिग्ध प्रावधान	(322.17)	(122.99)	(5.81)
कमः अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	(22.01)	(25.00)	(25.00)
कुल	**29,282.36**	**25,612.96**	**23,208.20**

(क) बैंक गारंटी के संबंध में सुरक्षित 1951.04 लाख रू (गत वर्ष 1,474.42 लाख रू)

(ख) ठेकेदार द्वारा स्थल पर सामग्री खरीद के संबंध में 301.35 लाख रू (गत वर्ष 44.591 लाख रू)

टिप्पणी-12
शेयर पूंजी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		01 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत सम मूल्य पर 10/-रू प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 31, मार्च 2022 10/-रू प्रत्येक और 1 अप्रैल, 2021 100/-रू प्रत्येक)	20,00,00,000.00	20,000.00	20,00,00,000.00	20,000.00	20,00,00,000.00	20,000.00
जारी किए गए, अभिदत्त और प्रदत्त सम मूल्य पर 10/- रुपये इक्विटी शेयर की दर से (गत वर्ष 31 मार्च, 2022 को 10/- रू प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2021 को 100/- रू प्रत्येक)	13,00,00,000.00	13,000.00	13,00,00,000.00	13,000.00	13,00,00,000.00	13,000.00
कुल	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**

31 मार्च, 2024, 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल 2022 को बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		01 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	1,00,00,000	10,000
जोड़: विभाजक के कारण वृद्धि	-	-	-	-	9,00,00,000	-
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयरः बोनस जारी	-	-	-	-	3,00,00,000	3,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000

सममूल्य पर 10/- रू- प्रति के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 को 10/- रू- प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2022 को 100/- रू- प्रत्येक)

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास इक्विटी शेयर के रूप में संदर्भित शेयर का एक वर्ग है जो 10 रु प्रत्येक के मूल्य के हैं। इक्विट शेयर के प्रत्येक धारक की प्रतिशेयर एक वोट का हकदारी है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों की सूची:

(रु. लाख में)

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		1 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %
10 रुपये प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 तक 10 रु- प्रति और 01 अप्रैल, 2022 तक 100/- रुपये प्रति)						
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित सदस्य	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%

तुलन पत्र की तारीख से पहले गत पाँच वर्षों में बोनस शेयरों द्वारा पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	1 अप्रैल, 2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
सामान्य आरक्षित को पूंजीकृत करके पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	3,00,00,000	शून्य
कुल	-	-	-	**3,00,00,000**	

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

31 मार्च 2024 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

31 मार्च 2023 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

1 अप्रैल, 2022 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

टिप्पणी-13

अन्य इक्विटी

आरक्षित और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य

1. **सामान्य आरक्षित:**

   सामान्य आरक्षित का अर्थ है किसी उद्यम की आय का वह भाग जिसे प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित करने के बजाय भविष्य में ज्ञात या अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए विनियोजित किया जाता है।

2. **अधिशेष:**

   कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को लाभ एवं हानि खाते के विवरण से अधिशेष में अंतरित किया जाता है।

3. **अन्य व्यापक आय:**

   अन्य व्यापक आय भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसरण में परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर निर्धारित किए गए लाभ/(हानि) और भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय साधन" के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित अनकोटेड इक्विटी साधनों में निवेश से निर्धारित किए गए लाभ/(हानि) के कारण शेष राशि होती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
आरक्षित और अधिशेष			
सामान्य आरक्षित	(1,130.75)	1,369.25	4,469.25
अधिशेष	34,477.54	28,548.08	33,494.42
अन्य व्यापक आय	(355.48)	(321.10)	(350.60)
कुल	**32,991.31**	**29,596.23**	**37,613.07**

टिप्पणी-14

व्यापार देयाएँ

क. व्यापार देयताएँ-गैर-वर्तमान*

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	380.06	406.40	41.46
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	1,135.77	901.27	815.99
कुल	**1,515.83**	**1,307.67**	**857.45**

*आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को देय प्रतिधारण राशि शामिल

व्यापार देय राशि - गैर - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	-	380.06	205.27	151.33	-	23.46	380.06
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि		1,135.77	525.63	610.14	-	-	1,135.77
31 मार्च, 2024 को		**1,515.83**	**730.90**	**761.47**	**-**	**23.46**	**1,515.83**
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	-	406.40	-	-	-	-	406.40
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि		901.27	-	-	-	-	901.27
31 मार्च, 2023 को		**1,307.67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,307.67**
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	-	41.46	-	-	-	-	41.46
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि		815.99	-	-	-	-	815.99
31 मार्च, 2022 को		**857.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**857.45**

ख. व्यापार देय-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि*	27,283.90	30,590.75	34,141.12
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	99,812.95	81,288.74	75,868.10
कुल	**127,096.85**	**111,879.49**	**110,009.22**

***संदर्भ टिप्पणी संख्या - 36**

व्यापार देय राशि - वर्तमान - प्राप्य राशी तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		-	6,953.05	2,474.76	2,469.55	15,386.55	27,283.91
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	720.37		43,460.88	13,664.95	7,407.60	34,559.15	99,812.95
31 मार्च, 2024 को	**720.37**		**50,413.93**	**16,139.71**	**9,877.15**	**49,945.70**	**127,096.86**
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	39.21	-	10,929.50	3,232.44	2,791.24	13,598.36	30,590.75
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	1,238.86	-	30,946.74	9,201.26	8,320.24	31,447.78	81,154.87
31 मार्च, 2023 को	**1,278.07**		**41,876.24**	**12,433.70**	**11,111.48**	**45,046.14**	**111,745.62**
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	39.21	-	12,283.46	5,920.13	7,054.95	8,843.37	34,141.12
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	1,274.22	-	31,714.92	11,275.22	10,873.30	20,715.54	75,853.21
31 मार्च, 2022 को	**1,313.43**		**43,998.38**	**17,195.35**	**17,928.25**	**29,558.91**	**109,994.33**

टिप्पणी - 15
प्रावधान
क. प्रावधान - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
अवकाश नकदीकरण गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	3,826.44	3,889.68	3,516.50
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	3,015.67	2,718.01	2,561.06
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	1,984.15	1,566.03	1,110.33
कुल	**8,826.26**	**8,173.72**	**7,187.89**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधानों की प्रत्येक श्रेणी में संचलन हेतु (संदर्भ टिप्पणी 33)

ख. प्रावधान - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	89.42	78.55	64.89
पेंशन	2,433.00	1,901.30	1,583.02
अवकाश यात्र रियायत	54.71	54.71	54.71
अवकाश नकदीकरण गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	445.64	380.32	423.62
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	993.13	992.35	985.70
कुल	**4,015.90**	**3,407.23**	**3,111.94**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के प्रावधानों में संचलन के लिए (संदर्भ टिप्पणी 33)

टिप्पणी - 16
अन्य देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	11,271.44	2,006.35	4,799.66
अनुपार्जित आय	800.86	916.07	1,120.50
अन्य देयताएँ	188.15	73.25	70.81
कुल	**12,260.45**	**2,995.67**	**5,990.97**

ख. अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	26,773.76	40,553.84	43,489.75
सांविधिक देय	11,537.22	9,772.12	10,290.63
अन्य देयताएँ	1,117.46	1,477.75	328.55
कुल	**39,428.44**	**51,803.71**	**54,108.93**

(क) इसमें ठेकेदार द्वारा परियोजना में किये गये विलम्ब के कारण वाप्कोस लिमिटेड द्वारा लिये गये बैंक गारंटी के संबधित 304.40 लाख की राशि शामिल है

टिप्पणी- 17
ऋण
क- दीर्घावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
बैंक से भारतीय मुद्रा ऋण (क)	19,272.64	13,551.17	3,785.37
कुल	**19,272.64**	**13,551.17**	**3,785.37**

(क) बैंक से सुरक्षित सावधि ऋण:

कंपनी ने भारतीय बैंक से 40,000 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक 25300 लाख रूपए, 3 माह के एमसीएलआर (तिमाही पुनर्नियोजन के साथ) वितरित किए गए हैं, और इसके माध्यम से सुरक्षित होगा:

(iक) प्राथमिक सुरक्षा - क) कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों पर विशेष प्रभार और कॉर्पोरेट ऋण के लिए कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समरूप प्रभार।

(iख) एनएफबी सीमाओं के लिए कंपनी की ओम्नीबस काउंटर गारंटी

पुनः भुगतान की शर्तें- निम्नलिखित पुनः भुगतान के साथ 9 वर्ष 6 महीने की ऋण अवधि

(i) बकाया मूलधन को जून, 2022 से आरंभ कर मार्च, 2031 तक त्रैमासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक वास्तविक बकाया शेष 18021.71 लाख (प्रसंस्करण शुल्क के कारण ईआईआर समायोजन को छोड़कर) होगा।

(ii) दिसम्बर 2021 से शुरू होने वाले प्रावधानों के अनुसार मासिक ब्याज देय होगा

ख. अल्पावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
नकद ऋण सुविधा (क)	(0.02)	-	4,102.38
	-	-	-
बैंक से ऋण (सुरक्षित)	-	-	-
दीर्घ अवधि की उधारी के लिए लघु अवधि मैच्योरिटी (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 17क)	3,500.00	731.17	197.49
कुल	**3,499.98**	**731.17**	**4,299.87**

(क) कंपनी ने निम्नलिखित नकद ऋण सुविधाओं को संस्वीकृत किया है।:

I) एचडीएफ़सी बैंक रू 5,000 लाख एमसीएलआर पर मासिक देय है और के माधयम से सुरक्षित:

(i) कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समान प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों।

वित्तीय वर्ष 2023-24
बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-23			
दिसंबर-23			
मार्च-24			

वित्तीय वर्ष 2022-23

बैंक का नाम **एचडीएफसी बैंक**

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट दी गई राशि	अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
जून-22	180 दिनों तक बुक ऋण	47,323.80	47,323.80	-	
	ऋणदाता	44,768.28	44,768.28	-	
सितंबर-22	180 दिनों तक बुक ऋण	23,424.78	23,424.78	-	
	ऋणदाता	49,183.06	49,183.06	-	
दिसंबर-22	180 दिनों तक बुक ऋण	26,731.37	26,731.37	-	
	ऋणदाता	40,523.89	40,523.89	-	
मार्च-23	180 दिनों तक बुक ऋण	57,482.75	57,482.75	-	
	ऋणदाता	43,123.34	43,123.34	-	

(ख) कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और आईडीएफ़सी से रु 96,500.00 लाख (पिछले वर्ष रु 1,11,500.00 लाख) की गैर-वित्त पोषित सुविधा का लाभ उठाया है। जिसमें से रु 38,427.52 लाख (पिछले वर्ष रु 37,594.00 लाख) का उपयोग 31 मार्च 2024 तक सुरक्षा के रूप में रखे गए रु 5984.24 लाख (पिछले वर्ष रु 5734.68 लाख) के बैंक जमा के संबंध में किया गया है। (सन्दर्भ टिप्पणी संख्या - 4, 8 और 9)

टिप्पणी-18
लीज देयता

क. लीज देयता - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
लीज देयता	459.97	469.96	920.75
कुल	**459.97**	**469.96**	**920.75**

ख. लीज देयता - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
लीज देयता	272.99	388.91	492.48
कुल	**272.99**	**388.91**	**492.48**

टिप्पणी-19
अन्य वित्तीय देयताएँ

क. अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहक के डिपोजिट पर देय ब्याज (क)	7,785.22	6,998.77	5,730.74
अन्य देयताएँ	1,434.17	1,434.17	1,434.17
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	98.19	97.76	116.40
कुल	**9,317.58**	**8,530.70**	**7,281.31**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 60

ख. अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन/बोनस	1,480.86	1,345.87	1,802.82
निगमित सामाजिक दायित्व देय राशि (क)	60.64	208.23	38.76
पेंशन (स्वैच्छिक)	-	-	-
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	1,856.65	1,538.49	1,157.79
कर्मचारियों को देय राशि	5,772.03	5,425.32	5,141.90
ग्राहकों से अग्रिम- प्रत्यावर्तनीय	1,042.12	3,465.19	3,024.88
अन्य देयताये	760.49	760.49	760.49
अन्य देय राशि (ख)	21.75	40.73	88.93
कुल	**10,994.54**	**12,784.32**	**12,015.57**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं 40

(ख) उन कर्मचारियों की प्रतिभूति राशि शामिल है जिनके संबंध में काउंटर सावधि जमा बनाए गए हैं संदर्भ टिप्पणी 62

टिप्पणी - 20
प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी आय	67,574.53	68,958.31
निर्माण संविदाएँ	85,476.08	73,004.07
कुल	**153,050.61**	**141,962.38**

टिप्पणी - 21
अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज आय	1,795.33	939.80
लाभांश आय*	1,386.89	1,194.98
विनिमय परिवर्तन	613.01	3,204.23
अन्य गैर-प्रचालन आय	96.91	123.08
कुल	**3,892.14**	**5,462.09**

* लाभांश में वर्ष में सहायक कंपनी अर्थात एनपीसीसी से प्राप्त 1385.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1194.23 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 22
निर्माण व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
निर्माण परियोजनाओं के लिए	81,449.77	69,402.31
कुल	**81,449.77**	**69,402.31**

टिप्पणी -23
कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
वेतन, पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि	29,996.59	31,178.76
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,999.63	2,006.87
कर्मचारी कल्याण व्यय	296.51	340.90
कुल	**32,292.73**	**33,526.53**

टिप्पणी - 24
वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज (क)		
नकद ऋण सुविधा	-	18.79
सावधि ऋण	1,444.85	861.12
ग्राहक जमा कार्य	1,725.55	1,498.08
लीज देनदारियां	65.15	94.41
कुल	**3,235.55**	**2,472.40**

(क) संदर्भ टिप्पणी 60

टिप्पणी - 25
प्राप्त की गई सेवाएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी परियोजनाओं के लिए	15,315.20	18,456.09
निर्माण परियोजनाओं के लिए	96.73	49.84
कुल	**15,411.93**	**18,505.93**

टिप्पणी - 26
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	384.53	398.76
अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	173.41	109.83
कुल (क)	557.94	508.59
उपयोग के अधिकार पर परिशोधन	350.40	450.88
कुल (ख)	**350.40**	**450.88**
कुल (क+ख)	**908.34**	**959.47**

टिप्पणी - 27
निगमित सामाजिक दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
निगमित सामाजिक दायित्व (क)	73.80	215.01
कुल	**73.80**	**215.01**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 40

टिप्पणी - 28
अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
विद्युत एवं ईंधन	251.79	266.43
किराया (क)	1,367.37	1,332.63
मरम्मत और रखरखाव - कार्यालय परिसर	482.99	602.52
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	107.45	126.21
बीमा	141.62	147.48
दरें और कर	374.16	832.38
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	629.37	878.86
यात्रा व्यय - भारत	930.42	930.43
- विदेश	545.16	654.25
वाहन और यातायात पर व्यय	1,355.58	1,194.11
वाहन किराये पर लेना	1,145.43	1,030.92
निदेशक बैठक शुल्क	14.07	13.80
डाक टेलीफोन एवं टेलीग्राम	249.09	262.79
विज्ञापन व प्रचार	140.88	159.84
विनिमय में भिन्नता	382.12	1,629.62
लेखापरीक्षकों को भुगतान -	-	-
(क) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	13.75	13.75
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	4.14	4.13
(ग) अन्य सेवाओं के लिए	3.58	11.64
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि और अन्यों के लिए प्रावधान	5,376.83	12,663.52
संदिग्ध अग्रदाय खाता	45.42	22.16
किराया अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
विधिक दावों के लिए प्रावधान	514.56	640.62
विविध व्यय	1,638.34	2,089.47
कम: व्यय प्रतिपूर्ति योग्य (ख)	(28.54)	(144.20)
कुल	**15,685.58**	**25,363.36**

(क) लीज भुगतान के संबंध में संदर्भ टिप्पणी सं- 42

(ख) प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में संदर्भ टिप्पणी सं- 38

टिप्पणी - 29
असाधारण मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
व्यय		
सम्पत्ति, और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.32	0.50
(क)	**0.32**	**0.50**
आय		
बट्टे खाते का प्रावधान	3.00	0.69
(ख)	**3.00**	**0.69**
कुल (ख-क)	**2.68**	**0.19**

टिप्पणी-30
आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
वर्तमान वर्ष कर		
वर्तमान वर्ष का कर शुल्क	4,389.01	2,909.58
पिछले वर्ष का कर शुल्क	(64.69)	1,332.64
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(2,366.32)	(2,316.23)
कुल	**1,958.00**	**1,925.99**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	8.94	9.92
कुल	**8.94**	**9.92**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	7,887.71	(754.41)
भारत की वैधानिक आयकर दर 25-168%	1,985.18	(189.87)
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (निवल)	37.51	58.86
ओसीआई में कर का प्रभाव	8.94	9.92
आयकर में पूर्व अवधि समायोजन की अनुमति नहीं है	-	-
आयकर की दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
गत वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	-	724.37
पूर्व अवधि के समायोजन का प्रभाव	-	-
प्रभावी कर दर पर	2,031.63	603.28
लाभ और हानि लेखा के विवरण में दर्ज किया गया आयकर व्यय	2,031.63	603.27
प्रभावी कर दर	**25.76%**	**-79.97%**

अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपातों का नाम	अंश	/	भाजक		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	परिवर्तन	परिवर्तनों के कारण > 25%
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	/	वर्तमान देयताएं	=	1.367	1.287	6.21%	-
2	ऋण इक्विटी अनुपात	दीर्घजीवी ऋण + लघु अवधि ऋण	/	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	=	0.495	0.335	47.68%	दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि के कारण
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ई बी आई टी डी ए	/	ऋण चुकौती दायित्व (कर के बाद ब्याज़+मूलधन)	=	0.497	0.027	1730.50%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि के कारण
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	लाभांश के बाद कर के बाद निवल लाभ	/	औसत शेयरधारक की निधि	=	0.129	-0.116	-211.03%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि के कारण
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण बिक्री	/	औसत व्यापार प्राप्तियां	=	355.003	383.101	-7.33%	-
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण खरीद	/	औसत व्यापार देय	=	455.582	465.142	-2.06%	-
7	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल वार्षिक बिक्री	/	कार्यशील पूंजी	=	2.249	2.730	-17.62%	-
8	निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	/	कुल टर्नओवर	=	0.039	-0.035	-211.20%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	नियोजित पूंजी	=	0.205	-0.012	-1775.00%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण
10	निवेश पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	कुल निवेश	=	1.08	-0.05	-2175.37%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणिया

31. कोविड-19 के कारण प्रभाव

दिसंबर 2019 में, कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की सूचना आई थी और तब से, इसने न केवल दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि इसने वैश्विक आर्थिक वातावरण को भी गंभीर रूप से विचलित किया है। समूह प्रबंधन ने अगले वर्ष के लिए अपने नकद की स्थिति का आकलन किया है, जिसमें इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य की प्राप्ति भी शामिल है। समूह को आशा है कि मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल ली जाएगी।

चूंकि महामारी के कारण तेजी से बदलते परिवेश में अनिश्चितताएं अंतर्निहित हैं, वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए प्राक्कलनों और धारणाओं से अनुमानित स्थिति, भविष्य में वास्तविक विवरण से भिन्न हो सकती है। प्रबंधन, भविष्य की आर्थिक स्थितियों और समूह की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी कर रहा है। प्रबंधन को मौजूदा समस्या में आगे बढ़ने और जब भी आवश्यक हो अपनी देनदारियों को पूरा करने के संबंध में समूह की क्षमता में कोई जोखिम दिखाई नहीं देता है।

32. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाः

परिभाषित अंशदान योजना में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त निर्धारित राशि इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अंशदायी भविष्य निधि	1468.66	1488.21

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी **"वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** नामक ट्रस्ट के माध्यम से स्थापित एक परिभाषित अंशदायी योजना भविष्य निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ट्रस्ट के कानून के तहत विनिर्धारित किए गए अनुसार एक निर्धारित दर से मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी का दायित्व यह अंशदान करने और ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम रहने पर, यदि ऐसा हो तो, इस कमी को पूरा करने तक सीमित है। इस संबंध में कमी, यदि कोई हो, को उस वर्ष के दौरान व्यय माना जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निधि के संबंध में ब्याज की अनुमानित गारंटी कृत दर के आधार पर भविष्य के लिए अनुमानित आय व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अंशदान की जाने वाली अनुमानित राशि से अधिक है, जिससे कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा। कंपनी के उपर्युक्त मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी की 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर की गारंटी के संबंध में कोई देयता नहीं है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

समूह में निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

- ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
- पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)
- अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)

योजना के प्रावधानों से जुड़े जोखिम बीमांकिक जोखिम हैं। ये जोखिम निम्नानुसार हैं:

I. निवेश जोखिम,

ii. ब्याज जोखिम (छूट दर जोखिम),

iii. मृत्यु दर जोखिम

iv. वेतन जोखिम।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सरकारी बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना की देनदारी वित्त पोषित है और प्लान एसेट्स पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा उत्पन्न करेगी।
ब्याज जोखिम (छूट दर)	बॉन्ड ब्याज दर (छूट दर) में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
मृत्यु दर जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। इस रिपोर्ट के लिए हमने भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) का उपयोग किया है। अंतिम तालिका मृत्यु दर में बदलाव से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की वेतन वृद्धि दर की धारणा के साथ की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले वेतन में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में वेतन वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा व्यय में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
नकद भत्ता मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों के नकद भत्ते की मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले नकद भत्ते में वृद्धि दर से भविष्य में योजना प्रतिभागियों के लिए नकद भत्ते की वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।

वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित दायित्वों से संबंधित प्रकटन

i. तुलन पत्र में मान्य राशि

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5998.69	5632.63	3105.08	2796.56	4272.08	4269.99
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3013.64	3074.25	-	-	-	-
वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित स्थिति	2985.05	2558.38	3105.08	2796.56	4272.08	4269.99
बैलेंस शीट में निर्धारित शुद्ध (संपत्ति) / देयता	**2985.05**	**2558.38**	**3105.08**	**2796.56**	**4272.08**	**4269.99**

ii. लाभ-हानि के विवरण में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्तमान सेवा लागत	291.6	341.61	141.62	137.60	143.8	159.62
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	421.88	394.23	210.58	194.32	319.82	288.81
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	230.26	240.59	-	-	-	-
पुनः आकलन	-	-	-	-	-	-
प्रोदभूत (लाभ/हानि)	-	-	-	-	-247.85	167.87
लाभ हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	**483.22**	**495.25**	**352.2**	**331.92**	**215.77**	**616.30**

iii. अन्य व्यापक आय में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	26.85	29.15	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(36.17)	10.22	39.81	(74.28)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय	(9.32)	39.37	39.81	(74.28)	-	-

vi. परिभाषित लाभ देयताओं के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष की आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5632.61	5378.26	2796.56	2625.94	4269.99	3940.11
ब्याज लागत	421.88	394.23	210.58	194.32	319.82	288.81
वर्तमान सेवा लागत से	291.62	341.61	141.62	137.60	143.8	159.62
उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-		
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन	-	-				
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	152.32	(83.85)	138.85	(59.16)	115.31	(65.30)
अनुभव समायोजन	-188.50	94.07	(99.04)	(15.12)	-363.16	233.17
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
किया गया लाभ भुगतान	(311.23)	(491.71)	(83.49)	(87.02)	(213.68)	(286.42)
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**5998.70**	**5632.61**	**3105.08**	**2796.56**	**4272.08**	**4269.99**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3074.25	3282.25	-	-	-	-
ब्याज आय	230.26	240.59	-	-	-	-
पुनःआकलन लाभ/ (हानि)- शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(26.85)	(29.15)	-	-	-	-
नियोक्ता से अंशदान	47.23	72.27	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(311.23)	(491.71)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3013.66**	**3074.25**	-	-	-	-

v. बीमांकिक अनुमान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट की दर	7.21%	7.49%	7.24%	7.53%	7.21%	7.49%
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति की आयु	-	-	-	-	-	-

vi. परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफाइल

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिभाषित लाभ देयता का भारित औसत					-	-
परिभाषित लाभ देयता की अवधि- निधि से अवधि (वर्ष)			-	-	-	-
1	599.31	524.85	-	-	-	-
2	314.40	331.76	-	-	-	-
3	546.45	460.82	-	-	-	-
4	537.91	556.15	-	-	-	-
5	513.06	523.01	-	-	-	-
5 से अधिक	12273.42	12068.29	-	-	-	-
कुल	**14784.55**	**14464.88**	**-**	**-**	**-**	**-**
परिभाषित लाभ भुगतान की अवधि- नियोक्ता से	-	-	-	-	-	-
अवधि (वर्ष)						
1	-	-	89.41	78.55	-	-
2	-	-	102.19	90.42	-	-
3	-	-	116.19	102.03	-	-
4	-	-	128.85	116.23	-	-
5	-	-	143.75	128.61	-	-
5 से अधिक	-	-	15563.39	15490.83	-	-
कुल	**-**	**-**	**16143.78**	**16006.67**	**-**	**-**

vii. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में)

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बीमा निधि	100%	100%	-	-	-	-

viii. संवेदनशीलता विश्लेषण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ में वृद्धि		परिभाषित लाभ में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	609.59	565.24	512.13	474.99
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	369.35	356.35	356.49	345.34
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	132.36	130.27	152.3	150.05

पीआरएमएस के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
रियायती दर में वृद्धि/ (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	566.62	510.91	439.7	396.33
भविष्य में वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
नियोक्ता के कारोबार की दर में अनुमानित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-

अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
रियायती दर में वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
भविष्य में वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	-	-	-	-	-	-

*यदि अन्य सभी मान्यताएँ समान रहती हैं तो मृत्यु दर में 1% की वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन नगण्य होता है। उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण संभवतः परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व न करता हो क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से पृथक अलग से होगा चूंकि कुछ मान्यताएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन रिपोर्ट अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके किया गया है, जो कि वही है जिसका प्रयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्य परिभाषित लाभ दायित्व देयता के परिकलन में किया गया है।

पूर्व की अवधि हेतु मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यता में परिवर्तन के लिए कृपया ऊपर तालिका (ड) देखे जहाँ पूर्व की अवधि के लिए मान्यताएँ दी गई हैं।

33. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ (भा.ले.मा. 37)

प्रावधानों का संचलन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) में संचलन नीचे प्रस्तुत की गई हैः-

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस		अवकाश नकदीकरण	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक शेष राशि	2558.38	2096.03	2796.56	2625.94	4269.99	3940.11
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	473.89	534.61	392.01	257.64	215.77	616.30
वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रावधान	(47.23)	(72.26)	(83.49)	(87.02)	(213.68)	(286.42)
वर्ष के दौरान बदले गए प्रावधान			-	-		
अंतिम शेष राशि	**2985.04**	**2558.38**	**3105.08**	**2796.56**	**4272.08**	**4269.99**

(रु. लाख में)

विवरण	अवकाश यात्रा रियायत		पेंशन*	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक शेष राशि	54.71	54.71	1901.3	1583.02
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	0	0	846.7	778.28
वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रावधान	0	0	-315	-460
वर्ष के दौरान बदले गए प्रावधान	0	0		
अंतिम शेष राशि	**54.71**	**54.71**	**2433**	**1901.3**

*कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए डी-पी-ई दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन योजना है। इसके लिए एलआईसी ऑफ इंडिया से पेंशन प्लान लिया गया है।

34. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (भा.ले.मा. 33)

(रु. लाख में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
इक्विटी धारकों के कारण लाभ	5929.73	-4946.34
प्रचालन जो जारी है	5929.73	4946.34
प्रचालन जो रोक दिए गए	0.00	-
मूलभूत आय के लिए इक्विटी धारकों के कारण लाभ	5929.73	-4946.34
इक्विटी धारकों के कारण लाभ जिसे विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है	5929.73	-4946.34
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	130000000	130000000
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालन के लिए)		
मूल (रुपये में)	4.56	-3.80
तनुकरण (रुपये में)	4.56	-3.80

35. लाभांश और आरक्षित

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश	-	-
भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	2500.00	3100.00
भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों पर घोषित लाभांश डीपीपीएएम (दीपम) के दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषणा की तिथि 29.12.2023 है और लाभांश भुगतान की तिथि 24.01.2024 है।

36. **सूक्ष्म, लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22** के अनुसार इन उद्यमों को देय राशि को प्रकट किया जाना होता है। इन उद्यमों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना आवश्यक होता है। कंपनी ने विक्रेताओं से एमएसएमई पंजीकरण की स्थिति के संबंध में पूछा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है:-

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1 (क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय मूल राशि	27663.96	30997.15
1 (ख)	उपर्युक्त राशि पर प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय ब्याज		--
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को की गई भुगतान राशि के साथ।		-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया है।		-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और शेष बकाया राशि।		-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।		

*कंपनी ने सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपरोक्त सूचना केवल प्राप्त सूचना और उपलब्ध रिकॉर्ड की सीमा तक एकत्रित की गई है।

37. वसूली किए जाने वाले दावों, व्यापार प्राप्तियों, संविदाकारों को अग्रिम व्यापार, देय राशि और संविदाकारों से प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि और संबंधित परिणाम समायोजन की शर्त के अधीन हैं। प्राप्त **शेष पुष्टि** की स्थिति निम्नानुसार :

31 मार्च 2024 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	167294.23	49.72	30008.03		811.61	14.5
प्रतिभूति जमा	3675.19	-	441.1	-		-
व्यापार देनदारियां	5137.41	1.53	2,921.19	-	120554.08	11412.89
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	5.81	3.40	675.79	2.50	3289.88	13.34

31 मार्च 2023 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	160458.45	9.15	26897.48	790.94	2052.52	-
प्रतिभूति जमा	3129.16	-	402.44	-	0.95	-
व्यापार देनदारियां	5585.2	-	63.76	-	107404.34	18261.01
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	354.09	-	5.81	-	3606.95	331.85

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि का संतुलन वास्तव में लेखा पुस्तकों में परिलक्षित होता है। जिसके द्वारा बताए गए मतभेदों के संबंध में, समूह समन्वय की प्रक्रिया में है और नियत समय में सही पुष्टि प्राप्त करेगा।

प्रबंधन के विचार में, व्यापार के साधारण क्रम में व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों की राशि प्राप्त कर लेने पर, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होंगी। कुल व्यापार प्राप्तियां 189408.45 लाख रुपये हैं, जिसमें से 16256.75 लाख रुपये आस्थगित ऋण हैं जिसका वर्तमान में भुगतान नहीं किया जाना है। (पिछले वर्ष 184691.79 लाख रु- जिसमें से 16613.83 लाख रु- आस्थगित ऋण था।)

38. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्राहकों की ओर से 33.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष 167.92 लाख रुपये) की अचल संपत्तियां/ढीले उपकरण (कंपनी की संपत्ति का हिस्सा नहीं होने वाले यानी पीपीई) खरीदे हैं। इसके अलावा 28.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष 144.20 लाख रुपये) ग्राहक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के संबंध में सेट-ऑफ किए गए हैं।

39. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों के लिए "प्रदर्शन संबंधित वेतन" के संबंध में देयता 154.81 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) का अनुमान लगाया गया है और डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना के आधार पर कुछ रैंकिंग पैरामीटर के आधार पर प्रदान किया गया है। संचलन चार्ट इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	प्रारंभिक शेष	1196.06	1622.78
2	जोड़ः वर्ष के दौरान परिवर्धन	154.81	0
3	घटाएंः वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	(0.47)	(426.72)
4	जमा शेष	1350.4	1196.06

40. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यय

भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के अनुसार सीएसआर व्यय से सम्बंधित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-2024

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
48.37	24.34	29.04.2024	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला							
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की वंचित झुग्गी की महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	मद सं. 1 स्वास्थ्य एंव पोषण	हाँ	नई दिल्ली	तुगलकाबाद	01-11-2023 से 31-10-2024	12.83	5.29	7.54	नहीं	शांति सहयोग	CSR00008695
2.	ओडिशा में शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम, आदिवासी बालिका के छात्रावास, जलेशपट्ट, जिला-कंधमाल, को संरक्षा और सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करना	मद संख्या 3 महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	नहीं	ओडिशा	कंधमाल	20-10-2023 से 31-01-2024	23.96	23.96	-	नहीं	समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट	CSR00012502
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गदा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	07-03-2024 से 30-06-2024	16.76	8.39	8:39	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826
4.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	07-03-2024 से 30-06-2024	16.85	8.43	8.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 2.30 लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 48.37 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	73.8
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	48.37
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2020-2021	13.00	13.00	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.30	35.04	-	-	-	4.26
3	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 65.53% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
11.03	203.97	27.04.2023		-	

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	हर घर तिरंगा अभियान हेतु सीएसआर निधियों का व्यय	मद संख्या 2 संस्कृति से संबंधित शिक्षा का संवर्धन	हाँ	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	गुवाहाटी, पटना, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, गांधीनगर, पंचकुला, बेंगलुरु, कोच्चि, भोपाल, जबलपुर, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता	13.08.2022 - 15.08.2022	1.29	1.29	-	हाँ	-
2.	झारखंड में पलामू और गढ़वा जिलों में हैंड-पंपों की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता / मद संख्या -1 निवारक स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	झारखंड	पलामू, गढ़वा	18.12.2022 - 18.01.2023	24.23	4.85	19.38	नहीं	रानी डॉली संस्थान केंद्र
3.	उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्याना तहसील में स्वास्थ्य और पोषण के तहत योग और प्राकृतिक चिकित्सा हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण-सह-उपचार शिविर प्रदान करना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	15.01.2023 - 14.01.2024	22.56	4.37	18.19	नहीं	यूएनआई आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सोसायटी (यूडीएमआरडी)
4.	उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में फर्स्ट रेफरल यूनिट में स्वास्थ्य देखभाल – डिजिटल एक्स-रे मशीन और यूपीएस की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	बहराइच	19.01.2023 - 14.04.2023	24.52	-	24.52	नहीं	मैसर्स पीएसीएसएफईडी के मार्फत बहराइच जिला प्रशासन
5.	राजस्थान में, जोधपुर जिले में विष्णु नगर और सीतान सिंह नगर ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
6.	राजस्थान के जोधपुर जिले की ईशुरू और रायमलवाड़ा ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
7.	जोधपुर जिला, राजस्थान के गारा और गजेसिंह नगर ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
8.	राजस्थान के जोधपुर जिले में, केलनसर और फतेहगढ़ ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
9.	राजस्थान के जोधपुर जिले की पल्ली ग्राम पंचायत में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
10.	राजस्थान के जोधपुर जिले में आसरलाई ग्राम पंचायत में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	18.93	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 0.53 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 11.03 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	215.01
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	11.03
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट आफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.30	35.04	-	-	-	4.26

(रु. लाख में)

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था)	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	वर्ष 2020-21 में अव्ययित सीएसआर खाते के लिए परियोजना पर खर्च की गई राशि	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	2021-22 के दौरान वाप्कोस की सीएसआर गतिविधि के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1.भिवानी, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक और सोनीपत 2. हरियाणा	18.00 (2021-22 के दौरान व्यय 17.10)	0.90	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	खटीमा ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के 3 स्कूलों में टेबल और कुर्सी का सेट उपलब्ध कराने के माध्यम से स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा	1. खटीमा, उधम सिंह नगर 2. उत्तराखंड	9.28	9.28	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3.	लाला बैजनाथ जानकी पाठशाला (एलबीजेपी) इंटर कॉलेज, तिलहर, जिला-शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग और फिक्स्चर सहित 3 क्लास रूम के निर्माण के माध्यम से स्कू शिक्षा	स्कूल शिक्षा	1. तिलहर, शाहजहाँपुर 2. उत्तर प्रदेश	24.87	24.87	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरम्भ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति-पूर्ण / जारी
				-				

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। — शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। — शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि — शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। — शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2022-2023 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 0.10% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

41 संबंधित पक्ष प्रकटन (भा.ले.मा. 24)

i. संबंधित पक्षः वित्तीय वर्ष 2023-24

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. अन्य संबंधित पक्षः - वित्तीय वर्ष 2022-23

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2023-2024

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री आर. के. अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास)

सरकारी नामंकित निदेशक

श्री अभिषेक सिंह (23.08.2023 से)

श्री मो. नूर रहमान शेख (16.08.2023 तक)

श्री आनंद मोहन

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत,

श्री जसबीर सिंह ठाकुर,

श्री लखन लाल साहू,

श्री पार्थ सारथी घोष,

कंपनी सचिव

श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा (दिनांक 20.06.2023 से)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

विवरण	31 मार्च, 2024				31 मार्च, 2023			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	44.84	2.06	(5.26)	-	47.1	1.03	1.98	-
श्री पंकज कपूर	48.58	2.46	(4.70)	-	53.01	0.85	2.89	-
श्री अनुपम मिश्रा	45.17	2.63	(3.41)	-	49.97	1.87	3.04	-
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	8.84	1.60	0.41	-	-	-	-	-
सुश्री कविता परमार	-	-	-	-	11.89	0.48	0.29	-
कुल	**147.43**	**8.75**	**-12.96**	**-**	**161.97**	**4.23**	**8.20**	**-**

अभिज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. सहायक कम्पनी के साथ लेन देन

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
किराया और रखरखाव	36.56	36.56
एनपीसीसी से प्राप्त लाभांश	1385.87	1194.23
एनपीसीसी की ओर से ईआरपी विक्रेता को किया गया भुगतान	220.95	-

v. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
डॉ. प्रीति मदान	0.00	0.45
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	3.60	3.55
श्री लखन लाल साहू	3.00	3
श्री पार्थ सारथी घोष	3.20	3.2
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	3.60	3.6
कुल	**13.40**	**13.8**

vi. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	5.05	6.17
श्री अनुपम मिश्रा	7.18	8.43
श्री पंकज कपूर	5.73	7.40
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	0.71	
सुश्री कविता परमार	0	2.46
कुल	**18.67**	**24.46**

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से कोई राशि देय नहीं है।

vii. सहायक कंपनी की बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सहायक में इक्विटी निवेश (98-89%)	7980.00	7980.00

viii. सरकार से संबाधीत संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं। कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, जिनमें बांसागर नियंत्रण बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र पुणे, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, एनएमसीजी, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, तुंगभद्रा बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड शामिल हैं।

उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व	9911.01	3886.3
खरीद	874.03	725.14
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**10785.04**	**4611.44**

सरकार से संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूंजीगत अग्रिम	0	768.95
अन्य अग्रिम	14.85	592.27
देय राशि	5315.87	2859.99
प्राप्त अग्रिम	530.82	0
प्राप्तियाँ	9057.93	4017.58
कुल	**14919.47**	**8238.79**

i. संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2022-23

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

वित्तीय वर्ष 2022-2023

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री आर. के. अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास)

सरकारी नामंकित निदेशक

शश्री अभय ठाकुर (06.06.2022 तक)

श्री मोहम्मद नूर रहमान शेख (29.12.2022 से)

श्री सुबोध यादव (09.08.2022)

श्री आनंद मोहन (10.08.2022 से)

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

सुश्री प्रीति मदान (21.07.2022 तक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत

श्री जसबीर सिंह ठाकुर

श्री लखन लाल साहू

श्री पार्थ सारथी घोष

कंपनी सचिव

सुश्री कविता परमार (30.03.2023 तक)

iii. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन**

विवरण	31 मार्च, 2023				31 मार्च, 2022			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	47.10	1.03	1.98	-	46.13	0.85	4.09	-
श्री पंकज कपूर	53.01	0.85	2.89	-	53.55	0.05	3.76	-
श्री अनुपम मिश्रा	49.97	1.87	3.04	-	50.11	0.22	2.58	-
सुश्री कविता परमार	11.89	0.48	0.29	-	10.79	0.46	0.52	-
कुल	**161.97**	**4.23**	**8.20**	**-**	**160.58**	**1.58**	**10.95**	**-**

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्र के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्र के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. **सहायक कम्पनी के साथ लेन देन**

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
किराया और रखरखाव	36.56	54.59

v. **स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:**

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
डॉ. प्रीति मदान	0.45	2.70
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	3.55	0.45
श्री लखन लाल साहू	3.00	0.45
श्री पार्थ सारथी घोष	3.20	0.45
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	3.60	0.15
कुल	**13.80**	**4.2**

vi. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	6.17	6.66
श्री अनुपम मिश्रा	8.43	9.44
श्री पंकज कपूर	7.40	9.30
सुश्री कविता परमार	2.46	0.77
कुल	**24.46**	**26.17**

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की ओर राशि देय नहीं है।

vii. सहायक कंपनी की बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सहायक में इक्विटी निवेश (98-89%)	7980.00	7980.00

viii. सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व	3886.30	5123.45
खरीद	725.14	841.55
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**4611.44**	**5965**

सरकार से संबंधित पक्षों के पास महत्वपूर्ण शेष

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूंजीगत अग्रिम	768.95	-
अन्य अग्रिम	592.27	1.69
देय राशि	2859.99	3021.42
प्राप्त अग्रिम	-	3701.18
प्राप्तियाँ	4017.58	8465.13
कुल	**8238.79**	**15189.42**

42. पट्टा

क. तुलन पत्र में मान्य राशि

पट्टों से संबंधित राशि तुलन पत्र में निम्नानुसार है:

संपत्ति उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भवन	583.71	650.69
वाहन	36.16	35.53

लीज देयता

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	259.83	435.22	695.05
वाहन	13.16	24.75	37.91
कुल	**272.99**	**459.97**	**732.96**

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	374.41	447.52	821.93
वाहन	14.5	22.44	36.94
कुल	**388.91**	**469.96**	**858.87**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग के अधिकार में वृद्धि 348.50 लाख रुपये थी।

ख. लाभ या हानि के विवरण में मान्य राशि:

पट्टों से संबंधित राशि लाभ या हानि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

संपत्ति उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास प्रभार	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भवन	331.56	428.48
वाहन	18.84	22.4

(रु. लाख में)

ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज व्यय	65.15	94.41

2023-2024 में पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह 455.20 लाख रूपये है (आरओयू भवन हेतु 432.79 और आरओयू वाहन हेतु 22.41 लाख रूपये)

ग. कंपनी की लीजिंग गतिविधियाँ और इनका लेखा कैसे रखा जाता है

कंपनी विभिन्न कार्यालयों और वाहनों को लीज पर लेती है। किराये के अनुबंध आमतौर पर 6 महीने से 8 साल की निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन नीचे दिए गए अनुसार विस्तार विकल्प हो सकते हैं:

अनुबंध में लीज और गैर-लीज दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में विचाराधीन लीज और गैर-लीज घटकों को उनके सापेक्ष अकेले कीमतों के आधार पर आवंटित करती है। हालांकि, अचल संपत्ति के पट्टों के लिए, जिसके लिए कंपनी एक लीजदार है, उसने अलग-अलग लीज और गैर-लीज घटकों को चुना है और इसके बजाय एकल पट्टा घटक के रूप में इनका खाता है।

लीज की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियमों और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। पट्टा करार लीजदार द्वारा रखी गई पट्टा परिसंपत्तियों में सुरक्षा हितों के अलावा कोई भी संविदा नहीं लगाते हैं। उधार ली गई संपत्ति का उपयोग उधार के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं किया जा सकता है।

घ. लीज का भुगतान मूलधन और वित्त लागत के बीच किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ या हानि के लिए चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को निम्नलिखित लागतों से मापा जाता है:

- पट्टा देनदारी के प्रारंभिक आकलन राशि
- पट्टे की तारीख को अथवा तारीख से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान को किसी भी प्राप्त पट्टा इंसेंटिव से घटानाक

संपत्ति उपयोग का अधिकार आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के छोटे और सीधी रेखा के आधार पर लीज की अवधि से अधिक मूल्यह्रास की जाती है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल पर सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास या जाता है।

कार्यालय भवनों के अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के सभी लीज से जुड़े भुगतानों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लीज भुगतान लीज देयता के माप में शामिल नहीं है:

लीज देयता के माप में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
लघु अवधि के पट्टे	1360.41	1322.84
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	-	-
परिचालन पट्टे से संबंधित कुल किराया व्यय	1360.41	1322.84

ङ. विस्तार और समाप्ति विकल्प

विस्तार और समाप्ति विकल्प कंपनी के कई संपत्ति लीज में शामिल हैं। इनका उपयोग कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए परिचालन लचीलेपन को अधिकतम करने के लिए किया जाता है।

च. यदि कोई विकल्प वास्तव में प्रयोग किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) या कंपनी को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) तो लीज अवधि फिर से निर्धारित किया जाता है। उचित निश्चितता का मूल्यांकन केवल तभी संशोधित किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में

महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है, और जो लीजदार के नियंत्रण में है।

भारतीय लेखा मानके 116 के पैरा 58 के अनुक्रम में, भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 39 और ख 11 को लागू करने वाली लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण; अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग-अलग प्रकटीकरण।

लीज देनदारियों की परिपक्वता

निम्न तालिका में बताई गई राशि में संविदात्मक रियायत रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2024 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	179.02	150.32	225.76	277.09	-	832.19

31 मार्च, 2023 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	266.72	181.58	273.85	253.77	0	975.91

नीचे निर्धारित राशि अवधि के दौरान पट्टा देनदारियों और चालन के वहन हेतु राशि है

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024
01 अप्रैल 2023 को	858.87
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	348.50
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(84.35)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	65.15
भुगतान	(455.21)
31 मार्च 2024 को	**732.96**
वर्तमान	**272.99**
गैर-वर्तमान	**459.97**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022
01 अप्रैल 2022 को	1413.23
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	61.93
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(144.56)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	94.41
भुगतान	(566.14)
31 मार्च 2023 को	**858.87**
वर्तमान	**388.91**
गैर-वर्तमान	**469.96**

43. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

- एक बढ़ती हुई इकाई के रूप में आगे बढ़ने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना, और
- शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना

कंपनी अंतर्निहित संपत्तियों की आर्थिक स्थितियों और जोखिम विशिष्टताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने और इसे समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश, शेयरधारकों को पूंजी वापस लौटाने अथवा नए शेयर जारी करने की राशि को समायोजित कर सकती है।

कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
इक्विटी शेयर पूंजी	13000.00	13000.00
अन्य इक्विटी	32991.31	29596.23
कंपनी की पूर्ण इक्विटी	**45991.31**	**42596.23**
ऋण	22772.61	14282.34
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.50	0.34

44. प्रबंधन की यह राय है कि भारतीय लेखांकन मानक - 36 (संपत्तियों की हानि) के संदर्भ में नकद सृजन करने वाली संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई है।

45. लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (भारतीय लेखा मानक 8):

i. पूर्व अवधि लेन-देन निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

व्यय/आय का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित	1 अप्रैल 2022 से पूर्व
व्यय :		
वेतन, पारिश्रमिक और अन्य	1.28	1.37
परामर्श परियोजनाओं हेतु प्राप्त की गई सेवाएँ	58.92	13.52
निर्माण परियोजनाओं हेतु प्राप्त की गई सेवाएँ	3.22	0
विविध व्यय	8.07	0
डाक, टेलीफोन और टेलीग्राम	0.08	0
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	3.58	0
यात्रा व्यय - भारत	1.98	0.6
किराया	0.56	0
मुद्रण और स्टेशनरी	(12.41)	0.22
वाहन किराये पर लेना	7.89	0
विज्ञापन और प्रचार	45.62	0.71
दस्तावेज सत्यापन हेतु लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान	3.80	0.45
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण धन हेतु प्रावधान	2,144.93	11067.15364
कुल व्यय (वृद्धि /कमी)	**2,267.52**	**11,084.02**
व्यय/आय की प्रकृति	**वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित**	**1 अप्रैल 2022 से पूर्व**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	4.29	-
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं	(2.72)	-
अन्य गैर- परिचालन आय	-	
कुल आय (वृद्धि/(कमी)	**1.57**	**-**

ii. तुलन पत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	प्रमुख समूहन	टिप्पणी	2022-23 पर प्रभाव	01-04-2022 से पूर्व	कुल
देयताएं					
व्यापार देयताएं	व्यापार देय - वर्तमान	14ख	118.97	14.9	133.87
कर्मचारियों को देय	अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	19ख	3.62	1.97	5.59
देयताओं में कुल परिवर्तन			**122.59**	**16.87**	**139.46**
परिसम्पत्तियां					
व्यापार प्राप्तियां - अनारक्षित उचित माने	व्यापार प्राप्तियां	7	(2,143.36)	(11,067.15)	(13,210.51)
परिसम्पत्तियों में कुल परिवर्तन			**(2,143.36)**	**(11,067.15)**	**(13,210.51)**

iii. लाभ और हानि मदों के विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	टिप्पणी	31 मार्च 2023 के अनुसार 2021-22 पर प्रभाव
व्यय		
वेतन, पारिश्रमिक और अन्य		1.28
परामर्शी परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं		58.92
निर्माण परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं		3.22
विविध व्यय		8.07
डाक, टेलिफोन और टेलिग्राम		0.08
मरम्मत एवं रखरखाव - अन्य		3.58
यात्रा व्यय - भारत		1.98
किराया		0.56
मुद्रण और स्टेशनरी		-12.41
वाहन किराए पर लेना		7.89
विज्ञापन और प्रचार		45.62
दस्तावेज सत्यापन हेतु लेखापरीक्षक को भुगतान		3.8
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान		2,144.93
कुल व्यय		**2267.52**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं		4.29
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं		-2.72
कुल आय (वृद्धि/(कमी)		1.57
कर पश्चात लाभ पर निवल प्रभाव		**2,265.95**

46. **टिप्पणी सं- 2ख** के अनुसार अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रत्यक्ष रेखा आधार पर उनकी लाइसेंस अवधि में जैसा लागू हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए जाते हैं। परिशोधित राशि निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य परिशोधन	173.41	109.83

प्रबंधन की राय है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रलय (‘एमसीए’) द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में अमूर्त आस्तियों (अर्थात सॉफ्रटवेयर) की कोई हानि नहीं हुई है।

47. परिचालन खंड संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-108) इस प्रकार हैं:

प्रचालन खंडों को कंपनी के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है जिसका यह निर्णय करने में, कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए, प्रमुख प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। कंपनी के सीओडीएम (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)

i. कंपनी ने किए जा रहे प्रचालनों के आधार पर दो प्रचालनात्मक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान कि है जो निम्नानुसार हैं:-

क. परामर्श सेवाएँ

ख. निर्माण संविदाएँ

ii. भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्व खंड का प्रकटन निम्नानुसार किया गया हैः-

क. भारत में परामर्श से राजस्व में गुणवत्ता आश्वासन तथा परियोजना प्रबंधन सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

ख. भारत के बाहर से राजस्व में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए दी गई सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

iii. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का लगातार व्यक्तिगत खंड में राजस्व तथा व्यय रिकॉर्ड करने में अनुप्रयोग किया जाता है जैसा कि उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों संबंधी नोट में दर्शाया गया है।

iv. प्रत्यक्ष रूप से खंडों के कारण होने वाले राजस्व और व्यय प्रत्येक रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में रिपोर्ट किए जाते हैं। अन्य सभी व्यय जो खंडों के कारण नहीं हैं अथवा उन्हें आवंटित नहीं किए जा सकते उन्हें गैर-आवंटन योग्य व्यय के रूप में प्रकट किया गया है।

v. कंपनी के व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों और देयताओं को किसी रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में चिह्नित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें खंडों के बीच परस्पर बदल कर प्रयोग किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिशोधन तथा नुकसान को किसी विशिष्ट खंड को आवंटित नहीं किया जा सकता। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल संपत्तियों, कुल देयताओं तथा मूल्यह्रास, परिशोधन और नुकसान से संबंधित खंडीय प्रकटन उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है चूंकि उपलब्ध आंकड़ों को अर्थपूर्ण तरीके से अलग-अलग करना दुर्भर हो सकता है।

vi. **प्रचालनात्मक खंड-**

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित बहीखातों से जानकारी ली गयी है।)

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47860.34	19714.19	85476.08	0.00	153050.61
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	35830.44	12841.59	84955.97	229.25	133857.25
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**12029.90**	**6872.60**	**520.11**	**-229.25**	**19193.36**
जोड़ : ब्याज आय					1795.33
जोड़ : अन्य आय					2096.81
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					15197.77
कर पूर्व निवल लाभ					7887.73
कमी : आय कर					1958
कर पश्चात निवल लाभ					5929.73
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					908.34
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					3.00
पीपीई के विक्रय पर लाभ					-
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.32

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47747.19	21206.82	73006.79	-	141960.81
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	38142.27	14177.13	75875.57	1314.44	129509.41
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**9604.93**	**7029.69**	**-2868.78**	**-1314.44**	**12451.40**
जोड़ : ब्याज आय					939.81
जोड़ : अन्य आय					4522.28
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					20933.85
कर पूर्व निवल लाभ					-3020.36
कमी : आय कर					1925.98
कर पश्चात निवल लाभ					-4946.34
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					959.47
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					0.69
पीपीई के विक्रय पर लाभ					-
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.5

vii. प्रमुख ग्राहकों से 14101.63 लाख रुपये (गत वर्ष 20744.85 लाख रुपये) राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल
ग्राहक -1	1837.88	7004.13	8842.01	3023.07	7767.87	10790.95
ग्राहक-2	1767.71	3491.91	5259.62	2388.36	7565.54	9953.90
कुल	**3605.59**	**10496.04**	**14101.63**	**5411.44**	**15333.41**	**20744.85**

48. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

प्रत्येक श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहनीय राशि इस प्रकार हैं:-

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024				31 मार्च 2023			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी:								
प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा (गैर चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4177.07	0.00	4177.07		2316.00	0.00	2316.00
निवेश - गैर वर्तमान*	-	0.00	49.06	49.06		0.00	44.02	44.02
व्यापार लेनदारियाँ	-	151505.39	0.00	151505.39		146211.96	0.00	146211.96
नकद और नकदी समतुल्य	-	26792.01	0.00	26792.01		16805.53	0.00	16805.53
अन्य बैंक शेष	-	32819.95	0.00	32819.95		33005.04	0.00	33005.04
प्रतिभूति जमा (चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	2807.09	0.00	2807.09		2598.43	0.00	2598.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**218101.51**	**49.06**	**218150.57**	**0**	**200936.96**	**44.02**	**200980.98**

* सहायक कंपनी में निवेश को छोड़कर, मापी गई लागत ₹ 7980 लाख (पिछले वर्ष ₹ 7980 लाख)।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024				31 मार्च 2023			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय देनदारियाँ:								
व्यापार देय (चालू एवं गैर चालू)	-	128612.68	0.00	128612.68	0.00	113187.16	0.00	113187.16
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू एवं गैर चालू)	-	20312.12	0.00	20312.12	0.00	21315.02	0.00	21315.02
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**148924.80**	**0.00**	**148924.80**	**0.00**	**134502.18**	**0.00**	**134502.18**

व्यापार लेनदारियों, व्यापार देनदारियों और नकद तथा नकदी समतुल्य की वहनीय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान समझा जाता है।

अमूर्त लागत पर तैयार की गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि को उचित मूल्य का एक युक्तिसंगत अनुमान समझा जाता है।

i. उचित मूल्य वर्गीकरण

तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य वर्गीकरण के तीन स्तरों में बांटा गया है। मापन के महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर - 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर - 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन को तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें अधिंकाशं अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग होता हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतनी कम निर्भरता होती है।

स्तर - 3: यदि एक या उससे अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है

निम्नलिखित तालिकाएँ 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के पदानुक्रम के भीतरी स्तर को दर्शाती हैं:

ii. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवर्ती उचित मूल्य माप

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	टिप्पणी सन्दर्भ	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	कुल
एफवीटीओसीआई में वित्तीय साधन			-	-	-	-
गैर-वर्तमान निवेश - इक्विटी शेयर	31st मार्च 2024	-	-	-	5.04	5.04
	31st मार्च 2023	-	-	-	4.51	4.51

iii. उचित मूल्य के निर्धारित हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निवेशित पक्ष से प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धत इक्विटी शेयरों के शुद्ध संपत्ति मूल्य का उपयोग शामिल है।

49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप इसे क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम में डालते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी होती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनका सामना इकाई को करना होता है और यह स्पष्ट करती है कि इकाई कैसे जोखिम और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रभावों का प्रबंधन करती है।

i. क्रेडिट जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) से और बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय साधनों में जमाओं सहित अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम में आती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय संपत्तियों की विशिष्ट श्रेणी के अनुसार मान्यताओं, सूचनाओं और घटकों के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय संपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें नकद और नकद समतुल्य शामिल है, के लिए हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल लागू करना आवश्यक है। बैंक शेष, निवेश व्यापार प्राप्य, एसडी/प्रतिधारण धन आदि। एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों और एसडी/प्रतिधारण धन पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं है नकद और नकद समकक्ष के संबंध में डिफॉल्ट, बैंक शेष, निवेश आदि। यह अपनाया गया प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर देखी गई ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे के अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्य के अनुमानों में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए आगे प्राप्य को खंडित किया जाता है जहां प्राप्तियों की क्रेडिट जोखिम विशेषताएं समान होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और उसके बाद - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने ईसीएल मूल्यांकन की पद्धति को ग्रेड मैट्रिक्स से अधिशेष मूल्यांकन की दिशा में सुधार किया है।

पिछला वर्ष 2022-23 और उससे पूर्व

ईसीएल प्रावधान की गणना के दौरान, किसी विशेष परियोजना के संबंध में उपलब्ध अग्रिम की मात्रा को संबंधित परियोजना के वर्तमान वर्ष के बकाया देनदारों के संबंध में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, लगातार मिलने वाले करारों के संबंध में व्यापार देनदारियों की मात्रा को संबंधित वर्षों के संबंधित परियोजना व्यापार प्राप्तियों के संबंध में समायोजित किया जाएगा। आस्थगित ऋणों (वे देनदार जो संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक भुगतान हेतु देय नहीं हैं) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। व्यापार प्राप्तियों/ प्रतिधारण राशि के संबंध में निम्नलिखित ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स को लागू किया गया है:

(रु. लाख में)

ग्रेड मैट्रिक्स	चालू वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-4 वर्ष	4-5 वर्ष	5-6 वर्ष	6-7 वर्ष	7-8 वर्ष	8-9 वर्ष	9-10 वर्ष
	5%	7%	10%	30%	40%	55%	70%	85%	90%	100%

ईसीएल की वर्ष दर वर्ष तुलना निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	01-04-2015
प्रोदभूत सत्यापन के अनुसार ईसीएल प्रावधान :										
व्यापार प्राप्तियां	48295.34	44581.06	34261.18	24996.53	17554.49	11672.37	8209.2	6451.65	5000.58	3855.82
प्रतिधारण राशि, ईएमडी एवं एसडी	3287.74	3272.49	3186.14	2572.01	3074.22	10576.26	7775.8	5371.33	4261.17	2198.60

(रु. लाख में)

ग्रेड मैट्रिक्स के अनुसार ईसीएल प्रावधान (पिछले वर्ष की पद्धति तक)										
व्यापार प्राप्तियां	43,722.63	33,930.62	25,363.16	24,377.67	17,895.44	12,441.74	10,135.25	9,028.37	8,003.89	-
प्रतिधारण राशि, ईएमडी एवं एसडी	2,787.56	1,229.89	1,266.03	1,272.31	1,856.19	1,011.82	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपरोक्त के प्रभाव के कारण 7620.15 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है:

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	12 माह के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धन	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा के लिए पूर्णकालिक प्रावधान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता देती है।

कारोबारी माहौल के आधार पर, जिसमें कंपनी काम करती है, वित्तीय संपत्ति पर एक चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है या मामला-दर-मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच के अंतरों पर आधारित हैं।

जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, जैसे दिवालिया होने की घोषणा करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी का फैसला तब संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ काम करना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और चुकौती को लागू करने का प्रयास करती है। लाभ और हानि के विवरण में की गई वसूली को मान्यता दी जाती है।

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	विवरण	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी के समान, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	66,596.11	-	54,725.00	-
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	109,390.75	-	112,885.13	-
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	91,366.80	-	76,093.95	-

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से होता है।

क्रेडिट जोखिम

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों के लिए 12 माह और आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है-

क: कम ऋण जोखिम

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	8	26792.01	-	26,792.01
अन्य बैंक शेष	9	32819.95	-	32,819.95
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	6984.15	863.69	6,120.46
गैर-वर्तमान निवेश	3	49.06	-	49.06

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	8	16805.53	-	16,805.53
अन्य बैंक शेष	9	33005.04	-	33,005.04
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	4914.43	11.00	4,914.43
गैर-वर्तमान निवेश	3	44.02	-	44.02

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम (जिसमें 1-3 वर्ष तक की व्यापार लेनदारियाँ और प्रतिधारण राशि शामिल हैं)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार लेनदारियों और प्रतिधारण राशि के लिए प्रत्याशित क्रेडिट घाटा

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7	67365.12	22597.87	13109.4	103072.39
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		-888.93	-2095.21	-3334.21	(6,318.35)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		66476.18	20502.67	9775.19	96,754.04

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7	64105.69	20979.52	18915.52	104000.73
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		-1343.58	-2216	-5324.81	(8,884.39)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		62762.11	18763.52	13590.71	95,116.34

ग: उच्च ऋण जोखिम

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धनराशि	7	3 वर्ष से अधिक	48433.00	-42933.80	5499.20

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धनराशि	7	3 वर्ष से अधिक	42211.22	-33882.72	8328.50

हानि प्रावधान का समायोजन-व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

हानि भत्ते का समायोजन	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आरंभिक हानि भत्ता	42767.40	36089.00
हानि घाटे की पहचान	6484.75	6678.40
प्रत्यावर्तन / वसूली	0.00	0.00
समापन हानि भत्ता	49252.15	42767.40

ii. चलनिधि जोखिम

कंपनी की चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जो प्रचालनों से नकद प्रवाह से सृजित किए जाते हैं। कंपनी पर कोई बकाया बैंक उधार नहीं हैं। कंपनी का मानना है कि प्रचालनों से नकद प्रवाह इसकी वर्तमान चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता समूहों में वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है। तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक गैर-छूट प्राप्त नकद प्रवाह हैं। 12 माह के अंदर देय शेष राशि उनके मूल शेष के समान है चूंकि रियायत देने का प्रभाव बहुत कम है।

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक		1 वर्ष एक अधिक		कुल
व्यापार देनदारी	14	127096.85	0	1515.83	0	128612.68
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	19	1856.65	0	98.19	0	1954.84
कुल		**128953.5**		**1614.02**		**130567.52**

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	14	111879.49	1307.67	113187.16
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	19	1538.49	97.76	1636.25
कुल		**113417.98**	**1405.43**	**114823.41**

iii. बाजार जोखिम

कंपनी का मूल्य वृद्धि से होने वाला जोखिम अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए और तुलन पत्र में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

कंपनी का इक्विटी प्रतिभूति से संबंधित जोखिम कंपनी द्वारा रखे गए और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
निवेश- गैर उद्धृत निवेश	3	49.06	44.02

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन होते हैं और इसे विदेशी मुद्रा में लेन-देन से विदेशी मुद्रा जोखिम भी होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन और एक ऐसी मुद्रा, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है, में अंकित मान्य संपत्तियों और देयताओं से होता है।

विदेशी मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
निर्माण	-	-
परामर्शी	16,024.43	16,917.51
अन्य आय (एफडीआर में ब्याज शामिल)	319.10	306.7
कुल	**16343.53**	**17224.21**

विदेशी मुद्राओं में व्यय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्राप्त सेवा शुल्क	1,084.60	2,063.33
कर्मचारी लाभ व्यय	2,701.10	3,022.88
परिवहन	203.62	293.02
अन्य	2,057.33	2,379.53
कुल	**6046.64**	**7758.76**

विदेशी मुद्रा रिस्क जोखिम

(मुद्रा लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	214.16	4.81	46.65	35603.27	4.78	146.10	0.00	0.00	0.00	40.89	120.31
नकद और नकद समतुल्य	17.02	2.64	52.67	634.19	-	25.46	0.09	0.002	0.00	-	10.78
अन्य बैंक शेष	252.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.36	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**483.59**	**7.45**	**99.32**	**36339.11**	**4.78**	**171.56**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**40.89**	**131.09**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	17.60	0.14	0.75	2945.03	-	145.99	-	-	-	-	95.37
कर्मचारियों को देय	3.38	0	0	0.00	-	0	0	0	0	-	0
प्रतिधारण राशि	154.54	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**175.52**	**0.14**	**1.32**	**2945.03**	**0.00**	**145.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95.37**

विवरण	31 मार्च 2023										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	175.53	14.77	56.56	12166.44	4.78	149.93	0.00	0.00	0.00	66.89	82.94
नकद और नकद समतुल्य	32.35	0.01	32.87	474.22	0.00	20.66	0.09	0.002	0.00		24.00
अन्य बैंक शेष	254.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रतिभूति जमा	0.35	-	-	76.64	-	-	-	-	-	-	1.84
कुल	**463.18**	**14.78**	**89.43**	**12717.30**	**4.78**	**170.59**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**66.89**	**108.78**

विवरण	31 मार्च 2023										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	55.32	0.14	5.96	2945.03	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78.54
कर्मचारियों को देय	2.59	-	-	1532.94	-	-	-	-	-	-	4.05
प्रतिधारण राशि	154.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	**212.25**	**0.14**	**5.96**	**4477.97**	**0.00**	**145.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82.59**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विनिमय दर में 5% प्रतिशत परिवर्तन का संवेदनशीलता विश्लेषण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2024								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,284.21	32.97	7.19	35.73	1.83	0.36	0.02	26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,284.21)	(32.97)	(7.19)	(35.73)	(1.83)	(0.36)	(0.02)	(26.49)	(1.01)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2023								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,031.50	65.61	6.36	8.98	1.87	0.31		26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,031.50)	(65.61)	(6.36)	(8.98)	(1.87)	(0.31)	-	(26.49)	(1.01)

v. ब्याज दर जोखिम

कंपनी में ब्याज दर जोखिम का अनावरण भी किया गया है, ब्याज दर ममें परिवर्तन भविष्य के नकदी प्रवाह या इसके वित्तीय साधन मुख्य रूप से ऋण के उचित मूल्य को प्रभावित करेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के ऋणों का प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

ब्याज दर जोखिम	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
उधार		
गैर वर्तमान - फ्रलोटिंग (वर्तमान परिपक्वताओं सहित)	22772.64	14,282.34
वर्तमान	(0.02)	0.00
कुल	**22772.62**	**14282.34**

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन की गैर-वर्तमान उधारियों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	ब्याज दर संवेदनशीलता			
	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	814.28	(814.28)	742.76	(742.76)

50. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन और लेनदेन पर शुद्ध (लाभ/हानि)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
विनिमय भिन्नता आय	613.01	3204.23
विनिमय भिन्नता व्यय	382.12	1629.62
शुद्ध प्रभाव - लाभ/(हानि)*	230.89	1574.61

*विचाराधीन उस प्रभावी चालू वित्तीय वर्ष में, समायोज्य व्यापार अग्रिम प्राप्त या भुगतान होने पर भी गैर-मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय उतार-चढ़ाव की गणना नहीं की जाती है।

51. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही किया गया) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु. लाख में)

विवरण			31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
i. आकस्मिक देयताएं - मूल कंपनी				
1. कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया।			29536.97	14417.45
	2024	2023		
कार्मिक द्वारा	35.31	51.66		
अन्यों द्वारा	29501.66	14365.79		
(उपर्युक्त दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रति दावों की राशि 31 मार्च 2024 रु. शून्य (गत वर्ष को रु. शून्य है, जिसका हिसाब लेखाबही में नहीं है)				
2. सेवा कर विभाग द्वारा मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (सेवा कर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समूह ने उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद किया और विभाग को इसके जवाब प्रस्तुत किए थे। विभाग द्वारा कई बार सुनवाई की गई है और प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस के बाद कोई और डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है।)			16667.99	16667.99
3. अन्य - परिसमापन नुकसान कंपनी बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिनमें लेबी निर्माणपूर्व अवधि का समय है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी अनुमोदन की आवश्यकता है, जो समय लगने वाली प्रक्रिया है। नोट में दर्शायी गयी राशि परिसमापन क्षति की संभावित राशि से संबंधित है, जो परियोजना के समय पर पूरी न होने पर कंपनी पर लगाया जा सकता है।			7384.47 -	8957.75 -
4. व्यवसाय कार्य - निषादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी ग्राहक द्वारा संबधित भुगतान जारी किए जाने के पश्चात एमएसई विक्रेताओं, जिनके साथ कंपनी ने सामान और सेवाओं (जो एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) की स्वीकृति के पश्चात भुगतान हेतु करार किया है, सामान और सेवाओं का क्रय रही है। इस प्रकार, कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने खातों में किसी प्रकार का ब्याज उपलब्ध नहीं करा रही है।				
ii. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ				
iii. प्रतिबद्धताएं				
1. प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी, बयाना जमा और सुरक्षा जमा			38427.52	37594.00
2. पूँजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानिक राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (संदर्भ टिप्पणी सं-2)			0.00	0.00
कुल			**92016.95**	**77637.19**

आकस्मिक देयता के लिए संचालन चार्ट

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक जमा	77637.19	115327.92
अतिरिक्त: वर्ष के दौरान	31269.81	17831.35
कमः वर्ष के दौरान समायोजित/स्थिर	(16890.55)	(55522.08)
जमा शेष	**92016.45**	**77637.19**

52. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-115) निम्नानुसार है:

i. राजस्व निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:

अनुबंध राजस्व और संबंधित लेनदारियों की मान्यता प्राप्त राशि प्रबंधन के प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाती है, जो प्रगति, प्रयासों, लागत के आधार पर लेन-देन की कुल अनुमानित लागत, व्यतीत समय, सेवा निष्पादन या कोई अन्य तरीके, जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर आंकलित की जाती है। विशेष रूप से अधिक जटिल अनुबंधों के लिए, कार्य पूरा करने की लागत और अनुबंध लाभप्रदता, सटीक अनुमान और अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

ii. कंपनी के पास विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध है जो नीचे दिए गए हैं:

- परामर्शी सेवाएं
- टर्नकी निर्माण परियोजनाएं

iii. कंपनी ने ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर समय के साथ या समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, तो राजस्व को कंपनी द्वारा समय के आधार पर मान्यता दी गई है:

- ग्राहक एक ही साथ प्राप्त करता है और लाभ उठाता है।
- कंपनी का कार्य निष्पादन ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या बढ़ाता है जिन्हें ग्राहक संपत्ति के निर्माण या संवर्द्धन के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का निष्पादन वैकल्पिक उपयोग के साथ नहीं बनता है और कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है और ग्राहक अनुबंध से उत्पन्न होने वाली प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और नकदी प्रवाह के बारे में खुलासे की आवश्यकता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत, राजस्व 5-चरण दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधों) की पहचान करना,

ख) अनुबंध में अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान करना,

ग) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना,

घ) निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना, तथा

घ) निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व की पहचान करना।

अनुबंध परिसम्पति - अनबिल राजस्व

अनुबंध में उल्लिखित कार्य पूरा होने के आधार पर ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में, हालांकि उल्लिखित कार्य समय के अलावा अन्य कारकों के कारण बिलिंग नहीं हो पाती है। बिलिंग से अधिक राजस्व राजस्व नहीं है और अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, जब और जब बिलिंग की जाती है और संबंधित कार्य प्राप्त किया जाता है, तो व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा परिसम्पतियों का संचलन - अनबिल राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	**1727.18**	**5772.35**
निवल जोड़	856.68	8902.33
प्रत्यावर्तित राशि	(1327.31)	(12,947.50)
जमा शेष	**1256.55**	**1727.18**

अनुबंध परिसंपत्तियों का परिचालनः प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	**3532.55**	**3345.16**
निवल जोड़	1040.81	1262.93
प्रत्यावर्तित राशि	(457.07)	(1075.54)
जमा शेष	**4116.29**	**3532.55**

अनुबंध परिसंपत्तियों का परिचालनः प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	**3193.8**	**2628.72**
निवल जोड़	2040.08	2581.69
प्रत्यावर्तित राशि	(2045.14)	(2016.61)
जमा शेष	**3188.74**	**3193.8**

अनुबंध देनदारियां - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

एक अनुबंध देनदारी को मान्यता दी जाती है यदि इकाई को प्रदर्शन के अग्रिम में महत्त्व (या यदि उसे महत्त्व मिलने का बिना शर्त का अधिकार है) प्राप्त हो।

अनुबंध देनदारियों का संचालन - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	46025.38	51314.29
निवल जोड़	66954.99	63151.87
प्रत्यावर्तित राशि	(73893.06)	(68440.78)
जमा शेष	39087.31	46025.38

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	24544.97	22,469.22
निवल जोड़	4511.36	5405.2
प्रत्यावर्तित राशि	(1906.76)	(3329.45)
जमा शेष	27149.57	24544.97

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	1636.25	1274.19
निवल जोड़	1537.22	1189.64
प्रत्यावर्तित राशि	(1251.80)	(827.58)
जमा शेष	1,921.67	1,636.25

"सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व, जिसे अवधि के प्रारंभ में अनुबंध देयता शेष में शामिल किया गया था" और निष्पादन दायित्वों से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व से पूर्ववर्ती अवधियों में संतुष्टि (या आंशिक रूप से संतुष्टि) प्राप्त है के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 116 (ख) और (ग) के प्रकटीकरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व जो अवधि की शुरुआत में अनुबंध की देयता शेष में शामिल था	24059.42	20566.06
पूर्ववर्ती अवधियों में निष्पादन दायित्वों का निर्वाह (या आंशिक निर्वाह) होने से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व	1111.00	5392.54

पृथककरण राजस्व सूचना

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रें से राजस्व हेतु ग्राहक के साथ अनुबंध से असहमत राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है। कम्पनी का मानना है कि ये असहमत राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है।

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
2023-24	0.48	0.20	0.85	0.00	1.53
2022-23	47747.19	21206.82	73006.79	0.00	141960.80

iv. कंपनी ग्राहकों को ओर उनकी और से कई परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कार्य निष्पादन दायित्वों ग्राहकों से भुगतान के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी रिर्पोटिंग तारीख पर कार्य निष्पादन किया जाता और संविदा के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे मामलों में अनुबंध परिसंपत्ति बनाया गया है।

तथापि, जहां भुगतान अग्रिम में प्राप्त होता है, लेकिन कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया ऐसे मामलों में अनुबंध देनदारियों नहीं बनाई गई है। कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम कार्य के निष्पादन के लिए है और सुरक्षा का प्रकार है अर्थात् बचाव का स्रोत हैं।

वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं/वस्तु आपूर्ति हेतु ग्राहकों से प्राप्त राशि की हानि का प्रावधान 5671.11 लाख रू. (गत वर्ष 10518.60 लाख रू.) रहा।

53. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2023 तक बिना बिल किए गए राजस्व के ₹ 1327.31 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5392.54 लाख) की उपलब्धि प्राप्त होने पर ग्राहकों को बिल करने पर व्यापार प्राप्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

54. प्रदर्शन दायित्वों का कुल मूल्य जो 31 मार्च 2024 तक पूरा होना बाकी है, ₹ 1500055.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1164465.91 लाख) है जो कंपनी के विभिन्न खंडों से संबंधित है।

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1406120.39	93934.76	1500055.15

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं*	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1069441.28	95024.63	1164465.91

*कंपनी का मानना है कि कुछ परियोजनाओं में निलंबन प्रकृति में अस्थायी है और एक बार प्रतिबंधित परिस्थितियाँ दूर हो जाने पर गतिविधियां पुनः आरंभ हो जाएंगी। कंपनी अपने तकनीकी और वित्तीय दायित्वों को पूर्ण करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से किए जाने वाले धन के के भुगतान के लिए अवश्वस्त है। इसलिए, प्राप्तियों के साथ-साथ देय, प्रकृति में स्थिर नहीं है और इन्हें वसूली योग्य प्राप्तियां और भुगतान योग्य वास्तविक शेष माना गया है। हालांकि, ऐसी प्राप्तियों पर कंपनी की अपेक्षित क्रेडिट हानि नीति के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

55. कंपनी ने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कोई लागत नहीं ली है और लाभ और हानि विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

56. संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत (खरीद लागत को छोड़कर) लाभ और हानि विवरण के लिए वसूल की जाती है, अगर यह वसूली योग्य नहीं है, तो यह बिल न किए गए राजस्व और बिल न की गई परिसम्मत्तियों का भाग है।

57. संयुक्त व्यवस्थाओं में कंपनी हित में प्रकटनः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	व्यवस्था का नाम	कम्पनी का हित		पार्टनर और उनका पार्टनरशिप इंटरेस्ट (पीआई	देश
		2023-24	2022-23		
1.	लोअर सेती (तानाहु) हाइड्रोपावर परियोजना (एलएसएचईपी)	84.80%	84.80%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - निप्पन कोई लिमिटेड - 15-2%	नेपाल
2.	पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंदनिंग प्रोजेक्ट	81.65%	81.65%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - एसएमईसी इंटरनेशनल पीटीवाई-लि. -18-35%	नेपाल

58. 54.71 लाख रुपये की राशि अवकाश यात्रा रियायत के पुराने शेष से संबंधित है जिसे कम्पनी द्वारा देय होने की सम्भावना नहीं है। कंपनी की संभावित देयता का आकलन करने के लिए अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं

59. टिप्पणी संख्या-4ख में कर्मचारी अग्रिम के लिए 222.80 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसकी वसूली/समायोजन के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। कंपनी का मानना है कि पूरी राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है।

60. कंपनी जमा कार्यों के आधार पर कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्राहकों को देय ब्याज के लिए पर्याप्त प्रावधान बहियों में किया गया है, जिस कंपनी द्वारा आदर्श फंड का उपयोग किया गया है। वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल ब्याज लागत 1725.55 लाख रु. (गत वर्ष 1498.08 लाख रू.) है और देय ब्याज को वित्तीय विवरण में टिप्पणी 24 में विधिवत प्रकटन किया गया है।

61. कंपनी की कंपनी में लगे नए नियमित भत्तियों से बॉन्ड मनी लेने की नीति है। बांड का पैसा कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीद के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसंपत्ति और देयता के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बांड की राशि संबंधित अधिकारियों को उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड की अवधि पूरी होने से पहले

कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है। 31 मार्च 2024 को ऐसे एफडीआर की राशि रु. 78.90 लाख (पिछले वर्ष 95.03 लाख रुपये)। कंपनी के पास कर्मचारियों से संबंधित एफडीआर को विनियमित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और प्रत्येक कर्मचारी स्तर पर समाधान के लिए प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के उपाय किए जा रहे हैं।

62. दिनांक 15.08.2021 को अफगानिस्तान में राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होने के समय कंपनी अफगानिस्तान में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही थी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के कारण, सभी परियोजना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। अफगानिस्तान परियोजनाओं से बकाया के रूप में कंपनी के पास 01.04.2023 को 1970.45 लाख रुपये की व्यापारिक प्राप्तियां थीं।

इनमें से, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना से संबंधित 869.92 लाख रुपये की देनदारी पर दिनांक 01.04.2023 तक पुन: प्रकिया चालू की गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 668.82 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.13 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1100.53 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2024 को अफगानिस्तान परियोजनाओं से बकाया व्यापारिक प्राप्तियों की शुद्ध राशि 194.97 लाख रुपये है। प्रबंधन इन परियोजनाओं में बकाया शेष राशि की वसूली के संबंध में आश्वस्त है।

63. बांग्लादेश में जब राजनीतिक परिस्थतियां परिवर्तित हुई उस समय कंपनी बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही थी। 01.04.2023 को कंपनी के पास बांग्लादेश परियोजनाओं से प्राप्त होने वाला व्यापारिक बकाया 927.45 लाख रुपये का था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 263.48 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 67.35 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 435.20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार, 31.03.2024 को बांग्लादेश परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले व्यापारिक बकाया की शुद्ध राशि 513.50 लाख रुपये है। प्रबंधन इन परियोजनाओं में बकाया शेष राशि की वसूली के संबंध में आश्वस्त है।

64. श्रीलंका में जब राजीनीतिक परिस्थितियां बदली उस समय कंपनी श्रीलंका में एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही थी। इसके बाद, परियोजना संचालन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। कंपनी की 94.62 लाख रुपये की व्यापार प्राप्तियां थीं जिसका पूर्ण से प्रावधान किया गया है।

65. कंपनी द्वारा गुजरात में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा था जिन्हें ग्राहक द्वारा बंद कर दिया गया है। ग्राहक के पास कंपनी के 280.55 लाख रुपये की व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बही खातों में पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया गया है।

66 अन्य जानकारी

i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ii) कंपनी ने बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

iii) कंपनी के पास कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसको वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

iv) कंपनी ने संबंधित वित्तीय वर्षों/अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

v) कंपनी ने विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को मध्यस्थ बनकर अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है:

क) कंपनी (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या

ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

vi) कंपनी को विदेशी इकाइयों (वित्तपोषित पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) से कोई वित्त प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण या किसी व्यक्ति या वित्तपोषित पक्ष (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचानी गई इकाइयों में निवेश या

ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, आयकर अधिनियम 1961 के खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए गए खातों की बुक्स में रिकार्ड नहीं है।

viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विल्फुल डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ix) कंपनी ने कंपनी (संख्या की लेयर पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित लेयर की संख्या का अनुपालन किया है।

67. गत वर्ष के आंकड़ों का वर्तमान वर्ष के समूहीकरण और / या वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पुनर्समूहीकरण और / या पुनर्वर्गीकरण किया गया है। नकारात्मक आंकड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किए गए हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(अतुल मेंदीरत्ता) महाप्रबंधक (वित्त)	(अनिल त्रिगुणायत) निदेशक (डीआईएन 07900294)	(पंकज कपूर) निदेशक (वित्त) (डीआईएन 07290569)	(आर के अग्रवाल) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर 2024

नोट्स

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष के संबंध में, वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी की प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(1 0) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करने की जिम्मेदारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक है। यह उल्लिखित किया गया है कि ऐसा उनके द्वारा **दिनांक 20 जनवरी 2025** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, हमने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। । हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक ही सीमित है।

हमारी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आये हैं और जो मेरे मत में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को समझने के लिए आवश्यक है:

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क.1 अन्य वित्तीय देनदारियाँ – रू. 244.24 करोड़ (टिप्पणी 20B)

उपरोक्त में गृह मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार मंत्रालय को देय रू 23.87 करोड़ के तरलित क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है।

परियोजना निर्धारित पूर्णता की तारीख (20 जून 18) के भीतर पूरी नहीं की जा सकी। इसलिए, गृह मंत्रालय ने (जुलाई 2022) 23.87 करोड़ तरलित क्षतिपूर्ति को जमा करने का निर्देश दिया। हालांकि, एनपीसीसी द्वारा (अगस्त 2022) छूट दिये जाने संबंधी अनुरोध को आज तक स्वीकार नहीं किया गया है, एनपीसीसी ने प्रावधान के रूप में प्रकट करने के स्थान पर, इसे संभावित देनदारी के रूप में प्रकट किया।

चूंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार लंबित देयता का भुगतान किया जाना है और भारतीय लेखा मानक 37 में प्रावधान को मान्यता देने संबंधी सभी तीन शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए वित्तीय विवरणों में एक प्रावधान होना चाहिए क्योंकि छूट के लिए अनुरोध का लेखा निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देनदारी हेतु प्रावधान' के संबंध में रू. 23.87 करोड़ का कम आकलन हुआ है, जिससे 'वर्ष के दौरान लाभ' का उसी राशि से अधिक आकलन हुआ है।

ख. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

लाभ और हानि विवरण

ख. 1 अन्य व्यय

व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान – 77.83 करोड़

कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 1.7 वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्तियां, सुरक्षा जमा (एसडी) और ब्याज राशि जमा (ईएमडी) शामिल हैं, के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना के लिए आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने ईसीएल की गणना के लिए कार्यकारी की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स की पद्धति से कार्यकारी आधारित मूल्यांकन की ओर रूख किया है जोकि भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत प्राप्तियों के पोर्टफोलियो के लिए अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान प्रदान करेगा। कंपनी ने इस परिवर्तन को लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में माना और पूर्व के वर्षों पर इस विधि को पुरानी अवधि के लिए पुनर्प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप पहले की रिपोर्ट का वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया।

भारतीय लेखा मानक 8 (पैराग्राफ 32, 32 क, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए अनुमान तकनीक में बदलाव एक लेखांकन अनुमान में बदलाव है और इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 36 में दिए अनुसार पूर्वानुमानित रूप से लागू किया जाना चाहिए था, न कि कंपनी द्वारा किए गए समानुपातिक रूप से।

कुल प्रावधान इस वर्ष लागू किये जाने थे रू. 280.96 करोड़ (रू.258.65 करोड़ विधि के अनुसार प्रावधान का अंतर और रू. 22.31 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान और लेखांकन नीति के अनुसार 10 वर्षों से अधिक की बकाया राशि के लिए लिखी गई राशि) है। लेकिन कंपनी ने इस वर्ष केवल रू 278.47 करोड़ चार्ज किए, जबकि रू.202.48 करोड़ गलत तरीके से पिछले वर्ष के खर्च के रूप में चार्ज किए गए (नोट-49)।

गलत लेखांकन गणना के परिणामस्वरूप अन्य खर्चों की कमी और वर्ष के लिए लाभ को अतिशयोक्ति रूप से रू. 202.48 करोड़ दर्शाया गया है।

ख.2 अन्य आय – रू. 100.98 करोड़ (टिप्पणी 22)

अखिल भारतयी आयुर्वेद संस्थान, भारत सरकार के साथ निर्माण गतिविधियों हेतु किए गए करार के के अनुसार, "मंत्रालय परियोजना व्यय के लिए पीएमसी को 'रोलिंग क्रेडिट' प्रदान करेगा और परियोजना निधि पर प्राप्त किसी भी प्रकार का ब्याज मंत्रालय की संपत्ति होगी और पीएमसी को परियोजना निधियों पर अर्जित आय कर कटौती के बाद ब्याज पर कोई अधिकार नहीं होगा।"

कंपनी ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 2018-19 से 2023-24 तक ब्याज की राशि को अपनी आय के रूप में माना, जो कि लगभग 7.92 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ का अधिशेष ~12.22 लाख, अन्य इक्विटी (राठित आय) का अधिशेष ~7.80 करोड़ तथा देनदारियों का अधनिष्कर्षण ~7.92 करोड़ हुआ है।

ग. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियां

ग. 1 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव स्वरूप, कंपनी के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए गए लगभग 120.23 करोड़ के लाभ पर प्रभाव 194.85 प्रतिशत है और उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव लगभग रू. 114.04 करोड़ के नुकसान को दर्शाता है।

इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी की 'सत्य और सही छवि' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर दिया गया यह आश्वासन प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण 'सच्ची और सही छवि' प्रस्तुत करते हैं, उचित नहीं था।

ग.2 अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ध्यान आकर्षित करती है - अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 'चूंकि कंपनी (लेखा) नियमवली, 2014 के नियम 3(1) की उपधारा 1 के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू हैं, इसलिए रिकॉर्ड अनुरक्षण की विधिक आवश्यकताओं के अनुसार, " कंपनी (लेखा और लेखपरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(च) के अंतर्गत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष लिए लागू नहीं है।"

लेखाकारों ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को जारी यथा संशोधित के अनुसार यथाअपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अधूरी है।

घ. अन्य टिप्पणियां

घ 1 कंपनी (घोषणा और लाभांश का भुगतान) नियम, 2014 के अनुसार, कोई कंपनी कुछ शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन स्वतंत्र आरक्षित में से लाभांश की घोषणा कर सकती है। कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित में से लगभग 25 करोड़ (साल 2022-23 से संबंधित) का लाभांश दिया, लेकिन नियमों में यथानिर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया लाभांश भुगतान के बाद 'सामान्य आरक्षित' का शेष भाग नकारात्मक हो गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(तान्या सिंह)
प्रधान निदेशक, केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.07.2025

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वाप्कोस के समेकित वित्तीय आंकड़ों पर सीएजी की टिप्पणियों का जवाब

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
1.	**A.1 अन्य वित्तीय देयताएं – 244.24 करोड़ रुपये (नोट 20B)** उपरोक्त राशि में गृह मंत्रालय और एनपीसीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार गृह मंत्रालय को परिनिर्धारित 23.87 करोड़ रुपये का हर्जाना शामिल नहीं है। परियोजना निर्धारित समय सीमा (जून 2018) तक पूरी नहीं हो सकी। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने ₹23.87 करोड़ की परिनिर्धारित हर्जाना जमा करने का निर्देश (जुलाई 2022) दिया। हालाँकि, एनपीसीसी का छूट का अनुरोध (अगस्त 2022) आज तक स्वीकार नहीं किया गया है, एनपीसीसी ने कोई प्रावधान करने के बजाय, आकस्मिक देयता के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है। चूँकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार एलडी देय है और भारतीय लेखा मानक 37 में प्रावधान को मान्यता देने के लिए सभी तीन शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया जाना चाहिए था, क्योंकि छूट के अनुरोध का अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप 'चालू देयता के लिए प्रावधान' 23.87 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है, तथा परिणामस्वरूप 'वर्ष के लिए लाभ' भी उतनी ही राशि अधिक दर्शाया गया है।	लेखापरीक्षा टिप्पणी के संदर्भ में, यह कहा गया है कि समूह की सहायक कंपनी ने पत्र संख्या: 1) NEZ/IBBW/LD/838 दिनांकित 02.08.2022, 2) NEZ/IBBW/LD/2023/591 दिनांकित 15.06.2023 और 3) NEZ/IBBW/LD/2023/1494 दिनांकित 18.10.2023 के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि पूरे कार्यों पर एलडी न लगाया जाए क्योंकि एनपीसीसी ने पहले ही काम पूरा कर लिया था और एलडी की छूट के अनुरोध को गृह मंत्रालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। अतः समूह की सहायक कंपनी के पास गृह मंत्रालय से एलडी की छूट पाने का ठोस आधार है। इसके अलावा, 2006 में गृह मंत्रालय के साथ हुए प्रारंभिक समझौता ज्ञापन में, पूरी परियोजना लागत पर एलडी लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। एलडी लगाने के मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और ग्राहक ने कोई अनुवर्ती मांग नहीं की है। तदनुसार, समूह द्वारा 23.87 करोड़ रुपये की एलडी राशि को आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी गई है और वित्तीय विवरण में इसका खुलासा किया गया है। इसके अलावा, निर्माण उद्योगों/क्षेत्र में, आमतौर पर एलडी और दंड बहियों में तब तक प्रदान नहीं किए जाते हैं जब तक कि अंतिम बैठक समाप्त न हो जाए, या मध्यस्थता प्रदान न की जाए, यदि कोई हो। उद्योग की प्रकृति ऐसी विचित्र है, जहाँ किसी भी संभावित कारण से काम रोका जा सकता है/देरी हो सकती है और एनपीसीसी एक सरकारी पीएसयू है और गृह मंत्रालय भी एक सरकारी संस्थान है, इस मामले में पिछले अनुभव या प्रवृत्ति के अनुसार आमतौर पर मंत्रालय पीएसयू को एल.डी. नहीं देता है। कार्य आदेश या समझौते में एक सामान्य पैरा जोड़कर एल.डी. लगाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह की किसी भी देनदारी को तय करने से पहले जमीनी हकीकत और व्यावहारिक परिदृश्य को देखा जाना चाहिए। इसलिए, प्रबंधन ने जमीनी हकीकत को देखते हुए और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए समय नहीं दिया है। इसलिए, इसे खाता-बही में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना उचित है कि कंपनी नियमित रूप से गृह मंत्रालय से एलडी न लगाने का अनुरोध कर रही है, तदनुसार, एलडी न लगाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मामला चर्चा में है। हम आगे यह भी बताना चाहते हैं कि सहायक कंपनी के पास एक साथ कई अनुबंध हैं और अंततः दायित्व स्पष्ट हो गया है, जिसे कार्य निष्पादित करने वाले ठेकेदार के साथ समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार, 'चालू देयता के लिए प्रावधान' को 23.87 करोड़ रुपये कम करके नहीं बताया गया है और 'वर्ष के लिए लाभ' को भी उतनी ही राशि से अधिक करके नहीं बताया गया है।
2.	**लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ** **लाभ और हानि का विवरण** **ख.1 अन्य खर्चे – 194.99 करोड़ रुपये** व्यापार प्राप्य और प्रतिधारण धन के लिए प्रावधान - 77.83 करोड़ रुपये कंपनी की लेखा नीति संख्या 1.7 वित्तीय परिसंपत्तियों – जिसमें व्यापार प्राप्य, प्रतिभूति जमाराशि (एसडी), और बयाना जमा-राशि (ईएमडी) शामिल हैं – की हानि के लिए प्रावधान करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी	समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) का अनुमान लगाने के लिए पद्धति में परिवर्तन के वर्गीकरण और अनुप्रयोग के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर अपनी सुविचारित प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। **1. परिवर्तन का संदर्भ** • समूह की नियंत्रक कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) को अपनाया और समूह की सहायक कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) को अपनाया। • भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर आंतरिक रूप से विकसित ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए, भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना कर रही थी।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना के लिए आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रही थी। चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्य संविभाग के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का अनुमान प्रदान करने के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति करके ईसीएल की गणना के लिए आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स की पद्धति का उपयोग करने के स्थान पर बीमांकिक-आधारित मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया। कंपनी ने इस परिवर्तन को लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में माना तथा इस पद्धति को पूर्ववर्ती अवधियों पर लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरणों में समायोजन हुआ। भारतीय लेखा मानक 8 (पैरा 32, 32 ए, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए आकलन तकनीक में परिवर्तन लेखांकन अनुमान में परिवर्तन है और इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 36 के अनुसार भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था, न कि कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए था। वर्ष के दौरान वसूला जाने वाला कुल प्रावधान 280.96 करोड़ रुपये (258.65 करोड़1 रुपये बीमांकिक पद्धति के अनुसार प्रावधान का अंतर है और 22.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के लिए हैं तथा लेखांकन नीति के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की प्राप्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि है) था। लेकिन कंपनी ने वर्ष के दौरान केवल 78.47 करोड़2 रुपये वसूले, जबकि 202.48 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के व्यय के रूप में गलत तरीके से वसूले गए (नोट-49)। गलत लेखांकन पद्धति के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ 202.48 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।	• इस पद्धति को पूर्ववर्ती वैधानिक लेखापरीक्षाओं के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक लगातार लागू और स्वीकार किया गया था। • हालाँकि, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने पाया कि मौजूदा मॉडल में पर्याप्त वैज्ञानिक आधार का अभाव था। इसी लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2020-21 में ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। • जवाब में, और उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व के बावजूद विशिष्ट मार्गदर्शन के अभाव में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक अधिक मजबूत और सांख्यिकीय रूप से समर्थित ईसीएल अनुमानित ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित बीमांकक फर्म की नियुक्ति की। 2 **लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में वर्गीकरण का आधार** • कंपनी का मानना है कि आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स से बीमांकिक मूल्यांकन ढांचे में परिवर्तन माप के आधार में परिवर्तन को निरूपित करता है और तदनुसार लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में योग्य है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 35 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है: "माप आधार में लागू परिवर्तन, लेखांकन नीति में परिवर्तन है, ना कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन है।" • आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स मुख्यतः पूर्वव्यापी आँकड़ों पर निर्भर था, जबकि अपनाए गए बीमांकिक दृष्टिकोण में रोल दर और हानि दर पद्धतियों जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं, जो सांख्यिकीय मॉडलिंग के आधार पर प्राप्य राशियों की आयु वृद्धि प्रवृत्तियों और हानि व्यवहार का मूल्यांकन करती हैं। यह मापन मॉडल में एक मौलिक बदलाव को निरूपित करता है - न कि केवल मौजूदा ढाँचे के भीतर अनुमान मापदंडों में बदलाव। • भारतीय लेखा मानक-8 के अनुसार, पूर्वव्यापी पुनर्कथन की परिभाषा वित्तीय विवरणों के अवयवों की मात्रा की पहचान, माप और प्रकटीकरण को सही करना है, जैसे कि पूर्व अवधि में कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी। • निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक 8 प्रावधान इस वर्गीकरण का समर्थन करते हैं: • पैराग्राफ 13: समान लेनदेन के लिए लेखांकन नीतियों का लगातार पालन करना आवश्यक है। • पैराग्राफ 14(ख): यदि इससे अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक वित्तीय जानकारी प्राप्त होती है तो लेखांकन नीति में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है। • भारतीय लेखा मानक के पैराग्राफ 15 में कहा गया है कि "वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को किसी इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के रुझानों की पहचान करने के लिए समय के साथ उसके वित्तीय विवरणों की तुलना करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक अवधि के भीतर और एक अवधि से दूसरी अवधि तक समान लेखांकन नीतियाँ लागू की जाती हैं।” • पैराग्राफ 19 एवं 22 : लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए पूर्वव्यापी आवेदन को अनिवार्य करें, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो। • पैराग्राफ 23 : लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, सिवाय उस सीमा तक जब परिवर्तन के अवधि-विशिष्ट प्रभाव या संचयी प्रभाव का निर्धारण करना अव्यावहारिक हो। • पैराग्राफ 26 : जब कोई संस्था पूर्वव्यापी नई लेखांकन नीति लागू करती है, तो वह नई लेखांकन नीति को यथासंभव पूर्व अवधियों की तुलनात्मक जानकारी पर लागू करती है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		• तदनुसार, कंपनी ने संशोधित नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया, और समायोजन चालू वर्ष के प्रारंभिक शेष में परिलक्षित हुए और वित्तीय विवरणों के नोट 49 में व्यापक रूप से प्रकट किए गए।

3. भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 32 क से अंतर

• सादर निवेदन है कि भारतीय लेखा मानक 8 का अनुच्छेद 32A, जो आकलन तकनीक में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन मानता है, उन मामलों में लागू होता है जहाँ अंतर्निहित मापन आधार अपरिवर्तित रहता है। वर्तमान मामले में, स्थिर, ऐतिहासिक हानि मैट्रिक्स से गतिशील बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन, हानि प्रावधान के वैचारिक आधार में परिवर्तन का गठन करता है और इसलिए अनुच्छेद 35 के अनुसार लेखांकन नीति में परिवर्तन के दायरे में आता है।

4. अभिशासन, प्रकटीकरण और वित्तीय प्रभाव

किए गए परिवर्तन :

• वैधानिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विचार करने के बाद निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित।

• भारतीय लेखा मानक 1 और भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार वित्तीय विवरणों में पारदर्शी तरीके से खुलासा किया गया।

• हम आपका ध्यान निम्नलिखित तालिका की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो लेखापरीक्षक को प्रस्तुत की गई थी:

रू. करोड़ में

	वाप्कोस	एनपीसीसी	समेकित
2022-2023			
देनदार	1927.69	648.57	2575.93
प्रावधान	351.5	70.99	422.49
देनदारों के % के रूप में प्रावधान	18.23	10.95	16.40
2023-2024			
देनदार	2007.58	746.05	2752.52
प्रावधान	492.53	127.04	619.56
देनदारों के % के रूप में प्रावधान	24.53	17.03	22.51
राशि में अंतर (अनंतिम)	141.03	56.05	197.07
% में अंतर (अनंतिम)	40.12	78.95	46.64

वाप्कोस की स्थिति

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के पास 31.03.2023 तक सकल देनदारों के 18.23% के बराबर 351.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसकी गणना पुरानी ग्रिड मैट्रिक्स दर के आधार पर की गई थी।

हालाँकि, बीमांकिक मूल्यांकन को अपनाने के बाद, प्रावधान की मात्रा बढ़कर 492.53 करोड़ रुपये हो गई, जो 31.03.2024 तक सकल देनदारों का 24.53% थी।

इसके अलावा, यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2024 तक संचयी प्रावधान की मात्रा में 40.12% की वृद्धि को दर्शाता है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		एनपीसीसी स्थिति उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के पास 31.03.2023 तक सकल देनदारों के 10.95% के बराबर 70.99 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसकी गणना पुरानी ग्रिड मैट्रिक्स दर के आधार पर की गई थी। हालाँकि, बीमांकिक मूल्यांकन को अपनाने के बाद, प्रावधान की मात्रा बढ़कर 127.04 करोड़ रुपये हो गई, जो 31.03.2024 तक सकल देनदारों का 17.03% थी। इसके अलावा, यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2024 तक संचयी प्रावधान की मात्रा में 78.95% की वृद्धि को दर्शाता है। **समेकित स्थिति** उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वापकोस समूह के पास 31.03.2023 तक सकल देनदारों के 16.40% के बराबर 422.49 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसकी गणना पुरानी ग्रिड मैट्रिक्स दर के आधार पर की गई थी। हालाँकि, बीमांकिक मूल्यांकन को अपनाने के बाद, सकल देनदारों की मात्रा बढ़कर 619. 56 करोड़ रुपये हो गई, जो 31.03.2024 तक सकल देनदारों का 22.51 % थी। इसके अलावा, यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2024 तक संचयी प्रावधान की मात्रा में 22.51 % की वृद्धि को दर्शाता है। **5. निष्कर्ष** समूह पुन: दोहराता है कि : • यह परिवर्तन अनुपालन को मजबूत करने और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए लिया गया एक सोची-समझी, तर्कसंगत निर्णय था। • अपनाया गया व्यवहार भारतीय लेखा मानक 8 और भारतीय लेखा मानक 109 के लागू प्रावधानों के अनुरूप है। • लेखांकन नीति में परिवर्तन के रूप में वर्गीकरण तकनीकी रूप से सटीक, कानूनी रूप से रक्षणीय तथा अंतर्निहित परिवर्तन के सार के अनुरूप है। इस प्रकार, लाभ का कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं है।
3.	**ख.2 अन्य आय – रू. 100.98 करोड़ (टिप्पणी 22)** भारत सरकार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ निर्माण गतिविधियों के लिए हुए समझौते के अनुसार, "मंत्रालय परियोजना व्यय के लिए पीएमसी को 'रोलिंग क्रेडिट' प्रदान करेगा और परियोजना निधि पर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के ब्याज पर मंत्रालय का स्वामित्व होगा तथा परियोजना निधियों पर अर्जित लागू आयकर घटाने के बाद पीएमसी का उस ब्याज पर कोई अधिकार नहीं होगा।" कंपनी ने करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 2018-19 से 2023-24 तक रू. 7.92 करोड़ रुपए की ब्याज की राशि को अपनी आय के रूप में माना। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ में	पिछले लेखा परीक्षा उत्तर के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में रू.12.22 आय को रिवर्स किया है, हालांकि इसे बाद में निर्धारित कर लिया गया, अत: इसके प्रभाव को ध्यान में रखा गया है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	12.22 लाख रुपए के अधिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, अन्य इक्विटी (आरक्षित आय) में 7.80 करोड़ रुपए की अधिक विवरणी हुई और देयताओं में 7.92 करोड़ रुपए की कम विवरणी हुई।	
4.	**ग. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ** **ग. 1 स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट** कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 120.23 करोड़ रुपये के मुनाफे पर उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव 194.85 प्रतिशत है और उपरोक्त टिप्पणियों के प्रभाव से 114.04 करोड़ रुपये की हानि होगी। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' को निरूपित नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करते हैं।	हमारी राय में, लाभ और हानि का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाता है। नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर और सीएजी टीम की टिप्पणियों के अप्रभावित रहने के कारण: **पैरा ख1 के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तर** हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का निर्धारण करने के लिए समूह द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में परिवर्तन के वर्गीकरण और पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन की जाँच की है। तथ्यों, लागू भारतीय लेखा मानक प्रावधानों और मॉडल परिवर्तन के सार का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, हम निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं: **1. परिवर्तन की प्रकृति और सार** कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में, अपने आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स (ऐतिहासिक चूक दरों पर आधारित) को एक बीमांकिक मूल्यांकन ढाँचे से बदल दिया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना के लिए रोल दर और हानि दर तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह मूल्यांकन कंपनी द्वारा चयनित एक प्रतिष्ठित बीमांकिक फर्म द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में अनुभव रखने वाली एक प्रतिष्ठित बीमांकिक फर्म द्वारा किया गया था। हमने एसए 620 के अनुसार उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की राय शामिल थी और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में भी इसी तरह के मॉडल का उपयोग किया गया है। यह परिवर्तन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जारी लेखापरीक्षा योग्यता के जवाब में किया गया था, जिसमें मौजूदा मॉडल की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाए गए थे तथा वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण की सिफारिश की गई थी। यह परिवर्तन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जारी लेखापरीक्षा अर्हता के प्रत्युत्तर में किया गया था, जिसमें मौजूदा मॉडल की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाए गए थे तथा वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण की सिफारिश की गई थी। *''समूह ने पिछले वर्ष बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार ईसीएल के लिए प्रावधान किया है और हमने उसी पर भरोसा किया है।* *इसके अलावा, हमने संबंधित पक्षों से राशि की वसूली और मैट्रिक्स के आधार की पुष्टि नहीं की है क्योंकि कंपनी द्वारा हमें प्रासंगिक डेटा और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण हम प्रावधान की पर्याप्तता और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।''* **2. भारतीय मानक ब्यूरो 8 के तहत वर्गीकरण का आधार** हमारे व्यावसायिक निर्णय में, उक्त परिवर्तन लेखांकन नीति में परिवर्तन है, न कि अनुमान में परिवर्तन, जिसके निम्नलिखित कारण हैं: भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 35 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि: "लागू की गई माप आधार में परिवर्तन लेखांकन नीति में परिवर्तन है, न कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन।"

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स के अंतर्गत प्रयुक्त मापन का आधार पूर्वव्यापी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों पर आधारित था। इसके विपरीत, बीमांकिक मॉडल भविष्योन्मुखी है, जो संभाव्यता-आधारित परिवर्तनों और नकदी प्रवाह व्यवहार मॉडलिंग द्वारा संचालित होता है। यह परिवर्तन केवल मापदंडों का परिशोधन नहीं है, बल्कि मूल्यांकन दर्शन में एक मूलभूत परिवर्तन है। भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 13 और 14(b) के तहत अपेक्षित, संशोधित नीति का चयन विश्वसनीयता बढ़ाने, वित्तीय रिपोर्टिंग की योग्यता और प्रासंगिकता से बचने के लिए किया गया, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रासंगिक वर्गों में सुसंगत रूप से लागू किया गया। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, पूर्वव्यापी पुनर्कथन की परिभाषा वित्तीय विवरणों के अवयवों की मात्रा की पहचान, माप और प्रकटीकरण को सही करना है, जैसे कि पूर्व अवधि में कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी। भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 19 और 22 के अनुरूप, कंपनी ने परिवर्तन को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया और तुलनात्मक शेष को उचित रूप से पुनः प्रस्तुत किया, वित्तीय विवरणों के नोट 49 में विस्तृत प्रकटीकरण किया, जो सही है। **3. भारतीय लेखा मानक 8 के पैराग्राफ 32 क की प्रयोज्यता** विनम्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 32क, जो आकलन तकनीकों में बदलावों से संबंधित है, वहाँ लागू होने के लिए है जहाँ अंतर्निहित मापन आधार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आकलन मान्यताओं या इनपुट में संशोधन किया जाता है। इसका अर्थ है कि यह तभी लागू होता है जब मापन आधार वही रहता है। हमारे मामले में, पूरा मॉडल बदल दिया गया था, इसलिए पैरा 35 लागू होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें शामिल है: रियायती नकदी प्रवाह विधि हानि दर विधि रोल दर विधि डिफॉल्ट पद्धति की लाभप्रदता ऐजिंग शेड्युल पद्धति हमारे मामले में, बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता ने रोल दर और हानि दर विधियों को लागू किया है। मौजूदा ढाँचे के भीतर; इसने पूरे अनुमान आधारित मॉडल को एक नए बीमांकिक दृष्टिकोण से बदल दिया। इस प्रकार, पैराग्राफ 35 इस मामले को उचित रूप से नियंत्रित करता है, और अपनाया गया उपचार हमारी राय में तकनीकी रूप से सही है। **4. लेखापरीक्षा मूल्यांकन और निष्कर्ष** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, हमारे पास उपलब्ध है: जाँची हुई बीमांकिक रिपोर्ट और कार्यपत्र। नीति परिवर्तन के औचित्य और शासन का मूल्यांकन किया गया। सत्यापित किया गया कि पूर्वव्यापी समायोजन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार किए गए थे।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
		यह सुनिश्चित किया गया कि प्रासंगिक प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक 1 और भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से किए गए। **उपरोक्त के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि:** वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखांकन नीति के रूप में परिवर्तन को मानना तथा उसका पूर्वव्यापी अनुप्रयोग भारतीय लेखा मानक 8 तथा भारतीय लेखा मानक 109 के पूर्णतः अनुरूप है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि पिछले सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अपनी रिपोर्ट को यह कहते हुए योग्य ठहराया था कि ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स वैज्ञानिक नहीं है और ईसीएल गणना का उचित हिसाब नहीं रखा गया था। पिछले सांविधिक लेखापरीक्षक की योग्यता के कारण, समूह ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी नीति में बदलाव किया और अपने आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स (ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट दरों के आधार पर) को एक बीमांकिक मूल्यांकन ढांचे में बदल दिया, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत ईसीएल की गणना के लिए रोल दर और हानि दर तकनीकों का उपयोग किया गया। प्रबंधन ने मॉडल का पुनर्मूल्यांकन किया और पिछली कमजोरियों को दूर करने और योग्यता संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से एक मजबूत बीमांकिक पद्धति को अपनाया। इस परिवर्तन से ऋण जोखिम मूल्यांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और निष्पक्षता में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, अन्य खर्चों का कम आकलन या लाभ का अधिक आकलन नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण एक सच्ची और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करते हैं। **निष्कर्ष** लाभ एवं सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर सीएजी की टिप्पणियों के प्रभाव, we are हम कैग (CAG) द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण से असहमत हैं और इसको लेकर पूरी तरह से मतभेद है और हमारी राय ऊपर दिए गए तथ्य पर आधारित है, इसलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा लाभ और हानि का कोई गलत बयान नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी का वित्तीय विवरण सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और हितधारकों को आश्वासन देता है कि वित्तीय विवरण सही और उचित दृष्टिकोण को निरूपित करता है।
5.	**ग.2 अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट** " स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट - अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।" लेखापरीक्षकों ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (g)	लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रभाव का वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान रखा गया है।

क्र. सं.	सीएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
	और 11 (f) के अनुसार रिपोर्ट नहीं दी है, जैसा कि 24 मार्च 2021 को एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। अतः, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट काफी हद तक अपूर्ण है।	
6.	**घ. अन्य टिप्पणियां** **घ.1** कंपनी (लाभांश की घोषणा एवं भुगतान) नियम, 2014 के अनुसार, कोई भी कंपनी कुछ शर्तों को पूरा करने पर मुक्त आरक्षित निधियों से लाभांश घोषित कर सकती है। कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में से 25 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23 से संबंधित) का लाभांश भुगतान किया, लेकिन नियमों में निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया क्योंकि लाभांश भुगतान के बाद, 'सामान्य आरक्षित निधियों' का शेष ऋणात्मक हो गया।	लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रभाव का वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान रखा गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अर्हता अभिमत

हमने मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सब्सिडियरी कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडियरी कंपनी को समग्र रूप में "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की समेकित बैलेंस शीट, और लाभ-हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) के सार सहित समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पण शामिल है।

यह कि सहायक कंपनी की लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा सहायक कंपनी के लिए नियुक्त एक अन्य सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी और एसए 600 के संदर्भ में, हम समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और तत्संबंधी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ अन्य लेखा परीक्षक के कार्य पर निर्भर हैं।

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हता विचार खंड के लिए आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना को उसी तरीके से उपलब्ध कराया गया हैं जैसा अपेक्षित है और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कार्यों की स्थिति, लाभ, कुल समेकित बड़ी आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके नकदी की सही और निष्पक्ष स्थिति का कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र कंपनी हैं, साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी संशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम सहायक कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट क संदर्भ लेते हैं जिन्होंने एमएसएमई देनदारियों पर ब्याज के गैर-प्रावधान के संबंध में अपनी रिपोर्ट में अर्हता अभिमत

दिया है। इस तथ्य को देखते हुए कि सहायक कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति में एमएसएमई देनदारों पर ब्याज की गैर-प्रावधान के संबंध में स्वेच्छा से जानकारी दी है और सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा ब्याज तत्व की गैर-मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है, हमारा मानना है कि एमएसएमई देनदारों पर ब्याज के गैर-प्रावधान के संबंध में तथ्य को मामले पर जोर में समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु

मुख्य लेखा परीक्षा बिंदु वे मामले होते है जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इन मामलों को समग्र रूप से स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के लिए शामिल किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। अर्हक अभिमत के लिए आधार खंड में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
1.	**राजस्व मान्यता** कंपनी के ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अनुबंधों में परामर्श और निर्माण अनुबंध शामिल हैं। कंपनी भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के संबंध में जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण से राजस्व प्राप्त करती है। कंपनी अनुबंध में नियत की गई सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना, सुपुर्द को निर्धारित करना और ग्राहक की उन डेलिविरेब्लस और स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की क्षमता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में शामिल है। कतिपय एकीकृत सेवाओं की व्यवस्थाओं के मामले में, ग्राहकों के साथ अनुबंधों में उपठेकेदार सेवाएँ या तृतीय पक्ष विक्रेता उपकरण शामिल होता है। इन प्रकार के व्यवस्थाओं में, जब कंपनी ग्राहक और विक्रेता के बीच एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही होती है तृतीय पक्ष विक्रेता उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से होने वाली आय को निवल लागत के रूप में और जब कंपनी लेनदेन के के मूल में होती है, तो सकल के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा करते समय, कंपनी पहले इस बात का मूल्यांकन करती है कि ग्राहक को स्थानांतरित करने से पूर्व क्या वह निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करती है। कंपनी यह विचार करती है	निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ (1) विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान, (2) यह निर्धारित करना कि कंपनी एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (3) यह कि क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को स्ट्रेट-लाइन आधार पर या पूर्णता प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के नमूने का चयन किया और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन किया: – मास्टर सेवा अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों सहित जो अनुबंध का हिस्सा थे, प्रत्येक चयन हेतु अनुबंध दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें पढ़ा – (i) विशिष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान (ii) क्या कंपनी एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (iii) क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को स्ट्रेट लाइन आधार पर या पूर्णता के प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, के सबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने हेतु अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों और डिलिवरेबल्स की पहचान की गई। निर्माण अनुबंधों से होने वाली आय में कंपनी की उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए इसे परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और जहां अनुबंध की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि ठेकेदार को ग्राहक की ओर से चुना जाए, निविदा दस्तावेज तैयार किए जाएं, और निविदाएं आमंत्रित की जाएं। निर्माण लागत के प्रतिशत के रूप में की गई गणना के आधार पर कंपनी द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क लिया जाता है। निर्माण कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा कंपनी को भेजा जाता है, तत्पश्चात कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागत-से-कॉस्ट आधार पर ग्राहक को बिल भेजती है। कंपनी, जो स्वयं को एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में देखती है, लाभ और हानि खाते में सकल राशि (पीएमसी सेवा शुल्क सहित निर्माण लागत) को राजस्व के रूप में और मिलान की गई लगातार निर्माण लागत को व्यय के रूप में दर्ज करती है। मुख्य विशेषताओं/टिप्पणियां निम्नलिखित है: 1. चूंकि कंपनी का मुख्य क्षेत्र इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण से संबंधित परामर्श सेवाओं में है, न कि निर्माण सेवाओं में, इसे विभिन्न ग्राहकों द्वारा एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त की जाता है, जिसमें निर्माण से संबंधित कार्यों को पूरा करने हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करना भी शामिल है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
	कि क्या यह निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के वादे को पूरा करने, इन्वेंटरी जोखिम, मूल्य निर्धारण विवेक और अन्य कारकों को निर्धारित करने के लिए के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यह कि क्या यह उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण रखती है और इसलिए, यह एक प्रमुख या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है।	2. ग्राहक की ओर से ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों की संलग्नता शर्तों में स्पष्ट रूप से कंपनी की बैक-टू-बैक भुगतान आवश्यकता या क्रेडिट जोखिम से उन्मुक्ति उल्लेख किया जाता है। ठेकेदार को कंपनी द्वारा केवल तब भुगतान किया जाता है जब ग्राहक ने भुगतान किया हो। 3. कंपनी की अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध अथवा एमओयू की शर्तें, मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन सलाहकार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, संगठन के पास बैक-टू-बैक सहभागिता के कारण कोई इन्वेंटरी नहीं है। 4. लागत-प्लस अनुबंध की सामान्य शर्तों के विपरीत, वर्तमान अनुबंधों के अंतर्गत विचारार्थ ठेकेदारों से आमतौर पर टर्नकी आधार पर निर्माण कोटेशन प्राप्त किए जाते हैं। 5. यह कि ठेकेदारों के लाभ मार्जिन के विपरीत, निर्माण लागत के अतिरिक्त पीएमसी शुल्क लिया जाता है, जो कंपनी की वास्तविक आय को दर्शाता है।
2.	परियोजना हेतु वेतन लागत का निर्धारण	कंपनी का अधिकांश राजस्व परामर्श शुल्क से प्राप्त होता है, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव कंपनी के आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अत्यधिक पहल के कारण, प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्रयासों का आवंटन करना संभव नहीं है। लेखांकन नीति में भी यह उल्लिखित है कि कर्मचारी खर्चों को लाभ और हानि में से पूर्ण रूप पर आवधिक आधार पर घटाया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक, कर्मिक प्रयासों के योगदान के कारण अनबिल कार्य या प्रगतिधीन कार्य में कोई व्यक्तिगत लागत का घटक नहीं है।
3.	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ, और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ कंपनी कई कर और अन्य कानूनी विवादों, जिनका समाधान करना कठिन है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते है, में उलझी हुई है, कानूनी कार्यवाही से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन जटिल अवधारणाओं पर आधारित है जो निर्णय लेने की आवश्यकता को जन्म देता हैं। यह निर्णय मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम के अनुमान से संबंधित अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता से संबंधित है। आवश्यक निर्णय, इन कानूनी विवादों का महत्व, और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है।	निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: i. जारी विधिक और कर विवादों का पता लगाने हेतु की गई प्रक्रिया और संबंधित उपायों का मूल्यांकन ii. विधि और कर विभाग के संभावित विधिक और कर जोखिमों के आकलन में उपयोग की गई अवधारणाओं का मूल्यांकन। iii. विधि और कर विभागों के प्रमुख विवादों की स्थिति की जांच, और हमें प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच। iv. मौजूदा विवादों के संभावित परिणामों के संबंध में प्रबंधन की ओर से प्रस्तुतिकरण v. खातों की टिप्पणियों के पर्याप्त प्रकटीकरण का मूल्यांकन।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
4.	कर्मचारी कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान सीपीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ के आधार पर कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि उस वर्ष में आवश्यक प्रावधान किए गए हों। पिछले वित्तीय वर्ष के परिणामों को भारतीय लेखा मानक नियमों और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूर्व अवधि के समायोजनों हेतु पुनः दोहराया गया है, जो पूर्व के वर्षों के कर पूर्व लाभ को प्रभावित करता है।	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: i. यह निर्धारित करने हेतु कि कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान की गणना किस प्रार की जाती है सीपीएसई दिशानिर्देशों की जांच ii. पुनः व्यक्त संशोधनों पर किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित विभाग से पूछताछ। iii. वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों की जांच और उनके आधार पर सर्वाधिक कार्यात्मक कार्यनीति का चयन करना। iv. कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि, सीपीएसई संबंधित किसी भी अनुदेशों के अनुसार, ऐसे समायोजनों पर वास्तविक वितरण के समय विचार किया जाएगा। अतिरिक्त समायोजन (यदि कोई हो) पर वास्तविक भुगतान के समय विचार किया जाएगा। गणनाओं को संबंधित वर्ष के लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों के आधार पर पूर्व अवधि के समायोजनों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर पूर्व लेखापरीक्षा लाभ के आधार पर किया गया है।
5.	आस्थगित कर परिसंपत्तियां समूह ने आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता दी है। इस आस्थगित कर संपत्ति की पुनर्प्राप्ति भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपयोगिता के सृजन जो कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी हकदारिता पर निर्भर करती है। आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता हेतु भावी कर योग्य लाभों की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती इसलिए हमने इस मामले की प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है (संदर्भ वित्तीय विवरण नोट संख्या - ५)	हमने समूह के प्रबंधन के भविष्य के राजस्व, कर योग्य लाभ के पूर्वानुमान से संबंधित निर्णय का मूल्यांकन किया है और इन पूर्वानुमानों को तैयार करते समय अभिमतों, अवधारणाओं की उचितता का मूल्यांकन किया है। उपरोक्त निष्पादित प्रक्रिया के आधार पर, आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता और माप को पर्याप्त और उचित माना गया।

मामलों पर जोर

1. विवादित दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। आकस्मिक देनदारियाँ ऐसी स्थिति में विकसित हो सकती हैं जहां वे प्रारंभ में अपेक्षित नहीं थी। इसलिए, इनका निरंतर आंकलन किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है। यदि यह संभावित हो जाता है कि भावी आर्थिक लाभों का बहिर्वाह किसी ऐसे मद हेतु आवश्यक होगा जिसे पूर्व में आकस्मिक देनदारी के रूप में देखा गया था, तो उस अवधि के वित्तीय विवरणों में एक प्रावधान के रूप रखा जाता है जिसमें संभावित परिवर्तन होता है (अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान व्यक्त नहीं किया जा सकता)।

2. कंपनी अपने बहीखातों का विकेन्द्रीकृत तरीके से रख रखाव करती है, जिसके अंतर्गत निगमित कार्यालय वित्तीय रिकॉर्ड और खातों का रख रखाव करता है और स्थल (साइट) कार्यालय अनुबंध माप, निरीक्षण लॉग, प्रगति समीक्षा दस्तावेज आदि से संबंधित भौतिक रिकॉर्ड का रख रखाव किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने "फॉक्सप्रो 2.60" से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) की ओर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसे अनुकूलित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ईआरपी सॉफ़्टवेयर स्थापना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई।

कंपनी ने अक्टूबर 2023 से ईआरपी मॉड्यूल में काम करना शुरू किया और 01/04/2024 से कार्यात्मकता प्राप्त की।

3. हमारे विचार में कंपनी को पिछले अवधि के लेनदेन को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह बाद के वर्षों में पायी गई त्रुटियों और चूक को दर्शाता है।

4. वसूली योग्य दावों के शेष, व्यापार प्राप्तियों, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देयताओं और ठेकेदारों से सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 39, जो पुष्टि और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के शर्ताधीन हैं।.

   इसके अलावा, समयबद्ध रूप से पक्ष के पास शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि पक्षों को भेजे गए पुष्टिकरण अनुरोधों की एक बड़ी संख्या का उत्तर नहीं दिया गया है। लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि और प्राप्त पुष्टि के अनुसार शेष राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, पुनर्मिलान के अधीन रहेगा। लंबित समाधानों या शेष पुष्टिकरणों के वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में आकलन नहीं किया गया है।

   ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें व्यापार देयताओं के बारे में पुष्टि प्राप्त हुई है, लेकिन पक्षों ने शेष राशि में विसंगतियों का दावा किया है जिसे समूह ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसी बाह्य पुष्टिकरणों के अभाव में, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए अनुबंध भिन्नताओं (यदि कोई हो) की पहचान नहीं की जा सकी, और न ही ऐसे विलंबित डिलीवरी शुल्कों या कटौतियों का हिसाब लगाया गया है, रिकॉर्ड में रखा गया है, या समूह द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्येक पक्ष के साथ वित्तीय पुनर्मिलान वित्तीय निहितार्थ निर्धारित करेगा।

5. नोट 51- व्यवसाय निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में समूह उन एमएसई विक्रेताओं से वस्तु और सेवाओं की अधिप्राप्ति कर रहा है, जिनके साथ समूह ने ग्राहक द्वारा संबंधित भुगतान जारी करने के पश्चात् वस्तु और सेवाओं (एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई) को स्वीकार करने के बाद भुगतान करने का समझौता किया है। इस प्रकार समूह एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपनी पुस्तिकों में कोई ब्याज नहीं दे रहा है। हालाँकि, चूंकि समूह का मानना है कि इन एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान सहमत शर्तों के अनुसार किया गया है और उनके द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है, इसलिए इन विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया शेष राशि पर समूह द्वारा कोई ब्याज नहीं रखा गया है। हमारा मानना है कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार, समूह एमएसई विक्रेताओं द्वारा दावा किए जाने पर देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

6. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाप्कोस लिमिटेड के पिछले मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक संपत्ति है। पूर्व सीएमडी ने 01.04.2011 से 31.03.2019 तक के कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनके विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसमें २० करोड़ रुपये (लगभग) की भारी नकदी, बड़ी मात्रा में आभूषण, मूल्यवान वस्तुएं और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मामला पिछले प्रबंध निदेशक से संबंधित है, और उनकी ओर से कार्य करने वाले प्रबंधन को व्यवसाय या उसके कर्मचारियों पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव की आशंका नहीं है। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार मामला पिछले प्रबंध निदेशक से संबंधित है, और उनकी ओर से कार्य करने वाले प्रबंधन को व्यवसाय या अपने कर्मचारियों पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव की आशंका नहीं है।

7. परियोजना ओपीडीसी-कौशल्या गंगा, खंड I (36.29 लाख रुपये) और खंड II (45.36 लाख रुपये) के संबंध में सहायक कंपनी के भुवनेश्वर एसईजेड जोन में 81.65 लाख रुपये (जीएसटी छोड़कर) की राजस्व राशि की गैर मान्यता से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 89 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहायक कंपनी और समूह द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

8. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने इंगित किया कि सहायक कंपनी शेष राशि जारी करने के बारे में अनिश्चित है क्योंकि मेसर्स वर्ल्ड फिश (इस कार्य के लिए ग्राहक एफ एंड एआरडी विभाग का तृतीय पक्ष सलाहकार) ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया है और अंतिम मात्रा का पता मत्स्य विभाग से अंतिम पुष्टि

के बाद ही लगाया जा सकता है। जैसा कि उन्हें सूचित किया गया है, उक्त सलाहकार की तकनीकी रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई है जो भुगतान जारी करने की अंतिम शर्त है। सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने सहायक कंपनी के प्रबंधन की प्रस्तुतिकरण पर भरोसा किया है।

उपर्युक्त के आधार पर समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान वास्तविक रूप से पूर्ण किए गए कार्य की शेष राशि को राजस्व के रूप में शामिल नहीं किया है।

9. नोट संख्या 92, सहायक कंपनी को बिहार में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा गया था। सहायक कंपनी ने उक्त कार्य के निष्पादन के लिए मेसर्स रांची डिजाइन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उप-ठेकेदार नियुक्त किया। कार्य निष्पादन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए और ठेकेदार ने बकाया राशि 16.30 लाख रुपये और 23.86 लाख रुपये तथा उपार्जित ब्याज के लिए दो मामले दायर किए। झारखंड सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने उप-ठेकेदार के पक्ष में 191.99 लाख रुपये का निर्णय दिया। सहायक कंपनी ने इस निरणय को चुनौती दी है, और मामला झारखंड के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के तहत वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सहायक कंपनी ने 1.44 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जो कि निर्धारित राशि का 75% है, जिसका प्रकटीकरण अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत नोट संख्या 12 में "विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकारियों के पास जमा की गई राशि" के तहत किया गया है।

सहायक कंपनी के प्रबंधन प्रतिनिधित्व और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कानूनी राय के आधार पर कोई निश्चित् देयता उत्पन्न नहीं होगी। तदनुसार, सहायक कंपनी ने 264.69 लाख रुपये (ब्याज सहित) की विवादित मांग को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया है। इसे समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में भी आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

10. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 53 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि समूह की लेखांकन नीति के अनुसार, निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा जमा (एसडी) और बयाना राशि जमा (ईएमडी) जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी है। हालाँकि, कुछ लेन-देन की जटिल प्रकृति के कारण, जिसमें आरए बिलों से जुड़े समझौतों के कम-ज्यादा होने वाले कार्यकाल और कटौतियाँ शामिल हैं, एसडी/ईएमडी राशियां उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि इन राशियों में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है और अनुबंधों के तहत ठेकेदार के गैर-प्रदर्शन के विरूद्ध समूह के हितों की रक्षा के लिए रोक दिया गया है।

11. नोट संख्या 73, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान के गैर सृजन के संबंध में, सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 333वीं बैठक में 01.01.2007 को या उससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के लिए पीबीटी के 1.5% तक का योगदान करके एक कोष तैयार करने पर विचार करने का फैसला किया। बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को शामिल करने वाली एक समान नीति स्थापित करने के लिए एक आकलन किया जाए। हालांकि, आवश्यक राशि की मात्रा और वितरण योजना तैयार करने के संबंध में बोर्ड के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक, कोष निधि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सहायक कंपनी के प्रबंधन ने सूचित किया है कि सहायक कंपनी उक्त योजना के लिए नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

12. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 12 और नोट संख्या 20 बी, जो सहायक कंपनी के संबंध में सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा जीएसटी देयता सहित सांविधिक बकाया राशि का प्रकटीकरण करते हैं, जो क्रमशः 86.09 करोड़ रुपये और 79.99 करोड़ रुपये है। सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने इंगित किया है कि सहायक कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कहा है कि ये शेष राशि जीएसटी पोर्टल पर

दिखाई देने वाले आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाती है। मिलान प्रक्रिया जारी है और अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने के बाद पूरा होने की उम्मीद है। पूर्ण सूचना के अभाव में, मिलान से उत्पन्न होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है या उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

13. वर्ष के दौरान समूह ने अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के मूल्यांकन के लिए अपनी कार्यप्रणाली को मौजूदा आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स से बदलकर एक्चुरियल आधारित मूल्यांकन कर दिया था। समूह ने एक्चुरियल रिपोर्ट के अनुसार ईसीएल प्रावधान किया है और हमने उसी पर भरोसा किया है (नोट संख्या-54)।

    उपर्युक्त के कारण, चालू वित्त वर्ष के लिए समूह के लाभ में 8878.64 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और 31.03.2023 तक पिछले वर्षों के लिए 20248.34 लाख रुपये का प्रावधान को एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार रिजर्व और अधिशेष के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

14. चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित नोट संख्या 91, समूह दीर्घकालिक अनुबंधों से जुड़ी निर्माण कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है, जहाँ परियोजनाओं की बदलती प्रकृति और अवधि परिचालन चक्र को निर्धारित करना मुश्किल बनाती है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार, समूह ने 12 महीने के डिफ़ॉल्ट परिचालन चक्र के आधार पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत किया है। चालू परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं जिनके रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर प्राप्त होने, बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना है, जबकि गैर-चालू परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं जिनके इस अवधि के भीतर प्राप्त होने की संभावना नहीं है। सहायक कंपनी के मामले में, चालू और गैर-चालू का वर्गीकरण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में संबंधित जोन में निर्धारित किया जाता है।

15. नोट संख्या 76, "महाकाली सिंचाई परियोजना, नेपाल" के अंतर्गत जब्त की गई परिसंपत्तियों के प्रावधान से संबंधित। परियोजना को वर्ष 1993 में ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। परियोजना स्थल पर सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया था और बाद में वर्ष 2008 में ग्राहक द्वारा नीलाम कर दिया गया था। सहायक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जब्त की गई परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया है।

16. नोट संख्या 94, सहायक कंपनी सिमाद्री, ओडिशा में मेसर्स ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) के लिए एक परियोजना का निष्पादन कर रही थी, जिसे वर्ष 1993 में ओएचपीसी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे और मामले को ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव के माध्यम से निपटान के लिए भेजा गया था। बैठकों के दौरान, सहायक कंपनी को ओएचपीसी के पक्ष में 28 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। सहायक कंपनी ने उल्लिखित क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया और इसकी अवधि दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो गई। ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव के माध्यम से निपटान के समानांतर, ओएचपीसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया और ब्याज सहित दावा किया। एनपीसीसी ने मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ओएचपीसी का दावा समय सीमा पार कर चुका है और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसने अनुमति दे दी और कहा कि "इस न्यायालय का मत है कि मध्यस्थता शुरू करने का ओएचपीसी का कदम बहुत देरी से उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करने और मध्यस्थ की नियुक्ति का निर्देश देने में गलती की। इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। "तदनुसार, सहायक कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 से कोई ब्याज देयता दर्ज नहीं की है।

17. नकदी की गई गारंटियों के समायोजन के संबंध में नोट संख्या 93, सहायक कंपनी झारखंड में पीएमजीएसवाई परियोजना के तहत काम कर रही थी। गैर-प्रदर्शन के कारण, सहायक कंपनी ने पिछले वर्ष में विभिन्न उपठेकेदारों से 890.87 लाख रुपये की गारंटियां भुना लीं, जिसे नोट संख्या 18ए में "अन्य गैर-चालू वित्तीय देनदारियां - अन्य देयताएं" के तहत वर्गीकृत किया गया है। सहायक कंपनी का झारखंड जोन वर्तमान में इन गारंटियों की समयसीमा-वार और परियोजना-वार

विवरण की पहचान करने की प्रक्रिया में है, ताकि सहायक कंपनी के लेखा-बही में आवश्यक समायोजन किया जा सके।

18. परियोजना प्राधिकरण द्वारा सावधि जमा के नकदीकरण से संबंधित नोट संख्या 79 कि सहायक कंपनी को यूजेवीएनएल द्वारा कुछ कार्य सौंपे गए थे, जिनकी राशि 795.90 लाख रुपये थी, जो सुरक्षा जमा/ईएमडी से संबंधित है। इसमें परियोजना प्राधिकरण, यूजेवीएनएल के पास जमा सावधि जमा में रखे गए 645.19 लाख रुपये शामिल हैं, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है। परियोजना प्राधिकरण ने बैलेंस शीट की तिथि अर्थात 31 मार्च 2024 के बाद गिरवी सावधि जमा को भुनाया गया।

    सहायक कंपनी के अनुसार, अंतिम बिल के निपटान के समय ग्राहक द्वारा यह राशि वापस कर दी जाएगी। सहायक कंपनी इस राशि की वसूली संबंधी मामले पर विचार कर रही है।

    उपर्युक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना

समूह का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा विचार करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य सूचना वास्तविक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

समूह का का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो भारतीय लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में अन्य व्यापक आय, परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में प्रत्येक कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल, प्रत्येक कंपनी को गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने हेतु समूह की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा भी लागू हो, गोइंग कन्सर्न और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने से संबंधित मामले, जब

तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहा हो, के लिए ज़िम्मेदार हैं।

समूह में प्रत्येक संस्था का प्रबंधन एवं निदेशक मंडल संबंधित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने, जिसमें हमारी राय भी शामिल है, के लिए है। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्याकथन का पता लगाएगी, यदि यह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में, वे इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित हो सकती हैं।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम-

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, की जोखिमों, उन जोखिमों के लिए जिम्मेदार डिज़ाइन और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते है जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त होते है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना(ओवरराइड) शामिल हो सकती हैं।

- उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार करने के क्रम में लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझते है जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन भी करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में समूह की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, के संबंध में भी निष्कर्ष निकालते है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, या राय संशोधित करने के लिए, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने को रोकने का कारण बन सकती हैं।

- हम समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का प्रकटीकरण सहित मूल्यांकन भी करते हैं, और यह भी पता लगाते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व उस रूप में करता है, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त कर सकते हैं।

मैटेरियलिटी, समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है जिससे कि ससमेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मैटेरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में होल्डिंग कंपनी के शासन के उन प्रभारित अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम प्रशासन के उन प्रभारित अधिकारियों को एक स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता का पालन करने, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के उन प्रभारित अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस तरह की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणामों की समुचित अपेक्षा है।

अन्य मामले

1. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को 2736.59 करोड़ रुपये (समेकित समायोजन से पहले) की कुल परिसंपत्ति में समूह की हिस्सेदारी, 1650.75 करोड़ रुपये के कुल राजस्व में समूह की हिस्सेदारी (समेकित समायोजन से पहले) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 108.33 करोड़ रुपये (समेकित समायोजन से पहले) के निवल नकदी प्रवाह में समूह की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और जहां तक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. कुछ अनुबंधों के संबंध में समूह ग्राहकों से जमाराशि प्राप्त कर रहा है, जिस पर जीएसटी देयता का भुगतान सेवाओं के प्रावधान के समय किया जा रहा है, न कि जमाराशि की प्राप्ति के समय। समूह को जीएसटी विभाग द्वारा लगाए गए ब्याज और जुर्माना का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसकी मात्रा वर्तमान में अनिश्चित है। (नोट संख्या - 56 देखें)

3. सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया कि वे समीक्षाधीन अवधि के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप वे सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आमतौर पर समाधान किए गए मामलों से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित गैर-अनुपालन या परिणामी प्रभावों को सत्यापित या टिप्पणी करने में असमर्थ थे।

इन मामलों के संबंध में हमारे विचार में कोई बदलाव नहीं आया है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम, सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, कानून द्वारा यथा आवश्यक लेखों की उचित बही अभी तक रखी गई हैं जैसा कि यह उन बहियों द्वारा हमारी जाँच से प्रकट होता है;

   (ग) समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य बड़ी आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए

नकदी प्रवाह के समेकित विवरण, लेखा की प्रासंगिक बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंड-एएस का अनुपालन करते हैं।

(ङ) होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से 31 मार्च 2024 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसे रिकॉर्ड में लिया गया और इसकी सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, समूह की कंपनी के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के कारण 31 मार्च 2024 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(च) होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन के प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 4631 (ङ) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार छूट को ध्यान में रखते हुए यह कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, यथा संशोधित, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, के आधार पर;

(क) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2024 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव प्रकट करते हैं (संदर्भ टिप्पणी 56 देखें)।

(ख) समूह को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान गौण अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है।

(ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा धोखाधड़ी के लिए हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(घ) i. समूह ने अभ्यावेदन दिया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ द्वारा समूह या उसकी सहायक कंपनी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

ii. प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है)

समूह या उसकी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी, फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

iii. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(ट) (क) समूह ने वर्ष के दौरान किसी भी अंतरिम लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(ख) (i) वर्ष के दौरान, समूह की होल्डिंग कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में 25.00 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया था, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

(ii) वर्ष के दौरान, समूह की सहायक कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में 14.01 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया था, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

(ग) (i) इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 25.00 करोड़ रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया है। हालाँकि, लाभांश की घोषणा शेयरधारकों की स्वीकृति के शर्ताधीन होल्डिंग कंपनी की वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 25.00 करोड़ रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया है। हालाँकि, लाभांश की घोषणा सहायक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के शर्ताधीन की जाएगी।

vi) होल्डिंग कंपनी

हमारी जांच जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों के रखरखाव हेतु "फॉक्सप्रो 2.60" का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है और यह पूरे वर्ष रिकार्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन हेतु सॉफ़्टवेयर में संचालित रहा। परिणामस्वरूप, हम मौजूदा सॉफ़्टवेयर की ऑडिट ट्रेल विशेषता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हालाँकि, कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-2025 से ईआरपी प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कहा है कि उनकी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल हैं, सहायक कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने बहीखातों के अनुरक्षण हेतु एक लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। हालाँकि, वर्ष के दौरान सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के संबंध में इसका संचालन नहीं किया गया है और इसलिए वे उक्त सॉफ़्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

चूंकि कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू हैं, इसलिए अभिलेख प्रतिधारण हेतु सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(च) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की रिपोर्टाधीन अवधि के

संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथा आवश्यक है, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ग" में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
साझेदार
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 20/01/2025
यूडीआईएन: 24091192BKARDY8019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क”

(मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1 (च) देखें

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक उस तिथि तक समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में वाप्कोस लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए संबंधित कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अधिनियम के तहत यथा आवश्यक, संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ("मार्गदर्शन नोट") की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस बात का आकलन करना कि वास्तविक कमजोरी मौजूद है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उपयुक्त विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और सटीक रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याकथन हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान, इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत

होल्डिंग कंपनी

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी में सभी महत्वपूर्ण आयामों की वित्तीय जानकारी से संबंधित एक उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय रिर्पोटिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग मानदंड पर आधारित है।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक अस्वीकरण राय दी है, जिसमें कहा गया है कि सहायक कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय रिर्पोटिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस कारण से वे 31 मार्च 2024 को, चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों अथवा नहीं, अपने अभिमत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे।

यह कि सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित वास्तविक कमजोरियों को बताया है, जबकि यह कहते हुए कि ऐसी कमजोरी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उनकी राय को प्रभावित नहीं करती है:

i. सहायक कंपनी के पास वसूली योग्य दावों, व्यापार प्राप्तियों, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय राशि, परियोजना प्राधिकरणों को/से शेष राशि और ठेकेदारों/परियोजना प्राधिकरणों को/से बकाया सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध करने की एक प्रणाली है। हालांकि, हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी व्यापार प्राप्तियों और अन्य वसूली योग्य और अधिकांश देय राशियों के संबंध में पुष्टिकरण प्राप्त करने और आवधिक समाधान तैयार करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश व्यापार प्राप्य या तो केंद्र या राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / नगर प्राधिकरण और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के तहत अन्य स्वायत्त निकाय हैं। इसलिए, हमारा अभिमत है कि उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए कंपनी को इसे और अधिक सक्रिय रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।

ii. बंद इकाइयों के विभिन्न लेखा शीर्षों में पड़े डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के समाधान के संबंध में सहायक कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

iii. सहायक कंपनी के पास संविदात्मक शर्तों की तुलना में ठेकेदारों के दावों का मूल्यांकन करने की उचित प्रणाली नहीं है, जिसके कारण बढ़ते ब्याज बोझ के साथ बड़ी संख्या में मुकदमे और निपटान होते हैं। समय पर देयता का निर्धारण न करने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और सहायक कंपनी के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

iv. हमारी राय में, अनुबंध/समझौते पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं, अनुबंधों/समझौतों में कानूनी जांच के अभाव में विभिन्न नकारात्मक परिणाम और इसमें शामिल पक्षों के लिए संभावित जोखिम हो सकता है।

v. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह भी पाया है कि संविदा कर्मचारी और परामर्शदाता जैसी अन्य एजेंसियां परिचालन कामकाज के साथ-साथ भुगतान प्रक्रिया में भी शामिल हैं जो पूरी तरह से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रक्रिया के विरूद्ध है।

vi. वित्तीय विवरण आतंरिक स्तर पर तैयार नहीं किए जाते हैं जो आंतरिक नियंत्रण की एक बुनियादी कमजोरी है। आंतरिक्त स्तर पर वित्तीय विवरण तैयार न करने को वास्तव में किसी भी संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण की मूलभूत कमजोरी माना जा सकता है। परिसंपत्तियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, विश्वसनीय और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित प्रक्रियाएं, पद्धतियां और अभ्यास हैं।

vii. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने बताया है कि गणना पुस्तिका को समय पर अद्यतन नहीं किया जाता है जिससे गणना और उसके अनुरूप आंकड़ों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। सहायक कंपनी को माप पुस्तिका को वास्तविक समय में बनाए रखने, समय पर अद्यतनीकरण, बेहतर सटीकता और बढ़ी हुई डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक, सॉफ्टवेयर-आधारित समाधान अपनाने पर विचार करना चाहिए।

viii. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने बताया है कि साइट पर सामग्री की आपूर्ति के लिए अग्रिम को अक्सर सुरक्षित अग्रिम के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में इन प्रक्रियाओं के हटने से संभावित जोखिम और समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

ix. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने बताया है कि ग्राहकों या परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त अग्रिम पर देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को समय पर जमा नहीं करने पर संभावित जुर्माना और ब्याज शुल्क लग सकता है। इन मामलों से बचने और जीएसटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इससे संबंधित प्रक्रिया में सुधार लागू करना महत्वपूर्ण है।

x. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने कहा है कि लेखांकन अभिलेख के बेहतर नियंत्रण और सत्यनिष्ठा हेतु यह आवश्यक है कि देनदारियों और प्राप्यताओं का पक्ष-वार विभाजन बनाए रखा जाए। हालांकि, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, भुवनेश्वर, शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उप-ठेकेदारों और परियोजना अधिकारियों के संबंध में देनदारियों और प्राप्यताओं के पक्ष-वार विभाजन को गणना में शामिल नहीं किया गया।

xi. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने कहा है कि सहायक कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हेतु आवश्यक मेकर एंड चेकर प्रणाली का पालन नहीं कर रही है।

xii. सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने कहा है कि सहायक कंपनी के पास टैली (लेखांकन सॉफ़्टवेयर) के डेटा बैकअप हेतु एक समान नीति का अभावा है, जिससे डाटा हानि के जोखिम में वृद्धि होती है। डाटा सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु एक मानकीकृत, सुरक्षित बैकअप प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह महत्वपूर्ण कमी, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, जो इस यथोचित संभावना की पुष्टि करता है कि समूह/कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण गलत जानकारी को समय पर रोका या पहचाना नहीं जा सकेगा।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
साझेदार
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 20/01/2025
यूडीआईएन: 25091192BMLBJS1965

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

अधिनियम की धारा 143(5) के तहत, और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय मामलों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत लागू दिशा- निर्देश

1. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली मौजूद है? अगर हाँ, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, के साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थों का उल्लेख करें।

होल्डिंग कंपनी

जी हाँ, समूह की होल्डिंग कंपनी के पास डीबीएमएस प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली मौजूद है। समूह ने अक्टूबर 2023 से ईआरपी मॉड्यूल में काम करना शुरू किया और 01/04/2024 से कार्यक्षमता प्राप्त कर ली है।

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने ऐसा कोई भी लेन-देन सामने नहीं आया जो आईटी प्रणाली से बाहर का हो और जिसके वित्तीय निहितार्थ हो।

सहायक कंपनी

संविधानिक लेखा परीक्षकों ने सहायक कंपनी के बारे में कहा कि सहायक कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने हेतु प्रणाली मौजूद है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कंपनी टैली लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रही है। हालाँकि, इसके पास कार्य आदेश, प्राप्तियों और देनदारियों के प्रबंधन हेतु कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। यह कहा गया है कि सहायक कंपनी टैली में उपलब्ध लागत केंद्र और सांविधिक अनुपालन कार्यों का उपयोग नहीं कर रही है।

सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कि वह लेखांकन लेनदेन में किसी भी प्रकार की त्रुटियों/गलतियों से बचने के लिए टैली सॉफ़्टवेयर में उपलब्ध सभी कार्यों का उपयोग करने का परामर्श दिया है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे वर्ष टैली लेखांकन सॉफ़्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है।

2. क्या समूह की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण समूह को ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते करने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ बताएं। क्या ऐसे मामलों को सही प्रकार से निपटान किया गया है? (यदि ऋणदाता सरकारी समूह है, तो यह निर्देश ऋणदाता समूह के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)

   उत्तर: जी नहीं।

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों के माध्यम से विशेष योजनाओं हेतु प्राप्त/प्राप्त होने वाले फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके शर्तों और नियमों के अनुसार सही तरीके से गणना की गई/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।

   उत्तर: हमें सूचित और प्रस्तुत किए गए के अनुसार, समीक्षा किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कोई ऐसी राशि प्राप्त या उपयोग नहीं की गई (डिपोजिट कार्य के अंतर्गत प्राप्त फंड व्यापार लेनदेन के लिए हैं और किसी योजना के अधीन नहीं हैं)।

उप-निर्देशन समूह

क्र. सं.	उप निर्देशन	उत्तर
1.	क्या ईसीएल प्रावधान हेतु लेखांकन अनुमान राशि की वसूली और हानि आवश्यकताओं के संबंध में सही हैं।	वर्ष के दौरान, समूह ने अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना हेतु अपनी पद्धति को संशोधित किया है, जिसमें पहले की ग्रिड मैट्रिक्स आधारित मूल्यांकन के बजाय प्रोदभूत मूल्यांकन को अपनाया गया है। हमने विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रोदभूत मूल्यांकन पर निर्भर है। ईसीएल का प्रावधान प्रोदभूत मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

(मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 देखें)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा-बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हमारा अभिमत है कि:

होल्डिंग कंपनी के मामले में

i. क. (क) होल्डिंग कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए संपत्तिवार रिकॉर्ड हैं, हालांकि न तो भौतिक संपत्तियों की कोई विशिष्ट लेखा है और न ही स्थान-वार भौतिक सत्यापन संपत्ति-पत्र में ऐसा लेखा उपलब्ध है।

(ख) होल्डिंग कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित की है।

ख. यह कि सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और औपचारिक बनाने की आवश्यकता है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के लिए आवश्यक है। ऐसी भौतिक सत्यापन रिपोर्टों की समीक्षा से विसंगतियों का पता चला जिसके संबंध में कंपनी की ओर से सुधारात्मक कार्रवाई की जानी लंबित है। प्रबंधन ने बताया है कि विसंगतियां भौतिक प्रकृति की हैं और आगामी वर्षों में भौतिक परिसंपत्तियों पर विशिष्ट अंकन जैसे पर्याप्त उपाय और सुधारात्मक उपाय जहां भी आवश्यक हो, किए जाएंगे। समूह की होल्डिंग कंपनी प्रबंधन को तत्काल उपचारात्मक उपायों की सलाह दी जाती है।

ग. जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है और हमें प्रदान किए गए हस्तांतरण डीड के लिए संपत्ति कर प्राप्तियों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट अचल संपत्तियों के स्व-निर्मित भवन और शीर्षक डीड बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं।

घ. समूह की होल्डिंग कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड. वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत निर्मित नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. क. समूह की होल्डिंग कंपनी के पास किसी प्रकार की इन्वेंटरी नहीं है और इसलिए आदेश की धारा 3(ii)(क) के तहत जानकारी लागू नहीं है।

ख. यह कि बैंकों में दाखिल किए गए विवरण बही खातों के साथ मेल खाते हैं।

iii. (क) यह कि प्रदान की गई जमानत, गारंटी और ऋण के संबंध में:

क. यह कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य संस्था को ऋण अथवा गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति की प्रकृति का ऋण अथवा

अग्रिम राशि प्रदान नहीं है। इसलिए,आदेश की धारा 3 (iii)(क) के अंतर्गत जानकारी लागू नहीं है।

ख. यह कि कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी या समूह कंपनी को सुरक्षा और प्रतिभूति प्रदत्त नहीं की है और इसलिए, धारा (iii)(क)(ख) लागू नहीं है।

(ख) यह कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल पक्षकारों को पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं, और उपधारा (iii)(ख) लागू नहीं है।

(ग) कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ग) लागू नहीं होता है।

(घ) कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ङ) लागू नहीं होता है।

(च) कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (च) लागू नहीं होता है।

iv. कि समूह की होल्डिंग कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iv) लागू नहीं होता है।

v. समूह की होल्डिंग कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत शामिल माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. समूह की होल्डिंग कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. सांविधिक देय राशि के संबंध में:

(क) समूह की होल्डिंग कंपनी आयकर, उपकर और उस पर लागू अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि उचित अधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2024 तक बकाया नहीं थी।

(ख) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2024 तक सांविधिक बकाया राशि हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई शेष वैधानिक बकाया नहीं था जिसे निम्नलिखित के अलावा अधिकारियों के साथ विवाद के कारण जमा किया गया है:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	वह फोरम, जहां यह विवाद लम्बित है	जिस अवधि से संबंधित (वित्त वर्ष)	राशि रुपए में	वर्तमान स्थिति
			प्रत्यक्ष कर मामले			
1	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2000-01	500000	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
2	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2005-06	2114543	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
3	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2016-17	220320	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
4	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2009-10	26873896	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
5	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर विभाग	2013-14	2523255	मामले का पहले ही निपटान हो चुका है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यह ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है।
6	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2016-17	13743306	वर्चुअल सुनवाई के दौरान दायर अपील के संबंध में उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2019-20	129792413	अपील दायर की गई और सुनवाई पूरी हो चुकी है।
8	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2020-21	10589630	अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आवेदन दायर किया है।
9	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2021-22	83234430	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई और सुनवाई हो गई है।
10	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी अपील	2022-23	53535327	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई।

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	वह फोरम, जहां यह विवाद लम्बित है	जिस अवधि से संबंधित (वित्त वर्ष)	राशि रुपए में	वर्तमान स्थिति
			अप्रत्यक्ष कर मामले			
1	वस्तु एवं सेवा कर	उत्तराखंड जीएसटी		2017-18	40527683	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
2	वस्तु एवं सेवा कर	जम्मू और कश्मीर		2019-20	527437	अपील दायर की जानी है
3	वस्तु एवं सेवा कर	राजस्थान		2017-18	3297196	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
4	वस्तु एवं सेवा कर	बिहार		2016-2021	23082078	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
5	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2017-18	2277342	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
6	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2018-19	6153698	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है
7	वस्तु एवं सेवा कर	केरल		2019-20	17886272	अपील दायर की जानी है
8	वस्तु एवं सेवा कर	तमिलनाडु		2018-19	14390873	अपील दायर की गई सुनवाई प्रतीक्षित है

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) समूह की होल्डिंग कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) यह कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के संदर्भ में हमारे रिकॉर्ड में कोई उदाहरण या जानकारी नहीं आई है।

(ग) यह कि ऋण का उसी उद्देश्य के लिए अनुप्रयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे,

(घ) समूह की होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) समूह की होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों की पूर्ति हेतु किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी प्रकार की राशि नहीं ली है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश की धारा 3(ix)(च) के अंतर्गत सूचना लागू नहीं है।

x. (क) समूह की होल्डिंग कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर (ऋण डेब्ट सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) वर्ष के दौरान, समूह की होल्डिंग कंपनी ने किसी भी प्राथमिक आवंटन या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक) के निजी नियोजन नहीं किए हैं और इसलिए आदेश की धारा 3(x)(ख) के अंतर्गत सूचना लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला या रिपोर्ट सामने नहीं आई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमने वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

xii. समूह की होल्डिंग कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों, जहां लागू हो, के संबंध में प्रयोज्य लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि प्रयोज्य लेखा मानकों में आवश्यक है।

xiv. (क) हमारी राय में समूह की होल्डिंग कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

xv. वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या जुड़े व्यक्तियों द्वारा किसी भी संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

xvi. हमारी राय में, समूह की होल्डिंग कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग उपयुक्त नहीं है।

xvii. समूह की होल्डिंग कंपनी ने हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं उठाई है।

xviii. वर्ष के दौरान समूह की होल्डिंग कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपातों के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय देनदारियों/अन्य जानकारी का भुगतान और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर / हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को मौजूदा अपनी देनदारियों और जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हाँलाकि हमारा अभिमत है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय और जैसे भी और जब भी वे देय हो जाते हैं, सभी देनदारियां समूह की होल्डिंग कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

xx. (क) निगमित सामाजिक दायित्व ("सीएसआर") के तहत अन्य जारी परियोजनाओं के लिए 1.09 लाख (विगत वर्ष 203.97 लाख रूपये) की अव्ययित राशि को एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे उपबंध के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में इसे स्थानांतरण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यह कि ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अव्ययित राशि बनी हुई है, इसलिए खंड (xx) (ख) लागू नहीं होता है।

xxi. यह कि उपर्युक्त रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित है और इसलिए खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि :

(i) क. (क) सहायक कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सभी विवरणों, जिसमें मात्रात्मक जानकारी और स्थिति शामिल है, का सही रिकॉर्ड रखा है, लेकिन सभी आवश्यक कॉलम को समय पर अद्यतन नहीं किया गया है, जिसे पूर्ण प्रकटीकरण करने में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) सहायक कंपनी ने आमतौर पर अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले उचित रिकॉर्डों को बनाए रखा है।

ख. हमें दी गइ जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी वर्ष के अंत में अपने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करती है, सिवाय कुछ बंद इकाइयों के जहाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परियोजना प्राधिकरणों की सुरक्षा में हैं। जैसा कि स्पष्ट कियाि गया है, वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण असमानताएँ नहीं पाई गई। हमारे विचार में, सहायक कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए, भौतिक सत्यापन अथ्वा इसकी आवृत्ति उचित है।

ग. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार सहायक कंपनी के अभिलखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में घोषित सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक/लीज डीड (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां सहायक कंपनी पट्टेदार है, और पट्टे के अनुबंध वैधानिक रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) सहायक कंपनी के नाम पर किए गए हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी कोई भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(i)(घ) का प्रावधान लागू नहीं है।

ड. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी के खिलाफ बिनामी संपत्ति रखने के लिए बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत निर्मित नियमों के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) क. हमें प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, सिवाय उन सामग्रियों के जो बंद स्थलों पर हैं जहाँ सहायक कंपनी की पहुँच नहीं है। परियोजना प्राधिकरणों द्वारा रोक रखी गई कुछ इन्वेंट्री के संबंध में टिप्पणी 37 को देखें।

ख. हमारी राय में और हमें दी गईजानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी द्वारा वर्ष कभी भी पांच करोड़ रुपये से अधिक का कोई कार्यशील पूंजी सीमा अनुमोदित नहीं की गई है।

(iii) सहायक कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को जो कंपनियों अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 189 के तहत पंजीकृत हैं, कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित अनुदत्त नहीं किया है;

(iv) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी ने किसी भी ऋण को मंजूरी या किसी भी प्रकार निवेश नहीं किया है या किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है जिस पर अधिनियम की धाराएँ 185 और 186 लागू होती हैं;

(v) सहायक कंपनी ने ऐसे किसी भी डिपोजिट को स्वीकार नहीं किया है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश या कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या अन्य संबंधित प्रावधान लागू हों;

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 के उपधारा (1) के अंतर्गत सहायक कंपनी द्वारा संचालित व्यापार गतिविधियों के संबंध में किसी अभिलेख रखरखाव लागत को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के कॉलम (vi) के अंतर्गत जानकारी प्रकट करना सहायक कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, पीएफ, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस, वस्तुओं और सेवा कर सहित उन गैर विवादित सांविधिक देय संबंध में जो बही खातों में घटाए /जमा किए गए हैं और अन्य सांविधिक देनदारियों को सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से जमा किया गया है और वर्ष की समाप्ति पर 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमें बताया गया, सहायक कंपनी पर कर्मचाररियों के राज्य बीमा और उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी द्वारा विवादों के कारण 'परिशिष्ट 1' में उल्लेखित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर और जीएसटी के कारण बाकी रकम जमा नहीं की गई है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे कोई लेन-देन नहीं हैं जो लेखा पुस्तक में दर्ज नहीं किए गए हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आकलनों के दौरान इस वर्ष में आय के रूप में प्रत्याहरित या प्रकट किया गया हो।

(ix) सहायक कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंकों, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधारी नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या व्यापक सार्वजनिक प्रस्ताव (जिसमें ऋण उपकरण शामिल हैं) और अवधि ऋण के द्वारा किसी प्रकार की धनराशि एकत्र नहीं की।

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का प्राथमिक आवंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी नहीं किए हैं और इसलिए आदेश के धारा 3(x)(ख) के प्रावधान सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी या कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आयाया रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ख) हमने वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्रीय सरकार के पास कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 13 के तहत यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत किसी भी रिपोर्ट को फॉर्म एडीटी ADT-4 में प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(xii) सहायक कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के खंड ३(xii)(क)(ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और सहायक कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धाराओं 177 और 188, जहाँ भी लागू हों, के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन को भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारे परीक्षण के आधार पर, सहायक कंपनी में उसके कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजद है। हालांकि, कंपनी को अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को उसकी आवृत्ति और समय पर पूर्णता के संदर्भ में और मजबूत करने की आवश्यकता है और साथ ही इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए।

(ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि के संबध में अब तक जारी सहायक कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और सहायक कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर,, सहायक कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) (क) सहायक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश की धारा 3(xvi) (क) लागू नहीं होती।

(ख) हमारे पास उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सहायक कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या हाउसिंग फाइनेंस गतिविधियाँ नहीं की हैं, इसलिए सहायक कंपनी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, आदेश की धारा 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ग) सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश के प्रावधान 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।

(घ) समूह के भाग के रूप में संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा साझा की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार में, समूह की कंपनी एक कोर इनवेस्टमेंट कंपनी नहीं है (कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश 2016 में यथापरिभाषित)। इस प्रकार, आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) की धाराएँ लागू नहीं हैं।

(xvii) हमारे विचार में और हमारी जांच के आधार पर, सहायक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नकद हानि वहन नहीं की है। इस प्रकार, धारा 3(xvii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का किसी प्रकार का त्याग पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता।

(xix) हमारे विचार में और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की आयु और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथि और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अनुसरण करने वाली अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई योजनाओं के आधार पर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है यह कि सहायक कंपनी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली बैलेंस शीट की तारीख पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ है।

(xx) (क) जारी परियोजनाओं के अलावा, सहायक कंपनी ने निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, वित्त वर्ष की समाप्ति की छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2013 की उपधारा (5) की दूसरी प्रावधान के अनुसार उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक कोष में अव्ययित राशि हस्तांतरित की है :

वित्तीय वर्ष	'जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त' निगमित सामाजिक उत्तरदयित्व गतिविधियों पर अव्ययित राशि	वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट राशि का हस्तांतरण	निर्धारित तिथि के बाद हस्तांतरित राशि (जमा करने की तिथि; 30 नवंबर, 2024)
2023-24	4.89 लाख	0.15 लाख	484 लाख

इस मामले को वित्तीय विवरणों के नोट 39 में प्रकट किया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रबंधन द्वारा दिए गए और प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, किसी भी जारी परियोजना के अनुसार, इसे विशेष बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) की प्रावधानों के अनुपालन में है। इस मामले का खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट 39 में किया गया है।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक कंपनी के पास कोई सहायक/संबंधित/संयुक्त उपक्रम नहीं है। तदनुसार, धारा 3(xxi) की व्यवस्था लागू नहीं होती है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 007814N

प्रदीप लखानी
साझेदार
सदस्यता संख्या 091192
दिनांक: 20/01/2025
यूडीआईएन: 25091192BMLBJS1965

परिशिष्ट-I

31/03/2024 तक किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए विवादित बिक्री कर / आयकर / सीमा शुल्क / संपत्ति कर / उत्पाद शुल्क / उपकर / सेवा कर / जीएसटी बकाया निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	जिस प्राधिकरण के पास लंबित है	राशि (रू.)	यूनिट
*1	आयकर	आयकर (वित्त वर्ष 2016-17)	आयकर आयुक्त के समक्ष अपील (अपील)	2,05,29,81,859	निगमित कार्यालय
		आयकर - ब्याज देयता (लगभग) धारा 220(2) के अंतर्गत (वित्त वर्ष 2016-17)		92,07,26,160	निगमित कार्यालय
2	आयकर	आयकर (वित्त वर्ष 2017-18)	आयकर आयुक्त के समक्ष अपील (अपील)	-	निगमित कार्यालय
3	आयकर	आयकर (वित्त वर्ष 2019-20)	आयकर उपायुक्त के समक्ष धारा 154 के तहत सुधार	48,26,040	निगमित कार्यालय
4	आयकर	आयकर (वित्त वर्ष 2021-22)	आयकर आयुक्त के समक्ष अपील (अपील) एवं धारा 143(1) के तहत आदेश के विरुद्ध आयकर उपायुक्त के समक्ष धारा 154 के तहत सुधार	-	निगमित कार्यालय
5	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	1,70,576	भुवनेश्वर जोन
6	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	10,31,307	बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (पटना)
7	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	35,66,934	छत्तीसगढ क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर)
8	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	1,26,428	निगमित कार्यालय
9	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	4,14,960	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (कोलकाता)
10	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	1,51,221	झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय (रांची)
11	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	52,982	मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल)

क्र.सं.	सांविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	जिस प्राधिकरण के पास लंबित है	राशि (रू.)	यूनिट
12	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	9,84,672	उत्तरपूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)
13	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	2,41,434	उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (गुरूग्राम)
14	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	1,77,499	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू)
15	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	39,284	दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय (बेंगलुरु)
16	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	79,087	उ. प्र. क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ)
17	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	6,97,992	उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय (देहरादून)
18	आयकर	टीडीएस डिफॉल्ट (वित्त वर्ष 2007 -08 से वित्त वर्ष 2023-24 तक)	आयकर अधिकारी के समक्ष सुधार	3,85,085	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (मुम्बई)
19	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क / सेवा कर	संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग	सीईएसटीएटी, कोलकाता	2,54,71,508	एनईआर (आईबीबीडब्लयू) अगरतला
20	बिक्री कर	मांग कर 1999-2000	सहायक आयुक्त, बिक्री कर प्राधिकरण, भुवनेश्वर	6,92,015	ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय, एसईजेड- बीबीएसआर
21	बिक्री कर	मांग कर 1999-2000	वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक	3,45,203	राउरकेला (एसटीपीपी के साथ विलय)
22	बिक्री कर	मांग कर 1997-98 1998-99 1999-2000	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक उड़ीसा	17,29,423	नाल्को दमनजोडी (एनटीपीसी सिमाद्री) एसईजेड बीबीएसआर
23	सेवा कर	सेवा कर मांग	अपीलीय न्यायाधिकरण कोलकाता	1,34,14,619	नाल्को डी टाइप क्वार्टर अन्गुल, एसईजेड बीबीएसआर
24	बिक्री कर	बिक्री कर	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक	1,30,183	एसईजेड-बीबीएसआर
25	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क / सेवा कर	सेवा कर, ब्याज और जुर्माना	आयुक्त, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क	42,72,118	सिपत, सीजेडओ रायपुर
26	छत्तीसगढ़ बिक्री कर / ई टी	बिक्री कर जुर्माना, (1984-87)	उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष अपील	15,83,000	जीजीडीयू कोनी
			कुल - रू.	**3,03,42,91,587**	

*टिप्पणी :-

आयकर विभाग ने धारा 143 (3) के अंतर्गत दिनांक 23.09.2019 आदेश के अनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए कुल 205.30 करोड़ रुपये की मांग की थी। उच्च मांग को स्थगित करने हेतु, आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2019-20 में आयकर विभाग को कुल 15.00 करोड़ रुपये जमा किए गए और मूल्यांकन वर्ष 2014-15, मूल्यांकन वर्ष 2018-19 से मूल्यांकन वर्ष 2022-23 तक के 43.50 करोड़ रुपये की वापसियों का समायोजन 16.01.2023 तक किया गया। इसके बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए 205.30 करोड़ रुपये की मांग को स्थगित कर दिया।

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समेकित यथास्थिति तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	1 अप्रैल, 2022 को यथास्थिति
संपत्ति				
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	5,193.93	5,607.16	5,426.70
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		-	-	-
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2क	688.82	738.98	1,260.22
(घ) निवेश संपत्ति	2ख	137.55	140.40	143.25
(ङ) गुडविल	-	-	-	
(च) अन्य अमूर्त संपत्ति	2C	258.88	212.44	291.96
(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		-	-	-
(ज) बियरर प्लांट्स के अलावा अन्य बायोलॉजिकल संपत्तियां		-	-	-
(i) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश	3	49.06	44.02	39.52
(ii) व्यापार प्राप्य	7क	11,165.90	11,549.16	13,114.71
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4क	21,297.40	9,067.95	38,400.53
(झ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	5	19,360.33	14,855.92	12,346.66
(ञ) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	6	960.13	955.38	1,386.97
वर्तमान संपत्ति				
(क) सूची	8	-	0.16	7.11
(ख) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	7ख	202,130.21	185,688.15	186,258.84
(iii) नकद और नकद समकक्ष	9	73,259.30	52,439.45	55,601.82
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10	150,316.86	156,236.67	131,832.03
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4B	3,980.23	3,226.60	2,326.11
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	11	18,481.94	17,826.15	16,201.58
(घ) अन्य वर्तमान संपत्ति	12	41,020.08	38,106.89	32,967.90
कुल संपत्ति		**548,300.62**	**496,695.48**	**497,605.91**
इक्विटी और देयता				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	13,000.00	13,000.00	13,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	51,528.35	42,165.36	46,812.85
मूल कंपनी के मालिकों को देय इक्विटी		64,528.35	55,165.36	59,812.85
गैर-नियंत्रण हित		376.90	309.92	272.09
कुल इक्विटी		**64,905.25**	**55,475.28**	**60,084.94**
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियों				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	18क	19,272.64	13,551.17	3,785.37
(क) पट्टा देयता	19क	498.50	495.96	936.70
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	15क	380.06	406.40	41.46
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	15क	17,680.28	16,875.93	22,316.67
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20क	55,559.60	47,917.36	41,584.85
(ख) प्रावधान	16क	9,641.52	9,023.85	8,236.46
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	17क	19,754.64	11,695.94	25,796.96
वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	18ख	3,499.98	731.17	4,299.87
(क) पट्टा देयता	19ख	306.30	418.51	522.47
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	15ख	28,927.42	32,551.70	36,560.17
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	15ख	160,097.14	128,330.52	121,005.07
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20ख	24,424.16	27,144.20	27,791.22
(ख) प्रावधान	16ख	4,246.50	3,789.96	3,705.15
(ग) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)		-	-	-
(घ) अन्य वर्तमान देयताएँ	17ख	139,106.63	148,287.53	140,938.55
कुल इक्विटी और देनदारियां		**548,300.62**	**496,695.48**	**497,605.91**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।	**टिप्पणी 1-97**			

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) **कम्पनी सचिव**	**(अतुल मेंदीरत्ता)** **महाप्रबंधक** **(वित्त)**	**(अनिल त्रिगुणायत)** **निदेशक** **(डीआईएन 07900294)**	**(पंकज कपूर)** **निदेशक (वित्त)** **(डीआईएन 07290569)**	**(आर के अग्रवाल)** **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** **(डीआईएन 09344894)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192
20 जनवरी 2025

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जनवरी 2025

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रूपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2024)	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2023)
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व	21	316,423.32	301,807.35
II	अन्य आय	22	10,098.09	9,935.75
III	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण का शुद्ध लाभ		-	-
V	**कुल आय (I+II+III+IV)**		**326,521.41**	**311,743.10**
VI	**व्यय**			
	निर्माण व्यय	23	236,729.88	221,745.94
	कर्मचारी लाभ व्यय	24	36,653.47	38,320.72
	वित्तीय लागत	25	3,239.98	2,478.12
	प्राप्त सेवाएं	26	15,411.93	18,505.93
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	27	1,085.89	1,144.56
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध हानि		-	-
	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण की शुद्ध हानि		-	-
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार संस्तुति)	28	176.44	302.23
	अन्य व्यय	29	19,499.24	28,025.43
	कुल व्यय (IV)		**312,796.84**	**310,522.93**
	पूर्व अवधि (नेटिंग)		-	-
VII	**किसी एसोसिएट्स/संयुक्त के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ/(हानि) उद्यम और असाधारण वस्तुएँ और कर (V-VI)**		**13,724.57**	**1,220.17**
VIII	**एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का भाग**		-	-
IX	**विशिष्ट मदों व कर से पहले लाभ/(हानि) (VII+VIII)**			
X	**असाधारण मदें**	30	561.53	761.36
XI	**कर से पहले लाभ/(हानि) (IX+X)**		**14,286.09**	**1,981.53**
XII	**कर व्यय**	31		
	(1) वर्तमान कर		6,826.82	4,837.58
	(2) पूर्व वर्षों हेतु आय कर		(65.16)	1,333.25
	(3) आस्थगित		(4,498.86)	(2,555.50)
XIII	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (XI-XII)**		**12,023.30**	**(1,633.80)**
XIV	**बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि)**		-	-
XV	**बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय**			-
XVI	**कर के बाद बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि) (X-XI)**			-
XVII	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX-XII)**		**12,023.30**	**(1,633.80)**
XVIII	**अन्य विस्तृत आय**			
	मदें			
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - पीआरएमएस		39.81	74.28
	आस्थगित कर प्रभाव		10.02	(18.69)
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - अवकाश नकदीकरण		(53.34)	31.29
	आस्थगित कर प्रभाव		13.42	(7.87)
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - ग्रेच्युटी		(13.59)	73.71
	आस्थगित कर प्रभाव		(1.28)	(18.55)
	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य के इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट डेजिगनेटेड में निवश लाभ/(हानि)		(5.04)	4.51
	आस्थगित कर प्रभाव		1.27	(1.13)
	मदों से संबंधित आय कर जो लाभ व हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत नहीं किए गए हैं			
XIX	**वर्ष के लिए कुल आय विस्तृत आय (कर का निवल)**		(8.72)	137.54
	वर्ष की कुल व्यापक आय		**12,014.58**	**(1,496.26)**
	लाभ/(हानि) माता-पिता के स्वामियों		**11,940.28**	**(1,683.82)**
	गैर-नियंत्रक हित		**83.02**	**50.02**
	अन्य व्यापक आय			
	माता-पिता के स्वामियों		**(8.24)**	**136.34**
	गैर-नियंत्रक हित		**(0.48)**	**1.20**
	कुल व्यापक आय			
	माता-पिता के स्वामियों		**11,932.04**	**(1,547.48)**
	गैर-नियंत्रक हित		**82.54**	**51.22**
XX	**प्रति इक्विटी शेयर आय (संदर्भ टिप्पणी सं- 34)**			
	प्रत्येक 10/- रु- मूल्य का इक्विटी शेयर			
	(1) मुल (केवल रु- में)		9.25	(1.26)
	(2) अवमिश्रित(केवल रु- में)		9.25	(1.26)
	उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ लाभ और हानि के विवरण का अभिन्न अंग है।	टिप्पणी 1-97		

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) **कम्पनी सचिव**	**(अतुल मेंदीरत्ता)** **महाप्रबंधक** **(वित्त)**	**(अनिल त्रिगुणायत)** **निदेशक** **(डीआईएन 07900294)**	**(पंकज कपूर)** **निदेशक (वित्त)** **(डीआईएन 07290569)**	**(आर के अग्रवाल)** **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** **(डीआईएन 09344894)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192
20 जनवरी 2025

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जनवरी 2025

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समेकित इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(3) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(ख) अन्य इक्विटी

(1) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ङ)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**31,883.12**	**9,016.39**	**(137.68)**	**34.28**	**-**	**42,165.36**	**309.92**	**42,475.28**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	11,940.28	-	-	-	-	11,940.28	83.02	12,023.30
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(2,500.00)	-	-	-	-	-	(2,500.00)	(15.56)	(2,515.56)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(87.46)	-	-	(87.46)	(0.64)	(88.10)
पूर्व अवधि व्यय/ आय में परिवर्तन का प्रभाव				(0.27)					(0.27)	-	(0.27)
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-		5.04	-	5.04	-	5.04
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	6.67	(1.27)	-	5.40	0.16	5.56
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(1,130.75)**	**43,823.13**	**9,016.39**	**(218.47)**	**38.05**	**-**	**51,528.35**	**376.90**	**51,905.25**

(1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ङ)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	-	-	4,469.25	33,566.94	9,016.39	(270.63)	30.90	-	46,812.85	272.09	47,084.94
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(1,683.82)	-	-	-		(1,683.82)	50.02	(1,633.80)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(3,100.00)	-	-	-	-		(3,100.00)	(13.40)	(3,113.40)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	177.67	-		177.67	1.60	179.27
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	4.51		4.51	-	4.51
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(44.72)	(1.13)		(45.85)	(0.40)	(46.25)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**31,883.12**	**9,016.39**	**(137.68)**	**34.28**	**-**	**42,165.36**	**309.92**	**42,475.28**

(2) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसी आई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ङ)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2021 तक शेष राशि	-	-	6,969.25	44,904.04	9,016.39	(434.60)	29.20	-	60,484.27	239.74	60,724.01
पूर्व अवधि व्यय/आय में परिवर्तन का प्रभाव			-	(18,216.41)	-	-	-	-	(18,216.41)	-	(18,216.41)
01 अप्रैल, 2021 तक पुनर्कथित शेष राशि	-	-	6,969.25	26,687.63	9,016.39	(434.60)	29.20	-	42,267.86	239.74	42,507.60
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	6,879.31	-	-	-		6,879.31	43.99	6,923.30
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(2,500.00)	-	-	-	-		(2,500.00)	(11.10)	(2,511.10)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	219.12	-		219.12	(0.72)	218.40
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	2.27		2.27	-	2.27
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(55.15)	(0.57)		(55.72)	0.18	(55.54)
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**-**	**-**	**4,469.25**	**33,566.94**	**9,016.39**	**(270.63)**	**30.90**	**-**	**46,812.85**	**272.09**	**47,084.94**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं टिप्पणी **1-97**

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)
कम्पनी सचिव

(अतुल मेंदीरत्ता)
महाप्रबंधक
(वित्त)

(अनिल त्रिगुणायत)
निदेशक
(डीआईएन 07900294)

(पंकज कपूर)
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन 07290569)

(आर के अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192
20 जनवरी 2025

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जनवरी 2025

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह समेकित विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ व हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		14,286.09		1,981.53
i)	**समायोजन हेतुः**				
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात ब्याज आय	(7,140.58)		(4,640.03)	
	लाभांश आय	(1.02)		(0.75)	
	रियायती किराया/लीज समाप्ति	(20.14)		(2.10)	
	(लाभ) विनिमय भिन्नता के कारण हानि	(294.07)		(3,329.43)	
	नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	0.32		(80.40)	
	अचल संपत्तियां बट्टे	0.10		0.85	
	व्यापार प्राप्त और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान	7,783.08		14,230.76	
	अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	(3.00)		-	
	संदिग्ध अग्रदाय खाते के लिए प्रावधान	45.42		22.16	
	प्रतिकर्ता के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान	199.18		117.18	
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	193.15		413.66	
	मूल्यह्रास व परिशोधन	700.00		656.82	
	अधिकार के प्रयोग पर मूल्यह्रास व परिशोधन	385.89		487.69	
	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	(118.52)		(275.64)	
	वित्त लागत आरओयू परिसम्पत्तियां	69.38		98.67	
	वित्तीय लागत सावधि ऋण	1,444.85		861.12	
	वित्तीय लागत नकद क्रेडिट	-		18.79	
	अपरिमेय क्रेडिट शेष राशि वापस लिखी गई	(443.74)		(146.73)	
	व्यापार प्राप्य राशि लिखी गई	0.41			
	राजस्व और व्यय में कमी का समायोजन	0.04		0.30	
	लंबी अवधि के ऋण में ईआईआर समायोजन	(2.20)		2.97	
			2,798.54		**8,435.90**
	कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**17,084.63**		**10,417.42**
ii)	**परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन**				
	प्राप्य व्यापार	(23,693.53)		(11,359.18)	
	व्यापार देय	29,330.83		(1,608.47)	
	इन्वेंट्री	0.16		6.94	
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	(3,109.38)		(6,338.76)	
	गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	(4.76)		431.59	
	अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(753.62)		(1,149.60)	
	गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(12,229.44)		29,121.25	
	अन्य वर्तमान देयताएं	(9,180.91)		7,348.99	
	गैर वर्तमान देयताएं	8,058.70		(14,101.02)	
	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	(2,760.66)		(673.86)	
	गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं	7,642.24		6,332.51	
	वर्तमान प्रावधान	175.30		(149.57)	
	गैर वर्तमान प्रावधान	617.67		787.40	
			(5,907.38)		8,648.22
	कर से पहले प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद		**11,177.25**		**19,065.65**
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर	(7,417.92)	(7,417.92)	(6,712.22)	(6,712.22)
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर/पूर्व वर्ष हेतु समायोजित	0.47	0.47	(0.62)	(0.62)
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**3,759.80**		**12,352.81**
ख)	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	लाभांश आय	1.02		0.75	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री	3.82		120.59	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का निपटारा	-		-	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की खरीद	(109.84)		(760.46)	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(225.03)		(35.49)	
	नकद व नकद तुल्यमान के रूप में न मानी जाने वाले जमा	5,919.82		(24,404.65)	
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात आय ब्याज	7,140.58		4,640.03	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**12,730.35**		**(20,439.22)**

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रभाव**				
	पट्टा भुगतान के प्रमुख आधार	(425.25)		(509.34)	
	पट्टा का ब्याज आधार	(69.38)		(98.67)	
	लंबी अवधि के ड्ढण से आय	7,461.17		11,070.00	
	लंबी अवधि के ऋण का (पुर्नभुगतान)	(1,737.50)		(1,307.17)	
	लंबी अवधि के ऋण से पुर्नभुगतान (निवल)	2,768.81		(3,568.71)	
	कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (कर सहित)	(2,517.41)		(3,111.55)	
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(1,444.85)		(879.91)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**4,035.59**		**1,594.65**
	विदेशी मुद्रा नकद और नकद तुल्य के रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		294.07		3,329.43
	नकद व बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी		**20,819.84**		**(3,162.37)**
	वर्ष के आरम्भ में नकद व बैंक शेष		**52,439.46**		**55,601.82**
	वर्ष के अन्त में नकद व बैंक शेष		**73,259.30**		**52,439.46**
	टिप्पणियां				
	1. भारतीय लेखा मानक-7 के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार रने हेतु अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुपालन किया गया है।		73,259.30		52,439.45
	2. नकदी व बैंक शेष प्रतिनिधित्व करते हैं		73,259.30		52,439.45
	क- नकद व नकद तुल्यमान:				
	(क) चालू खातों में बैंकों साथ शेष		62,764.63		42,501.06
	(ख) रैमिटेस इन ट्रांजिट				400.00
	(ग) 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा		10,485.75		9,528.39
	(घ) हस्तगत नकदी		8.92		10.00
	(ङ) पोस्टेज स्टाम्प		-		-
			73,259.30		**52,439.46**

नोटः भारतीय लेखा मानक 7 के तहत वित्तीय गतिविधियों से उभरने वाली देयताओं का समायोजन

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
	वर्ष के आरंभ में शेष	14,282.34	8,085.24
	नकद प्रवाह-प्राप्तियां/(पुर्न भुगतान)	8,492.48	6,194.13
	गैर नकद परिवर्तन	(2.20)	2.97
	वर्ष के अंत में शेष	22,772.62	14,282.34

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(अतुल मेंदीरत्ता)	(अनिल त्रिगुणायत)	(पंकज कपूर)	(आर के अग्रवाल)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (डीआईएन 07900294)	निदेशक (वित्त) (डीआईएन 07290569)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (डीआईएन 09344894)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192
20 जनवरी 2025

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जनवरी 2025

1. महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां

1.1 सामान्य

(क) अनुपालन विवरण

समूह के वित्तीय विवरणों को समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

जब कभी नये जारी लेखांकन मानक को अपनाया जाता है अथवा अब तक उपयोग में लाये जा रही अपेक्षित परिवर्तन के कारण मौजूदा लेखांकन नीति मानक संशोधन को अपनाये जाने को छोड़कर लेखांकन नीतियों को निरंतर रूप से लागू किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित इन वित्तीय विवरणों को सभी लागू भारतीय-लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च 2023 को, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिससे अंतर्गत कंपनियों को केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। तद्नुसार, पूर्व की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की समीक्षा की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रतिस्थापन का कोई वित्तीय निहतार्थ नहीं है।

(ख) वित्तीय विविरण तैयार करने का आधार

कंपनी समेकन के उद्देश्य से विचार-विमर्श के अंतर्गत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं और उचित मूल्य पर मापे जाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं को छोड़ कर समूह के समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के सिद्धान्त के आधार पर तैयार किए गए हैं, और इसे लेखा भारतीय मानक (भा.ले.मा.) की अनुपालन में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत समय-समय पर कम्पनियों भारतीय लेखा मानक द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाएगा। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी वर्षों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों की लेखांकन नीतियाँ समान रूप से लागू की गई हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को समूह के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-iii में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रियाकलापों की प्रकृति और प्रक्रियान्वयन के लिए परिसंपत्तियों की प्रापण तथा उनकी नकद एवं नकद के समान मूल्य में प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

(ग) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के वित्तीय विवरण और उसकी नियंत्रित इकाई अर्थात सहायक रिपोर्टिंग तिथि पर शामिल हैं।

यदि समेकित वित्तीय विवरण लेन देन और अन्य समान परिस्थितियों के लिए समरूप लेखा नीतियों के प्रयोग से तैयार की जाती है। समूह का कोई सदस्य समूह की लेखांकन नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ जो उस समूह के सदस्यों के समेकित वित्तीय विवरणों जैसे लेन-देन और सामान परिस्थितियों में घटनाओं, उचित समायोजनों को तैयार करने के लिए अपनाई जाती हैं।

सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जो समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि के समान तैयार किए जाते हैं।

सहायक कम्पनी के लिए समेकन प्रक्रिया

मूल की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का उसकी सहायक कंपनी के साथ समायोजन।

ऑफसेट (छोड़) सहायक में मूल के निवेश और सहायक की इक्विटी के मूल के हिस्से की आगे की राशि दें।

समूह की इकाइयों के बीच लेन-देन से संबंधित संपूर्ण इंट्रा-ग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को हटा दें। इंट्रा ग्रुप हानियां उस क्षति का संकेत दे सकती हैं जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 12 आयकर अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो इंट्राग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

यद्यपि इसका परिणाम घाटे के शेष वाले गैर-नियंत्रित ब्याज में हो लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के मूल के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित ब्याज के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

व्यवसाय संयोजन

व्यवसायों के अधिग्रहण (सामान्य नियंत्रण के तहत व्यावसायिक संयोजनों को छोड़कर) को अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। एक व्यावसायिक संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसकी गणना समूह द्वारा हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्य के योग, समूह द्वारा अधिग्रहण के पूर्व मालिकों को दी गई देनदारियां और अधिग्रहणिती के नियंत्रण के विनिमय में समूह द्वारा जारी इक्विटी ब्याज के रूप में की जाती है।

अधिग्रहण की तिथि में, अधिग्रहीत अभिज्ञात परिसंपत्ति और स्वीकृत देनदारियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, निम्न के अलावा:-

आस्थगित कर परिसंपत्तियां या देनदारियां या कर्मचारी लाभ व्यवस्थाओं से संबंधित देनदारियों को क्रमशः भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" और भारतीय लेखा मानक 19 " कर्मचारी" लाभ के अनुसार मान्यता प्राप्त है और मापी जाती हैं;

गुडविल को हस्तांतरित प्रतिफल के योगफल, अधिग्रहणिती में किसी भी गैर-नियंत्रित ब्याज की राशि और अधिग्रहणकर्ता के पूर्व में धारित इक्विटी ब्याज के उचित मूल्य के रूप में मापा जाता है, यदि अधिग्रहीत पहचान योग्य संपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों अधिग्रहण की तारीख की कुल राशि से अधिक है।

खरीद के मामले में, उसके संबंध में लाभ की पहचान से पहले, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या व्यापार संयोजन को खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। तत्पश्चात, समूह पुनर्मूल्यांकन करता है कि क्या उसने अधिग्रहीत की गई सभी परिसंपत्तियों और स्वीकृत की गई सभी देनदारियों की सही पहचान की है और उस पुनर्मूल्यांकन में निर्धारित की गई अतिरिक्त परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानता है। समूह तब उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है जिनका उपयोग भारतीय लेखा मानक द्वारा खरीद-फरोख्त की गणना के उद्देश्यों के लिए आवश्यक राशियों को मापने हेतु किया जाता है। यदि इस पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा के बाद भी लाभ बना रहता है, तो समूह इसे इक्विटी में पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता देता है। इस लाभ का श्रेय अधिग्रहणकर्ता को दिया जाता है।

जब एक व्यवसाय संयोजन में समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल में आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था के परिणामस्वरूप संपत्ति या देनदारियां शामिल होती हैं, तो आकस्मिक प्रतिफल को इसके अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्य पर मापा जाता है जब एक व्यापार संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में परिवर्तन जो माप अवधि समायोजन के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, पूर्वव्यापी रूप से

समायोजित किए जाते हैं, गुडविल या पूंजी आरक्षित के विपरीत इसी समायोजन के साथ, जैसा भी मामला हो। मापन अवधि समायोजन वे समायोजन हैं जो समूह द्वारा मापन अवधि के दौरान' अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त की गई अतिरिक्त जानकारी से उत्पन्न होते हैं। मापन अवधि अधिग्रहण की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होती है।

आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में परिवर्तन के लिए अनुवर्ती लेखांकन, जो माप अवधि व्यवस्था के रूप में योग्य नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि आकस्मिक प्रतिफल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल जिसे इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को आगामी रिपोर्टिंग तिथियों पर पुनः नहीं मापा जाता है और इसके बाद के निपटान का हिसाब इक्विटी के अंतर्गत किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल, जिसे परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, का आगामी रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य, जिसमें लाभ और हानि के समेकित विवरण में संबंधित लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है, पर पुनः मापा जाता है।

जब व्यावसायिक समायोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहण में समूह के पहले से धारित इक्विटी ब्याज को इसकी अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य और परिणामी लाभ या हानि पर फिर से मापा जाता है, यदि कोई हो, इसे लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण की तारीख से पहले अधिग्रहण में ब्याज से उत्पन्न होने वाली राशियों को पहले अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है, लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जहां ऐसा वर्णन/निरूपण उपर्युक्त होगा यदि उस ब्याज का निपटान किया गया था।

यदि किसी व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन, जिसमें संयोजन होता है, रिपोर्टिंगअवधि के अंत तक अधूरा है, तो समूह मदों के लिए अस्थायी राशि की रिपोर्ट करता है जिनके लिए लेखांकन अधूरा है। उन अस्थायी राशियों को अतिरिक्त परिसंपत्तियों या देनदारियों (यदि कोई हो) को चिन्हित करते हुए माप अवधि के दौरान समायोजित किया जाता है ताकि अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त नई जानकारी को प्रतिबिंबित किया जा सके, यदि ज्ञात हो तो, उस तिथि पर मान्यता प्राप्त राशियों को प्रभावित कर सकती है।

गैर नियंत्रित ब्याज

गैर-नियंत्रित ब्याज सहायक कंपनी में आय के अनुपात, अन्य व्यापक आय और निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कंपनी के शेयरधारकों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

गैर-नियंत्रित ब्याज को आरम्भ में अधिगृहणीति की पहचान योग्य निवल संपत्ति की मान्यता प्राप्त राशि के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के पश्चात, गैर-नियंत्रित ब्याज की वहन राशि, प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि के अतिरित्तफ़ इक्विटी में बाद के परिवर्तनों के गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी है।

समेकन पर नियंत्रण लागत

एक व्यवसाय के पूर्ण अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाले नियंत्रण की लागत व्यवसाय के अधिग्रहण की तिथि पर स्थापित लागत पर वहन की जाती है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कुछ आकलन, अनुमान तथा परिकल्पनाएँ करनी होती हैं। ये अनुमान, आकलन और परिकल्पनाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्र, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व तथा व्यय की मात्र को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों तथा आकलनों का समूह द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जाता है और ये पूर्व अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी द्वारा तर्कपूर्ण समझे जाने वाली कंपनी की विभिन्न अन्य परिकल्पनाओं और घटकों (भविष्य की गतिविधियों की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं। यद्यपि कंपनी इन अनुमानों का नियमित रूप से आकलन करती है परंतु वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जैसे-जैसे प्रबंधन को अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों में बदलाव की जानकारी मिलती है वैसे-वैसे अनुमानों में उचित बदलाव किए जाते हैं। अनुमानों में बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिस अवधि में बदलाव किए गए हैं और, यदि उल्लेखनीय हों, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के साथ की गई टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.3 राजस्व की मान्यता

प्रचालनों से राजस्व

1.3.1 समूह को प्रमुख रूप से परामर्श एवं निर्माण संविदाओं से प्रचालन राजस्व प्राप्त होता है।

1.3.2 वित्तीय विवरणों में राजस्व को पहचानने के लिए सामान्य मानदंड निम्न प्रकार से है, जो राजस्व के सभी क्षेत्रें पर लागू होते हैं, जबकि राजस्व की संबंधित क्षेत्र को लेखांकन नीति में विशिष्ट मापदंडों कहा जाता है।

सामान्य पैरामीटर

राजस्व को पहचान करने के उद्देश्य के लिए, समूह पांच प्रक्रिया का अनुसरण करता है:

- ग्राहक के साथ संविदा की पहचान करना
- कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना
- लेनदेन मूल्य का निर्धारण
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना
- कार्य निष्पादन दायित्व का जब/जैसे निष्पादन किया जाता है, तो राजस्व की पहचान की जाती है।

समूह की सेवाओं की श्रृंखला में शामिल सभी क्षेत्रों में समूह कार्य करता है। सभी मामलों में, कार्य निष्पादन दायित्वों के आधार पर संविदा हेतु सम्पूर्ण कार्य मूल्य होता है।

राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) समूह अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

लेन देन मूल्य वह राशि है जिसे समूह ग्राहक को माल या सेवाओं के स्थानांतरण हेतु विनिमय के लिए पाने की आशा रखती है। एक संविदा में वादा किए गए विचार में निश्चित राशियाँ, परिवर्तनशील राशियाँ या दोनों शामिल हो सकती हैं। किसी निर्धारित परिस्थिति में अपेक्षित मूल्य विधि या सबसे अधिक संभावित राशि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाया जाता है। ग्राहकों के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार हैं और लेनदेन मूल्य में कोई वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है।

प्रस्ताव की तैयारी के लिए प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए समूह कोई भी लागत नहीं लेता है और वही लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत संबंधित संविदा के राजस्व को लाभ और हानि विवरण में जोड़ा जाता है।

कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कार्मिक अनेक परियोजनाओं पर एक साथ तैनात/काम करते हैं, जिनकी लागत को सीधे विशिष्ट परियोजना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह की लागत को आवधिक लागत की प्रकृति में लाभ और हानि का प्रभार सीधे सौंप दिया जाता है।

संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

समूह असंतुष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियां के लिए संविदा देनदारियों की पहचान करता है और इन राशियों को तुलन पत्र में अन्य

देनदारियों के रूप में जानकारी करती है। इसी तरह, यदि कंपनी एक कार्य निष्पादन दायित्व को संतोषजनक रूप से पूरा करती है और इस पर टिप्पणी प्राप्त करना अभी बाकी होता है, तो टिप्पणी प्राप्त होने से पहले, समूह अपने तुलन पत्र में एक संविदा परिसंपत्ति लगाती।

1.3.3 राजस्व को माल व सेवा कर (जीएसटी) से मान्यता प्राप्त है।

1.3.4 संविदा राजस्व में संविदा में सहमत राजस्व की प्रारंभिक राशि शामिल है

1.3.4 परामर्शी शुल्क

- सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।
- यदि कार्य निष्पादन दायित्वों को समय पर पूरा किया जाता है, तो राजस्व को अनुबंध अवधि के अनुसार लेनदेन की प्रकृति के आधार पर उपयुत्तफ़ पद्धति का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।
- अन्य मामलों में जहां कार्य निष्पादन की बाध्यता समय के साथ संतोषजनक नहीं होती है, राजस्व को बाद में मान्यता दी जाती है।
- अधिक लागत वाली संविदाओं के मामले में, राजस्व को अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके संविदा के तहत काम की प्रगति और संबद्ध कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के साथ बिल योग्य राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- संबंधित कार्य निष्पादनों के संतोषजनक दायित्वों के मध्यनजर, गैर-समायोजित अग्रिम/शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथपि, वसूली योग्य अग्रिम को बाद के राजस्व बुकिंग के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।
- निर्माण प्रबंधन/प्रर्यवेक्षण अनुबंध में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्राप्त है, यदि ग्राहक द्वारा कोई स्वीकृति लंबित हो।
- संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3.6 निर्माण परियोजनाएँ

- समूह निर्माण संविदाओं/परियोजनाओं में राजस्व को समय के साथ पहचानती है। इन परियोजनाओं के विभिन्न तत्वों के बीच अन्योन्याश्रितता के उच्च स्तर के कारण, इन परियोजनाओं को एकल कार्य निष्पादन दायित्व के रूप में माना जाता है।
- निर्माण/पर्यवेक्षण संविदाओं के संबंध मेंए राजस्व का निर्धारण किए गए कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप मेंधप्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक संविदा की निर्माण लागतए लंबित ग्राहक/क्लाइंट अनुमोदनए यदि कोई होए के रूप में किया जाता है।

अधिक लागत वाली परियोजनाएं

- अधिक लागत वाली संविदा से राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य निष्पादन दायित्व संतोषजनक है। समूह द्वारा ग्राहक को दिए गए माल का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और यह स्थापित करने के लिए कि कब और किस हद तक राजस्व को मान्यता दी जा सकती है, समूह कार्य के आधार पर निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को मापती है।

- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य की राशि उस अवधि के दौरान वसूल किए गए वसूली योग्य लागतों को दर्शाती है जो ग्राहक के साथ सहमत होने पर मार्जिन से अधिक होती है।

- अधिक लागत वाली संविदा के मामले में, यदि परामर्शी आय/शुल्क को एक अलग रूप में निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी परामर्शी आय/शुल्क को समय की अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है या समय के साथ-साथ कंपनी वादा किए गए माल को स्थानांतरित करके कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है या संविदा की शर्तों के अनुसार अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।

- अन्य मामलों में, राजस्व को समय-समय पर कार्य निष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने और ग्राहक को हस्तांतरित करने की सीमा तक मान्यता प्राप्त है। संविदा राजस्व को आवंटन योग्य लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है जो पूर्णविधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए संविदा के आनुपातिक मार्जिन पर किए गए कार्य की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।

- किसी भी अपेक्षित हानि को रिपोर्टिंग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अभियांत्रिकी प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी)

ईपीसी संविदा के लिए, लेनदेन मूल्य वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ संविदागत रूप से सहमत है। प्रगति को मापने के इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि ऐसे अनुबंधों में, ग्राहक लाभ प्राप्त करता है और उपयोग करता है क्योंकि कंपनी दायित्वों का पालन करती है।

किसी भी अपेक्षित हानि को रिपोर्टिंग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है।

1.3.7 प्लांट और उपकरणों की आपूर्ति/चालू करने के लिए माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

माल की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचाना तब की जाती है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यह संभव है जब विनिमय माल की हकदारी पर कम्पनी ध्यान एकत्र करेगी। माल की बिक्री के लिए संविदा के संबंध में कार्य निष्पादन दायित्वों को उस समय संतोजनक माना जाता है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यहां परिसंपत्ति का वैकल्पिक उपयोग हो या कंपनी के पास उस तिथि तक कार्य निष्पादन पूर्ण करने के लिए भुगतान या तो निहित या स्पष्ट हो। परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के मामले में हो और कंपनी के पास कानूनी मामलों पर विचार करके भुगतान का निहित या स्पष्ट अधिकार हो, कार्य निष्पादन दायित्व को समय की अवधि के रूप में संतोषजनक माना जाता है और समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है।

1.3.8 वसूली योग्य प्रतिपूर्ति व्यय वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति में हैं और ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की सीमा तक समायोजित किए जाते हैं।

1.3.9 प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग से ब्याज आय को पहचाना जाता है, जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापी जाती है।

1.3.10 लाभांश आय को तब मान्यता प्राप्त होती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है और जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापा जाता है।

1.3.11 अन्य

समूह की धारिता कम्पनी के पास समूह में नियुक्त नियमित भर्तियों से बॉन्ड राशि लेने की नीति है। बॉन्ड राशि को समूह के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीदों के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को समूह की लेखा-बही में परिसम्पति व देयताओं के रूप में माना जाता है।

बांड अवधि के सफल समापन पर, संबंधित अधिकारियों को बांड की धनराशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड अवधि पूरी होने से पहले समूह छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में लागत, अर्थात माल भाड़ा, निर्माण तथा कार्य सौंपने के शुल्क, अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय, उधार लिए जाने संबंधी लागत, एक पात्र संपत्ति के मामले में, प्रापण/संस्थापन की तारीख तक, निवल संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, सहित अधिग्रहण अथवा निर्माण की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद में मापन लागत में से संचित ममूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, को घटा कर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो प्रबंधन द्वारा संपत्ति को इसके अभिप्रेत उद्देश्य के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से लगा है।

इसके बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। मरम्मत तथा रखरखाव पर होने वाली लागत को व्यय किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। प्रारंभ में मान्यता प्रदान की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद और किसी उल्लेऽनीय हिस्से को निपटान के बाद अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा न होने पर इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने से होने वाले किसी लाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की वर्तमान लागत राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। निपटान की जाने वाली संपत्ति को वर्तमान लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य में से बेचने की लागत को घटा कर प्राप्त होने वाली राशि में से कम राशि पर रिपोर्ट किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के तहत प्रदान किया जाता है जो प्रबंधन के आकलन के समान हो। मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-ग में निर्धारित किए गए अनुसार है। वर्ष के दौरान सम्पत्तियों में जोड़/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

विभिन्न परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी कार्यकाल निम्नानुसार हैः-

विमान्यता

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद और किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को जिसे आरम्भ में मान्यता दी गई है निपटान पर विमान्यता की जाती है या जब इसके

संपत्ति का वर्ग	उपयोगी कार्यकाल (वर्ष)
आरसीसी फ्रेम संरचना वाले कार्यालय भवन	60
फर्नीचर और फिक्सचर	10
वाहन-मोटर कारें	8
वाहन-मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड़	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत कार्य	10
कंप्यूटर	3
नेटवर्किंग सर्वर	6
लकड़ी की अस्थायी संरचना	3
इंजीनियरिंग और अन्य पुस्तकें	3
सामान्य संयंत्र और मशीनरी	15

उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति की व्युत्पत्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि के विवरण में शामिल है, जब परिसंपत्ति की विमान्यता की जाती है।

पूंजी कार्य प्रगति

ऐसी परिसंपत्तियां जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और जिम्मेदार ब्याज सहित लागत पर किया जाता है।

1.5 अमूर्त संपत्तियाँ

एक अमूर्त संपत्ति बिना किसी वास्तविक संपत्ति के एक पहचाने जा सकने वाली गैर-मौद्रिक संपत्ति होती है जैसे तकनीकी जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति के कारण भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित रूप से समूह को प्राप्त हों और संपत्ति के अधिग्रहण अथवा सृजन की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। इसके लिए उस बिन्दु से परिशोधन किया जाता है जहाँ संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अधिग्रहित/विकसित अमूर्त सम्पत्तियों को लागत रहित संचित परिशोधन और खराबी होने के कारण हुए क्षति नुकसान यदि कोई हैम की मान्यता पर मापा जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियों के वि-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि की गणना निवल निपटान आय और परिसम्पत्ति के बहीखाता मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाती है और जब सम्पत्ति वि-मान्य होती है तो इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्तियों के अव्यवस्थित होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति के बहीखाता मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जब संपत्ति को अव्यवस्थित किया जाता है, तो इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधन:

कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर का परिशोधन 3 वर्ष की अवधि में अथवा उनकी लाइसेंस अवधि में किया जाता है, जो भी लागू हो। निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंसों का आवेदन और संचालन सॉफ्रटवेयर लाइसेंस की अवधि के संबंध में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

वि-मान्यता

अमूर्त संपत्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.6 वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता

समूह वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता देता है जब यह उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों/व्यापार देयताओं, जिनका मापन प्रारंभ में लेन-देन की तारीख को किया जाता है, को छोड़ कर सभी वित्तीय सम्पत्तियों और देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं, जो लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, के अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने के कारण नहीं हैं उन्हें प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य में जोड़ा जाता है/से घटाया जाता है।

अनुवर्ती मापन

(क) बाद में यदि वित्तीय संपातियों को एक ऐसे व्यापार मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति को रोक कर रखना है और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीखों पर ऐसे नकद प्रवाह में वृद्धि लाती हैं जो केवल प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का

प्रयोग करके लंबित मूलधन पर मूल तथा ब्याज के भुगतान हैं तो इनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ख) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ

वित्तीय सम्पत्तियों का मापन लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर वर्गीकृत न किया जाए।

(ग) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएँ और प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पद्धति के मध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताएँ शामिल हैं।

अन्य सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। जब देयताओं की मान्यता समाप्त की जाती है तब और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से भी लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ एवं हानि को मान्यता दी जाती है।

` समूह के पास गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) वित्तीय संपत्तियाँ, जिनमें नकद और नकद समकक्ष, इक्विटी में निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा प्रतिधारित राशि, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी और अन्य अग्रिम (दी गई जमानत राशि सहित जो समूह को वापस की जा सकती है) शामिल हैं।

ii) वित्तीय देयताएँ, जिनमें व्यापार देयताएँ, संविदात्मक भुगतानों से धारित राशि (ली गई जमानत राशि सहित जिसे समूह द्वारा वापस लौटाया जाना होता है) शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता के बाद गैर-व्युत्पन्न साधनों का मापन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) नकद और नकद समकक्ष:

नकद में कंपनी के पास उपलब्ध नकद राशि और बैंकों में जमा की गई माँग जमा राशि शामिल है। नकद समकक्ष में अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम की मूल परिपक्वता वाली लघु अवधि जमा शामिल है जो तुरंत नकद की ज्ञात मात्र में बदली जा सकती हैं और जिनमें मूल्य बदलने का जोखिम न के बराबर हो। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में वह शेष राशि शामिल है जिसे निकाले जाने और उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी में निवेश को ऐसी लागत पर रखा गया है (भारत लेखा मानक 27 के अनुसार) जिसमें मूल कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में 98.89% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

निवेश – अन्य

भारतीय लेखा मानक 109 के परिदृश्य में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित किए जाने वाले इक्विटी साधन को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी साधनों के संबंध में, समूह द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि उन्हें अन्य समग्र आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य अभवा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

(iii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ऋणों, अग्रिम को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन संपत्तियों को छोड़ कर जो रिपोर्टिंग तारीख के बाद 12 माह से अधिक समय बाद परिपक्व होती हैं जिन्हें गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों और प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित

मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में इनका मापन प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(iv) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एक वित्तीय संपत्ति जिसे उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है उसका मापन बाद में लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जबः

- संपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाएँ, अथवा
- समूह ने उल्लेखनीय रूप से संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं, अथवा समूह ने उल्लेखनीय रूप से न तो संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित किए हैं और न ही अपने पास रखे हैं, परंतु संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

एक वित्तीय देयता अथवा वित्तीय देयता के एक हिस्से को बैलेंस शीट से बाहर कर दिया जाता है जब संविदा में विनिर्धारित दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता की ओर से उल्लेखनीय रूप से भिन्न शर्तों पर किसी दूसरी देयता से बदला जाता है अथवा एक वर्तमान देयता की शर्तों में उल्लेखनीय संशोधन किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त किया जाना और एक नई देयता को मान्यता दिया जाना माना जाता है। संगत मूल कीमतों में अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.7 इम्पेयरमेंट

क. वित्तीय संपत्तियाँः

(उचित मूल्य को छोड़ कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी वित्तीय संपत्तियों के लिए संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान के मापन एवं इसे मान्यता देने के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) मॉडल अपनाती है।

ईसीएल संविदा के अनुसार समूह को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और समूह को प्राप्त होने की संभावना वाले अपेक्षित सभी नकद प्रवाह के बीच का अंतर होता है। नकद प्रवाह का अनुमान करते समय कंपनी को निम्नलिखित पर विचार करना होता हैः-

- संपत्तियों के अनुमानित जीवन में वित्तीय संपत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व-भुगतान और विस्तार सहित)।
- जमानत के रूप में धारित वस्तु की बिक्री अथवा संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्से के रूप में अन्य क्रेडिट संवर्धन से नकद प्रवाह।

व्यापार प्राप्तियाँ, प्रतिभूति डिपोजिट और अग्रिम राशि जमा

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में कंपनी ने अनुमानित हानि अथवा व्यापार प्राप्तियों को मान्यता देने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का प्रयोग करके फ्सरलीकृत दृष्टिकोणय् अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अनुमानित जीवन में दर्ज की गई ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित होती है और दूरंदेशी अनुमानों के लिए इसे समायोजित किया जाता है। प्रत्येकरिपोर्टिंग तारीख को ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और दूरंदेशी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्तफ़ इस विश्लेषण के लिए प्राप्तियों को खंडों में विभाजित किया जाता है जहाँ प्राप्तियों की क्रेडिट जोखिम विशेषताएँ समान होती हैं।

i) **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ:**

(मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियाँ)

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करते हैं कि उनका वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है, तो पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की निश्चित जीवन के साथ, हानि के लिए समीक्षा की जाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य के लिए, वसूली योग्य राशि (जो कि उचित मूल्य से अधिक है, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य) एक व्यक्तिफ़गत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो बड़े पैमाने पर अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र होती है, जिस मामले में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई - ('सीजीयू') स्तर पर निर्धारित की जाती है।

एक संपत्ति को हानिप्रद समझा जाता है जब इसकी मूल कीमत इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि (अर्थात उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त राशियों में से उच्च राशि) से अधिक हो जाती है। संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान को उस वर्ष लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष संपत्ति को हानिप्रद के रूप में चिहनित किया जाता है। पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में चिहनित संपत्ति-हानि को बदल दिया जाता है यदि इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानि विद्यमान नहीं रहती है अथवा घट जाती है। संपत्ति-हानि को बदलने को पूर्व में मान्य अथवा संतुलित की गई संपत्ति-हानि की सीमा तक लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बट्टे खाते में डालना

वित्तीय संपत्तियाँ

(उचित मूल्य पर संपत्तियों को छोड़ कर)

व्यापार प्राप्तियों, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित जमानत राशि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ (मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त संपत्तियों, वस्तु सूची आदि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब प्रबंधन की राय में ऐसी संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे क्षतिग्रस्त, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

इन्वेंटरी की ऐसी वस्तुओं का निपटान तब किया जाता है, जब प्रबंधन की राय में, इस तरह की वस्तुएं अप्रचलित हो गई हैं, मरम्मत से परे क्षति, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

1.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(i) प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है जब:

क. समूह पर किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व (कानूनी अथवा निर्माण संबंधी) है_

ख. इससे संभवतः भविष्य में संसाधनों का बहिर्वाह होगा और इससे होने वाले आर्थिक लाभों की दायित्व का निर्वहन करने में आवश्यकता होगी, और

ग. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

दायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नकद प्रवाह का अनुमान लगा कर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है और यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधानों की मूल कीमत नकद बहिर्वाह का वर्तमान मूल्य होती है। एक प्रावधान के रूप में मान्य राशि दायित्व से संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक राशि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है।

(ii) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती परंतु निम्नलिखित में से किसी मामले में इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता हैः-

क. किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; अथवा

ख. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता; अथवा

ग. संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता को छोड़ कर एक दायित्व की संभावना बहुत कम है।

आकस्मिक देयता निपटान के लिए संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(iii) आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती परंतु इन्हें तब प्रकट किया जाता है जब किसी आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभाव्य होता है।

आकस्मिक संपत्तियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधानों की प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को समीक्षा की जाती है।

1.9 कर्मचारियों के लिए लाभ

1.9.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत एक इकाई विभिन्न कोषों में निर्धारित अंशदान जमा करती है और उस पर इसके अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। समूह ऐसे निधियों/स्कीमों को भुगतान किए जाने वाले अंशदान को व्यय मानती है, जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवाएँ दे देता है। यदि बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए स्कीमों हेतु प्राप्त देय अंशदान पहले से ही भुगतान किए गए अंशदान से अधिक है तो इस स्कीम हेतु देय अंतर को भुगतान किए जा चुके अंशदान को घटाने के बाद एक दायित्व माना जाता है। यदि पहले से भुगतान किया जा चुका अंशदान बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए प्राप्त देय अंशदान से अधिक है तो इस अधिक राशि को उस सीमा तक संपत्ति माना जाता है कि इस पूर्व-भुगतान से, उदाहरण के लिए, भविष्य में भुगतान में कमी होगी अथवा नकद वापसी होगी।

परिभाषित लाभ योजनाओं में अंशदान के दायित्व को लाभ एवं हानि के विवरण में उस अवधि में कर्मचारी लाभ व्यय माना जाता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ दी गई हैं।

समूह की होल्डिंग कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम है जिसे एक अलग ट्रस्ट के मध्यम से प्रबंधित किया जाता है। समूह की होल्डिंग कंपनी का दायित्व कर्मचारियों के संबंध में इस ट्रस्ट में उस सीमा तक अंशदान करने का है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% में से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम के लिए नियोक्ता के अंशदान को घटाने के बाद प्राप्त राशि से अधिक न हो। इस कोष में किसी वर्ष के लिए अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

समूह अपने कर्मचारियों के लिए अपनी धारिता और सहायक कम्पनी के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान देता है जो उस सीमा तक एक निर्धारित लाभ योजना है, कि समूह पर ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम होने की स्थिति में कमी को पूरा करने का दायित्व है। इस संबंध में समूह का दायित्व एक बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल सृजित करने में सक्षम नहीं होगा तो इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। कोष में कंपनी के अंशदान को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.9.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

1.9.2.1 ग्रेच्युटी

समूह पात्र नियमित और संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, एक परिभाषित लाभ योजना, उपलब्ध करता है। ग्रेच्युटी योजना में निहित कर्मचारियों को

सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अशक्तता, अथवा रोजगार की शर्तों को पूरा करने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और समूह के साथ सेवा की अवधि के आधार पर एक राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएँ निम्नानुसार वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं:

(i) समूह की होल्डिंग कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जो अंशदान का निवेश भारत के कानून द्वारा अनुमत्य स्कीमों में करता है। इसी प्रकार समूह की सहायक कम्पनी ने भी ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन सहायक कम्पनी द्वारा किया जाता है। समान रूप से, समूह की सहायक कंपनी ने भी एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की है जिसका प्रबंधन सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है

(ii) समूह एक परिभाषित लाभ योजना के निवल दायित्व को बैलेंस शीट में एक संपत्ति अथवा देयता के रूप में मान्यता देती है।

(iii) निवल परिभाषित देयता/(संपत्ति) के पुनः मापन के मध्यम से लाभ अथवा हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के लिए प्रयुक्त छूट दर को लागू करके परिकलित लब्धि से अधिक राशि के योजना संपत्तियों के पोर्टफोलियो के वास्तविक प्रतिफल को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(v) सेवा लागत तथा निवल ब्याज लागत/ निवल परिभाषित लाभ देयता पर (आय)/(संपत्ति) को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

किन्हीं योजना संशोधनों के प्रभावों, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.2 <u>प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति</u>

समूह प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ योजना प्रचालित करती है। ऐसे परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।

1.9.2.3 <u>सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम</u>

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के दायित्व का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। बीमांकित लाभों/नुकसानों को अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है। पीआरएमएस स्कीम केवल समूह की धारिता कम्पनी पर लागू होती है।

1.9.2.4 अन्य लघु-अवधि लाभों की गणना उस अवधि में की जाती है जिसके दौरान सेवाएं दी गई हैं और तदनुसार लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते है।

1.10 लीज

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखा मानक 116 को अधिसूचित किया है जो कि मौजूदा भारतीय लेखा मानक 17- लीज़ को 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से प्रभावी तरीके से प्रतिस्थापित करता है।

<u>पट्टेदार के रूप में समूह</u>

मान्यता

लीज के आरम्भ के समय, उपयोग के अधिकार को किसी भी अप्रत्यक्ष लागत सहित परिसंपत्ति और विघटित लागत प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाएगी (यदि कोई हो), निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त भुगतान न किए गए लीज के वर्तमान मूल्य के समतुल्य देयता समरूपी लीज के साथ लीज प्रोत्साहन को कम करेंगी:

i. शॉर्ट टर्म लीज ; या

ii. लीज जिनके लिए कम मूल्य की संपत्ति अंतर्निहित है

लीज शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू होने के मामले में, उन पट्टों से जुड़े लीज पेमेंट को लीज टर्म या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर खर्च के रूप में लिया जाएगा। पट्टेदार के रूप में कंपनी एक और व्यवस्थित आधार लागू करती है यदि वह आधार कंपनी के पैटर्न के अधिक प्रतिनिधि के रूप में पट्टेदार के लाभ के रूप में है।

लीज की अवधि में वित्त लागत में होने से लीज भुगतान के ब्याज तत्व को लाभ व हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल या लीज अवधि की वैधता का उपयोग का अधिकार, जो भी कम है और हानि के अधीन है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी कार्यकाल और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है।

लीज की देयता का पुनः मापन

लीज देनदारी फिर से मापी जाती है (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ) जबः

1. लीज अवधि को संशोधित किया जाता है - पट्टेदार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि क्या विस्तार विकल्प का प्रयोग करना उचित है, या एक महत्वपूर्ण विकल्प या परिस्थितियों में बदलाव होने पर समाप्ति के विकल्प का प्रयोग न करेंः
   - पट्टेदार के नियंत्रण में है; तथा
   - प्रभाव क्या अनुपालन (या गैर-अनुपालन) यथोचित निश्चित है।
2. एक सूचकांक या दर के आधार पर लीज का भुगतान संशोधित किया जाता है।
3. लीज को संशोधित किया गया है
4. अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों में एक बदलाव है।

एक पट्टेदार संशोधित पट्टे के भुगतान को छूट देकर लीज देयता को अस्वीकार करेगा, यदि या तोः

(क) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत देय राशि में बदलाव की उम्मीद है। अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पट्टेदार संशोधित लीज भुगतान का निर्धारण करेगा।

(ख) भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सूचकांक या उन भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर शामिल है, उदाहरण के लिए बाजार किराए की समीक्षा के बाद बाजार किराये की दरों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव। पट्टेदार उन देय पट्टे भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पट्टा देयता को वापस करेगा, जब नकदी प्रवाह में परिवर्तन होता है (अर्थात् जब पट्टे के भुगतान में समायोजन प्रभावी होता है)। एक पट्टेदार संशोधित संविदात्मक भुगतानों के आधार पर पट्टे की शेष अवधि के लिए संशोधित पट्टा भुगतानों का निर्धारण करेगा।

पट्टेदार अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करेगा, जब तक कि लीज के भुगतान में परिवर्तन से फ्लोटिंग ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं होता है। उस मामले में, पट्टेदार एक संशोधित छूट दर का उपयोग करेगा जो ब्याज दर में परिवर्तन को दर्शाता है।

लीज संशोधन

पट्टेदार एक लीज के संशोधन के लिए एक अलग लीज के रूप में खाता होगा यदि दोनोंः

(क) संशोधन एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर लीजके दायरे को बढ़ाता है; तथा

(ख) लीज के लिए विचार राशि में वृद्धि की गुंजाइश के लिए स्टैंड-अलोन मूल्य के साथ कम हो जाता है और उस संविदा के लिए किसी भी उपर्युक्त समायोजन के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन विशेष संविदा की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए।

लीज के संशोधन के लिए जिसका अलग पट्टे के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टा संशोधन की प्रभावी तिथि पर पट्टेदार करेगाः

(क) संशोधित अनुबंध में विचार को आवंटित करें

(ख) संशोधित पट्टे की लीज अवधि निर्धारित करें

(ग) संशोधित छूट भुगतानों को संशोधित छूट दरों का उपयोग करके पट्टा देयता को पुनः प्राप्त करें। संशोधित छूट दर को लीज अवधि के शेष के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर के रूप में निर्धारित किया जाता है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, या संशोधन की प्रभावी तिथि पर पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर, यदि ब्याज दर में निहित है। पट्टा आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक लीज संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टेदार लीज देनदारी की पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) लीज के संशोधनों के लिए पट्टे के आंशिक या पूर्ण समाप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की गई परिसंपत्ति की वहन राशि को कम करना, जो लीज के दायरे को कम करता है। पट्टेदार लाभ या नुकसान को पहचान सकता है या लीज की आंशिक या पूर्ण समाप्ति से संबंधित कोई लाभ या हानि।

(ख) अन्य सभी लीज संशोधनों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए एक संगत समायोजन करना

(ग) एक व्यावहारिक प्रणाली के रूप में, एक पट्टेदार इस बात का चयन कर सकता है कि क्या पैराग्राफ 46ख में निर्धारित शर्तों से मेल खाने वाली रियायत पट्टा रियायत है अथवा नहीं। इस बात का चयन करने वाला पट्टाधारी किराया रियायत के परिणामस्वरूप पट्टा भुगतानों में किसी भी परिवर्तन को उसी प्रकार भारित करेगा जिस प्रकार कि यदि यह परिवर्तन पट्टा संशोधन नहीं होता तो इस मानक को लागू करते समय भारित किया जाता।

(घ) कोविड 19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किराए में छूट और केवल तभी होगी जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों :-

(i) व्यापक रूप से समान अथवा कम लीज के संबंध में संशोधित मान में लीज भुगतान में परिवर्तन का यह परिणाम होता है कि जो परिवर्तन से पहले के लीज हेतु विचारार्थ था।

(ii) लीज भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की कटौती केवल 30 जून, 2021 या उससे पहले की मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (यह छूट केवल इस परिस्थिति में लागू होगी यदि 30 जून 2021 या उससे पहले कम हुए लीज भुगतानों और 30 जून 2021 के पश्चात वर्धित लीज भुगतानों जिन्हें 30 जून 2021 से पश्चात तक विस्तारित किया गया हो,);

(iii) लीज की अन्य शर्तों और नियमों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

वि-मान्यता

प्रारंभ में मान्यता प्राप्त उपयोग संपत्ति का अधिकार निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की

जाती है। उपयोग की संपत्ति के अधिकार की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल है जब उपयोग संपत्ति का अधिकार है पहचाना हुआ।

समूह एक लीजदाता के रूप में

वित्तीय लीज

समूह वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियों को लीज में निवल निवेश के बराबर राशि के रूप में एक प्राप्य के रूप में मान्यता देता है। समूह पट्टे की अवधि के दौरान वित्तीय आय को सीधे आधार पर मान्यता देता है, जो पट्टे में निवल निवेश पर एक स्थिर आवधिक रिटर्न की दर को दर्शाता है।

परिचालन लीज

ऐसी लीज़ जिनमें समूह संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफल को व्यापक रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, उन्हें परिचालन लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है। किराया आय को लीज़ अवधि के दौरान सीधे आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के साथ किराए में निर्धारित वृद्धि समूह को प्रतिपूर्ति करती है।

1.11 विदेशी मुद्रा लेन-देन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है। एक समूह की कार्यात्मक मुद्रा वह होती है जो प्रमुख आर्थिक वातावरण की मुद्रा होती है जिसमें समूह प्रचालन करता है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में कंपनी द्वारा उस तारीख की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जब यह लेन-देन सर्वप्रथम मान्यता के लिए पात्र होता है। तथापि व्यावहारिक कारणों से कंपनी एक उपलब्ध औसत दर का प्रयोग करती है जब लेन-देन की तारीख को यह औसत वास्तविक दर के लगभग समान होता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयताएँ रिपोर्टिंग की तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर बदली जाती हैं।

निपटान के समय विनिमय में होने वाले अंतर अथवा मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

गैर-मौद्रिक संपत्तियों तथा देयताओं, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है, को पुनः बदला नहीं जाता।

1.12 आय कर

1.12.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान आय कर संपत्तियों और देयताओं का मापन कराधान प्राधिकरणों से प्राप्त किए जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान किए जाने वाली अपेक्षित राशि पर किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त दरें और कर कानून वे होते हैं जो रिपोर्टिंग की तारीख को भारत में अधिनियमित किए गए हैं अथवा मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

प्रबंधन ऐसी स्थितियों, जिनमें लागू कर विनियम विवेचना के शर्ताधीन है, के संबंध में कर आकलनों में अपनाई गई स्थितियों का आवधिक रूप से मूल्यांकन करता है और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

वर्तमान कर संपत्तियों द्वारा वर्तमान कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि और केवल यदि मान्य राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और निवल आधार पर निपटान करने अथवा संपत्ति को बेचने और साथ-साथ देयता का निपटान करने का इरादा हो।

अंतिम रूप से कर प्राधिकरणों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए/लागू किए गए अतिरिक्त करों, ब्याज और/अथवा जुर्मानों को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

1.12.2 आस्थगित आय कर

रिपोर्टिंग की तारीख को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों से आस्थगित कर संपत्तियों तथा देयताओं के कर आधारों और उनकी मूल कीमतों के बीच अस्थायी अंतर पर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और किन्हीं अप्रयुक्त कर नुकसानों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और अप्रयुक्त कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मूल कीमत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभाव्य न रहे कि आस्थगित कर संपत्ति का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके। गैर-मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को पुनः आकलन किया जाता है और उस सीमा तक इन्हें मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य हो जाए कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को वापस प्राप्त किया जा सकेगा।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर दरों (और कानूनों), जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख को अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, के आधार पर उन दरों पर किया जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की संभावना हो जब संपत्ति को बेचा जाता है अथवा देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि वर्तमान कर संपत्तियों से वर्तमान कर दायित्वों को पूरा करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और आस्थगित कर उसी कर योग्य इकाई और उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित है।

1.13 दरें और कर

जांच दस्तावेजों/ग्राह्यता प्रमाणों की उपलब्धता के आधार पर भारत में अथवा विदेश में भुगतान किए गए/उपार्जित विदेशी कार्यों पर विदेशी कर, सेवा कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, समान कर, पेशेवर कर, संपत्ति कर, प्रवेश कर, श्रम उपकर, चुंगी आदि को ऐसे दावों की ग्राह्यता के लिए लाभ एवं हानि के विवरण और सीमा अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

1.14 पूर्व-भुगतान व्यय और पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व-भुगतान व्यय

पूर्व-भुगतान व्यय आने वाले वर्ष में, समूह की वर्तमान/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है और इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के व्यय / आय के रूप में माना जाता है, जो इसके अंतर्गत आता है जिसके संबंधित वर्ष के लेखो के प्राकृतिक शीर्ष में डाला जाता है।

पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधियों समायोजन में प्रस्तुत की गई त्रुटियों के लिए तुलनात्मक मात्र को बहाल करके पूर्ववर्ती त्रुटियों को पूर्व अवधि रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्ति देयता और इक्विटी का प्रारंभिक संतुलन, तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.15 परिसमापन नुकसान/दावे

परिसमापन नुकसानों/दावों पर प्रवेश आधार पर विचार किया जाता है और इन्हें क्रिस्टलीकरण के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.16 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्रियाकलापों के लिए संविधि के तहत लाभों के निर्धारित प्रतिशत में से शेष अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय विवरण में पृथक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है।

1.17 लाभांशः

शेयरों पर अंतिम लाभांश को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

1.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आधारभूत आय का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को अवधि के दौरान लंबित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को प्रति शेयर आधारभूत आय के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को बदलने पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को अवधि के प्रारंभ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में माना जाता है, यदि इन्हें बाद की तारीख में जारी न किया जाए। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित जारी किए जाने वाले बोनस शेयरों हेतु प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

1.19 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह के विवरण के प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से नकद और नकद समकक्ष में उपलब्ध नकद, माँग जमा सहित बैंकों के पास शेष राशि, अन्य लघु अवधि अत्यधिक तरल निवेश जो मूल्य में परिवर्तन के गैर-महत्वपूर्ण जोखिम के शर्ताधीन हों, जिन्हें आसानी से नकद की ज्ञात मात्रा में बदला जा सके और जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण अथवा निवेश की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम हो। प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है।

1.20 मूल कंपनी के मामले में अवकाश यात्रा भत्ते के लाभ की गणना वास्तविक उपयोग के आधार पर की जाती है।

1.21 निवेश संपदा

निवेश संपत्ति वह संपत्ति है (भूमि या भवन-या भवन का हिस्सा-या दोनों) जो व्यापार के सामान्य पाठयक्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन में उपयोग के लिए या प्रशासनिक के लिए किराए पर लेने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों उद्देश्यों के लिए धारित की जाती है।

मान्यताः-

निवेश संपत्ति को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जबः

(क) यह संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो कि निवेश संपत्ति से जुड़े हैं, इकाई के लिए प्रवाहित होंगे और

(ख) निवेश संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो आगामी अतिरिक्तों को जोड़ दिया जाता है।

निवेश संपत्ति में या उससे स्थानांतरण तब किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन होता है यानी संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या समाप्त हो जाती है और उपयोग में परिवर्तन का प्रमाण है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

निवेश संपत्ति के रूप में रखे गए भवनों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

वि-मान्यता

निवेश संपत्ति का एक मद और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को या तो तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले लिया जाता है और उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती।

शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर को अमान्यता की अवधि में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.22 जारी किए गए किन्तु प्रभावी नहीं मानक

हाल ही में की गई लेखांकन संबंधी घोषणाएं

प्रमुख लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

समूह ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ' लेखांकन नीति सबंधी जानकारी के प्रकटीकरण' हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से यथाअधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक 1 – 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से अपनाया है। यद्यपि संशोधन के परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वित्तीय विवरणों में प्रकट लेखांकन नीति संबंधी जानकारी को प्रभावित किया है। संशोधनों के अंतर्गत 'सिग्निफकेंट ' लेखांकन नीतियों के स्थान पर 'मेटिरियल' प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह संशोधन लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण हेतु वास्तविकता की अनुप्रयुक्ता के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, संस्थाओं को उपयोगी, संस्थागत-विशिष्ट लेखांकन नीति की जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी को समझने के लिए आवश्यक है।

(घ) जारी किए गए मानक जो अभी तक प्रभावी नहीं हैं, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली के अंतर्गत नए मानकों अथवा मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। एमसीए ने मौजूदा मानकों के संबंध में किसी भी प्रकार के नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया है जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं।

1.21.1 लेखांकन नीतियों और अनुमान अनिश्चितता को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

भारत में वित्तीय विवरणों को आईएनडीएएस के अनुसार तैयार जाता है जिसके अंतर्गत प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में संपत्तियों, देनदारियों के शेष और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान दिये गए आय और

व्यय की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

यद्यपि वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किए जाने वाले ये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों, जोकि प्रबंधन की राय में विवेकपूर्ण और उचित होते हैं, के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से उस अवधि के लिए अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार ज्ञात/वास्तविक परिणाम होते हैं। परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उसके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और धारणाओं से संबधित जानकारी को नीचे दिया गया है:

मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने में वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारक निम्नलिखित हैं :

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है वह समूह की भविष्य की कर संभावित आय के आकलन पर आधारित होती है, जिसके संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि हेतु संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण निर्धारक शामिल होते हैं जिसके लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयां, भुगतान में डिफ़ॉल्ट या दोष, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण, अन्य में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रबंधन शेष उपयोगी वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का आकलन करता है और उसका मानना है कि निर्दिष्ट उपयोगी वस्तु और अवशिष्ट मूल्य यथोचित हैं।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उनके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

अग्रिम/प्राप्य राशियों की वसूली

परियोजना/तकनीकी प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख समय-समय पर अग्रिम और प्राप्य राशियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है और ऐसे मूल्यांकन के लिए परस्पर प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, बाजार जानकारी और अन्य संगत कारकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीओबी)

डीबीओ से संबंधित प्रबंधन अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत प्रचलन , मृत्यु दर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान पर आधारित है। इन अवधारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर

सकती है।

आकस्मिकताएं

चूंकि लंबित मामलों के परिणाम का सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, समूह के विरुद्ध आकस्मिकताओं/दावे/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो, का अनुमान लगाने हेतु प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है

परिसमापित हानि

परिसमापित क्षति प्राप्त योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और संविदात्मक शर्तों के अनुसार दर्ज किया जाता है; ठेकेदार/विक्रेता पर लगाए गए अनुमान वास्तविक अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व

प्रदर्शन दायित्व के समाधान हेतु प्रतिशत पूर्णता विधि के उपयोग के लिए समूह को कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दीर्घकालिक निर्माण और सेवा अनुबंधों के परिणामों का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, संतुलित प्रयासों, अनुबंध को पूरा करने संबंधी लागत और समय पर आकलन और निर्णय लेने, जिसमें परिनिर्धारित क्षति हेतु भारित संभावना और संभावित सीमा तक विलम्ब हेतु मूल्य में गिरावट और विश्वसनीय रूप से मापन में सक्षम हों, की आवश्यकता होती है। चूंकि इनपुट और कार्य निष्पादन के समाधान के मध्य सीधा संबंध है, कार्य पूरा होने की दिशा में प्रगति के मापन हेतु लागत और समय लगा है।

पट्टेदार के रूप में संपत्ति पट्टा वर्गीकरण

कंपनी ने कार्यालय/आवासीय परिसरों हेतु पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक परिपेक्ष्य का एक बड़ा भाग नहीं है और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य वाणिज्यिक संपत्ति के उचित मूल्य की समग्र राशि नहीं है, यह कि इन संपत्तियों के स्वामित्व हेतु और पट्टों के परिचालन के अनुबंधों के उत्तरदायी है, कंपनी ने अनुबंधों के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया है।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के निर्धारण और मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और अवधारणाओं से संबंधी जानकारी नीचे दी गई है। वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं।

प्रावधान

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, समूह प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में परिवर्तन और विधिक पहलुओं के आधार पर, समूह की बकाया राशि से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालांकि, भविष्य के वास्तविक परिणाम इस निर्धारण से भिन्न हो सकते हैं।

भौतिकता का निर्धारण

भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेन-देन के प्रकटीकरण और लेखाकंकन हेतु समूह द्वारा भौतिकता का मूल्यांकन अपेक्षित है। तदनुसार, समूह लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए भौतिकता सीमा का आकलन करती है और निरंतर आधार पर अनुसरण करती है।

वाप्कोस लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2023-24
समेकित लेखा टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 2
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

सकल मूल कीमत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	मशीनरी	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कार्य उपकरण	विद्युत कार्य	कंप्यूटर	नेटवर्किंग सेवाएँ	पुस्तकें	कुल
सकल ब्लाक-परिसंपत्तियां													
31-03-2021 को प्रारंभिक शेष	**252.95**	**19.45**	**4,169.94**	**1,022.79**	**921.42**	**380.00**	**966.20**	**89.09**	**454.91**	**1,085.20**	**188.93**	**15.57**	**9,566.46**
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	38.39	121.54	136.59	-	0.14	177.25	-	-	473.92
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	-	(0.79)	(24.65)	-	(29.01)	-	(8.29)	(56.08)	-	-	(118.80)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	(2.39)	-	(184.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(186.69)
31-03-2022 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,985.64**	**1,022.01**	**935.17**	**501.54**	**1,073.79**	**89.09**	**446.77**	**1,206.37**	**188.93**	**15.57**	**9,734.88**
वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	15.86	40.69	90.83	-	0.48	60.38	552.14	0.09	760.46
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(65.80)	(206.75)	(25.17)	(87.99)	(24.39)	(38.71)	(23.64)	(36.12)	-	(0.23)	(508.79)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,919.84**	**815.26**	**925.86**	**454.25**	**1,140.22**	**50.38**	**423.61**	**1,230.64**	**741.07**	**15.42**	**9,986.56**
वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	17.53	-	35.47	-	1.45	55.40	-	0.00	109.84
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(8.95)	0.03	(1.74)	-	(0.73)	(1.12)	0.07	(4.66)	-	-	(17.10)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ईआरपी प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,910.89**	**815.29**	**941.64**	**454.25**	**1,174.96**	**49.26**	**425.13**	**1,281.38**	**741.07**	**15.42**	**10,079.30**
संचित मूल्यह्रास													
31-03-2021 को शेष	-	**3.98**	**547.94**	**827.62**	**361.76**	**282.80**	**638.97**	**69.07**	**197.42**	**818.47**	**151.59**	**9.60**	**3,909.22**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.21	60.71	16.33	91.13	18.45	114.34	1.82	42.74	133.50	5.26	3.18	487.67
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	(0.75)	(6.73)	-	(23.45)	-	(3.59)	(51.86)	-	-	(86.38)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	(40.59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.59)
31-03-2022 को शेष	-	**4.19**	**568.06**	**843.20**	**446.16**	**301.25**	**729.86**	**70.89**	**236.57**	**900.11**	**156.85**	**12.78**	**4,269.92**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.20	60.71	15.48	90.06	34.75	110.80	1.01	39.37	113.65	70.84	2.07	538.95
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(65.80)	(190.35)	(22.33)	(83.59)	(23.19)	(30.74)	(17.47)	(34.06)	-	(0.22)	(467.74)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को शेष	-	**4.39**	**562.97**	**668.34**	**513.90**	**252.42**	**817.47**	**41.16**	**258.47**	**979.70**	**227.69**	**14.63**	**4,341.14**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.20	60.71	15.42	86.76	34.97	89.48	0.54	37.54	101.74	91.15	0.07	518.57
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(8.95)	0.03	(1.30)	-	(0.71)	(1.09)	0.07	(0.90)	-	-	(12.86)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	0.26
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	-	**4.59**	**614.74**	**683.78**	**599.36**	**287.39**	**906.24**	**40.61**	**296.08**	**1,080.80**	**318.84**	**14.70**	**4,847.11**
क्षति प्रावधान													
31.03.2021 तक प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-	**32.33**	-	**1.65**	-	**4.28**	-	-	-	-	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को शेष	-	-	-	**32.33**	-	**1.65**	-	**4.28**	-	-	-	-	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को शेष	-	-	-	**32.33**	-	**1.65**	-	**4.28**	-	-	-	-	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	-	-	-	**32.33**	-	**1.65**	-	**4.28**	-	-	-	-	**38.26**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-22	**250.56**	**15.26**	**3,417.58**	**146.48**	**489.01**	**198.64**	**343.93**	**13.92**	**210.20**	**306.26**	**32.08**	**2.79**	**5,426.70**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-23	**250.56**	**15.05**	**3,356.87**	**114.60**	**411.96**	**200.18**	**322.75**	**4.94**	**165.14**	**250.94**	**513.38**	**0.79**	**5,607.16**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-24	**250.56**	**14.85**	**3,296.16**	**99.18**	**342.28**	**165.21**	**268.72**	**4.38**	**129.04**	**200.59**	**422.23**	**0.72**	**5,193.93**

टिप्पणी : पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजीगत प्रतिबद्धता			
प्रारंभिक शेष	-	644.44	-
वर्ष के दौरान वृद्धि			644.44
वर्ष के दौरान समायोजन	-	644.44	-
अंत शेष	**-**	**-**	**644.44**

टिप्पणी - 2क
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

	आरओयू भवन	आरओयू वाहन	कुल
सकल ब्लाक- 01-04-2021 को आरंभिक शेष	**3,678.00**	**135.76**	**3,813.76**
जोड़	297.62	-	297.62
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(451.48)	(0.78)	(452.26)
31-03-2022 को शेष	**3,524.14**	**134.98**	**3,659.12**
सकल ब्लाक - 01-04-2021 को आरंभिक शेष	**1,627.73**	**80.46**	**1,708.19**
वर्ष के लिए परिशोधन	661.92	28.79	690.71
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2022 को शेष	**2,289.65**	**109.25**	**2,398.90**
31-03-2022 को नेट बुक वैल्यू	**1,234.49**	**25.73**	**1,260.22**
सकल ब्लाक - 01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	**3,524.14**	**134.98**	**3,659.12**
पूर्व अवधि के लिए समायोजन	0.15	-	0.15
जोड़	74.11	34.65	108.76
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(245.36)	(2.45)	(247.81)
31-03-2023 को शेष	**3,353.04**	**167.18**	**3,520.22**
मूल्यह्रास - 01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	**2,289.66**	**109.25**	**2,398.91**
वर्ष के लिए परिशोधन	465.29	22.40	487.69
निपटान के लिए समायोजन	(105.37)	-	(105)
31-03-2023 को शेष	**2,649.58**	**131.65**	**2,781.23**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**703.45**	**35.53**	**738.98**
सकल ब्लाक - 01-04-2023 को आरंभिक शेष	**3,353.03**	**167.18**	**3,520.21**
जोड़	380.72	19.47	400.19
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(117.85)	-	(117.85)
31-03-2024 को शेष	**3,615.90**	**186.65**	**3,802.55**
मूल्यह्रास - 01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**2,649.58**	**131.65**	**2,781.23**
वर्ष के लिए परिशोधन	367.05	18.84	385.89
निपटान के लिए समायोजन	(53.40)	-	(53)
31-03-2024 को शेष	**2,963.23**	**150.49**	**3,113.72**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**652.66**	**36.16**	**688.82**

टिप्पणी - 2ख
निवेश परिसंपत्तियाँ*

(रु. लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड वाली भूमि	कुल
सकल ब्लाक			
01-04-2022 को आरंभिक शेष	2.39	184.30	186.69
जोड़	-	-	-
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान/बट्टे खाते में डालना	-	-	-
31-03-2023 तक शेष राशि	**2.39**	**184.30**	**186.69**
जोड़	-	-	-
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान/बट्टे खाते में डालना	-	-	-
31-03-2024 तक शेष राशि	**2.39**	**184.30**	**186.69**
संचित मूल्यह्रास			
01-04-2022 को आरंभिक शेष	**-**	**43.44**	**43.44**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	2.85	2.85
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2023 तक शेष राशि	**-**	**46.29**	**46.29**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	2.85	2.85
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2024 तक शेष राशि	**-**	**49.14**	**49.14**
01-04-2022 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**140.86**	**143.25**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**138.01**	**140.40**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**135.16**	**137.55**

'सीएसडब्ल्यू इकाई-फ़रीदाबाद की बुक्स में आने वाले भूमि की राशि एवं भवन की राशि फ़रीदाबाद की बहियाँ में ₹ 4.39 लाख एवं निगम कार्यालय में ₹179.91 लाख है।

निदेशक मंडल की सिफारिशों पर तथा कंपनी की आंतरिक समिति की दिनांक 14 मार्च 2022 की रिर्पोट के अनुसार समूह ने एनपीसीसी फ़रीदाबाद औद्योगिक प्लॉट-67-68 सेक्टर-25 फ़रीदाबाद-1211004 हरियाणा-प्रशासनिक ब्लॉक को हुडा के मानदंडों के आधार पर पांच साल के लिए दस साल तक बढ़ा दिया गया है पट्टे पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की है। पक्ष हेतु संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (एलओआईके) अंतिम रूप दिया गया, और इस पर कब्जे की लीज को माह अगस्त 2003 में सुर्पुद किया गया हालांकि प्रबंधान का इरादा 31 मार्च 2023 तक किराये की आय अर्जित करने के उद्देश्य से संपत्ति को रखने का है, इसलिए संपत्ति को 31 मार्च 2023 को भारतीय लेखा मानक एएस-40 की आवश्यकता के अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश सम्पत्ति का मूल्यांकन
भूमि लागत

प्लाट का कुल क्षेत्रफल	14555.55 वर्ग गज
भूमि दर	40,000/वर्ग गज
प्लाट की कुल लागत	5,822.22 लाख रूपये
निर्माण की कुल लागत	138.21 लाख रूपये
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	**5960.43 लाख रूपये**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

टिप्पणी - 2ग
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
स्कल ब्लाक	
31-03-2021 को आरंभिक शेष	**437.64**
जोड़	281.73
31-03-2022 को शेष	**719.37**
जोड़	35.49
31-03-2023 को आरंभिक शेष	**754.86**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	0.01
जोड़	225.03
31-03-2024 को शेष	**979.90**
संचित मूल्यह्रास	
31-03-2021 को आरंभिक शेष	**370.58**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	56.83
31-03-2022 को शेष	**427.41**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	115.01
31-03-2023 को शेष	**542.42**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	178.60
31-03-2024 को शेष	**721.02**
31-03-2022 को नेट बुक वैल्यू	**291.96**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**212.44**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**258.88**

टिप्पणी - 3
गैर-वर्तमान निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक		1 अप्रैल, 2022 तक	
	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि
इक्विटी निवेश **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कंपनी (अनकोटेड) इक्विटी शेयरों में निवेश** जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड 10/- रू प्रत्येक शेयर की दर से 30,000 इक्विटी शेयर का पूर्णतयः भुगतान 3,00,000/- रू 10 रुपये प्रत्येक के 2,279 इक्विटी शेयर की खरीद 20/- रुपये प्रति शेयर का पूर्णतयः भुगतान 45,580/- रुपये*	-	49.06	-	44.02	-	39.52
कुल	**-**	**49.06**	**-**	**44.02**	**-**	**39.52**

* उचित मूल्य के अभाव में, प्रति शेयर बुक वैल्यू पर उसे प्रकट किया गया है।

टिप्पणी - 4
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
प्रतिभूति जमा/ईएमडी			
असुरक्षित, उचित समझें	4,906.66	5,262.65	4,655.25
क्रेडिट क्षति	2,502.60	2,160.30	2,366.29
प्रतिधारण राशि			
असुरक्षित, उचित समझें	1,867.99	160.86	133.69
क्रेडिट क्षति	863.69	11.00	53.90
आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों को अग्रिम			
असुरक्षित, उचित समझें	845.68	845.68	845.68
12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (क), (ख) (अर्जित ब्याज)	13,677.07	2,798.76	32,765.91
	24,663.69	**11,239.25**	**40,820.72**
हानिः संभावित क्रेडिट हानि हेतु भत्ता (ग)	(3,366.29)	(2,171.30)	(2,420.19)
कुल	**21,297.40**	**9,067.95**	**38,400.53**

(क) उपरोक्त में 310.30 लाख रू (गत वर्ष 297.85 लाख रू) की राशि के 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं है। उस पर 83.84 लाख रूपए की राशि (गत वर्ष 72.48 लाख रू)

(ख) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों के संबंध में मार्जिन धन/प्रतिभूति के रूप में धारित 2177.85 लाख रुपये की बैंक जमाएँ और 31.87 लाख रूपए का अर्जित ब्याज शामिल हैं (गत वर्ष 755.06 लाख रू और अर्जित ब्याज 32.76 लाख रू)

(ग) प्रबंधन की राय में, संदिग्ध प्रतिधारण राशि के संबंध में धारित भत्ता प्रतिधारण की वसूली के कारण किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी: 54

ख. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
प्रतिभूति जमाएं/ईएमडी			
असुरक्षित, उचित समझें	2,248.25	1,808.18	1,526.07
क्रेडिट क्षति	2,342.82	2,074.01	1,811.78
अन्य वसूली योग्य	1,364.64	1,192.11	558.99
स्टाफ को अग्रिम (क)			
असुरक्षित, उचित समझें	238.66	214.22	228.74
क्रेडिट क्षति	26.77	26.77	26.77
सीपीएफ ट्रस्ट			
असुरक्षित, उचित समझें	128.23	11.65	11.86
क्रेडिट क्षति	84.52	200.00	200.00
चांदी के प्रतीक चिन्ह	0.45	0.45	0.45
	6,434.34	**5,527.39**	**4,364.66**
घटाएं: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,454.11)	(2,300.78)	(2,038.55)
कुल	**3,980.23**	**3,226.60**	**2,326.11**

(क) टिप्पणी संख्या - 64 देखें

(ख) इसमें ठेकेदार द्वारा परियोजना में विलम्ब के कारण मैसर्स बीपीआरडी द्वारा प्रतिसंहरण की गई वाप्कोस की बैंक गारंटी से संबंधित 710.81 लाख की राशि शामिल है। परिणामस्वरूप, वाप्कोस लिमिटेड ने मैसर्स स्वर्णिम की 304.40 लाख की बैंक गारंटी का प्रतिसंहारण किया और शेष राशि को बिलों के माध्यम से समायोजित किया।

टिप्पणी - 5
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र, उपकरणों और अर्मूत संपत्तियों का मूल्यहास और परिशोधन	-	-	11.04
कर्मचारी लाभ	3,873.14	3,723.66	3,655.04
ईएमडी का प्रावधान	499.90	-	-
एमएसएमई आपूर्तिकर्ता का प्रावधान	567.98	-	-
आपूर्तिकर्ता अग्रिम का प्रावधान	81.08	30.95	1.46
किराया अग्रिम का प्रावधान	5.54	6.29	6.29
यात्र भत्ता व्यय/विविध व्यय हेतु प्रावधान	7.00	1.02	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणऔर इन्वेंट्री के लिए भत्ते	36.62	36.59	36.59
मुकदमेबाजी व्यय के लिए प्रावधान	388.31	-	53.59
विदेशी अग्रदाय हेतु प्रावधान	2.56	2.56	-
लीज देनदारियां (आरओयू का निवल)	46.54	44.09	49.96
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हेतु प्रावधान	14,297.31	11,462.37	8,916.47
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**19,805.98**	**15,307.53**	**12,730.44**
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों का मूल्यहास और परिशोधन	(433.30)	(440.53)	(373.83)
निवेश पर मूल्यांकन लाभ के लिए प्रावधान	(12.35)	(11.08)	(9.95)
आस्थगित कर देनदारियां (ख)	**(445.65)**	**(451.61)**	**(383.78)**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**19,360.33**	**14,855.92**	**12,346.66**

आस्थगित कर परिसंपत्ति देनदारी में संचलन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	31 मार्च, 2023 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	हानि विवरण में अभिज्ञात प्राप्त - पूर्व अवधि प्रभाव	01 अप्रैल, 2022 को
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:								
कर्मचारी लाभ	3873.14	6.83	142.65	3723.66	(45.12)	113.74	-	3655.04
लीज देनदारियां	46.54	-	2.45	44.09	-	(5.87)	-	49.96
अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान	14333.94	-	2834.98	11498.96	-	2,545.90	-	8953.06
अन्य	1552.38	-	1511.56	40.81	-	(20.53)	-	61.34
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देनदारियां:								
मूल्यहास	(433.30)	-	7.22	(440.53)	-	(77.74)	-	(362.79)
अन्य	(12.35)	(1.27)	-	(11.08)	(1.13)	-	-	(9.95)
कुल	**19,360.33**	**5.56**	**4498.87**	**14855.92**	**(46.25)**	**2,555.50**	**-**	**12,346.66**

टिप्पणी - 6
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
पूर्व-भुगतान व्यय	166.73	126.73	149.04
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	6.49	4.58	10.02
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिमः			
सुरक्षित, उचित समझे	21.19	21.19	285.40
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	765.72	802.88	942.51
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	1,825.28	1,825.28	1,802.35
	2,785.41	2,780.66	3,189.32
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(1,825.28)	(1,825.28)	(1,802.35)
कुल	**960.13**	**955.38**	**1,386.97**

टिप्पणी - 7
व्यापार प्राप्य - गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है	11,165.90	11,549.16	13,114.71
क्रेडिट क्षति	2,758.69	3,969.00	3,491.03
	13,924.59	15,518.16	16,605.74
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*	(2,758.69)	(3,969.00)	(3,491.03)
कुल	**11,165.90**	**11,549.16**	**13,114.71**

* **प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की संबंध में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-54**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	8.94	14.94	119.45	329.19	9,154.80	9,627.33
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	2.04	3.40	27.21	74.98	2,085.09	2,192.72
विवादित व्यापार प्राप्तियां -उचित समझे	-	-	-	-	-	101.08	1,437.48	1,538.57
विवादित व्यापार प्राप्तियां -क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	23.02	327.40	565.97
31 मार्च, 2024 को	**215.55**	**-**	**10.97**	**18.35**	**146.66**	**528.28**	**13,004.78**	**13,924.59**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	17.63	353.73	1,467.42	8,458.68	10,297.46
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	5.73	114.96	476.91	2,749.06	3,346.66
विवादित व्यापार प्राप्तियां -उचित समझे	-	-	-	-	-	-	1,251.70	1,251.70
विवादित व्यापार प्राप्तियां -क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	-	406.80	622.35
31 मार्च, 2023 को	**215.55**	**-**	**-**	**23.35**	**468.70**	**1,944.33**	**12,866.23**	**15,518.16**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	293.19	-	143.62	70.64	1,352.33	1,361.68	8,478.90	11,700.36
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	36.69	18.05	345.48	347.86	2,166.09	2,914.17
विवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	90.19	1,324.15	1,414.34
विवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	23.04	338.28	576.87
31 मार्च, 2022 को	**508.74**	**-**	**180.32**	**88.68**	**1,697.81**	**1,822.77**	**12,307.42**	**16,605.74**

टिप्पणी - 7(ख)
व्यापार प्राप्तियां - वर्तमान परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है**	202,130.21	185,688.15	186,258.84
क्रेडिट क्षति	59,197.15	51,182.39	43,211.69
	261,327.36	**236,870.54**	**229,470.53**
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*#	(59,197.15)	(51,182.39)	(43,211.69)
कुल	**202,130.21**	**185,688.15**	**186,258.84**

* प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की संबंध में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-54

** 1384.61 लाख रू की वर्तमान प्रतिधारण राशि शामिल है। (गत वर्ष की राशि 33.60.69 लाख रू)

\# 437.78 लाख रू की वर्तमान प्रतिधाारण राशि पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता शामिल है। (गत वर्ष की राशि 1287.04 लाख रू)

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	9,589.32	12,527.56	76,796.60	4,515.98	30,080.71	14,501.18	54,118.87	202,130.21
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	7,143.34	275.56	3,850.25	3,660.64	44,267.37	59,197.16
व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को	**9,589.32**	**12,527.56**	**83,939.94**	**4,791.54**	**33,930.96**	**18,161.82**	**98,386.24**	**261,327.36**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	7,455.67	16,256.75	58,005.37	10,611.08	23,530.46	22,406.93	47,421.88	185,688.14
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	5,820.63	1,095.56	2,860.40	6,206.79	35,199.00	51,182.38
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	**7,455.67**	**16,256.75**	**63,826.00**	**11,706.63**	**26,390.87**	**28,613.72**	**82,620.88**	**236,870.54**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	12,503.98	16,613.83	44,626.63	9,757.66	35,530.61	32,262.41	34,963.72	186,258.84
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	4,137.52	1,508.67	3,998.21	8,686.21	24,881.08	43,211.69
व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को	**12,503.98**	**16,613.83**	**48,764.15**	**11,266.32**	**39,528.81**	**40,948.63**	**59,844.80**	**229,470.53**

टिप्पणी - 8
इन्वेन्ट्री

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
स्टोर और स्पेयर (साइट पर और पारगमन में उपलब्ध निर्माण सामग्री सहित)	107.11	107.12	114.07
घटाएं: हानि का प्रावधान	(107.11)	(107.11)	(107.11)
	-	**0.01**	**6.96**
उपलब्ध उपकरण	0.15	0.15	0.15
घटाएं: उपकरण हेतु प्रावधान	(0.15)	-	-
	-	**0.15**	**0.15**
कुल	**-**	**0.16**	**7.11**

* स्टोर और स्पेयर और उपकरणों की वस्तु सूची का प्रबंधन द्वारा ग्रहण, मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाना।

संदर्भ टिप्पणी सं. 42

टिप्पणी - 9
नकद एवं नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंकों में चालू खातों में शेष (क), (ख), (ग) और (घ)	63,148.32	42,884.75	54,253.57
घटाएं: हानि हेतु भत्ते	(383.69)	(383.69)	(383.69)
	62,764.63	**42,501.06**	**53,869.88**
3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ (ङ) (च) (अर्जित ब्याज सहित)	10,485.75	9,528.39	1,721.94
पारगमन में प्रेषण	-	400.00	-
उपलब्ध नकद	8.92	10.00	10.00
कुल	**73,259.30**	**52,439.45**	**55,601.82**

क) टिप्पणी 8 में से निम्नलिखित बैंक शेष ग्राहकों/मंत्रलयों की ओर से बनाए गए अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	22,111.89	9,090.14	11,479.99
कुल	**22,111.89**	**9,090.14**	**11,479.99**

(ख) विदेशी मुद्रा बैंक खातों और विदेशी बैंकों में बैंक खातों की शेष राशि शामिल है। इसके अलावा प्रत्यावर्तनीय प्रतिबंधों सहित ₹ 1576.77 लाख (पिछले वर्ष ₹ 495.16 लाख) की राशि विदेशों में मौजूद है।

(ग) इसमें बैंक गारंटी से संबंधित बैंक के वैध अधिकार के तहत ₹ 3.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3.62 लाख) की राशि शामिल है।

(घ) 29.04.2024 को 24.34 लाख रूपये की निधियां समर्पित खाते में अंतरित की गई।

(ङ.) उपरोक्त में बैंक जमा ₹ 7.25 लाख और प्रारंभ तिथि से 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक गारंटी के संबंध में मार्जिन राशि/जमा के रूप में धारित ₹ शून्य लाख का अर्जित ब्याज शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 158.90 लाख और अर्जित ब्याज ₹ 1.53 लाख)

(च) उपरोक्त में 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक एफडीआर के रूप में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 7.02 लाख) की ईएमडी राशि और ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.01 लाख) का अर्जित ब्याज, लेकिन उस पर देय नहीं, की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 10
अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
बैंक में जमा खाते में तीन माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाली शेष राशि परंतु जो बैलेंस शीट डाटा (क) (ख), (ग) और (घ) की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर परिपक्व होने वाली हो (अर्जित ब्याज सहित)	150,085.26	156,088.61	131,724.02
अन्य बैंक शेष (ड.) एवं (च)	231.60	148.06	108.01
कुल	**150,316.86**	**156,236.67**	**131,832.03**

(क) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों की एवज में मार्जिन धन/प्रतिभूति के रूप में धारित 10620.97 लाख रु की बैंक जमाएँ और 255.45 लाख रू का प्राप्त ब्याज शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग की तारीख से 12 माह से कम है (गत वर्ष 9564.63 लाख रू और 2504.52 लाख रू का अर्जित ब्याज)।

(ख) कर्मचारी फिक्स डिपोजिट शामिल है, संदर्भ टिप्पणी सं 66

(ग) पीएनबी लंदन के पास 31 मार्च, 2024 तक अमेरिकी डालर और भारतीय मुद्रा में देय 199.73 करोड़ (और 6.93 करोड़ रूपए की अर्जित ब्याज राशि) की सावधि जमा राशि शामिल है, जो मैसर्स अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम की परियोजना (अमेरिकी डालर और भारतीय मुद्रा में देय मूलधन राशि 164.36 करोड़ रू) की आय से प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग परियोजना से संबंधित विक्रेता के लिए किया जाएगा। कंपनी ऐसे मुख्य बकाया पर कोई ब्याज देयता नहीं मानती है।

(घ) उपरोक्त में 1220.70 लाख रू (गत वर्ष 1203.74 लाख रू) में 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित है, लेकिन देय नहीं है, जिसकी राशि 262.99 लाख रू (गत वर्ष 382.34 लाख रू) है।

(ड.) उपरोक्त शेष राशि में 231.60 लाख रुपये सीएसआर का बैंक शेष शामिल हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) 31.03.2024 तक 128.96 लाख रुपये अलग बैंक खातों में रखे गए थे (जिनमें से 59 लाख रुपये दिनांक 29.04.2024 को स्वच्छ गंगा कोष में अंतरित किए गए थे)

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 102.64 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। (जिनमें से, 89.12 लाख रुपये एक नए पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए और 8.53 लाख रुपये 30.04.2024 को मौजूदा सीएसआर खाते में स्थानांतरित किए गए, दिनांक 30.04.2024 को 0.15 लाख रुपये और 30.11.2024 को 4.84 लाख रुपये स्वच्छ गंगा कोष में अंतरित किए गए)।

(च) उपरोक्त में शेष राशि शामिल है जो अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरित की गई, जिसकी शेष राशि शून्य है (पिछले वर्ष 1.85 लाख रुपये)।

टिप्पणी- 11
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
अग्रिम आय कर और टीडीएस (4223.30 लाख रू की राशि के कराधान के प्रावधान का निवल (गत वर्ष 3862.02 लाख रू)) (क)	18,481.94	17,826.15	16,201.58
कुल	**18,481.94**	**17,826.15**	**16,201.58**

(क) आयकर प्रावधान को टीडीएस और अग्रिम कर के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी - 12
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2022 तक
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिम			
सुरक्षित, उचित समझे (क)	2,695.04	3,736.72	3,530.04
असुरक्षित, उचित समझे	2,060.21	2,056.59	1,646.39
क्रेडिट अनर्जित	322.17	122.99	5.81
अग्रिम किराया	-	-	-
असुरक्षित उचित समझें	0.44	21.14	49.33
क्रेडिट अनर्जित	22.01	25.00	25.00
पूर्व-भुगतान व्यय	272.95	416.36	467.10
सुरक्षा जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	3.79	8.27	8.74
विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों के पास जमा राशि	1,139.62	1,179.48	898.80
अंतर यूनिट जमा खाता	-	-	-
अनबिल राजस्व एनआईओ	51.93	42.74	58.72
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि	34,796.10	30,645.59	26,308.78
	41,364.26	**38,254.88**	**32,998.71**
कमः आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के लिए संदिग्ध प्रावधान	(322.17)	(122.99)	(5.81)
कमः अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	(22.01)	(25.00)	(25.00)
कुल	**41,020.08**	**38,106.89**	**32,967.90**

(क) बैंक गारंटी के संबंध में सुरक्षित 1951.04 लाख रू (गत वर्ष 1,474.42 लाख रू)

(ख) ठेकेदार द्वारा स्थल पर सामग्री खरीद के संबंध में 301.35 लाख रू (गत वर्ष 44.59 लाख रू)

टिप्पणी-13
शेयर पूंजी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		01 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत सम मूल्य पर 10/-रू प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 31, मार्च 2023 10/-रू प्रत्येक और 1 अप्रैल, 2022 100/-रू प्रत्येक)	20,00,00,000.00	20,000.00	20,00,00,000.00	20,000.00	20,00,00,000.00	20,000.00
जारी किए गए, अभिदत्त और प्रदत्त सम मूल्य पर 10/- रुपये इक्विटी शेयर की दर से (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 को 10/- रू प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2022 को 100/- रू प्रत्येक)	13,00,00,000.00	13,000.00	13,00,00,000.00	13,000.00	13,00,00,000.00	13,000.00
कुल	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**

31 मार्च, 2024, 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल 2022 को बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		01 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	1,00,00,000	10,000
जोड़: विभाजक के कारण वृद्धि	-	-	-	-	9,00,00,000	-
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर: बोनस जारी	-	-	-	-	3,00,00,000	3,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000

सममूल्य पर 10/- रू- प्रति के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 को 10/- रू- प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2022 को 100/- रू- प्रत्येक)

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

समूह के पास इक्विटी शेयर के रूप में संदर्भित शेयर का एक वर्ग है जो 10 रु प्रत्येक के मूल्य के हैं। इक्विट शेयर के प्रत्येक धारक की प्रतिशेयर एक वोट का हकदारी है।

समूह में 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों की सूची:

(रु. लाख में)

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		1 अप्रैल, 2022 को	
	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %
10 रुपये प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 तक 10 रु- प्रति और 01 अप्रैल, 2022 तक 100/- रुपये प्रति)						
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित सदस्य	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%

तुलन पत्र की तारीख से पहले गत पाँच वर्षों में बोनस शेयरों द्वारा पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	1 अप्रैल, 2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
सामान्य आरक्षित को पूंजीकृत करके पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	3,00,00,000	शून्य
कुल	-	-	-	**3,00,00,000**	

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

31 मार्च 2024 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

31 मार्च 2023 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

1 अप्रैल, 2022 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

टिप्पणी-14

अन्य इक्विटी

आरक्षित और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य

1. **सामान्य आरक्षित:**

   सामान्य आरक्षित का अर्थ है किसी उद्यम की आय का वह भाग जिसे प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित करने के बजाय भविष्य में ज्ञात या अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए विनियोजित किया जाता है।

2. **अधिशेष:**

   समूह द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को लाभ एवं हानि खाते के विवरण से अधिशेष में अंतरित किया जाता है।

3. **अन्य व्यापक आय:**

   अन्य व्यापक आय भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लभ्य" के अनुसरण में परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बुक किए गए लाभ/(हानि) और भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय साधन" के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित अनकोटेड इक्विटी साधनों में निवेश से बुक किए गए लाभ/(हानि) के कारण शेष राशि होती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
आरक्षित और अधिशेष			
सामान्य आरक्षित	(1,130.75)	1,369.25	4,469.25
धारित पूँजी	43,823.13	31,883.12	33,566.94
अधिशेष	9,016.39	9,016.39	9,016.39
अन्य व्यापक आय	(180.42)	(103.40)	(239.73)
कुल	**51,528.35**	**42,165.36**	**46,812.85**

टिप्पणी-15

व्यापार देयाएँ

क. व्यापार देयताएँ-गैर-वर्तमान*

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	380.06	406.40	41.46
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	17,680.28	16,875.93	22,316.67
कुल	**18,060.34**	**17,282.33**	**22,358.13**

*आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को देय प्रतिधारण राशि शामिल

व्यापार देय राशि - गैर - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	380.06	-	-	-	-	380.06
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	1,135.77	303.09	1,109.56	506.00	14,618.43	17,672.85
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	- -	-	-	-	-	7.44	7.44
31 मार्च, 2024 को		**1,515.83**	**303.09**	**1,109.56**	**506.00**	**14,625.87**	**18,060.35**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	406.40	-	-	-	-	406.40
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	901.27	355.41	780.40	1,490.38	13,341.02	16,868.48
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	7.45	7.45
31 मार्च, 2023 को		**1,307.67**	**355.41**	**780.40**	**1,490.38**	**13,348.47**	**17,282.33**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	41.46	-	-	-	-	41.46
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	815.99	3,878.42	1,578.97	2,981.99	13,053.85	22,309.22
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	7.45	7.45
01 अप्रैल, 2022 को		**857.45**	**3,878.42**	**1,578.97**	**2,981.99**	**13,061.30**	**22,358.13**

ख. व्यापार देय-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि*	28,927.42	32,551.70	36,560.17
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	160,097.14	128,330.52	121,005.07
कुल	**189,024.56**	**160,882.22**	**157,565.24**

*संदर्भ टिप्पणी संख्या - 38

व्यापार देय राशि - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	7,240.59	3,736.42	2,543.09	15,407.33	28,927.43
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	720.37	-	90,964.64	17,686.35	8,931.89	41,793.89	160,097.14
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को	**720.37**	**-**	**98,205.23**	**21,422.77**	**11,474.99**	**57,201.22**	**189,024.57**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	39.21	-	12,748.49	3,322.74	2,825.85	13,615.41	32,551.70
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	6,445.98	-	61,995.67	13,700.37	10,678.01	35,376.63	128,196.67
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	**6,485.19**	**-**	**74,744.16**	**17,023.11**	**13,503.86**	**48,992.04**	**160,748.37**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	310.40	-	13,473.64	6,862.77	7,069.61	8,843.75	36,560.17
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	7,638.80	-	60,443.91	16,404.50	12,625.65	23,877.30	120,990.15
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2022 को		**-**	**73,917.55**	**23,267.27**	**19,695.25**	**32,721.05**	**157,550.32**

टिप्पणी - 16
प्रावधान
क. प्रावधान - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
अवकाश नकदीकरण-गैर-वित्तपोषित (टिप्पणी संख्या 34 देखे)	4,615.80	4,668.51	4,338.66
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम-गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	3,015.67	2,718.01	2,561.06
ग्रेच्यूटी-वर्कमैन-गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	25.90	71.30	226.41
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	1,984.15	1,566.03	1,110.33
कुल	**9,641.52**	**9,023.85**	**8,236.46**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधानों की प्रत्येक श्रेणी में संचार हेतु (संदर्भ टिप्पणी 35)

ख. प्रावधान - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	89.42	78.55	64.89
पेंशन (संदर्भ टिप्पणी 34)	2,433.00	1,901.30	1,583.02
अवकाश यात्रा रियायत (संदर्भ टिप्पणी 34)	54.71	54.71	54.71
अवकाश नकदीकरण - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	615.63	561.52	726.14
ग्रेच्यूटी-वर्कमैन - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	60.61	201.53	290.69
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	993.13	992.35	985.70
कुल	**4,246.50**	**3,789.96**	**3,705.15**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के प्रावधानों में गतिविधि के लिए (संदर्भ टिप्पणी 35)

टिप्पणी - 17
अन्य देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	18,764.65	10,705.29	24,605.65
अनुपार्जित आय	800.86	916.07	1,120.50
अग्रिम किराया	0.98	1.33	-
अन्य देयताएँ	188.15	73.25	70.81
कुल	**19,754.64**	**11,695.94**	**25,796.96**

ख. अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	116,918.56	128,475.42	123,788.71
अनुपार्जित आय	21,070.26	18,334.01	16,821.29
अग्रिम किराया	0.35	0.35	-
अन्य देयताएँ (क)	1,117.46	1,477.75	328.55
कुल	**139,106.63**	**148,287.53**	**140,938.55**

(क) इसमें ठेकेदार द्वारा परियोजना में किये गये विलम्ब के कारण मूल कंपनी द्वारा मैसर्स स्वर्णिम की बैंक गारंटी के संबधित 304.40 लाख की राशि शामिल है

टिप्पणी- 18
ऋण
क- दीर्घावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
बैंक से भारतीय मुद्रा ऋण (क)	19,272.64	13,551.17	3,785.37
कुल	**19,272.64**	**13,551.17**	**3,785.37**

(क) बैंक से सुरक्षित सावधि ऋण:

कंपनी ने भारतीय बैंक से 40,000 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक 25300 लाख रूपए, 3 माह के एमसीएलआर (तिमाही पुनर्नियोजन के साथ) वितरित किए गए हैं, और निम्नलिखित के माध्यम से सुरक्षित होगा:

(iक) प्राथमिक सुरक्षा - क) कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों पर विशेष प्रभार और कॉर्पोरेट ऋण के लिए कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समरूप प्रभार।

(iख) एनएफबी सीमाओं के लिए कंपनी की ओम्नीबस काउंटर गारंटी

-पुनः भुगतान की शर्तें- निम्नलिखित पुनः भुगतान के साथ 9 वर्ष 6 महीने की ऋण अवधि

(i) बकाया मूलधन को जून, 2022 से आरंभ कर मार्च, 2031 तक त्रैमासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक वास्तविक बकाया शेष 18021.71 लाख (प्रसंस्करण शुल्क के कारण ईआईआर समायोजन को छोड़कर) होगा।

(ii) दिसम्बर 2021 से शुरू होने वाले प्रावधानों के अनुसार मासिक ब्याज देय होगा

ख. अल्पावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
नकद ऋण सुविधा (क)	(0.02)	-	4,102.38
	-	-	-
बैंक से ऋण (सुरक्षित)	-	-	-
दीर्घ अवधि की उधारी के लिए लघु अवधि मैच्योरिटी (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 18क)	3,500.00	731.17	197.49
कुल	**3,499.98**	**731.17**	**4,299.87**

(क) कंपनी ने निम्नलिखित नकद ऋण सुविधाओं को संस्वीकृत किया है। :

I) एचडीएफ़सी बैंक रू 5,000 लाख एमसीएलआर पर मासिक देय है और के माधयम से सुरक्षित:

(i) कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समान प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों।

वित्तीय वर्ष 2023-24
बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-23			
दिसंबर-23			
मार्च-24			

वित्तीय वर्ष 2022-23
बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
जून-22	180 दिनों तक बुक ऋण	47,323.80	47,323.80	-	
	ऋणदाता	44,768.28	44,768.28	-	
सितंबर-22	180 दिनों तक बुक ऋण	23,424.78	23,424.78	-	
	ऋणदाता	49,183.06	49,183.06	-	
दिसंबर-22	180 दिनों तक बुक ऋण	26,731.37	26,731.37	-	
	ऋणदाता	40,523.89	40,523.89	-	
मार्च-23	180 दिनों तक बुक ऋण	57,482.75	57,482.75	-	
	ऋणदाता	43,123.34	43,123.34	-	

(ख) कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और आईडीएफ़सी से रु 96,500.00 लाख (पिछले वर्ष रु 1,11,500.00 लाख) की गैर-वित्त पोषित सुविधा का लाभ उठाया है। जिसमें से रु 38,427.52 लाख (पिछले वर्ष रु 37,594.00 लाख) का उपयोग 31 मार्च 2024 तक सुरक्षा के रूप में रखे गए रु 5984.24 लाख (पिछले वर्ष रु 5734.68 लाख) के बैंक जमा के संबंध किया गया है। (सन्दर्भ टिप्पणी संख्या - 4, 9 और 10)

टिप्पणी-19
लीज देयता
क. लीज देयता - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
लीज देयता	498.50	495.96	936.70
कुल	**498.50**	**495.96**	**936.70**

ख. लीज देयता - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
लीज देयता	306.30	418.51	522.47
कुल	**306.30**	**418.51**	**522.47**

टिप्पणी-20
अन्य वित्तीय देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
ग्राहक जमा कार्य पर देय ब्याज (क)	7,785.22	6,998.77	5,730.74
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	341.18	341.18	341.18
अन्य देयताएँ	6,999.68	5,553.24	4,552.10
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	40,433.52	35,024.17	30,960.83
कुल	**55,559.60**	**47,917.36**	**41,584.85**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं. 65

ख. अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन/बोनस	1,565.79	1,389.87	1,802.82
निगमित सामाजिक दायित्व देय राशि (क)	292.24	354.44	146.77
पेंशन (स्वैच्छिक)	-	-	-
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	10,555.00	9,975.06	9,720.95
कर्मचारियों को देय राशि	6,277.30	6,079.43	5,728.59
ग्राहकों से अग्रिम- प्रत्यावर्तनीय	1,042.12	3,465.19	3,024.88
अवैतनिक लाभांश	-	1.85	-
ग्रेच्युटी ट्रस्ट को देय राशि	789.80	1,018.36	1,197.96
अन्य देयताएँ	760.44	760.39	760.49
अन्य देय राशि (ख)	3,141.47	4,099.61	5,408.76
कुल	**24,424.16**	**27,144.20**	**27,791.22**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं 44

(ख) उन कर्मचारियों की प्रतिभूति शामिल है जिनके संबंध में काउंटर सावधि जमा बनाए गए हैं संदर्भ टिप्पणी सं. 66

टिप्पणी - 21
प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी आय	67,574.53	68,958.31
निर्माण संविदाएँ	248,848.79	232,849.04
कुल	**316,423.32**	**301,807.35**

टिप्पणी - 22
अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज से आय		
क. बैंक जमा*	7,061.10	4,409.38
ख. आयकर रिर्टन पर ब्याज	75.99	128.23
ग. अन्य	111.39	230.33
लाभांश आय	1.02	0.75
विनिमय भिन्नताएँ	613.01	3,204.23
अन्य गैर-प्रचालन आय	2,235.58	1,962.83
कुल	**10,098.09**	**9,935.75**

* इस राशि में, करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरणों की अप्रयुक्त राशि पर अर्जित निवल ब्याज पर बैंक डिपोजिट पर ब्याज शामिल है। संदर्भ टिप्पणी 72

टिप्पणी - 23
निर्माण व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
निर्माण परियोजनाओं के लिए	236,729.88	221,745.94
कुल	**236,729.88**	**221,745.94**

टिप्पणी -24
कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
वेतन, पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि	33,525.36	34,898.94
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,736.35	2,995.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	391.76	426.57
कुल	**36,653.47**	**38,320.72**

टिप्पणी - 25
वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज :		
नकद ऋण सुविधा	-	18.79
सावधि ऋण	1,444.85	861.12
ग्राहक जमा कार्य (क)	1,725.55	1,498.08
लीज देनदारियां	69.58	100.13
कुल	**3,239.98**	**2,478.12**

(क) संदर्भ टिप्पणी 65

टिप्पणी - 26
प्राप्त की गई सेवाएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी परियोजनाओं के लिए	15,315.20	18,456.09
निर्माण परियोजनाओं के लिए	96.73	49.84
कुल	**15,411.93**	**18,505.93**

टिप्पणी - 27
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	521.41	541.81
अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	178.59	115.01
कुल (क)	**700.00**	**656.82**
उपयोग के अधिकार पर परिशोधन	385.89	487.74
कुल (ख)	**385.89**	**487.74**
कुल (क+ख)	**1,085.89**	**1,144.56**

टिप्पणी - 28
निगमित सामाजिक दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
निगमित सामाजिक दायित्व (क)	176.44	302.23
कुल	**176.44**	**302.23**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 44

टिप्पणी - 29
अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
विद्युत एवं ईंधन	313.38	322.63
किराया (क)	1,394.71	1,361.54
मरम्मत और रखरखाव - कार्यालय परिसर	554.60	671.25
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	110.32	128.48
बीमा	146.66	152.47
दरें और कर	375.23	833.57
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	653.99	900.62
यात्रा व्यय - भारत	1,106.54	1,086.42
- विदेश	545.16	654.25
वाहन और यातायात पर व्यय	1,508.21	1,315.43
वाहन किराये पर लेना	1,301.46	1,171.10
निदेशक बैठक शुल्क	19.37	16.73
डाक टेलीफोन एवं टेलीग्राम	269.79	285.16
विज्ञापन व प्रचार	149.43	169.82
विनिमय में भिन्नता	382.12	1,629.62
लेखापरीक्षकों को भुगतान -	-	-
(क) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	26.07	26.07
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	9.70	9.69
(ग) अन्य सेवाओं के लिए	3.58	11.64
(घ) यात्रा व्यय	13.95	11.88
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि और अन्यों के लिए प्रावधान	7,783.48	14,253.69
संदिग्ध अग्रदाय खाता प्रावधान	45.42	22.16
विधिक दावों के लिए प्रावधान	111.72	-
बैंक शुल्क और गारंटी कमीशन	626.92	738.59
विविध व्यय	2,075.97	2,396.85
कम: व्यय प्रतिपूर्ति योग्य (ख)	(28.54)	(144.20)
कुल	**19,499.24**	**28,025.43**

(क) लीज भुगतान के संबंध में संदर्भ टिप्पणी सं- 46

(ख) प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में संदर्भ टिप्पणी सं- 40

टिप्पणी - 30
असाधारण मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
व्यय		
सम्पत्ति, और उपकरण की ब्रिकी पर हानि	0.32	0.50
बुरे ऋण/अन्य शेष राशि निपटान	0.41	-
(क)	**0.73**	**0.50**
आय		
वाद निपटान	118.52	275.64
बट्टे खाते प्रावधान	-	258.59
देयताएँ अपलिखित	443.74	146.73
सम्पति, प्लांट और उपकरण की ब्रिकी पर लाभ	-	80.90
(ख)	**562.26**	**761.86**
कुल (ख-क)	**561.53**	**761.36**

टिप्पणी-31
आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
वर्तमान वर्ष कर		
वर्तमान वर्ष का कर शुल्क	6,826.82	4,837.58
पिछले वर्ष का कर शुल्क	(65.16)	1,333.26
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(4,498.86)	(2,555.50)
कुल	**2,262.79**	**3,615.34**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	23.44	(46.25)
कुल	**23.44**	**(46.25)**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	14,286.09	4,247.45
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168%	3,595.52	1,069.00
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (निवल)	(1,630.86)	106.00
ओसीआई में कर का प्रभाव	23.44	(26.41)
आयकर में पूर्व अवधि समायोजन की अनुमति नहीं है	-	114.01
आयकर की दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
चालू वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	-	724.37
गत वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	(0.47)	0.62
पूर्व अवधि के समायोजन का प्रभाव	-	4.47
अन्य	348.80	300.57
प्रभावी कर दर पर	2,336.43	2,292.63
लाभ और हानि लेखा के विवरण में दर्ज किया गया (वर्तमान वर्ष) आयकर व्यय	2,336.43	2,292.63
प्रभावी कर दर	**16.35%**	**53.98%**

अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपातों का नाम	अंश	/	भाजक		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	परिवर्तन	परिवर्तनों के कारण > 25%
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	/	वर्तमान देयताएं	=	1.357	1.329	2.07%	-
2	ऋण इक्विटी अनुपात	दीर्घजीवी ऋण + लघु अवधि ऋण	/	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	=	0.353	0.259	-36.31%	दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि के कारण
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ई बी आई टी डी ए	/	ऋण चुकौती दायित्व (कर के बाद ब्याज़+मूलधन)	=	0.769	0.370	107.93%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि के कारण
4	इक्विटी अनुपात पर रिर्टन	लाभांश के बाद कर के बाद निवल लाभ	/	औसत शेयरधारक की निधि	=	0.186	-0.030	729.13%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि के कारण
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण बिक्री	/	औसत व्यापार प्राप्तियां	=	223.678	224.913	0.55%	-
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण खरीद	/	औसत व्यापार देय	=	278.843	272.011	-2.51%	-
7	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल वार्षिक बिक्री	/	कार्यशील पूंजी	=	2.461	2.688	-8.46%	-
8	निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	/	कुल टर्नओवर	=	0.038	-0.005	801.92%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	नियोजित पूंजी	=	0.259	0.082	215.75%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण
10	निवेश पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	कुल निवेश	=	3.19	0.76	318.83%	कंपनी के कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 32
समूह की जानकारी

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	निगमन देश	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	31 मार्च 2024 को स्वामित्व का अनुपात (%)	31 मार्च 2023 को स्वामित्व का अनुपात (%)
1	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	26 अप्रैल 2019	98.89%	98.89%

भौतिक गैर-नियंत्रित ब्याज के साथ सहायक कंपनियां ('एनसीआई')

समूह में निम्नलिखित सहायक शामिल हैं, भौतिक गैर-नियंत्रित हितों के साथ, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	एनपीसीसी लिमिटेड	
देश	भारत	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
एनसीआई द्वारा पूंजी योगदान (%)	1.11%	1.11%
एनसीआई का लाभ हिस्सा (%)	1.11%	1.11%
गैर-नियंत्रित ब्याज का संचित लाभ और हानि	83.02	50.02
गैर-नियंत्रित ब्याज की संचित अन्य व्यापक आय	(0.48)	1.20
गैर-नियंत्रित ब्याज की संचित कुल व्यापक आय	82.54	51.22

अंतर समूह निसन से पूर्व कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सहायक कम्पनी का नाम	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
सहायक कम्पनी बनने की तिथि	26 अप्रैल 2019	26 अप्रैल 2019
इक्विटी शेयर पूंजी	9453.16	9453.16
अन्य इक्विटी	17440.74	11405.8
कुल परिसंपत्ति	273658.69	246088.79
कुल देनदारियाँ	246764.79	225229.83
संचालनों से राजस्व	165075.04	161412.29
कराधान से पहले लाभ	7784.24	6196.11
कर व्यय	304.79	1689.35
अन्य व्यापक आय	(43.11)	108.04
कुल व्यापक आय	7436.34	4614.79

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:

(रु. लाख में)

कम्पनी का नाम	स्वामित्व हित	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घाटा कुल देनदारियां		लाभ और हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
		समेकित परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कम्पनी	-	58.56%	38011.35	37.79%	4543.86	-394.38%	34.39	38.11%	4578.24
सहायक कम्पनियां:									
क) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	98.99%	41.44%	26893.90	62.21%	7479.44	494.38%	(43.11)	61.89%	7436.34
कुल			**64905.25**		**12023.30**		**(8.72)**		**12014.58**

33. कोविड-19 के कारण प्रभाव

दिसंबर 2019 में, कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की सूचना आई थी और तब से, इसने न केवल दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि इसने वैश्विक आर्थिक वातावरण को भी गंभीर रूप से विचलित किया है। समूह प्रबंधन ने अगले वर्ष के लिए अपने नकद की स्थिति का आकलन किया है, जिसमें इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य की प्राप्ति भी शामिल है। समूह को आशा है कि मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल ली जाएगी।

चूंकि महामारी के कारण तेजी से बदलते परिवेश में अनिश्चितताएं अंतर्निहित हैं, वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए प्राक्कलनों और धारणाओं से अनुमानित स्थिति, भविष्य में वास्तविक विवरण से भिन्न हो सकती है। प्रबंधन, भविष्य की आर्थिक स्थितियों और समूह की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी कर रहा है। प्रबंधन को मौजूदा समस्या में आगे बढ़ने और जब भी आवश्यक हो अपनी देनदारियों को पूरा करने के संबंध में समूह की क्षमता में कोई जोखिम दिखाई नहीं देता है।

34. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाः

परिभाषित अंशदान योजना में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त निर्धारित राशि इस प्रकार हैः

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अंशदायी भविष्य निधि	1813.41	1847.04

समूह के सभी पात्र कर्मचारी मूल कंपनी में स्थापित **"वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** नामक ट्रस्ट और सहायक कंपनी में स्थापित **"एनपीसीसी लि. कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** के माध्यम से स्थापित एक परिभाषित अंशदायी योजना भविष्य निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ट्रस्ट के कानून के तहत विनिर्धारित किए गए अनुसार एक निर्धारित दर से मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी का दायित्व यह अंशदान करने और ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम रहने पर, यदि ऐसा हो तो, इस कमी को पूरा करने तक सीमित है। इस संबंध में कमी, यदि कोई हो, को उस वर्ष के दौरान व्यय माना जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निधि के संबंध में ब्याज की अनुमानित गारंटी कृत दर के आधार पर भविष्य के लिए अनुमानित आय व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अंशदान की जाने वाली अनुमानित राशि से अधिक है, जिससे कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा। कंपनी के उपर्युक्त मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी की 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर की गारंटी के संबंध में कोई देयता नहीं है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

समूह में निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

- ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
- पी आर एम एस (गैर-वित्तपोषित)
- अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)

योजना के प्रावधानों से जुड़े जोखिम बीमांकिक जोखिम हैं। ये जोखिम निम्नानुसार हैं:

i. निवेश जोखिम,

ii. ब्याज जोखिम (छूट दर जोखिम),

iii. मृत्यु दर जोखिम

iv. वेतन जोखिम।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सरकारी बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना की देनदारी वित्त पोषित है और प्लान एसेट्स पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा उत्पन्न करेगी।
ब्याज जोखिम (छूट जोखिम)	बॉन्ड ब्याज दर (छूट दर) में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
मृत्यु दर जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। इस रिपोर्ट के लिए हमने भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) का उपयोग किया है। अंतिम तालिका मृत्यु दर में बदलाव से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की वेतन वृद्धि दर की धारणा के साथ की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले वेतन में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में वेतन वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा व्यय में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
नकद भत्ता मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों के नकद भत्ते की मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले नकद भत्ते में वृद्धि दर से भविष्य में योजना प्रतिभागियों के लिए नकद भत्ते की वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।

वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित दायित्वों से संबंधित प्रकटन

i. तुलन पत्र में मान्य राशि

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5998.69	5632.63	1,121.07	1,118.70	86.51	272.84	3105.08	2796.56	5231.43	5230.02
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3013.64	3074.25	220.74	185.32	-	-	-	-	-	-
वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित स्थिति	2985.05	2558.38	900.34	933.38	86.51	272.84	3105.08	2796.56	5231.43	5230.02
बैलेंस शीट में निर्धारित शुद्ध (संपत्ति) / देयता	**2985.05**	**2558.38**	**900.34**	**933.38**	**86.51**	**272.84**	**3105.08**	**2796.56**	**5231.43**	**5230.02**

ii. लाभ-हानि के विवरण में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	291.6	341.61	78.26	76.97	2.26	7.21	141.62	137.60	228.01	245.71
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	421.88	394.23	83.79	99.19	20.44	37.90	210.58	194.32	391.73	371.25
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	230.26	240.59	13.36	17.08	-	-	-	-	-	-
पुनः आकलन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	(247.85)	167.87
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**483.22**	**495.25**	**148.69**	**159.08**	**22.70**	**45.12**	**352.2**	**331.92**	**371.89**	**784.83**

iii. अन्य व्यापक आय में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	26.85	29.15	22.06	(4.85)	-	-	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(36.17)	10.22	(22.06)	4.85	4.27	(31.29)	39.81	(74.28)	53.34	(113.08)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय	**(9.32)**	**39.37**	**-**	**-**	**4.27**	**(31.29)**	**39.81**	**(74.28)**	**53.34**	**(113.08)**

iv. परिभाषित लाभ देयताओं के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**5632.61**	**5378.26**	**1118.70**	**1,353.22**	**272.84**	**517.10**	**2796.56**	**2625.94**	**5230.02**	**5064.79**
ब्याज लागत	421.88	394.23	83.79	99.19	20.44	37.90	210.58	194.32	391.73	371.25
वर्तमान सेवा लागत	291.62	341.61	78.26	76.97	2.26	7.21	141.62	137.60	228.01	245.71
से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	152.32	(83.85)	19.83	(22.57)	0.31	(0.59)	138.85	(59.16)	137.03	(91.03)
अनुभव समायोजन	-188.50	94.07	241.40	(2.09)	3.96	(30.70)	(99.04)	(15.12)	-331.54	145.82
विगत सेवा लागत	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ भुगतान	(311.23)	(491.71)	(420.91)	(386.02)	(213.30)	(258.10)	(83.49)	(87.02)	(423.81)	(506.52)
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**5998.70**	**5632.61**	**1121.07**	**1118.70**	**86.51**	**272.84**	**3105.08**	**2796.56**	**5231.44**	**5230.02**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3074.25	3282.25	185.32	228.03	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	230.26	240.59	13.36	17.08	-	-	-	-	-	-
पुनःआकलन लाभ/ (हानि)- शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(26.85)	(29.15)	22.06	(4.85)	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता से अंशदान	47.23	72.27	420.91	331.09	-	-	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(311.23)	(491.71)	(420.91)	(386.02)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3013.66**	**3074.25**	**220.74**	**185.32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

v. बीमांकिक अनुमान

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छूट की दर	7.21%	7.49%	7.21%	7.49%	7.21%	7.49%	7.24%	7.53%	7.21%	7.49%
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि	-	-					-	-	-	-
सेवानिवृत्ति की आयु	-	-	58	58	58	58	-	-	58	58

vi. परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफाइल

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित लाभ देयता का भारित औसत			-	-	-	-			-	-
परिभाषित लाभ देयता की अवधि- निधि से			8.00	7.00	1.00	1.00	-	-	-	-
अवधि (वर्ष)										
1	599.31	524.85	281.46	190.83	60.61	201.53	-	-	-	-
2	314.40	331.76	132.15	225.28	17.70	49.26	-	-	-	-
3	546.45	460.82	67.03	108.57	7.19	14.57	-	-	-	-
4	537.91	556.15	70.35	55.02	0.00	5.99	-	-	-	-
5	513.06	523.01	5.78	57.24	0.00	0.00	-	-	-	-
5 से अधिक	12273.42	12068.29	564.30	481.75	1.00	1.49	-	-	-	-
कुल	**14784.55**	**14464.88**	**1121.07**	**1118.70**	**86.51**	**272.84**	**-**	**-**	**-**	**-**
परिभाषित लाभ भुगतान की अवधि- नियोक्ता से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि (वर्ष)										
1	-	-	-	-	-	-	89.41	78.55	-	-
2	-	-	-	-	-	-	102.19	90.42	-	-
3	-	-	-	-	-	-	116.19	102.03	-	-
4	-	-	-	-	-	-	128.85	116.23	-	-
5	-	-	-	-	-	-	143.75	128.61	-	-
5 से अधिक	-	-	-	-	-	-	15563.39	15490.83	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16143.78**	**16006.67**	**-**	**-**

vii. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बीमा निधि	100%	100%	-	-	-	-

viii. संवेदनशीलता विश्लेषण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) होल्डिंग कंपनी के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	609.59	565.24	512.13	474.99
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	369.35	356.35	356.49	345.34
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	132.36	130.27	152.3	150.05

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण (सहायक कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	86.88	79.33	(74.70)	(68.64)
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	87.06	79.73	(76.15)	(70.17)
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	7.22	7.79	(8.11)	(8.83)

वर्कमैन ग्रेच्युटी (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण - (सहायक कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	1.14	3.55	(1.11)	(3.46)
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	1.14	3.56	(1.14)	(3.54)
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	0.01	0.02	(0.00)	(0.02)

पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण- (होल्डिंग कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	566.62	510.91	439.7	396.33
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में अपेक्षित बदलाव	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-

अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित) समूह के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	97.01	85.64	(82.36)	(72.91)
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	97.21	86.06	(83.96)	(74.53)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	8.76	9.57	(9.87)	(10.83)

***यदि अन्य सभी मान्यताएँ समान रहती हैं तो मृत्यु दर में 1% की वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन नगण्य होता है।**

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण संभवतः परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व न करता हो क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से पृथक अलग से होगा चूंकि कुछ मान्यताएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन रिपोर्ट अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके किया गया है, जो कि वही है जिसका प्रयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्य परिभाषित लाभ दायित्व देयता के परिकलन में किया गया है।

पूर्व की अवधि हेतु मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यता में परिवर्तन के लिए कृपया ऊपर तालिका (v) देखे जहाँ पूर्व की अवधि के लिए मान्यताएँ दी गई हैं।

35. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ (भा ले मा 37)

प्रावधानों का संचलन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) में संचलन को नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	2558.38	2096.03	272.84	517.10	2796.56	2625.94
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	473.89	534.61	26.97	13.83	392.01	257.64
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	(47.23)	(72.26)	(213.30)	(258.09)	(83.49)	(87.02)
वर्ष के दौरान आरक्षित प्रावधान				-	-	
जमा शेष	2985.04	2558.38	86.51	272.84	3105.08	2796.56

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		अवकाश नकदीकरण हुए (होल्डिंग कंपनी)		पीआरएमएस* (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	5230.02	5064.79	54.71	54.71	1901.3	1583.02
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	425.22	671.75	-	-	846.7	778.28
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	(423.81)	(506.52)	-	-	(315.00)	(460.00)
वर्ष के दौरान आरक्षित प्रावधान	-	-	-	-		
जमा शेष	5231.43	5230.02	54.71	54.71	2433.00	1901.3

*धारक कंपनी के पास डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन प्लान लिया गया है।

36. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (भा ले मा 33)

(रु. लाख में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ग्रुप इक्विटी धारक के लिए प्राप्य लाभ	12023.30	(1633.81)
सतत संचालन	12023.30	(1633.81)
अवरूद्ध संचालन	-	-
बुनियादी आय हेतु समूह इक्विटी धारकों के लिए प्राप्य लाभ	12023.30	(1633.81)
विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित समूह इक्विटी धारकों के लिए प्राप्य लाभ	12023.30	(1633.81)
बुनियादी ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	130000000	130000000
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	10	10
प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए)		
मूल (रुपये में)	9.25	(1.26)
विलयित (रुपये में)	9.25	(1.26)

37. लाभांश और आरक्षित राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश	-	-
भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	2515.56	3113.40
भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

समूह द्वारा घोषित इक्विटी शेयरों पर लाभांश, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है

धारक कंपनी - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषणा की तिथि 29 दिसम्बर 2023 और लाभांश के भुगतान की तिथि 24 जनवरी, 2024 है।

सहायक कंपनी - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषणा की तिथि 29 दिसम्बर, 2023 है। और लाभांश के भुगतान की तिथि 15 जनवरी, 2024है।

38. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों को देय राशि का खुलासा किए जाने की आवश्यकता है। इन उद्यमों को उस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। समूह ने वेंडरों से एमएसएमई पंजीकरण की स्थिति के बारे में पूछा है। सूक्ष्म और लघु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बकाये का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र सं	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1 (क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय मूल राशि	29307.48	32958.10
1 (ख)	उपर्युक्त राशि पर प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय ब्याज	-	-
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को की गई भुगतान राशि के साथ।	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और शेष बकाया राशि।	-	-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-

*कंपनी ने सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूचना केवल प्राप्त सूचना और उपलब्ध रिकॉर्ड की सीमा तक एकत्रित की गई है।

39. वसूली किए जाने वाले दावों, व्यापार प्राप्तियों, संविदाकारों को अग्रिम व्यापार, देय राशि और संविदाकारों से प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि और संबंधित परिणाम समायोजन की शर्त के अधीन हैं। प्राप्त शेष पुष्टि की स्थिति निम्नानुसार :

31 मार्च 2024 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	232616.15	49.72	30632.20		811.61	14.5
प्रतिधारण राशि	12289.82	-	638.06	-	49033.68	6,351.40
व्यापार देनदारियां	5027.57	1.53	2,921.19	-	199136.14	18436.37
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	5.81	3.40	675.79	2.50	7803.14	13.34

31 मार्च 2023 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	216714.15	1914.94	27639.24	790.94	2052.52	-
प्रतिधारण राशि	11043.55	-	599.4	-	43363.93	5,769.43
व्यापार देनदारियां	5551.95	-	63.76	-	172414.98	26551.8
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	354.09	-	5.81	-	9051.44	331.85

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि का संतुलन वास्तव में लेखा पुस्तकों में परिलक्षित होता है। जिसके द्वारा बताए गए मतभेदों के संबंध में, समूह समन्वय की प्रक्रिया में है और नियत समय में सही पुष्टि प्राप्त करेगा।

प्रबंधन के विचार में, व्यापार के साधारण क्रम में व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों की राशि प्राप्त कर लेने पर, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होंगी। कुल व्यापार प्राप्तियां 275251.95 लाख रुपये हैं, जिसमें से 12527.56 लाख रुपये आस्थगित ऋण हैं जिसका वर्तमान में भुगतान नहीं किया जाना है। (पिछले वर्ष 252388.70 लाख रु. जिसमें से 16256.75 लाख रु. आस्थगित ऋण था।)

40. वर्ष के दौरान समूह ने ग्राहकों की ओर से 33.75 लाख रु.(गत वर्ष 167.92) (समूह सम्पति अर्थात पीपीई के भाग के रूप में नहीं) की निर्धारित संपत्तियां /फुटकर उपकरण प्राप्त किए हैं। इसके अलावा ग्राहक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के संबंध में 28.53 लाख रुपये (गत वर्ष 144.20) का समायोजन किया गया है।

41. सहायक कंपनी सामान्य रूप से उप-ठेकेदारों को शामिल करके अनुबंध निष्पादित कर रही है। अत:, कंपनी सीधे सामग्री की खरीद नहीं करती है और इसलिए, मुख्य रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के पैरा 5 (viii) (ग) के संबंध में जानकारी शून्य है। तथापि, विभागीय कार्यों में उपभोग किए जाने वाले भण्डार और स्पेयर निम्नानुसार हैं:

स्वदेशी स्टोर और स्पेयर - शून्य (गत वर्ष शून्य)

42. इनवेंटरी में परियोजना प्राधिकरणों द्वारा जब्त किए गए 107.11 लाख (गत वर्ष 107.11 लाख) शामिल हैं जो कि खाते के समायोजन हेतु लंबित हैं। तथापि जब्त की गई परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक की असमायोजित देनदारियां मौजूद हैं।

43. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आधारित वेतन के संबंध में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए देयता 154.81लाख रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) आकलित की गई है और कुछ रैंकिंग पैरामीटर के आधार पर, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार योजना के आधार पर प्रदान की गई है। गतिविधि चार्ट निम्नानुसार हैः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	प्रारंभिक शेष	1240.06	1622.78
2	जोड़ः वर्ष के दौरान परिवर्धन	195.74	44.00
3	घटाएंः वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	(0.47)	(426.72)
4	अंतिम शेष	**1435.33**	**1240.06**

44. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यय

भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के अनुसार सीएसआर व्यय से सम्बंधित हैं।

मूल कंपनी

वित्तीय वर्ष 2023-2024

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
48.37	24.34	29.04.2024	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की वंचित झुग्गी की महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	मद सं. 1 स्वास्थ्य एंव पोषण	हाँ	नई दिल्ली	तुगलकाबाद	01-11-2023 से 31-10-2024	12.83	5.29	7.54	नहीं	शांति सहयोग
2.	ओडिशा में शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम, आदिवासी बालिका के छात्रावास, जलेशपट्ट, जिला- कंधमाल, को संरक्षा और सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करना	मद संख्या 3 महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	नहीं	ओडिशा	कंधमाल	20-10-2023 से 31-01-2024	23.96	23.96	-	नहीं	समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गदा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	07-03-2024 से 30-06-2024	16.76	8.39	8.39	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान
4.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	07-03-2024 से 30-06-2024	16.85	8.43	8.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 2.30 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 48.37 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	73.8
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	48.37
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2020-2021	13.00	13.00	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.30	35.04	-	-	-	4.26
3	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। — शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। — शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि — शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। — शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 65.53% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
11.03	203.97	27.04.2023		-	

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	हर घर तिरंगा अभियान हेतु सीएसआर निधियों का व्यय	मद संख्या 2 संस्कृति से संबंधित शिक्षा का संवर्धन	हाँ	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	गुवाहाटी, पटना, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, गांधीनगर, पंचकुला, बेंगलुरु, कोच्चि, भोपाल, जबलपुर, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता	13.08.2022 - 15.08.2022	1.29	1.29	-	हाँ	-
2.	झारखंड में पलामू और गढ़वा जिलों में हैंड-पंपों की स्थापना	मद संख्या 4 पर्यावरणीय स्थिरता / मद संख्या -1 निवारक स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	झारखंड	पलामू, गढ़वा	18.12.2022 - 18.01.2023	24.23	4.85	19.38	नहीं	रानी डॉली संस्थान केंद्र
3.	उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्याना तहसील में स्वास्थ्य और पोषण के तहत योग और प्राकृतिक चिकित्सा हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण-सह-उपचार शिविर प्रदान करना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	15.01.2023 - 14.01.2024	22.56	4.37	18.19	नहीं	यूएनआई आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सोसायटी (यूडीएमआरडी)
4.	उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में फर्स्ट रेफरल यूनिट में स्वास्थ्य देखभाल – डिजिटल एक्स-रे मशीन और यूपीएस की स्थापना	Item No 1 Health Care	नहीं	उत्तर प्रदेश	बहराइच	19.01.2023 - 14.04.2023	24.52	-	24.52	नहीं	मैसर्स पीएसीएसएफईडी के मार्फत बहराइच जिला प्रशासन
5.	राजस्थान में, जोधपुर जिले में विष्णु नगर और सीतान सिंह नगर ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
6.	राजस्थान के जोधपुर जिले की ईशुरू और रायमलवाड़ा ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
7.	जोधपुर जिला, राजस्थान के गारा और गजेसिंह नगर ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या -1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
8.	राजस्थान के जोधपुर जिले में, केलनसर और फतेहगढ़ ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1) में 2 ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
9.	राजस्थान के जोधपुर जिले की पल्ली ग्राम पंचायत में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	24.59	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
10.	राजस्थान के जोधपुर जिले में आसरलाई ग्राम पंचायत में 2 नलकूपों की स्थापना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	राजस्थान	जोधपुर		24.59	-	18.93	नहीं	एबीएमएम महेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 0.53 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 11.03 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	215.01
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	11.03
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.30	35.04	-	-	-	4.26

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था)	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	वर्ष 2020-21 में अव्ययित सीएसआर खाते के लिए परियोजना पर खर्च की गई राशि	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	2021-22 के दौरान वाप्कोस की सीएसआर गतिविधि के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1.भिवानी, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक और सोनीपत 2. हरियाणा	18.00 (2021-22 के दौरान खर्चा 17.10)	0.90	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	खटीमा ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के 3 स्कूलों में टेबल और कुर्सी का सेट उपलब्ध कराने के माध्यम से स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा	1. खटीमा, उधम सिंह नगर 2. उत्तराखंड	9.28	9.28	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3.	लाला बैजनाथ जानकी पाठशाला (एलबीजेपी) इंटर कॉलेज, तिलहर, जिला-शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग और फिक्स्चर सहित 3 क्लास रूम के निर्माण के माध्यम से स्कू शिक्षा	स्कूल शिक्षा	1. तिलहर, शाहजहाँपुर 2. उत्तर प्रदेश	24.87	24.87	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरम्भ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति- पूर्ण / जारी
				-				

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2022-2023 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 0.10% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

मूल कंपनी की सहायक कंपनी एनपीसीसी लिमिटेड के संबंध में

वित्तीय वर्ष 2023-24

(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
21.28#	97.64##	30-अप्रैल-24	स्वच्छ गंगा निधि	0.15	29 अप्रैल 2024
			स्वच्छ गंगा निधि	4.84*	30 नवम्बर 2024

* लेखा परीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार शुद्ध लाभ की गणना गलत थी। इस त्रुटि को लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ठीक किया गया, जिससे शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की देनदारी में भी वृद्धि हुई। इस सुधार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि, उपरोक्त रिपोर्ट की गई तिथि पर, स्वच्छ गंगा कोष में अंतरित की गई।

\# वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय हेतु कुल ₹8.81 लाख और ₹12.47 लाख का भुगतान किया गया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय से इस राशि का दावा नहीं किया गया। दावा नहीं की गई ₹21.28 लाख (₹8.81 लाख + ₹12.47 लाख) है राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अव्ययित सीएसआर खाते से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

\## 21.28 लाख सहित 97.64 लाख की राशि जिसका दिल्ली जोन द्वारा ऊपर वर्णित के अनुसार दावा नहीं किया गया।

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला						
1	महाराष्ट्र में अद्वितीय आवासीय विद्यालय परियोजना चरण बुनियादी ढांचा चिकित्सा केंद्र, कक्षा कक्ष, व्यवस्थापक भवन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	मद संख्या ii	हाँ	गुजरात	संभाजी नगर अहमदाबाद	18 महीने	24.00	0.00	24.00	-	मैसर्स आरंभ सोसायटी
2	50 बेरोजगार गरीब लड़कियों/लड़कों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद संख्या ii	हाँ	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	0	12.64	0.00	12.64	-	मैसर्स चौधरी रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसी ट्रस्ट)
3	बदासही, मयूरभंज जिला (ओडिशा) में मां हिंगुलाई पीठ में एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण	मद संख्या v	हाँ	ओडिशा	मयूरभंज	18 महीने	24.60	0.00	24.60	-	मैसर्स सत्यभामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
4	सूरजपुर जिले के वंचित एवं असेवित गांवों के घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना		हाँ	छत्तीसगढ़	रायपुर	0	24.95	0.00	24.95	-	युवा साथी फाउंडेशन
5	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु सौर ऊर्जा चालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	6 महीने	17.63	8.82	8.81	-	मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान
6	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु सौर ऊर्जा चालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	6 महीने	24.94	12.46	12.48	-	मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान
7	महाराष्ट्र में मानसिक रूप से बीमार 20 महिलाओं के लिए सड़क के किनारे महिला आवासीय हॉल	मद संख्या ii	हाँ	महाराष्ट्र	अमरावती	2 महीने	21.6	0.00	21.60	-	मैसर्स सेवा संकल्प प्रतिष्ठान

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
			-						

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - ₹ शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - ₹ शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - ₹ शून्य

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	102.63
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	-
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट आफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वि. व. 2020-2021	शून्य	शून्य				शून्य
2	वि. व. 2021-2022	शून्य	शून्य				शून्य
3	वि. व. 2022-2023	87.22	22.5*		-	-	64.72

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय के लिए कुल ₹5,24,573 का भुगतान किया गया। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली जोनल कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय से इस राशि का दावा नहीं किया गया था। यह सीएसआर अव्ययित कुल ₹5,24,573 राशि,, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अव्ययित सीएसआर खाते से दिल्ली जोनल कार्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 0.10% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
	87.22	29 अप्रैल 2023		-	

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	जिला अमरावती में समर्पण प्रतिष्ठान के स्वामित्व वाली संपत्ति में उत्पीड़ित महिलाओं के लिए आवासीय जी+2 भवन के निर्माण के लिए सहायता	मद संख्या - iii	हाँ	महाराष्ट्र	अमरावती	-	24.01	-	24.01	हाँ	समर्पण प्रतिष्ठान
2.	जोधपुर जिले के फलोदी में ढोली समाज के लिए मोक्ष धाम (राजपूत छात्रावास के सामने), कस्बा फलोदी, वार्ड 10 और शमशान घाट पर 2 ट्यूबवेलों की बोरिंग और संस्थापना	मद संख्या - i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	4 महीने	24.59	-	24.59	हाँ	एबीएमएम माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
3.	जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत जुड़िया, पंचायत समिति बालेसर में आदुराम/हुकाराम मेघवालों की दांधी और रामदेव मंदिर खसरा नंबर 689 पर 2 ट्यूबवेलों की बोरिंग और संस्थापना	मद संख्या - i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	4 महीने	24.59	-	24.59	हाँ	एबीएमएम माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन
4.	विकलांग व्यक्तियों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए रेडियो उड़ान को सहायता	मद संख्या - ii	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	-	10.50	-	10.50	हाँ	उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट
5.	ग्राम पैनगढ़, ब्लॉक थराली जिला चमोली, उत्तराखंड में भारी भूस्खलन के पीड़ितों को मानवीय सहायता	मद संख्या - xii	हाँ	उत्तराखंड	थराली	-	3.53	-	3.53	नहीं	स्थानीय प्राधिकरण

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - ₹ शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - ₹ शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - ₹ शून्य

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	87.22
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	-
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वि. व. 2021-2022	59.00	49.01	स्वच्छ गंगा कोष	49.01	28 सितम्बर, 2022	

(रु. लाख में)

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (जिला/राज्य का नाम जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था)	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)।	वर्ष 2020-21 में अव्ययित सीएसआर खाते के लिए परियोजना पर खर्च की गई राशि	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.						
2.						
3.						

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरम्भ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति- पूर्ण / जारी
-								

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। — शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। — शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि — शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। — शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2022-2023 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 0.10% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

45. संबंधित पक्ष प्रकटन (भा.ले.मा. 24)

मूल कंपनी

i. संबंधित पक्षः वित्तीय वर्ष 2023-24

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना

संबंधित पक्ष - वित्तीय वर्ष 2022-23

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2023-2024

<u>निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक</u>

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री आर. के. अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास)

सरकारी नामंकित निदेशक

श्री अभिषेक सिंह (23.08.2023 से)

श्री मो. नूर रहमान शेख (16.08.203 तक)

श्री आनंद मोहन

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत,

श्री जसबीर सिंह ठाकुर,

श्री लखन लाल साहू,

श्री पार्थ सारथी घोष,

कंपनी सचिव

श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा (दिनांक 30.06.2023 से)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024				31 मार्च, 2023			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	44.84	2.06	(5.26)	-	47.1	1.03	1.98	-
श्री पंकज कपूर	48.58	2.46	(4.70)	-	53.01	0.85	2.89	-
श्री अनुपम मिश्रा	45.17	2.63	(3.41)	-	49.97	1.87	3.04	-
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	8.84	1.60	0.41	-	-	-	-	-
सुश्री कविता परमार	-	-	-	-	11.89	0.48	0.29	-
कुल	**147.43**	**8.75**	**-12.96**	**-**	**161.97**	**4.23**	**8.20**	**-**

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में प्रकटीकरण केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
डॉ. प्रीति मदान	-	0.45
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	3.60	3.55
श्री लखन लाल साहू	3.00	3.00
श्री पार्थ सारथी घोष	3.20	3.20
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	3.60	3.60
कुल	**13.40**	**13.8**

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पास बकाया राशि (देय):

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	5.05	6.17
श्री अनुपम मिश्रा	7.18	8.43
श्री पंकज कपूर	5.73	7.40
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	0.71	-
सुश्री कविता परमार	-	2.46
कुल	**18.67**	**24.46**

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से कोई राशि देय नहीं है।

vi. सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, जिनमें बांसागर नियंत्रण बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र पुणे, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, एनएमसीजी, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, तुंगभद्रा बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड शामिल हैं।

उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व	9911.01	3886.3
खरीद	874.03	725.14
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**10785.04**	**4611.44**

सरकार से संबंधित पक्षों के पास महत्वपूर्ण शेष

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूंजीगत अग्रिम	-	768.95
अन्य अग्रिम	14.85	592.27
देय राशि	5315.87	2859.99
प्राप्त अग्रिम	530.82	-
प्राप्तियाँ	9057.93	4017.58
कुल	**14919.47**	**8238.79**

i. संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2022-23

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
वित्तीय वर्ष 2022-2023

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री आर. के. अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक
श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)
श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास)

सरकारी नामांकित निदेशक
श्री अभय ठाकुर (06.06.2022 तक)
श्री मोहम्मद नूर रहमान शेख (29.12.2022 से)
श्री सुबोध यादव (09.08.2022 तक)
श्री आनंद मोहन (10.08.2022 से)

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)
सुश्री प्रीति मदान (21.07.2022 तक)
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत
श्री जसबीर सिंह ठाकुर
श्री लखन लाल साहू
श्री पार्थ सारथी घोष

कंपनी सचिव
सुश्री कविता परमार (30.03.2023 तक)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023				31 मार्च, 2022			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	47.10	1.03	1.98	-	46.13	0.85	4.09	-
श्री पंकज कपूर	53.01	0.85	2.89	-	53.55	0.05	3.76	-
श्री अनुपम मिश्रा	49.97	1.87	3.04	-	50.11	0.22	2.58	-
सुश्री कविता परमार	11.89	0.48	0.29	-	10.79	0.46	0.52	-
कुल	**161.97**	**4.23**	**8.20**	-	**160.58**	**1.58**	**10.95**	-

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में प्रकटीकरण केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
डॉ. प्रीति मदान	0.45	2.70
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	3.55	0.45
श्री लखन लाल साहू	3.00	0.45
श्री पार्थ सारथी घोष	3.20	0.45
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	3.60	0.15
कुल	**13.80**	**4.20**

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	6.17	6.66
श्री अनुपम मिश्रा	8.43	9.44
श्री पंकज कपूर	7.40	9.30
सुश्री कवित परमार	2.46	0.77
कुल	**24.46**	**26.17**

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से कोई राशि देय नहीं है।

vi. सरकार से संबाधीत संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ उल्लेखनीय लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
राजस्व	3886.30	5123.45
खरीद	725.14	841.55
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**4611.44**	**5965.00**

सरकार से संबंधित पक्षों के पास महत्वपूर्ण शेष

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पूंजीगत अग्रिम	768.95	-
अन्य अग्रिम	592.27	1.69
देय राशि	2859.99	3021.42
प्राप्त अग्रिम	-	3701.18
प्राप्तियाँ	4017.58	8465.13
कुल	**8238.79**	**15189.42**

मूल कंपनी की सहायक कंपनी एनपीसीसी के संबंध में

i. **संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2023-24**

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	भारत	एनपीसीसी लिमिटेड की रोजगार उपरांत लाभ योजना।

संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2022-23

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	भारत	एनपीसीसी लिमिटेड की रोजगार उपरांत लाभ योजना।

ii. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

वित्तीय वर्ष 2023-2024

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री आर.के. अग्रवाल, सीएमडी

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री पंकज कपूर, मुख्य वित्तीय अधिकारी (03.06.2023 तक)

श्री आलोक कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी (25.08.2023 से)

श्रीमती रजनी अग्रवाल, कंपनी सचिव

सरकारी नामित निदेशक

सुश्री ऋचा मिश्रा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (आरडी एवं पीपी)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अनुपमा होस्केरे

श्री यजुर्वेन्द्र अनिल महाजन

श्री जसबीर सिंह ठाकुर (27.10.2023 से)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024				31 मार्च, 2023			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्चात लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री पंकज कपूर	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रीमती रजनी अग्रवाल	31.25	1.05	-	-	27.13	3.93	-	-
श्री आलोक कुमार	23.06	1.53	-	-	-	-	-	-
कुल	**54.31**	**2.58**	-	-	**27.13**	**3.93**	-	-

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

iv. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
श्रीमती अनुपमा होस्केरे	2.05	1.53
श्री यजुर्वेन्द्र अनिल महाजन	2.18	1.40
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	1.08	0.00
कुल	**5.30**	**2.93**

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पास बकाया राशि (देय):

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	-	-
श्री पंकज कपूर	-	-
श्री आलोक कुमार	1.78	-
श्रीमती रजनी अग्रवाल	2.26	2.11
कुल	**4.03**	**2.11**

*श्री मनोहर कुमार के पास 4.16 लाख रू. की राशि (पिछले वर्ष 4.16 लाख) बकाया है।

vi. सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास वाप्कोस लिमिटेड (मूल कंपनी) के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय और उसके नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। यह माना जाएगा कि भारत सरकार वाप्कोस लिमिटेड के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली संस्थाओं के साथ विभिन्न संव्यवहार किए हैं। उनके साथ संव्यवहार इस प्रकार हैं:-

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं, जिसमें एनएमसीजी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, एनडब्ल्यूआईसी, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, सीजीडब्ल्यूबी (जम्मू) शामिल हैं। उनके साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:-

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ उल्लेखनीय लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व	1,629.78	855.55
खरीद	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**1,629.78**	**855.55**

सरकार से संबंधित संस्थाओं के पास महत्वपूर्ण बकाया राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अन्य अग्रिम	-	-
देय	-	-
प्राप्त अग्रिम	774.87	148.53
प्राप्य	493.77	333.48

46. पट्टा

क. तुलन पत्र में मान्य राशि

पट्टों से संबंधित राशि तुलन पत्र में निम्नानुसार है:

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

Particulars	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भवन	652.67	703.45
वाहन	36.16	35.53

लीज देयता

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	293.14	473.75	766.89
वाहन	13.16	24.75	37.91
कुल	**306.30**	**498.50**	**804.80**

31 मार्च 2023 को

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	404.01	473.52	877.53
वाहन	14.5	22.44	36.94
कुल	**418.51**	**495.96**	**914.47**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग के अधिकार में वृद्धि 400.20 लाख रुपये थी।

ख. लाभ या हानि के विवरण में मान्य राशि:

पट्टों से संबंधित राशि लाभ या हानि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

संपत्ति उपयोग के अधिकार का मूल्यहास प्रभार	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भवन	367.05	465.34
वाहन	18.84	22.40

(रु. लाख में)

ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज व्यय	69.38	98.67

2023-2024 में पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह 494.88 लाख रूपये है (आरओयू भवन हेतु 472.47 और आरओयू वाहन हेतु 22.41 लाख रूपये)

ग. समूह की लीजिंग गतिविधियाँ और इनका लेखा कैसे रखा जाता है

समूह विभिन्न कार्यालयों और वाहनों को लीज पर लेता है। किराये के अनुबंध आमतौर पर 6 महीने से 8 साल की निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन नीचे दिए गए अनुसार विस्तार विकल्प हो सकते हैं:

अनुबंध में लीज और गैर-लीज दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। समूह अनुबंध में विचाराधीन लीज और गैर-लीज घटकों को उनके सापेक्ष अकेले कीमतों के आधार पर आवंटित करती है। हालांकि, अचल संपत्ति के पट्टों के लिए, जिसके लिए कंपनी एक लीजदार है, उसने अलग-अलग लीज और गैर-लीज घटकों को चुना है और इसके बजाय एकल पट्टा घटक के रूप में इनका खाता है।

लीज की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियमों और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। पट्टा करार लीजदार द्वारा रखी गई पट्टा परिसंपत्तियों में सुरक्षा हितों के अलावा कोई भी संविदा नहीं लगाते हैं। उधार ली गई संपत्ति का उपयोग उधार के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं किया जा सकता है।

घ. लीज का भुगतान मूलधन और वित्त लागत के बीच किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ या हानि के लिए चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को निम्नलिखित लागतों से मापा जाता है:

- पट्टा देनदारी के प्रारंभिक आकलन राशि
- पट्टे की तारीख को अथवा तारीख से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान को किसी भी प्राप्त पट्टा इंसेंटिव से कम

संपत्ति उपयोग का अधिकार आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के छोटे और सीधी रेखा के आधार पर लीज की अवधि से अधिक मूल्यह्रास की जाती है। यदि समूह उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल पर सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास या जाता है।

कार्यालय भवनों के अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के सभी लीज से जुड़े भुगतानों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लीज भुगतान को लीज देयताओं की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

लीज देयताओं की गणना में शामिल नहीं किये गये भुगतान संबंधी व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
लघु अवधि के पट्टे	1420.01	1384.01
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	-	-
परिचालन पट्टे से संबंधित कुल किराया व्यय	**1420.01**	**1384.01**

ङ. विस्तार और समाप्ति विकल्प

विस्तार और समाप्ति विकल्प कंपनी के कई संपत्ति लीज में शामिल हैं। इनका उपयोग समूह के संचालन में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए परिचालन लचीलेपन को अधिकतम करने के लिए किया जाता है।

च. यदि कोई विकल्प वास्तव में प्रयोग किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) या समूह को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) तो लीज अवधि फिर से निर्धारित किया जाता है। उचित निश्चितता का मूल्यांकन केवल तभी संशोधित किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है, और जो लीजदार के नियंत्रण में है।

भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा 58 के अनुक्रम में, भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 39 और ख 11 को लागू करने वाली लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण; अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग-अलग प्रकटीकरण।

लीज देनदारियों की परिपक्वता

निम्न तालिका में बताई गई राशि में संविदात्मक रियायत रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	198.63	168.80	251.26	293.11	-	911.80

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	285.31	195.71	287.49	268.5	-	975.91

नीचे पट्टा देनदारियों और चालन के वहन हेतु राशि का विवरण दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024
01 अप्रैल 2023 को	914.47
वर्ष के दौरान वृद्धि	400.20
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(84.35)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	69.38
भुगतान	(494.89)
31 मार्च 2024 को	**804.80**
वर्तमान	**306.30**
गैर-वर्तमान	**498.50**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022
01 अप्रैल 2022 को	1459.17
वर्ष के दौरान वृद्धि	108.76
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(144.56)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	99.12
भुगतान	(608.01)
31 मार्च 2023 को	**914.47**
वर्तमान	**418.51**
गैर-वर्तमान	**495.96**

47. इराक (बंद विदेशी इकाई) में कई वर्षों से संचालन बंद है और प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों के कारण, 383.69 लाख रु (आईडी 381403.165) के बैंक बैलेंस के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है। विदेशी मुद्रा में बैंक खाते में शेष राशि का पुनर्मूल्यांकन अंतिम बार 31 मार्च, 1995 को किया गया था।

एक्जिम बैंक, जो इराक में बकाया के निपटान के लिए मध्यस्थ है, ने दिनांक 30/7/2013 के पत्र के द्वारा सूचित किया है कि बैंक खाते में एनपीसीसी के बकाया क्रेडिट शेष पर अर्जित ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ईराक द्वारा अपने बही-खाते में 7.06 लाख अमेरिकी डॉलर (31 मार्च 2024 को 83.46 रूपये प्रति यूएसडी की दर से 589.50 लाख रूपांतर के बराबर) अनुमानित क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गई हैं, एक्जिम बैंक के खाते में वास्तविक क्रेडिट की राशि नहीं है।

48. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय समूह के उद्देश्य हैं:

- एक बढ़ती हुई इकाई के रूप में आगे बढ़ने की समूह की क्षमता सुनिश्चित करना, और
- शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना

समूह अंतर्निहित संपत्तियों की आर्थिक स्थितियों और जोखिम विशिष्टताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने और इसे समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश, शेयरधारकों को पूंजी वापस लौटाने अथवा नए शेयर जारी करने की राशि को समायोजित कर सकती है।

कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
इक्विटी शेयर पूंजी	13000.00	13000.00
अन्य इक्विटी	51528.35	42165.36
समूह की पूर्ण इक्विटी	**64528.35**	**55165.36**
ऋण	22772.61	14282.34
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.35	0.26

49. प्रबंधन की यह राय है कि भारतीय लेखांकन मानक - 36 (संपत्तियों की हानि) के संदर्भ में नकद सृजन करने वाली संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।

50. लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (भारतीय लेखा मानक 8):

i. पूर्व अवधि लेन-देन निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

व्यय/आय का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित	1 अप्रैल 2022 से पूर्व
व्यय :		
	-	-
वेतन, पारिश्रमिक और अन्य	1.28	1.37
परामर्श परियोजनाओं हेतु प्राप्त की गई सेवाएँ	58.92	13.52
निर्माण परियोजनाओं हेतु प्राप्त की गई सेवाएँ	3.22	-
निर्माण व्यय	-	(843.20)
विविध व्यय	11.49	(63.88)
डाक, टेलीफोन और टेलीग्राम	0.08	-
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	3.58	-
यात्रा व्यय - भारत	1.98	0.60
किराया	0.56	-
मुद्रण और स्टेशनरी	(12.41)	0.22
वाहन किराये पर लेना	7.89	-
विज्ञापन और प्रचार	45.62	0.71
दस्तावेज सत्यापन हेतु लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान	3.80	0.45
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण धनराशि हेतु प्रावधान	2134.47	18113.86
कुल व्यय (वृद्धि /कमी)	**2260.48**	**17223.65**
व्यय/आय की प्रकृति	**वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित**	**1 अप्रैल 2022 से पूर्व**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	4.29	-
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं	(2.72)	(931.06)
अन्य गैर- परिचालन आय	(24.81)	(78.57)
कुल आय (वृद्धि/(कमी)	**(23.24)**	**(1009.63)**

ii. तुलन पत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	प्रमुख समूहन	टिप्पणी	2022-23 पर प्रभाव	01-04-2022 से पूर्व	कुल
देयताएँ					
व्यापारिक देयताएँ	व्यापाार देय - वर्तमान	15ख	118.97	14.90	133.87
संदेहास्पद ऋणपरियोजना प्राधिकरण हेतु प्रावधान	ईसीएल हेतु अनुमति	7क	59.27	948.56	1007.83
वर्तमान हेतु ईसीएल प्रावधान	ईसीएल हेतु अनुमति	7ख	276.73	4,109.93	4386.66
प्रतिभूतिजमा/ईएमडी (गैर-वर्तमान)	ईसीएल हेतु अनुमति	4क	(329.23)	1,754.11	1424.88
प्रतिभूति/ईएमडी (वर्तमान)	ईसीएल हेतु अनुमति	4ख	(17.24)	167.42	150.19
परियोजना प्राधिकरणों से लामबंदी अग्रिम – वर्तमान	ग्राहक से अग्रिम	17ख	15.92	6.71	22.63
अन्य प्रतिभूति जमा	एसडी/ईएमडी	20ख	-	0.35	0.35
व्यय हेतु देयताएँ	एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं-वर्तमान	15ख	-	(45.20)	(45.20)
व्यय हेतु प्रावधान	एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं-वर्तमान	15ख	-	(75.70)	(75.70)
किए गए काम का अनबिल मूल्य देयताएं	एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं-वर्तमान	15ख	-	(722.30)	(722.30)
परियोजना प्राधिकरण वर्तमान	ग्राहक से अग्रिम	17ख	26.69	65.92	92.61
अन्य खाता आय कर देय	सांविधिक देय	17ख	0.12	7.15	7.27
प्रतिभूति जमा उप-ठेकेदार	अर्जित राशि और प्रतिभूति जमा	20ख	(1.68)	-	(1.68)
किराया एसडी- वर्तमान	अग्रिम किराया वर्तमान	17ख	1.68	-	1.68
अन्य वर्तमान खाता	अन्य देय	20ख	3.06	-	3.06
लीज देयता वर्तमान	लीज देयता	19ख	0.02	-	0.02
कर्मचारी को देय	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	20ख	3.62	1.97	5.59
देयताओं में कुल परिवर्तन			**157.94**	**6233.82**	**6391.76**
परिसम्पत्तियां					
व्यापार प्राप्य - असुरक्षित उचित समझे	व्यापार प्राप्तियां	7	(2132.90)	(18113.86)	(20246.76)
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	11		(1.13)	(1.13)
बैंक में अन्य वर्तमान खाता (नेपाल)	बैंकों के वर्तमान खाते में शेष राशि	8	0.00	(0.12)	(0.12)
अनबिल राजस्व	अनबिल राजस्व, गैर वर्तमान	6क	0.00	(66.69)	(66.69)
अनबिल राजस्व बेहतर	अनबिल राजस्व, वर्तमान बेहतर	6ख	0.00	(864.37)	(864.37)
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और कॉल डिपोजिट	प्रोदभूत ब्याज	9	17.87		17.87
आरओयू परिसम्पत्ति	आरओयू परिसम्पत्ति	2क	(0.28)		(0.28)
परिसम्पत्तियों में कुल परिवर्तन			**(2115.31)**	**(19046.18)**	**(21161.49)**

iii. लाभ और हानि मदों के विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	टिप्पणी	31 मार्च 2024 के अनुसार 2021-22 पर प्रभाव
व्यय		
वेतन, पारिश्रमिक और अन्य	24	1.28
परामर्शी परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	26	58.92
निर्माण परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	26	3.22
विविध व्यय	29	11.49
डाक, टेलिफोन और टेलिग्राम	29	0.08
मरम्मत एवं रखरखाव - अन्य	29	3.58
यात्रा व्यय - भारत	29	1.98
किराया	29	0.56
मुद्रण और स्टेशनरी	29	(12.41)
वाहन किराए पर लेना	29	7.89
विज्ञापन और प्रचार	29	45.62
दस्तावेज सत्यापन हेतु लेखापरीक्षक को भुगतान	29	3.8
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान	29	2134.47
कुल व्यय		**2260.48**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	21	4.29
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं	21	(2.72)
अन्य गैर-परिचालन आय	22	(24.81)
कुल आय (वृद्धि/(कमी)		**(23.24)**
कर पश्चात लाभ पर निवल प्रभाव		**2283.72**

51. टिप्पणी सं- 2ख के अनुसार अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किए गए कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर प्रत्यक्ष रेखा आधार पर उनकी लाइसेंस अवधि में जैसा लागू हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए जाते हैं। परिशोधित राशि निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य परिशोधन	178.59	115.01

प्रबंधन की राय है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (‘एमसीए’) द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में अमूर्त आस्तियों (अर्थात सॉफ्रटवेयर) की कोई हानि नहीं हुई है।

52. परिचालन खंड संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-108):

प्रचालन खंडों को समूह के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है जिसका यह निर्णय करने में, कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए, प्रमुख प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। समूह के सीओडीएम (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक) हैं।

i. समूह ने किए जा रहे प्रचालनों के आधार पर दो प्रचालनात्मक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान कि है जो निम्नानुसार हैं:-

क. परामर्श सेवाएँ

ख. निर्माण संविदाएँ

ii. भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्व खंड का प्रकटन निम्नानुसार किया गया है:-

क. भारत में परामर्श से राजस्व में गुणवत्ता आश्वासन तथा परियोजना प्रबंधन सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

ख. भारत के बाहर से राजस्व में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए दी गई सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

iii. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का लगातार व्यक्तिगत खंड में राजस्व तथा व्यय रिकॉर्ड करने में अनुप्रयोग किया जाता है जैसा कि उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों संबंधी नोट में दर्शाया गया है।

iv. प्रत्यक्ष रूप से खंडों के कारण होने वाले राजस्व और व्यय प्रत्येक रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में रिपोर्ट किए जाते हैं। अन्य सभी व्यय जो खंडों के कारण नहीं हैं अथवा उन्हें आवंटित नहीं किए जा सकते उन्हें गैर-आवंटन योग्य व्यय के रूप में प्रकट किया गया है।

v. समूह के व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों और देयताओं को किसी रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में चिह्नित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें खंडों के बीच परस्पर बदल कर प्रयोग किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिशोधन तथा नुकसान को किसी विशिष्ट खंड को आवंटित नहीं किया जा सकता। समूह का मानना है कि वर्तमान में कुल संपत्तियों, कुल देयताओं तथा मूल्यह्रास, परिशोधन और नुकसान से संबंधित खंडीय प्रकटन उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है चूंकि उपलब्ध आंकड़ों को अर्थपूर्ण तरीके से अलग-अलग करना दुर्भर हो सकता है।

vi. प्रचालनात्मक खंड-

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित बही खातों से जानकारी ली गयी है।)

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47860.34	19714.19	248848.79	-	316423.32
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	35830.44	12841.59	240190.46	229.25	289091.74
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**12029.90**	**6872.60**	**8658.33**	**(229.25)**	**27331.58**
जोड़ : ब्याज आय					7248.48
जोड़ : अन्य आय					2849.6
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					23143.57
कर पूर्व निवल लाभ					**14286.09**
कमी : आय कर					2262.79
कर पश्चात निवल लाभ					**12023.30**
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					1085.89
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					118.52
पीपीई के विक्रय पर लाभ					-
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.32

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47747.19	21206.82	232851.76	-	301805.78
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	38142.27	14177.13	228142.04	1314.44	281775.88
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**9604.93**	**7029.69**	**(2868.78)**	**(1314.44)**	**20029.90**
जोड़ : ब्याज आय					4767.94
जोड़ : अन्य आय					5167.81
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					27984.13
कर पूर्व निवल लाभ					**1981.52**
कमी : आय कर (आस्थागित कर सहित)					3615.33
कर पश्चात निवल लाभ					**(1633.81)**
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					1144.56
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					275.64
पीपीई के विक्रय पर लाभ					80.90
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.5

vii. प्रमुख ग्राहकों से 18216.04 लाख रुपये (गत वर्ष 67274.41 लाख रुपये) राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल
ग्राहक -1	5046.00	7004.13	12050.13	26481.00	7767.87	34248.87
ग्राहक-2	2674.00	3491.91	6165.91	25460.00	7565.54	33025.54
कुल	**7720.00**	**10496.04**	**18216.04**	**51941.00**	**15333.41**	**67274.41**

53. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

प्रत्येक श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहनीय राशि इस प्रकार हैं:-

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024				31 मार्च 2023			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी:								
प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा (गैर चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	21297.40	-	21297.40	-	9067.97	-	9067.97
निवेश - गैर वर्तमान	-	-	49.06	49.06	-	-	44.02	44.02
व्यापार लेनदारियाँ	-	213296.11	-	213296.11	-	197237.31	-	197237.31
नकद और नकदी समतुल्य	-	73259.31	-	73259.31	-	52439.45	-	52439.45
अन्य बैंक शेष	-	150316.86	-	150316.86	-	156236.67	-	156236.67
प्रतिभूति जमा (वर्तमान) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	3980.23	-	3980.23	-	3226.60	-	3226.60
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**462149.91**	**49.06**	**462198.97**	**-**	**418208.00**	**44.02**	**418252.02**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024				31 मार्च 2023			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय देनदारियाँ:								
व्यापार देय (चालू एवं गैर चालू)	-	207084.90	-	207084.90	-	178164.55	-	178164.55
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू एवं गैर चालू)	-	79983.76	-	79983.76	-	75061.57	-	75061.57
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**287068.66**	**-**	**287068.66**	**-**	**253226.12**	**-**	**253226.12**

व्यापार लेनदारियों, व्यापार देनदारियों और नकद तथा नकदी समतुल्य की वहनीय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान समझा जाता है।

अमूर्त लागत पर तैयार की गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि को उचित मूल्य का एक युक्तिफ़संगत अनुमान समझा जाता है।

i. उचित मूल्य वर्गीकरण

तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य वर्गीकरण के तीन स्तरों में बांटा गया है। मापन के महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर - 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर - 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन को तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें अधिंकाशं अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग होता हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतनी कम निर्भरता होती है।

स्तर - 3: यदि एक या उससे अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है

निम्नलिखित तालिकाएँ 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के पदानुक्रम के भीतरी स्तर को दर्शाती हैं:

ii. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवर्ती उचित मूल्य माप

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	टिप्पणी सन्दर्भ	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	कुल
एफवीटीओसीआई में वित्तीय साधन			-	-	-	-
गैर-वर्तमान निवेश -	31st मार्च 2024		-	-	5.04	5.04
इक्विटी शेयर	31st मार्च 2023		-	-	4.51	4.51

iii. उचित मूल्य के निर्धारित हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निवेशित पक्ष से प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धत इक्विटी शेयरों के शुद्ध संपत्ति मूल्य का उपयोग शामिल है।

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप इसे क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम में डालते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी होती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनका सामना इकाई को करना होता है और यह स्पष्ट करती है कि इकाई कैसे जोखिम और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रभावों का प्रबंधन करती है।

i. क्रेडिट जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) से और बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय साधनों में जमाओं सहित अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम में आती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय संपत्तियों की विशिष्ट श्रेणी के अनुसार मान्यताओं, सूचनाओं और घटकों के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय संपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें नकद और नकद समतुल्य शामिल है, के लिए हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल लागू करना आवश्यक है। बैंक शेष, निवेश व्यापार प्राप्य, एसडी/प्रतिधारण धन आदि। एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों और एसडी/प्रतिधारण धन पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं है नकद और नकद समकक्ष के संबंध में डिफॉल्ट, बैंक शेष, निवेश आदि। यह अपनाया गया प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर देखी गई ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे के अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्य के अनुमानों में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए आगे प्राप्य को खंडित किया जाता है जहां प्राप्तियों की क्रेडिट जोखिम विशेषताएं समान होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और उसके बाद - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समूह ने ईसीएल मूल्यांकन की पद्धति को ग्रेड मैट्रिक्स से अधिशेष मूल्यांकन की दिशा में सुधार किया है।

पिछला वर्ष 2022-23 और उससे पूर्व

ईसीएल प्रावधान की गणना के दौरान, किसी विशेष परियोजना के संबंध में उपलब्ध अग्रिम की मात्रा को संबंधित परियोजना के वर्तमान वर्ष के बकाया देनदारों के संबंध में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, लगातार मिलने वाले करारों के संबंध में व्यापार देनदारियों की मात्रा को संबंधित वर्षों के संबंधित परियोजना व्यापार प्राप्तियों के संबंध में समायोजित किया जाएगा। आस्थगित ऋणों (वे देनदार जो संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक भुगतान हेतु देय नहीं हैं) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। व्यापार प्राप्तियों/ प्रतिधारण राशि के संबंध में निम्नलिखित ईसीएल ग्रेड मैट्रिक्स को लागू किया गया है:

(रु. लाख में)

ग्रेड मैट्रिक्स	चालू वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-4 वर्ष	4-5 वर्ष	5-6 वर्ष	6-7 वर्ष	7-8 वर्ष	8-9 वर्ष	9-10 वर्ष
	5%	7%	10%	30%	40%	55%	70%	85%	90%	100%

ईसीएल की वर्ष दर वर्ष तुलना निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	01-04-201
प्रोदभूत सत्यापन के अनुसार ईसीएल प्रावधान :										
व्यापार प्राप्तियां	62442.91	56749.78	44659.64	34659.53	27003.75	23332.49	19750.90	6451.65	5000.58	3855.82
प्रतिधारण राशि, ईएमडी एवं एसडी	6133.94	5691.28	5807.96	4963.35	4503.35	12988.61	11186.41	5371.33	4261.17	2198.60

(रु. लाख में)

ग्रेड मैट्रिक्स के अनुसार ईसीएल प्रावधान (पिछले वर्ष की पद्धति तक)										
व्यापार प्राप्तियां	60640.09	48091.30	37839.10	35880.80	28493.10	25018.29	22800.90	9028.37	8003.89	-
प्रतिधारण राशि, ईएमडी एवं एसडी	8143.68	5678.05	5905.77	5357.62	4839.13	5980.23	6207.29	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपरोक्त के प्रभाव के कारण 8878.64 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

समूह निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान किया है:

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	12 माह के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धन	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा के लिए पूर्णकालिक प्रावधान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता देती है।

कारोबारी माहौल के आधार पर, जिसमें कंपनी काम करती है, वित्तीय संपत्ति पर एक चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है या मामला-दर-मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच के अंतरों पर आधारित हैं।

जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, जैसे दिवालिया होने की घोषणा करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी का फैसला तब संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ काम करना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और चुकौती को लागू करने का प्रयास करती है। लाभ और हानि के विवरण में की गई वसूली को मान्यता दी जाती है।

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी के समान, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	248902.85	221014.69
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	148584.95	140105.04
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	64711.16	57132.25

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से होता है।

क्रेडिट जोखिम

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों के लिए 12 माह और आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है-

क: कम ऋण जोखिम

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	9	73259.30	-	73259.30
अन्य बैंक शेष	10	150316.86	-	150316.86
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	31098.03	5820.40	25277.63
गैर-वर्तमान निवेश	3	49.06	-	49.06

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	9	52439.45	-	52439.45
अन्य बैंक शेष	10	156236.67	-	156236.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	16766.64	4,472.09	12294.55
गैर-वर्तमान निवेश	3	44.02	-	44.02

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम (जिसमें 1-3 वर्ष तक की व्यापार लेनदारियाँ और प्रतिधारण राशि शामिल हैं)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार लेनदारियों और प्रतिधारण राशि के लिए प्रत्याशित क्रेडिट घाटा

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7क और 7ख	111093.22	34077.61	18690.1	163860.93
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		(7639.89)	(3877.45)	(3758.64)	(15275.98)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		103453.33	30200.16	14931.46	148584.95

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7क और 7ख	99483.95	26859.56	30558.06	156901.57
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		(7137.46)	(2975.37)	(6683.70)	(16796.53)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		92346.49	23884.19	23874.36	140105.04

ग:उच्च ऋण जोखिम

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण राशि	7क और 7ख	3 वर्ष से ऊपर	111391.02	(46679.86)	64711.16

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण राशि	7क और 7ख	3 वर्ष से ऊपर	95487.11	(38354.86)	57132.25

हानि प्रावधान का समायोजन-व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

हानि भत्ते का समायोजन	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आरंभिक हानि भत्ता	55151.39	46702.72
हानि घाटे की पहचान	6804.44	8448.67
प्रत्यावर्तन / वसूली	-	-
समापन हानि भत्ता	61955.83	55151.39

ii. चलनिधि जोखिम

समूह की चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जो प्रचालनों से नकद प्रवाह से सृजित किए जाते हैं। कंपनी पर कोई बकाया बैंक उधार नहीं हैं। समूह का मानना है कि प्रचालनों से नकद प्रवाह इसकी वर्तमान चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता समूहों में वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है। तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक गैर-छूट प्राप्त नकद प्रवाह हैं। 12 माह के अंदर देय शेष राशि उनके मूल शेष के समान है चूंकि रियायत देने का प्रभाव बहुत कम है।

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	15क और 15ख	100744.52	106340.40	207084.92
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	20क और 20ख	10555.00	40433.52	50988.52
कुल		**111299.52**	**146773.92**	**258073.44**

31 मार्च 2023

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	15क और 15ख	83026.29	95138.26	178164.55
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	20क और 20ख	9975.06	35024.17	44999.23
कुल		**93001.35**	**130162.43**	**223163.78**

iii. बाजार जोखिम

समूह का मूल्य वृद्धि से होने वाला जोखिम अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए और तुलन पत्र में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

समूह का इक्विटी प्रतिभूति से संबंधित जोखिम कंपनी द्वारा रखे गए और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
निवेश- गैर उद्धृत निवेश	3	49.06	44.02

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन होते हैं और इसे विदेशी मुद्रा में लेन-देन से विदेशी मुद्रा जोखिम भी होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन और एक ऐसी मुद्रा, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है, में अंकित मान्य संपत्तियों और देयताओं से होता है।

विदेशी मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
निर्माण	-	-
परामर्शी	16,024.43	16,917.51
अन्य आय (एफडीआर में ब्याज शामिल)	319.10	306.7
कुल	**16343.53**	**17224.21**

विदेशी मुद्राओं में व्यय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्राप्त सेवा शुल्क	1,084.60	2,063.33
कर्मचारी लाभ व्यय	2,701.10	3,022.88
परिवहन	203.62	293.02
अन्य	2,057.33	2,379.53
कुल	**6046.64**	**7758.76**

विदेशी मुद्रा जोखिम प्रकटीकरण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	214.16	4.81	46.65	35,603.27	4.78	146.10	-	-	-	40.89	120.31
नकद और नकद समतुल्य	17.02	2.64	52.67	634.19	-	25.46	0.09	0.00	-	-	10.78
अन्य बैंक शेष	252.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.36	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**483.59**	**7.45**	**99.32**	**36,339.11**	**4.78**	**171.56**	**0.09**	**0.00**	**-**	**40.89**	**131.09**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	17.60	0.14	0.75	2,945.03	-	145.99	-	-	-	-	95.37
कर्मचारियों को देय	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	154.54	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**175.52**	**0.14**	**1.32**	**2,945.03**	**-**	**145.99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.37**

विवरण	31 मार्च 2023										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	175.53	14.77	56.56	12166.44	4.78	149.93	-	-	-	66.89	82.94
नकद और नकद समतुल्य	32.35	0.01	32.87	474.22	-	20.66	0.09	-	-	-	24.00
अन्य बैंक शेष	254.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.35	-	-	76.64	-	-	-	-	-	-	1.84
कुल	**463.18**	**14.78**	**89.43**	**12717.30**	**4.78**	**170.59**	**0.09**	**0.00**	**-**	**66.89**	**108.78**

विवरण	31 मार्च 2023										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	55.32	0.14	5.96	2,945.03	-	145.99	-	-	-	-	78.54
कर्मचारियों को देय	2.59	-	-	1,532.94	-	-	-	-	-	-	4.05
प्रतिधारण राशि	154.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	**212.25**	**0.14**	**5.96**	**4,477.97**	**-**	**145.99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.59**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विनिमय दर में 5% प्रतिशत परिवर्तन का संवेदनशीलता विश्लेषण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2024								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,284.21	32.97	7.19	35.73	1.83	0.36	0.02	26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,284.21)	(32.97)	(7.19)	(35.73)	(1.83)	(0.36)	(0.02)	(26.49)	(1.01)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2023								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,031.50	65.61	6.36	8.98	1.87	0.31		26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,031.50)	(65.61)	(6.36)	(8.98)	(1.87)	(0.31)	-	(26.49)	(1.01)

v. ब्याज दर जोखिम

समूह में ब्याज दर जोखिम का अनावरण भी किया गया है, ब्याज दर में परिवर्तन भविष्य के नकदी प्रवाह या इसके वित्तीय साधन मुख्य रूप से ऋण के उचित मूल्य को प्रभावित करेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के ऋणों का अनावरण निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

ब्याज दर जोखिम	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ऋण		
गैर वर्तमान - फ्रलोटिंग (वर्तमान परिपक्वताओं सहित)	22772.64	14,282.34
वर्तमान	(0.02)	0.00
कुल	**22772.62**	**14282.34**

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन की गैर-वर्तमान उधारियों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	ब्याज दर संवेदनशीलता			
	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/व्यय	814.28	(814.28)	742.76	(742.76)

55. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन और संव्यवहार पर शुद्ध लाभ/हानि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
विनिमय भिन्नता आय	613.01	3204.23
विनिमय भिन्नता व्यय	382.12	1629.62
शुद्ध प्रभाव - लाभ/(हानि)*	230.89	1574.61

*विचाराधीन उस प्रभावी चालू वित्तीय वर्ष में, समायोज्य व्यापार अग्रिम प्राप्त या भुगतान होने पर भी गैर-मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय उतार-चढ़ाव की गणना नहीं की जाती है।

56. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही किया गया) (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
i. आकस्मिक देयताएं - मूल कंपनी		
1. कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया।	29536.97	14417.45
2024 2023		
कार्मिक द्वारा 35.31 51.66		
अन्यों द्वारा 29501.66 14365.79 (उपर्युक्त दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रति दावों की राशि 31 मार्च 2024 रु. शून्य (गत वर्ष को रु. शून्य है, जिसका हिसाब लेखाबही में नहीं है)		
2. सेवा कर विभाग द्वारा मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (सेवा कर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समूह ने उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद किया और विभाग को इसके जवाब प्रस्तुत किए थे। विभाग द्वारा कई बार सुनवाई की गई है और प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस के बाद कोई और डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है।)	16667.99	16667.99
3. **अन्य - परिसमापन नुकसान** कंपनी बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिनमें लेबी निर्माणपूर्व अवधि का समय है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी अनुमोदन की आवश्यकता है, जो समय लगने वाली प्रक्रिया है। नोट में दर्शायी गयी राशि परिसमापन क्षति की संभावित राशि से संबंधित है, जो परियोजना के समय पर पूरी न होने पर कंपनी पर लगाया जा सकता है।	7384.47	8957.75
4. व्यवसाय कार्य - निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी ग्राहक द्वारा संबधित भुगतान जारी किए जाने के पश्चात एमएसई विक्रेताओं, जिनके साथ कंपनी ने सामान और सेवाओं (जो एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) की स्वीकृति के पश्चात भुगतान हेतु करार किया है, सामान और सेवाओं का क्रय रही है। इस प्रकार, कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने खातों में किसी प्रकार का ब्याज उपलब्ध नहीं करा रही है।	-	-
आकस्मिक देयताएं सहायक कंपनी		
1. ठेकेदार के बकाया दावे मध्यस्थता केन्द्रों और अदालतों में लंबित हैं	25805.66	16689.90
2. सेवा कर और आयकर मांग और अपील / सुधार में विवादित आयकर मांग संबंधी ब्याज	30342.92	29507.22
3. व्यापार निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं जिनके साथ कंपनी ने ग्राहक द्वारा संबंधित भुगतान जारी किये जाने पर वस्तु और सेवाओं (जिन्हें एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया जाता है) की स्वीकृति के बाद भुगतान हेतु समझौता किया है, उनसे वस्तु और सेवाएँ प्राप्त कर रही है, जब जाता है। इस प्रकार, कंपनी अपने बहीखातों में एमएसएमई विक्रेताओं को कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है।		
ii. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	-	-
iii. प्रतिबद्धताएं		
1. प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी, बयाना जमा और सुरक्षा जमा	53001.27	65260.35
2. पूँजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानिक राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (संदर्भ टिप्पणी सं-2)	-	-
कुल	**162739.28**	**151500.66**

आकस्मिक देयता के लिए संचालन चार्ट

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक जमा	151500.66	184052.74
जोड़ अतिरिक्त: वर्ष के दौरान	53197.54	42797.9
कमः वर्ष के दौरान समायोजित/स्थिर	(41958.92)	(75349.98)
जमा शेष	**162739.28**	**151500.66**

57. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व :

i. राजस्व निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयः

अनुबंध राजस्व और संबंधित लेनदारियों की मान्यता प्राप्त राशि प्रबंधन के प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाती है, जो प्रगति, प्रयासों, लागत के आधार पर लेन-देन की कुल अनुमानित लागत, व्यतीत समय, सेवा निष्पादन या कोई अन्य तरीके, जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर आंकलित की जाती है। विशेष रूप से अधिक जटिल अनुबंधों के लिए, कार्य पूरा करने की लागत और अनुबंध लाभप्रदता, सटीक अनुमान और अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

ii. समूह के पास विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध है जो नीचे दिए गए हैं:

- परामर्शी सेवाएं
- टर्नकी निर्माण परियोजनाएं

iii. समूह ने ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर समय के साथ या समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, तो राजस्व को कंपनी द्वारा समय के आधार पर मान्यता दी गई हैः

- ग्राहक एक ही साथ प्राप्त करता है और लाभ उठाता है।
- समूह का कार्य निष्पादन ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या बढ़ाता है जिन्हें ग्राहक संपत्ति के निर्माण या संवर्द्धन के रूप में नियंत्रित करता है।
- समूह का निष्पादन वैकल्पिक उपयोग के साथ नहीं बनता है और समूह को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है और ग्राहक अनुबंध से उत्पन्न होने वाली प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और नकदी प्रवाह के बारे में खुलासे की आवश्यकता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत, राजस्व 5-चरण दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधों) की पहचान करना,

ख) अनुबंध में अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान करना,

ग) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना,

घ) निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना, तथा

ङ) निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व की पहचान करना।

अनुबंध परिसम्पति - अनबिल राजस्व

अनुबंध में उल्लिखित कार्य पूरा होने के आधार पर ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में, हालांकि उल्लिखित कार्य समय के अलावा अन्य कारकों के कारण बिलिंग नहीं हो पाती है। बिलिंग से अधिक राजस्व राजस्व नहीं है और अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, जब और जब बिलिंग की जाती है और संबंधित कार्य प्राप्त किया जाता है, तो व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा परिसम्पत्तियों का संचलन - अनबिल राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	**9113.14**	**13925.43**
निवल जोड़	6091.69	8135.21
प्रत्यावर्तित राशि	(5399.96)	(12,947.50)
जमा शेष	**9804.87**	**9113.14**

संविदा परिसम्पत्तियों में संचलन- प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	8861.42	9467.30
निवल जोड़	1512.99	1262.93
प्रत्यावर्तित राशि	(827.84)	(1868.81)
जमा शेष	**9546.57**	**8861.42**

संविदा परिसम्पत्तियों में संचलन- प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	6347.07	4608.02
निवल जोड़	2268.13	3755.65
प्रत्यावर्तित राशि	(2045.14)	(2016.61)
अंत शेष	**6570.06**	**6347.07**

अनुबंध देनदारियां - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

अनुबंध देनदारी को मान्यता दी जाती है यदि इकाई को प्रदर्शन के अग्रिम में महत्त्व (या यदि उसे महत्त्व मिलने का बिना शर्त का अधिकार है) प्राप्त हो।

अनुबंध देनदारियों का संचालन - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	142645.9	151419.24
निवल जोड़	66954.99	59667.44
प्रत्यावर्तित राशि	(73893.06)	(68440.78)
अंत शेष	135707.83	142645.90

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	24544.97	22469.22
निवल जोड़	4511.36	5405.2
प्रत्यावर्तित राशि	(1906.76)	(3329.45)
अंत शेष	**27149.57**	**24544.97**

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	44999.23	40681.78
निवल जोड़	7207.92	5145.03
प्रत्यावर्तित राशि	(1251.80)	(827.58)
अंत शेष	**50955.35**	**44999.23**

“सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व, जिसे अवधि के प्रारंभ में अनुबंध देयता शेष में शामिल किया गया था" और निष्पादन दायित्वों से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व से पूर्ववर्ती अवधियों में संतुष्टि (या आंशिक रूप से संतुष्टि) प्राप्त है के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 116 (ख) और (ग) के प्रकटीकरण निम्नानुसार दिए गए हैंः

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व जो अवधि की शुरुआत में अनुबंध की देयता शेष में शामिल था	24059.42	20566.06
पूर्ववर्ती अवधियों में निष्पादन दायित्वों का निर्वाह (या आंशिक निर्वाह) होने से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व	1111.00	5392.54

पृथककरण राजस्व सूचना

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रें से राजस्व हेतु ग्राहक के साथ अनुबंध से असहमत राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है। समूह का मानना है कि ये असहमत राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारकों को कैसे प्रभावित करती है।

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
2023-24	47860.34	19714.19	248848.79	-	316423.32
2022-23	47747.19	21206.82	232851.76	-	301805.78

iv. समूह द्वारा ग्राहकों को तथा उनकी ओर से कई परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कार्य निष्पादन दायित्वों ग्राहकों से भुगतान के साथ जुडे हुए हैं। जहाँ भी रेपोर्टिंग तारीख पर कार्य निष्पादन किया जाता और संविदा के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे मामलों में अनुबंध परिसंपत्ति बनाया गया है।

तथापि, जहां भुगतान अग्रिम में प्राप्त होता है, लेकिन कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया ऐसे मामलों में अनुबंध देनदारियों नहीं बनाई गई है। कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम कार्य के निष्पादन के लिए है और सुरक्षा का प्रकार है अर्थात् बचाव का स्रोत हैं।

वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं/वस्तु आपूर्ति हेतु ग्राहकों से प्राप्त राशि की हानि का प्रावधान 7783.08 लाख रू. (गत वर्ष 12085.83 लाख रू.) रहा।

58. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2023 तक बिना बिल किए गए राजस्व के ₹ 6811.93 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6901.14 लाख) को कार्य पूरा होने पर ग्राहकों को बिल करने पर व्यापार प्राप्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

59. प्रदर्शन दायित्वों का कुल मूल्य जो 31 मार्च 2024 तक पूरा होना बाकी है, ₹ 1929727.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1647032.91 लाख) है जो समूह के विभिन्न खंडों से संबंधित है।

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1823822.92	105904.23	1929727.15

31 मार्च 2023 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं*	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1550366.42	96666.49	1647032.92

*समूह का मानना है कि कुछ परियोजनाओं में निलंबन प्रकृति में अस्थायी है और एक बार प्रतिबंधित परिस्थितियाँ दूर हो जाने पर गतिविधियां पुनः आरंभ हो जाएंगी। कंपनी अपने तकनीकी और वित्तीय दायित्वों को पूर्ण करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से किए जाने वाले धन के के भुगतान के लिए अवश्वस्त है। इसलिए, प्राप्तियों के साथ-साथ देय, प्रकृति में स्थिर नहीं है और इन्हें वसूली योग्य प्राप्तियां और भुगतान योग्य वास्तविक शेष माना गया है। हालांकि, ऐसी प्राप्तियों पर समूह की अपेक्षित क्रेडिट हानि नीति के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

60. समूह ने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कोई लागत नहीं ली है और लाभ और हानि विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

61. संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत (खरीद लागत को छोड़कर) लाभ और हानि विवरण के लिए वसूल की जाती है, अगर यह वसूली योग्य नहीं है, तो यह बिल न किए गए राजस्व और बिल न की गई परिसम्मत्तियों का भाग है।

62. संयुक्त व्यवस्थाओं में कंपनियों के ब्याज का प्रकटीकरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	व्यवस्था का नाम	कम्पनी का ब्याज		साझेदार और उनका साझेदारी ब्याज (पीआई)	देश
		2023-24	2022-23		
1.	लोअर सेती (तानाहु) हाइड्रोपावर परियोजना (एलएसएचईपी)	84.80%	84.80%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - निप्पन कोई लिमिटेड - 15-2%	नेपाल
2.	पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंदनिंग प्रोजेक्ट	81.65%	81.65%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - एसएमईसी इंटरनेशनल पीटीवाई- लि. -18-35%	नेपाल

63. 54.71 लाख रुपये की राशि अवकाश यात्रा रियायत के पुराने शेष से संबंधित है जिसे कम्पनी द्वारा देय होने की सम्भावना नहीं है। कंपनी की संभावित देयता का आकलन करने के लिए अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं

64. टिप्पणी संख्या-4ख में कर्मचारी अग्रिम के लिए 222.80 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसकी वसूली/समायोजन के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। कंपनी का मानना है कि पूरी राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है।

65. समूह जमा कार्यों के आधार पर कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्राहकों को देय ब्याज के लिए पर्याप्त प्रावधान बहियों में किया गया है, जिसका कंपनी द्वारा आदर्श फंड का उपयोग किया गया है। वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल ब्याज लागत 1725.55 लाख रु. (गत वर्ष 1498.08 लाख रू.) है और देय ब्याज को वित्तीय विवरण में टिप्पणी 25 में विधिवत प्रकटन किया गया है।

66. समूह की कंपनी में लगे नए नियमित भत्तियों से बॉन्ड मनी लेने की नीति है। बांड का पैसा कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीद के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसंपत्ति और देयता के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बांड की राशि संबंधित अधिकारियों को उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड की अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है। 31 मार्च 2024 को ऐसे एफडीआर की राशि रु. 78.90 लाख (पिछले वर्ष 95.03 लाख रुपये)। समूह के पास कर्मचारियों से संबंधित एफडीआर को विनियमित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और प्रत्येक कर्मचारी स्तर पर समाधान के लिए प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के उपाय किए जा रहे हैं।

67. दिनांक 15.08.2021 को अफगानिस्तान में राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होने के समय कंपनी अफगानिस्तान में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही थी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के कारण, सभी परियोजना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। अफगानिस्तान

परियोजनाओं से बकाया के रूप में कंपनी के पास 01.04.2023 को 1970.45 लाख रुपये की व्यापारिक प्राप्तियां थीं।

इनमें से, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना से संबंधित 869.92 लाख रुपये की देनदारी पर दिनांक 01.04.2023 तक पुन: प्रकिया चालू की गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 668.82 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.13 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1100.53 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2024 को अफगानिस्तान परियोजनाओं से बकाया व्यापारिक प्राप्तियों की शुद्ध राशि 194.97 लाख रुपये है। प्रबंधन इन परियोजनाओं में बकाया शेष राशि की वसूली के संबंध में आश्वस्त है।

68. बांग्लादेश में जब राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई उस समय कंपनी बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का कार्यान्वियन कर रही थी। 01.04.2023 को कंपनी के पास बांग्लादेश परियोजनाओं से प्राप्त होने वाला व्यापारिक बकाया 927.45 लाख रुपये का था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 263.48 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 67.35 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 435.20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार, 31.03.2024 को बांग्लादेश परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले व्यापारिक बकाया की शुद्ध राशि 513.50 लाख रुपये है। प्रबंधन इन परियोजनाओं में बकाया शेष राशि की वसूली के संबंध में आश्वस्त है।

69. श्रीलंका में जब राजीनीतिक परिस्थितियां बदली उस समय कंपनी श्रीलंका में एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही थी। इसके बाद, परियोजना संचालन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। कंपनी की 94.62 लाख रुपये की व्यापार प्राप्तियां थीं जिसका पूर्ण से प्रावधान किया गया है।

70. कंपनी द्वारा गुजरात में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा था जिन्हें ग्राहक द्वारा बंद कर दिया गया है। ग्राहक के पास कंपनी के 280.55 लाख रुपये की व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बही खातों में पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया गया है।

71. सहायक कंपनी के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(31) के अनुसार, डिपोजिट रूप में प्राप्त धन राशि विचारार्थ प्रकृति की नही है और इसलिए डिपोजिट की प्राप्ति के समय इस पर जीएसटी देनदारी नहीं बनती। वास्तव में, सेवा के प्रावधान के समय जीएसटी देनदारी की अदायगी होती है। डिपोजिट कार्य परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा अग्रिम धनराशि की प्राप्ति के समय जीएसटी का भुगतान किया जाता है।

72. समूह के कुछ करार परियोजना प्राधिकरणों (पीए) के साथ किए हैं, जिसके अंतर्गत परियोजनाओं की अव्ययित राशि पर अर्जित किसी भी ब्याज आय को संबंधित परियोजना प्राधिकरणों को वापस अंतरित किये जाने की आवश्यकता होती है। कतिपय मामलों में, समूह द्वारा विशिष्ट परियोजना हेतु एक अलग से समर्पित एक अलग बैंक खाते के रखरखाव किया जाता है। किसी भी अर्जित ब्याज को वास्तविक आय के आधार पर सीधे संबंधित परियोजना प्राधिकरणों (पीए) को अंतरित किया जाता है। अन्य मामलों में जहाँ राशि को एक सामान्य बैंक खाते के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है, ब्याज की गणना पूरे वर्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा प्रस्तुत मौजूदा ब्याज दरों पर और समूह के बहीखातों में पीए के दैनिक आधार पर बकाया शेष राशि पर निर्भर करती है।

73. सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2021 को हुई अपनी 333वीं बैठक में 01.01.2007 से पहले या उसी दिन के बाद सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने हेतु मौजूदा पीबीटी का 1.5% अंशदान देकर एक कोष बनाने पर विचार करने का निर्णय लिया और बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि एक आकलन किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों(जिनमें 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोग भी शामिल हों) के लिए एक समान नीति का निर्माण किया जा सके। हालाँकि, इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है सभी कर्मचारियों जो 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित, के लिए एक समान नीति हेतु आवश्यक राशि का मूल्यांकन किये जाने के संबंधी बोर्ड का निर्णय लंबित है और कोष निधि के वितरण हेतु एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

74. परियोजना प्राधिकरणों के किये गये कार्य की अनबिल मात्रा की 31.03.2024 के अनुसार जोन-वार स्थिति निम्नानुसार है

(रु. लाख में)

क्षेत्र / इकाई का नाम	अनबिल -वर्तमान	अनबिल गैर-वर्तमान	अनबिल गैर-वर्तमान-संदिग्ध	कुल
रायपुर	437.38	-	-	437.38
कोलकाता	315.71	-	-	315.71
भोपाल	1545.35	-	-	1,545.35
हथियारी	-	-	-	-
दिल्ली	220.47	-	-	220.47
पीएमजीएसवाई	992.61	-	-	992.61
बिहार	866.19	-	-	866.19
झारखंड	3034.05	-	-	3,034.05
बैंगलोर	3.77	-	215.55	219.32
गुवाहाटी	178.71	-	-	178.71
जम्मू	679.00	-	-	679.00
त्रिपुरा	-	-	-	-
अहमदाबाद	59.52	-	-	59.52
कुल	**8332.77**	**-**	**215.55**	**8,548.32**

75. समूह ने "रेमिटेंस फ्रीज़" खाते में ₹58.99 लाख की असमायोजित जमा शेष राशि की जानकारी दी है, जो पहले से ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में सृजित ₹58.99 लाख के संबंधित प्रावधान द्वारा पूरी तरह से समायोजित है।

76. समूह द्वारा नेपाल में "महाकाली सिंचाई परियोजना का कार्यान्वय किया जा रहा था जिसे ग्राहक द्वारा 1993 में समाप्त कर दिया गया था और परियोजना स्थल पर सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। तत्पश्चात 2008 में ग्राहक द्वारा जब्त की गई परिसम्पत्तियों को नीलाम कर दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 इस संबंध में पूर्ण प्रावधान किया है।

77. बहीखातों की इनपुट/आउटपुट बकाया राशियों का जीएसटी पोर्टल के साथ मिलान किया जा रहा है, जिसे आवश्यक रिटर्न दाखिल करने के बाद पूरा कर लिया जाएगा।

78. मैसर्स ओडिशा हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा 4029.27 लाख रुपये की राशि के साथ"मुरान कम्पोजिट बांध" के निर्माण का कार्य 08.01.1986 को समूह को सौंपा गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, 21.12.1993 को ग्राहक द्वारा कार्य समाप्त कर दिया गया और यह मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय में अर्जी दी। अदालत के आदेश के बाद, मध्यस्थ नियुक्त किए गए जिन्हें समूह द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में इस मामले में दिये गये सभी पिछले आदेशों को रद्द कर दिया। ग्राहक ने 299.22 लाख रुपये की प्रतिभूति जमा राशि रोक को रोक रखा है। समूह रोक ली गई सुरक्षा राशि की वसूली की प्रक्रिया में है।

79. समूह को यूजेवीएनएल द्वारा एसडी/ईएमडी से संबंधित कुछ कार्यों के लिए 795.90 लाख रुपये की राशि ,जिसमें परियोजना प्राधिकरण (यूजेवीएनएल) के साथ 645.19 लाख रुपये की सावधि जमा शपथ की शेष राशि (जिसमें टर्म डिपॉजिट की अवधि के दौरान उस पर अर्जित ब्याज शामिल है)का कार्य सौंपा गया था। परियोजना प्राधिकरण ने बैलेंस शीट की तारीख के बाद यानी 31.03.2024 के बाद उन सावधि जमा शपथ राशि का नकदीकरण किया है। इसे अंतिम बिल के अंतिम निपटान के समय ग्राहक द्वारा वापस किया जाएगा। समूह इस मामले का अनुसरण कर रहा है ताकि इसकी वसूली की जा सके।

80. समूह को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा त्रिपुरा पूर्वी सीमा बाड़बंदी और बीपी संख्या 2270 से 2283 के बीच सड़क निर्माण के शेष कार्यों का आवंटन किया गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कार्य इस कार्य को सीपीडब्ल्यूडी को पुनः आवंटित करने का निर्णय लिया। कार्यों को सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, समूह को गृह मंत्रालय द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी और सड़क कार्यों का आवंटन भी किया गया था। हालांकि,कुछ बाधाओं और इस क्षेत्र के नक्सली हमलों से प्रभावित होने के कारण इस परियोजना की जैसी प्रगति की सी उम्मीद की गई थी, वैसी नहीं हो सकी। ऐसे में, 2023 में गृह मंत्रालय ने सीमा बाड़बंदी का कार्य एनबीसीसी को पुनः आवंटित कर दिया किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इससे संबंधित कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं है। इस मामले से संबंधित अनुषांगिक देयताओं को वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 56 के अंतर्गत सचुचित रूप से प्रकट किया गया है।

81. पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए पॉसंगीपुर, दिल्ली में आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित कार्य। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरण को बिना बाधा वाली भूमि उपलब्ध करानी थी जो कि नहीं करायी जा सकी और इस प्रकार ग्राहक ने काम को बंद करने का निर्णय लिया है। परियोजना बंद किये जाने की प्रक्रिया में है और ग्राहक के साथ अंतिम निर्णय/समझौता के बाद बही खातों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

82. समूह को भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय के भवन के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा गया था। समूह ने ग्राहक से 1.33 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए थे, जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में समूह की ईसीएल नीति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

83. समूह को आईएआरआई की ओर से पूसा परियोजना (दिल्ली क्षेत्र) के संबंध में 29.42 लाख रुपये की देय राशि के संबंध में कुल 78.65 लाख रुपये प्राप्त हुए। शेष राशि (जो अन्य वर्तमान देनदारियोंके अंतर्गत ग्राहक से अग्रिम के तहत दर्शायी गई है) ग्राहक से डिमांड प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

84. समूह ने पाकुड़ और जामतारा स्थलों पर किए गए कार्यों के संबंध में जेपीएचसीएल के समक्ष 2.02 करोड़ रुपये और 3.42 करोड़ रुपये के आरए बिल प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि मई 2023 में आने वाली इन आरए बिलों के संबंध में जेपीएचसीएल से स्वीकृति अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, आय की वसूली के संबंध में अनिश्चितता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है।

85. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए 73.18 लाख रुपये की राशि सेवा कर विभाग को प्रस्तुत की गई थी और अदायगी बाकी है। वर्तमान में यह मामला वापस भेजा गया है और नया आंकलन किया जाना अभी बाकी है। इस प्रकार, इस राशि को बहीखातों में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

86. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों (टिप्पणी संख्या 56) के अंतर्गत 205.30 करोड़ रुपये की बकाया मांग की जानकारी दी गई है। समीक्षा वर्ष (एवाई) 2016-17 की कुल मांग में से 58.87 करोड़ रुपये डिपोजिट किए गए हैं या हमारे प्रतिदाय के माध्यम से समायोजित किए गए हैं। मामला वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी(ए)] के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, 205.30 करोड़ रुपये की मांग को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा 18.04.2023 को जारी अपने आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था।

87. समूह को आईआईटी खड़कपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अगस्त, 2018 के पत्र के माध्यम से खड़कपुर आईआईटी में नए इनडोर खेल परिसर और खाद्य कोर्ट परियोजनाओं के निर्माण का कार्य संबंधी ₹54.49 करोड़ का कार्य सौंपा गया था। आईआईटी खड़कपुर ने परियोजना स्थल को बाधाओं से मुक्त करने में विफलता दिखाई, हालांकि उन्होंने ऐसा करने पर सहमति व्यक्त थी और एनपीसीसी के पक्ष में वर्क आर्डर जारी करने में भी विफल रहे और एनपीसीसी के डिफॉल्ट होने का हवाला देते हुए उपरोक्त कार्य को समाप्त कर दिया। इसलिए, एनपीसीसी ने विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान हेतु समझौते के अनुच्छेद 14.1 को उठाया और धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। इसके अलावा, 12 जून, 2023 को एनपीसीसी और आईआईटी खड़कपुर के बीच हुई मध्यस्थता प्रक्रिया में एनपीसीसी के पक्ष में पारित मध्यस्थता अवार्ड के मामले में, आईआईटी खड़कपुर ने निर्णय को चुनौती दी है। उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका (मामला संख्या एपी 2023 का 787) दायर की है।

(रु. लाख में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आयकर भुगतान, यदि कोई हो	प्राप्त/प्रोद्भूत प्रतिदाय, यदि कोई हो		मांग के संबंध में समायोजित प्रतिदाय, यदि कोई हो
			कर राशि	ब्याज राशि	
1*	2021-22	-	-	38.17	-
2**	2022-23	-	840.52	37.82	-
	कुल	**-**	**840.52**	**75.99**	

"* वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 19.03.2024 के सूचना आदेश के अनुसार,

क) धारा 244क के तहत कुल देय ब्याज 106.10 लाख रुपये है, जिसमें से 67.93 लाख रुपये को पहले ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज आय के रूप में अभिज्ञात किया गया है। तदनुसार, 38.17 लाख रुपये के शेष ब्याज को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रोदभूत हुआ है। संदर्भ टिप्पणी - 22 देखें।

ख) कुल प्रतिदाय राशि 1632.73 लाख रुपये है, जिसमें से 1577.65 लाख रुपये आयकर विभाग द्वारा 15.12.2022 को लेखा वर्ष 2016-17 की मांग के संबंध में समायोजित किया गया था और बकाया राशि 55.08 लाख रुपये (जिसमें 38.17 लाख रुपये का ब्याज शामिल है) दिनांक 09.09.2024 को प्राप्त हुई।

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 22.12.2023 के सूचना आदेश के अनुसार 29.03.2024 को प्रतिदाय प्राप्त हुआ।

89. भुवनेश्वर एसईजेडक्षेत्र में, ओपीडीसी, कौशल्या गंगा के संबंध में खंड I से संबंधित 36.29 लाख रुपये और खंड II के लिए 45.36 लाख रुपये का अंतिम बिल का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि ग्राहक ने इन दोनों कार्यों के लिए अंतिम परियोजना पूर्णता को प्रमाणित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, आय की पुनर्प्राप्ति के संबंध में अनिश्चितता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है।

90. समूह निर्माण व्यवसाय में संलग्न है जहाँ परियोजना की विशिष्ट प्रकृति/स्थानीय स्थिति/ग्राहक की आवश्यकताओं के कारण कार्यान्वयन के दौरान, मात्रा में भिन्नता उत्पन्न होती है। भिन्नता मदों के भुगतान हेतु केवल संबंधित ग्राहकों द्वारा भिन्नता की मात्राओं और मूल्य की स्वीकृति के बाद ही दावा किया जा सकता है। भिन्नता की मात्राओं के संबंध में राजस्व की गणना ग्राहक द्वारा डेविएशन की स्वीकृति के वर्ष में की जाती है।

91. समूह दीर्घकालिक अनुबंधों से युक्त निर्माण गतिविधियों में संलग्न है। परियोजनाओं की भिन्न प्रकृति और अवधि के कारण, समूह अपने परिचालन चक्र का निर्धारण करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार, समूह ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों को 12 महीनों के डिफ़ॉल्ट परिचालन चक्र के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान में वर्गीकृत किया है। वर्तामन परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं, जिनके रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर प्राप्त, बेचे जाने या उपभोग किये जाने की उम्मीद है। गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं, जिनके रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। वर्तमान और गैर-वर्तमान के वर्गीकरण का निर्धारण रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में संबंधित क्षेत्र में किया जाता है।

92. समूह को बिहार में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। समूह ने उक्त कार्य निष्पादन हेतु मैसर्स रांची डिज़ाइन और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उप-ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया। कार्य निष्पादन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए और ठेकेदार ने ब्याज सहित 16.30 लाख रुपये और 23.86 लाख रुपये की शेष राशि के दो मामले दायर किए है। झारखंड सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने उप-ठेकेदार के पक्ष में 191.99 लाख रुपये का निणर्य दिया। समूह ने निर्णय का विरोध किया, और अब यह मामला झारखंड के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहायक कंपनी ने प्रदत्त राशि के 75% के रूप में 144.00 लाख रुपये जमा किए हैं, जिसे नोट संख्या 12 के तहत "विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों में जमा की गई राशि" के अंतर्गत दर्शाया गया है। समूह को इस बात की समुचित निश्चिंतता है कि निधियों के उत्प्रवाह की संभावना नहीं है हालांकि समूह ने विवादित मांग को 264.69 लाख रुपये (ब्याज सहित) एक आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया है।

93. समूह द्वारा झारखंड में पीएमजीएसवाई के कार्य का निष्पादन किया जा रहा था। गैर-निष्पादन के कारण समूह ने विभिन्न उपठेकेदारों की 890.87 लाख रुपये की राशि की प्रतिभूतियों का नकदीकरण किया है , जिसे टिप्पणी संख्या 20 क के अंतर्गत अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं - अन्य देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। झारखंड जोन वर्तमान में उपरोक्त की अवधि-वार/परियोजना-वार जानकारी की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

94. समूह द्वारा सिमाद्री, ओडिशा में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही थी जिसे ओएचपीसी ने 1993 में समाप्त कर दिया। पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और मामले का निपटारा ओडिशा सरकार के प्रमुख सचिव के माध्यम से किया गया। बैठकों के दौरान, सहायक कंपनी को ओएचपीसी के पक्ष में 28 लाख रुपये का एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सहायक कंपनी ने उक्त क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत किया और यह मामला 31.03.2011 को समाप्त हो गया। ओडिशा सरकार के प्रमुख सचिव के माध्यम से निपटारे के समानांतर, ओएचपीसी ने मध्यस्थ नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया और ब्याज का दावा किया। एनपीसीसी ने यह कहते हुए कि ओएचपीसी का दावा समयबद्ध था मध्यस्थ नियुक्त किए जाने का विरोध किया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने अवकाश की अनुमति दी और कहा कि " न्यायालय का यह मत है कि ओएचपीसी का मध्यस्थता शुरू करने का कदम काफी देर से उठाया गया। उच्च न्यायालय ने आवेदन को अनुमति देकर और मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश देकर गलती की। तदनुसार विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।" तदनुसार, समूह ने किसी भी प्रकार की ब्याज देनदारी का निर्धारण नहीं किया है।

95. 31 मार्च, 2024 तक, 10 वर्षों से अधिक की आयुवर्ग से संबंधित कुल व्यापारिक देनदारी रु. 67.22 करोड़ रू. है, जिसमें से 16.59 करोड़ रू. को बुरे ऋणों वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया है। लंबित मुकदमों/विवादों के कारण 50.63 करोड़ रु. की अंतराल राशि बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

96 अन्य जानकारी

i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ii) कंपनी ने बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

iii) कंपनी के पास कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसको वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

iv) कंपनी ने संबंधित वित्तीय वर्षों/अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

v) कंपनी ने विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को मध्यस्थ बनकर अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है:

  क) कंपनी (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या

  ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

vi) कंपनी को विदेशी इकाइयों (वित्तपोषित पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) से कोई वित्त प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

  क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण या किसी व्यक्ति या वित्तपोषित पक्ष (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचानी गई इकाइयों में निवेश या

  ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, आयकर अधिनियम 1961 के खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए गए बहीखातों में रिकार्ड नहीं है।

viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विल्फुल डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ix) कंपनी ने कंपनी (संख्या की लेयर पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित लेयर की संख्या का अनुपालन किया है।

97. गत वर्ष के आंकड़ों का वर्तमान वर्ष के समूहीकरण और/या वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पुनर्समूहीकरण और/या पुनर्वर्गीकरण किया गया है। नकारात्मक आंकड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किए गए हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) **कम्पनी सचिव**	**(अतुल मेंदीरत्ता)** **महाप्रबंधक** **(वित्त)**	**(पार्थ सारथी घोष)** **निदेशक** **(डीआईएन 07900294)**	**(पंकज कपूर)** **निदेशक (वित्त)** **(डीआईएन 07290569)**	**(आर के अग्रवाल)** **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** **(डीआईएन 09344894)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192
20 जनवरी 2025

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जनवरी 2025

नोट्स

Certificate of Registration

ISO 9001:2015

This is to Certify that
Quality Management System of

WAPCOS LIMITED

76 - C, SECTOR – 18, GURUGRAM 122 015, HARYANA, INDIA

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 9001:2015

for the following scope :

ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) PROJECTS RELATED TO RESIDENTIAL, OFFICE BUILDINGS, CIVIL WORKS, ROADS & HIGHWAYS, IRRIGATION, AGRICULTURE AND WATER PROJECTS, ELECTRICAL POWER PROJECTS FOR GENERATION, SUBSTATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION NETWORKS, RURAL ELECTRIFICATION AND RENEWAL ENERGY, INDUSTRIAL, IT, TELECOMMUNICATION AND RELATED PROJECTS.

Certificate No	: 1022QT01		
Initial Registration Date	: 09/06/2022	Issuance Date	: 09/06/2022
Date of Expiry	: 08/06/2025		
1st Surve. Due	: 09/05/2023	2nd Surve. Due	: 09/05/2024

Director

IAF · DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-20817-01-00

Absolute Quality Certification Pvt. Ltd.

Accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, Germany (Registration No. D-ZM-20817-01-00)
Spittelmarkt 10, 10117 Berlin, Germany.

Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before of due date. (In case surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn).

Certificate Verification: [illegible]

Certificate of Registration

ISO 9001:2015

This is to Certify that
Quality Management System of

WAPCOS LIMITED

76 C, SECTOR 18, GURGAON – 122015, HARYANA, INDIA.

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 9001:2015

for the following scope :

CONSULTANCY SERVICES IN WATER RESOURCES, POWER AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS.

IAF CODE : 34

Certificate No	: **24EQMP71**		
Initial Registration Date	: 24/04/2024	Issuance Date	: 24/04/2024
Date of Expiry	: 23/04/2027		
1st Surv. Due	: 24/03/2025	2nd Surv. Due	: 24/03/2026

Director

EGAC Accredited QMS Certification CAB # 012226 · IAF

(Scan to Verify)

Assurance Quality Certification LLC

Head Office: Sharjah Media City, SHAMS, Sharjah, UAE. e-mail: info@aqcworld.com.
Key Location: A-60, Sector - 2, Noida, Uttar Pradesh, 201301, India.

**Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before of due date. (In case surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn).*

Certificate Verification: Please Re-check the validity of certificate at http://www.aqcworld.com/activeclients.aspx or www.aqcworld.com at Active Clients.
Certificate is the property of Assurance Quality Certification LLC and shall be returned immediately when demanded.

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218

WAPCOS

(भारत सरकार का उपक्रम-जल शक्ति मंत्रालय)

(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)

पंजीकृत कार्यालय: 5" मंजिल "कैलाश", 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
टेली.: +91-11-23313131, 23313881 फैक्स: +91-11-23313134, 23314924 ई-मेल: ho@wapcos.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय: 76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015, हरियाणा
टेलीफोन: +91-124-2399428 फैक्स: +91-124-2397392 ई-मेल: mail@wapcos.co.in

वेबसाइट: http://www.wapcos.co.in
सीआईएन: U74899DL1969GO1005070

परामर्श और परामर्श में एक वैश्विक नेता इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) जल, बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सतत विकास के लिए एकीकृत और अनुकूलित समाधान प्रदान करना